

लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर
Fast Forward to Finish Line



निदेशक मंडल / Board of Directors



Bank of Baroda

Bank of Baroda

बाये से दाये - श्री सुदर्शन सेन, श्री विनिल कुमार सत्पेना, श्री राजीव सेखर साहू, श्री पि.श्रीनिवास – कार्यपालक निदेशक,
श्री बी.बी.जोशी – कार्यपालक निदेशक, श्री एस.एस.मुंदडा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ.के.पी. कृष्णन, श्री रंजन धवन – कार्यपालक निदेशक,
श्री मालिन ए. वैष्णव, श्री सुरेन्द्र एस.भण्डारी

Left to Right - Shri Sudarshan Sen, Shri Vinil Kumar Saxena, Shri Rajib Sekhar Sahoo, Shri P. Srinivas – Executive Director,
Shri B. B. Joshi – Executive Director, Shri S. S. Mundra – Chairman & Managing Director, Dr. K. P. Krishnan, Shri Ranjan Dhawan – Executive Director,
Shri Maulin A. Vaishnav, Shri Surendra S. Bhandari



| मुख्य महाप्रबंधक | | Chief General Managers |
|--|--|--|
| महाप्रबंधक | | General Managers |
| वि. एच. थते | | V. H. THATTE |
| आर. एस. सेतिया | | R. S. SETIA |
| एस. कल्याणरामन | | S. KALYANARAMAN |
| के. एन. मानवी | | K. N. MANVI |
| मोहर सिंह | | MOHAR SINGH |
| आर. पी. मराठे | | R. P. MARATHE |
| राजेश महाजन | | RAJESH MAHAJAN |
| जे. डी. परमार | | J. D. PARMAR |
| पी. डी. सिंह | | P. D. SINGH |
| आर. एस. अभ्यंकर | | R. S. ABHYANKAR |
| डी. के. गर्ग | | D. K. GARG |
| वी. के. गुप्ता | | V. K. GUPTA |
| के. वेंकट रामा मूर्ति | | K. VENKATA RAMA MOORTHY |
| के. पी. खरात | | K. P. KHARAT |
| यू. के. बीजापुर | | U.K. BIJAPUR |
| निर्मेष कुमार | | NIRMESH KUMAR |
| एल. एम. अस्थाना | | L. M. ASTHANA |
| यू. सी. सिंघवी | | U. C. SINGHVI |
| डी. पी. त्रिवेदी | | D. P. TRIVEDI |
| ई. एच. रहिमान | | E. H. RAHIMAN |
| डॉ. के. श्रीनिवास राव | | K. SRINIVASA RAO |
| आर. के. शर्मा | | R. K. SHARMA |
| एन. एन. भालेराव | | N. N. BHALERAO |
| डी. डी. सिंगला | | D. D. SINGLA |
| आर. के. अरोड़ा | | R. K. ARORA |
| एस. एस. घाग | | S. S. GHAG |
| बी. आर. देसाई | | B. R. DESAI |
| आर. सौविरीराजन | | R. SOWRIRAJAN |
| सुश्री विध्या आर. विट्टल | | Ms. VINDHYA R. VITTAL |
| ए. के. गर्ग | | A. K. GARG |
| श्रीधरन वी. | | SREEDHARAN V. |
| सुश्री उषा खामकर | | Ms. USHA KHAMKAR |
| प्रभात अग्रवाल | | PRABHAT AGARWAL |
| वी. के. भाटिया | | V. K. BHATIA |
| विपन महाजन | | VIPAN MAHAJAN |
| एस. के. शॉ | | S. K. SHAW |
| संजय अग्रवाल | | SANJAYA AGARWAL |
| आर. के. मालिक | | R. K. MALIK |
| एस. ज्ञानवेल | | S GNANAVEL |
| एम. एस. फोगाट | | M. S. PHOGAT |
| वी. एन. धवन | | V. N. DHAWAN |
| वी. नारंग | | V. NARANG |
| एम. वी. देशपांडे | | M. V. DESHPANDE |
| आर. एल. गुट्टिकर | | R. L. GUTTIKAR |
| राजू गुप्ता- मुख्य सतर्कता अधिकारी | | GUPTA RAJU - CHIEF VIGILANCE OFFICER |
| डॉ. (श्रीमती) रूपा नित्सुरे - मुख्य अर्थशास्त्री | | DR.(SMT.) RUPA NITSURE - CHIEF ECONOMIST |





लेखा परीक्षक / Auditors

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For KASG & Co.
Chartered Accountants

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

For Ray & Ray
Chartered Accountants

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

FOR KHANDELWAL JAIN & CO
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वडोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.),
मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

तृतीय तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्ली कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. प्लाट नं. 17-24,
विठ्ठलराव नगर, इमेज अस्पताल के पास, माधापुर,
हैदराबाद 500 081.

हमारे बैंक के डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051.

Investor Services Department

3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Plot No. 17-24,
Vithalrao Nagar, Nr Image Hospital, Madhapur,
Hyderabad 500 081.

Debenture Trustees of our Bank

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17,R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001





विषय सूची / Contents

| | पृष्ठ | Page | |
|--|------------|--|------------|
| अध्यक्षीय वक्तव्य | 02 | Chairman's Statement | 09 |
| नोटिस | 15 | Notice | 15 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 19 | Directors' Report | 63 |
| क्रार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट | 107 | Report on Corporate Governance | 107 |
| व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट | 145 | Business Responsibility Report | 145 |
| हरित पहल - शेयर धारकों से अपील | 174 | Green Initiative-Appeal to Shareholders | 174 |
| बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण | 176 | Basel II Pillar 3 disclosures | 176 |
| महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक | 207 | Key Financial Indicators | 207 |
| परिभाषाएं | 209 | Definitions | 209 |
| तुलन-पत्र | 210 | Balance Sheet | 210 |
| लाभ-हानि लेखा | 211 | Profit & Loss Account | 211 |
| नकदी-प्रवाह विवरणी | 259 | Statement of Cash Flow | 259 |
| लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 261 | Auditors' Report | 261 |
| समेकित वित्तीय विवरणियां | 264 | Consolidated Financial Statements | 264 |
| सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण | 298 | CEO / CFO Certification | 299 |
| प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची / ईसीएस | | Proxy Form / Attendance Slip / ECS | |



एस.एस. मूंदडा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अध्यक्षीय वक्तव्य

“कठिन दौर में विश्वसनीय प्रदर्शन”

प्रिय हितधारक,

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2013-14 (वित्तीय वर्ष 14) के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेहतरीन कार्यनिष्ठादान प्रदर्शित किया जो हमारे मानदंडों और हित धारकों को किए गए हमारे वायदे के अनुरूप है। अपने सुनियोजित व्यवसाय मॉडल की मदद से हमने कुल व्यवसाय की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। साथ ही, हमने अपने वित्तीय ठोस संकेतकों में सुदृढ़ विकास गति को जारी रखा जो हमारी व्यवसाय कार्य नीति का केंद्र बिंदु है।

इस अवसर पर मैं समष्टि आर्थिक परिवेश की समीक्षा करना बेहद उचित समझता हूं जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान कार्य किया।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान भारत की अंतर्निहित आर्थिक विकास प्रवृत्तियां कमजोर बनी रहीं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वित्तीय वर्ष 14 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.9% होने का अनुमान लगाया है, जो सरकार के पूर्वानुमानों से कम है परंतु यह वित्तीय वर्ष 13 के 4.5% के मुकाबले मामूली रूप से अधिक है। जहां कृषि क्षेत्र ने 4.6% की शानदार वृद्धि दर्ज की वहीं खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में भारी मंदी का दौर बना रहा और ये कम निवेश, कमजोर मांग और नीतिगत अवरोधों से प्रभावित रहे। वर्ष 1991-92 के बाद यह पहला अवसर है जब भारत का विनिर्माण क्षेत्र अनपेक्षित दबाव में रहा जिससे अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए। सेवा क्षेत्र जिसकी अर्थव्यवस्था में करीब 60% की हिस्सेदारी रहती है, के 6.9% की

दर से बढ़ने का अनुमान है। यह विकास गति पिछले वर्ष के 7.0% के मुकाबले थोड़ी कम है।

भारत ने वित्तीय वर्ष 14 की संपूर्ण अवधि के दौरान उच्च एवं निरंतर मुद्रास्फीति का सामना किया जो समष्टि आर्थिक चुनौती का प्रमुख कारक बनी रही। जहां वित्तीय वर्ष 14 में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति का औसत 5.92% रहा वहीं सीपीआई आधारित (रिटेल) मुद्रास्फीति 9.49% रही। उच्च मुद्रास्फीति के बहुत से कारण रहे, जिनमें खाद्य पदार्थों के मूल्यों, मजदूरी और कोर मुद्रास्फीति में आई आकस्मिक तेजी, गहन मुद्रास्फीति अपेक्षाएं, क्षेत्र विशेष आपूर्ति अवरोध विशेषकर कृषि ऊर्जा और परिवहन, रुपए का कमजोर बने रहना और तेल के मूल्यों में निरंतर ऊर्ध्वमुखी समायोजन शामिल हैं।

जून-जुलाई, 2013 के आस-पास भारत ने अपनी मुद्रा, एक्विटी और बाड़ बाजारों में उल्लेखनीय ऋण पूँजी आउटफ्लो और दवाबों का सामना किया क्योंकि वैश्विक चलनिधि शर्तें कड़ी रही। भारत के उच्च चालू खाते और राजकोषीय घाटे, निरंतर मुद्रास्फीति और कमजोर समष्टि आर्थिक आधारभूत तत्वों के कारण निवेशकों की चिंता बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि को कड़ा बनाकर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और बाह्य वाणिज्यिक उद्धारकर्ताओं (ईसीबी) को ऋण सीमाओं में छूट देकर, अनिवासी भारतीयों के धन प्रेषण को प्रोत्साहित करके तथा सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित किया।

सतत मुद्रास्फीति चिंताओं और बाह्य क्षेत्र की अति संवेदनशीलता ने भारतीय रिजर्व बैंक को बढ़ती औद्योगिक कमजोरियों के बावजूद मई 2013 के प्रारम्भ और जनवरी, 2014 के अंत तक प्रमुख नीति दर -



रिपोर्ट दर को 75 आधारभूत (बीपीएस) बढ़ाने के लिए बाध्य किया।

सुधारों के मोर्चे पर भारत की संसद ने वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पेशन और कंपनी बिलों को पारित किया और निवेश संबंधी मंत्री मंडल की समिति ने पूर्व में शुरू की गई अनेक परियोजनाओं को अनुमोदित किया। राजकोषीय स्तर पर डीजल के दाम बढ़ाने और राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय हानियों को कम करने के लिए उपायों को किन्यान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 14 की दूसरी छमाही में भारत की बाह्य संवेदनशीलता में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई जिससे चालू खाते को संकुचित करने और पूंजी प्रवाह को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत कार्यवाई का समर्थन मिला। वित्तीय वर्ष 15 के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 13 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.9% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 14 में घटकर 4.6% (संशोधित पूर्वानुमानों के अनुसार) होने और वित्तीय वर्ष 15 में और अधिक घटकर जीडीपी के 4.1% होने के साथ, राजकोषीय सुदृढ़ता निरंतर प्रदर्शित हुई। हालांकि वित्तीय वर्ष 14 में राजकोषीय घाटे का संशोधित पूर्वानुमान कम है, इसे योजना राजस्व खर्च और पूंजी खर्च में कमी लाकर प्राप्त किया गया है। आर्थिक सहायता, ब्याज भुगतान और पेशन ने बजटीय लक्ष्य को प्रभावित किया।

घरेलू अर्थव्यवस्था में आई मंदी और शिथिल वैश्विक वसूली की पृष्ठ भूमि में वित्तीय वर्ष 14 में भारतीय बैंकिंग उद्योग की विकास गति भी दबाव में रही। उच्च मुद्रा स्फीति और ऋण की मांग में गिरावट के कारण जमा एवं ऋण दोनों कन्मशः 14.6% और 14.3% की धीमी गति से बढ़े। ऋण में गिरावट के साथ बढ़ी हुई जमा दर ने वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध ब्याज आय को प्रभावित किया। साथ ही, चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक परिवेश और उदारकर्ताओं की कमज़ोर चुकौती क्षमता के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 14 में बैंक की आस्ति गुणवत्ता, पुनर्गठित आस्तियों की अंसतोषजनक स्थिति के साथ और बदतर हुई।

तथापि, ऋण निगरानी और नकदी वसूली की अपेक्षाकृत मजबूत प्रणाली के साथ बैंक इस चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में थे और कठिन समष्टि आर्थिक परिवेश के बावजूद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान शानदार कार्यान्वयन दर्ज किया।

बैंक ऑफ बड़ौदा: कठिन दौर में विश्वसनीय प्रदर्शन

आर्थिक परिवेश में मंदी के बावजूद वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक ने वैश्विक व्यवसाय में 20.4% (वर्ष दर वर्ष) की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की जिसमें वैश्विक जमा राशियों में 20.1% वृद्धि तथा वैश्विक अग्रिमों में 21.0% वृद्धि का समावेश है। पिछले एक वर्ष में इस वृद्धि का एक बड़ा भाग दो पहलों से संचालित हुआ - क) जमा संसाधन के संग्रहण हेतु नए वर्टिकल की स्थापना और ख) अपनी ऋण बही को विविधता वाले रिटेल, एमएसएमई तथा कृषि ऋणों पर ध्यान केंद्रित करना क्योंकि बड़े कार्पोरेट सेगमेंट में अब अवसर समाप्त हो रहे हैं।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान रूपए का भारी अवमूल्यन होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भी 33.3% (वर्ष दर वर्ष) की मजबूत वृद्धि दर्ज की। घरेलू कासा के 16.0% (वर्ष दर वर्ष) की दर से सुदृढ़ संग्रहण करने तथा उच्च लागत वाली अधिमानी जमा राशियां निकालने

से आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2014 में घरेलू परिचालन में एनआईएम 2.87% बनाए रखा।

सुदृढ़ शुद्ध ब्याज आय (रु.11,965 करोड़), कोर फीस (रु. 2,117 करोड़), ट्रेजरी लाभ (रु. 1,783 करोड़) तथा बड़े खाते डाले गए खातों से वसूली (रु. 563 करोड़) कुल खर्चों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण के (14.4% वर्ष दर वर्ष वृद्धि) के सामंजस्य से आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2014 के दौरान सकल लाभ में रु.9,291करोड़ (वर्ष दर वर्ष 3.2% वृद्धि) तथा शुद्ध लाभ में रु.4,541 करोड़ (वर्ष दर वर्ष 1.3% की वृद्धि) की वृद्धि दर्ज की।

समग्र वित्त वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक की पुनर्गठन प्रक्रिया के अधीन वृद्धिशील स्लिपेज तथा परिवर्द्धन क्रमिक रूप से बैंक के दिशानिर्देशनानुसार साल की शुरुआत से ही कम होता गया। वित्त वर्ष 14 की तीसरी और चौथी तिमाही के मध्य में आपके बैंक का सकल एनपीए जो दिसंबर 2013 के अंत में 3.32% था। मार्च 2014 के अंत में घटकर 2.94% रह गया और एनपीए 1.88% से घटकर 1.52% हो गया। वित्त वर्ष 14 की चौथी तिमाही में आस्ति गुणवत्ता में व्यापक पैमाने पर सुधार हुआ और बैंक ने रु.671.93 करोड़ से अधिक की आस्तियों की बिक्री की। वित्त वर्ष 14 के दौरान पुनर्गठन कार्यकलाप, वित्त वर्ष 13 की अपेक्षा कम रहे।

बैंक के प्रावधान कवरेज अनुपात में भी क्रमिक सुधार हुआ और यह वित्त वर्ष 14 की दूसरी तिमाही में 61.68% से वित्त वर्ष 14 की तीसरी तिमाही में 62.22% तथा वित्त वर्ष 14 की चौथी तिमाही में 65.45% हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रति चक्रीय तरीके से बफर प्रावधान संवर्द्धन हेतु जब बैंक अच्छा लाभ कमा रहे होते हैं, पीसीआर एक समष्टि विवेकपूर्ण उपाय है।

आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगातार अपनी सुदृढ़ पूंजी को प्रतिबिम्बित कर रहा है। मार्च 2014 की समाप्ति पर बासेल-11 की शर्तों के अनुसार सीआरएआर 12.87% था और बासेल-111 की शर्तों के अनुसार 12.28% था।

संक्षेप में, वित्त वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ की है जिसे इसके सतर्क आशावादी व्यवसाय मॉडल, आस्ति गुणवत्ता पर कम जोखिम, कासा जमाओं पर विशेष ध्यान तथा मजबूत पूंजी की स्थिति का समर्थन मिला है।

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान की गई नीतिगत पहलें

कार्पोरेट ऋण

कमज़ोर निवेश प्रवृत्ति के कारण वित्तीय वर्ष 14 को कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा अल्प ऋण प्रवृत्ति के रूप में चिन्हित किया गया। संबद्ध कार्पोरेट व्यवसाय अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक को नए ढंग से सोचना पड़ा। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने कार्पोरेट्स की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टॉप अप फैसिलिटी नामक नए उत्पाद की शुरुआत की। इसके अलावा आपके बैंक ने मौजूदा उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयोजन से इनकी समीक्षा की और इनमें गुणात्मक सुधार किया जैसे कार्पोरेट ऋण, बिड बॉड गारंटीयां, भावी प्राप्तियों के पेटे ऋण आदि। साथ ही, समग्र निवेश प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने ब्याज दर संरचना को तर्कसंगत बनाया।



नीतिगत व्यावसायिक निर्णय के रूप में वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक के परियोजना वित्त विभाग को समाविष्ट करके बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स लि. के साथ मिला दिया गया, जिसके पास एक सशक्त पेशेवर टीम है। बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स लि. अब टेक्नो इकॉनोमिक वायबिल्टी (टीईवी) अध्ययन करके और ऋण समूहन आदि के माध्यम से निधियां जुटाकर बैंक के कार्पोरेट ऋण विभाग को सहयोग प्रदान करती है।

रिटेल व्यवसाय

महत्वपूर्ण स्वोत के रूप में जमा राशियों पर विशेष जोर देने के प्रयोजन से आपके बैंक ने जमा संसाधन नामक एक नए व्यवसाय वर्टिकल की स्थापना की ताकि एक मजबूत देयता सहयोगी तैयार करके व्यवसाय मॉडलों में नई जान डाली जा सके। यह नया वर्टिकल अल्प लागत जमा राशियों (कासा) और रिटेल मीयादी जमाओं में सतत व उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। कासा जमा-राशियों को बढ़ाने और डेबिट कार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने और सुधारने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अनेक पहलों की शुरुआत की गई। इसके अलावा निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए कुछ विशेष अभियान चलाए गए।

आस्तियां पक्ष की ओर से भी आपके बैंक ने रिटेल व्यवसाय पर अधिक जोर दिया ताकि बैंक की ऋण बही को अधिक संतुलित बनाया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिए आपके बैंक ने बड़ौदा आवास ऋण पर ब्याज दर में कटौती की ताकि यह अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बन सके। बड़ौदा आवास ऋण को नए और मौजूदा ग्राहकों को किसी भी राशि और अवधि के लिए बेस रेट अर्थात् 10.25% पर उपलब्ध कराया गया। भावी किराया प्राप्तियों के पेटे ऋण और कार ऋण आदि जैसे उत्पादों पर दरों में कटौती करके इन्हें और अधिक आकर्षक बनाया गया।

अपने नए व्यवसाय मॉडल- रिटेल लोन फैक्टरी (आरएलएफ) की सफलता से उत्साहित होकर आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान भरुच, जूनागढ़, विशाखापट्टनम, मेरठ और मुरादाबाद में पांच नई रिटेल लोन फैक्ट्रियों (आरएलएफ) खोली। इस प्रकार आरएलएफ की कुल संख्या अब बढ़कर 45 हो गई है।

एमएसएम ई व्यवसाय

एमएसएम ई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए आपके बैंक द्वारा अनेक पहलों की शुरुआत की गई और इसने रोजगार सृजन और इसके विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। सबसे पहले जून, 2013 में एमएसएमई ऋणों पर ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाया गया ताकि ये अधिक आकर्षक व प्रतिस्पर्धी बन सकें। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने 4 एमएसएमई केपेक्स लोन और केपेक्स कार्ड नामक नए उत्पाद की शुरुआत की ताकि इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अपने एमएसएमई व्यवसाय के और अधिक संवर्धन के लिए आपके बैंक ने 1 नवंबर, 2013 से 28 फरवरी 2014 तक एमएसएमई उत्सव मनाया। एमएसएमई क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आपके बैंक ने व्यापक हित में अपनी एसएमई लोन फैक्टरियों के प्रमुखों के साथ एमएसएमई

सम्मेलन आयोजित किया और विभिन्न स्थानों पर एमएसएमई राउंड टेबल कन्फ्रेंस आयोजित की।

आपके बैंक के पास 52 एस एम ई लोन फैक्ट्रियों का विशाल सेट अप है जिसने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 17,230 करोड़ की राशि के ऋण मंजूर किए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

भारत के सामाजिक - आर्थिक परिवेश में कृषि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने और कृषि अग्रिमों की मात्रा और गुणवत्ता सुधारने के लिए वित्तीय वर्ष 14 में कृषि ऋण फैक्ट्रियों (रिटेल और एसएमई लोन फैक्ट्रियों की तर्ज पर) का शुभारंभ किया। उमीद है कि कृषि ऋणों पर विशेष ध्यान देने के मकसद से ये फैक्ट्रियां बैंक की मदद करेंगी। पूर्व के वर्षों की भाँति, रबी और खरीफ मौसमों में कृषि अग्रिमों में बढ़ोत्तरी करने के लिए वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने विशेष अभियान संचालित किए।

साथ ही, स्थानीय कृषि समुदाय की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने आवश्यकता आधारित क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं की शुरुआत की। इसमें आकर्षण बरकरार रखने के लिए ब्याज दरों और प्रभारों में समुचित रियायतें दी गईं। आपके बैंक ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएसवीएस), बड़ौदा आर सेटी केंद्र, वित्तीय साक्षरता केंद्र और माइक्रो लोन फैक्ट्रियों जैसे विभिन्न आउटफिट के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक, वित्तीय समावेशन के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। बैंक इस कार्य को मात्रा सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में न देखकर एक प्रभावी और लाभदायक व्यवसाय अवसर के रूप में देखता है। तीन वर्षीय योजना अवधि, अर्थात् 2013-14 से 2015-16 तक, के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आपके बैंक ने ग्राम्य कवरेज के वार्षिक लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष 14 की इसकी समय सीमा से काफी पहले प्राप्त कर लिया।

साथ ही, बैंक ने अपने 106वें स्थापना दिवस अर्थात् 20 जुलाई, 2013 को 1000 कियोस्कों का प्रतीकात्मक शुभारंभ करके कियोस्क बैंकिंग मॉडल की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि आपके बैंक ने कियोस्क सेंटर चलाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) की सेवाएं व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में लेने के लिए उनके साथ व्यवस्था करार किया है। ये केंद्र ग्राम्य स्तर पर आईसीटी समर्थित फ्रन्ट एंड सर्विस सुपुदर्गों प्लाइट्स हैं और शहरी केंद्र कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, उपयोगिता भुगतान आदि के क्षेत्र में सरकारी, वित्तीय, समाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करते हैं।

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने 19 जनवरी, 2014 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अबगावकला में अर्बन कियोस्क का शुभारंभ करके शहरी वित्तीय समावेशन के मसले का समाधान करना शुरू किया है। 31 मार्च, 2014 को आपके बैंक ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक शहरी कियोस्क स्थापित किए हैं।



आस्ति गुणवत्ता

दो वर्षों से अधिक चले मंद मैक्रो आर्थिक परिवेश ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान भी उत्पादक क्षेत्रों को परेशान रखा जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग में आस्ति गुणवत्ता दबाव में बनी रही। तथापि, आपका बैंक अपनी कड़ी ऋण निगरानी और एनपीए वसूली प्रणाली के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्लिपेज में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से रोकने में सफल रहा।

वित्तीय वर्ष 2014 के पहले दिन से ही आपके बैंक ने संभाव्य एनपीए पर कड़ी निगरानी रखी। इसके लिए इसने क्षेत्रीय स्तर पर मंद खातों पर नजर रखने के लिए स्लिपेज प्रिवेंशन टास्क फार्स (एसपीटीएफ) गठित की। एनपीए में अंतिम समय में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी को टालने के लिए प्रत्येक उद्धारकर्ता खाते की बारीकी से पड़ताल की गई। इसके अलावा प्रत्येक डीआरटी (ऋण वसूली ट्रिव्यूनल) में कार्यरत संपर्क अधिकारियों को दैनिक आधार पर कानूनी मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करने की भूमिका सौंपी गई ताकि डिक्री प्राप्त करने और इनके निष्पादन में होने वाले विलंब को न्यूनतम किया जाए, इनमें तेजी लाई जाए और वसूलियों को अधिकतम किया जा सके।

छोटे खातों की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए आपके बैंक ने गांव/शहर के स्तर पर कई लोक अदालतों और वसूली कैंपों का आयोजन किया। आपके बैंक ने रु. 25 लाख तक के बकाया के छोटी राशि के खातों में वसूली प्रयासों को गतिशील करने में प्रत्येक स्टाफ सदस्य का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षिक करने के प्रयोजन से प्रोत्साहन से जुड़ी वसूली योजना संकल्प VI' का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 14 में रु. 155.19 करोड़ की राशि की वसूली की।

अपनी एनपीए प्रबंधन की नीति के भाग के रूप में आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 14 की अंतिम तिमाही के दौरान वैयक्तिक के साथ-साथ संविभाग बिक्री श्रेणी के तहत एनपीए खातों को बिक्री के लिए रखा और इसका बाजार से अच्छा प्रतिसाद (रेस्पॉन्स) मिला। वस्तुतः यह 23 खाते बेच सका (रु. 671.93 करोड़ पर बकाया देयों के साथ) और नकदी तथा प्रतिभूति प्राप्तियों को जोड़कर उनके पेटे रु. 522.21 करोड़ की वसूली की।

ग्राहक सेवा

हम बैंक ऑफ बड़ौदा में व्यक्तिगत ठच के साथ विश्वस्तरीय ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने में विश्वास रखते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके बैंक ने प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया। उदाहरण के लिए आपके बैंक के पास मानकीकृत लोक शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) नामक वेब आधारित ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और निपटान प्रणाली है। आपके बैंक की वेबसाइट पर एक आयकन उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से बैंक के ग्राहक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह प्रणाली न केवल त्वरित निपटान सुलभ कराती है अपितु बैंक को सभी शिकायतों का केंद्रीयकृत डाटाबेस भी उपलब्ध कराती है। हाल ही में आपके बैंक ने एसपीजीआरएस को संशोधित किया है ताकि जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं, वे भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें तथा सुझाव दे सकें। तथापि, आपके बैंक के ग्राहक, यदि वे निपटान प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं, तो 15 दिन के अंदर अपनी शिकायतें रि-ओपन कर सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी संरचना

आपका बैंक सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग न केवल अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं के लिए कर रहा है अपितु अपने ग्राहकों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में इजाफा करने के लिए भी इसका उपयोग कर रहा है।

वैकल्पिक सुपुर्दर्गी चैनलों में ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अपनी इंटरनेट बैंकिंग अर्थात् बड़ौदा कनेक्ट को काफी हद तक सुधारा है ताकि इसके लिए लुक और यूजर फ्रेंडलीनेस में इजाफा हो सके। इसमें सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इस प्रकार बड़ौदा कनेक्ट अब अनेक सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ साथ ऑनलाइन एफडीआर तैयार करना, आवर्ती जमाएं, कर भुगतान, विभिन्न संस्थानों को ऑनलाइन दान देना, प्रीमियम का भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आधार पंजीकरण, आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) शामिल हैं। इसके अलावा सभी स्मार्ट फोन/टेबलेट्स पर इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसके द्वारा अपने ग्राहकों को कहीं से भी बैंकिंग का अहसास कराया गया है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं अब आपके बैंक की 14 विदेशी टैरिटरी अर्थात् तंजानिया, यूगांडा, कीनिया, मारिशस, सैशेल्स, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, यूर्एई, फिजी, यूके, ओमान, घाना, आस्ट्रेलिया और यूएसए में विद्यमान हैं। आपके बैंक ने अपने सभी प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी इंटरनेट बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई है।

मोबाइल बैंकिंग एक और वैकल्पिक सुपुर्दर्गी चैनल है जो आपके बैंक के ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है अर्थात्, शेष राशि पूछताछ, लघु विवरणी, निधि अंतरण, भुगतान रोकें, चेक स्थिति, डेबिट कार्ड ब्लाइंकिंग और अन्य सेवाएं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के प्रयोग को व्यापक बनाने के लिए आपके बैंक ने ब्लैक बेरी, एन्ड्रॉयड और विंडो डिवाइसों के अतिरिक्त सभी आई-फोनों और आई-पैडों में इसे उपलब्ध कराया। वित्तीय वर्ष 14 में तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) भी शुरू की गई, जिसमें पर्सन टू अकाउंट (पी 2 ए), मर्चेंट पेमेंट (पी 2 एम), आधार आधारित धन प्रेषण (पी 2 यू) शामिल हैं।

ई-लॉबी के माध्यम से आपके बैंक ने इन ई लॉबियों में बंच नोट स्वीकारकर्ता, सेल्फ सर्विस पास बुक प्रिंटर, चेक जमा कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क जैसे उपकरण लगाकर अपने ग्राहकों के लिए 24 x 7 सेवाएं प्रदान करके ग्राहक सेवा के आगामी सेवा स्तर की ओर रुख किया है।

अनिश्चित साईबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में संभावित नए प्रकार के दुरुपयोग के साथ वैकल्पिक सुपुर्दर्गी चैनलों के माध्यम से होने वाले लेने-देने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से आपके बैंक ने विभिन्न अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल घरेलू उपयोग के लिए जारी करना जब तक कि ग्राहक द्वारा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के बारे में मांग न की गई हो, मौजूदा मैग स्ट्रिप कार्डों को ईएमवी चिपकार्ड में कन्वर्ट करना, पिन समर्थित पीओएस मशीनों की स्थापना और कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजीटल हस्ताक्षरों के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा की शुरुआत।

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने 3624 नए एटीएम स्थापित किए, 45 ई-लॉबी खोलीं और अपनी शाखाओं को अनेक बंच नोट



स्वीकारकर्ता, सेल्फ सर्विस पासबुक उपलब्ध कराए. आपके बैंक ने अपनी लगभग सभी शाखाओं को नोट कार्डिंग मशीनें उपलब्ध कराई और गुणवत्ताप्रक व्यवसाय संग्रहण के लिए अपनी रिटेल और एसएमई लोन फैक्ट्रियों की संरचना को सुदृढ़ किया. संक्षेप में, सूचना प्रौद्योगिकी ने आपके बैंक की कार्य प्रणाली और इसके बैंकिंग परिचालन में प्रत्यक्ष अंतर पैदा किया.

मानव संसाधन पहलें

बड़े पैमाने पर हो रही सेवा-निवृत्ति, प्रतिभाओं की व्यापक भर्ती और बड़ी प्रशिक्षण जरूरतों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा महसूस की जा रही विभिन्न चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में आपका बैंक एक संतुलित और व्यापक मानव संसाधन नीति तैयार कर रहा है. आपके बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कैरियर पोर्टल की शुरुआत की जो बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्य पद्धति के अनुठे पहलू को रेखांकित करता है. इसने आपके बैंक की 'एम्प्लायर ब्रांडिंग' की छवि बनाने में मदद की है.

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने 'बड़ौदा सारथी' नामक परामर्शदायी कार्यक्रम की शुरुआत करके अपने ॲन बोर्डिंग प्रोग्राम को और अधिक सुदृढ़ किया जो संस्था में भर्ती होने वाले नए लोगों के सांस्कृतिक समीकरण पर केंद्रित था. 'बड़ौदा सारथी' के तहत एक वरिष्ठ कर्मचारी-परामर्शदाता नए भर्ती हुए कार्मिक का मार्गदर्शक बनकर बैंक में सफलतापूर्वक काम करने और बैंक की कार्यप्रणाली तथा इसके मूल्यों को अंगीकार करने में उसकी मदद करता है. साथ ही, आपके बैंक ने प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली भी कार्यान्वित की है. यह पद्धति विभिन्न मानदंडों के आधार पर भावी संभाव्य नेतृत्व प्रदाताओं की बेहतर ढंग से पहचान करती है और एक व्यवस्थित विकासात्मक योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित करती है.

कर्मचारी नियुक्ति के संवर्धन के लिए आपके बैंक ने विभिन्न पहलें की जैसे कनिष्ठों और वरिष्ठों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए संतुष्टि सर्वेक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन. मानव संसाधन और उच्च प्रबंधन के साथ कर्मचारी संबंध सुधारने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. इसके अलावा, श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए आपके बैंक ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की.

बड़े पैमाने पर होनेवाली सेवा निवृत्ति के मद्देनजर संभावित बड़ी भर्ती की पृष्ठभूमि में नए भर्ती कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं विकास का कार्य काफी महत्वपूर्ण हो गया है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में आपके बैंक ने, बैंक में एक मुख्य शिक्षण अधिकारी (सीएलओ) के नए पद का सृजन किया. सीएलओ महाप्रबंधक के स्तर के अधिकारी हैं और वे शिक्षण मध्यस्थों के माध्यम से संस्थान को सहयोग प्रदान करते हैं.

आपके बैंक द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी अनेक नवोन्मेषी पहलें की गई. वर्ष के दौरान बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली ने विभिन्न उद्योगों में नवोन्मेषी प्रशिक्षण पद्धति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया. इंडियन सोसायटी फोर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी) द्वारा बैंक को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया.

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक प्रशिक्षण नीति है ताकि प्रशिक्षण गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को इसमें कवर किया जा सके. बैंक

के विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण या तो बैंक के अंदर ही दिया जाता है अथवा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाता है ताकि कर्मचारी व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ उद्योग की बेहतर पद्धतियों को सीख सके और उन्हें अंगीकार कर सके. वित्तीय वर्ष 14 के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद, इंटरनेशनल मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आईएमआई) नई दिल्ली, सेंटर फॉर ओर्गनाइजेशन डेवलमेंट हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ बैंकिंग, बैंगलूरु और ऐसे ही कई अन्य संस्थान.

जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक में दबावग्रस्त उधारकर्ताओं की शुरुआती चरण में ही पहचान करने के लिए जोखिम निर्धारण मानकों और ऋण निगरानी प्रक्रियाओं में सुधार करने पर पर्याप्त जोर दिया जाता है. विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे- ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि से निपटने के लिए आपके बैंक के पास बेहतर परिभाषित नीतियां हैं और बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी जोखिम, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित जोखिम मानकों के अंदर बने रहें.

बैंक की व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के निर्माण, व्यवसाय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना, प्रबंधन उपकरण और पद्धतियों में नवोन्मेषिता तथा सुधार सहित बहुत से उपायों के साथ आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 14 के दौरान सभी प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ किया ताकि इसकी विभिन्न बिजनेस इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

समीक्षाधीन वर्ष में आपके बैंक ने बासेल - 11 फ्रेम वर्क के तहत उन्नत दृष्टिकोण की तैयारी के लिए अपने जोखिम प्रबंधन आर्केटेक्टर की समीक्षा की. आपके बैंक ने ऋण जोखिम के फाउंडेशन आईआरबी दृष्टिकोण (अर्थात फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण) की ओर रुख करने के लिए आवेदन किया और समानंतर प्रणाली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मिल गया है. बाजार जोखिम के लिए आपका बैंक मुंबई में एक ग्लोबल मिड ऑफिस विकसित कर रहा है जो बासेल - 11 नियमों के तहत अतिरिक्त मॉडल आधारित दृष्टिकोण के अनुसार अपने ग्लोबल परिचालन में बाजार जोखिम स्थितियों को बेहतर ढंग से आंकने, निगरानी और रिपोर्टिंग करने में किफायती और प्रभावी मार्ग उपलब्ध कराएगा. परिचालन जोखिम के क्षेत्र में आपका बैंक उपलब्ध उत्कृष्ट सोल्यूशन कार्यान्वित कर रहा है. जो कि बैंक को अपने परिचालन जोखिम का विश्लेषण और नियंत्रण अधिक बेहतर व प्रभावी ढंग से करने में सहयोग प्रदान करेगी. इस सोल्यूशन के कार्यान्वयन पर एडवान्सड मैनेजमेंट अप्रोच फोर आपरेशंस रिस्क की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जरूरतों के लिए आपके बैंक की तैयारियां पूरी हो जाएंगी.

अंतरण मूल्य मैकेनिजम को तर्क संगत बनाने के लिए आपके बैंक ने मौजूदा मैनुअल पद्धति से नई पद्धति आधारित सोल्यूशन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें सॉफ्टवेयर ओएफएसए वी 6.X





मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है और यह प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक व वास्तविक बनाएगी।

आप जानते होंगे कि भारत में 1 अप्रैल, 2013 से बासेल III पूँजी विनियमों का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। आपके बैंक ने 31 मार्च, 2019 तक इस नए पूँजी फ्रेमवर्क में सुचारू रूपातंरण के लिए सभी मार्गस्थ व्यवस्थाएं पहले ही कर ली हैं।

विदेशी व्यवसाय

आपके बैंक का विदेशी व्यवसाय इसके समग्र (वैश्विक) व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। आपके बैंक की विदेशों में व्यापक उपस्थिति इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जोखिम विविधता लाभ प्रदान करती है। विदेशों में आपके बैंक के विशाल नेटवर्क और ओवरसीज विस्तार पर इसके निरंतर जोर ने वर्ष 14 में भी बेहतर व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने में मदद की। 31 मार्च, 2014 को बैंक के 24 देशों में 102 कार्यालय कार्यरत हैं। इन 102 कार्यालयों में आपके बैंक की 60 विदेशी शाखाएं हैं, 41 शाखाएं इसकी विदेशी अनुषंगियों की हैं और एक प्रतिनिधि कार्यालय है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने तीन नई शाखाएं/कार्यालय खोले अर्थात् शाबिया, यूएई में एक इलेक्ट्रानिक बैंकिंग इकाई और तंजानिया में करियाकू में तथा यूगांडा में कोलोलो में विदेशी अनुषंगियों की दो शाखाएं।

वित्तीय वर्ष 14 की प्रमुख उपलब्धियां

चुनौतीपूर्ण व्यवसाय परिवेश के बावजूद वर्ष की समाप्ति पर आपके बैंक ने सुदृढ़ व्यावसायिक परिणाम प्रदर्शित किए।

- आपके बैंक का वैश्विक व्यवसाय 20.4% (वर्ष दर वर्ष) वृद्धि के साथ मार्च 2014 के अंत में रु. 9,65,900 करोड़ हो गया, इसमें घरेलू व्यवसाय 15.1% वृद्धि के साथ रु. 6,51,223 करोड़ तथा विदेशी व्यवसाय 33.3% वृद्धि के साथ रु. 3,14,677 करोड़ हो गया।
- मार्च 2014 के अंत में आपके बैंक की वैश्विक जमाएं 20.1% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) के साथ रु. 5,68,894 करोड़ हो गई। इसमें घरेलू जमाएं 10.9% वृद्धि के साथ रु. 3,79,054 हो गई और विदेशी जमाएं 43.6% वृद्धि के साथ रु. 1,89,840 करोड़ हो गई।
- ऊपर उल्लिखित चुनौतियों के बावजूद आपके बैंक की कासा जमाएं 22.19% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) के साथ रु. 1,46,488 करोड़ हो गई।
- 31 मार्च 2014 को घरेलू कासा 31.76% रहे।
- मार्च 2014 के अंत में आपके बैंक के वैश्विक अग्रिम 21.0% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ रु. 3,97,006 करोड़ रहे। इसमें घरेलू अग्रिम 21.3% वृद्धि के साथ रु. 2,72,169 करोड़ रहे और विदेशी अग्रिम 20.2% बढ़कर रु. 1,24,837 करोड़ रहे।
- वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक का रिटेल ऋण 21.0% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ रु. 46,019 करोड़ रहा जिसमें गृह ऋण 21.9% वृद्धि के साथ रु. 19,558 करोड़ रहा।
- मार्च 2014 की समाप्ति पर आपके बैंक का एसएमई क्रेडिट पोर्टफोलियो 21.2% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ रु. 56,634

करोड़ रहा। कृषि ऋण 2.8% वृद्धि के साथ रु. 28,432 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए और इसका कमज़ोर वर्ग को ऋण 20.9% बढ़कर रु. 20,599 करोड़ रहा।

- वित्तीय वर्ष 14 में आपके बैंक का परिचालन लाभ रु. 9,291 करोड़ (3.2% अधिक, वर्ष-दर-वर्ष) और शुद्ध लाभ रु. 4541 करोड़ (1.3% अधिक वर्ष-दर-वर्ष) रहा।
- औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएट) बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप 0.75% रहा।
- 31 मार्च 2014 को पूँजी इंफ्यूजन के बावजूद इकिवटी पर प्रतिफल (आरओई) को 13.0% पर संरक्षित किया गया।
- कमज़ोर ऋण मांग के बावजूद वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपका बैंक घरेलू परिचालनों में शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.87% तथा वैश्विक परिचालनों में 2.36% रखने में सफल रहा।
- विकेपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए 31 मार्च 2014 को आपके बैंक के प्रावधान कर्वेरेज अनुपात में पूरे वर्ष के दौरान निरन्तर सुधार हुआ और यह 65.45% रहा जो कि दूसरे प्रमुख प्रतियोगियों की तुलना में अपेक्षाकृत काफी उच्च है।
- आपके बैंक की पूँजी सुदृढ़ता इसके पूँजी पर्याप्तता अनुपात में प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2014 को सीआरएआर (बासेल - II) 12.87% एवं टीयर I पूँजी 9.4% पर रहा। 31 मार्च 2014 को इसका सीआरएआर (बासेल-III) 12.28%, टीयर-I पूँजी 9.28% और कोर टीयर-I पूँजी 8.95% पर रहा।
- आपके बैंक का लागत आय अनुपात वित्तीय वर्ष 14 के लिए अपेक्षाकृत 43.44% के न्यून स्तर पर बना रहा।
- बैंक का प्रति शेयर अर्जन रु. 107.38 करोड़ तथा इसका प्रति शेयर बही मूल्य रु. 813.50 रहा।

पुरस्कार एवं सम्मान

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक को विभिन्न व्यवसाय एवं वित्तीय मानदंडों के तहत इसके उल्लेखनीय कार्यान्वयन हेतु अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, प्राप्त प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं:

- डन एंड ब्राडस्ट्रीट द्वारा ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट श्रेणी के तहत बेस्ट पीएसयू बैंक - पोलरिज फायनांसियस टेक्नोलॉजी बैंकिंग अवार्ड 2013।
- आईडीआरबीटी द्वारा पीएसबी के बीच बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सिलेंस अवार्ड 2013।
- आपके बैंक को दि फायनांशियल एक्सप्रेस मैगजीन में प्रकाशित फायनांशियल एक्सप्रेस अर्नस्ट एंड यंग बेस्ट बैंक सर्वे 2012-13 के तहत पीएसबी श्रेणी में प्रथम रैंक दिया गया।
- चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा एमएसएमई में बेस्ट बैंक के रूप में एमएसएमई बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड 2013।
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित दि संडे स्टैंडर्ड बेस्ट बैंक अवार्ड - बेस्ट बैंक एचआर।



- एशोचम 9वां एनुवल बैंकिंग समिट-सह-सोशल बैंकिंग अवार्ड 2013 में सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में पीएसबी श्रेणी के तहत विजेता।
- मार्ड एफए स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री द्वारा 'एक्सिलेंस इन होम लोन बैंकिंग' अवार्ड।
- वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस द्वारा भारत के 50 सर्वाधिक प्रतिभावान सीएसआर प्रोफेशनल श्रेणी में 'दि ग्लोबल एक्सिलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड'।

ये सभी पुरस्कार तथा सम्मान हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि ये आपके बैंक के सफल व्यवसाय मॉडल की सफलता को मान्यता प्रदान करते हैं जिसने राष्ट्र की प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाई।

भावी योजनाएं

राजनैतिक स्थायित्र और संभावित आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर हम वित्तीय वर्ष 15 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की अपेक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष 15 में निवेश सुधारों, उपभोक्ता व्यवहार, रोजगार में सतत बढ़ोत्तरी और नियर्यात में आय और निश्चितता के बल पर वित्तीय वर्ष 15 में वृद्धि दर बढ़ने की संभावना है। जीडीपी की संभावित बढ़ोत्तरी के साथ वित्तीय वर्ष 15 के दौरान बैंकिंग व्यवसाय में सकारात्मक सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार क्रेडिट क्वालिटी दबाव भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए कम हो रहे हैं, फिर भी, सतत आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सुधार की गति धीमी होगी।

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने हित धारकों के लिए एक पसंदीदा बैंक बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद इसकी आय में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई, इसके नए स्लिपेज पर रोक लगी है और इसकी सुदृढ़ निधियन स्थिति ने इसे अपने उधारकर्ताओं को निरंतर सहयोग देने में समर्थ बनाया।

वित्तीय वर्ष 15 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी पूँजी और निधियन स्थिति को और अधिक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा ताकि अपने व्यवसाय में निरंतर वृद्धि की जा सके। आपके बैंक को पूरा विश्वास है कि लोग, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर अपने नीतिगत फोकस के साथ यह उभरते व्यवसाय परिवेश में लीडरशिप स्थिति में बना रहेगा।

बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य और कार्यनीति

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अपनी उपलब्धियों के बल पर आपके बैंक ने अपना जो आदर्श चुना है वह वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रति हमारी वचन बद्धता को पूर्णतः रेखांकित करता है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 15 के लिए 'रेस अहेड' को अपने आदर्श वाक्य के रूप में चुना है। 'रेस' शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत है।

आर - रिटेलोन्मुखता

ए - आस्ति गुणवत्ता

सी - क्षमता निर्माण

ई - आय

आपके बैंक को यह विश्वास है कि इन चार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल उल्लेखनीय व्यवसाय वृद्धि प्राप्त करने में अपितु

अपनी लाभप्रदता और सुदृढ़ता संकेतकों में भी सुधार लाने में मदद मिलनी चाहिए।

रिटेलोन्मुखता के प्रति दृष्टिकोण पुख्ता करने के लिए आपका बैंक उच्च लागत की बड़ी जमा राशियों के मुकाबले अत्य लागत की चालू एवं बचत जमाओं और रिटेल मीयादी जमाओं की आक्रामक कैनवार्सिंग पर जोर देगा। साथ ही, ऋण बही को अधिक व्यापक बनाने के लिए रिटेल ऋण, एमएसएमई और कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2014 में आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन सुधारने के अपने प्रयासों की तरह आपका बैंक ऋण निगरानी, एनपीए वसूली और अपग्रेडेशन के साथ-साथ नए स्लिपेज की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करेगा।

क्षमता निर्माण एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिसमें आपके बैंक ने उल्लेखनीय निवेश किया है। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक ने 601 नई शाखाएं खोली, 3624 नए एटीएम स्थापित किए, 45 ई-लॉबियों खोली और अपनी शाखाओं को बड़ी मात्रा में बंच नोट स्वीकारकर्ता मशीन, सेल्फ सर्विस पास बुक प्रिन्टर्स आदि उपलब्ध कराए। आपके बैंक ने अपनी लगभग सभी शाखाओं को नोट काउंटिंग मशीनें उपलब्ध कराई और रिटेल तथा एसएमई लोन फैक्ट्रियों, जो भारत में बैंक की नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल हैं, की संरचना को सुदृढ़ किया। वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान आपका बैंक इस पहलू को अपनी उच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगा ताकि इसकी प्रक्रियाओं को और अधिक सक्षम एवं ग्राहक सेवा को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए आपका बैंक अपने व्यवसाय मॉडल को और अधिक किफायती बनाएगा और ब्याज आय और गैर ब्याज आय के इष्टतम मिक्स के माध्यम से अपनी आय को सुधारने का प्रयास करेगा। इसे प्राप्त करने के लिए बैंक परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रौद्योगिकी का सतत व अधिकतम उपयोग करेगा।

इसके अलावा, आपके बैंक द्वारा शीघ्र ही 'आदर्श ग्रामीण शाखा' का शुभारंभ प्रस्तावित है। आपके बैंक द्वारा ये शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में इसके स्वयं के भू-भाग (प्लॉट) पर निर्मित की जाएंगी, जिसमें शाखा परिसर, प्रबंधक का निवास तथा असेम्बली क्षेत्र शामिल होगा। असेम्बली क्षेत्र में ऑडियो- विजुअल की सुविधा होगी ताकि एग्री क्लीनिक, व्यावसायिक शिक्षा, मेडिकल कैप आदि जैसी गतिविधियां संचालित हो सकें। इस प्रयास से आपके बैंक को न केवल वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने में मदद मिलेगी अपितु इससे बैंक की प्रतिष्ठा में भी अत्यधिक वृद्धि होगी।

पूँजी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और आयकोनिक ब्रांड के रूप में इसे प्राप्त मूलभूत क्षमताओं के साथ आपका बैंक वित्तीय वर्ष 15 के दौरान विकास हेतु बेहतर स्थिति में है।

हम अपने सभी शेयर धारकों द्वारा दिए गए उनके निरंतर सहयोग से प्रोत्साहित हैं और इसके लिए उनके अत्यधिक आभारी हैं। मैं भविष्य में भी आपके सतत सहयोग एवं समर्थन की आशा करता हूँ।

एस.एस.मूंद्रा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**S. S. Mundra**

Chairman & Managing Director

CHAIRMAN'S STATEMENT

“A Credible Show in Tough Times”

Dear Stakeholder,

I am delighted to report that during the year 2013-14 (FY14), Bank of Baroda delivered a healthy performance that is consistent with our guidance and promise to our stakeholders. With the help of our well crafted business model, we reaffirmed our standing as the largest nationalised bank of India in terms of total business. Moreover, we continued to make strong progress in our financial soundness indicators that are at the heart of our business strategy.

At this point, I deem it most appropriate to review the macroeconomic environment, within which Bank of Baroda operated during FY14.

Indian Economic Review

India's underlying economic growth trends remained weak during FY14. The Central Statistical Organisation has estimated Indian economy to have grown by 4.9% in FY14, a shade lower than the government's earlier projection but marginally above 4.5% clocked in FY13. While the farm sector has registered a healthy growth of 4.6%, a deep slowdown continued in the mining and manufacturing sectors that suffered from low investment sentiment, weak demand and policy bottlenecks. This is the first time since 1991-92 that India's manufacturing sector has contracted, reflecting the stress confronting the sector. The services sector that accounts for nearly 60% of the economy, is expected to grow 6.9%, slightly slower than the previous year's expansion of 7.0%.

High and persistent inflation remained a key macroeconomic challenge facing India throughout the year FY14. While

the WPI-based inflation averaged at 5.92% in FY14, the CPI-based (retail) inflation averaged at 9.49%. The high inflation was a result of a number of factors, including elevated food prices feeding quickly into wages and core inflation, entrenched inflation expectations, sector-specific supply constraints particularly in agriculture, energy and transportation, the pass through from a weaker rupee and continuous upward adjustment in fuel prices.

Around June-July, 2013, India was faced with significant debt capital outflows and pressures on its currency, equity and bond markets, as global liquidity conditions tightened. Investor concerns were amplified with India's high current account and fiscal deficits, persistent inflation and weaker macroeconomic fundamentals. The Reserve Bank of India (RBI) controlled the situation by tightening liquidity, relaxing limits on foreign direct investments (FDI) and external commercial borrowings (ECBs), encouraging non-resident Indian remittances and sharply increasing gold import duties.

Persistent inflation worries and external sector vulnerabilities prompted the RBI to raise the key policy rate – Repo rate by 75 bps between early May, 2013 and end Jan, 2014 despite growing industrial weaknesses.

On the reforms front, India's parliament passed the land acquisition, pension and companies bills during FY14 and the Cabinet Committee on Investments (CCI) approved a sizeable quantum of previously stalled infrastructure projects. On the fiscal front, measures were implemented to raise diesel prices and reduce the financial losses of state electricity boards.



India's external vulnerabilities fell significantly in the second half of FY14, helped by policy actions to shrink the current account and strengthen capital flows.

The Interim Budget presented by the government for FY15, reflected continued fiscal consolidation, with a fall in the fiscal deficit from 4.9% of GDP in FY13 to 4.6% of GDP in FY14 (as per the revised estimates) and further to 4.1% of GDP in FY15. While the revised estimate of fiscal deficit is lower in FY14, it is achieved by a reduction in plan revenue expenditure and capital expenditure. The subsidies, interest payments and pension have overshot the budgeted target.

Against the backdrop of a slowdown in the domestic economy and tepid global recovery, the growth of Indian banking sector too remained under pressure in FY14. Both deposits and credit grew at a slower pace of 14.6% and 14.3%, respectively on account of high inflation and subdued loan demand. The elevated deposit rates combined with lower credit volumes suppressed the net interest income of commercial banks. Moreover, as a result of the challenging macroeconomic environment and worsened repayment capacity of borrowers, banks' asset quality deteriorated further in FY14 with a swollen pipeline of restructured assets.

However, banks with relatively stronger systems of credit monitoring and cash recovery were better equipped to shoulder this challenge and delivered a sound performance during FY14 despite stressful macroeconomic environment.

Bank of Baroda: A Credible Show in Tough times

During FY14, your Bank was able to post strong growth of 20.4% (y-o-y) in global business supported by 20.1% in global deposits and 21.0% growth in global advances despite sluggish economic environment. A major part of this growth was driven by two initiatives in the past one year – a) set up of a new vertical for mobilization of deposit resources and b) focused efforts to diversify its loan-book in favour of retail, MSME and agriculture credit, as opportunities in large-sized corporate segment had dried up.

Your Bank's international business too grew at a stronger pace of 33.3% (y-o-y), partly driven by massive rupee depreciation during FY14. Healthy mobilization of domestic CASA deposits at the rate of 16.0% (y-o-y) and shedding of high-cost preferential deposits helped your Bank defend its NIM in domestic operations at 2.87% in FY14.

Supported by healthy Net Interest Income (at Rs 11,965 crore), Core Fees (Rs 2,117 crore), Treasury Gains (Rs 1,783 crore) and Recoveries from Written-Off Accounts (Rs 563 crore) combined with prudent control over Total Expenses (up 14.4%, y-o-y), your Bank posted Gross Profit at Rs 9,291 crore (up 3.2%, y-o-y) and Net Profit at Rs 4,541 crore (up 1.3%, y-o-y) during FY14.

Your Bank's incremental slippages and additions to restructuring pipeline kept on declining sequentially throughout the year FY14 in line with the Bank's guidance at the beginning of the year. Between the third quarter and the fourth quarter of FY14, your Bank's Gross NPA declined from 3.32% at end-December, 2013 to 2.94% at end-March, 2014 and Net NPA declined from 1.88% to 1.52%. Improvement in asset quality was broad-based and partly driven by asset sales worth Rs 671.93 crore in Q4,

FY14. Restructuring activity too remained low in FY14 as compared to its level in FY13.

The Bank's Provision Coverage Ratio (PCR) too improved sequentially from 61.68% in Q2, FY14 to 62.22% in Q3, FY14 to 65.45% in Q4, FY14. As you know, PCR is a macro-prudential measure, with a view to augmenting provisioning buffer in a counter-cyclical manner, when the banks are making good profits.

Your Bank's Capital Adequacy Ratio continued to reflect its capital strength. The CRAR was 12.87% in terms of Basel II and 12.28% in terms of Basel III at end-March, 2014.

In nutshell, your Bank further strengthened its financial position in the Indian banking space during FY14 supported by its cautiously optimistic business model, lower risks on asset quality, focus on CASA deposits and strong capital positioning.

Strategic Initiatives during FY14

Corporate Credit

The year FY14 was marked by low credit appetite by the corporate sector on account of weak investment sentiment. Your Bank had to think innovatively to garner relevant corporate business opportunities. During FY14, your Bank introduced a new product christened as "Top-Up Facility" for meeting the working capital requirements of corporates. Additionally, your Bank also reviewed and revisited the features of existing products to make them more competitive such as Corporate loans, Bid Bond Guarantees, Loans against future receivables etc. Moreover, your Bank rationalized the interest rate structure so as to spur the overall investment sentiment.

As a strategic business decision, your Bank's Project Finance Department was hived off during FY14 and merged with Baroda Capital Markets Ltd, which has a dedicated team of professionals. Baroda Capital Markets Ltd. now supports the Bank's Corporate Credit Division by undertaking Techno Economic Viability (TEV) studies and arranging funds for corporates by way of Loan Syndication, etc.

Retail Business

With the purpose to place special emphasis on deposits as an important resource, your Bank created a new business vertical "Deposit Resources" so as to create a strong liability franchise and generate synergy in business models. This new vertical focuses on ensuring consistent and significant growth in Low-cost Deposits (CASA) and Retail Term Deposits. A number of initiatives were undertaken during the year FY14 for strengthening and reviving the relationship with existing customers for improving CASA deposits and promoting debit cards. Furthermore, some special drives were launched for activation of dormant accounts.

From the assets side also, your Bank placed added thrust on retail business to make its loan-book more balanced. To achieve this, your Bank reduced the rate of interest on Baroda Housing Loan so as to make it attractive and competitive. The Baroda Housing Loan was made available at Base Rate, i.e., at 10.25% for any amount and any tenure to new as well as existing borrowers. The rates were also reduced and made attractive on products like Loan against Future Rent Receivables, Car Loans, etc.



Encouraged by the success of its novel business model – Retail Loan Factory (RLF) - your Bank opened five New RLFs at Bharuch, Junagarh, Visakhapatnam, Meerut and Moradabad during FY14 taking the total strength of RLFs to 45.

MSME Business

A number of initiatives were taken by your Bank to support the MSME sector, given its potential to generate employment and growth. First of all, the rate of interest on MSME loans was rationalized in June 2013 to make such loans more attractive and competitive. Your Bank also introduced a new product named as “MSME Capex Loan and Capex Card” during FY14 to take care of this sector’s specific requirements. To further promote its MSME business, your Bank celebrated MSME Festival from 1st November 2013 to 28th February 2014. In the larger interest, to deliberate on the issues facing the MSME sector, your Bank organized the MSME Conclave with heads of its SME Loan Factories and also arranged the MSME Round Table conference at various places.

Your Bank has a rich set up of 52 SME Loan Factories (SMELFs), which sanctioned loans to the tune of Rs 17,230 crore during the financial year under review.

Priority Sectors

Considering the significance of agriculture in the socio-economic fabric of India, your Bank launched Agriculture Loan Factories (in line with the Retail and SME Loan Factories) in FY14 for bettering customer service and improving the volume and quality of agriculture advances. These factories are expected to help your Bank to lay specific focus on agriculture loans. As in the past years, your Bank conducted Special Campaigns during FY14 to augment agriculture advances in both the Rabi and Kharif seasons.

Furthermore, your Bank introduced tailor-made area specific schemes to cater to the specific needs of the local farming community. Appropriate concessions in interest rates and charges were given to retain its attractiveness. Your Bank strongly supported the growth and development of social sectors through its various outfits like Baroda Swarojgar Vikas Santhan (BSVS), Baroda R-Seti Centres, Financial Literacy Centres and Micro Loan Factories.

Financial Inclusion

Your Bank has been a frontrunner in the Financial Inclusion efforts. It looks at it not just as a social commitment but as an effective and profitable business proposition. As per the targets set under the three-year plan period i.e. for 2013-14 to 2015-16, your Bank has achieved the annual targets of village coverage well ahead of its timeline for the FY14.

Moreover, it launched the Kiosk Banking Model by virtually inaugurating 1,000 Kiosks on its 106th foundation day, i.e. 20th July 2013. It may be noted that your Bank has arrangements with Common Service Centers (CSCs) to avail their services as Business Correspondents for running the Kiosk centers. These centers are ICT enabled front-end service delivery points at the village level and urban centers for delivery of government, financial, social and private sector services in the areas of agriculture, health,

education, entertainment, banking, insurance, pension, utility payments, etc.

During FY14, your Bank began addressing the issue of urban financial inclusion by launching Urban Kiosks at Abgaonkala in Harda district of Madhya Pradesh on 19th January 2014. As on 31st March 2014, your Bank set up more than 1,000 Urban Kiosks at various locations across the country.

Asset Quality

Depressed macro-economic environment for more than two years continued to haunt the productive sectors during FY14 also, as a result of which, the asset quality in the banking Industry remained under stress. However, your Bank with its rigorous credit monitoring and NPA recovery systems was able to arrest effectively the rising trend in slippages during the year under review.

From day one of the year FY14, your Bank kept a close watch on potential NPAs. For this, it constituted a Slippages Prevention Task Force (SPTF) at the regional level to keep a tab on stressed accounts. Each and every borrower’s account was tracked closely to avoid any last minute rise in NPAs. Besides this, the nodal officers at each DRT (Debt Recovery Tribunal) centre were assigned the role of a follow-up of legal case on day to day basis so as to minimize delays in obtaining decrees and execution thereof in order to expedite and maximize recoveries.

Your Bank organized a number of Lok Adalats and Recovery Camps at village/ town level to provide special focus on recovery of small accounts. Your Bank also launched an incentive-linked recovery scheme “Sankalp VI”, to enlist personalized attention of each and every staff member in pursuing recovery efforts in small value accounts with an outstanding up to Rs 25 lakh and recovered Rs 155.19 crore during FY14 under the said scheme.

As a part of its strategy of NPA management, your Bank put for sale of NPL accounts under individual as well as portfolio sale categories during the last quarter of FY14 and elicited good response from the market. In fact, it could sell 23 accounts (with outstanding dues at Rs 671.93 crore) and realized against them Rs 522.21 crore in a combination of cash and security receipts.

Customer Service

In Bank of Baroda, we believe in providing world-class customer service with a personal touch and we continuously strive towards improvement. Towards this goal, your Bank has been effectively using technology. For instance, your Bank has a web-based online complaint registration and redressal system in the name of Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS). An icon is provided on your Bank’s website through which the Bank’s customers can lodge complaints online. The system not only facilitates a speedy redressal but also enables the Bank to maintain centralised data-base of all complaints. Recently, your Bank has modified the SPGRS so that even non-customers can lodge their complaints and/or suggestions. Moreover, your Bank’s customer can re-open their complaints within 15 days, if they are not satisfied with the redressal system.



Information Technology Structure

Your Bank has been using Information and Communication Technology (ICT) not only to improve its own internal processes but also to increase facilities and services for its customers.

To enhance the customer experience in alternative delivery channels, your Bank revamped its Internet Banking, viz., Baroda Connect to a great extent during FY14 to enhance its look and feel, user-friendliness and also added more facilities. Thus, the Baroda Connect now offers a host of facilities ranging from creation of online FDR, recurring deposits to tax payments, online donations to various institutions, payments of premiums, aadhaar seeding through internet banking, IMPS (Immediate Payment services) among the others. Moreover, Internet Banking facility was made available on all smart-phones/ tablets offering comfort of anywhere banking to its customers. Internet Banking is now extended to your Bank's 14 overseas territories viz. Tanzania, Uganda, Kenya, Mauritius, Seychelles, Botswana, New Zealand, UAE, Fiji, UK, Oman, Ghana, Australia and USA. Internet banking is also provided in all the RRBs sponsored by your Bank.

Mobile Banking - one more alternate delivery channel that offers various facilities to your Bank's customers, viz., balance enquiry, mini statement, fund transfer, stop payment, cheque status, debit card blocking, and other services. To widen the usage of Mobile banking application, your Bank made it available in all i-Phones and i-Pads in addition to Blackberry, Android, and Windows devices. Immediate Payment Services (IMPS) was also implemented in FY14 covering Person to Account (P2A), Merchant Payments (P2M), Aadhaar based remittance (P2U).

Through e-Lobbies, your Bank has moved on to the next level of customer engagement by enabling 24 X 7 services for its customers by installing devices like Bunch Note Acceptors, Self-Service Pass Book Printers, Cheque Deposit Kiosk, Internet Banking Kiosks in these e-Lobbies.

To ensure the safety of transactions through alternate delivery channels, with the cyber-attacks being unpredictable and electronic payment systems vulnerable to new types of misuse, your Bank initiated various additional security measures such as issuing debit and credit cards only for domestic usage unless international usage is specifically sought by the customers, converting existing MagStrip Cards to Europay MasterCard and Visa (EMV) Chip card, installation of PIN enabled POS machines and introducing additional security in the form of Digital signatures for Corporate Internet Banking.

During the year FY14, your Bank installed 3,624 new ATMs, opened 45 e-Lobbies and provided a number of Bunch Note Acceptors, Self-service Pass book Printers, etc. to its branches. Your Bank also provided Note Counting Machines to almost all its branches and strengthened the structure of its Retail and SME Loan Factories – to mobilise business with quality. In short, Information Technology has made a visible difference in the functioning of your Bank and conduct of its banking operations.

H. R. Initiatives

Your Bank has been pursuing a balanced and comprehensive Human Resources policy in view of various challenges faced by the public sector banks in the form of large retirements, massive induction of talent, and huge training requirements. Your Bank has launched "Career Portal" on its website which projects the unique aspects of working at Bank of Baroda. This has helped in providing a huge impetus to the "Employer Branding" of your Bank.

During FY14, your Bank further strengthened its "On-boarding Programme" which aims at cultural assimilation of new recruits into this institution by introducing a Mentoring programme "Baroda Sarthy". Under "Baroda Sarthy", a senior employee – the Mentor handholds the new entrant to enable his or her smooth transition into the Bank and helps him or her adapt to the value system and working of your Bank. Besides, your Bank has also implemented Talent Management System. This system proactively identifies future potential leaders based on various criteria and also grooms them through a systematic developmental plan.

To enhance the "Employee Engagement", your Bank undertook various initiatives like conduct of satisfaction surveys and workshops for interaction between juniors and seniors. These workshops were conducted to improve the employee connect with HR and top management. Furthermore, to reward the top performers, your Bank very recently launched a revised performance linked incentive scheme for its employees.

Against the backdrop of massive recruitments in view of large retirements, training and developments of new recruits has assumed significant importance. In the context of the growing competition, your Bank created a new functional position as Chief Learning Officer (CLO) in the Bank. The CLO is of the level of a General Manager and supports the organization through learning interventions.

A good number of innovative steps were taken by your Bank in training as well. The training system of your Bank bagged the National Award for Innovative Training Practices in various industries by securing third position, awarded by the Indian Society for Training & Development (ISTD) during the current year.

Your Bank has a Board approved comprehensive training policy so that it covers the entire spectrum of training activities. The training is imparted for improving the understanding of different products of the Bank. The training is conducted either within the Bank or through external training programmes so that employees are able to learn and adopt best industry practices with a wider perspective. During FY14, the external training programmes were organized at various prestigious organizations such as International School of Business (ISB) Hyderabad; International Management Institute (IMI), New Delhi; Centre for Organization Development, Hyderabad; University of Mumbai; Manipal Academy of Banking, Bangalore and other such institutes.

Risk Management

Significant emphasis is placed in your Bank on improving risk assessment standards and credit monitoring process



to identify stressed borrower at an early stage. Your Bank has well-defined policies to address various risks – Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, etc., and the Bank sees to it that all these risks remain well within the risk appetite defined by its Board of Directors.

By taking a series of measures, including building bank-wide risk management systems, streamlining business processes, innovation and improving management tools and methods, your Bank further solidified its management of all types of risks during the year FY14 to support the needs of its various business lines.

In the year under review, your Bank reviewed its risk management architecture to prepare for advanced approaches under the Basel II framework. Your Bank applied for moving to Foundation IRB approach (i.e. foundation internal ratings based approach) of Credit Risk and received approval from the RBI for a parallel run. For Market Risk, your Bank has been developing a Global Mid Office in Mumbai, which will facilitate a cost-efficient and more effective way of measuring, monitoring and reporting the Market Risk positions in its global operations as per the Internal Model-based approach under the Basel II norms. In the area of Operational Risk, your Bank is implementing the best available solutions, which will enable the Bank to analyze and control its Operational Risk in a more sophisticated and effective manner. On implementation of the said Solution, your Bank's preparedness for the quantitative and qualitative requirements of "Advanced Measurement Approach for Operational Risk" will be fully met.

In order to rationalise Transfer Price Mechanism, your Bank has initiated the process of switching over from the existing manual procedure to a new system-based solution using the software OFSAA V 6.X Module, which will make the exercise more scientific and realistic.

You may be aware that in India, with effect from April 1, 2013, Basel-III capital regulations have begun to be implemented. Your Bank has already made all transitional arrangements for a smoother transition to this new capital framework by March 31, 2019.

Overseas Business

The overseas business of your Bank continued to contribute significantly to its overall (global) business. Your Bank's wide-spread overseas presence provides it with significant risk diversification benefits across the globe. Your Bank's large network of branches in overseas territories and its continued thrust on overseas expansion helped exploit rich business opportunities even during FY14. As of 31st March 2014, it had operations in 24 countries with 102 offices. These 102 offices comprised of 60 overseas branches of your Bank, 41 branches of its overseas subsidiaries and one representative office. During the year under review, your Bank opened three new branches/offices, i.e. an Electronic Banking Unit at Shabiya, UAE and two branches of the overseas subsidiaries at Kariakoo in Tanzania and Kololo in Uganda.

Key Achievements in FY14

In spite of the challenging business environment, your Bank ended the year under review with a strong set of results.

- Your Bank's **Global Business** expanded by 20.4% (y-o-y) to Rs 9,65,900 crore by end March 14. Within this, **Domestic Business** expanded by 15.1% to Rs 6,51,223 crore and **Overseas Business** increased by 33.3% to Rs 3,14,677 crore.
- **Global Deposits** registered a growth of 20.1 % (y-o-y) to Rs 5,68,894 crore by end March 14. Within this, **Domestic Deposits** expanded by 10.9% to Rs 3,79,054 crore and **Overseas Deposits** rose by 43.6% to Rs 1,89,840 crore.
- Amidst aforementioned challenges, Your Bank's **CASA Deposits** increased by 22.19% (y-o-y) to Rs 1,46,488 crore.
- Share of **Domestic CASA** as on 31st March 2014 stood at 31.76%.
- **Global Advances** increased by 21.0% (y-o-y) to Rs 3,97,006 crore by end-March 14. Within this, **Domestic Advances** rose by 21.3% to Rs 2,72,169 crore and **Overseas Advances** surged by 20.2% to Rs 1,24,837 crore.
- **Retail Credit** of your Bank increased by 21.0% (y-o-y) to Rs 46,019 crore during FY14, of which **Home Loans** increased by 21.9% to Rs 19,558 crore.
- Your Bank's **SME Credit portfolio** increased by 21.2% (y-o-y) to Rs 56,634 crore by end- March 2014. **Farm Credit** increased by 2.8% and reached the level of Rs 28,432 crore and **Credit to Weaker Sections** increased by 20.9% to Rs 20,599 crore.
- Your Bank's **Operating Profit** stood at Rs 9,291 crore (up 3.2%, y-o-y) and **Net Profit** at Rs 4,541 crore (up 1.3%, y-o-y) in FY14.
- **Return on Average Assets** (ROAA) stood at 0.75% in line with market expectations.
- Despite capital infusion, **Return on Equity** (ROE) was protected at 13.0% as on 31st March 2014.
- Your Bank managed to protect its NIM at 2.87% in **Domestic Operations** and at 2.36% in **Global Operations** during FY14 despite sluggish credit demand.
- Given your Bank's prudent approach, its **Provision Coverage Ratio** consistently improved throughout the year and stood at 65.45% as on 31st March 2014 – much higher in relative terms compared to its peers.
- Your Bank's **Capital Strength** gets reflected in its **Capital Adequacy** ratios. Its **CRAR (Basel II)** was at 12.87% and Tier I capital at 9.54% as on 31st March 2014. Its **CRAR (Basel III)** was at 12.28%, Tier 1 Capital at 9.28% & Core Tier 1 Capital at 8.95% as on 31st March 2014.
- Your Bank's Cost-Income Ratio continued to be at a relatively lower level of 43.44% for FY14.
- While its **Earning per Share** stood at Rs 107.38, its **Book Value per Share** stood at Rs 813.50.

Awards & Accolades

During the year FY14, your Bank received several awards



for its noteworthy performance across various business and financial parameters. The major ones were as follows.

- Best Public Sector Bank under the category 'Global Business Development' by Dun & Bradstreet – Polaris Financial Technology Banking Awards 2013.
- Banking Technology Excellence Award 2013 among PSBs by IDRBT.
- Your Bank was awarded 1st Rank in the Public Sector Bank Category in Financial Express-Ernst & Young Best Banks Survey 2012-13 published in The Financial Express Magazine March 2014 issue.
- MSME Banking Excellence Award-2013 as the Best Bank in MSME by the Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises.
- The Sunday Standard Best Banker's Award – Best Banker-HR constituted by The New Indian Express Group.
- ASSOCHAM 9th Annual Banking Summit –cum-Social Banking Award 2013-Winner in Public Sector Banks Category in the field of 'Social Banking'.
- "Excellence in Home Loan Banking" Award by My FM Stars of the Industry.
- The 'Global Excellence and Leadership Award' in the category of 50 most talented CSR Professionals of India by the World CSR Congress.

These awards and recognition are particularly valuable, as they acknowledge the merits of your Bank's successful business model that made a difference to the nation's progress.

Looking Forward

We expect India's economic growth to revive during FY15 on the back of political stability and likely stepping up of economic reforms. The growth in FY15 is expected to be spurred by the revival of investment, a boost to investment and consumer sentiment, continuing gains in employment and incomes and a firming in exports. With GDP growth expected to pick up, banking business is likely to witness higher optimism during FY15. According to India's largest credit rating agency CRISIL – credit quality pressures are bottoming out for the Indian banking industry, even though improvement will be gradual due to continued economic uncertainties.

During FY14, Bank of Baroda made significant progress towards building a preferred bank for its stakeholders. Despite challenging environment, its earnings remained resilient; its fresh slippages started easing and its strong funding position enabled it to continue to support its borrowers.

During FY15, Bank of Baroda will continue to focus on further strengthening its capital and funding position so as to grow its business sustainably. Your Bank is confident that with its strategic focus on people, processes and technology, it will remain in the leadership position in the emerging business environment.

Bank's Corporate Goals and Strategy

Supported by its achievements during FY14, your Bank has selected a motto that aptly described its commitment to move ahead in the global banking space. The Bank has

identified "RACE AHEAD" as its motto for the FY15. The word RACE denotes the following:

R for - Retail Leaning

A for - Asset Quality

C for – Capacity Building

E for - Earnings

Your Bank believes that focusing on these four aspects should help it in not only achieving a significant business growth but also improve its profitability and soundness indicators.

To strengthen the approach towards **Retail Leaning**, your Bank will emphasize on aggressively canvassing low-cost current and saving deposits plus retail term deposits as against the high-cost bulk deposits. Simultaneously, the focus will be on Retail Credit, MSME and Agriculture credit to make the loan-book more diversified.

Similar to its efforts to improve **Asset Quality** management in FY14, your Bank will focus on credit monitoring, NPA recovery and up-gradation in a big way and further arrest the fresh slippages.

Capacity Building is another area where your Bank has been investing significantly. During FY14, your Bank opened 601 new Branches, installed 3,624 new ATMs, opened 45 e-Lobbies and provided a number of Bunch Note Acceptors, Self-service Pass book Printers, etc. to its branches. Your Bank also provided Note Counting Machines to almost all its branches and strengthened the structure of Retail and SME Loan Factories – its innovative business model - in the country. Your Bank will continue to give high priority to this aspect during FY15 to make its processes more efficient and customer service more prompt.

To respond to increasing competition and other challenges, your Bank will make its business model more cost-efficient and try to improve its **Earnings** through an optimum mix of interest income and non-interest income. To achieve this, it will constantly optimise the use of technology as the change agent.

Additionally, your Bank proposes to launch '**Adarsh Grameen Branches**' shortly. These branches will be constructed by your Bank on its owned plot of land in rural areas and will include branch premises, manager's residence and assembly areas. The assembly area will be having audio-visual facilities to enable various activities like agri-clinic, vocational education, medical camp etc. This endeavour will not only provide your Bank to take forward the mission of Financial Inclusion, but also generate a lot of goodwill for your Bank.

With its intrinsic strengths in the form of capital, human resources, technology and iconic brand, your Bank is well positioned for growth during FY15.

We are encouraged by and grateful for the ongoing support of all our shareholders. I solicit your continued cooperation and patronage in future also.

S.S. Mundra

Chairman & Managing Director



नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा - 390 006

Head Office : Mandvi, Baroda – 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, 'जी' लॉक,

बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051.

Corporate Office: Baroda Corporate Centre,C-26, "G" Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051

(Website: www.bankofbaroda.com)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर, सेवा सदन, ठी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीझी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वडोदरा - 390020 में बुधवार दि. 25 जून, 2014 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे

1. बैंक का 31 मार्च, 2014 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्ठादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना।
2. वर्ष 2013-14 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Wednesday, 25th June 2014 at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T.P. - 1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390020, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare final dividend for the year 2013-14.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

एस. एस. मुंद्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
तारीख : 13 मई 2014

For Bank of Baroda

S.S. Mundra

Place : Mumbai
Date : 13th May 2014 Chairman and Managing Director

टिप्पणियां / NOTES :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा / सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो। प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजे गए फार्म "बी" में भरा गया हो। उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि यह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 20 जून, 2014 को सांय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा, केवायसी एण्ड एमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा - 390005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्यारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्यारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा।

1. Appointment of Proxy

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Friday, 20th June 2014 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.



2. प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रामाणित न किया गया हो। बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2014 को सायं 5.00 बजे या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो।

3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अकित करना चाहिए।

4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर 14 जून, 2014 से 25 जून, 2014 तक (दोनों दिन सहित) वार्षिक सामान्य बैठक तथा वर्ष 2013-14 के अंतिम लाभांश का भुगतान करने के उद्देश्य से बंद रहेगा।

5. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 13 मई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त शेयर के पास रु. 10.50 (दस रुपये पचास पैसे मात्र) की दर से लाभांश संस्तुत किया है। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

- क) 13 जून, 2014 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी शेयरधारकों को।
- ख) 13 जून, 2014 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक / बैंक के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. हैंदराबाद (आरटीए) के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तान्तरण प्रभावी करने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।
- ग) 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

6. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश:

- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले

2. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Friday, 20th June 2014.

3. Attendance Slip-Cum Entry Pass:

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein so as to save time and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

4. Closure of Register of Shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 14th June 2014 to 25th June 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for payment of final dividend 2013-14.

5. Payment of Dividend :

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 13th May 2014 has recommended final dividend @Rs.10.50 (Rupees Ten and paise fifty only) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2014. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 18th Annual General Meeting will be paid as under:

- a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 13th June 2014.
- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on 13th June 2014.
- c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 18th Annual General Meeting.

6. Change of Address / Dividend Mandate :

- a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members





- सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मेंटेट से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैंदराबाद को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

7. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे..

8. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण

भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है।

9. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठलराव नगर,

इमेज हॉस्पिटल के निकट, माधापुर, हैंदराबाद - 500 081

टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820, फैक्स : 040 2342 0814

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

10. दावा न किए गए अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैंदराबाद अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें :

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

7. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

8. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

9. Lodgments for Transfers:

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

M/s Karvy Computershare Private Ltd.,

(Unit :- Bank of Baroda)

Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar,

Near Image Hospital, Madhapur, Hyderabad – 500 081

Phone No. 040 2342 0815 to 820, Fax No. 040 2342 0814

E- mail : einward.ris@karvy.com

10. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 3rd Floor, Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com





शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के महेनज़र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत /अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205 (सी) की उप धारा (II) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205 सी के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य से तथा यथाविधि किया जाएगा और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

11. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं।

12. ई-वोटिंग

बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-सुविधा प्रदान करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है ताकि वे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस में उल्लिखित मदों पर अपना वोट दे सकें। सभी शेयरधारकों को संप्रेषण/नोटिस अलग से भेजा जा रहा है ताकि वे ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकें।

13. बैठक में चुनाव

दोनों कार्यसूची मदों पर विचार विमर्श करने के बाद, अध्यक्ष दोनों मदों के संबंध में पोल कराने का आदेश देंगे। चुनाव पर्यवेक्षकों की देखरेख में जो इसी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं संचालित कराया जाएगा। चुनाव का समाप्त होने के बाद अध्यक्ष बैठक को समाप्त होने की घोषणा कर सकते हैं। चुनाव के परिणाम ई-वोटिंग के परिणाम के साथ समेकित रूप से बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे साथ ही स्टॉक एक्सचेंजर्स को भी सूचित किए जाएंगे।

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under the relevant provisions of the Companies Act, 1956/ 2013, which shall be used for the purpose and in the manner specified in the Companies Act, 1956/ 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. Request to Members:

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

12. E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-voting.

13. Poll at the Meeting

After both the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of both the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.



निदेशकों की रिपोर्ट

“ आपके निदेशक गण बैंक की 106 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 14) के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन सम्बन्धी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। **”**

कार्यनिष्ठादन - उपलब्धियां

- कुल कारोबार (जमा एवं अग्रिम) बढ़कर ₹ 9,65,900 करोड़ हो गया। इस प्रकार इनमें 20.43 % (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई।
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः ₹ 9,291 करोड़ एवं ₹ 4,541 करोड़ रहा। शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 1.35 % की वृद्धि हुई।
- ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 82.03% की तुलना में 86.15 % रहा।
- खुदरा ऋणों में 20.96 % की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2014 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का 16.6 % रहा।
- एमएसएमई ऋणों में 21.21 % की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2014 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का 20.3 % रहा।
- वित्तीय वर्ष 14 में वैश्विक परिचालनों में शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम) ब्याज अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 2.36 % एवं घरेलू परिचालनों में 2.87 % के स्तर पर रहा।
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां 1.52 % रहीं जबकि पिछले वर्ष यह 1.28% थी।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल II के अनुसार 12.87 % रहा।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल III के अनुसार 12.28 % रहा।
- शुद्ध मालियत सुधार कर ₹ 34,933 करोड़ हो गई। इसमें 13.7 % की वृद्धि दर्ज हुई।
- वर्ष के दौरान बही मूल्य ₹ 729.11 से बढ़कर ₹ 813.50 हो गया।
- वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ 1,689 लाख से बढ़कर ₹ 1,865 लाख हो गया।

खण्डवार कार्य निष्ठादन

वित्तीय वर्ष 14 के खण्डवार परिणामों में राजकोषीय परिचालन (ट्रेजरी) का योगदान ₹ 1,527.24 करोड़, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग का (-) ₹ 461.11 करोड़, खुदरा बैंकिंग का ₹ 3,359.84 करोड़ तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का योगदान ₹ 2,458.02 करोड़ रहा। आपके बैंक ने ₹ 1,386.68 करोड़ के गैर-आबंटित खर्च घटाने और करों के लिए ₹ 956.23 करोड़ का

प्रमुख वित्तीय अनुपात

| | वित्तीय वर्ष 14 | वित्तीय वर्ष 13 |
|---|-----------------|-----------------|
| औसत आस्तियों पर आय (आरओए) (%) | 0.75 | 0.90 |
| निधियों की औसत लागत (%) | 5.37 | 5.75 |
| औसत आय (%) | 7.68 | 8.29 |
| औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में) | 5,07,082.68 | 4,24,761.33 |
| औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में) | 5,02,176.05 | 4,15,246.10 |
| शुद्ध ब्याज मार्जिन (%) | 2.36 | 2.66 |
| लागत आय अनुपात (%) | 43.44 | 39.79 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (₹) | 813.50 | 729.11 |
| ईपीएस (₹) | 107.38 | 108.84 |



प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 14 का आर्थिक परिवेश और वित्तीय वर्ष 15 की सम्भावनाएं

वित्तीय वर्ष 2014 की शुरूआत थीमे विकास तथा त्वरित औद्योगिक संकुचन के अतिरिक्त मुद्रा स्फीति के बढ़ने, रूपये के मूल्य में अस्थिरता, चालू खातों में घाटे की बढ़ोतरी सहित विविध दबावों और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ हुई। फिर भी, जैसे जैसे साल बढ़ता गया, विशेष रूप से तीसरी तिमाही से लेकर, बाहरी क्षेत्रों में स्थिरता, स्फीति दबाब में आंशिक सहजता तथा वृद्धि की ओर सकारात्मक सम्भावनाओं के दृढ़ संकेत मिले।

मई 2013 के तीसरे सप्ताह के दौरान, यूएस ने “अपने आर्थिक प्रोत्साहन की वापसी” की सम्भावनाओं के संकेत दिए तथा इससे उभरती बाजार स्थितियां सामान्य रूप से तथा भारतीय स्थितियां, विशेष रूप से, जहाँ न केवल वित्तीय बाजार तथा आस्तियों के मूल्य में तेजी से गिरावट देखी गई है बल्कि मुद्रास्फीति में भी तेज गिरावट देखी गई है, प्रभावित हुई। रूपया डॉलर विनियम दर में अगस्त 2013 में ₹ 68.8 तक रिकॉर्ड गिरावट आई। मुद्रा बाजार भी 9.5 % की कॉल मनी रेट के प्रभाव से तथा सरकारी बॉण्ड उत्पादों की सख्ती से दबाव में थे। इस प्रतिक्रिया में, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिंबै) ने जुलाई के मध्य में विनियम दर की अस्थिरता को रोकने के लिए अनेक नीतिगत कदम उठाए ताकि समस्त आर्थिक स्थिरता तथा वृद्धि निरंतरता के जोखिम को कम किया जा सके। किए गए उपायों में तेजी से बढ़ते मार्जिनल स्टेंडिंग फैसलिटी (एमएसएफ) दर के कारण घरेलू चल निधि को नियंत्रित करने, आऊट फलों को युक्तिसंगत बनाकर उदार बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) के माध्यम से एक एक्स इनफलों को प्रोत्साहित करना और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) अथवा एफ सी एन आर (बी) जमाओं को प्रोत्साहन देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया तथा तेल और इसके जैसे गैर जरूरी आयात में कटौती की। बाह्य इनफलों को भी बढ़ावा दिया गया। इसके फलस्वरूप, रूपया तेजी से ₹ 60.00 प्रति यूएस डॉलर के स्तर तक सम्भाला तथा 28 मार्च, 2014 को इसने 59.9 प्रति डॉलर की ऊंचाई को छुआ।

चूंकि चारों ओर “टैपर” को समाप्त करने वाली अनिश्चितताएं बनी रहीं तथा घरेलू नीति सम्बंधी पहलों के सकारात्मक प्रभाव पड़े, इससे रूपये की अस्थिरता में महत्वपूर्ण कमी आई। चालू खातों में कमी (सीएडी) जो अधिक आउटफलों के कारण अपनी चरम सीमा पर थी उसमें भी वित्तीय वर्ष 13 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 6.7% की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 0.9% तक कमी आई है। जैसे ही भारतीय मुद्रा स्थिर हुई, भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवस्थित रूप से सितम्बर 2013 से गैर परम्परागत वित्तीय उपाय करने प्रारम्भ किए। इनमें से, मार्जिनल स्टेंडिंग सुविधा (एमएसएफ) जो 15 जुलाई, 2013 को 200 बीपीएस बढ़कर 10.3% तक हो गई थी, वह 18 दिसम्बर, 2013 में घटकर 9.0% के स्तर पर आ गई और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यह इसी स्तर पर बनी रही।

भू सम्पदा क्षेत्र में, खान तथा निर्माण के क्षेत्र में क्रमिक संकुचन के कारण वित्तीय वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि में निरंतर गिरावट आई। जबकि औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि सम्बंधी चिंताएं महत्वपूर्ण बनी रही, वित्तीय वर्ष 14 में अनुकूल मानसून वर्षों ने कृषि के कार्यनिष्ठादान में सुधार किया। फिर भी, अधिकतर पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसियों ने पूरे वित्तीय वर्ष 14 के लिए 4.6% से 4.8% के बैंड की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

पिछले कुछ वर्षों की तरह, पूरे वित्तीय वर्ष 14 के दौरान स्फीति विषयक स्थिति भारत में प्रमुख मैक्रो जोखिम के रूप में रही। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान खाद्य पदार्थों तथा ईंधन की महंगाई के कारण औसत सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग 9.5% रही। वित्तीय वर्ष 14 के दिसम्बर - जनवरी के दौरान सभी की कीमतों में सुधार आने तथा इसी तरह वित्तीय वर्ष 14 में अनुकूल मानसून तथा कृषि उत्पादन परिदृश्य के बावजूद भी खुदरा स्तर पर खाद्य पदार्थों की महंगाई उच्च ही रही जो आपूर्ति श्रंखला की अकुशलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 14 के दौरान डीजल मूल्य तथा बिजली शुल्क में ऊर्ध्वमुखी समायोजन ने भी सीपीआई को भी प्रभावित किया।

सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्तीय वर्ष 2015 का अंतरिम बजट वित्तीय वर्ष 13 में जीडीपी के 4.9% के मुकाबले, वित्तीय वर्ष 14 में जीडीपी के 4.6% तथा आगे वित्तीय वर्ष 15 में जीडीपी के 4.1% राजकोषीय घाटे के साथ राजकोषीय सुदृढ़ता की निरंतरता को दर्शाता है। जबकि वित्तीय वर्ष 14 के लिए राजस्व व राजकोषीय घाटा दोनों का संशोधित अनुमान बजटीय अनुमानों से कम है, आय व्यय के लेखेजोखे से, अनुदान पर व्यय, ब्याज भुगतान तथा पेंशन ने बजटीय लक्ष्यों को प्रभावित किया तथा इनके प्रभाव को निचली योजनाओं के खर्च में समाहित कर दिया गया।

पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अधिकतर निजी तथा सार्वजनिक विचार मंचों का यह विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 15 में सुधार होगा तथा यह विश्व अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत मजबूत बनाने, निर्यात प्रतिस्पर्धा और नीतियों में सुधार लाने तथा निवेश को बढ़ावा देने में समर्थ होगी। जबकि ऐसी आशा की जा रही है कि सीपीआई मुद्रास्फीति भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी, यह वित्तीय वर्ष 15 की अधिकांश अवधि के दौरान नीचे के स्तर पर बनी रहनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 14 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्ठादान तथा वित्तीय वर्ष 15 की सम्भावनाएं

घरेलू अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक वसूली में गिरावट की पृष्ठभूमि में वित्तीय वर्ष 14 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि भी दबाव में बनी रही। वित्तीय वर्ष 13 के मुकाबले जमा तथा ऋण वृद्धि मामूली रूप से अच्छी थी। वित्तीय वर्ष 14 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमाओं में 14.6% वृद्धि हुई जो पिछले वित्तीय वर्ष की वृद्धि 14.2% से मामूली रूप से अच्छी थी। फिर भी, यह वृद्धि मुख्यतः अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई उदार नीति के कारण सम्भव हुई। वित्तीय वर्ष 14 में 14.3% की वृद्धि भी वित्तीय वर्ष 13 के 14.1% की तुलना में मामूली रूप से अच्छी थी।

वित्तीय वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही के दौरान विनियम बाजार के दबाव के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को विशेष उपाय करने पड़े जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2013 में जमाएं तथा ऋण दोनों की दरें सुदृढ़ हुई। विनियम दरों में कमी के दबाव के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन उपायों को चरणबद्ध रूप में वापस ले लिया, तथा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऋण दरें वित्तीय वर्ष 14 की दूसरी तिमाही में कुछ कम हुईं। तथापि, शेष अवधि में, वर्ष के दौरान उधार दरें सामान्यतः निश्चल बनी रहीं। चूंकि मुद्रास्फीति का स्तर उच्च ही रहा, बैंकों को अपनी मीयादी जमाओं पर आकर्षक ब्याज दर प्रस्तावित करने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि देयता पक्ष को संरक्षित किया जा सके। नियंत्रित ऋण की मांग के साथ जमा राशियों के उच्च व बढ़ी हुई लागत ने बैंक की आय संरचना को कम कर दिया। निराशाजनक समाप्ति आर्थिक परिवेश तथा उधारकर्ताओं की खराब पुनर्भुगतान क्षमता के कारण आस्ति



गुणवत्ता बिगड गई तथा वित्तीय वर्ष 14 के दौरान पुनर्गठित आस्तियों की संख्या अधिक बनी रही।

फिर भी, अधिकतर वित्तीय विशेषज्ञ तथा विश्लेषक यह मानते हैं कि भारतीय बैंकिंग उद्योग का बुरा समय समाप्त हो गया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 15 के दौरान समष्टि आर्थिक तथा राजनीतिक मोर्चे पर स्पष्टता बढ़ेगी। इसके सकारात्मक पक्ष को देखें तो, तरलता स्थिर रहेगी, वित्तीय वर्ष 15 के अधिकतम भाग में मुद्रास्फीति के कम होने की उम्मीद है तथा भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए पूर्णतः तैयार है। चुनाव पश्चात सुधारों के लिए सम्भावनाओं तथा अधिक वसूली से दबावग्रस्त ऋणों में नियमित कमी, कम स्लिपेज तथा अधिक वसूली होनी चाहिए।

जोखिम प्रबन्धन

स्थायी और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने एक व्यवस्थित जोखिम प्रणाली विकसित की है ताकि बैंक द्वारा अनुमानित जोखिमों का लगातार और व्यवस्थित आकलन व मॉनीटरिंग की जा सके। यह उल्लेखनीय है कि जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंतः बैंक के निदेशक मण्डल पर है। इसमें जोखिम प्रवृत्ति, नीति निर्धारण एवं प्रभावी मॉनीटरिंग शामिल है। आपके बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा एक सुदृढ़ उद्यमव्यापी जोखिम प्रबन्धन स्वरूप निर्धारित किया गया जिससे कि जोखिम, बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा परिभाषित जोखिम प्रवृत्तियों के अनुरूप रहे।

निदेशक मण्डल ने बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों पर निगरानी रखी है। विभिन्न जोखिमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए बोर्ड की एक विशिष्ट समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए नियंत्रक रूपरेखा बनाने के प्रयोजन से निदेशक मण्डल अथवा बोर्ड समिति द्वारा समय - समय पर नीतियां अनुमोदित की जाती हैं। इन नीतियों के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

विभिन्न जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा प्रबन्धन की प्रक्रिया संक्षेप में निम्नानुसार है।

आस्ति देयता प्रबन्धन(एलएम)

आपके बैंक के आस्ति देयता प्रबन्धन(एलएम) का लक्ष्य नीतिप्रक योजना, कार्यावयन तथा नियंत्रण प्रक्रिया जो मात्रा, मिश्रण, परिपक्वता, दर की संवेदनशीलता, गुणवत्ता तथा बैंक की आस्तियों व देयताओं की तरलता पर लक्षित है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसका प्रतिफल लिए गए जोखिम के स्तर के अनुरूप है।

एलएम, आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एलसीओ) का कार्य है, इस समिति में महाप्रबन्धक तथा कार्यपालक निदेशक शामिल हैं तथा इसका नेतृत्व अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड या/अथवा एलएम तथा जोखिम प्रबन्धन के बोर्ड की उपसमिति के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत परिचालित होती है। यह समिति ब्याज दरों के परिदृश्य, जमाओं और ऋणों के उत्पाद मूल्यों के निर्धारण, वृद्धिशील आस्ति एवं देयताओं की परिपक्वता की रूपरेखा, बैंक निधियों के लिए मांग, बैंक के नकदी प्रवाह, लाभ योजना तथा सम्पूर्ण तुलन पत्र प्रबन्धन की समीक्षा के लिए मिलती है। एलसीओ जमा व अग्रिम उत्पादों की आधार दर का मूल्य निर्धारण करने तथा आधार दर के संशोधन की सलाह बोर्ड को सौंपती है।

आपके बैंक में, तरलता जोखिम दो दृष्टिकोणों से मापा जाता है अनुमोदन किया जाता है, प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण। प्रवाह के दृष्टिकोण के तरलता अंतराल स्थिति के लिए उच्चतम सीमा के एवज में दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरणी तैयार करके किया जाता है। आगे तरलता की गुणवत्ता की जांच स्टॉक अप्रोच के विभिन्न अनुपातों पर कार्य करके की जाती है। स्टॉक अप्रोच की उच्चतम सीमा के अनुपालन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक ने अपनी तरलता का प्रबंधन उपयुक्त विविधताओं के माध्यम से किया है तथा इसे निर्धारित सीमा के अंदर रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त तरलता की स्थिति का आकलन परवर्ती तीन माह के लिए डायनेमिक आधार पर डायनेमिक अंतराल रिपोर्ट के माध्यम से प्रत्येक पखवाडे में किया जाता है।

मुद्रावार ब्याज दर जोखिम का आकलन तथा मॉनीटरिंग पारम्परिक अंतराल अप्रोच तथा आवधिक अंतराल अप्रोच दोनों माध्यम से की जाती है। एनआईएम ब्याज दर की गतिविधियों के लघु अवधि प्रभाव का निर्धारण “जोखिम पर आय” के माध्यम से किया जाता है, इसमें आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा अंतःस्थापित विकल्प जोखिम भी शामिल हैं। इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर गतिविधियों के दीर्घ कालिक प्रभाव का निर्धारण भी आवधिक अंतराल अप्रोच के माध्यम से किया जाता है।

आधुनिक तकनीक जैसे तरलता जोखिम के तनाव की जांच तथा ब्याज दर जोखिम, अनुकरण, संवेदनशीलता का विश्लेषण आदि का उपयोग विभिन्न तरलताओं तथा ब्याज दर परिदृश्यों के तहत आकस्मिकता निर्धारण योजना तैयार करने के लिए निरंतर अंतराल पर किया गया। आपके बैंक ने विभिन्न तनावपूर्ण परिदृश्यों के तहत अपनी तरलता बाध्यताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिकता योजना तैयार की है।

आपका बैंक ओरेकल फायनांशियल सर्विस एनालाइटिक्स एण्ड एप्लीकेशन (ओएफएसए) प्लेटफॉर्म कार्यावधि करने की प्रक्रिया में है, जो बहुमुद्रा एएलएम, निधि अंतराल मूल्य निर्धारण (एफटीपी), तथा लाभकारी समाधान है, जो सही सूचना एकत्र करने तथा उनका आकलन करने के लिए विस्तृत डाटा प्रबन्धन क्षमता युक्त है। आकलन तथा रिपोर्टिंग ट्रूल के एक शक्तिशाली समूह के साथ, प्रभावशाली तरलता तथा ब्याज दर प्रबन्धन को सुगम बनाया गया है, जिससे यह सम्भावित विचलन के विरुद्ध अलर्ट जनरेट करने तथा रणनीतिक नियंत्रण लेने में सहायक बन सके।

ऋण जोखिम

आपके बैंक का ऋण जोखिम प्रबन्धन विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति द्वारा निर्गमित है, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। इसमें ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के लिए व्यवसाय के सभी क्षेत्रों तथा उनके साथ जुड़े हुए जोखिमों की जांच तथा उन्हें कम करने वाले सभी दिशानिर्देश शामिल हैं। आपके बैंक का निदेशक मण्डल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन करता है तथा ऋण जोखिम नीति को अनुमोदित करता है। श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप जोखिम लेने वालों और नीति बनाने वालों के बीच सुस्पष्ट अंतर विद्यमान है।

आपके बैंक ने एक संरचनात्मक तथा मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया बनाई है, जिसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन के लिए सुसंस्थापित प्रक्रिया तथा क्रेडिट रेटिंग शामिल हैं। इसी क्रम में आपके बैंक ने जोखिम आधारित उधार देने की प्रत्यायोजित शक्तियां अपनाई हैं जिसमें कम जोखिम वाले प्रस्तावों में ऋण प्रदान करने की उच्चतर विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऋण प्रक्रिया में ऋण अनुमोदन तथा स्वीकृति पश्चात रेटिंग एक महत्वपूर्ण कारक है।



आपके बैंक ने एक संतुलित दो आयामी क्रेडिट प्रणाली अपनाई है जो ग्राहक रेटिंग तथा ऋण सुविधा रेटिंग दोनों को प्रदर्शित करती है। दो आयामी प्रक्रिया अधिक संक्षिप्त तथा अनुकूल हैं तथा इसमें गलती की सम्भावना (पीडी) तथा हानि के कारक (एलजीडी) दर्ज होते हैं। वर्षों तक, आपके बैंक ने अंतरिक रेटिंग में बहुत अनुभव हासिल किया है तथा (साख रेटिंग स्थानांतरण) क्रेडिट रेटिंग मार्फ़िग्रेशन डाटा एकत्र किया है। इस सुदृढ़ तैयारी के फलस्वरूप हमारे बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से बासेल ॥ नियमों के अंतर्गत ऋण जोखिम फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफआईआरबी) में माइग्रेट करने हेतु आवेदन किया है। एफआईआरबी कार्यान्वयन आपके बैंक को जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, पोर्टफोलियो निर्माण और रिस्क फिक्सेशन एपीटाइट की दृष्टि से अपने व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित एवं अत्याधुनिक तरीके से संचालित करने के लिए तैयार करेगा।

आपका बैंक उद्योगों में उभर कर सामने आ रहे जोखिम कारकों को पहचानने के लिए औद्योगिक अध्ययन कर रहा है। इस औद्योगिक ज्ञान में फील्ड विजिट, ग्राहकों के साथ बातचीत, सेक्टर विनियामकों तथा उद्योग विशेषज्ञों का भी योगदान रहता है। पोर्टफोलियो में अवांछित संकेंद्रित जोखिम से बचाव के लिए, बैंक ने उद्योगों, क्षेत्रों और उदारकर्ताओं पर विवेकसम्मत सीमा (प्रूफेंशियल कैप) की व्यवस्था की है। कोर्पोरेट अनुसन्धान कक्ष भी क्षेत्रवार विस्तृत अध्ययन करता है, पोर्टफोलियो ट्रेण्डिंग की पहचान करता है तथा विभिन्न साख गुणवता संकेतकों जैसे क्षेत्रवार एक्सपोजर, साख केन्द्रीकरण, रेटिंग वितरण तथा माइग्रेशन को कवर करते हुए पोर्टफोलियो स्तरीय एमआईएस जनरेट करता है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार दरों और मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण अर्जन अथवा आर्थिक मूल्य में होने वाली हानि के रूप में होता है। बाजार जोखिम के कारक निम्नलिखित हो सकते हैं:

- बाजार दर जोखिम: प्रतिफल कर्व में परिवर्तनों, ऋण स्प्रेड और ब्याज दरों में अस्थिरता से पैदा होने वाले जोखिम।
- मुद्रा विनियम दर जोखिम: विनियम दरों में परिवर्तन और ब्याज दरों में अस्थिरता के कारण पैदा होने वाले जोखिम।
- इक्विटी मूल्य जोखिम: इक्विटी के मूल्यों, इक्विटी संकेतकों, इक्विटी बास्केट में परिवर्तन तथा स्टॉक मार्केट में अस्थिरता के कारण पैदा होने वाले जोखिम।

जिसों की कीमतों में परिवर्तन और अस्थिरता के कारण भी बाजार जोखिम पैदा होते हैं। तथापि आपके बैंक का जिसों से सम्बन्धित बाजारों में कोई एक्सपोजर नहीं है।

बैंक ने अपने ट्रेजरी कार्यों के नियंत्रण और उनकी निगरानी हेतु स्पष्ट नीति बनाई है। इन नीतियों में प्रबन्धन पद्धतियों, प्रक्रियाओं, विवेक सम्मत ऋण सीमाओं, समीक्षा प्रणाली और रिपोर्टिंग पद्धतियों का समावेश है। वित्तीय और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

बाजार दर जोखिम का आकलन ब्याज दर अस्थिरता आकलन रिपोर्ट तथा जोखिम आय के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बैंक मासिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम मूल्य, जिसमें स्थायी आय प्रतिभूतियां, इक्विटीज तथा विदेशी मुद्रा पोर्जीशन शामिल हैं, की गणना करता है। बैंक, अल्प अवधि ब्याज दर जोखिम

की मॉनीटरिंग, शुद्ध ब्याज आय (एनआरआई) तथा दीर्घ अवधि ब्याज जोखिम की मॉनीटरिंग, इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को ध्यान में रखते हुए करता है। ट्रेजरी के सम्बन्ध में वैल्यू एट रिस्क की गणना 99.0% कांफिडेंस लेवल पर 10 दिन की होल्डिंग अवधि के आधार पर की जाती है। अस्थिरता विश्लेषण तथा इक्विटीज के माध्यम से स्थिर ब्याज निवेश पोर्टफोलियो की स्ट्रेस जांच परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर आपके बैंक द्वारा “एक्विटी प्रभाव के आर्थिक मूल्य” का तिमाही आधार पर आकलन भी किया जाता है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा असफल अंतरिक परिचालन, प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। आपके बैंक के पास गुणात्मक तथा मात्रात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) तथा बेसल ॥ की आवश्यकताओं के एडवांस्ड मेजरमेंट एप्रोच (एएमए) के लिए सुदृढ़ तथा व्यापक परिचालन जोखिम प्रबन्धन ढांचा (ओआरएमएफ) है। आपके बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी) प्रक्रियाओं में निर्धारण / संशोधन करके, नियंत्रण रखती है तथा भूमिका व उत्तरदायित्वों को निर्धारित करती है तथा परिचालन जोखिमों पर निगरानी रखने एवं उन्हें नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी निभाती है। आपके बैंक के पास तीन लाईन वाली रक्षा प्रणाली वाली मजबूत परिचालन जोखिम संचालन कार्यप्रणाली है जोसे व्यवसाय लाईन प्रबन्धन, स्वतंत्र कोर्पोरेट परिचालन जोखिम प्रबन्धन कार्यप्रणालीतथा स्वतंत्र निरीक्षण एवं अंकेक्षण कार्यप्रणाली जो यह सुनिश्चित करती है कि इसके अंतरिक दिशानिर्देशों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

आपका बैंक अपने परिचालनों, जोखिमों को जानने, मापने, निगरानी रखने व उचित प्रबन्धन करने के लिए उद्यम स्तर का स्वचालित वेब आधारित सोल्यूशन (एसएजी ईजीआरसी 5.1) स्थापित करके एक अत्याधुनिक प्रणाली कार्यान्वयन करने जा रहा है। यह सोल्यूशन वित्तीय वर्ष 15 की छामाही समाप्त होने से पहले कार्यान्वयन करने की आशा है। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक आयोजकों तथा कम्पनी के इनीशियल इक्विटी कैपीटल सब्स्क्राईबर में से एक है जो भारत में बैंकिंग उद्योग के लिए परिचालन जोखिम हानि डाटा का सहायता समूह (कंसोरेशियम) है।

बेसल ॥ कार्यान्वयन

पूरे भारत में बेसल ॥॥ पूंजी विनियामक का कार्यान्वयन किया गया जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है। पूरे बेसल ॥॥ के सुचारू परिवर्तन के लिए, 31 मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वयन करने के लिए उपयुक्त पारगमन व्यवस्थाएं उपलब्ध करायी गई हैं। बेसल ॥॥ पूंजी नियमों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर परिवर्धित प्रकटीकरण की आवश्यकता है, जो अलग से प्रकाशित किया गया है।

भारतीय द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण - (कैमल्स) पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध अर्जन, चलनिधि प्रणाली तथा नियंत्रण में बदलाव

बैंकिंग व्यवसाय में बढ़ती हुई कठिनाईयों तथा हाल ही के वित्तीय संकटों से लिए गए सबक से वैश्विक विनियामकों की पूर्ण रूप से जांच तथा पर्यवेक्षक



बैंचमार्क की धारणाएं सामने आई हैं। इसमें बैंकिंग प्रणाली (बेसल III) तथा बैंक को अधिक लचीला बनाने के लिए संशोधित सुझाव, प्रभावशाली बैंक पर्यवेक्षण के लिए संशोधित मूलभूत सिद्धांत, वित्तीय संगुट के पर्यवेक्षण के नए सिद्धांत तथा वसूली के लिए योजना तथा वैशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों का व्यवस्थित संकल्प आदि शामिल है। उभरती चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान पर्यवेक्षण प्रणाली तथा क्रियाविधि के स्तर पर पुनः समीक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

इस दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर एक अवधारणा विकसित की है जो वर्तमान तथा भविष्य दोनों के वर्तमान अनुपालन आधारित तथा संव्यवहार जांच एप्रोच (कैमल्स) जैसे जोखिमों के मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करेगी। भारतीय बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत किए गए मॉडल का नाम “जोखिम तथा पूंजी के आकलन हेतु पर्यवेक्षण कार्यक्रम” (एसपीएआरसी) तथा “समाकालीत जोखिम तथा प्रभावकारी स्कोरिंग” (आईआरआईएससी) मॉडल इसके घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक है।

आरबीएस के तहत, बैंक की असफलता की संभावना तथा इस असफलता से होने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है। बैंक के द्वारा दो या तीन वर्ष के अंतराल में केवल एक बार मूल्यांकित अल्प जोखिम / प्रभाव प्रोफाईल का निरीक्षण भी किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ रही समीक्षात्मक टिप्पणियों को एक पर्यवेक्षण उपाय के रूप में प्रयुक्त करने का प्रस्ताव किया है, जिसके द्वारा यह किसी उत्पाद विशेष बाजार या क्षेत्र के भीतर जोखिम निर्धारित करने की परम्परा या त्वरित कार्यवाही/उपाय करने के लिए पद्धति स्तर पर समीक्षा करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों के मध्य कारगर एवं प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) में “वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक” (एस एस एम) के रूप में एक एकल सम्पर्क बिन्दु बनाया गया है।

जहां केमल्स बैंकों के “कार्यान्वयादन मूल्यांकन” को कार्यान्वित करता है, आर बी एस “एक बैंक की असफलता तथा इसके प्रभाव के संदर्भ में” इसका निर्धारण करेगा - 1) जोखिम जो बैंक ने उजागर किया है, 2) नियंत्रण तथा शासन की ताकत, 3) उसके स्थान पर ओवर साईट फ्रेमवर्क 4) उपलब्ध पूंजी। रेटिंग के आधार पर, किसी बैंक विशेष को उसके द्वारा महसूस किए गए सभी जोखिमों के साथ-साथ उसके मुख्य जोखिम की दिशाओं/प्रवृत्ति तथा जोखिम की गंभीरता को कम करने की योजना; सुधारात्मक नियंत्रण की आवश्यकता को शामिल करना, पूंजी संवर्धन तथा/अथवा वर्तमान व्यवसाय के पुनर्गठन के बारे में अवगत कराता है। आरबीएस के तहत, मूल बैंक की मुख्य समूह संस्था से उत्पन्न हुए संभावित जोखिम पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह नोट किया जाए कि आपका बैंक आर बी एस 2013 के अंतर्गत पर्यवेक्षण के प्रथम चक्र के लिए चुने गए कुछ बैंकों में एक है जिसने अपनी संवर्गी महत्वा दर्शायी है। आपके बैंक के ऑफ-साइट तथा ऑनसाइट दोनों पर्यवेक्षण दिए गए समय में सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए हैं।

ऋण निगरानी कार्य

अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ऋण निगरानी एक अति महत्वपूर्ण उपाय है। आपके बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर (शाखा/क्षेत्र/अंचल तथा कॉरपोरेट) ऋण खातों की जांच के

लिए सुव्यवस्थित पद्धति है जो आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को सुधारने हेतु समय पर कार्यवाही करती है। ऋण निगरानी के लिए कॉरपोरेट स्तर पर महाप्रबंधक की देखरेख में अलग से एक विभाग तथा अंचल व क्षेत्रीय स्तर पर ऋण निगरानी के लिए विभागों का गठन सितम्बर 2008 से किया गया है। बैंक की घरेलू ऋण नीति के स्लिपेज को रोकने तथा शुरुआती दौर में समयबद्ध तरीके से संभावित तथा व्यवहार्य रुण खातों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के उद्देश्य से सभी अंचल, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्लिपेज निवारक कार्यदलों (एसपीटीएफ) का गठन किया गया है। कॉरपोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं :

- आरंभिक अवस्था में ऋण खातों की कमियों/सम्भावित छूकों/शुरुआती रुणता को पहचानना।
- ऋण खातों/उथार खातों की साख गुणवत्ता में कमी व आगे क्षति रोकने के लिए समय पर उपयुक्त व सुधारात्मक कदम उठना।
- कठोर अनुर्वर्ती कार्यवाही के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण रेटिंग में आने वाली गिरावट को रोकना।
- ऋण खातों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुनर्नियतन करने के साथ साथ उपयुक्त एवं वास्तविक मामलों में उथारकर्ता से मैचिंग योगदान कर, अंचल कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर पुनर्वित प्रदान करना।
- खातों की समीक्षा एवं नियम तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठकर/नियमित रूप से अनुर्वर्ती कार्यवाही करके बैंक के ऋण संविधान की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआइएफआर) के अंतर्गत खातों की प्रगति पर निगरानी रखना।

अग्रिम खातों की मासिक मॉनीटरिंग

आईटी विभाग द्वारा ₹10 करोड़ तथा इससे अधिक के एफबी एनएफबी (निधि आधारित गैर निधि आधारित) अग्रिम खातों के एक्सपोजर से संबंधित मासिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट के लिए एक ऑन-लाइन वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसकी शुरुआत जनवरी 2013 में की गई तथा इसे समय-समय पर अपग्रेड किया जाता है।

एमएमआर पर आधारित, बैंक क्रेडिट पोर्ट फोलियो की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च मूल्य अग्रिम खातों में नियम व शर्तों का अनुपालन, अनियमिताओं का निवारण तथा खातों की शीघ्रगामी समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुर्वर्ती कार्यवाही की जा रही है।

अग्रिम खातों का पुनर्गठन

अग्रिम आस्तियों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वर्तमान व्यवसाय रणनीति के एक भाग के रूप में, बैंक की अत्यधिक खराब अग्रिम पोर्टफोलियो की उद्योगवार तथा खातेदारवार नियमित आधार पर पुनः जांच कर पुष्टि करने की आवश्यकता है तथा इनके पुनर्गठन के लिए जो भी तरीका सही समझा जाए उसी प्रकार समुचित कार्यवाही की जाए।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने नीचे दी गई सारणी के अनुसार विभिन्न अग्रिम खातों का पुनर्गठन किया है।



अग्रिम खातों का पुनर्गठन (वैशिक) - 2013-14

| | | सीडीआर तंत्र | एसएमई पुनर्गठन | अन्य | कुल |
|--------------------------|------------------|--------------|----------------|----------|----------|
| पुनर्गठित मानक अग्रिम | ऋणियों की संख्या | 15 | 1,162 | 22,405 | 23,582 |
| | बकाया राशि | 2,611.51 | 1,651.68 | 2,025.26 | 6,288.45 |
| पुनर्गठित अवमानक अग्रिम | ऋणियों की संख्या | 1 | 105 | 1,997 | 2,103 |
| | बकाया राशि | 17.04 | 36.88 | 175.18 | 229.10 |
| पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम | ऋणियों की संख्या | 2 | 30 | 1,063 | 1,095 |
| | बकाया राशि | 162.71 | 24.90 | 47.96 | 235.57 |
| कुल | ऋणियों की संख्या | 18 | 1,297 | 25,465 | 26,780 |
| | बकाया राशि | 2,791.26 | 1,713.46 | 2,248.40 | 6,753.12 |

आर्थिक आसूचना इकाई

एक विशेषज्ञ आर्थिक आसूचना इकाई (ईआईयू) जिसके अध्यक्ष मुख्य अर्थशास्त्री हैं तथा यह आपके बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यरत हैं, यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे दीर्घ आर्थिक पूर्वसूचना, नीतिपरक व्यवसाय आयोजना निवेशक संबंध, व्यवसाय रणनीति निर्माण, आस्ति देयता प्रबंधन तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय नियामकों तथा रेटिंग, एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करने में सहयोग करती है। यह इकाई नियमित रूप से उच्च प्रबंधन वर्ग तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाईयों को समय-समय पर प्रमुख क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक एवं संगठनात्मक विकास, मुद्रा स्फीति, ब्याज दर, स्टॉक संचालन, ऋण विस्तार एवं बैंकिंग उद्योग हेतु संसाधन जुटाना, तरलता एवं विनियम दरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आवधिक रूप से जानकारी प्रदान करती है।

व्यापक आर्थिक पहलुओं, कॉरपोरेट और वित्तीय क्षेत्रों की नीतियों के संबंध में बेहतर संबंध प्रदान कर आपके बैंक की आर्थिक आसूचना इकाई अच्छे प्रकार के व्यवसाय के अवसरों का अधिकतम फायदा उठने हेतु बैंक के प्रयासों और बाजार के समीकरणों के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है।

आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा साप्ताहिक समष्टि आर्थिक विकास को कवर करते हुए एक साप्ताहिक न्यूज लेटर (ई-प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है, जिससे नीतियों, वैशिक तथा घरेलू अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण, निवेशकों, बैंकर्स, नियामकों रेटिंग एजेंसियों तथा बाजार के अन्य भागीदारों को अपने सरोकारों से अवगत कराया जा सके तथा अपना दृष्टिकोण इनमें बांटा जा सके।

यह इकाई आर्थिक गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए बैंक की बौद्धिक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जिसके आधार पर भविष्य में सम्यक कार्यनीतियां निर्धारित होती हैं।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आपके बैंक में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा विभाग (सीआईडी) है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं पद्धतियों की अनुपालना का परीक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार, बैंक का निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई) से आंतरिक नियंत्रण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त मार्गनिर्देश, बेहतर जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से आर्थिक नियंत्रण तंत्र का भाग बन गए हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते हुए कारोबार को ध्यान में रखते हुए सीएआईडी आसन्न जोखिमों पर प्रभावी नियंत्रण तंत्र के द्वारा सतत नियंत्रण रखने का प्रयास करता है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रहे।

बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार 13 अंचल नियंत्रण केन्द्रों द्वारा शाखाओं/कार्यालयों के नियंत्रण के माध्यम से सीएआईडी अपना संचालन करता है और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और जोखिम प्रबंधन का परीक्षण करता है।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करती है। यह समिति प्रभावी आंतरिक जोखिम आधारित लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, आई.एस.लेखा परीक्षा तथा अन्य नियंत्रण व लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभावी विकास के लिए मार्गदर्शन देती है जिससे कि बैंक की आस्तियां सुरक्षित रहें। यह समिति कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति तथा बैंक की नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग करती है।

आपके बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित लेखा परीक्षा (आर बी आई ए) से कवर हैं। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान कुल 3831 शाखाओं का नियंत्रण किया गया जिनमें से 2917 शाखाएं (76.14%) कम जोखिम में, 818 शाखाएं (21.35%) मध्यम जोखिम में तथा 96 शाखाएं (2.51%) उच्च जोखिम श्रेणी में थीं।

मुंबई में स्थित नियंत्रण प्रभाग के अंतर्गत आईएस लेखा परीक्षा कक्ष कार्यरत है और यह ऑफ साइट निगरानी का कार्य करता है।

आपके बैंक ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नियमिति को कार्यान्वित किया है:

- केन्द्रीय नियंत्रण एवं लेखा प्रभाग तथा अंचल लेखा परीक्षा समितियों के कार्य की देखरेख के लिए मार्च 2013 से कार्यपालक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। इससे प्रणालियाँ, पद्धतियों एवं आंतरिक मार्गनिर्देशों के अनुपालन स्तर और अधिक मजबूत होने के उम्मीद हैं।
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित संगामी लेखा परीक्षा नीति, मैनुअल तथा स्कोरिंग शीट तथा जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा को वित्तीय वर्ष 14 में सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया है।



वित्तीय वर्ष 14 की 834 शाखाओं की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए 1002 शाखाओं की संगामी लेखा परीक्षा करके इसका कवरेज बढ़ा दिया गया है। प्रतिशत के रूप में 27.12.2013 को इन 1002 शाखाओं में बैंक के कुल व्यवसाय में से कुल जमाओं का 82.02% तथा कुल अग्रिमों का 75.21% है।

क्रेडिट लेखा परीक्षा अब सी ए आई डी के अंतर्गत एक विशेष कार्य के रूप में पोषित की जा रही है तथा इस नयी संरचना का सुचारू परिचालन जुलाई 2013 से प्रारंभ हो गया है। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान, ₹2,62,435 करोड़ की निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित व्यवसाय वाले 4335 खातों के संबंध में क्रेडिट लेखा परीक्षा की गई है जिससे बड़ी राशि के ऋणों के संबंध में अनुपालन का उच्च स्तर सुनिश्चित किया गया है।

संक्षेप में, आपके बैंक का केन्द्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग (नियमित आधार पर) निर्धारित नीतियां, निर्देश तथा स्वयं के निदेशक मंडल द्वारा दिये गए दिशा निर्देश, नियमक व भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रणालियों व पद्धतियों के अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग कर रहा है।

परिचालन व सेवाएं

ग्राहक केन्द्रित पहलें

अपने दैनिक परिचालनों में प्रभावी ग्राहक सेवा तथा ग्राहक संतुष्टि, बैंक के लिए सदैव प्राथमिक लक्ष्य रहे हैं। आपका बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं और संतुष्टि के प्रति सदैव तत्पर रहा है और उसका यह विश्वास रहा है कि प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएं उत्पाद एवं इसके लोगों का हर प्रकार का कौशल अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

हाल ही में आपके बैंक ने अपनी शाखाओं में ग्राहक सेवाओं में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं तथा ग्राहक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया है।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान ग्राहक सेवा में सुधार हेतु निम्नलिखित अन्य प्रमुख उपाय किए गए हैं-

1) निम्नलिखित के संबंध में एस.एम.एस. अलर्ट:

i) वित्तीय लेनदेन अर्थात्

- सभी चैक वापसी के संब्यवहार, चाहे राशि कितनी भी हो।
- नकद उधार खाते में ₹1.00 लाख तथा इससे अधिक के लेनदेन के लिए
- आवक समाशोधन में प्रस्तुत किए गए ₹100000/- तथा इससे अधिक के चेकों के लिए एंट्री लेवल के स्तर पर।

ii) गैर वित्तीय लेन देन अर्थात्

- आधार दर में परिवर्तन के कारण ऋण खातों में ब्याज दर में परिवर्तन

2) आपके बैंक के सभी पात्र ग्राहकों के लिए “मल्टीसिटी/भारत की सभी शाखाओं में समूल्य पर देय” चैक जारी करना।

3) फार्म 15 जी/15 एच की पावती: टीडीएस नहीं काटे जाने तथा इस संबंध में ग्राहकों की शिकायतें कम करना सुनिश्चित करने के लिए

शाखाओं को फार्म 15 जी/15 एच पर जमाकर्ता से पावती रसीद प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

- 4) बेहतर ग्राहक सेवा देने के उद्देश्य से बचत खाता ग्राहकों को ₹15000/- तक तथा चालू खाता ग्राहकों को ₹25000/- तक आपके बैंक की उन शाखाओं से ऑफलाइन नकद आहरण की अनुमति दी गई है जहां डाटा सेंटर की नेटवर्क कर्नेविटिंग उपलब्ध नहीं है।
- 5) कैश हैंडलिंग प्रभारों में संशोधन : कासा जमाओं में वृद्धि करने तथा उच्च मालियत वाले ग्राहकों को आपके बैंक की ओर आर्किष्ट करने के लिए कैश हैंडलिंग प्रभारों को राशि आधारित प्रभारों से पैकेट आधारित प्रभारों में संशोधित कर कम कर दिया है।
- 6) आपके बैंक के नए बचत जमा खाता ग्राहकों को एक “स्वागत किट” जिसमें स्वागत पत्र, नोन पर्सनलाइज्ड डेविट कार्ड तथा एक नोन पर्सनलाइज्ड चेक बुक होती है, उपलब्ध कराई जा रही है।
- 7) ग्राहक बैंठक : अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के निर्देशन में पूरे देश में आपके बैंक की सभी शाखाओं में एक ही दिन तथा एक ही समय अर्थात् 15/7/2013 को ग्राहक बैंठक का आयोजन किया गया।
- 8) बैंकिंग कोड्स तथा स्टैण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) कोड जागरूकता ग्राहक बैंठक : आपके बैंक के ग्राहकों में बीसी एसबीआई के कोड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के क्रम में, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा 6 अगस्त, 2013 को एक ग्राहक बैंठक का आयोजन किया गया। इस बैंठक की अध्यक्षता बीसीएसबीआई के अध्यक्ष द्वारा की गई तथा इस बैंठक में बैंकिंग उद्योग के विभिन्न संकर्गों के लगभग 150 ग्राहकों ने भाग लिया।
- 9) यदि ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उसकी पास बुक/ खाता विवरणी तथा एफ डी आर में नामिति का नाम मुद्रित करने के लिए आपके बैंक के सिस्टम को सक्षम बनाया गया है।

शाखाओं में ग्राहक सेवा सुधारने के प्रयास

आपके बैंक में शाखा में ग्राहक सेवा की क्वालिटी के विषय में शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों से फ़ीडबैक प्राप्त किया जाता है। इन समितियों की प्रत्येक महीने बैठकें आयोजित की जाती हैं और इनमें विरिष्ट नागरिकों एवं पैशानरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को आमत्रित किया जाता है। बैठकों में प्राप्त विचारों/सुझावों का आकलन कर सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु उनकी संभाव्यता के परीक्षण हेतु समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।



बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड अंचल, पटना में पहली महिला शाखा के शुभारंभ के अवसर पर श्री एस. एस. मूढ़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



आपके बैंक का ध्यान सभी डिलीवरी चैनलों के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केन्द्रित है और ग्राहक संतुष्टि के स्तर में बढ़ोत्तरी करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई-उत्पाद तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालियाँ जैसे - एटीएम/डेबिट कार्ड, पीओएस (पाइट ऑफ सेल मशीन), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के अनुरूप हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में सुधार कर सभी प्रकार के ग्राहकों के हितों एवं अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है।



पूर्वी अंचल कोलकाता में आयोजित ग्राहक बैठक में चयनित ग्राहकों के साथ
श्री एस. एस. मूंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुपालन

आपके बैंक भारतीय बैंकिंग कोइस एवं स्टैण्डर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसने बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित “ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता” को अपनाया है। इसने “माइक्रो एवं लघु उद्यमियों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता” को भी अपनाया है। इन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और ग्राहकों को बैंक शाखाओं के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है। ग्राहकों में संहिता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा इसमें वृद्धि करने के लिए आपके बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com / www.bcsbi.org.in पर संदेश आता है। अधिक जानकारी के लिए बचत जपा की पासबुक के कवर पेज के अन्दर, खातों की विवरणी में एक फुटनोट तथा एटीएम मशीनों की स्क्रीन पर भी इसे प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति :

आपके बैंक में 31 मार्च, 2014 के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की निदेशक मंडल ग्राहक सेवा की उपसमिति गठित की गई है -

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. श्री एस.एस.मूंडा | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2. श्री पि.श्रीनिवास | कार्यपालक निदेशक |
| 3. श्री बी.बी.जोशी | कार्यपालक निदेशक |
| 4. श्री रंजन धवन | कार्यपालक निदेशक |
| 5. श्री मौलिन अरविंद वैष्णव | निदेशक |

उप समिति, नीति निर्धारण तथा उनके अनुपालन से संबंधित मुद्दों को देखती है जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार होता है। यह मूतक जमाकर्ताओं/लॉकर किराएदारों/सेफ कस्टडी में रखने वाले सामान के जमाकर्ताओं के संबंध में निपटान हेतु उन दावों की स्थिति की मॉनीटरिंग

करती है जो 15 दिन से अधिक समय से पैंडिंग हैं तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड्स के कार्यान्वयनों की समीक्षा भी करती है।

ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति

आपके बैंक ने “ग्राहक सेवा पर पद्धति एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बंधी स्थायी समिति” का गठन किया है जिसमें बैंक के तीन कार्यपालक निदेशक और चार महाप्रबंधकों के अलावा तीन प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं और यह आपके बैंक में प्रचलित प्रणालियों एवं पद्धतियों की समीक्षा करती है तथा क्रमिक आधार पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करती है।

बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा तिमाही आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों से शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों से सुझाव प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें ग्राहक सेवाओं संबंधी प्रणालियों एवं पद्धतियों की लेखा परीक्षा की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ग्राहक केन्द्रित पहलें एवं शिकायत निवारण

- आपके बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक सुसंगठित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है। आपके बैंक से संबंधित ग्राहक शिकायतों के संबंध में परिचालन एवं सेवाएं विभाग के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अंचल तथा क्षेत्रीय स्तरों पर संबंधित क्षेत्रीय व अंचल प्रमुख नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इससे आगे, सभी नोडल अधिकारियों के नाम तथा उनके सम्पर्क नम्बरों को आपके बैंक की सभी शाखाओं में प्रदर्शित किया गया है।
- प्रत्येक तिमाही में आपके बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति के बारे में निदेशक मंडल के समक्ष ग्राहक शिकायतों व समस्याओं के निवारण के बारे में एक तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत किया जाता है।
- ग्राहकों की शिकायतों को कम करने एवं बाधारहित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का मासिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है तथा की गई कार्यवाही/कारणों को समस्त अंचल तथा क्षेत्रीय प्रमुखों को उपचारात्मक उपाय करने हेतु भेजा जाता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो।
- आपके बैंक के पास मानकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) नामक वेब आधारित ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा निवारण प्रणाली है। आपके बैंक की वेबसाइट के होमपेज पर एक आइकन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से आपके बैंक के ग्राहक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह प्रणाली न केवल शिकायतों के शीघ्र निवारण में सहायक है बल्कि यह आपके बैंक को समस्त शिकायतों का केन्द्रीयकृत डेटाबेस बनाए रखने में भी सक्षम बनाता है।

अभी हाल ही में, एस.पी.जी.आर.एस. में सुधार करके, आपके बैंक ने गैर-ग्राहकों को भी शिकायत सुझाव दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक के ग्राहक यदि शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायत को पुनः खोल सकते हैं।



केवाईसी - ए.एम.एल - सी एफ टी के लिए प्रणाली

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/एंटी मनीलांड्रिंग (ए एम एल) मानदंड/आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) उपाय एवं पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंक के दायित्व -

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी - ए एमएल सी एफ टी नीति है। यह नीति बैंक के केवाईसी मानदंडों, एमएल मानकों, सी एफ टी उपायों तथा प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत बैंक के दायित्वों के कार्यान्वयन का आधार है। बैंक ने नियामकों के निर्देशों के आधार पर परिचालित इकाईयों के लिए केवाईसी ए एम एल सी एफ टी से संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आपके बैंक में केवाईसी - एमएल - सीएफटी कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- बैंक वित्तीय अनुसंधान इकाई भारत (एफआई यू - आई एनडी) को इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के लिए इलैक्ट्रॉनिक तरीके से नकद लेन देन रिपोर्ट (सी टी आर) को जनरेट करता है।
- सिस्टम आधारित एलटर्स जनरेट करने के लिए "एमएल सोल्यूशन" स्थापित कर लागू कर दिया गया है। आई बी ए के कार्य दल की संस्तुति के आधार पर इसमें और अधिक एलटर निर्धारित करके इसको आगे और अधिक व्यापक बनाने की गुंजाई है।
- संदेहास्पद लेन देनों का पता लगाने के लिए और रिपोर्ट (एस टी आर) को वित्तीय अनुसंधान इकाई (एफ आई यू) को प्रेषित करने हेतु सिस्टम आधारित व्यवस्था है।
- बैंक के ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छमाही में सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (ए एम एल उपायों से) किया गया है।
- बैंक, एफ आई यू - आई एन डी, नई दिल्ली को जाली करेंसी नोटों की रिपोर्ट (सीसीआर) प्रेषित करता है।
- बैंक एफ आई यू - आई एन डी को गैर लाभकारी संगठनों के लेनदेन के बारे में रिपोर्ट (एन टी आर) प्रस्तुत करता है।
- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने समस्त वर्तमान ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआइसी) आवंटित करने के लिए प्रक्रियाधीन है।
- बैंक ने 1.32 करोड़ निष्क्रिय कस्टमर आईडीज को सिस्टम से हटा दिया है।
- मनी लांड्रिंग को काबू करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में एन एस डी एल से पेन कार्ड (PAN) का ऑनलाइन सत्यापन करने के कार्य को परिचालित किया गया है।
- सीबीएस सिस्टम में भी इस प्रकार उपयुक्त रूप से सुधार किया गया है जिससे वह पेन (PAN) फार्म 60/61 की अनुपस्थिति में ₹50000/- तथा इससे अधिक की नकदी को स्वीकार नहीं करे।
- बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से ई-केवायसी को लागू करने के अंतिम चरण में है।
- आतंकवाद से वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) के उपायों के

रूप में हमारी 1800 से अधिक शाखाओं में तत्काल जांच पड़ताल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विनियमावली (UNSCR) से प्राप्त नामों की सूची उपलब्ध है।

अपने ग्राहक को जानिए अर्थात् केवायसी के पूर्णतया अनुपालन हेतु स्टाफ सदस्य तथा ग्राहकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

- ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर केवायसी दस्तावेजों की विस्तृत सूची दी गई है।
- ग्राहकों के खातों में केवायसी डाटा अद्यतन करने के लिए मोबाइल आधारित एसएमएस भेजे गए हैं तथा स्थानीय राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में नोटिस दिए गए हैं।
- स्टाफ सदस्यों को शिक्षित करने के लिए केवायसी एमएल सीएफटी शिक्षा के संबंध में संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए बैंक के इंट्रानेट पर केवायसी एमएल पृष्ठ सृजित किया गया है।
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी एमएल सीएफटी दिशानिर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं।
- बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- कॉर्पोरेट पर्यवेक्षण (कार्पोरेट ओवरसाइट) तथा शाखाओं के केवायसी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से बैंक के प्रधान कार्यालय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य निरंतर प्रयास किए जाते हैं।
- विसंगतियों का पता लगाने तथा इनके तत्काल निवारण के लिए नियमित रूप से ऑनसाइट जांच पड़ताल की जाती है।

अनुपालन नीति

आपके बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं संबद्ध दस्तावेजों से युक्त अनुपालन नीति तैयार की है, जिसमें बैंक के अनुपालन कार्यों का भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों पर आधारित अनुपालन दर्शन परिलक्षित होता है। यह नीति एक बुनियाद है जिसके आधार पर बैंक का समस्त अनुपालन कार्य संचालित होता है। आपके बैंक में अनुपालन कार्य, स्वस्थ अनुपालन व्यवस्था युक्त आंतरिक नियंत्रण तथा अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सहित गर्वनेस का एक अभिन्न अंग है।

अनुपालन कार्य की प्रमुख पहलें तथा मुख्य-मुख्य बातें

अनुपालन विभाग बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित किया गया है तथा इसके प्रभारी/प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक पद के पदाधिकारी हैं जो बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन का रिपोर्ट करते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित अनुपालन विभाग में कार्यरत योग्य स्टाफ के अलावा अनुपालन कार्य की देखरेख के लिए कापोरेट कार्यालय एवं नियंत्रण कार्यालयों तथा शाखाओं में अनुपालन अधिकारी कार्यरत हैं।

अनुपालन कार्य विभिन्न विधायों यथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम में उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों



की पालना सुनिश्चित करता है। यह भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फिडाय) तथा भारतीय नियत मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा निर्धारित मानकों तथा कोड आदि का पालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंकिंग विधि नियमों तथा मानकों जैसे विषयों में अनुपालन स्टाफ को इन क्षेत्रों की गतिविधियों से अद्यतन बनाए रखने के लिए बैंक की वेबसाइट (<http://intranet.bankofbaroda.co.in>) पर नियमित तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रबंधन टूल्स अपलोड किए गए हैं।

बैंक ऑफिस परिचालन

क्षेत्रीय बैंक ऑफिस एवं सिटी बैंक ऑफिस

वर्तमान में आपके बैंक के 12 क्षेत्रीय बैंक ऑफिस (आरबीओ) हैं जिनमें से दो क्षेत्रीय बैंक ऑफिस वर्ष के दौरान बरेली तथा अहमदाबाद में खोले गए हैं। एक और क्षेत्रीय बैंक ऑफिस हैंदराबाद में शीघ्र खुलने की स्थिति में है। इस प्रकार कासा से संबद्ध खाते खोलने के कार्य को प्रोसेस करने तथा व्यक्तिगत चेक बुक जारी करने हेतु सभी अचलों में एक-एक क्षेत्रीय बैंक ऑफिस हो जाएगा। आपके बैंक की 4200 से अधिक शाखाओं को क्षेत्रीय बैंक ऑफिस के माध्यम से केंद्रीकृत खाता खोलने संबंधी प्रक्रिया से सहबद्ध कर दिया गया है तथा 4350 से अधिक शाखाओं को व्यक्तिगत चेक बुक जारी करने हेतु सहबद्ध कर दिया गया है।

आपके बैंक में क्लीयरिंग के माध्यम से आवक एवं जावक चेकों को प्रोसेस करने के लिए 85 केंद्रीकृत सिटी बैंक ऑफिस कार्यरत हैं। समीक्षा अवधि के दौरान दक्षिणी प्रिंट में सीटीएस (चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम) क्लीयरिंग हेतु 100% माइप्रेशन का कार्य तथा पश्चिमी प्रिंट के 20 एमआईसीआर केंद्रों पर यह कार्य पूरा हो गया है।

सरकारी कारोबार तथा करेंसी चेस्ट

आपके बैंक ने शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान समर्पित भाव से सरकारी कारोबार बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। समीक्षा अवधि के दौरान इस दिशा में किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का नीचे उल्लेख किया गया है।

1. आपके बैंक ने दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली (ऑफ लाइन) मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश तथा मेघालय राज्यों में 'राज्य कर संग्रहण' की अनुमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार आपका बैंक अब 19 राज्यों में राज्य कर संग्रहण के लिए अधिकृत हो गया है।



नई दिल्ली में सरकारी एवं पीएसयू व्यवसाय विभाग के शुभारंभ के दौरान श्री एस. एस. मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. आपके बैंक को रेल मंत्रालय से 11 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, नागालैंड, तमिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश में रेलवे पेंशन के संवितरण की अनुमति प्राप्त हो गई है।
3. आपके बैंक की 166 अतिरिक्त शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि/सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (PPF/SCSS) व्यवसाय के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार आपके बैंक की लगभग 1079 शाखाएं पीपीएस/एससीएस व्यवसाय के लिए अधिकृत हो गई हैं।
4. आपके बैंक ने 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक पीपीएफ संग्रहण के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान अवधि के दौरान 44740 नए खाते खोले गए। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान कुल 64072 खाते खुले।
5. आपके बैंक ने 2 दिसंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान नई पेंशन योजना एनपीएस लाइट के तहत जमा संग्रहण के लिए विशेष अभियान चलाया तथा अभियान अवधि के दौरान 23800 नए खाते खोले गए। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान 25000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं।
6. आपके बैंक को उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों में ई-स्टांपिंग सुविधा की अनुमति प्राप्त हो गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की 48 तथा उत्तराखण्ड की 17 शाखाओं में यह कार्य प्रारंभ हो गया। इस प्रकार अब आपके बैंक की 6 राज्यों में 113 शाखाओं को ई-स्टांपिंग व्यवसाय के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
7. आपके बैंक को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इनके ई-बिजनेस (e-BIZ) पोर्टल में लाइसेंस फीस तथा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने के लिए प्रभारी के संग्रहण हेतु प्रतिभागिता करने के लिए अधिकृत कर दिया है।
8. आपके बैंक ने अंतराखण्डीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) कृभको एवं हजारी में कस्टम ड्यूटी का प्रत्यक्ष संग्रहण प्रारंभ कर दिया है तथा इन केंद्रों पर कस्टम ड्यूटी का संग्रहण शुरू हो गया है।
9. आंध्र प्रदेश में आपके बैंक ने भू-विज्ञान एवं खनन विभाग से साइबर ट्रेजरी के माध्यम से रायलटी संग्रहण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
10. गुजरात राज्य में आपके बैंक को एमएसटी एवं प्रवेश कर तथा इसके अलावा 6 अतिरिक्त सबट्रेजरी व्यवसाय कार्य संचालित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

14.09.2012 को एनपीएस लाइट योजना की शुरुआत होने के बाद आपके बैंक ने 31.03.2013 तक 20,872 आवेदन प्राप्त किए तथा 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना के तहत 23,646 आवेदन प्राप्त किए। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 1,00,000 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

नकदी प्रबंधन एवं करेंसी चेस्ट

1. आपके बैंक ने अपने अंचलों/क्षेत्रों के साथ निरंतर निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए नकद जमा अनुपात (एटीएम की नकदी को छोड़कर) को 0.30 अथवा इससे कम स्तर पर बनाए रखा है।



2. **क्लीन नोट नीति:** भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति का अनुपालन करते हुए आपके बैंक ने प्रथम चरण में अपनी शाखाओं तथा करेसी चेस्ट के लिए वित्तीय वर्ष 14 में 1354 नोट सार्टिंग मशीन की खरीद की तथा शेष शाखाओं के लिए 3682 नोट सार्टिंग मशीन खरीदने का कार्य प्रक्रिया में है।
3. **प्रस्तावित नई करेसी चेस्ट:** भुगतान प्रणाली में सुधार हेतु ग्राहक केंद्रित प्रयासों के तहत आपके बैंक ने उक्त अवधि के दौरान 32 करेसी चेस्ट खोलने के लिए केंद्र चिन्हित किए थे। इस प्रकार करेसी चेस्टों की संख्या 84 से बढ़कर 116 हो गई है। निर्णय के अनुपालन में इनमें से वर्ष 2013-14 के दौरान तीन करेसी चेस्ट धामनोद, औ.क्षे. वाराणसी, रेहांगी में खोली गईं।
4. **कॉयन वेंडिंग मशीन:** वर्ष 2011-14 की करेसी प्रबंधन कार्यनीति के तहत वित्तीय वर्ष 14 के दौरान विभिन्न केंद्रों पर 30 कॉयन वेंडिंग मशीन स्थापित की गईं।

| क्रमांक | अंचल का नाम | स्थापित कॉयन वेंडिंग मशीनों की संख्या |
|---------|--|---------------------------------------|
| 1 | बिहार, उडीसा एवं झारखण्ड अंचल | 03 |
| 2 | पूर्वी अंचल | 02 |
| 3 | बृहमुंबई अंचल | 01 |
| 4 | उत्तर गुजरात अंचल | 04 |
| 5 | दक्षिण गुजरात अंचल | 04 |
| 6 | महाराष्ट्र एवं गोवा अंचल | 02 |
| 7 | मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ अंचल | 01 |
| 8 | उत्तरी अंचल | 02 |
| 9 | राजस्थान अंचल | 02 |
| 10 | कर्नाटक एवं आंधन्प्रदेश अंचल | 02 |
| 11 | तमिलनाडु एवं केरल अंचल | 03 |
| 12 | पूर्वी उत्तर प्रदेश अंचल | 02 |
| 13 | पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड अंचल | 02 |
| | कुल | 30 |

सतर्कता

आपके बैंक में सतर्कता का उद्देश्य है संस्था में आय क्षरण के ऐसे कारकों का पता लगाना जिनसे वित्तीय हानि होती है तथा इस दिशा में सुधारात्मक एवं निवारक उपाय करना जिनसे इस प्रकार के आय क्षरण पर रोक लग सके और इस प्रकार संगठन/संस्था में समुचित न्याय और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार लिए गए सही निर्णयों से निर्दोष कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है और ऐसे दोषी तत्वों को सामने लाया जा सकता है जो बैंक के हितों के प्रति खतरा हैं और जिनसे बैंक को नुकसान हो सकता है।

निवारक सतर्कता के प्रति स्टाफ सदस्यों को जागरूक करने और नियमों और विनियमों की आवहेलना से अथवा अनुपालन न होने से अनैतिक और बेर्डमान व्यक्तियों को धोखाधड़ी करने में मदद करने वाले कारकों को सामने लाने



कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान श्री एस. एस. मूदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक गण एवं अन्य उच्चाधिकारी

के उद्देश्य से जोखिम वाली संवेदनशील शाखाओं को चिन्हित किया जाता है और निवारक सतर्कता लेखा परीक्षा की जाती है। स्टाफ सदस्यों को विजिलेंस न्यूज़ लेटर, परिपत्रों, बैठकों आदि के माध्यम से निवारक सतर्कता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जिनमें सीबीएस में बॉयसेमीट्रीक प्रमाणन, अधिकारियों द्वारा संपत्ति संबंधी विवरणियों को आपके बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करना आदि शामिल हैं।

आपके बैंक ने कुशल जांच पड़ताल तथा जांच संबंधी कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक संपन्न करने हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों का एक समूह तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी मामलों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रक्रिया और प्रणाली में पारदर्शिता की स्थिति में निरंतर सुधार को देखते हुए ग्राहक सेवा तथा आंतरिक निगरानी प्रणाली तथा ऑनलाइन आवेदन, प्रस्तुतीकरण, सेवाएं आदि मामले जिसमें मैन्युअल कार्य करने की गुंजाइश कम से कम हो, मैं प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

सतर्कता मशीनरी निर्णय को अकारण स्थगित करने के स्थान पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने की भूमिका अदा करती है। इस प्रकार यह प्रणाली एवं प्रक्रिया को मजबूत करने का कार्य करती है। इसके साथ-साथ यह बचाव के रास्तों अर्थात् लूप होल्स पर रोक लगाने, नियमों की आवहेलना जैसी स्थितियों से बचाव आदि में मदद करती है। अपेक्षित प्रभाव डालने के लिए यह पूर्ण प्रतिभागिता, स्वप्रेरित तथा निवारक मशीनरी का उपयोग करती है।

कारोबारी निष्पादन

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में आपके बैंक की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है।



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष-14 के वित्तीय परिणामों की घोषणा



संसाधन संग्रहण एवं आस्ति विस्तार

31 मार्च, 2014 को कुल संसाधनों में बैंक की जमाराशियों का अंश 86.26% रहा। कुल जमाराशियां ₹473,883.34 करोड़ से बढ़कर ₹ 568,894.39 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.05% अधिक है। कम लागत वाली जमाराशियों में महत्वपूर्ण घटक बचत बैंक जमाराशियों में 14.39% की वृद्धि हुई तथा ये ₹84,302.61 करोड़ से बढ़कर ₹96,437.44 करोड़ हो गई।



कुल जमाओं (चालू + बचत) अर्थात् कासा जमाओं का अंश 25.75% रहा तथा घरेलू जमाओं में यह अंश 31.76% रहा।

वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान आपके बैंक के कुल अग्रिमों में 20.97% की वृद्धि हुई। घरेलू अग्रिमों में यह वृद्धि 21.34% और विदेशी अग्रिमों में 20.16% रही।

निधियों की संरचना- वैशिक

| विवरण (₹ करोड़ में) | मार्च, 2013 की समाप्ति पर | मार्च, 2014 की समाप्ति पर | वृद्धि % |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| जमाएं | 4,73,883.34 | 5,68,894.39 | 20.05 |
| - घरेलू | 3,41,705.59 | 3,79,054.04 | 11.09 |
| - विदेशी | 1,32,177.74 | 1,89,840.35 | 43.62 |
| उदारियां | 26,579.28 | 36,812.97 | 38.50 |

वैशिक अग्रिम - (शुद्ध)

| विवरण (₹ करोड़ में) | मार्च, 2013 की समाप्ति पर | मार्च, 2014 की समाप्ति पर | वृद्धि % |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| अग्रिम | 3,28,185.77 | 3,97,005.81 | 20.96 |
| - घरेलू | 2,24,294.33 | 2,72,168.96 | 21.34 |
| - विदेशी | 1,03,891.44 | 1,24,836.85 | 20.16 |

जमा संसाधन

आपके बैंक के व्यवसाय मॉडल तथा कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनात्मक ढांचे में परस्पर तारतम्य हेतु वर्ष के दौरान एक नए व्यावसायिक वर्टिकल “जमा संसाधन” को मूर्तरूप प्रदान किया गया। इस नए वर्टिकल के गठन का उद्देश्य कासा जमाओं तथा रिटेल आवधिक जमाओं में निरंतर तथा व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करना है।

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान 79,87,709 नए बचत बैंक खाते तथा 1,20,082 नए चालू खाते खोले।

सोने के सिक्कों की बिक्री

वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान विभिन्न मूल्य वर्गों के लगभग 40,145 सोने के सिक्कों जिनका कुल वजन 362.333 किलोग्राम था, की बिक्री की गई।

“जमा संसाधन” विभाग द्वारा की गई नई पहलें

उत्पाद आशोधन/सुधार

बड़ौदा प्रीमियम चालू खाता (बीपीसीएपी) उत्पाद में सुधार: आपके बैंक ने वर्ष के दौरान स्वीप अवधि को 15 दिन से अधिकतम 91 दिन करते हुए और लचीला बनाया है। ग्राहक अब अपनी निधियों संबंधी जरूरतों को देखते हुए निर्दिष्ट रेंज में से स्वीप अवधि का विकल्प दे सकते हैं। अल्प अवधि जमाओं पर ब्याज दर बैंक में समय-समय पर प्रभावी ब्याज दरों के अनुरूप ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुरूप प्रभावी होगी।

अन्य व्यावसायिक पहलें

निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने का अभियान: विद्यमान ग्राहकों के साथ व्यवसायगत संबंधों को मजबूत बनाने तथा ऐसे खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए आपके बैंक द्वारा एक अभियान चलाया गया।

ऋण डेबिट कार्ड जारी करने का अभियान: आपके बैंक के कासा अभियान के एक भाग के रूप में तथा डेबिट कार्ड का उपयोग बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया ताकि अभियान अवधि के दौरान अधिकतम ग्राहकों को इसके तहत लाया जा सके।

कासा अभियान: कम लागत जमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करने तथा चालू तथा बचत बैंक जमाओं को बढ़ाने के लिए 2 सितंबर, 2013 से 25 सितंबर, 2013 तक कासा अभियान चलाया गया। इस दौरान 15,01,679 नए बचत बैंक खातों में ₹696 करोड़ (रिटेन हुई राशि) की नए बचत बैंक जमाएं संग्रहित की गई। अभियान अवधि के दौरान कुल ₹1402 करोड़ की बचत जमाएं संग्रहित की गई। 25,426 नए चालू जमा खातों में ₹230 करोड़ राशि संग्रहित की गई तथा ₹777 करोड़ की कुल चालू जमा राशियां संग्रहित की गई। अभियान अवधि के दौरान नए खातों में कुल ₹926 करोड़ की कासा जमाएं तथा समग्र रूप में बचत तथा चालू खातों में ₹2179 करोड़ की जमाराशियां संग्रहित की गई।

बचत बैंक जमा अभियान: बचत बैंक जमाओं के संग्रहण में तेजी लाने के लिए 17.02.2014 से 22.03.2014 तक बचत बैंक जमा अभियान चलाया गया। 8,69,945 नए बचत बैंक खातों में ₹1,093.66 करोड़ की राशि संग्रहित की गई। इस प्रकार बचत बैंक जमाओं में कुल ₹1765.31 करोड़ की वृद्धि हुई। नए खोले गए बचत बैंक खातों में औसत शेष ₹12,571/- रहा।

एनआरआई सेवाएं

एनआरआई (अनिवासी भारतीय) जमाएं महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं जिसे आपका बैंक पिछले वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक प्राप्त करता रहा है।

शुरू किए गए नए उत्पाद

विदेशों से एनआरआई धनप्रेषण के अंतर्वाह (इनफ्लो) को बढ़ाने के लिए अगस्त-सितंबर, 2013 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित



किए गए महत्वपूर्ण उपायों के अनुक्रम में दो विशेष रिटेल देयता उत्पादों यथा - “बड़ौदा प्रीमियम एफसीएनआर (बी) जमा” एवं ‘बड़ौदा अल्ट्रा प्रीमियम एफसीएनआर (बी) जमा’ का शुभारंभ क्रमशः 23 सितंबर, 2013 को और 10 अक्टूबर 2013 को किया गया। इन उत्पादों के तहत संगृहीत निधियों ने आपके बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की रियायती डॉलर स्वैच्य पिंडों में भाग लेने में मदद की। 30 नवंबर 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वैच्य पिंडों के बंद होने के साथ विशेष जमा उत्पाद 27 नवंबर 2013 को बंद हो गए थे। आपके बैंक ने क्रमशः यूएसडॉलर 42 मिलियन और यूएसडॉलर 1,694 मिलियन की जमा राशि संगृहीत की और यूएसडॉलर 1.7 बिलियन की राशि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ स्वैच्य किया।

प्रक्रियागत नया आवक धनप्रेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक की रूपया आहरण व्यवस्था के तहत यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईसीएल) के साथ टाई-अप व्यवस्था के अंतर्गत नए आवक धनप्रेषण उत्पाद फ्लैश रेमिट के शुभारंभ के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अब नए धनप्रेषण उत्पाद के लिए यूएई एक्सचेंज एलएलसी, आबू धाबी, यूएई के साथ अनुपूरक करार दस्तावेज तैयार है।

विशेष एनआरआई जमा अभियान

दो नए एफसीएनआर (बी) उत्पादों का शुभारंभ एक साथ होने के कारण सभी शाखाओं में 14 अक्टूबर 2013 और 30 नवंबर 2013 के बीच एनआरआई जमाओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया जो शीर्ष 500 एनआरआई व्यवसाय वाली विशेष शाखाओं पर केंद्रित था। ₹ 1508 करोड़ के मुकाबले इस अवधि के दौरान आपका बैंक ₹ 1600 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज कर सका। इस विशेष अभियान के दौरान ₹ 10512 करोड़ के इनफ्लॉन के साथ लगभग 12,167 नए खाते खोले गए।

केंद्रीयकृत एनआरई/एनआरओ बचत खाते का सभी टैरिटरी में विस्तार

एनआरआई बैंक ऑफिस (एनआरओबीओ), मुंबई में एनआरई/एनआरओ बचत खाते खोलने की केंद्रीयकृत प्रणाली का 4 जुलाई 2013 से खाता खोलने के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए विस्तार किया गया। घरेलू शाखाओं की ओर से आपकी विदेशी शाखाओं, अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त प्रायोजित आवेदनों के साथ वर्ष के दौरान कुल 5538 एनआरई/एनआरओ खाते खोले गए।

अन्य पहलें

- आपके बैंक ने एनआरआई के साथ निरंतर फोलो-अप किया और भारतीय रिज़र्व बैंक अवलोकन के तहत केवायसी अनुपालन के लिए डाटाबेस क्लीनिंग में शाखाओं की मदद की।
- आपके बैंक ने निष्क्रिय खातों की सक्रियता के लिए प्रयास प्रारंभ किए।

होलसेल एवं मिड कार्पोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के लार्ज मिड कार्पोरेट सेगमेंट ने मिलकर देशीय ऋण पोर्टफोलियो में 50% से अधिक का योगदान दिया।

वित्तीय वर्ष, 14 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक चुनौती भरा वर्ष था जैसा कि हमने पूर्व में वित्तीय वर्ष, 14 में आर्थिक परिदृश्य में उल्लेख किया है। वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान बैंक के कार्पोरेट लैंडिंग प्रभाग के सम्मुख पेश आई कुछ विशिष्ट चुनौतियों का उल्लेख नीचे किया गया है।



इन्दौर में आयोजित निर्यात जोखिम प्रबंधन सम्मेलन के दौरान श्री एस. एस. मूदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

- i) कार्पोरेट से ऋण की मांग में निरंतर गिरावट के कई कारण रहे जिनमें प्रमुख हैं-
 - ० दशक के दौरान न्यूनतम सकल देशी उत्पाद (जीडीपी).
 - ० विभिन्न परियोजनाओं में विलंबित नीतिगत /प्रशासनिक निर्णय.
 - ० विभिन्न कारणों से बुनियादी परियोजनाओं के क्लीयरेंस में विशेष देरी।
 - ० अस्पष्ट पर्यावरण नीति।
 - ० उच्च निवेश मूल्य मुद्रा स्फीति तथा ब्याज दरें।
 - ० वित्तीय वर्ष, 14 की प्रथम छमाही में अस्थिर विनिमय दरें।
- ii) ऋण प्रवृत्ति तथा विकृत आस्ति गुणवत्ता में तालमेल।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के चलते आपके बैंक ने ऋणवृद्धि के संदर्भ में नया व्यवसाय प्राप्त करने में सावधानी बरती। इसके बावजूद आपके बैंक के फास्ट ट्रैक डेस्क ने वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान 146 नए व्यवसाय संबंध स्थापित किए। बैंक के लार्ज तथा मिड कार्पोरेट सेगमेंट ने वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान ₹96,000 करोड़ की नई स्वीकृतियां / ऋण सुविधाओं में वृद्धि प्रदान की।

कार्पोरेट वित्तीय सेवाओं के माध्यम से “कार्पोरेट क्रेडिट में वृद्धि” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शाखा तथा मिड कार्पोरेट शाखा मॉडल सफल रहे हैं। इन शाखाओं ने मिलकर ₹1,00,000 करोड़ की आस्तियां सृजित करने में योगदान दिया जो कि बैंक के कुल बकाया देशीय क्रेडिट का 36% है।

ऋण स्वीकृतियां प्रदान करते समय आपके बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन मानक, अनुपालन तथा गवर्नेंस आदि में निर्धारित बैंचमार्क सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरती। आपके बैंक के गैर खाद्य सकल अग्रिमों में 21.88% की वृद्धि दर्ज की गई तथा ये 31.03.2013 के स्तर ₹ 2,24,035.82 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹ 2,73,060.13 करोड़ हो गए। आपके बैंक के अग्रिमों में वृद्धि उद्योग की औसत से अधिक रही।

नवोन्मेषी कार्य तथा नई पहलें किसी भी उद्योग की श्रेष्ठता के प्रमाण होते हैं। आपके बैंक के लार्ज कार्पोरेट तथा मिड कार्पोरेट विभागों ने वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान निम्नलिखित नवोन्मेषी प्रयास किए हैं-



- कार्पोरेट्स के लिए कार्यशील पूँजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु “टॉप अॅप सुविधा” की शुरुआत की गई.
- विद्यमान उत्पादों की विशेषताओं की समीक्षा की गई तथा इन्हें और प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश की गई। इन उत्पादों में कार्पोरेट ऋण, बिडबांड गारंटी, भविष्य में प्राप्त होने वाले किराए की एवज में ऋण आदि शामिल हैं।
- ब्याज दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया ताकि इसे उद्योग का सर्वोत्तम बनाया जा सके।
- एक नीतिगत व्यावसायिक निर्णय के रूप में आपके बैंक के परियोजना वित्त विभाग का बड़ौदा कैपिटल मार्केट लि. में विलय कर दिया गया। बड़ौदा कैपिटल मार्केट लिमिटेड अब परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा, बैंक ऋणों के समूहन के माध्यम से कार्पोरेट स्तर के लिए निधियों की व्यवस्था करेगा। बड़ौदा कैपिटल मार्केट लि. के पास व्यावसायिकों की समर्पित टीम है। जिसमें इंजिनियर, वित्त प्रोफेशनल तथा अनुभवी एवं प्रशिक्षित ऋण अधिकारी शामिल हैं। एक अन्य उद्देश्य परियोजना की टीइवी स्टडी करने के लिए मार्केट में परियोजना मूल्यांकन सेवाओं का विस्तार करते हुए शुल्क आय में वृद्धि करना भी था।
- ऋण वितरण के टर्न अराउंड समय में उल्लेखनीय कमी हुई।

आपके बैंक की मानव पूँजी उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान सीए/आईसीडल्यूए/एमबीए जैसे पेशेवरों की भर्ती कर बैंक की मानव पूँजी में वृद्धि कर इसे और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि आपके बैंक ने प्राथमिकता के आधार पर क्रेडिट तथा विदेशी विनियम में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

रिटेल क्रेडिट

पूर्व की भान्ति वित्तीय वर्ष, 14 में भी रिटेल बैंकिंग सेवाएं बैंक के समग्र व्यवसाय में महत्वपूर्ण व्यवसाय घटक /संविभाग बना रहा। यह संविभाग वैयक्तिक एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (व्यापारियों) की वित्तीय जरूरतों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो सहज एवं किफायती लागत पर बैंकिंग सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं।

वर्ष के दौरान रिटेल बैंकिंग संविभाग के कार्यनिष्ठादन का विवरण नीचे दिया गया है।



सूरत में आयोजित सम्पत्ति एवं कार एक्सपो के उद्घाटन के दौरान श्री एस. एस. मूदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

रिटेल लैंडिंग के अंतर्गत वृद्धि

आपके बैंक की बुक में पांच प्रमुख उत्पाद यथा आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, ट्रेडर्स ऋण तथा मार्गेज ऋण शामिल हैं। जिनकी मार्च, 2014 के अंत में कुल रिटेल ऋणों में 79.31% हिस्सेदारी थी। अन्य उत्पादों, लाबोड /ओडीबीओडी की कुल रिटेल ऋणों में हिस्सेदारी 17.91% रही।

कुल रिटेल ऋण 31 मार्च, 2013 को ₹38,046 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2014 को ₹46,019 करोड़ रहे। वित्तीय वर्ष, 2014 के दौरान इनमें कुल ₹7973 करोड़ (21.0%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह वृद्धि ₹2379 करोड़ (6.7%) थी।



करायकुट्टी, केरल में आयोजित शिक्षा ऋण मेले के दौरान केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम के साथ श्री वी. श्रीधरन, महाप्रबंधक

पांच प्रमुख रिटेल उत्पादों के अंतर्गत वृद्धि

पांच प्रमुख उत्पादों जिनकी कुल ऋणों में हिस्सेदारी 79.3% है, में वित्त वर्ष, 14 के दौरान कुल ₹5899 करोड़ (19.3%) की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष, 13 के दौरान यह वृद्धि ₹4412 करोड़ (16.9%) थी।

आवास ऋण: वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान कुल वृद्धि ₹3513 करोड़ (21.9%) दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष, 13 के दौरान यह वृद्धि ₹1911 करोड़ (13.5%) थी।

ऑटो ऋण: वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान कुल ₹698 करोड़ (23.7%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष, 13 के दौरान कुल वृद्धि ₹512 करोड़ (21.1%) थी।

बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण: वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान कुल ₹1215 करोड़ (16.9%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष, 13 के दौरान कुल वृद्धि ₹1620 करोड़ (29.1%) थी।

बड़ौदा मार्गेज ऋण: वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान कुल ₹367 करोड़ (14.9%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष, 13 के दौरान यह वृद्धि ₹284 करोड़ (13.0%) थी।

शिक्षा ऋण: वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान कुल ₹106 करोड़ (5.4%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष, 13 के दौरान यह वृद्धि ₹86 करोड़ (4.6%) थी।

रिटेल ऋणों में एनपीए

आपके बैंक के रिटेल ऋणों में 31 मार्च, 2014 को गैर निष्पादक आस्तियों



(एनपीए) का अंश ₹901 करोड़ (1.96%) था अर्थात् यह पूर्व स्तर पर ही था लेकिन 31 दिसंबर, 2013 को यह 2.11% के उच्च स्तर पर था। 31 मार्च, 2013 के रिटेल ऋणों में एनपीए का अंश ₹669.08 करोड़ था जो कि कुल रिटेल ऋणों का 1.76% था।

वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान रिटेल बैंकिंग में नवोन्मेषी उपायः

1. नए उत्पादों की शुरुआत

आपके युवा अधिकारियों तथा लिपिकीय स्टाफ को चौपहिया तथा दुपहिया वाहन खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए 10 अप्रैल, 2013 को बैंक ने एक नए रिटेल आस्ति उत्पाद “युवा अधिकारियों तथा लिपिकीय स्टाफ के लिए वाहन योजना” की शुरुआत की जिसमें अधिकतम ऋण सीमा क्रमशः ₹3.50 लाख / ₹0.75/0.60 लाख है। इसके अलावा विद्यमान बड़ौदा ट्रेडर्स ऋणों के ऋणियों के लिए 30 अप्रैल, 2013 को एक नए उत्पाद ‘बड़ौदा ट्रेडर्स गोल्ड कार्ड स्क्रीम’ की शुरुआत की गई। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर, 2013 को एक नए उत्पाद “बड़ौदा प्रीमियम व्यक्तिगत ऋण” की शुरुआत की गई जिसमें अधिकतम ऋण सीमा ₹10 लाख है। एक नई कार योजना एनआरआई/पीआईओ के लिए बड़ौदा कार ऋण की शुरुआत 4 दिसंबर, 2013 को की गई। 9 अक्टूबर, 2013 को स्पेशल एज्यूकेशन लोन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एशिया पेसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी नए उत्पाद का शुभारंभ किया गया। वर्ष के दौरान प्रारंभ नए उत्पादों की श्रृंखला में एक नए उत्पाद “स्पेशल ट्रेडर्स लोन स्कीम फॉर आयरन एण्ड स्टील ट्रेडर्स इन एनसीआर” की भी शुरुआत की गई।

2. उत्पाद सुधार

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने “बड़ौदा एडीशनल एश्योरेड एडवांस (एण्ण)“ में सुधार करते हुए एक टॉप अप होम लोन उत्पाद तैयार किया जिसमें अधिकतम सीमा ₹0.25 करोड़ से बढ़ाकर ₹2.00 करोड़ की गई। योजना में अधिकाधिक ऋणियों को शामिल करने के उद्देश्य से योजना में अनेक नई सुविधाएं समाहित की गई हैं। बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण की अधिकतम ऋण सीमा को अर्थशाहरी तथा ग्रामीण शाखाओं के लिए ₹ 2 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ तथा मेट्रो तथा शहरी शाखाओं के लिए इसे बढ़ाकर ₹ 4 करोड़ कर दिया गया है। बड़ौदा मार्गेज ऋण में ऋण की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹ 3 करोड़ कर दी गई है।

ब्याजदरों को तर्कसंगत बनाया गया तथा इन्हें बड़ौदा आवास ऋण, भविष्य में किराया प्राप्ति की एवज में ऋण, बड़ौदा मार्गेज ऋण, बड़ौदा शिक्षा ऋण तथा बैंक की स्वयं की सावधि जमा रसीदों की एवज में ऋण /ओवरड्राफ्ट सुविधा आदि के संदर्भ में वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान और आकर्षक बनाया गया।

3. अन्य व्यवसायगत पहलें

- आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से विभिन्न रिटेल उत्पादों जिनमें आवास ऋण, ट्रेडर्स ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण तथा मार्गेज ऋण आदि शामिल हैं की विशिष्टताओं की जानकारी उपलब्ध कराई है। आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिटेल लोन गाइड रेडी रेक्नर नामक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया है।
- रिटेल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समय-समय पर ऋण अभियान चलाया गए। इन अभियानों में जिन उत्पादों को शामिल किया गया वे हैं, एडिशनल एश्योरेड लोन (एए), भविष्य में किराया प्राप्ति

की एवज में ऋण एवं बड़ौदा ट्रेडर्स लोन, शिक्षा ऋण, मार्गेज ऋण, ऑटो ऋण, बड़ौदा आवास ऋण, आदि शामिल हैं। इन अभियानों से बैंक के समग्र रिटेल संवितरण को बढ़ाने में मदद मिली है।

- आपके बैंक ने मारुति सुजुकी लि. तथा अन्य यथा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स तथा होंडा कास्ट इंडिया लि. के साथ परस्पर तालमेल (टाइअप) को और सुदृढ़ किया है।
- आपके बैंक ने भरुच, जूनागढ़, विशाखापट्टनम, मेरठ तथा मुरादाबाद में 5 नई रिटेल लोन फैक्ट्रियां (आरएलएफ) खोली हैं। इस प्रकार अब इनकी कुल संख्या बढ़कर 45 हो गई है।
- आपके बैंक के क्षेत्रों ने प्रॉपर्टी एण्ड कार एक्सपोजिशन के आयोजन में सक्रियतापूर्वक भाग लिया। इन क्षेत्रों ने स्थानीय व्यापार मेलों (ट्रेड फेयर) में भी व्यावसायिक सहयोगी के रूप में सहभागिता की।
- रिटेल लोन ऋणियों के एसएमएस संदेश / अनुस्मारक भेजने की पहल से इन खातों में वसूली स्थिति को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

धनसंपदा प्रबंधन सेवाएं

अपने ग्राहकों की निवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आपका बैंक निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ पिछले दस वर्षों से धनसंपदा प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। इसके लिए आपके बैंक ने जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा, मेडिक्लेम, म्यूच्युअल फंड, ऑनलाइन ट्रेडिंग आदि उत्पाद / सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ टाइअप व्यवस्था की है। बैंक की दो संयुक्त उपक्रम कंपनियां जिनमें से एक जीवन बीमा तथा इसी म्यूच्युअल व्यवसाय से संबद्ध हैं, पिछले कई वर्षों से संतुलित वृद्धि प्रदर्शित कर रही हैं। इन कंपनियों के उत्पादों के संवितरण के अलावा टाइअप सहयोगियों के उत्पाद भी बैंक की देशभर में फैली शाखाओं के माध्यम से संवितरित किए जा रहे हैं।

ग्राहकों को और बेहतर एवं गुणवत्ताप्रक धनसंपदा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बीमा प्रीमियम एटीएम के माध्यम से तथा बड़ौदा पायानियर म्यूच्युअल फंड को फंड कलेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से संग्रहित करने की सुविधा प्रदान की है। आपके बैंक के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने इंडिया फर्स्ट हेल्प कार्ड का अनावरण किया। इस कार्ड की शुरुआत कार्डधारकों को इप्पेनल किए गए अस्पतालों में प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों के माध्यम से नकदी रहित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान आपके बैंक ने चालू खाता संविभाग को बेहतर बनाने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रयास से वास्तव में बेहतर परिणाम सामने आए और आपका बैंक एक वर्ष की अवधि में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों की संख्या को दुगुना करने में सफल रहा।

आपका बैंक इंडिया इंफोलाइन लि. के साथ ई-ट्रेडिंग टाइअप के अलावा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बॉब कैपिटल लि. के माध्यम से अपने ग्राहकों को, ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा (ओएलटी)-बॉबइट्रेड भी प्रदान कर रहा है। बैंक शीघ्र ही कुछ प्रमुख विशेषताओं वाला संशोधित ट्रेडिंग प्लेटफार्म



शुरू करने जा रहा है जो आपके बैंक के खुदरा ग्राहकों को आकर्षित करने एवं बनाए रखने में मददगार साबित होगा।

सेबी द्वारा “सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक” (एससीएसबी) के रूप में आपके बैंक के सभी श्रेणी के निवेशक ग्राहकों को आईपीओ/एफपीओ/अधिकार निर्गम एवं म्यूच्युअल फंड के एनएफओ में आवेदन करने हेतु आपके बैंक ने अस्बा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एकाउंट) के रूप में अतिरिक्त प्रकार की आवेदन सुविधा उपलब्ध करवाई है। आपके बैंक ने सिंडिकेट एसबीए आवेदनों को स्वीकार करने हेतु 655 केंद्र चुने हैं।

आपका बैंक ग्राहकों की संतुष्टि हेतु उन्हें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा समर्पित रहा है और आने वाले वर्षों में इस दिशा में और आगे बढ़ेगा।

एमएसएमई कारोबार

भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की निर्णायक भूमिका होती है। अभी हाल ही में भारत में एमएसएमई वित्तपोषण पर आईएफसी द्वारा कराया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि विभिन्न उद्योगों की 29.8 मिलियन उद्यम इकाईयां हैं जिनमें 69 मिलियन लोग रोजगार में लगे हैं। इस क्षेत्र से ही भारतीय उद्योग का 45% उत्पादन एवं 40% निर्यात प्राप्त होता है। यद्यपि 94% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम फर्म्स पंजीकृत नहीं हैं। भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का वार्षिक योगदान 11.5 वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहा है जो राष्ट्र की औसत जीडीपी दर से काफी अधिक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए एवं इस व्यवसाय को बढ़ाने की दृष्टि से आपके बैंक ने जून, 2013 में एमएसएमई ऋणकर्ताओं की ब्याज दरों को जून, 2013 में तर्कसंगत बनाता है। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष, 2014 में इस क्षेत्र से संबंधित सभी सांविधिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा आपके बैंक के पास 52 एसएमई लोन फैक्ट्रियों का सुव्यवस्थित संगठन है। जिसके अंतर्गत समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में ₹19,999 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए।



आणंद क्षेत्र में “सीएमडी के साथ एसएमई लोन फैक्ट्रियों के प्रमुखों की बैठक” के दौरान श्री एस. एस. मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

विनियामक श्रेणी के तहत एमएसएमई इकाईयों के अलावा आपका बैंक उन इकाईयों को भी वित्त पोषित करता है जो निर्माण /सेवा क्षेत्र में लगी हुई हैं जिन्होंने क्रमशः प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरणों में निवेश किया है और जिनका टर्नओवर ₹150 करोड़ का है। विनियामक एमएसएमई उद्यमों के अनुरूप ही इस विस्तृत क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए ऐसा आन्तरिक रूप से किया गया है।

तथापि, नियामकों को रिपोर्ट करने हेतु आपके बैंक के कार्यनिष्ठादन में नियंत्रक ऋणों अर्थात् ऐसी इकाइयाँ/ ऋणकर्ता जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम की परिभाषा का कडाई से पालन करते हैं, को ही हिसाब में लिया जाता है।

यह नोट किया जाए कि, वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान एमएसएमई कारोबार की नियंत्रक श्रेणी में आपके बैंक का कार्यनिष्ठादन अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद अत्यंत उत्साहजनक रहा।



लखनऊ में आयोजित अल्ट्रा एंड स्माल एन्टरप्राइज लोन मेले के दौरान श्री एस. एस. मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

एमएसएमई व्यवसाय में वृद्धि

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि में एमएसएमई क्षेत्र में कुल बकाया राशि ₹57,426 करोड़ रही। इन तीन वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में ऋणों में हुई वृद्धि निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:-

| वर्ष | वृद्धि (% वर्ष-दर-वर्ष) |
|---------|-------------------------|
| 2011-12 | 26.11% |
| 2012-13 | 30.31% |
| 2013-14 | 21.21% |

वित्तीय वर्ष, 2014 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- मार्च, 2014 की समाप्ति पर एमएसएमई अग्रिम 56,634 करोड़ ₹ था जो पिछले वर्ष के एमएसएमई अग्रिम की तुलना में ₹9,912 करोड़ (21.21%) वृद्धि दर्शाता है।
- एमएसएमई सेक्टर में ₹40,873 करोड़ के कुल ऋणों में ₹27,756 करोड़ का अग्रिम सूक्ष्म उद्यमों को दिया गया (पिछले वर्ष अनुसार) जो वित्तीय वर्ष, 14 में 67.90% रहा। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया गया।
- 31 मार्च, 2014 को आपके सकल घरेलू ऋण में एमएसएमई अग्रिमों का योगदान 20.16% रहा।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम भारत सरकार द्वारा मार्च, 2014 की समाप्ति तक दिए गए लक्ष्य ₹45,900 करोड़ की तुलना में ₹50,300 करोड़ तक पहुंच गया।
- अपने एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने हेतु आपके बैंक ने वित्तीय





वर्ष, 14 के दौरान “एमएसएमई केपेक्स लोन एवं केपेक्स कार्ड” नामक नया उत्पाद आरंभ किया।

वर्ष, 2014 के दौरान एमएसएमई वित्तपोषण संबंधी पहलें

- आपके बैंक ने निवेश व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई ऋणकर्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर में स्पेड को कम किया।
- आपके बैंक ने ₹2 लाख से ₹ 2 करोड़ तक के अल्प मूल्य के ऋणों हेतु स्कोरिंग टाइप क्रेडिट रेटिंग मॉडल को अनुमोदित किया।
- आपके बैंक ने जून एवं अक्टूबर, 2013 माह में एमएसएमई व्यवसाय से संबंधित मामलों पर चर्चा करने हेतु एसएमई लोन फैक्ट्रियों के प्रमुखों का एसएमई सम्मेलन आयोजित किया।
- आपके बैंक ने 1 नवंबर, 2013 से 28 फरवरी, 2014 तक एमएसएमई उत्सव मनाया।
- आपके बैंक ने नाशिक, इंदौर, राजकोट एवं कोयम्बतूर में एमएसएमई गोलमेज कांफेस आयोजित की।
- आपके बैंक ने सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत आक्रामक ढंग से संपार्शिक मुक्त ऋण पर ध्यान केंद्रित किया।
- आपके बैंक ने अपनी ब्रांड इमेज बनाने हेतु विभिन्न प्रदर्शनियों, परिसंवादों आदि में सहभागिता की।

इसके अलावा, आपके बैंक ने एमएसएमई ऋणकर्ताओं हेतु एमएसएमई केपेक्स ऋण एवं केपेक्स कार्ड की शुरूआत की। इसके माध्यम से कानपुर क्षेत्र में होजियरी उद्योग एवं कानपुर एवं आगरा क्षेत्र में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों को वित्तपोषित किया गया। प.बंगल एवं सिक्किम में चाय प्रोसेसिंग इकाईयों को भी इससे वित्तपोषित किया गया। इसके द्वारा देशभर में रिरोलिंग मिल्स, मशीन टूल्स एवं टेक्सटाइल प्रिंटिंग गतिविधियों हेतु भी वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से औजार एवं खेलकूद सामग्री की इकाईयों के उत्पादन हेतु वित्तपोषण किया गया। हल्द्वानी एवं देहरादून क्षेत्र में होटल /मोटेल /रिसॉर्ट को भी वित्तपोषण किया गया इसने सम्पूर्ण भारत में कृषि आधारित इकाईयों को वित्त पोषित किया। इसके द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट ॲपरेटरों को विभिन्न वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादकों द्वारा उत्पादित वाणिज्यिक वाहनों की खरीद हेतु वित्तपोषित करने के लिए महिन्द्रा ट्रक्स एवं बसेस प्रा.लि. के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इसने ऊर्जा कार्यक्रम परियोजनाओं सहित एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं गुणवत्ता समर्थन प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त एमएसएमई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आपके बैंक की एमएसएमई खंड के अंतर्गत क्षेत्र विशेष के अनुरूप कुछ निश्चित योजनाएं हैं जहां एक ही प्रकार की इकाईयों या एक ही तरह ही गतिविधियों हेतु व्यवसाय की अच्छी संभावनाएं हैं। इन योजनाओं से आपके बैंक को संतोषजनक प्राप्तियां भी हुईं। अग्रणी जिला शाखाओं के साथ क्लस्टर विकास का कार्य भी प्रारंभ किया गया ताकि आगामी वर्षों में वे बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकें। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष, 14 में भारत सरकार द्वारा निश्चित कार्यक्रम - विशेषतः वीवर्स क्रेडिट कार्ड (डब्ल्यूसीसी) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्र विशेष योजनाओं में संशोधन किया है:

- ❖ राजस्थान में मार्बल इकाईयों का वित्तपोषण .
- ❖ अखिल भारतीय आधार पर वस्त्र इकाईयों का वित्तपोषण.
- ❖ जामनगर, जूनागढ़ एवं कच्छ क्षेत्र में ब्रास उत्पादन इकाईयों का वित्तपोषण.
- ❖ अशक्त व्यक्तियों को संपार्शिक प्रतिभूति मुक्त वित्तपोषण/शिक्षा ऋण-राष्ट्रीय विकलांग वित्तपोषण एवं विकास निगम द्वारा प्रवर्तित.
- ❖ पियाजिओ व्हिकल्स प्रा. लि. द्वारा निर्मित तीन पहिया वाहनों का वित्तपोषण.

ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग

आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि ऋणों में हमेशा अग्रणी रहा है। यह अपनी 1781 ग्रामीण शाखाओं एवं 1267 अर्द्धशहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की संभावनाओं का लाभ उठा रहा है। वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान आपके बैंक ने ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 453 नई शाखाएं खोलीं।

आपके बैंक को उत्तरप्रदेश और राजस्थान राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक होने का गौरव प्राप्त है। आपके बैंक के पास गुजरात (14), राजस्थान (12), उत्तर प्रदेश (15), उत्तराखण्ड (2), मध्य प्रदेश (2), बिहार (2) एवं दिल्ली (1) राज्यों में 48 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व है।

आपके बैंक ने तीन राज्यों में 1,659 शाखाओं के नेटवर्क और मार्च, 2014 के अंत तक ₹ 33,169.55 करोड़ के कुल व्यवसाय के साथ तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रायोजित किए हैं।

वित्तीय वर्ष, 2014 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में कार्यनिष्ठादान

आपके बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम मार्च, 2013 के अंत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 80,003 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2014 में 90,488 करोड़ हो गए जो समायोजित बैंक ऋण (एनबीसी) का 40.02% है जब कि अनिवार्य लक्ष्य 40% का है। वर्ष के दौरान आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में कुल ₹ 1,609.39 करोड़ (7.85%) की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान यह बढ़कर ₹ 22,117.51 करोड़ हो गई। आपके बैंक के कुल कृषि अग्रिमों में ₹ 768.76 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ये मार्च, 14 के अंत में ₹ 28,431.92 करोड़ तक हो गए। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए और दि. 20 जुलाई, 2012 से प्रभावी संशोधित दिशानिर्देशों के कारण हुआ। आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का मार्च 2014 के अंत में अंश समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 9.78% रहा जबकि अनिवार्य लक्ष्य 13.50% था समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 12.57 % रहे जबकि अनिवार्य लक्ष्य 18% का है (भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15.05.2014 के दिशानिर्देशों के प्रभाव स्वरूप कुल प्राथमिकता क्षेत्र एवं कुल कृषि अग्रिम बढ़कर क्रमशः 41.22% एवं 13.93% हो जाएंगे)।

अपने प्रमुख कृषि उत्पाद ‘बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड’ के अंतर्गत आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष, 2014 में 2,47,796 क्रेडिट कार्ड जारी कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। आपके बैंक ने किसान समुदाय की सुविधा हेतु 3,30,257 बड़ौदा किसान रूपे कार्ड, एटीएम समर्थित स्मार्ट कार्ड जारी किए। वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान आपके बैंक ने लगभग 2,95,743 नए



कृषकों को ₹ 4,505.55 करोड़ के ऋण प्रदान किए।

अपने सूक्ष्म वित्तपोषण के नवोन्मेषी उपायों के एक भाग के रूप में आपके बैंक ने ऋण सहबद्ध 11,908 स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान ₹ 198.03 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की जिसके फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह ऋण सहबद्धता की कुल संख्या 1,83,566 तथा बकाया ऋण राशि ₹ 1,670.57 करोड़ हो गई।



हिम्मत नगर, गुजरात में नेशनल पायलट एग्री लोन फैक्ट्री के शुभारंभ के अवसर पर श्री एस. एस. मूदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

व्यवसाय एवं सामाजिक पहलें

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान ग्रामीण और कृषि ऋणों हेतु उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के प्रयोजन से अनेक नवोन्मेषी पहलों की शुरुआत की। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

- कृषि अग्रिमों को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने विशेष अभियान अर्थात् फसली ऋणों के लिए खरीफ एवं रबी अभियान चलाए जिनमें क्रमशः ₹ 5,585.67 करोड़ एवं ₹ 2,850.40 करोड़ संवितरित किए गए। निवेश ऋणों के लिए भी एक और अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत ₹ 897.84 करोड़ का संवितरण किया गया।
- आपके बैंक ने कृषि ऋणों को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में 466 थ्रस्ट शाखाओं का चयन किया है। इन शाखाओं ने मार्च, 2014 के अंत तक बैंक के कुल कृषि अग्रिम में 35.95 % योगदान दिया।
- आपके बैंक ने क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं जो कि स्थानीय कृषक समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ति करेगी। इसमें ब्याज दर, प्रभार आदि में रिआयत आदि विविध सुविधाएं शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 12 ऐसी योजनाएं अनुमोदित कर कार्यान्वित की गईं।
- आपके बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा एवं बैंक के कृषि अग्रिमों की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु कृषि ऋण फैक्ट्रियों की शुरुआत की। ऐसी तीन पायलट फैक्ट्रियों ने गुजरात में मेहसाणा, 3.प्र. में बरेली एवं बिहार में मुजफ्फरपुर में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।
- वर्तमान में आपके बैंक के 47 बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएसवीएस), बड़ौदा आर-सेटी है जो पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 14 में 33,974 युवा हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 22,297 ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित किया। इन केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित 1,92,247 लाभार्थियों में से अभी तक

1,20,979 ने अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं।

- आपके बैंक ने पूरे देश में 46 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए हैं जिन्हें 'सारथी' नाम दिया गया है। ये केंद्र जरुरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकें और साथ ही वित्तीय संकट में जूझते लोगों को परामर्श सुविधाएं प्रदान कर सकें। आपके बैंक ने इन केंद्रों को बीएसवीएस ट्रस्ट के संरक्षण में खोला है और इन केंद्रों द्वारा संबंधित लोगों को निःशुल्क परामर्श सेवाएं दी जा रही है।
- आपके बैंक ने 3.प्र. में रायबरेली एवं सुल्तानपुर में सूक्ष्म ऋण फैक्ट्री भी खोली है। इस सूक्ष्म वित्तपोषण ऋण फैक्ट्री के मोबाइल वाहन में आवश्यक सुविधाएं एवं स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी होते हैं। इसका प्रबंधन करने वाले अधिकारी को स्वयं सहायता समूह को ₹25,000/- तक यथास्थल पर तथा उनके द्वार पर जाकर मंजूर एवं संवितरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

वर्तमान में आपके बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं-

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय: रायबरेली.
- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय: अजमेर.
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय: भरुच.

इन तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय मार्च, 2013 के अंत के 29,284.23 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2014 के अंत में 33,169.55 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें 13.27 % की वृद्धि दर्ज हुई।

इन तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष, 14 के दौरान ₹ 289.40 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जब कि वर्ष, 2013 के दौरान शुद्ध लाभ 97.06 करोड़ ₹ था।

इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र शुद्ध मालियत मार्च, 2013 के अंत के 1,234.42 करोड़ ₹ से सुधर कर मार्च, 2014 के अंत में 1,523.82 करोड़ ₹ हो गई और "आरक्षित निधियां तथा अधिशेष" मार्च, 2013 के अंत के 777.52 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2014 के अंत में 1,066.92 करोड़ रुपए हो गया।

वित्तीय वर्ष, 14 के दौरान अ.जा/अ.ज.जा को अग्रिम

आपके बैंक द्वारा अ.जा/अ.ज.जा समुदाय को दिया जाने वाला बकाया अग्रिम साल-दर-साल तेजी से बढ़ रहा है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि इन हितग्राहियों को मार्च, 2013 के अंत तक दिया गया 4712.66 करोड़ ₹ अग्रिम मार्च, 2014 के अंत तक 6,160.30 करोड़ ₹ हो गया। वास्तव में समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने कुल अग्रिमों के अंश का 29.90 % कमजूर तबके को प्रदान किया। इसके अलावा आपके बैंक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेरसआरवाय), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आदि के अंतर्गत अ.जा/अ.ज.जा को वित्तपोषित करने के लिए एक विशेष द्रुस्त भी बनाया है।



बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान भी प्रशिक्षणार्थीयों के चयन में अ.जा/अ.ज.जा समुदाय को वरीयता प्रदान करता है। हम सहर्ष अवगत कराते हैं कि अभी तक ये केंद्र 72,365 युवाओं को अ.जा/अ.ज.जा श्रेणी में प्रशिक्षित कर चुके हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के प्रतिबद्ध प्रयास

वित्तीय समावेशन अत्य आय तक वंचित वर्ग के व्यापक जन समुदाय को वहन करने योग्य लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वित्तीय समावेशन योजना का उद्देश्य समाज के वर्गों तक वित्तीय सेवाओं को वहन करने योग्य लागत पर सहज पहुंच बनाना है, जो कि अब तक इनसे वंचित थे ताकि उन्हें वित्तीय क्षेत्र की मुख्य धारा में लाया जा सके। वित्तीय समावेशन कार्यान्वयन आपके बैंक के लिए कोई नई धारणा नहीं है। आपके बैंक द्वारा अपनी स्थापना से ही वित्तीय समावेशन संबंधी गतिविधियां सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, निर्धनतम व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवा कर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वित्तपोषण आदि के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष, 2005 में वित्तीय समावेशन की धारणा को मूर्त रूप प्रदान किया गया जब उनके द्वारा व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) चैनल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष, 2010 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।



वित्तीय समावेशन के तहत वाराणसी में कियोस्क केन्द्र के शुभारंभ के अवसर पर श्री के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर भा.रि.बै., श्री एस. मूदडा, सीएमडी और श्री किशोर पी. खरात, महाप्रबंधक

भारत सरकार की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप आपके बैंक ने वर्ष 2010-11 से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि की वित्तीय समावेशन योजना (एफआयपी) लागू करने के लिए अनुमोदित कर दी है। योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेषी प्रयासों/तरीकों का उपयोग करने 20000 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके बैंक को सूचित किया कि मार्च, 2012 तक ऐसे सभी गांवों को शामिल करे जिनकी आबादी 2000 से अधिक है। तदनुसार, आपके बैंक को 2855 गांव आबंटित किए गए जिन्हें निर्धारित समयावधि में इसमें शामिल कर लिया गया है।

उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया कि वे तीन वर्षों अर्थात् 2013-14 से 2015-16 तक बैंक विशेष के सेवा क्षेत्र के अंदर

सभी गांवों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराएं। तदनुसार आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 3 वर्षों अर्थात् मार्च, 2016 तक कवर किए जाने वाले सभी 21,526 सेवा क्षेत्र गांवों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के वित्तीय समावेशन प्लान (एफआईपी) अनुमोदित किए। निदेशक के अनुमोदित एफआईपी के अनुसार सेवा क्षेत्र गांवों को कवर करने के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए लक्ष्य क्रमशः 11124, 16324 तथा 21526 था। आपके बैंक ने पर्याप्त समय से ही कवर किए जाने वाले गांवों के वार्षिक लक्ष्य को हासिल कर लिया। मार्च, 2014 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एफआईपी के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सभी पैरामीटर्स को प्राप्त कर लिया।

वित्तीय समावेशन के लिए आपके बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने जो विभिन्न मॉडल अपनाए हैं, वे इस प्रकार हैं :

- आईसीटी (सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी) आधारित बीसी मॉडल.
- पी ओ एस (पाइंट ऑफ सेल/सर्विस)
- कियोस्क
- मोबाइल वैन
- ब्रिक एवं मोर्टर शाखाएं

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल: पीओएस आधारित बीसी मॉडल

वित्तीय समावेशन के लिए यह सॉल्यूसन स्मार्ट कार्ड आधारित प्रौद्योगिकी के साथ एप्लीकेशन सेवा प्रदाता (एएसपी) मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल के अंतर्गत व्यवसाय प्रतिनिधि, सेवा प्रदाता के माध्यम से बैंकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनको प्लाइंट ऑफ सर्विस (पीओएस) डिवाइस प्रदान किया जाता है। जिसका प्रयोग करके वे स्मार्ट कार्ड धारकों के घर पर लेन-देन करते हैं। ग्राहक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए अपने स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करके अपने खातों का संचालन कर सकता है। इस पद्धति में बीसी द्वारा किए गए सभी लेनदेन बैंक के सीबीएस में तत्काल आधार पर ऑनलाइन निबटाये जाते हैं। फ़िल्ड में लगाई गई पीओएस डिवाइस, स्मार्ट कार्ड एकाउंट नंबर (कार्ड रहित) तथा आधार नंबर (एईपीएस लेन-देन) के आधार पर सभी संव्यवहार करने में सक्षम है। व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) उसको आबंटित गांव में निर्धारित दिवस तथा समय पर जाते हैं और वहां के निवासियों को घर-द्वार पर सेवा प्रदान करते हैं।

कियोस्क बीसी मॉडल

यह वेब आधारित एप्लीकेशन है तथा इसे प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंटरनेट कनेक्टीविटी के जरिए एकसैस किया जा सकता है। द सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि., एफ आई ए टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रा. लि. तथा जीओसंसर बैंक को आबंटित गांवों में साथ-साथ वित्तीय समावेशन को कार्यान्वयित करने के लिए बीसी नियुक्त किए गए हैं। यह कार्ड रहित समाधान है। खाताधारक, खाता संख्या या आधार संख्या के आधार पर खाता संचालित कर सकता है। कियोस्क, कियोस्क ऑपरेटर के कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप से वेब आधारित कनेक्टीविटी के माध्यम से आपके बैंक के सीबीएस के साथ जुड़ा हुआ है। लेन-देन ऑनलाइन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से तत्काल आधार पर प्रोसेस होता है। 31 मार्च, 2014 तक आपके बैंक ने 7525 गांव, 2780



कियोस्क केंद्रों के जरिए कवर कर लिए हैं, तथा देशभर में 1034 शहरी कियोस्क केंद्र भी स्थापित किए हैं।

मोबाइल वैन

आवश्यकतानुसार वैन को बैंकिंग कार्यकलाप के प्रयोजन हेतु खास रूप में तैयार किया गया है। वैन का बाहरी हिस्सा बैंक के विज्ञापनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाओं तथा उत्पादों से कवर किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आपके बैंक के लिए यह एक विज्ञापन मीडिया भी है। वैन में सीबीएस को एकसैस करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कनेक्टीविटी गांव में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बैंक स्टाफ भी वैन में रहता है। वैन पूर्व निर्धारित दिन तथा समय पर मौजूदा शाखाओं के निकट ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गांवों में घूमती हैं। बैंकिंग सेवाएं सप्ताह के किसी निश्चित दिन ही प्रदान की जाती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखण्ड, बिहार एवं गोवा राज्य के 211 गांवों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए 15 मोबाइल वैन लगाई गई हैं।

ब्लिंक एवं मोर्टार शाखा

बिन्क एवं मोर्टार शाखाएं तुलनात्मक रूप से संभाव्यता तथा व्यवहार्यता वाले बड़े गांवों में खोली जाती हैं। ऐसे केंद्र बैंक के शाखा विस्तार योजना को अंतिम रूप देने के दौरान निर्धारित किए जाते हैं। बैंक के एफ आईपी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 1554 के लक्ष्य की तुलना में 1772 ग्रामीण शाखाएं खोली गई हैं। आपके बैंक को बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए विकेंद्रित एफआईपी के अनुसार 334 शाखाएं खोलने हेतु वार्षिक लक्ष्य दिया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2014 में 430 शाखाएं खोलकर आसानी से प्राप्त कर लिया है।

वित्तीय समावेशन के तहत बैंक की नई पहलें

कियोस्क बैंकिंग मॉडल

कियोस्क बैंकिंग मॉडल का शुभारंभ श्री एस.एस. मूंदा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आपके बैंक के 106वें स्थापना दिवस अर्थात् 20 जुलाई, 2013 को 1000 कियोस्क खोलकर किया गया। आपके बैंक ने सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीएस) के साथ व्यवस्था की है ताकि कियोस्क केंद्र चलाने के लिए आपके बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवाएं ली जा सकें। सामान्य सेवा केंद्र आईटीसी इनबिल्ड होते हैं। जो सरकारी, वित्तीय, सामाजिक, निजी क्षेत्र की सेवाएं देने, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग बीमा, पैशन, उपयोगिता भुगतान आदि में ग्रामीण स्तर व शहरी केंद्रों में डिलीवरी के लिए प्रारंभिक सेवा सुपुर्दगी केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। आपके बैंक ने भी शहरी/ग्रामीण केंद्रों में ही बैंकिंग कियोस्क हेतु अन्य सेवा प्रदाताओं को ऐसे भी जोड़ा है। ये कियोस्क, कियोस्क ऑपरेटर के कंप्यूटर सिस्टम/लैपटॉप से वेब आधारित कनेक्टीविटी के जरिए आपके बैंक के सीबीएस के साथ जुड़े रहेंगे।

शहरी वित्तीय समावेशन

ग्रामीण व्यक्ति वित्तीय समावेशन प्रयासों का मुख्य केंद्र रहे हैं क्योंकि गांवों का अधिकांश भाग अभी भी बैंकिंग रहित हैं। गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के अलावा शहरी गरीब अभी भी सामान्य वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं जैसे बचत, ऋण, रेमिटेंस तथा बीमा तक पहुंच नहीं पाए हैं और अपने निजी स्वास्थ्य तथा जीविका संबंधी आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिए दूसरे साधन अपनाने को मजबूर हैं, उनमें से बहुत से प्रवासी मजदूर खोमचेवाले तथा झोपडपट्टी वाले मजदूर होते हैं जो रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव छोड़ देते हैं। वित्तीय समावेशन के तहत उन्हें कवर करने के लिए भारत सरकार के एसएलबीसी फोरम के जरिए सभी राज्यों में एक अभियान चलाया गया है ताकि इन असुरक्षा वाले समूहों को वित्तीय प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आपके बैंक ने देश के विभिन्न केंद्रों पर शहरी कियोस्क की शुरुआत की है। श्री एस.एस.मूंदा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 19 जनवरी, 2014 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अबगांवकला में शहरी कियोस्क का शुभारंभ किया। 31 मार्च, 2014 तक आपके बैंक ने देश के विभिन्न भागों में 1000 से अधिक शहरी कियोस्क स्थापित किए हैं।



इन्दौर क्षेत्र के हरदा जिले में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के दौरान श्री एस.एस.मूंदा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

वित्तीय समावेशन के तहत प्रस्तुत उत्पाद

अंतर्निहित ओडी सुविधा सहित बेसिक बचत बैंक जमा खाता

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यह उत्पाद विशेष रूप से सरल केवायसी मानदंडों के साथ वित्तीय समावेशन वाले गांवों के व्यक्तियों हेतु बनाया गया है। यह खाता बिना कोई राशि जमा किए खोला जा सकता है। इस पर कोई दंड नहीं लगता और व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से खोला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ₹ 10,000/- तक की ओवरड्रॉफ्ट सुविधा उपलब्ध है। ग्राहक द्वारा खाता खोलने पर तत्काल ₹ 250/- का ओवरड्रॉफ्ट प्राप्त हो जाता है तथा ₹ 10,000/- तक की उच्च राशि की ओवरड्रॉफ्ट सुविधा की उपलब्धता खाते की संचालन स्थिति से जुड़ी हुई है।

आवर्ती जमा (आरडी) खाता

यह एक मनी बैंक आरडी सुविधा है जो चलनिधि प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन खाता धारकों हेतु विधिवत बनाई गई है। यह उत्पाद मनी बैंक सुविधा देता है, छ: माह की समाप्ति पर, जमाकर्ता की आवश्यकता के अनुसार खाते में बकाया जमा राशि के 50.0% के समतुल्य राशि का वापस भुगतान किया जा सकता है।

बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड (बीकेसीसी)

यह उत्पाद किसानों के लिए है जो उनकी आवश्यकताओं जैसे उत्पादन ऋण, निवेश ऋण, पर्सनल ऋण आवश्यकताओं और उपभोक्ता आवश्यकताओं को कवर करता है। यह ऋण सीमा का उपयोग करने में फैलक्सीबल है। उदाहरणतः वह वर्ष के दौरान अपनी आवश्यकतानुसार ऋण सीमा का उपयोग कर सकता है।



बड़ौदा जनरल क्रेडिट कार्ड (बीजीसीसी)

आपके बैंक की शाखाओं के माध्यम से बीजीसीसी कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत उद्यमी की कार्यशील पूँजी तथी मौद्यादी ऋण आवश्यकताएं शामिल हैं।

बड़ौदा स्वाभिमान सुरक्षा (कम प्रीमियम वाला बीमा)

आपके बैंक ने इंडिया-फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समन्वय करके वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए कम प्रीमियम वाला एक जीवन बीमा उत्पाद भी शुरू किया है। यह ग्राहकों को पांच वर्ष की अवधि हेतु 20.88 प्रति हजार के सिंगल प्रीमियम पर ₹ 5,000/- से ₹ 50,000 तक का कवर लेने की आसान सुविधा देता है।

वित्तीय साक्षरता - सफल वित्तीय समावेशन का मूल सिद्धांत

वित्तीय समावेशन का वांछित उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बैंक गांवों से समान प्रतिक्रिया प्राप्त करने में समर्थ हों। ग्रामीणों से अनुकूल प्रतिक्रिया के उद्देश्य से बैंक को उन्हें विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और इनके लाभ की जानकारी देने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय साक्षरता किसी बैंक की वित्तीय समावेशन की मूल पहल की सफलता कारक होगी। इसलिए वित्तीय समावेशन के सभी घटकों को परस्पर सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है जो केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि जहां भी कोई बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है, वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जन समुदाय में बैंकिंग और बैंकिंग उत्पादों संबंधी जागरूकता पैदा की जा सकती। आपके बैंक की लिंक शाखाएं विभिन्न फोरमों पर गांव के निवासियों को बैठकों / सम्बोधन के जरिए वित्तीय साक्षरता अभियान चला रही है।



वित्तीय समावेशन से संबंधित चित्र पुस्तक के शुभारंभ के अवसर पर श्री एस. एस. मूदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आपके बैंक ने देश के ग्रामीण हिस्सों में वित्तीय साक्षरता की दिशा में निम्नलिखित प्रमुख पहलें की हैं।

बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आरसेटी) बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान 2003 में बैंक द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है जो ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनका उद्यम स्थापित करने में मदद कर रहा है। आपके बैंक ने पूरे देश में 47 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान इन केन्द्रों में 33,974 युवा हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 22,297 प्रशिक्षणार्थी तथा व्यवसाय स्थापित करने वालों का सेटलमेंट अनुपात 65.63% था।

पूरे देश में लगभग 46 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) 'सारथी' कार्यरत हैं। इन वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों के प्रारंभ से अब तक लगभग 19731 व्यक्ति इन केन्द्रों में परामर्श हेतु आए और 10460 प्रकरणों में, समाधान उपलब्ध कराए गए हैं।

लगभग 52 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धित सेवाओं और विकास गतिविधियों हेतु वित्तीय शिक्षा, ऋण परामर्श, तकनीकी मामलों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान करने उन्हें सुलझाने, अन्य संगठनों के साथ संयोजन एवं संपर्क की सुविधा दे रहे हैं।

मोबाइल माइक्रो फाइनेंस लोन फैक्ट्री, एसएचजी- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उनकी दहलीज पर ऋण एवं बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने, अधिकतम चार दिन में परेशानी मुक्त और शीघ्र ऋण डिलीवरी सुनिश्चित करने एवं एसएचजी को सहूलियत से ऋण देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है।

"बीवायएसटी- बॉब उद्यम-वृत्ति उद्यमी विकास कार्यक्रम" (बीवायएसटी) ऋण, व्यवसाय सलाहकार, प्रशिक्षण नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग के रूप में वंचित युवा एवं गतिशील उद्यमियों को सम्पूर्ण माइक्रो समाधान उपलब्ध कराता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), एलपीजी सब्सिडी हेतु, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों विभिन्न सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थीयों को विभिन्न सब्सिडी, पैशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा भुगतान आदि देती है। इनमें से बहुत से भुगतान नकद वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाते हैं। इस पद्धति में मोजूदा विसंगतियों को ध्यान में रखकर, संबंधित सरकारी विभाग ने योजना बनाई कि इस प्रकार के भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष जमा किया जाए। डीबीटी भुगतान के अंतर्गत अब तक 34 प्रकार की सरकारी योजनाओं का निर्धारण हुआ है। फिलहाल सरकार ने 121 जिलों में डीबीटी योजना लागू की है। इसके अलावा भारत सरकार ने उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी देने के स्थान पर, सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर के घरेलू उपभोक्ताओं को सीधे डीबीटी योजना के जरिए देने का निर्णय लिया है। डीबीटीएल योजना जुलाई 2013 से चरणबद्ध रूप में 291 जिलों में शुरू की गई है। यह अपेक्षा की जाती है कि डीबीटी/डीबीटीएल पद्धति से वितरण में चोरी और विसंगतियां दूर की जा सकेंगी और इससे सरकार तथा लाभार्थी दोनों को लाभ होगा। आपके बैंक ने डीबीटी/डीबीटीएल की शुरुआत के लिए ग्राहक के खातों के साथ आधार लिंक सुविधा विकसित की है। आपके बैंक ने डीबीटी/डीबीटीएल के लिए निर्धारित जिलों में लाभार्थीयों के खाते खोलने तथा उन्हें आधार से जोड़ने हेतु कैप आयोजित किए हैं। आपके बैंक की शाखाएं डीबीटीएल लाभार्थीयों से इन जिलों में, जिनका निर्धारण डीबीटीएल हेतु हुआ है, उनके खाते खोलने तथा उन्हें आधार से जोड़ने हेतु उनसे संपर्क कर रही हैं जो शाखा के नजदीक रहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014 में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक की उपलब्धियां

- आपके बैंक ने 11,124 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 14,161 गांवों को कवर किया है।
- आपके बैंक ने 63.74 लाख के लक्ष्य की तुलना में 74.66 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले जिसमें से 18.71 लाख खाते व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से खोले गए।



- आपके बैंक में बेसिक बचत बैंक जमा खातों में लगभग ₹1918 करोड़ बकाया शेष है।
- आपके बैंक ने बेसिक बचत बैंक जमा खातों में ₹6.22 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹11.31 करोड़ का ओवरड्रॉफ्ट मंजूर किया है।
- आपके बैंक ने बीसी मॉडल के कार्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में 2584 अल्ट्रा स्मॉल शाखाएं खोली हैं।
- आपके बैंक ने मार्च 2016 तक 21526 गांवों के लिए एफआईपी को क्रियान्वित करने के लिए शाखा स्तर तक पृथकीकरण योजना अनुमोदित की है।
- आपके बैंक ने सारे देश में मेट्रो व शहरी केंद्रों के विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक कियोस्क खोलकर शहरी वित्तीय समावेशन ड्राइव की शुरुआत की है।
- साथ ही, आपके बैंक के वित्तीय वर्ष 2014 के लिए पृथकीकरण एफआईपी के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को पार कर लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

वर्ष 2013-14 के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही। जबकि यूरो क्षेत्र में दीर्घकालिक मंदी अंततः समाप्त हो गयी, यूनाइटेड स्टेट भी अर्थिक दृष्टि से कुछ हद तक सुदृढ़ हुआ। कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत जो पिछले दो वर्षों से मंदी झेल रही थी उनमें सामान्य रूप से सुधार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में आपके बैंक का कार्यनिष्ठादान निरंतर उल्लेखनीय रहा और यह सुदृढ़ हुआ। आपके बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में अनुकूल व्यवसाय तथा लाभप्रदता में वृद्धि बनी रही।



मुंबई में व्यावसायिक नीति निर्देश 2013-14 (अंतर्राष्ट्रीय परिचालन) के विमोचन के अवसर पर श्री एस. एस. मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पदाधिकारी

आपके बैंक ने विश्वभर में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर एक प्रमुख भारतीय बैंक के रूप में अपनी मार्केट पोजीशन बनाए रखी। विदेशी केंद्रों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अवसरों का लाभ उठाने के लिए लगातार टीम के रूप में कार्य करना जारी रखा। ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में नई पहल की गई। आपके बैंक ने यू.ए.ई., तंजानिया तथा युगांडा तीन देशों में प्रत्येक में एक-एक शाखा खोलकर अपनी उपस्थिति का और विस्तार किया।

व्यवसाय व लाभ कार्यनिष्ठादान

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं ने कुल व्यवसाय में 33.3% की वृद्धि दर्ज की जबकि ग्राहक जमाराशियों में 33.2%, कुल जमाराशियों में 43.6%, अग्रिमों में 20.2% की वृद्धि दर्ज हुई।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक के वैश्विक कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन ने 32.6% का महत्वपूर्ण योगदान दिया।



अपनी कार्यालयीन यूगांडा विजिट के दौरान श्री एस. एस. मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ यूगांडा के गवर्नर श्री टी. ई. मुतेबिल के साथ

कुल आस्तियां

आपके बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की कुल आस्तियां में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 39.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये आस्तियां मार्च 2013 को समाप्त अवधि को ₹1,66,460 करोड़ से बढ़कर मार्च 2014 में ₹2,31,552 करोड़ हो गईं।

लाभ

धीमी वृद्धि तथा मार्जिन बनाए रखने पर दबाव के बावजूद इस अवधि में भी आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2014 में पिछली वर्ष के समान ही सकल लाभ के स्तर को बनाए रखने में सफल रहा। यह विदेशी परिक्षेत्र द्वारा किए गए सकारात्मक उपायों तथा बदलते परिवेश में अनुकूलन क्षमता के कारण हुआ है। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में 22.2% की वृद्धि हुई।

बैंक के वैश्विक शुद्ध लाभ में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का योगदान 25.4% रहा।

विदेशी परिचालन में आस्ति गुणवत्ता

बैंक की समग्र स्थिति को निर्धारित करने में आस्ति गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बैंक के पास विदेशी केंद्रों पर ऋण पोर्टफोलियो तथा ऋण प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऋण मॉनीटरिंग प्रणाली है।

अभी हाल के वर्षों में वैश्विक मंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इससे मजबूत आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बढ़ गया है। आपके बैंक के विदेशी परिक्षेत्रों में दबावग्रस्त तथा पुनर्गठित खातों की मॉनीटरिंग लगातार की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान निवल अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 20.2% की बढ़ोत्तरी हुई। आपके बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रयास किए। मार्च 2014 में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का सकल एनपीए प्रतिशत अंतराष्ट्रीय परिचालनों के कुल अग्रिमों का मार्च 2014 में



1.57% था जबकि मार्च 13 में यह 1.37% था.

आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति

आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति अपनी 102 शाखाओं /कार्यालयों के साथ 24 देशों में निम्नानुसार है।

| विवरण | संख्या |
|-------------------------------------|--------|
| बैंक की ओवरसीज शाखाएं/कार्यालय | 60 |
| बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय | 1 |
| बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं | 41 |
| कुल | 102 |

बैंक के निम्नतिखित संयुक्त उपक्रम / सहयोगी इकाइयां भी हैं:

1. इंडो जाम्बिया बैंक लि, जाम्बिया में 25 शाखाएं
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, मलेशिया में 1 शाखा

वित्तीय वर्ष 14 में विदेशी विस्तार

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक ने 3 नई शाखाएं/कार्यालय खोले। वर्ष के दौरान शाबिया यू.ए.ई में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस यूनिट परिचालित की गई। इसके अलावा करियाकू, तंजानिया में तथा कोलोलो यूगांडा में दो शाखाएं खोली गईं।

विदेशी व्यवसाय हेतु भावी योजनाएं

बैंक का परिचालन मजबूत करने तथा मार्केट शेयर में सुधार/बनाए रखने की दृष्टि से आपके बैंक ने उन देशों में भी विस्तार की योजना बनाई है जहां वह पहले से ही विद्यमान है। आपके बैंक ने व्यवसाय की लाभप्रद वृद्धि हेतु अवसर प्रदान करने के लिए नए देशों में भी उपस्थिति दर्ज करने की योजना बनाई है।



आबू थाबी, यूएई में शाबिया स्थित बैंक की नई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन करते हुए श्री एस. एस. मुंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

यू.ए.ई., यूके, केन्या, तंजानिया तथा घाना में नेटवर्क का विस्तार करने के लिए आवश्यक मूलभत्त संरचना तैयार की जा रही है।

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विदेशी विस्तार के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के अनुसार ही विदेशी विस्तार पर विचार किया जाता है।

विदेशी परिचालन में सिंडीकेशन सेंटर

आपके बैंक का लंदन में ग्लोबल सिंडीकेशन सेंटर और दुबई एवं सिंगापुर में रीजनल सिंडीकेशन सेंटर स्थित हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सिंडीकेशन ऋणों के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपके बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट बैंकिंग कक्ष (आईएमबीसी) स्थापित किया है जो मुख्य रूप से भारतीय कार्पोरेट्स की आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही साथ भारतीय कार्पोरेट्स से व्यवसाय कैनवास करने के लिए रीजनल सिंडीकेशन सेंटर की सहायता भी करता है। आपका बैंक सिंडीकेशन लोन मार्केट एवं ऋण ओरिजिनेशन भागीदारी में भी सक्रिय रहा है।

विदेशी व्यवसाय - उत्पाद और सेवाएं

आपका बैंक विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में देश-विदेश के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार आवश्यकतानुरूप उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहा है। आपका बैंक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की व्यवसाय, आवश्यकताओं के अनुरूप ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आपके बैंक में अपनी सभी ओवरसीज शाखाओं और अनुषंगियों के लिए एक सिंगल कोर सोल्यूशन उपलब्ध है। यह नए उत्पादों और सेवाओं की जानकारी देने की सुविधा देता है तथा परिचालन वाले देश के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप तबदीली/सुधार करने में भी सहायता करता है।

विदेशी टेरीटरीज में प्रौद्योगिकी

- 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि में विदेशी कार्यालयों एवं अनुषंगियों में एटीएम की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। (55 ऑनसाइट एवं 36 ऑफसाइट) जो 31 मार्च, 2013 को 89 (54 ऑनसाइट एवं 35 ऑफसाइट) थी।
- डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड जारी करने का कार्य 10 विदेशी टेरीटरीज/अनुषंगियों में कार्यान्वित किया गया है। जिनमें से 4 टेरीटरीज / अनुषंगियों ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी 'मै. वीसा' के साथ टाई-अप की व्यवस्था की हुई है। इसी क्रम में ओमान टेरीटरीज, गयाना, यूगांडा तथा केन्या सब्सिडीयरीज में वीसा प्राधिकृत करने का कार्य प्रगति पर है।
- बहुत सी टेरीटरीज /सब्सिडीयरीज में चिप आधारित यूएई टेरीटरीज में इ.ए.म.वी (चिप कार्ड्स) का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है तथा ओमान व मॉरीसस में कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है।
- इंटरनेट बैंकिंग (बड़ा कनेक्ट) 14 विदेशी टेरीटरीज/अनुषंगियों में कार्यान्वित की गई है। यथा 1. यू.ए.ई. 2. यूनाइटेड किंगडम 3. ओमान 4. मॉरीसस 5. फिजी 6. सैशल्स 7. आस्ट्रेलिया (व्यू) 8. केन्या 9. यूगांडा 10. बोत्सवाना 11. न्यूजीलैंड 12. घाना 13. तंजानिया (व्यू बेस्ट) 14. यू.एस.ए (व्यू बेस्ट). इस वित्तीय वर्ष में यू.एस.ए टेरीटरी को जोड़ा गया। त्रिनिदाद व टोबोगो के लिए इंटरनेट बैंकिंग कार्यान्वयन प्रगति पर है तथा गयाना सब्सिडीयरीज में इसे अगले वित्त वर्ष लायू किया जाएगा।
- फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन (2एफए), न्यूजीलैंड, यू.ए.ई, यू.के. यूगांडा तथा केन्या की इंटरनेट बैंकिंग मैं कार्यान्वित कर दिया है तथा ई-बैंकिंग स्मार्ट फोन इन टेरीटरीज/अनुषंगियों के लिए इनेबल कर दिए हैं। बोत्सवाना, फिजी, ओमान, मारीशस, सैशल्स तथा घाना परिक्षेत्रों / अनुषंगियों में एफएमएस कार्यान्वयन प्रगति पर है।



- सभी टैरीटरीज/अनुषंगियों के लिए (यू.एस.ए. को छोड़कर) केंद्रीकृत स्विफ्ट गतिविधि का क्रियान्वयन पूरा किया जा चुका है और यह डाटा सेंटर से परिचालित की जा रही है। यू.एस. टैरीटरीज ने स्विफ्ट कार्यकलापों की प्रोसेसिंग के लिए मै. फंडटेक के साथ आउटसोर्सिंग करार किया है।
- वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान एमएल इरेज (बैंच मोड) सोल्यूशन को आस्ट्रेलिया में कार्यान्वित किया है। एमएल इरेज सोल्यूशन अब सभी विदेशी परिक्षेत्रों/अनुषंगियों यू.एस. के अलावा में उपलब्ध है। यू.एस. टैरीटरीज ने ऑनलाइन एमएल तथा ओएफएसी स्केनिंग के लिए मै. फंडटेक के साथ आउटसोर्सिंग करार किया है। ऑनलाइन लेन-देन संबंधी जाच प्राइम कप्लाइस सूट के माध्यम से की जाती है।
- इस वित्तीय वर्ष में ग्लोबल ट्रेजरी सॉल्यूशन डीआईएफसी दुर्बई में कार्यान्वित किया गया। अब जीटीपी सोल्यूशन, यू.एस., यू.के, बहामास, बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर, बेल्जियम तथा डीआईएफसी दुर्बई में उपलब्ध है।
- चेक ट्रूकेशन व ऑटोमैटेड क्लीयरिंग हाउस का कार्यान्वयन त्रिनिदाद व टोबिगो, सैशल्स तथा बोत्सवाना में चल रहा है।
- विदेशी टैरीटरीज/अनुषंगियों में सभी संब्यवहारों के लिए एम एम ऐस भेजने का कार्य अंतिम रूप ले चुका है। 6 टैरीटरीज /अनुषंगियों (फिजी, गुयाना, यूगांडा, बोत्सवाना, चीन तथा केन्या) के लिए कार्यान्वयन चल रहा है।
- विंडो एक्स पी के लिए टैक्नीकल सोर्ट बंद हो जाने की दृष्टि से आपके बैंक ने अपने विदेशी टैरीटरीज/अनुषंगियों के सभी पीसी/एटीएम में माइक्रो विंडो एक्स पी से माइक्रो विंडो 7 में मार्फिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



श्री एस. एस. मूंदा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा न्यूयार्क शाखा में इन्टरनेट बैंकिंग सेवाओं का प्रतीकात्मक शुभारंभ

विदेशी परिचालनों में जोखिम प्रबंधन

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिदृश्य में व्याप्त अतिरिक्त जोखिम से निपटने के लिए आपके बैंक विदेशी केंद्रों पर एक मजबूत जोखिम प्रबंधन पद्धति रखता है। क्रेडिट, मार्केट व परिचालन जोखिमों से निबटने के लिए अलग से जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई। विदेशी केंद्रों पर जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञ श्रेणी के जोखिम प्रबंधक रखे गए हैं।

31 मार्च 2008 से आपके बैंक के सभी विदेशी कार्यालयों पर बासेल II दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया था और आपके बैंक ने

ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति एवं परिचालनगत जोखिम हेतु बेसिक इंडिकेटर पद्धति को अपना लिया है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग हेतु बैंक रैम मॉडल को विदेशी केंद्रों में कार्यान्वित किया गया है। इसने अग्रिम खातों से संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रक्रिया को और अधिक सशक्त किया गया है।

आपके बैंक के सभी विदेशी केंद्रों पर आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण मॉनिटरिंग हेतु एक विशेष मॉडल कार्यान्वित किया गया है।

विदेशी परिचालनों में विनियामक अनुपालन

आपके बैंक की प्रतिष्ठा एक नियमपालक बैंक के रूप में रही है। संबंधित देशों के विनियामक मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विदेशी केंद्रों पर समर्पित अनुपालना अधिकारी पदस्थि किए गए हैं।

सुव्यवस्थित अनुपालना ढांचा सुनिश्चित करता है कि बैंक के अनुपालन संबंधी मुद्रे समय से निपटा जाते हैं। अनुपालना मामलों की देख-रेख के लिए आपके बैंक ने विदेशी केंद्रों पर समर्पित अधिकारियों को पदस्थि किया है जिनके कौशल में प्रशिक्षण एवं अन्य तरीकों से लगातार वृद्धि की जाती है। आपका बैंक अनुपालना को केवल विनियामक आवश्यकता के रूप में ही नहीं देखता बल्कि अपनी तथा अपने शेयरधारकों के हित और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के रूप में लेता है।

सभी विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों के लिए उनकी संबंधित विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीति/नियम बने हैं। विनियामक दिशानिर्देशों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक में बड़ौदा सन टॉवर कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में अति आधुनिक डीलिंग रूम कार्यरत है। इस डीलिंग रूम के माध्यम से आपका बैंक ट्रेजरी परिचालनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है तथा मार्केट में नवीनतम सूचनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। आपके बैंक का ट्रेजरी डिवीजन घरेलू परिचालन का कार्य संचालित करता है तथा विभिन्न मार्केट कार्यकलापों जैसे विदेशी मुद्रा, ब्याज दरें, सावधि आय, डेरीवेटिव्स, इक्विटी और अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों का कार्य देखता है। आपका बैंक अपने ग्राहकों को कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करता है। इन सेवाओं में ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, वायदा एवं आप्शन सुविधाएं शामिल हैं।

संपूर्ण देश में विदेशी मुद्रा संब्यवहार करने वाली प्राधिकृत शाखाओं के ग्राहकों की जरूरतों की पूरा करने के लिए एक अति आधुनिक स्वचालित डीलिंग प्रणाली स्थापित की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बिजनेस प्रोसेस री इंजिनीयरिंग के रूप में डीआईएफएस, दुर्बई में ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

2013 की गर्मी के मौसम के दौरान विश्वव्यापी उभरते बाजारों में यू.एस. के आउटफलों की सभाव्यता मात्रात्मक रूप में कम होने की संभावना थी। भारतीय बाजारों ने पोर्टफोलियों निवेश के प्रमुख आउटफलों को महसूस किया। खासकर डेट सेंगमेंट जो पहली छमाही के दौरान तेजी



से घटता-बढ़ता रहा. जिसके फलस्वरूप चालू खाता घाटा प्रतिकूल होने के साथ-साथ डेट व इक्विटी मार्केट से बहिर्गमन पोर्टफोलियो चिताजनक बना रहा. अगस्त 2013 में रूपए का अवमूल्यन 68.84 तक पहुंच गया। डेट सेगमेंट में आवक लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपो दर तथा मार्जिनल स्टैन्डिंग फैसिलिटी दर 200 आधार अंक तथा परिचालित मनी मार्केट दर एमएसएफ 10.25% तक बढ़ा दी। अधिशेष एस एल आर प्रतिभूतियों के पेटे एलएफ रिपो के तहत निधियों का समग्र आबंटन बैंकिंग पद्धति से शुद्ध मांग व समय देयता (एनडीटीएल) को 0.50% तक सीमित कर दिया। इसी क्रम में बैंकों के लिए अपेक्षित था कि वे अपनी कुल आवश्यकताओं का न्यूनतम 99.0% (पहले 70%) सीआरआर बनाए रखें।

बाह्य परिस्थियों के स्थिर होने के पश्चात अस्थाई उपायों को वापस लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सीपीआई पर निरंतर दबाव को कम करके रेपो दर में 75 आधार अंकों को बढ़ातरी कर इसे 8% कर दिया।

आपका बैंक पहले दो माह में तेजी से हुई गिरावट और बाद में बढ़ोत्तरी होने पर उपलब्ध अवसरों और बैंक के निर्धारित आय निवेश को बड़ी चतुराई से संचालित करने में सफल रहा। आपके बैंक ने पोर्टफोलियो में बांड को जोड़ने हेतु उच्चतर बांड प्रतिफल से दिए गए अवसरों का उपयोग किया तथा निवेश पर औसतन प्रतिफल बढ़ाया। देशी एसएलआर निवेशों पर प्रतिफल 7.85% था। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक की ट्रेजरी ने ब्याज /बद्धा आमदनी के रूप में ₹ 9793 करोड़ अर्जित किए जबकि निवेश और विनियम अर्जन से लाभ क्रमशः ₹ 732/- तथा ₹ 575/- करोड़ रहा।

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने वर्तमान उत्पादों जैसे ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) करेंसी स्वैप (सीआईआरएस) फारवर्ड एवं ऑप्शन के आधार पर ब्याज दरें और विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने के लिए अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्रदान करती है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को प्रदान की गई। विशेष स्वैप विडों के अंतर्गत एफसीएनआर जमा राशियों तथा टियर 1 पूँजी के पेटे, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ यूएसडी स्वैप अंडरटेकिंग द्वारा सक्रिय रूप से निधियां अर्जित की। ब्याज दर स्वैप तथा करेंसी ऑप्शन कार्पोरेट के लिए ब्याज दर तथा करेंसी बचाव के लिए प्रयुक्त की जाती है। आपके बैंक ने ट्रेजरी डीलिंग, 10 वाई बैंच मार्क सरकारी प्रतिभूति पर आधारित एक्सचेंज ट्रैडिंग कैश सेटल इंट्रेस्ट रेट प्यूचर्स में शुरू की है और मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अस्ति श्रेणी के बीच जिसमें मनी मार्केट, सीबीएलओ, कॉल मार्केट रिपो, सरकारी प्रतिभूतियां तथा फॉरेंक्स मार्केट शामिल हैं, उपलब्ध अंतरण सुविधाओं का प्रभावी रूप से उपयोग किया।

वित्त वर्ष 14 की दूसरी छमाही में, विदेशी संस्थागत निवेशों की आवक, सरकार द्वारा घोषित सुधार संबंधी पहलों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मूलभूत सुधार के कारण इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट में सुधार रहा। ट्रेजरी के इक्विटी अनुभाग ने अपने पोर्टफोलियों का सक्रियता से उपयोग किया और नियमित अंतराल पर जब भी बाजार में अवसर मिला, मुनाफा कमाया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विदेशी मुद्रा अनुभागों में आपके बैंक की ट्रेजरी ने विदेशी मुद्रा अनुभाग बाजार के बड़े भागीदारों में अपना स्थान बनाए रखा। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अनुभाग, बाजार की अस्थिरता का उपयोग कर उपलब्ध ऑबिट्रेज को भुनाने में सक्रिय था और भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही कठिन चलनीधि स्थिति में संसाधनों का संग्रहण किया।

आपके बैंक का ट्रेजरी मिड ऑफिस निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित बाजार एक्स्पोजर सीमा को वास्तविक समय के आधार पर मॉनिटर करता है। वैल्यू एट रिस्क (बीएआर) जोखिम प्रबंधन पैरामीटर सहित सभी पोर्टफोलियों पर बाजार जोखिम को आकलित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन उपायों को जोखिम नंबरों पर बैंक टेस्टिंग के साथ समर्थित रखा जाता है और करेंसी पोर्टफोलियों तथा विभिन्न निवेशों की स्ट्रैटेजी टेस्टिंग की जाती है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)



श्री राजीव एस साहू (दाएं से दूसरे) निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री नवीन पटनायक (दाएं) माननीय मुख्य मंत्री, उड़ीसा राज्य को चेक सौंपते हुए। साथ में हैं श्री एस. के. शॉ, महाप्रबंधक, बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड अंचल, श्री जी. बी. पंडा, उप महाप्रबंधक, उड़ीसा क्षेत्र

एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक होने के नाते आपके बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह अल्प सुविधा प्राप्त तथा कमज़ोर तबकों के सामाजिक आर्थिक विकास के जरिए इन समुदायों को ताकतवर बनाएं।

समाज के बीच बड़े वर्ग में अन्तर पैदा करने के अपने प्रयासों में आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 14 में भी अपने प्रयासों को और अधिक व्यापक किया।

आपके बैंक द्वारा सीएसार के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए वे निम्नालिखित हैं।

- आपके बैंक ने बरोजगार युवकों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आरसेटी) स्थापित किए हैं ताकि ये युवक अपने कौशल का विकास कर रोजगार प्राप्त कर सकें। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और साथ ही उन्हें इन स्थानों पर विद्यमान विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों का लाभ मिलेगा। आपके बैंक के सभी अग्रणी



कार्पोरेट सेंटर मुंबई में आयोजित महिला दिवस समारोह के दौरान उच्च प्रबंधन के साथ बड़ौदा शक्ति के सदस्य और बैंक की महिला स्टाफ सदस्य।



जिलों में एक आरसेटी है। आपके बैंक ने लगभग 47 ऐसे संस्थान स्थापित किए हैं, जिसमें से 1,92,247 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और लगभग 1,20,979 युवकों ने अपना स्वरोजगार स्थापित कर लिया है।

- विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के बारे में ग्रामीणों के बीच जागरूकता लाने तथा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपके बैंक ने संपूर्ण भारत में 46 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले हैं। ये केंद्र साधारण संदेशों जैसे बचत क्यों करें, बैंक से उधार क्यों लें, जहां तक संभव हो आय अर्जन कार्यकलापों के लिए क्यों उधार लें, समय पर भुगतान क्यों करें, स्वयं असुरक्षित क्यों, आपके सेवानिवृत्ति के लिए बचत क्यों करें, के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहे हैं।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

दबावपूर्ण आर्थिक वातावरण के कारण आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 14 बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन आपके बैंक ने एनपीए पोर्टफोलियो की रिकवरी तथा लगातार मॉनिटरिंग की परंपरा को जारी रखा। तथापि वित्त वर्ष 14 के दौरान बैंकिंग उद्योग पर विभिन्न आर्थिक संकेतकों का दबाव बना रहा। वित्त वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक की एनपीए स्थिति भी दबावग्रस्त बनी रही।

वित्त वर्ष 14 के दौरान भारतीय बैंकों ने सामान्य रूप से भारत के बाहर व भीतर अस्थिर वित्तीय मार्केट के कारण स्लिपेज की बड़ी घटनाएं देखी। वित्त वर्ष 14 में पूरे वर्ष उच्च मुद्रा स्फीति व उच्च ब्याज दरें बनी रहीं। प्रतिकूल आर्थिक पैरामीटर्स के परिदृश्य के बावजूद आपके बैंक के प्रारंभिक शेष की तुलना में वर्ष के दौरान नए स्लिपेज 1.99% रहे। उच्च स्लिपेज की पृष्ठभूमि की तुलना में 31 मार्च 2014 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 2.94% रहा। जिसके फलस्वरूप मार्च 2014 के अंत में शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए का अनुपात बढ़कर 1.52% तक पहुंच गया। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों में से यह स्थिति न्यूनतम थी।

पिछले कई वर्षों में आपके बैंक ने ऋण हानि प्रावधान अनुपात को भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा निर्धारित 70% के अनिवार्य मानदंडों के स्तर पर अथवा इससे ऊपर बनाए रखने के सभी संभव प्रयास किए हैं। तथापि वित्त वर्ष 14 में एनपीए में तीव्र बढ़ोत्तरी तथा उच्च प्रावधान होने के कारण विवेकपूर्ण तकनीकी रूप से बड़े खाते डाले गए अग्रिमों में फैटरिंग करने के बाद ऋण हानि कवरेज अनुपात 65.45 % रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 14 के दौरान इस अनुपात में वर्ष की दूसरी तिमाही से चौथी तिमाही तक क्रमिक रूप से सुधार हुआ। (वित्त वर्ष 14 की दूसरी तिमाही में 61.68% से बढ़कर वित्त वर्ष 14 की चौथी तिमाही में 65.45% हो गया)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने शाखा, क्षेत्र, अंचल और कार्पोरेट स्तर पर वसूली एवं ऋण अनुप्रवर्तन के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा प्रत्येक डीआरटी सेंटर में नोडल अधिकारियों को विविध मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही के लिए लगाया गया जिससे कि डिक्री लेने में लगने वाले समय को कम से कम किया जा सके तथा वसूली को बढ़ाया जा सके। डीआरटी दावा दायर एनपीए खातों में वसूली के लिए, बैंक के पक्ष में प्रभारित आस्तियों का उचित मार्केट मूल्य प्राप्त करने के लिए ई-नीलामी के जरिए बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त और अधिक तेज गति से वसूली करने

के लिए एआरसी को वसूली एंजेट के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी परिसमापक (ओएल) से संपर्क साधने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। आपके बैंक की शाखाओं द्वारा लोक अदालत, रिकवरी कैप व गांव की चौपाल बैठक का नियमित आयोजन किया गया ताकि पुराने विचाराधीन मामलों को निपटाया जा सके तथा छोटे-छोटे खातों में शीघ्रता से वसूली की जा सके।

आपके बैंक ने एनपीए खातों में वसूली की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही प्रणाली पर जोर देना जारी रखा। बड़ी राशि वाले एनपीए खातों, जैसे ₹ १ एक करोड़ और उससे अधिक राशि के खातों की कॉर्पोरेट कार्यालय से सीधे क्षेत्रों तथा अंचलों के साथ पाक्षिक वीडियो कॉफरेंसिंग की गई ताकि अनुप्रवर्तन करने की प्रणाली से शाखाओं द्वारा वकीलों, रिकवरी एजेंटों के माध्यम से सघन कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। विभिन्न स्तरों पर सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की निगरानी कार्पोरेट स्तर से की गई। अतः वित्त वर्ष 14 में एनपीए खातों में नकद वसूली ₹ 1,261.81 करोड़ रही। यह वर्ष 2013 के ₹ 625.57 करोड़ की तुलना में अधिक है। अपग्रेडेशन वित्त वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 के ₹ 340.93 करोड़ की तुलना में ₹ 684.72 करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 14 के दौरान आपके बैंक ने गांव/कस्बा स्तर पर वसूली कैप लगातार तथा लोक अदालतों के माध्यम से छोटे खातों की वसूली पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 14 की पहली छमाही के दौरान विशेष वसूली योजना तथा भागीरथ प्रयास नामक विशेष योजनाओं की भी शुरुआत की गई। बैंक ने प्रोत्साहन पर आधारित “संकल्प- VI” वसूली योजना चलायी, ताकि ₹ 25 लाख तक की बकाया राशि वाले छोटे खातों में वसूली बढ़ाने का सभी स्टाफ सदस्यों का सार्थक प्रयास/सहयोग मिल सके। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 14 के दौरान ₹ 155.19 करोड़ नकद वसूली की गई।

एनपीए प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई कार्यनीति के रूप में आपके बैंक ने वित्त वर्ष 14 के दौरान व्यक्तिगत के साथ-साथ पोर्टफोलियो बिक्री के तहत एनपीएल खातों की बिक्री की जिसके फलस्वरूप मार्केट से अच्छा प्रतिसाद मिला और बैंक विभिन्न एआरसी में 23 एनपीएल (एनपीए एवं बड़े खाते) खातों की बिक्री कर सका जिनमें चारों एआरसी (₹ 253.65 करोड़ शुद्ध बही मूल्य के साथ) का कुल बकाया शेष ₹ 671.27 करोड़ रहा।

आपके बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो का आस्ति वर्गीकरण ब्रेकअप इस प्रकार है।

(₹ करोड़ में)

| आस्ति वर्ग (सकल) | 31 मार्च 2014 | 31 मार्च 2013 |
|------------------------|---------------|---------------|
| मानक | 3,91,823.53 | 324828.74 |
| सकल एनपीए | 11,875.90 | 7982.58 |
| कुल | 4,03,699.43 | 332811.32 |
| सकल एनपीए में शामिल है | | |
| अवमानक | 3,809.20 | 4981.15 |
| संदिग्ध | 6,863.10 | 2628.33 |
| हानिगत | 1,203.60 | 373.10 |
| कुल एनपीए | 11,875.90 | 7982.58 |



सूचना प्रौद्योगिकी



पोलारिस फायनांशियल टेक्नोलॉजी बैंकिंग अवार्ड 2013 पर ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट श्रेणी के तहत इन एंड ब्राइस्ट्रीट द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रदत्त बैंक पीएस बैंक का अवार्ड प्राप्त करते हुए श्री एस. एस. घाग, महाप्रबंधक (सू.प्रौ. एवं डीडल्प्यूएच)

आपके बैंक ने घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों और अनुषंगी परिचालनों को ध्यान में रखते हुए एंड टू एंड बिजनेस एवं आईटी स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं।

- आपके बैंक ने सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी इंफनस्ट्रक्चर तैयार कर अति आधुनिक डाटा सेंटर संचालित किया है और यह अप टाइम इंस्टीट्यूट टीयर 3 के मानदंडों को पूरा करता है। विभिन्न भूकंप खंडों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक असफलता बिंदु का गहन विशेषण कर डिजास्टर रिकवरी साइट तैयार की गई है जिससे कि ग्राहकों को निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं मिलती रहें।
- डिजास्टर रिकवरी सेंटर के अलावा आपके बैंक ने वर्ष के दौरान नीयर डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी कार्यान्वित किया है ताकि बिजनेस कंटीन्यूटी प्लान तथा डिजास्टर रिकवरी रणनीति के रूप में नीयर जीरो डाटा लॉस सुनिश्चित हो सके।
- आपके बैंक ने कई अन्य प्रौद्योगिकी पहलें, जैसे विंडो सर्वर वर्चुअलाइजेसन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेसन तथा बैंक ड्रॉप कंसालीडेशन ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट (एएसएम) व रीयल एलीकेशन क्लस्टर (आरएसी) की शुरुआत की हैं। इन्हें पर्यावरण उन्मुखी कदम के रूप में उठाया गया है और इनसे डाटा सेंटर की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। एलिकेशन वर्चुअलाइजेसन, ऑटोमेटिक वर्चुअलाइजेसन बैंक अप लिंक के लिए प्रावधान, बैंडविड्थ अपग्रेडेशन, एएसएम एवं आरएसी लागू करना, एमपीएलएस (मल्टी प्रोटॉकॉल लेवल स्विचिंग) पर आधारित नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आदि अप टाइम तथा मांग अपग्रेड करने हेतु कुछ नए कदम उठाए गए हैं।
- आपके बैंक ने विभिन्न सेवा डिलीवरी चैनलों पर व्यवसाय की बढ़ती मांग को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए नियमित कैपेसिटी (प्लानिंग, अपग्रेड व रिफ्लेश) को अपने हाथ में लिया है।
- आपके बैंक ने इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है तथा बैंक के बढ़ते आईटी इंफनस्ट्रक्चर का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने व मॉनीटरिंग करने के लिए मॉड्यूल को स्थापित किया है।
- आपके बैंक ने सभी देशी तथा 23 विदेशी केंद्रों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) व अन्य एलीकेशन प्लेटफार्म प्रदान करने के

लिए केन्द्रीयकृत आईटी आर्किटेक्चर प्रदान किया है ताकि संसाधनों का प्रबंधन, मॉनिटरिंग व उपयोग आसानी से किया जा सके। आपके बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भी सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं और जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, आपके बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इनकी 350 शाखाओं के साथ आपके बैंक के एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ समाप्तेन कर लिया है।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

• इंटरनेट बैंकिंग - बड़ौदा कनेक्ट

इस तकनीक के उपयोग को बेहतर बनाने और प्रयोक्तानुकूल बनाने के लिए आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग अर्थात् बड़ौदा कनेक्ट को पूरी तरह से प्रोत्तर कर दिया गया है। आपका बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों में लगातार और अधिक सुविधाएं जोड़ रहा है। बढ़ाई गई अन्य सुविधाओं, जैसे ऑनलाइन एफडीआर डबल थमाका, ऑनलाइन आवर्ती जमा खोलना, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड, विभिन्न राज्यों का कर भुगतान, एक्साइज ड्यूटी के लिए चालान, ऋण खातों में जमा, बिल का भुगतान, प्रधानमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन दान, ई-बैंकिंग के माध्यम से इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्स्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आधार जोड़ना, ई-बैंकिंग के द्वारा आईएमपीएस (त्वरित भुगतान सेवाएं) इस वर्ष जोड़ी गई हैं। आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा सभी स्मार्ट फोन/टैबलेट पर उपलब्ध है और ग्राहक को कहीं भी बैंकिंग की आरामदायक सुविधा मिलती है। इस वर्ष के दौरान 14 विदेशी केंद्रों अर्थात् तंजानिया, यूगांडा, केन्या, मारिशस, सेशेल्स, बोत्साना, न्यूजीलैंड, यूएई, फिजी, यूके, ओमान तथा घाना, आस्ट्रेलिया में व्यू अधारित इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। बैंक प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में इंटरनेट ई-बैंकिंग उपलब्ध कराई गई है।

इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा व विश्वास बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने फ्रॉड मैनेजमेंट सॉल्यूशन को क्रियान्वित कर सुरक्षा को और पुरखा कर दिया है। इसमें विशेषण पर आधारित स्टेप अप प्रमाणीकरण, ओटीपी, पुल ओटीपी, एसएमएस ओटीपी, क्यू एनए को इनेबल कर दो घटक प्रमाणीकरण भी शामिल हैं। आपके बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों के लिए प्रमाणीकरण और उच्च मूल्य के इंटरनेट बैंक लेन-देन को अस्वीकार करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल सर्टिफिकेट के प्रयोग की शुरुआत की है। आपके बैंक ने शेष बचे विदेशी केंद्रों पर जहां लेन-देन ई-बैंकिंग पर आधारित है, फ्रॉड मैनेजमेंट सॉल्यूशन कार्यान्वित किया है।

• मोबाइल बैंकिंग - बड़ौदा एम-कनेक्ट तथा आईएमपीएस

आपके बैंक के मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म पर ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक और वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में, बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बैलेंस इनक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, स्टॉप पेमेंट, चेक स्टेटस, डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग तथा अन्य सेवाएं। बैंकबेरी, एण्ड्रोइड, विंडो डिवाइसों के अतिरिक्त मोबाइल बैंकिंग एलीकेशन सभी आई-फोन और आई-पैड में उपलब्ध करायी गई है। पर्सन टू एकाउंट (पी2ए), मर्चेंट भुगतान (पी2एम), आधार कार्ड आधारित धनप्रेषण (पी2यू) को कवर करने के लिए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) क्रियावित की गई है। मोबाइल टॉप-अप/डीटीएच टॉप-अप, बीमा प्रीमियम भुगतान, ऑनलाइन खरीददारी, काउंटर पर भुगतान, स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी की फीस का भुगतान, आईएमपीएस - आईआरसीटीसी के प्रयोग से मोबाइल फोन के माध्यम से गैर इंटरनेट आधारित रेलवे टिकिट बुकिंग आदि के



लिए आईएमपीएस व्यापारी भुगतान (पी2एम) आरंभ किया गया है। वर्तमान में आपके बैंक मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत ग्राहकों के उपयोग हेतु सरल तथा सुविधाजनक एनयूयूपी (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफार्म) आरंभ कर रहा है।

- ई-लॉबी



साकीनाका शाखा, मुंबई में बड़ौदा नॉन-स्टॉप 24x7 बैंकिंग (ई-लॉबी) के शुभारंभ पर श्री एस. एस. मूद्दा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आपके बैंक ने ग्राहकों के लिए ई-लॉबियों के माध्यम से 24x7 सेवा आरंभ करके ग्राहक सेवा के अगले स्तर की शुरुआत की है। बंच नोट एसेटर, सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटर, चेक डिपाजिट किओस्क, इंटरनेट बैंकिंग किओस्क जैसे डिवाइसों को शाखाओं से संलग्न 30 से अधिक ई-लॉबियों में शुरू किया गया है। ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ड के साथ-साथ खाता संख्या के माध्यम से बंच नोट एसेटर में कैश डिपाजिट शुरू किया गया है। भविष्य में इस नेटवर्क को और व्यापक स्तर पर फैलाने का लक्ष्य है। आपके बैंक की कैश रीसाइक्लर्स आरंभ करने की भी योजना है जो कैश को स्वीकार करेगा, इसकी छंटाई करेगा तथा जमा किए गए कैश में से भुगतान करेगा।

- एटीएम

बेहतर निष्पादन, त्वरित एटीएम लेनदेन एवं आसान एटीएम प्रसार के लिए हार्डवेयर अपग्रेडेशन के साथ आपके बैंक के एटीएम स्विच को कई उन्नत विशेषताओं के साथ उच्चतर वर्जन में अपग्रेड किया गया है। भारत, यूएई, ओमान, मॉरीशस, फिजी, तंजानिया, बोत्सवाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो (टी एवं टी) तथा न्यूजीलैंड में एटीएम स्विच स्थापित किए गए हैं। खाता खोलने के समय काउंटर पर ही ग्राहकों को कार्डों की त्वरित तथा सुलभ डिलीवरी करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान गैर वैयक्तिक डेबिट कार्ड शुरू किया है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने एटीएम से एनईएफटी धनप्रेषण आरंभ किया है। ग्राहक केन्द्रित कई पहलें जैसे रूपे डेबिट कार्ड, रूपे पीओएस और रूपे केसीसी कार्ड, रूपे ई-कॉर्मस, ब्राउन लेवल एटीएम, इडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान, चेक बुक के लिए अनुरोध, एटीएम के माध्यम से तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) शुरू की गई हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए बोलने वाले एटीएम स्थापित किए गए हैं। आपके बैंक ने प्रीपेड कार्ड, एटीएम से गिफ्ट कार्ड एवं जनरल परपेज रीलोडेबल कार्ड, एटीएम के माध्यम से आधार कार्ड दर्ज करने के लिए रूपे चिप कार्डों का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग करने, नकदी आहरण एवं बैलेंस इंक्वारी के लिए समर्थ करने हेतु प्रमाणीकरण भी पूरा किया है। उन्नत सुरक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए चिप आधारित कार्डों की शुरुआत की गई है। लेनदेन नहीं होने वाले

कार्ड के लिए मल्टीफैक्टर कार्ड प्रमाणीकरण, भारत में एटीएम/ पीओएस में फ्रॉड प्रबंधन सोल्यूशन का क्रियान्वयन, एटीएम पर द्रंजेक्सन रसीदों की हिन्दी में प्रिंटिंग, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, तेलगू, कन्नड तथा बंगाली क्षेत्रीय भाषा में स्क्रीन का चयन शुरू किया गया है। यूएई के लिए वीजा डेबिट कार्ड, फिजी के लिए बीएसपी (बैंक सातथ पैसिफिक) इंटरर्वैंज क्रियान्वयन, भारत, ओमान तथा मारिशस में चिप आधारित कार्ड की शुरुआत। आपके बैंक ने अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रूपे एटीएम कार्ड तथा रूपे केसीसी कार्ड की भी सफल शुरुआत की है।

- एसएमएस बैंकिंग

उन ग्राहकों के लिए जो केवल सूचना आधारित बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आपके बैंक ने बैलेंस इंक्वायरी, लघु विवरणी, पंजीकृत मोबाइल नं. से चेक की स्थिति जानने के लिए एसएमएस बैंकिंग प्रारंभ की है। इस उत्पाद का प्रयोग करना बहुत ही आसान और इतना सरल है कि कोई भी ग्राहक किसी पंजीकरण प्रक्रिया के बिना भी इसका उपयोग करना प्रारंभ कर सकता है।

- कानेक्ट सेंटर

आपके बैंक ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से नए उपायों के रूप में 360° दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन कार्यान्वित किया है। जिसमें ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने और निष्ठा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें संपर्क केंद्रों पर फोन द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। मौजूदा ग्राहक/संभावित ग्राहक टोल फ्री. नं. (1800223344 एवं 18001024455) पर संपर्क कर सकते हैं जहां निम्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं:

- चेक बुक जारी करना
- उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में जानकारी
- खाता संबंधी पूछताछ- बैलेंस, संव्यवहार, समाशोधन में राशि आदि
- एटीएम कार्ड की हॉट-लिंसिंग
- भुगतान रोकना-मार्किंग/अनमार्किंग
- डेबिट कार्ड जारी करने हेतु अनुरोध
- डेबिट कार्ड पिन पुनः जारी करने हेतु अनुरोध
- ई-बैंकिंग उपयोगकर्ता की सहायता
- मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड को पुनः जारी करना
- ऑनलाइन टी-पिन जारी करने की सुविधा (कागज रहित)
- आपके बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में मौजूदा ग्राहक/संभावित ग्राहकों को अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।
- सीआरएम एप्लीकेशन को बिक्री कार्यालयों जैसे रिटेल लोन फैक्ट्री (आरएलएफ) और सिटी सेल्स ऑफिस (सीएसओ) से भी जोड़ा गया है। जिसमें ग्राहकों द्वारा संपर्क केंद्रों में उत्पाद संबंधी की गई पूछताछ के आधार पर लीड तैयार की जाती है और इन कार्यालयों में इसे अनुवर्ती कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।
- आपके बैंक ने केंद्रों के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। जिसमें ग्राहकों को उनकी ईएमआई और देय राशि के बारे में सूचित किया जाता है। इससे ग्राहकों को देय तिथि पर ईएमआई/देय राशि जमा करने में सुविधा होती है।



भुगतान पद्धति

- आपके बैंक की सभी शाखाओं में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अंतर बैंक धनप्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। आपके बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में भी आरटीजीएस तथा एनईएफटी शुरू कर दी गई है। बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों में एनईएफटी तथा आरटीजीएस की सरल प्रक्रिया कार्यान्वित कर दी गई है। आपके बैंक ने बढ़ते हुए कार्य को सोर्पोर्ट प्रदान करने के लिए आईटी की आधारभूत संरचना को अपग्रेड किया गया है, बनावट में परिवर्तन किया है तथा एनजीआरटीजीएस के लिए ISO20022 संदेश प्रारूप उपयोग में लाया जा रहा है। आरटीजीएस एवं एनईएफटी सुविधा को यूगांडा में भी कार्यान्वित कर दिया गया है।
- व्यापारियों तथा इंटरनेट शॉप्स को ऑनलाइन खरीददारी करने वालों के लिए सुरक्षित और संरक्षित खरीददारी के लिए डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड संबंधी इंटरनेट पेमेंट गेटवे बढ़ी संख्या में प्रदान किए जा रहे हैं।
- भारत में विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्राधिकृत सभी शाखाओं और 22 विदेशी केंद्रों सहित विश्वभर में अंतर बैंक वित्तीय संप्रेषण के लिए स्विफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
- भारत में सभी प्राधिकृत शाखाओं तथा 22 विदेशी केंद्रों में पेमेंट मेसेजिंग सॉल्यूशन (पीएमएस) लागू किया गया है। पीएमएस के माध्यम से सीबीएस द्वारा स्विफ्ट मानकों के अनुरूप तैयार स्विफ्ट संदेशों की वैधता एवं फार्मटिंग की सुविधा प्राप्त होती है और यह एमएल जांच से भी गुजरता है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुंबई तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी प्रिड, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में माइकर केंद्रों में प्रिड आधारित चेक ट्रैकेशन सिस्टम (सीटीएस) लागू किया गया है।
- जमा व नामे दोनों प्रकार के संव्यवहारों के लिए राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) लागू किया गया है।

अन्य ग्राहक केंद्रित पहलें



मैलापुर शाखा, चेन्नई में कॉयन वेंडिंग मशीन का उद्घाटन करते हुए श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- आपके बैंक ने बहुमूल्य ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च स्तरीय विशिष्ट रूप से निर्मित आईटी समर्थित उत्पादों तथा सेवाओं की शुरुआत की है। इसी तरह अन्य उत्पाद तथा सेवाएं जैसे आरबीआई इन्फलेशन इंडेक्स बॉण्ड, अधिक मात्रा में गिफ्ट कार्ड जारी

करना, डेबिट कार्ड तथा पिन मेलर को सीधे ग्राहक के पास प्रेषित करना, एक्सचेंज हाऊस के लिए धन अंतरण सेवा योजना के तहत धन प्रेषण आदि भी लागू की गई हैं।

- नकदी प्रबंधन प्रणाली एक पूर्णतः वेब आधारित नकदी प्रबंधन सॉल्यूशन है जो आपके बैंक के ग्राहकों के लिए प्रारंभ की गई है, इसमें रसीद प्रबंधन (वसूली), भुगतान प्रबंधन तथा इनवायस प्रबंधन (प्राप्त और देय प्रबंधन) जैसी सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने नकदी प्रबंधन प्रणाली के लिए टू फैक्टर ऑर्थिटिकेशन (2 एफ) लागू किया है, ग्राहकों के लिए नया चैनल प्रारंभ किया गया है ताकि शीघ्रता से सरल प्रक्रिया (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) (एसटीपी) के साथ अपने धन का प्रबंधन कर सकें।
- आपके बैंक द्वारा रिटेल के साथ-साथ कार्पोरेट ग्राहकों के लिए रिटेल डिपोजिटरी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक केंद्रीयकृत डिपोजिटरी एप्लीकेशन के साथ शाखाएं एनसीडीएल तथा सीडीएसएल दोनों को डिपोजिटरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई हैं। ऑनलाइन ट्रैडिंग प्रणाली के साथ, आपका बैंक ग्राहकों को इकिवटी म्यूचुअल फण्ड, बांड तथा इनिशियल पल्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) जैसे लिखितों में व्यवसाय करने के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने में समर्थ होगा।
- आपके बैंक ने डेबिट कार्ड परिचालन में सहयोग तथा व्यापक प्रबंधन उपलब्ध कराने के लिए नई पीएडीएसएस शिकायत डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है।
- आपके बैंक ने आधार कार्ड आधारित भुगतान जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) आधार भुगतान बिन्ज प्रणाली (एपीबीएस) के तहत प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांगटी अधिनियम (एमजीनरेगा) के वेतन भुगतान के लिए पहल की है।
- वित्तीय समावेशन के तहत खोले गए खातों के मामले में आधार नंबर पर आधारित पीओएस मशीनों से संव्यवहार करने के लिए आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस)।
- आपके बैंक ने राज्य ट्रेजरी में सीधे प्राप्त होने वाली योजना निधि के भुगतान के लिए राज्य सरकार हेतु सेंट्रल ग्रोजाइवर्ट स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएम) में विस्तार किया है। सीपीएसएमएस के तहत मुद्रित भुगतान एडवांस (पीपीए) आधारित भुगतान एवं डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र आधारित भुगतान योजना भी कार्यान्वित की गई है।
- एनपीएस, एनपीएसलाइट (आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को उनके बुढ़ापे के दौरान उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना), एनआरआई के लिए एमजीपीवाई लागू की गई है।
- ऑनलाइन व ऑफलाइन संव्यवहारों तथा खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए आईटी ढांचे को विकसित किया गया है। यह कार्य व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह वित्तीय समावेशन समर्थित भी है।
- बैंक की वित्तीय समावेशन पहल के रूप में गुजरात, यूपी एवं बिहार में पायलट आधार पर मोबाइल वैन बैंकिंग शुरू की गई है।
- आपके बैंक की बाजार पर पैठ बनाने के प्रयोजन से ग्राहकों से लगातार



फीडबैक लेने के लिए एक ऑनलाइन ग्राहक सर्वे पोर्टल विकसित किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल ग्राहकों/ विजिटर्स के लिए लॉगइन करने तथा उनके फीडबैक/ सुझाव/ शिकायतों की स्थिति को देखने के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- वर्ष के दौरान यूआईडी नम्बरों को लिंक करने, खाता संख्या पोर्टेबिलिटि, केवायसी संबंधी सूचना प्राप्त करने, खाता खोलने की प्रक्रिया सरल करने, कोर बैंकिंग प्रणाली में विलेज कोड जोड़ने जैसी विभिन्न पहलों की गई हैं।
- वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों के माध्यम से किए गए सभी ट्रांजेक्शनों के लिए तथा निर्धारित सीमा से अधिक की सभी सीबीएस ट्रांजेक्शनों के लिए आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा भी शुरू की है। खाता खोलना, खाता सक्रिय करना, ऋण खातों में ब्याज दर में परिवर्तन, ऋण खातों में किस्त देय / अतिवेद्य का नोटिस, चेक बुक भेजने (डिलीवरी विवरण के साथ), चेक अस्वीकृत होने, एफडी परिपक्वता का नोटिस, ग्राहक को केवायसी अनुपालना के लिए नोटिस, आधार लिक्डिलिक के समय नोटिस, संभावित निष्क्रिय खाते का नोटिस, खाते के निष्क्रिय होने के समय नोटिस जैसे गैर-वित्तीय कार्यों के लिए भी ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।

सहायक सेवाएं

- परिचालन की लागत को कम करने तथा बेहतर निधि प्रबंधन के लिए यूके, यूएई, बहामास, बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर, बेल्जियम तथा भारत में इंटीग्रेटेड ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन क्रियावित किया गया है।
- आपके बैंक द्वारा दी जा रही सेवा में सुधार करने के लिए, बैंक ऑफिस कार्य को सिटी बैंक ऑफिस तथा क्षेत्रीय बैंक ऑफिस में केन्द्रीयकृत किया गया है। वर्तमान में आपके बैंक में 70 सिटी बैंक ऑफिस तथा 12 क्षेत्रीय बैंक ऑफिस हैं। वैयक्तिक चेक बुक जारी करने के कार्य को केन्द्रीयकृत किया गया है। आपके बैंक ने केन्द्रीयकृत एफसीएनआर परिचालन भी शुरू किया है।
- बेहतर एवं शीघ्र ग्राहक सेवा देने के लिए आपके बैंक ने अपने लोन प्रोसेसिंग (रिटेल, कृषि, एसएमई) मॉड्यूल को पूर्ण रूप से स्वचालित किया है। आपका बैंक आवास ऋण, वाहन ऋण तथा शिक्षा ऋण के लिए सिंगल विलक पर ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराता है।
- इंटरप्राइज वाइड जीएल सोल्यूशन क्रियावित कर दिया गया है। यह आपके बैंक को व्यवसाय विकास में नीतिगत निर्णय लेने के इनपुटों के विविध प्रकार उपलब्ध कराता है तथा इंटरप्राइज वाइड समेकित रिपोर्ट जनरेट करता है।
- भारत में आपके बैंक के सभी कार्यालयों में केन्द्रीयकृत पेरोल, वेतन मॉड्यूल, ई-टीडीएस मॉड्यूल तथा छुट्टी मॉड्यूल को क्रियावित किया गया है।
- निर्णय लेने, पदोन्नति एवं चयन प्रक्रियाओं को सरल करने तथा अन्य एचआर प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए बैंक कर्मचारियों का एक केन्द्रीयकृत डेटाबेस तैयार करने के प्रयोजन से कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क क्रियावित किया गया है।
- कार्यनीति संबंधी सूचना का लचीला एवं प्रभावशाली स्रोत, बेहतर ग्राहक पहचान के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन तथा माध्यमों में समान

ग्राहक दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक ने, अपनी व्यवसाय कार्यनीति के एक हिस्से के रूप में, डेटा वेयरहाउस प्रारंभ किया है। यह रेगुलेटर को स्वचालित डेटा फ्लो की सुविधा भी प्रदान करता है।

- आपके बैंक ने विनियम, उन्नत विशेषताओं सहित ई-बिजनेस सूइट, व्यापक ग्राहक संबंध प्रबंधन, एचआरएनईएस तथा इंटरप्राइज वाइड जीएल मॉड्यूल जैसी मौजूदा एप्लीकेशनों को अपग्रेड किया है।
- विनियामक अनुपालना के लिए धनशोधन निवारण (एमएल) को भारत में तथा 22 विदेशी केन्द्रों में क्रियावित किया गया। आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन सोल्यूशन को क्रियावित किया है। आपके बैंक ने अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी एमएल सोल्यूशन को क्रियावित किया है।
- वर्ष के दौरान विभिन्न नयी विनियामक आवश्यकताओं जैसे कि एटीएम, नेट बैंकिंग, एसएमएस जैसे विभिन्न माध्यमों से आधार भरना, पेन नम्बरों का ऑनलाइन सत्यापन एवं वैधीकरण, ग्राहक आईडी का डी-इप्लीकेशन इत्यादि, को पूरा किया गया।

सूचना सुरक्षा

प्रौद्योगिकी से संबंधित खतरों के मद्देनजर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन तथा अन्य सभी एप्लीकेशनों, साथ ही डाटा सेंटर / डिजास्टर रिकवरी सेंटर इंफनस्ट्रक्चर का बाहरी एजेंसियों से ऑडिट कराया है। शाखाओं में सीबीएस लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया गया है।

आपके बैंक ने उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओएस) स्थापित किया है। आपके बैंक का डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर दोनों ही आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित हैं।

इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम तथा पीओएस के लिए आपके बैंक ने फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन कार्यावित किया है। इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने, दोहरे प्रामाणीकरण सहित फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन भारत में तथा 7 विदेशी केन्द्रों पर आरंभ किया है और इसे एआरसीओटी ओटीपी, पीयूएलएल ओटीपी तथा एसएमएस ओटीपी द्वारा समर्थ किया है।

आपके बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए शाखाओं में हो रहे संदिग्ध संव्यवहारों की दिन-प्रतिदिन निगरानी के लिए फ्रॉड जोखिम प्रबंधन प्रणाली क्रियावित की है।

अब जबकि साइबर अटैक अब और अधिक अप्रत्याशित हो गए हैं और इलैक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली नए प्रकार के दुरुस्पष्टों से प्रभावित हो सकती है। यह अत्यावश्यक हो गया है कि बैंक ऐसे खतरों से बचने के लिए तथा नुकसान को रोकने / न्यूनतम करने के लिए कुछ न्यूनतम जांच और संतुलन कायम करें।

नुकसान को न्यूनतम करने के लिए आपके बैंक ने निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं जिन्हें शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

- आपके बैंक ने कार्ड से किए जाने वाले संव्यवहारों के लिए जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को क्रियावित किया है।



- सभी नए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड घरेलू उपयोग के लिए जारी किए जाएंगे, जब तक कि ग्राहक द्वारा विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए मांगा नहीं जाए.
- आपका बैंक मौजूदा मैगस्ट्रिप कार्डों को ईएमवी चिप कार्ड में परिवर्तित करेगा.
- आपका बैंक पिन समर्थित पीओएस आरंभ करेगा.
- आपका बैंक कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को शामिल करने के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा आरंभ करेगा

ई-बिजनेस

ट्रांजेक्शन बैंकिंग विभाग ने ग्राहक संपर्क बढ़ाने, परिचालनगत लागत कम करने तथा नयी व्यवसाय संभावनाओं को विकसित करने के लिए कई वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों की शुरुआत की है। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, आरटीजीएस/ एनईएफटी इनमें से कुछ हैं। वर्ष के दौरान बल्कि कैश एक्सेप्टर, पासबुक प्रिंटर, इंटरनेट बैंकिंग किओस्क तथा 45 बड़ौदा नॉन-स्टॉप 24 x 7 लाबी खोलने आदि के रूप में स्वयं सेवा यूनिटों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न यूनिटों के कार्यनिष्ठादान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

❖ एटीएम लगाना तथा डेबिट कार्ड जारी करना

| विवरण | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि |
|--|------------|------------|----------------------|
| परिचालित एटीएम की संख्या | 2,630 | 6,254 | 3,624 |
| जारी डेबिट कार्डों की संख्या (लाख में) | 103.76 | 121.90 | 18.14 |

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान नई पहलें / उपलब्धियां

- एटीएम को बहुभाषीय स्क्रीन के साथ समृद्ध करना तथा दृष्टिहीन लोगों के लिए 1,200 बोलने वाले एटीएम लगाना।
- आपके बैंक ने बहुत अधिक कैश प्राप्त होने वाले केन्द्रों पर 85 बंच नोट/ कैश एक्सेप्टर उपलब्ध कराए हैं।
- आपके बैंक ने ग्राहकों को तुरंत जारी करने के लिए गैर वैयक्तिक कार्ड लांच किया है।

❖ बड़ौदा कनेक्ट (इंटरनेट बैंकिंग)

| विवरण | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------|
| प्रयोक्ताओं की संख्या (लाख में) | 10.80 | 13.68 | 2.88 |
| सहबद्ध खातों की संख्या (लाख में) | 45.80 | 61.79 | 15.99 |

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान नई पहलें

- आपके बैंक ने नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से फंड ट्रांसफर सुविधा तथा बड़ौदा गिफ्ट कार्ड की खरीद प्रारंभ की है

❖ बड़ौदा एम-कनेक्ट (मोबाइल बैंकिंग)

| विवरण | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|
| पंजीकरणों की संख्या (लाख में) | 6.07 | 12.95 | 6.88 |
| संव्यवहारों की कुल राशि (लाख में) | 7,704 | 46,525 | 37,921 |
| प्रतिदिन औसत ट्रांजेक्शन | 9,085 | 16,822 | 7,737 |

❖ बड़ौदा आरटीजीएस/ एनईएफटी

| विवरण | एनईएफटी | | | आरटीजीएस | | |
|--------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि |
| प्रतिदिन आवक ट्रांजेक्शन | 76,361 | 1,66,772 | 90,411 | 9,929 | 12,057 | 2,128 |
| प्रतिदिन आवक ट्रांजेक्शन | 25,092 | 56,684 | 31,592 | 11,717 | 13,754 | 2,041 |

❖ बड़ौदा ई-गेटवे (इंटरनेट भुगतान गेटवे)

| विवरण | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि |
|---------------------|------------|------------|----------------------|
| टर्नओवर (करोड़ में) | 50.85 | 118.33 | 67.48 |
| लाभ (लाख में) | 65.68 | 130.02 | 64.34 |

❖ बड़ौदा नकदी प्रबंधन

| विवरण | 31/03/2013 | 31/03/2014 | वर्ष के दौरान वृद्धि |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------|
| ट्रांजेक्शनों की सं. (लाख में) | 30.91 | 21.32 | -9.59 |
| टर्नओवर (करोड़ में) | 27,480 | 89,920 | 62,440 |
| आय (करोड़ में) | 0.97 | 1.31 | 0.34 |



वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान ई-बिजनेस में अन्य पहलें

- खाता विवरणी को सहजतापूर्वक अद्यतन करने के लिए 1,200 सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर लगाना.
- बहुत अधिक कैश प्राप्त करने वाले केन्द्रों पर 85 बंच नोट एक्सेप्टर (बोएनए) लगाना.
- आरआरबी के लिए केसीसी कार्ड तथा डेबिट कार्ड जारी करना शुरू करना.
- ईएमवी चिप डेबिट कार्ड की शुरुआत करना.
- कार्पोरेट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवा हेतु वेब मॉड्यूल का क्रियान्वयन.
- एक्टीवेशन तथा प्रयोग को बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंकिंग रिवार्ड अभियान शुरू करना.
- कान्टेक्ट सेंटरों पर आईवीआर सुविधा में वृद्धि करना.
- बड़ौदा एसएमएस बैंकिंग सुविधा का क्रियान्वयन.
- स्वचालित समाशोधन के लिए एनएसीएच सुविधा शुरू करना.

वित्तीय वर्ष-15 से लिए योजनाबद्ध ई-बिजनेस संबंधी पहलें

- एटीएम/ कैश डिस्पेंसर की संख्या में वृद्धि कर इन्हें 8000 तक पहुंचाना.
- विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए वीजा, मास्टर एवं रूपे के ईएमवी डेबिट कार्ड प्रारम्भ करना.
- 1,000 अतिरिक्त ब्लॉक नोट एक्सेप्टर/ कैश रीसाइक्लर्स लगाना.
- एटीएम पर बिल भुगतान, कार्ड से कार्ड फंड ट्रांसफर इत्यादि जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं आरम्भ करना.
- एसएमएस के माध्यम से डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग एनेबल करना
- अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के रूप में बड़ी राशि के भुगतान लेनदेनों के लिए बड़ौदा कनेक्ट में डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा शुरू करना.
- मोबाइल बैंकिंग में, एनपीसीआई के समन्वयन से आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली (एचीपीएस) आरम्भ करना.
- मोबाइल बैंकिंग के लिए क्षेत्रीय बैंक ऑफिस (आरबीओ) को अपने स्तर पर खोले गए सभी पात्र खातों को पंजीकृत करने के लिए समर्थ करना.
- सेल्फ सर्विस फुट प्रिंट तथा ब्रांड दृश्यता में वृद्धि करने के लिए 100 अतिरिक्त सेल्फ सर्विस बड़ौदा नॉन स्टाप लॉबी खोलना.
- 400 अतिरिक्त मल्टी फंक्शन किओस्क स्थापित करना.
- ग्राहकों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई-पासबुक सर्विस प्रारम्भ करना.

मानव संसाधन - बिजनेस उत्कृष्टता के लिए सक्षमता एवं जूनून पैदा करना

आपके बैंक की सफलता एवं इसका चहुंमुखी विकास, बैंक में विद्यमान विभिन्न आस्तियों के परिणामस्वरूप है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है इसकी मानव पूँजी - इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, जिन्होंने बैंक को वृद्धि के माध्यम से व्यापक परिप्रेक्ष्य में नई ऊंचाइयों पर पंहुचाया है।



जामनगर क्षेत्र में कर्मचारी सम्मेलन के दौरान श्री एस. एस. मूद्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य उच्चाधिकारी

आपके बैंक के पास 46,001 कुशल एवं योग्य कर्मचारियों के रूप में एक बड़ी श्रम शक्ति है, जो चिंतन, ध्यान तथा सक्षमता के माध्यम से हितधारकों के मूल्य संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

अपनी उत्कृष्टता के इस सफर में ऊंचाइयों पर पहुंचने की सभी हितधारकों की बड़ी आकांशाओं और बड़े सपनों को पूरा करने का उत्तरदायित्व आपके बैंक ने लिया है, यह वास्तव में आपके बैंक की मानव शक्ति ही है जिसने यह संभव किया है।

आपके बैंक के निरंतर विकास के लिए इस पूँजी का महत्व समझने के लिए जहां एक तरफ तो बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति, प्रतिभावान लोगों की व्यापक भर्ती, बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण आवश्यकताएं, उच्च उत्पादकता के



लिए लगातार नई योजनाएं एवं उन्हें लागू करने जैसी बहुत सी चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके बैंक ने हाल ही में और मुख्यतः वित्तीय वर्ष-14 में मानव संसाधन के क्षेत्र में बहुत सारी पहलें की हैं।

भर्ती, पदोन्नति, तैनाती इत्यादि जैसी नियमित मानव संसाधन गतिविधियों के अलावा आपके बैंक में व्यापक एवं बेहद सुगठित मानव संसाधन प्रोजेक्ट के सम्पूर्ण विस्तार के अंतर्गत मानव संसाधन संबंधी नये संशोधन/ सुधार प्रारम्भ करने का कार्य किया गया है जिसे प्रोजेक्ट स्पर्श- सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय के लिए मानवीय स्पर्श नाम दिया गया है।

आपके बैंक में मानव संसाधन कार्यों के विभिन्न तत्वों का समेकित ढांचा तैयार करने के लिए बैंकिंग उद्योग में यह एक असमानान्तर मानव संसाधन रूपांतरण प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट स्पर्श के अगस्त 2011 में शुरू होने के बाद से ढाई वर्ष बीत जाने के बाद, कई नयी एवं अनूठी एचआर पहलें प्रारम्भ की गई हैं तथा अन्य मौजूदा नीतियों, योजनाओं, प्रक्रियाओं में सुधार किया गया हैं ताकि उन्हें और अधिक व्यापक, अत्याधुनिक, कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जा सके तथा बैंक के व्यवसाय के साथ महत्वपूर्ण सामंजस्य स्थापित हो सके।

वित्तीय वर्ष-14 में एचआर के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का



विवरण निम्नानुसार है:

नीतिपरक जनबल आयोजना और भर्ती अभियान

व्यवसाय की वृद्धि तथा उसे बनाए रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट जनबल का मिलना पहली आवश्यकता है। इसलिए स्तर, दक्षता तथा शाखा द्वारा मानव शक्ति की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सशक्त श्रमशक्ति आयोजना मॉडल तैयार किया गया है। यह विभिन्न एचआर कार्यों जैसे भर्ती आयोजना, कैरियर उन्नति, रिक्तियां तथा पदस्थापना / तैनाती में अगले कुछ वर्षों के लिए नीतिपरक श्रमशक्ति आयोजना शामिल करने के लिए भी तैयार किया गया है।

आपके बैंक ने एक स्पष्ट परिभाषित भर्ती नीति तैयार की है जोकि विभिन्न चैनलों से भर्ती, नीतिपरक श्रम शक्ति आयोजना के अनुसार उभर रही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में भर्ती करने और नीचे बताये गए अनुसार स्पष्ट परिभाषित नियोजक प्रस्तावक शब्द "FIRST" की संकल्पना का अनुकरण करती है।



बैंक की वेबसाइट पर एक विशेष रूप से तैयार 'कैरियर पोर्टल' का शुभारंभ किया गया जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य के विभिन्न तथ्यों को व्यक्त करते हुए स्पष्ट संबंधित खंडों के साथ इस मूल्य अवधारणा को परिभाषित करता है कि क्यों आपका बैंक किसी भावी आवेदक के लिए पसंदीदा जगह है। उल्लेखनीय रूप से इन कार्यनीतियों से आपके बैंक की 'नियोजक ब्रांडिंग' को बड़ी प्रेरणा मिलती है।

नये भर्ती स्टाफ सदस्यों को बड़ौदा परिवार में सहज तथा प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए आपके बैंक ने एक बेहद सुगठित तथा केन्द्रित 'ऑन ब्रॉडिंग प्रोग्राम' तैयार किया है जिसका उद्देश्य न केवल बैंक में नये भर्ती स्टाफ सदस्यों को कार्य के अनुकूल ढालना है अपितु इस संस्थान में उनकी सांस्कृतिक समीकरण को आत्मसात करना भी है। इसके अलावा आपके बैंक ने नये भर्ती स्टाफ सदस्यों के लिए एक केन्द्रित मैटरिंग प्रोग्राम 'बड़ौदा सारथी' भी शुरू किया है जिसमें वरिष्ठ कर्मचारी - एक मैटर, नए कर्मचारियों की कार्पोरेट क्षेत्र में सहजता से समंजित होने तथा आपके बैंक के कार्य एवं महत्वपूर्ण पद्धति को अपनाने में उसकी मदद करता है।

बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग



Baroda MANIPAL School of Banking

KNOWLEDGE YOU CAN BANK UPON

Joint Initiative of

Bank of Baroda

MANIPAL
EDUCATION

बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग (बीएमएसबी) 'फर्स्ट डे, फर्स्ट आकर' प्रोडक्टिविटी मॉडल पर विद्यार्थियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में

बैंकिंग कैरियर के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए बैंक ॲफ बड़ौदा तथा मणिपाल ग्लोबल एज्यूकेशन की एकमात्र संस्था है जिसमें प्रशिक्षित अधिकारियों का कुशल दल है। विद्यार्थी एक वर्षीय संकेन्द्रित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जोकि विशिष्ट रूप से बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है और बैंक में प्रोबेशनरी आफिसर के रूप में लिए जाने से पहले वे बैंकिंग व वित्त में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल करते हैं। यह प्रोग्राम प्रशिक्षण, भर्ती एवं तैनाती के इनवर्टिड मॉडल पर कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष-14 के दौरान भर्ती अभियान

आपका बैंक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सेवानिवृत्ति, व्यवसाय विकास को बनाए रखने व तीव्र शाखा विस्तार इत्यादि पर विशेष ध्यान देते हुए भर्ती के विशेष प्रयास कर रहा है। आपके बैंक की श्रम शक्ति संबंधी समस्या को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया। आपके बैंक की दोनों ही तरह की जरूरतों - सामान्य रूप से नौकरी छोड़कर जानेवालों की जगह भरने व व्यवसाय विकास की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से विशेषज्ञ अधिकारियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा लिपिकों की भर्ती की शुरुआत की गई। आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों/ वेतनमानों में 2,685 अधिकारियों (सामान्य और विशेषज्ञ दोनों), 3125 लिपिकों तथा 439 अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों की भर्ती की, इसमें वर्ष 2013-2014 की अवधि के दौरान कुल 6,249 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। भर्ती प्रक्रिया 2014-15 के दौरान भी जारी है जिसके तहत अधिकारियों के लगभग 3800 पदों और लिपिकों के 3800 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

प्रतिभा प्रबंधन व्यवस्था का गठन

बैंक में संभावित युवा लीडरों को निर्धारित करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने की दृष्टि से ताकि वे कठिन परिस्थितियों में काम कर सकें और भविष्य में भावी नेतृत्व प्रदान कर सकें, आपके बैंक ने एक सुगठित टेलेन्ट मेनेजमेंट सिस्टम बनाने तथा उसे लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यह पद्धति विभिन्न मानदंडों के आधार पर भविष्य के संभावित लीडरों का निर्धारण करती है तथा उनको प्रत्येक चयनित लीडर के लिए विधिवत विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षित भी करती है।

यह एक वार्षिक प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष-14 में आपके बैंक ने अधिकारियों के विभिन्न स्केल अर्थात् स्केल II, III, IV, V तथा VI में लगभग 20% लोगों का चयन भावी लीडरों के रूप में किया गया है।

कैरियर विकास हेतु रूप-रेखा

आपके बैंक द्वारा कर्मचारियों के कैरियर विकास के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किए गए हैं। खासकर उनके प्रयासों के लिए उन्हें पुरस्कृत करना तथा उन्हें कार्पोरेट पदानुक्रम अर्थात् कैरियर में आगे लाना और इस प्रकार संस्थागत तथा व्यक्तिगत अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करना शामिल है।

आपका बैंक न केवल पदानुक्रम में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है बल्कि उन्हें विस्तृत एक्सपोजर प्रदान करने तथा उनके लिए कड़ी मेहनत से प्राप्त किया जाने वाला एक स्पष्ट कैरियर पाथ प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यों में अधिकारियों का समानांतर स्तर भी सुनिश्चित करता है।

हाल के वर्षों की तरह, वित्त वर्ष 14 में भी, सभी संवर्गों में पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई तथा निम्नलिखित तालिका के अनुरूप कुल 3,525 कर्मचारियों को उच्च ग्रेड/ स्केल में पदोन्नति किया गया।



| श्रेणी | कर्मचारियों की सं. |
|--|--------------------|
| सब स्टाफ से लिपिक | 149 |
| लिपिक से अधिकारी | 532 |
| क.प्र.श्रे - I से म.प्र.श्रे. - II (अधिकारी से प्रबंधक) | 1271 |
| म.प्र.श्रे. - II से म.प्र.श्रे. - III (प्रबंधक से वरि. प्रबंधक) | 950 |
| म.प्र.श्रे. - III से व.प्र.श्रे. - IV (वरि. प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक) | 466 |
| व.प्र.श्रे. - IV से व.प्र.श्रे. - V (मुख्य प्रबंधक से सहा. महाप्रबंधक) | 90 |
| व.प्र.श्रे. - V से ३.का.श्रे. - VI (सहा. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक) | 48 |
| ३.का.श्रे. - VI से ३.का.श्रे. - VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक) | 19 |

कर्मचारी नियुक्ति एवं पुरस्कार

उच्च अभिप्रेरणा एवं उत्पादकता हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के लिए आपके बैंक ने हाल ही में 'कर्मचारी प्रोत्साहन' पर एक नीति बनाई हैं। इस नीति के अनुसार एचआर तथा उच्च प्रबंधन के साथ कर्मचारियों के संबंधों को सुधारने के लिए संतोषजनक सर्वे करना, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कर्मचारियों के मेलजोल के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना इत्यादि जैसी पहलें की गई हैं।

कार्यनिष्पादन की संस्कृति विकसित करने तथा सर्वोच्च कार्यनिष्पादकों को पुरस्कृत करने के लिए, आपके बैंक ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है।

एचआर प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

आपके बैंक ने एचआरएम, प्रशिक्षण, पेरोल व छुट्टी के मॉड्यूल जैसी कर्मचारी सेवाओं के लिए एक बहुत ही विशेष एचआर तकनीक प्लेटफार्म तैयार किया है, जिसे 'कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क (एचआरएनईएस)' नाम दिया गया है। इस तकनीकी प्लेटफार्म ने विभिन्न एचआर कार्यों एवं प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है। एचआर स्वचालन, विभिन्न एचआर पहलों को बनाए रखने तथा उनको क्रियान्वित करने में अत्यंत कारगर है तथा कुछ प्रक्रियाओं को पूरी तरह स्वचालित कर दिया गया है इससे एचआर कार्यों की दक्षता में वृद्धि होती है वहीं समय भी कम लगता है।

उपरोक्त एचआर कार्यों के अतिरिक्त, वित्त वर्ष-14 के दौरान आपके बैंक में एचआर विभाग की कार्य प्रणाली भी सुदृढ़ की गई है तथा नियमित प्राशसनिक गतिविधियों का एचआर बैंक-ऑफिस में केन्द्रीकरण कर इसे और अधिक सक्षम बनाया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ों वर्गों के विकास पर विशेष बल

बैंक भारतीय समाज के एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंधों एवं सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक पूरे बैंकिंग उद्योग में उन चुनिदा बैंकों में से एक है जिसके पास एससी एवं एसटी संवर्ग से जुड़े अधिकतम कर्मचारी हैं, जिससे बैंक की इस वर्ग के विकास एवं उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता का पता

चलता है। बैंक द्वारा एससी एवं एसटी लोगों के विकास एवं कल्याण के संबंध में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है।

1. नौकरियों में आरक्षण

बैंक अपनी अखिल भारतीय एवं भर्ती योजनाओं में भारत सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण के संबंध में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। अखिल भारतीय नियुक्तियों में तथा बैंक द्वारा शुरू किए जा रहे भर्ती के एक नए चैनल बड़ोंदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग के लिए चयन में कुल पदों में से 15% पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। क्षेत्रीय आधार पर की गई अन्य भर्तीयों में विभिन्न राज्यों के तिए निर्धारित उपयुक्त प्रतिशत का अनुपालन किया जा रहा है। बैंक में भर्ती के संबंध में एससी/एसटी आवेदकों के लिए भर्ती पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आयु सीमा एवं योग्यता में उपयुक्त रियायत प्रदान की जाती है। एससी/एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में भी रियायत बरती जाती है ताकि आरक्षित पदों पर नियुक्ति हो सके। भर्ती हेतु समीक्षा पैनल में अनिवार्य रूप से एससी/एसटी सदस्य शामिल किया जाता है। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए एससी/एसटी अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। नौकरी में आरक्षण देने के अलावा बैंक विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप एससी/एसटी कर्मचारियों के कैरियर विकास एवं पदोन्नति के संबंध में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बैंक के उपलब्ध आवासों में एससी/एसटी के लिए 10% का आरक्षण किया गया है।

31 मार्च 2014 को स्टाफ की संख्या एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा:

| कैंडर | कुल | एससी | एससी% | एसटी | एसटी% |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| अधिकारी | 19,710 | 3,429 | 17.40 | 1,423 | 7.22 |
| लिपिक | 18,043 | 2,600 | 14.41 | 1,310 | 7.26 |
| सब स्टाफ | 8,248 | 2,760 | 33.46 | 798 | 9.68 |
| कुल | 46,001 | 8,789 | 19.11 | 3,531 | 7.68 |

2. आरक्षण कक्ष

बैंक में आरक्षण तथा एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए अन्य सम्बद्ध प्रावधानों की निगरानी के लिए एक विशेष आरक्षण कक्ष कार्यरत है। महाप्रबंधक स्तर के एक कार्यपालक एससी/एसटी/ पीडब्ल्यू एवं भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी हैं जो एससी/एसटी/ पीडब्ल्यू एवं भूतपूर्व कर्मचारियों से संबंधित विविध दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। बैंक के प्रत्येक अंचल में एससी/एसटी हेतु एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है जो अंचल के एससी/एसटी कर्मचारियों के सभी मामलों एवं शिकायतों के निपटारे की स्थिति की देखरेख करता है।

3. अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण संघ के साथ बैठक

बैंक कार्पोरेट स्तर की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करता है ताकि उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके एवं एससी/एसटी संबंधी आरक्षण तथा अन्य प्रावधानों की समीक्षा की जा सके।



इन बैठकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालक जिसमें एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व कर्मचारियों हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी शामिल हैं, भाग लेते हैं।

4. भारत रत्न डॉ बाबा साहब अंबेडकर मैमोरियल ट्रस्ट

बैंक ने 1991 में 'भारत रत्न डॉ बाबा साहब अंबेडकर मैमोरियल ट्रस्ट' की स्थापना की जिससे कि एससी/ एसटी कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों के लाभ हेतु कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। एससी/ एसटी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के अतिरिक्त यह ट्रस्ट देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर सामान्य एससी/ एसटी समुदाय के जरूरतमंद छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दौरा

वित्तीय वर्ष-14 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आपके बैंक का 22 अक्टूबर, 2013 भुवनेश्वर में तथा 26 अक्टूबर, 2013 गुवाहाटी में दौरा किया। आयोग के सुझावों तथा दिशा-निर्देशों का आपके बैंक में कडाई से पालन किया जा रहा है।

एचआर के क्षेत्र में बैंक के समग्र प्रयासों के कारण, आपके बैंक ने नियोजकों के क्षेत्र में अपनी सकारात्मक पहचान बनाई है जिसे इस तथ्य के साथ प्रामाणित किया जा सकता है कि वर्ष 2013 में आईबीपीएस की रैंकिंग के अनुसार नये भर्ती लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहली पसंद का सार्वजनिक क्षेत्र बैंक रहा है। हमें विश्वास है कि एचआर पहलों से अवश्य ही कर्मचारी उत्पादकता का विकास होगा तथा एचआर कौशल में सुधार, बैंक की मानव पूँजी का पूरा लाभ तथा तकनीकी प्रयोग के माध्यम से अग्रणी एचआर नीतियों एवं प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन द्वारा सतत एवं स्थायी एचआर प्लेटफार्म का निर्माण होगा।

प्रशिक्षण एवं विकास के लिए एक समर्पित कक्ष

बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा जन बल के प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा उसके साथ-साथ बैंक में बड़े पैमाने पर भर्ती के संदर्भ में प्रशिक्षण एवं विकास के महत्व को देखते हुए, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष-14 के दौरान बैंक में 'शिक्षण' के लिए एक नया कक्ष स्थापित किया है तथा मुख्य शिक्षण अधिकारी (सीएलओ) के रूप में एक नया पद बनाया है। सीएलओ महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी हैं जो शिक्षण मध्यस्थिता के माध्यम से संगठन की सहायता करेंगे।

इस नये विभाग के विस्तृत कार्य निम्नलिखित हैं =

- प्रभावी ज्ञान प्रबंधन के लिए ई-लर्निंग को संस्थागत स्वरूप देना एवं विकास करना
- नवोन्मेषी कार्यों के माध्यम से संगठन के बीच अध्ययन का माहौल बनाना
- ग्राहक शिक्षा के माध्यम से बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने में ग्राहकों की मदद करना।
- अन्य कार्य प्रमुखों के सहयोग से उपयुक्त कोर्स तैयार कर परिचालनगत प्राथमिकताओं के समरूप प्रशिक्षण देना।
- बड़ौदा अकादमी का संचालन ऐसे उद्देश्यों के लिए करना, जिनके लिए यह बनाई गई है।

आपके बैंक में 15 प्रशिक्षण संस्थान हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। ये सभी

स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद के नियंत्रण में हैं। स्टाफ कॉलेज ने अपने शानदार 49 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं तथा 21 नवंबर, 2013 को 'स्वर्ण जयंती वर्ष' में प्रवेश किया है। 'स्वर्ण जयंती वर्ष' को उसी दिन आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा लांच किया गया। स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए वर्षभर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान बैंगलूरु में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला गया।



श्री एस. एस. मुंदडा, सीएमडी, स्टाफ कालेज अहमदाबाद के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए

बैंक के संकाय सदस्यों ने बहुत से रिसर्च पेपर लिखे जिन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया गया तथा उसके पश्चात उन्हें प्रकाशित किया गया।

आपके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली में केस अध्ययन पद्धति का व्यापक रूप से प्रयोग होता है तथा प्रशिक्षण को उच्च अनुभव जन्य तथा अनुकरण-आधारित बनाने के लिए संकाय सदस्यों द्वारा विकसित केस अध्ययनों का एक पूल बनाया गया है।

बैंक द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में वर्षभर में बहुत से नवोन्मेषी कदम उठाए गए हैं। आपके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली को विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेषी प्रशिक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष-14 के दौरान इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट (आईएसटीडी) द्वारा बैंक को तीसरा पुरस्कार दिया गया।

उत्पादों के बारे में व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण

व्यापक स्तर के उत्पाद प्रशिक्षण के लिए आपके बैंक द्वारा 'एसेंड' नामक अभियान चलाया गया जिसमें फन्ट लाइन अधिकारियों को रिटेल ऋण, रिटेल अस्ट्रिं तथा ई-बिजनेस जैसे उत्पादों की जानकारी दी गई। इस अभियान को पूर्णतः प्रशिक्षकों एवं परिचालनगत बैंकरों द्वारा चलाया गया जिसमें 5,987 कर्मचारियों को कवर किया गया जो लक्ष्य समूह का लगभग 95% है।

इसी तरह से उत्पादों की जानकारी के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाने के लिए 'बड़ौदा ज्ञानी' नामक अखिल भारतीय विवर के दो दौर आयोजित किए गए। अपने उत्पाद संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता में सब-स्टाफ से अधिकारी तक के 4,000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रयोजन के लिए रिटेल उत्पादों पर ई-लर्निंग मॉडल भी शुरू किए गए।

नयी प्रशिक्षण नीति अपनाना

आपके बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक प्रशिक्षण नीति है। इसमें प्रशिक्षण गतिविधियों का पूरा क्षेत्र कवर होता है जिसमें



क) सुव्यवस्थित प्रक्रिया का निर्धारण, ख) सम्पूर्ण प्रशिक्षण ढांचा, ग) क्षमता निर्माण, घ) प्रशिक्षण प्रभाव का आकलन तथा, ङ) मध्यस्थता पद्धति शामिल हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष बल

बैंक समाज के एससी/ एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंधों एवं सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पदोन्नति प्रक्रियाओं के लिए उन्हें तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष-14 के दौरान लगभग 49 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1,221 एससी तथा 573 एसटी कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी तरह वित्तीय वर्ष-14 के दौरान विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में 9,602 एससी, 3,795 एसटी तथा 10,292 ओबीसी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

ग्राहकों के लिए प्रशिक्षण: 'कस्टमर कनेक्ट' अभियान

ग्राहक शिक्षा के रूप में, प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा ग्राहकों को नेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी-मार्च 2014 के दौरान एक अभियान चलाया गया। जिसमें विभिन्न केन्द्रों पर 15,342 से अधिक ग्राहकों को प्रशिक्षित किया गया तथा इस कार्य को पूरे कलैंडर वर्ष में चालू रखा जायगा।

क्षमता निर्माण संबंधी पहलें

अपने कर्मचारियों की नॉलेज पावर बढ़ाने के लिए, आपके बैंक में स्टाफ को क्रेडिट, फॉरेक्स, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, रिटेल बैंकिंग, सीबीएस, वित्तीय समावेशन, जोखिम प्रबंधन इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण बैंकिंग क्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपका बैंक आंतरिक संसाधनों के प्रयोग से तथा प्रतिष्ठित बाहरी ऐजेंसियों के साथ टाई-अप करके भर्ती किए गए नए अधिकारियों और लिपिकों के लिए 'ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम' नामक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारत तथा विदेशों में विभिन्न बिजनेस स्कूलों में अधिकारियों एवं कार्यपालकों के बाहरी प्रशिक्षण के अतिरिक्त बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष-14 के दौरान 49,044 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 2,337 से अधिक इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बाह्य प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष-14 के दौरान विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 988 स्टाफ सदस्यों को नामांकित किया गया। आपका बैंक बाह्य प्रशिक्षण को क्षमता निर्माण का अभिन्न भाग मानता है, इन कार्यक्रमों में उद्योग में विद्यमान उत्कृष्ट कार्य प्रणाली को सीखने तथा उसे अपनाने के लिए सभी स्तर के कर्मचारी भाग लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आयोजित किए गए कुछ महत्वपूर्ण एवं समर्पित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- आईएसबी, हैदराबाद में दि. 13 से 18 मई, 2013 तक आपके बैंक के महाप्रबंधकों एवं उप महाप्रबंधकों के लिए सर्वोच्च प्रबंधन कार्यक्रम।
- नये पदोन्नत सहायक महाप्रबंधकों तथा मुख्य प्रबंधकों के दो बैचों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई), नई दिल्ली में 13 से 17 मई, 2013 तथा 20 से 24 मई, 2013 तक सर्वोच्च प्रबंधन कार्यक्रम।

- बैंक के नये पदोन्नत सहायक महाप्रबंधकों के लिए संगठन विकास केन्द्र, हैदराबाद में 7 से 12 अक्टूबर, 2013 तक नेतृत्व विकास कार्यक्रम।
- ट्रिनिटि अकादमी, मुंबई के सहयोग से ट्रेजरी अधिकारियों के लिए 26 अगस्त से 05 सितम्बर 2013 तक इंटीग्रेटेड ट्रेजरी बॉर्स प्रोग्राम।
- चयनित अधिकारियों के लिए अक्टूबर-दिसम्बर 2013 के दौरान संप्रेषण एवं इनफ्लूएंस तथा पिपल डेवलपमेंट एवं टीम फोकस पर टैलेट मैनेजमेंट ट्रैनिंग।
- मुंबई विश्वविद्यालय में 5 से 7 दिसम्बर 2013 तक रैसनल इमोटिव विहेवियर थेरेपी (आरईबीटी) पर कार्यपालक विकास कार्यक्रम।
- बैंकिंग मणिपाल अकादमी, बैंगलूरु में 2 से 7 दिसम्बर 2013 तक आपके बैंक के कृषि अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम।
- एनआईआईटी-आईएफबीआई के साथ टाई-अप से लगभग 3,000 नए लिपिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह जून 2013 के बाद पदभार ग्रहण करने वाले सभी लिपिकों को कवर किया गया। आईएफबीआई द्वारा 'उत्कर्ष' नामक रीफ्रेशर कोर्स के अंतर्गत 800 से अधिक मौजूदा लिपिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- नई दिल्ली में दि. 18 एवं 19 अक्टूबर 2013 को 'अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए सतर्कता प्रशासन में सकारात्मक दृष्टिकोण' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- मै. फोर्थ क्वारलेरेंट ट्रेनिंग प्रा. लि. द्वारा दि. 16 से 21 दिसम्बर 2013 तक फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बिजनेस प्रोसेस रिंजीनियरिंग (प्रोजेक्ट नवनिर्माण)

चूंकि आपके बैंक ने अपनी बैंड पहचान बदली है और इसकी बैंड रिकॉल वैल्यू में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जिससे सभी हितधारकों की अपेक्षाओं भी बढ़ गई हैं। आपके बैंक के प्रचार वाक्य - भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक - ने अपेक्षाओं को और अधिक सुदृढ़ किया है तथा इसका मिशन 'अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का राष्ट्रीय बैंक' बनना हो गया है। तथापि, आपके बैंक ने अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं को पुनर्संरचित कर तथा इन्हें सर्वोत्कृष्ट रूप से तैयार कर इन अपेक्षाओं को भली भांति पूरा किया है।

वस्तुतः: प्रक्रिया में परिवर्तन की शुरुआत 2007 में रिटेल लोन फैक्ट्रियां स्थापित करने से हुई। परिणामस्वरूप, आपके बैंक ने जून 2009 में एक व्यापक परिवर्तन कार्यक्रम अरंभ किया जिसमें बैंक को प्रोजेक्ट नवनिर्माण नाम के अंतर्गत भविष्य के लिए पुनर्संरचित करना था।

इस प्रोजेक्ट में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, शाखा उत्पादकता में सुधार तथा ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से आपके बैंक की प्रक्रियाओं, संरचनाओं तथा पद्धतियों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

परिवर्तन कार्यक्रम सफल रहा, और यह पहल आपके बैंक को बहुत से अवार्ड और पुरस्कार दिलाने में महत्वपूर्ण कारक रही और इससे यह सही अर्थों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक स्थापित हो सका।

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान प्रोजेक्ट नवनिर्माण के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है।

- बड़ौदा नेक्स्ट शाखाएँ: वित्तीय वर्ष 14 की समाप्ति तक लगभग 1,433 मेट्रो एवं शहरी शाखाओं को बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं के रूप में रूपांतरित किया गया है।



- शाखा फ्रंट-एंड ऑटोमेशन:** क्यू मैनेजमेंट सिस्टम (क्यूएमएस), चेक डिपोजिट मशीन तथा वैयक्तिक पास बुक प्रिंटर क्रमशः 9,840 तथा 1,200 शाखाओं में स्थापित किए गए हैं।
- सिटी बैंक आफिस (सीबीओ):** सभी शाखाओं (सीबीओ से लिंक) के लिए समाशोधन परिचालनों को केन्द्रीकृत किया गया। वर्तमान में पूरे देश में 85 सीबीओ कार्य कर रहे हैं।
- रीजनल बैंक आफिस (आरबीओ):** वर्ष के दौरान बरेली तथा अहमदाबाद में दो आरबीओ खोले गए जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई। कुल मिलाकर 3,653 शाखाओं को बचत तथा चालू खाता खोलने के लिए लिंक किया गया तथा 4,263 शाखाओं को पीसीबी (वैयक्तिक चेक बुक) जारी करने के लिए लिंक किया गया।
- क्रेडिट सेंट्रलाइजेशन पायलट (आरएलएफ / एसएमईएलएफ)** - वित्तीय वर्ष 14 में प्रारंभ किया गया आपके बैंक का रिटेल और एसएमईएलएफ केन्द्रीयकरण पायलट बड़ौदा स्थित लोन फैक्ट्रियों में चल रहा है।
- नवनिर्माण पहलों / प्रभाव की निरंतरता:** प्रक्रिया अनुपालन आडिट (पीसीए) - बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं के लिए एक प्रमाणन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया जिसके द्वारा आपके बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा शाखाओं में प्रक्रिया अनुपालन/पालन का मूल्यांकन किया जा रहा है। पीसीए के अंतर्गत अभी तक 907 शाखाओं को कवर किया जा चुका है।
- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सभी अंचलों में बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं के शाखा प्रमुखों, बिक्री प्रमुखों, संपर्क प्रबंधकों, ग्राहक सेवाओं तथा शाखा पर्सोनलों के लिए 29 से 30 जून 2013 तक स्टाफ कालेज अहमदाबाद में एक दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- चैंज लीडर -सह- आरबीडीएम सम्मेलन :** स्टाफ कालेज, अहमदाबाद में 12-13 अगस्त, 2013 को दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- कॉन्टेक्ट सेंटर :** आपके बैंक के लखनऊ तथा अहमदाबाद में दो कॉन्टेक्ट सेंटर हैं। मौजूदा सेवाओं के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान मोबाइल बैंकिंग सहायता सेवा को भी शामिल किया गया। बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए सेवा के समय को भी प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे (पहले प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक) तक बढ़ा दिया गया है।
- ई-लॉबी :** आपके बैंक ने अलग-अलग अंचलों में 45 स्वतंत्र ई-लॉबी आरंभ की हैं। इसमें निम्नलिखित 6 सेवाएं दी जाती हैं - कैश डिस्पेंसर(एटीएम), बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए), सेल्फ सर्विस आटोमेटिक पासबुक प्रिंटर किओस्क, चेक डिपोजिट मशीन (सीडीएम), इंटरनेट बैंकिंग किओस्क तथा फोन बैंकिंग सुविधा।
- नवोन्मेष समिति:** संगठन में नवोन्मेष के माहोल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मार्च 2014 में एक नवोन्मेष समिति का गठन किया - नए उत्पाद तथा सेवाएं विकसित करना, आंतरिक प्रक्रियाओं में नवोन्मेषिता जिससे बैंक तथा ग्राहकों का मूल्य संवर्धन हो सके, सेवाएं प्रदान करने में नवोन्मेषिता जिससे ग्राहकों को संतोष हो सके।

मार्केटिंग



अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय मार्केटिंग सम्मेलन के दौरान श्री एस. एस. मूंदडा, सीएमडी तथा अन्य शीर्षस्थ कार्यपालकों द्वारा मार्केटिंग ई-न्यूज लेटर "बॉब मार्कोम" का विमोचन

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान अपनी विभिन्न मार्केटिंग पहलों द्वारा अपने ब्रांड तथा विभिन्न उत्पादों व सेवाओं का लगातार संवर्द्धन किया। इस प्रक्रिया में, आपके बैंक ने अंचल तथा क्षेत्रीय स्तर पर शाखाओं द्वारा किये जानेवाले कार्यों में आधारभूत गतिविधियों को योगदान देने के अलावा विभिन्न मीडिया साधनों, जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ओओएच का प्रभावी इस्तेमाल किया गया। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान की गई प्रमुख मार्केटिंग/कम्प्यूनिकेशन गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 13 में की गई पहल अर्थात ब्रांड संलग्नता कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2014 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा कैनवास प्रतियोगिता का अगला संस्करण आरंभ किया ताकि स्कूली बच्चों और उनको प्रेरित करने वाले अभिभावकों/अध्यापकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाया जा सके। इस वर्ष भी मुख्य ध्यान मौजूदा एवं नई शैक्षणिक संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने पर था। इस रूप में प्रतियोगिता में पहले से निर्धारित विषयों पर पूरे देश के स्कूल के विद्यार्थियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई तथा चयनित निर्णयकों के पैनल द्वारा राष्ट्रीय/अंचल/क्षेत्रीय स्तर की विजेता प्रविष्टियों का चयन किया गया। आपके बैंक के मैरस्कॉट 'स्टिकमैन' को लक्षित दर्शकों के साथ जोड़ने एवं ब्रांड संबंध को बढ़ावा देने में काफी सहायता मिली क्योंकि प्रतिभागियों से स्टिकमैन का नाम मांगा गया था। इस अभियान के अंतर्गत अंचल और क्षेत्रीय स्तर पर आँन ग्राउंड गतिविधियों के यथोचित मिक्स का उपयोग किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रविष्टियों को प्रतियोगिता के अंतर्गत शामिल किया जा सके।



कार्पोरेट सेन्टर मुंबई में अखिल भारतीय बड़ौदा कैनवास प्रतियोगिता 2013-14 के राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के अन्तिम चयन के दौरान श्री एस. एस. मूंदडा, सीएमडी के साथ कार्यपालक निदेशक गण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी





उपरोक्त पहलों के अलावा आपके बैंक द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित ग्राहकों के बीच अपने उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन के लिए विभिन्न उत्पाद संवर्धन अभियान चलाए गए। विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं, विशेष रूप से बचत जमाराशियों, चालू जमाराशियों, गृह ऋण, कार ऋण, एसएमई ऋण के रूप में सूचना देने के अलावा नए उत्पादों उपभोक्ता वस्तु ऋणों, वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया गया। पुनः विशेष ग्राहक सेगमेंट को डॉक्टर्स एवं एनआरआई इत्यादि के लिए विशेष अभियान के माध्यम से विभिन्न मीडिया माध्यम के इस्तेमाल द्वारा अखिल भारतीय आधार पर लक्षित किया गया। स्थानीय तथा विदेशी दोनों ही शाखा नेटवर्क के विस्तार से संबंधित जानकारी को बड़े स्तर पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया जिससे आपके बैंक की ब्रांड छवि तथा उपस्थिति को बढ़ावा मिला है।

बैंक ने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे - प्रवासी भारतीय दिवस 2014, फिक्की - आईबीए बैंकिंग कंफ्रेंस 2013 वर्ल्ड रैंकिंग स्नूकर टूर्नामेंट इंडिया लेग, भारत आस्ट्रेलिया क्रिकेट शृंखला 2013, मिट वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन, बीकेसी वित्तीय संस्थान कर्मचारी मैराथन तथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन 2014 में सहभागिता करके ग्राहकों के साथ संपर्क और ब्रांड संवर्धन किया।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक की गतिविधियों को मीडिया में विस्तृत कवरेज मिला जिससे बैंक को अपनी ब्रांड इमेज सुधारने में सहायता मिली है।

बैंक ऑफ बड़ौदा को पुरस्कार व उद्योग जगत में मान्यता

अपने सतत एवं चहुंमुखी कार्य निष्पादन, उत्कृष्टता प्रबंधन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवसायिक मानकों पर ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस और अन्य संस्थाओं से भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं:

- आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस. मूंदा को इकोनॉमिक्स टाइम्स में दिनांक 12.07.2013 को प्रकाशित सीडी-ईटी (कॉरपोरेट डोजियर इकोनॉमिक टाइम्स) में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सीईओ में 41 वां स्थान मिला। सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ में उनका स्थान तीसरा रहा।
- आपका बैंक ब्रांड इक्विटी इकोनॉमिक टाइम्स सर्वेक्षण के अनुसार भारत के श्रेष्ठ 20 ब्रांडों में शामिल हुआ। यह इकोनॉमिक टाइम्स में 31 जुलाई 2013 को प्रकाशित हुआ है।
- आपके बैंक को आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नॉलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड 2012-13 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेष्ठ आईटी टीम का विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- आपके बैंक को इन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट पोलारिज फायनेंसियल टेक्नॉलॉजी बैंकिंग अवार्ड 2012-13 में वैश्विक व्यवसाय विकास श्रेणी के तहत श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में मान्यता दी गई।
- रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत 28.08.2013 को

मुंबई में आपके बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए।

- क) 'ग' क्षेत्र में प्रथम
- ख) 'ख' क्षेत्र में द्वितीय
- ग) हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में 'अक्षयम्' को तृतीय पुरस्कार
- घ) द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता में 'बॉबमैट्री' को तृतीय पुरस्कार
- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस गृह द्वारा संस्थापित द संडे स्टैंडर्ड बैस्ट बैंकर्स अवार्ड बैस्ट बैंकर एच आर अवार्ड वित्तीय वर्ष 14 के लिए आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस.मूंदा को प्रदान किया गया।
- आपके बैंक को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार शील्ड प्रतियोगिता में 14.09.2013 को नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- एसोसैम के 9वें वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन सह-सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड 2013 में 16.09.2013 को नई दिल्ली में आपका बैंक सामाजिक बैंकिंग में श्रेष्ठ कार्य के लिए विजेता घोषित किया गया।
- द एशियन बैंकर के सितंबर 2013 के 122वें विशेष अंक में आपके बैंक ने द एशियन बैंकर क्षेत्र की बृहद बैंक श्रेणी में अपनी रैंकिंग का 66वें से सुधार कर 52वें स्थान पर लाया।
- आपके बैंक को एसोशिएशन ऑफ बिजनेस कम्प्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) के होटल ताज, कोलाबा, मुंबई में 18.08.2013 को आयोजित 53वें पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:
 - क) विशेष कॉलम (अंग्रेजी) - बॉबमैट्री के लिए कांस्य ट्रॉफी
 - ख) विशेष कॉलम (भाषा) - अक्षयम् 'अपनी बात' के लिए सिल्वर ट्रॉफी
 - ग) हेलाइंस - कॉर्पोरेट एड (स्टांप क्रिएटिव) के लिए कांस्य ट्रॉफी
- बिजनेस वर्ल्ड अंक दिनांक 04.11.2013 में प्रकाशित 'द बी डब्ल्यू रियल 500 - इंडिया 50 बिगेस्ट' फायनेंसियल कंपनीज में आपके बैंक की रैंकिंग तीसरी रही।
- बिजनेस दूडे 10 नवंबर, 2013 अंक में प्रकाशित भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों बीटी 500 में आपके बैंक की रैंकिंग 50वें रही।
- बीडब्लू पी डब्ल्यूसी सर्वे द्वारा भारत के श्रेष्ठ बैंकों के किए गए सर्वेक्षण में आपके बैंक को फास्टेस्ट ग्रोविंग लार्ज बैंक में तृतीय तथा बेस्ट बैंक इन लार्ज बैंक श्रेणी में चौथी रैंकिंग प्राप्त हुई। यह सर्वे बिजनेस वर्ल्ड के 30 दिसम्बर 2013 के अंक में प्रकाशित हुआ था।
- ब्रांड इक्विटी इश्यू दिनांक 18.12.2013 में प्रकाशित ब्रांड इक्विटी टॉप सर्विस ब्रांड में आपके बैंक की रैंकिंग 22वें रही। इस प्रकार आपके बैंक ने पिछले वर्ष की रैंकिंग को बरकरार रखा।
- आपके बैंक ने फॉर्चून इंडिया मैगजीन दिसंबर 2013 विशेषांक में फॉर्चून इंडिया 500 सूची में 28वां स्थान प्राप्त किया।
- आपके बैंक को चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा 09.01.2014 को नई दिल्ली में एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2013 में श्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ।



- आपका बैंक भारत की 500 बड़ी कंपनियों में 27वें स्थान पर रहा - 2013 में सूचीबद्ध शीर्ष 500 कंपनी जनवरी 2014 में जारी ईटी 500 पत्रिका में प्रकाशित की गई हैं।
- आपके बैंक को एबीपी न्यूज द्वारा 14.02.2014 को मुंबई में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं इंश्योरेंस अवार्ड में 'बेस्ट बैंक - पब्लिक सेक्टर' का अवार्ड दिया गया।
- आपके बैंक को माई एफएम स्टार्स ऑफ दि इंडस्ट्री अवार्ड द्वारा 14.02.2014 को मुंबई में 'एक्सीलेंस इन बैंकिंग (पीएसयू)' के लिए अवार्ड दिया गया।
- आपके बैंक को माई एफएम स्टार्स ऑफ दि इंडस्ट्री अवार्ड द्वारा 14.02.2014 को मुंबई में 'एक्सीलेंस इन होम लोन बैंकिंग' के लिए अवार्ड दिया गया।
- आपके बैंक को 18/02/2014 को मुंबई में वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस से भारत के 50 सबसे प्रतिभावान सीएसआर प्रोफेशनलों की श्रेणी में 'ग्लोबल एक्सीलेंस एवं लीडरशिप अवार्ड' प्राप्त हुआ।
- आपका बैंक फाइनेंशियल एक्सप्रेस पत्रिका के फरवरी 2014 के अंक में प्रकाशित एफई 500 सूची में कुल राजस्व में 53वें स्थान पर तथा बाजार पूँजीकरण में 45वें स्थान पर रहा।
- आपका बैंक दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस पत्रिका के मार्च 2014 के अंक में प्रकाशित एफई-ईवाय बेस्ट बैंक सर्वे 2012-13 में पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहा।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में आपके बैंक के पूर्वी उत्तर प्रदेश अंचल, लखनऊ को वर्ष 2012-13 के लिए बैंक में राजभाषा (हिन्दी) के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

परिसर रि-इंजीनियरिंग और आकर्षक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान 'परिसर रि-इंजीनियरिंग और आकर्षक परिवेश' के क्षेत्र में आपके बैंक द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है।



बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर मुंबई में प्रेस रूम के उद्घाटन के अवसर पर श्री एस. एस. मूदडा, सीएमडी एवं अन्य उच्चाधिकारी

- वाराणसी में कार्यालय भवन सह करेंसी चेस्ट का निर्माण कार्य पूरा किया। यह भवन ऊर्जा सक्षम उपस्कर्तों, वर्षा-जलसंग्रह तंत्र, अल्ट्रा

मार्डर्न गैजेट्स एवं सिस्टम के साथ सुसज्जित है। इसके निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस भवन के द्वारा वाराणसी में आपके बैंक की उपस्थिति सभी के लिए अनुकरणीय है। वर्तमान में यह शहर के एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में जाना जाता है।



डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भा.रि.वै., श्री एस. एस. मूदडा, सीएमडी - क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के नए परिसर "बड़ौदा भवन" के शुभारंभ के अवसर पर

- वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपका बैंक अपने सभी अंचल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्पोरेट कार्यालय से एमपीएलएस कनेक्टिविटी आधारित अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सिस्टम के द्वारा लिंक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यप्रमुखों का विचार विनिमय निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली, तीव्र और खर्च-किफायती बनाता है।
- वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपके बैंक ने ई-टैक्सिंग, ई-प्रोक्योरमेंट आदि के रूप में तकनीक आधारित पहलों को अपनाया तथा इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया।
- आपका बैंक वैंडरों को किए जाने वाले सभी भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से करता है।
- प्रशासनिक कार्यालयों हेतु स्वयं के परिसर हेतु बनाई गई आपके बैंक की नीति के अनुरूप बैंक ने बैंगलूर (कर्नाटक), हैंदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), फैजाबाद (उत्तर प्रदेश), इंदौर (म.प्र.), उदयपुर (राजस्थान), देहरादून (उत्तराखण्ड), जयपुर (राजस्थान) तथा न्यू रायपुर (छत्तीसगढ़), बरेली (यू.पी.) तथा एनकूलम (केरल) में वाणिज्य/ रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है।



बीकेसी, मुंबई में केन्द्रीयकृत एनआरआई सेवाओं के लिए नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर श्री एस. एस. मूदडा, सीएमडी तथा अन्य उच्चाधिकारी



- बढ़ते हुए किराये को देखते हुए आपके बैंक द्वारा उपलब्ध परिसर के प्रत्येक स्थान का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। नवीनीकरण के दौरान ले-आउट को उन्नत किया जा रहा है और सभी शाखाओं एवं कार्यालयों की फर्नीशिंग को पर्यावरण अनुकूल एवं अमदक्ष रूप में डिजाइन किए गए फर्नीचर आइटम के माध्यम से किया जा रहा है। परिसरों के अधिग्रहण हेतु क्षेत्र नियमों की समीक्षा भी की गई है तथा उसे लागू किया गया है।



लखनऊ में जोपलिंग रोड शाखा के शुभारंभ के अवसर पर श्री एस. एस. मूदडा, सीएमडी

- पूरे भारत में प्रणालियों एवं पद्धतियों में एकरूपता लाने के लिए परिसर नीति निर्देश, निर्माण मैनुअल, नवीनीकरण मैनुअल डिजाइन एवं निर्धारित किए गए। फर्नीचर की मदों के डिजाइन में एकरूपता रखने ताकि वे आर्कषक दिखाई दें और आंतरिक परिवेश सुन्दर लगे, इसके लिए एजेंसियां भी निर्धारित की गई हैं जो फर्नीचर की त्वरित प्राप्ति में मदद करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2014 में कार्यान्वयन की गई परियोजनाएं

- वाराणसी में कार्यालय भवन सह करेंसी चेस्ट का निर्माण कार्य।
- जनकपुरी, नई दिल्ली में आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।
- जयपुर में बहुमजिला एकीकृत कार्यालय का निर्माण कार्य।
- अजमेर, दूंगरपुर, बांसवाडा तथा प्रतापगढ़ में बीएसवीएस का निर्माण कार्य।
- देश में 45 विभिन्न स्थानों पर ई-लॉबी की स्थापना।
- आपके बैंक ने नए स्थानांतरित आधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर आवासीय फ्लैटों की खरीद की है।

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

- अलीराजपुर, जयपुर, सूरत, भरुच एवं झाबुआ में बीएसवीएस का निर्माण कार्य जारी है।
- रायपुर में नए प्रशासनिक और आवासीय भवन का निर्माण कार्य जारी है।
- इंदौर (मध्य प्रदेश) में आवासीय तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य जारी है।
- हैदराबाद में डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए बैंक के अपने भवन का निर्माण कार्य जारी है।

- बैंक ऑफ बड़ौदा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (गुजरात) का नवीकरण।
- फैजाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण।
- नेहरू इन्क्लेव, लखनऊ आवासीय भवन एवं फ्लैट का नवीकरण।

संपदा प्रबंधन संबंधी भावी योजनाएं

- बैंक के संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित भवन का सौन्दर्यकरण।
- भांडुप स्टाफ क्वार्टर्स भवन का जीर्णोद्धार शुरू करना और मुंबई में स्थानांतरित अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए 138 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करना।
- आवासीय और व्यावसायिक भवन के निर्माण हेतु जोगेश्वरी स्टाफ कॉलेज का जीर्णोद्धार शुरू करना।
- बैंगलूरु में प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण शुरू करना।
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप देशभर में फैले विभिन्न केंद्रों पर बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों का निर्माण करना।
- गांधी नगर (अहमदाबाद), बैंगलूरु, ग्रेटर नोएडा एवं भुवनेश्वर में बड़ौदा अकादमी (अर्थात्, प्रशिक्षण केंद्र) बनाना।

भौतिक (ब्रिक एवं मोर्टार) शाखा विस्तार

ई बैंकिंग चैनलों, जिसे तकनीक कुशल शहरी समुदाय द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है, की तुलना में आम ग्राहकों के ज्यादा करीब माने-जाने वाले ब्रिक एवं मोर्टार वितरण चैनलों की 31 मार्च 2014 की स्थिति नीचे दी गई है।

| क्षेत्र वर्गीकरण (भारत) | शाखाओं की संख्या | कुल संख्या का % |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| महानगरीय | 980 | 20.11 |
| शहरी | 849 | 17.42 |
| अर्द्ध शहरी | 1273 | 26.11 |
| ग्रामीण | 1772 | 36.36 |
| कुल | 4874 | 100.00 |
| विदेशी | 60 | -- |

घरेलू अनुषंगियां और सहयोगी कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान बैंक की अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का कार्यनिष्ठादान संतोषजनक और अपेक्षा के अनुरूप रहा।

बॉक्सार्ड लिमिटेड ने एनपीए खातों में वसूली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011



बैंक की अनुषंगी बॉक्सार्ड लि. द्वारा सिग्नेचर कार्ड के शुभारंभ के दौरान श्री एस. एस. मूदडा, सीएमडी एवं अन्य उच्चाधिकारी



में उत्कृष्ट कार्यनिष्ठादान किया जिनके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012 और वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान लाभ अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान कंपनी ने व्यवसाय विकास के सभी गुणात्मक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, परिणामस्वरूप लाभप्रदता, गुणवत्तापरक कार्ड आधार एवं सदस्य संस्थान आधार में सुधार दर्ज किया गया। कंपनी ने प्रीमियम विशेषताओं जैसे एडें प्रिवेलेजेस और ऑफर सहित टिटेनियम कार्ड्स, सिग्नेचर कार्ड्स, एश्यूर कार्ड्स, कार्पोरेट प्लटिनम कार्ड्स और बॉबकार्ड्स इलीट कार्ड्स की रेंज शुरू की। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट एवं उच्च शुद्ध मालियत वाले ग्राहकों के लिए विशेष योजनाएं आरंभ की। कंपनी ने कार्ड और मर्चेन्ट बेस को व्यापक करने हेतु आक्रामक योजनाएं तैयार की।

बॉबकेपिटल मार्केट्स लि. को वर्ष के दौरान परियोजना वित्त विभाग की एक टीम की प्रतिनियुक्ति द्वारा पेशेवर दृष्टि से सुदृढ़ किया गया तथा इसने विभिन्न ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन, ऋण पुनर्गठन तथा कार्पोरेट वित्त सेवाओं के कार्यों को आरंभ किया। संपूर्ण वर्ष के दौरान कंपनी का ध्यान निवेश सलाहकार सेवा, ऋण एवं इकिवटी समूहन तथा पूंजी बाजार गतिविधियों कर रहा। कंपनी ने अक्टूबर 2009 से संस्थागत ब्रोकिंग व्यवसाय शुरू किया और साथ ही एक ऑनलाइन संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म का शुभारंभ भी किया। कंपनी ने व्यावसायिक रूप से 20 जुलाई 2012 को आरंभ किए गए ऑन लाइन रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफार्म को काफी परिवर्द्धित किया ताकि यह ग्राहकों द्वारा उपयोग की दृष्टि से आसान बन सके और उपयोगकर्ता अनुकूल रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफार्म का लाभ उठा सकें। कंपनी काफी प्रतिस्पर्धी बाजार में परिचालन कर रही है तथा बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा सजग तथा आनेवाले वर्षों में विकास की संभवनाओं से युक्त है।

नैनीताल बैंक लिमिटेड को स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अन्यों द्वारा प्रमोट किया गया था जोकि वर्ष 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोगी बैंक बना। आज, नैनीताल बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर धारिता 98.57% है और यह बैंक का अनुंगी बैंक है। उत्तराखण्ड राज्य ने दिनांक 3 अगस्त 2012 की सरकारी सूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नैनीताल बैंक लिमिटेड को भी समतुल्य समझा जाए। बैंक ने शाखा विस्तार के कदम उठाए हैं और देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। बैंक ने 15 शाखाओं में ई स्टैंपिंग सुविधा का शुभारंभ किया और मोबाइल बैंकिंग एवं ई बैंकिंग आदि जैसे विभिन्न नई सूचना प्रौद्योगिकी की पहलें भी शुरू की हैं। बैंक ने रिटेल सेगमेंट को बढ़ाने के लिए, मुख्यतः आवास ऋण एवं उपभोक्ता ऋण के क्षेत्र में सरकारी विभागों तथा पीएसयू के उच्च आयवाले वेतन कर्मचारियों के साथ-साथ पेशेवर व्यक्तियों के लिए अनेक पहलें की।

बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड : पायोनियर ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट स्पा के साथ एक संयुक्त उद्यम है और यह परिचालन के छठे वर्ष में है। समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी उसके एयूएम को उल्लेखनीय ढंग से सुदृढ़ बनाने में सक्षम रही जोकि मार्च 2014 को वर्ष दर वर्ष के आधार पर 75.0% बढ़ा और डेबिट और इकिवटी मार्केट में प्रबल मंद स्थितियों के बावजूद भी एक लाख तक फोलियो एकत्र करने में सक्षम रही। यह प्रगति, संस्थागत सेगमेंट पर सुदृढ़ ध्यान के वजह से हुई जो कि कंपनी को उनके डेबिट और पूंजी मार्केट उत्पादों सहित रिटेल निवेशकों हेतु सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं (एमआईपी) पर ध्यान केंद्रित करने की वजह हासिल हुई। कंपनी ने निवेशक सेवा बिंदुओं (इंवेस्टर सर्विसिंग पॉइंट्स) की संख्या 77 से बढ़ाकर 203 कर दी है। वर्ष के दौरान कंपनी की प्रबंधन के तहत औसत आस्तियों (एयूएम) में काफी बढ़ोत्तरी हुई जिसने इसे भारत में शीर्ष

20 म्युचुअल फंड्स के बीच ला खड़ा किया। मार्च, 2014 महीने में इसकी रैंकिंग 19वीं थी। कंपनी (एयूएम) की वृद्धि (एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया) के वेबसाइट के अनुसार 10.0% की उद्योग वृद्धि की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11% रही। इकिवटी बाजारों के अनियमित रहने के कारण ग्राहकों की बचत को इकिवटी बाजार में लगाने की दृष्टि से कंपनी के लिए एसआईपी श्रेष्ठ माध्यमों से एक बना रहा।

इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लीगल एवं जनरल ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसने 16 नवंबर, 2009 को अपना व्यवसाय परिचालन शुरू किया और देश भर में इसके उत्पादों को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला। कंपनी को लगातार तीन वर्षों तक मॉडल इंश्यूरर अवार्ड (एशिया) प्राप्त हुआ। कंपनी ने नए व्यवसाय जुटाकर वर्ष दर वर्ष 67.0% बढ़ोत्तरी की। इसकी उद्योगवार व्यवसाय रैंकिंग पिछले वर्ष की नौवें की तुलना में चालू वर्ष फरवरी 14 के दौरान सुधरकर सातवीं हो गई। नए व्यवसाय प्रीमियमों में वृद्धि के आधार पर इसका बाजार अंश पिछले वर्ष के 3.0% से सुधरकर 5.0% हो गया। वैकल्पिक चैनल वितरण के तहत नए वितरण समझौतों, जिनमें आरआरबी/एनबीएफसी/ब्रोकर आदि के साथ समझौते शामिल हैं, के कारण ग्राहकों की संख्या में वर्ष दर वर्ष आधार दर - 46.0% की वृद्धि हुई। नवीकरण संबंधी संग्रहण में वर्ष दर वर्ष आधार पर 23.0% की वृद्धि हुई। जिसका परिणाम कंपनी की प्रीमियम आय में बढ़ोत्तरी तथा पॉलिसी एवं प्रीमियम की निरंतरता के रूप में सामने आया। कंपनी की कुल आय में 46.0% (वर्ष दर वर्ष) की बढ़ोत्तरी हुई। बैंक के साथ कंपनी की महत्वपूर्ण पहल मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रीमियम भुगतान का विकल्प तथा वित्तीय समावेशन शाखा मॉड्यूल का शुभारंभ करना है।

इंडिया इंफ्राडेट लि. आईसीआईसीआई बैंक लि., आईसीआईसीआई होम फायनॉस कंपनी लि. सिटीकॉर्प फायनॉस (इंडिया) लि. तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का गठन 31 अक्टूबर 2012 को मुंबई में किया गया एवं इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - नॉन बैंकिंग फायनेंसियल कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) के रूप में काम करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्र. एन- 13.02039, दिनांक 08.02.2013 जारी किया गया है। कंपनी की मुख्य गतिविधि - परियोजना कंपनियों की ऋण देयताओं को आंशिक पुनर्वित उपलब्ध कराना है।

इंडिया इंफ्राडेट लि. (इंफ्राडेट) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) के रूप में गठित भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है। आईडीएफ संरचना के सफल क्रियान्वयन हेतु इंफ्राडेट, नेशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं महाराष्ट्र मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाते हुए कार्य करता है।

वर्ष के दौरान यह पहला आईडीएफ, एसबीएफसी बना जिसे जुलाई 2013 में अपने डिबेंचर निर्गम के लिए क्रिसिल से 'एए' की रेटिंग प्राप्त हुई। तदुपरांत सितंबर, 2013 में इंफ्राडेट द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को आश्वास्त किए जाने के प्रयासों से डिबेंचर निर्गम कार्यक्रम के लिए इंफ्रा से 'एए' की रेटिंग प्राप्त हुई।

इंफ्राडेट मुख्यतः सड़क, बंदरगाह आदि जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की ऋण एवं जोखिम समिति ने सड़क क्षेत्र के कुछ प्रस्तावों, एचईएल (हिमाचल एक्सप्रेसवे लि.) को दी गई मंजूरी के अलावा, हेतु वित्त उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। पुनः इंफ्राडेट द्वारा वित्त उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त परियोजनाओं के सतत निर्धारण की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी और आनेवाले कुछ महीनों में कुछ अतिरिक्त व्यवहारों को अंतिम रूप दिया जाएगा।



बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि., बड़ौदा पायोनियर म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है। ट्रस्टी के रूप में यह कंपनी सुनिश्चित करती है कि बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट द्वारा किए गए लेन-देन सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अनुकूल हैं। यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा की जानेवाली गतिविधियों की समीक्षा भी करती है।

(₹ लाख में)

| इकाई (पंजीकरण की तारीख के साथ) | देश | स्वाधिकृत निधियां | कुल आस्तियां | शुद्ध लाभ | कार्यालय | स्टाफ |
|---|------|-------------------|--------------|------------|----------|-------|
| बॉकॉपिटल मार्केट लि. (11 मार्च 1996) | भारत | 14,277.82 | 15,791.55 | 686.64 | 1 | 38 |
| बॉबकार्ड्स लि. (29 सितंबर 1994) | भारत | 17,292.00 | 21,939.00 | 2,811.00 | 37 | 191 |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (5 नवंबर 1992) | भारत | 6,626.40 | 7,258.67 | (-) 982.46 | 1 | 85 |
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी लि. (23 दिसंबर 2011) | भारत | 5.70 | 11.95 | 2.22 | 1 | 0 |
| इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (19 जून, 2008) | भारत | 60,500.00 | 7,11,617.59 | 2,547.35 | 48 | 1,549 |
| नैनीताल बैंक लि. (31 जुलाई 1922) | भारत | 44,528.00 | 5,34,259.00 | 6,542.00 | 116 | 843 |
| इंडिया इन्फ्राडेट लि. (31.10.2012) | भारत | 32,893.74 | 33,157.37 | 2,092.67 | 1 | 11 |

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन



कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के दौरान श्री एस.एस. मूदंडा, सीएमडी, श्री रंजन धबन, कार्यपालक निदेशक और श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबंधक अन्य उच्चाधिकारियों के साथ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की। राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के तहत विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के अलावा आपके बैंक ने हिन्दी को ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने एवं उन्हें श्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध कराने के एक साधन के रूप में बढ़ावा दिया एवं इसका भरपूर उपयोग किया।

आपके बैंक ने भारत सरकार के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2013-14 के लक्ष्यों तथा बैंक के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के दौरों के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की। निरंतर निगरानी एवं विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयासों के द्वारा आपके बैंक ने कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल किया एवं संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूर्ण किया।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा समिति की बैठकें नियमित तौर पर त्रैमासिक आधार पर आयोजित की गईं। समिति से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अनेक नई पहलों की गईं। आपके बैंक ने बैंक की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली को ऑटो मेट करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। आपके बैंक ने संगठन स्तर पर “प्रगति ऑनलाइन पैकेज” का क्रियान्वयन किया। पैकेज को बैंक के वाइड ऐरिया नेटवर्क पर उपलब्ध कराया गया। सभी परिचालन इकाइयों और प्रशासनिक कार्यालयों को राजभाषा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किए गए। आपके बैंक ने खातों के खुलने से संबंधित सिस्टम जनरेटेड पत्र अपने रीजनल बैंक ऑफिस के माध्यम से द्विभाषिक (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में भेजने आरंभ किए। इस पैकेज के उपयोग द्वारा प्रत्येक महीने लाखों पत्र द्विभाषिक रूप में जनरेट किए गए जिसने हमारे बैंक को राजभाषा कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद की। आपके बैंक ने भाषिक क्षेत्र 'क' एवं 'ख' की शाखाओं में पासबुक तथा खाता विवरणी हिन्दी में जनरेट करने हेतु अतिरिक्त शाखाओं को संबद्ध आईटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया। ग्राहकों की सुविधा हेतु एटीएम से लेन-देन पर्ची हिन्दी में निकालने की सुविधा को और विस्तार प्रदान किया गया। अब बैंक के ज्यादातर एटीएम इस सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान एटीएम स्क्रीन को अतिरिक्त 4 भाषाओं अर्थात तेलुगु, तमिल, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाओं में प्रदर्शित करना आरंभ किया। आपके बैंक ने आवक-जावक पैकेज अर्थात् दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया ताकि राजभाषा नीति की भाषिक क्षेत्रवार आवश्यकता के अनुकूल आवक-जावक पत्रों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।

आम लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने हेतु आपके बैंक ने हिन्दी तथा कुछ प्रांतीय भाषाओं में भी बचत की आदत विकसित करने, किसान क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं तथा समय पर कर्ज के भुगतान की जरूरत पर आधारित कार्डन पुस्तिकाओं, एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया। इन कार्डन पुस्तिकाओं एवं एनिमेशन फिल्मों के हिन्दी संस्करण के नाम हैं - “छोटी बचत, बड़ी खुशहाली”, “आम के आम, गुठियों के दाम” तथा “समय पर कर्ज का भुगतान, जिंदगी बने आसान”。 इन पुस्तिकाओं/एनिमेशन फिल्मों को बैंक के क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों के पास प्रभावी इस्तेमाल हेतु भेजा गया।

आपका बैंक नगर राजभाषा समिति के मंच से हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार करने की दृष्टि से हमेशा अग्रणी रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी से चार नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना की। ये समितियां जोधपुर, राजकोट, सूरत तथा बरेली में बैंक के संयोजन में कार्य कर रही हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने चित्रकूट एवं आणंद में बैंक की शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति ने अपने मुंबई दौरे के दौरान बैंक के कार्पोरेट कार्यालय के प्रयासों की भी समीक्षा की। समिति ने आपके बैंक द्वारा हिन्दी को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में किए जाने वाले प्रयासों की काफी प्रशंसा थी।





संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति द्वारा कार्पोरेट कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. एस. मूदडा एवं अन्य उच्चाधिकारीगण



राजभाषा विषयक नए प्रकाशन का विमोचन करते हुए श्री एस. एस. मूदडा, सीएमडी एवं अन्य उच्चाधिकारी गण

आपके बैंक के प्रयासों को भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मान्यता प्रदान की। भारत सरकार ने आपके बैंक को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार से नवाजा। आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने यह पुरस्कार हिन्दी दिवस 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया। इसके अलावा आपके बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के तहत 'ग' क्षेत्र में प्रथम तथा 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके बैंक की संस्था पत्रिका "बॉबमैट्री" तथा हिन्दी पत्रिका "अक्षय्यम्" को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने ये पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से प्राप्त किए। इन पत्रिकाओं को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ।



बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से 5 श्रेणियों में राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई

आपके बैंक ने छात्र समुदाय के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी प्रसिद्ध योजना 'मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना' को जारी रखा। इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने एम.ए हिन्दी में सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं। यह योजना वर्तमान में देश के 64 विश्व विद्यालयों में लागू है।

आपके बैंक ने हिन्दी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वर्ष के दौरान हिन्दी में तीन पुस्तकों "प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा", "थोड़ी-सी धूप" तथा "महाराजा सयाजीराव गायकवाड" का प्रकाशन किया।

निदेशक मंडल

श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.08.2013 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में 31.12.2016 तक अथवा अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।

डॉ. के. पी. कृष्णन, आईएएस, दिनांक 19.02.2014 से श्री आलोक निगम, आईएएस के स्थान पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित।

श्री सुधीर कुमार जैन, पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त तथा सिंडीकेट बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप 08.07.2013 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री अजय माथुर, अंशकालिक अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक अपना कार्यकाल समाप्त होने पर 04.05.2013 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी, अंशकालिक अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक अपना कार्यकाल समाप्त होने पर 30.08.2013 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।



निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के बीच मुंबई में आयोजित फेस्टिवल क्रिकेट मैच के अवसर पर



श्री वी. बी. चह्वाण, अंशकालिक अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक अधिवर्षिता की आयु होने पर 31.01.2014 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री आलोक निगम, आईएएस, अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक उनके स्थान पर डॉ. के. पी. कृष्णन, आईएएस का नामांकन होने के कारण 18.02.2014 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

निदेशकों का दायित्व संबंधी अधिकथन

निदेशक गण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय

- महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो, के समुचित स्पष्टीकरण सहित लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यपालकों की स्थिति तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए हैं।
- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखाकंन रिकॉर्ड तैयार रखने के लिए समुचित एवं प्रयोग्य सावधानी बरती गई है तथा,

- लेखों को उत्तरोत्तर जीवंत (कंसर्न) आधार पर तैयार किया गया है।

आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा विदेशों एवं भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, आपके बैंक के देश-विदेश स्थित समस्त हित धारकों यथा ग्राहकों, शेयरधारकों एवं शुभचिंतकों के द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सहयोग की सराहना करते हैं।

निदेशकगण, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष दर वर्ष उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता हासिल हुई और बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

एस. एस. मूंदड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Sixth Annual Report of your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and operations for the year ended March 31, 2014 (FY14).

Performance Highlights

- Total Business** (Deposit+Advances) increased to **Rs 9,65,900 crore** reflecting a growth of 20.43% (y-o-y).
- Gross Profit** and **Net Profit** were **Rs 9,291 crore** and **Rs 4,541 crore** respectively. Net Profit registered a growth of 1.35% over the previous year.
- Credit-Deposit Ratio** stood at **86.15%** as against 82.03% last year.
- Retail Credit** posted a growth of **20.96%** constituting 16.6% of your Bank's Gross Domestic Credit in FY14.
- MSME Credit** posted a growth of **21.21%** constituting **20.3%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY14.
- Net Interest Margin (NIM)** as per cent of interest earning assets in global operations was at the level of **2.36%** and in domestic operations at **2.87%** during FY14.
- Net NPAs to Net Advances** stood at **1.52%** this year against 1.28% last year.
- Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel II stood at **12.87%**.
- Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel III stood at **12.28%**
- Net Worth** improved to **Rs 34,933 crore** registering a rise of **13.7%**.
- Book Value** improved from Rs 729.11 to **Rs 813.50** on year.
- Business per Employee** moved up from **Rs 1,689 lakh** to **Rs 1,865 lakh** on year.

Segment-Wise Performance

The Segment Results for the year FY14 reveal that the contribution of Treasury Operations was **Rs 1,527.24 crore**, that of Corporate/Wholesale Banking was **minus Rs 461.11 crore**, that of Retail Banking was **Rs 3,359.84 crore**, and of Other Banking Operations was **Rs 2,458.02 crore**. Your Bank earned a Profit after Tax (PAT) of **Rs 4,541.08**.

Key Financial Ratios

| Particulars | FY 14 | FY13 |
|---|-------------|-------------|
| Return on Average Assets (ROAA) (%) | 0.75 | 0.90 |
| Average Cost of Funds (%) | 5.37 | 5.75 |
| Average Yield (%) | 7.68 | 8.29 |
| Average Interest Earning Assets (Rs crore) | 5,07,082.68 | 4,24,761.33 |
| Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore) | 5,02,176.05 | 4,15,246.10 |
| Net Interest Margin (%) | 2.36 | 2.66 |
| Cost-Income Ratio (%) | 43.44 | 39.79 |
| Book Value per Share (Rs) | 813.50 | 729.11 |
| EPS (Rs) | 107.38 | 108.84 |



Management Discussion and Analysis

Economic Scene in FY14 and Outlook for FY15

The financial year 2013-14 (FY14) began with multifarious developments including elevation of inflation, heightened rupee volatility and worsening current account deficit apart from growth slowdown and sharp industrial contraction. However, as the year progressed, especially from the third quarter onwards, there were firm signs of stability on the external front, partial easing of inflationary pressures and positive outlook towards growth.

During the third week of May 2013, the US suggested the possibility of “scaling back of its monetary stimulus or tapering” and there were wide spread repercussions on the emerging markets in general and on India, in particular, wherein not only the financial markets and asset prices saw a sharp decline but even the growth-inflation dynamics worsened further. The rupee-dollar exchange rates slumped to a record low of Rs 68.8 in late August 2013. The money markets were also under pressure with call money rates spiking to 9.5% and hardening of government bond yields. In response, the Reserve Bank of India (RBI) took a series of policy initiatives in mid-July to address exchange rate volatility so that it does not risk macroeconomic stability and growth sustainability. The measures undertaken included initiatives to contain domestic liquidity by sharply increasing Marginal Standing Facility (MSF) rate, moderating outflows and encouraging FX inflows through liberalized External Commercial Borrowings (ECBs) and Foreign Currency Non Resident (Bank) or FCNR (B) deposits. Apart from these, the government increased customs duty on gold and compressed demand for oil as well as curbed non-essential imports. External inflows were also encouraged. Consequently, the rupee recovered rather sharply to over Rs 60.0 per US dollar and touched a high of Rs 59.9 per dollar on March 28, 2014.

As the uncertainties surrounding “taper” decimated and domestic policy initiatives had positive impact, there was significant reduction in rupee volatility. The Current Account Deficit (CAD) which had peaked due to heightened outflows also contracted to 0.9% of GDP in Q3, FY14 from 6.7% of GDP in Q3, FY13. As India's currency stabilised, the RBI began unwinding the unconventional monetary measures from September, 2013 in an orderly fashion. Among them, the marginal standing facility (MSF) which was increased by 200 bps to 10.3% on July 15, 2013 was gradually reduced in stages to 9.0% on December 18, 2013 and maintained at that level till the end of the financial year.

In the real sector, the ongoing contraction of mining and manufacturing sectors pulled down the real GDP growth to 4.8% in Q3, FY14. While the growth concerns remained significant for industrial and services sectors, the favourable monsoon rainfall improved the agricultural performance during FY14. Yet, majority of private forecasting agencies estimate the full year's growth for FY14 in the band of 4.6% to 4.8%.

As in the past few years, the inflationary situation remained a dominant macro risk for India throughout the year FY14. The CPI inflation averaged around 9.5% throughout the year FY14 on the back of elevated food and fuel inflation. Despite the correction in vegetable prices during Dec-Jan, FY14 as well as the favourable monsoon and agricultural production scenario in FY14, food inflation at the retail level remained elevated highlighting the innate supply chain inefficiencies. Additionally, the upward adjustment in diesel prices and electricity tariffs too impacted the CPI trajectory during FY14.

The Interim Budget for FY15 presented by Government of India showed continued fiscal consolidation, with a fall in the fiscal deficit from 4.9% of GDP in FY13 to 4.6% of GDP in FY14 and further to 4.1% of GDP in FY15. While the revised estimates of both the revenue and fiscal deficits for FY14 are lower than the budgeted estimates, the expenses on subsidies, interest payments and pensions overshot the budgeted target and their impact was absorbed by lower plan expenditure.

Most of the private and public think-tanks from across the globe including International Monetary Fund (IMF) believe that Indian economy will recover in FY15 and the recovery will be enabled by a relatively stronger world economy, improving export competitiveness and policies encouraging investment. While the CPI inflation is expected to remain an important challenge for India, it should continue to move onto a downward trajectory during the major part of FY15.

Performance of Indian Banking Sector in FY14 and Outlook for FY15

Against the backdrop of a slowdown in the domestic economy and tepid global recovery, the growth of the Indian banking sector remained under pressure even in FY14. The deposit and credit growth was marginally better than that in FY13. The growth in deposits of scheduled commercial banks (SCBs) at 14.6% in FY14 was marginally better than the growth at 14.2% in the previous financial year. However, this growth was primarily driven by the liberal policy adopted by the RBI towards non-resident Indian deposits. The credit growth at 14.3% in FY14 too was marginally better than that at 14.1% in FY13.

Due to exchange market pressures during Q2, FY14 the RBI had to take exceptional measures that resulted in firming up of both deposit and lending rates in September, 2013. With the ebbing of pressures on exchange rate, the RBI rolled back these exceptional measures in a calibrated manner and, in response to that the lending rates softened a bit in H2 of FY14. On balance, however, the lending rates were by and large sticky during the year. As inflation remained at elevated levels, the banks were compelled to offer attractive interest rates on their term deposits so as to protect their liability franchise. The sticky and elevated cost of deposits combined with subdued credit demand suppressed the banks' earnings profile. Given the bleak macroeconomic environment and worsening repayment





capacity of borrowers, the asset quality deteriorated and pipeline of restructured assets remained large during the financial year FY14.

However, most of the financial experts and analysts feel that the worst is over for the Indian banking industry, as there will be increased clarity on macroeconomic and political fronts during FY15. On the positive side, liquidity remains steady, inflation is expected to move downwards for the major part of FY15 and the RBI is in full control to manage any volatility. Macro recovery and potential for post-election reforms should see a gradual reduction in stressed loans on lower slippages and higher recoveries.

Risk Management

To ensure sustainable and consistent growth, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored continuously. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. It includes setting up risk appetite, framing policies and effective monitoring. Your Bank's Board has put in place a robust Enterprise-wide Risk Management architecture so that the risks remain within the risk appetite defined by the Board.

The Board of Directors has oversight on all the risks assumed by the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk. The business activities are undertaken within these policy frameworks.

A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within your Bank is as follows.

Asset Liability Management (ALM)

Your Bank's Asset Liability Management (ALM) is aimed at strategic planning, implementation, and control processes that affect the volume, mix, maturity, rate sensitivity, quality, and liquidity of the Bank's assets and liabilities, thereby ensuring that the returns are commensurate with the level of risk taken.

The ALM is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO), which comprises of General Managers and Executive Directors and is headed by the Chairman and Managing Director. It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management. The ALCO is also entrusted with the job of fixing Base rate and pricing of advances & deposit products and suggesting revisions of Base Rate to the Board.

In your Bank, the liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock

approach. Flow approach is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis against prudential caps fixed for liquidity gap positions. The quality of liquidity is further tested by working out various ratios under Stock Approach, wherein a series of prudential caps are tested on a daily basis. The compliance to Stock Approach caps ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. Moreover, liquidity position is projected every fortnight, for the subsequent three months on a dynamic basis through Dynamic Gap Reports.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach.

Advanced techniques such as stress testing of liquidity risk and interest rate risk, simulation, sensitivity analysis etc., are used on regular intervals to draw the contingency funding plan under different liquidity and interest rate scenarios. Your Bank has also put in place contingency plans to meet its liquidity obligations under various stressed scenarios.

Your Bank is in the process of implementing Oracle Financial Services Analytics and Applications (OFSA) platform, which is a multi-currency ALM, Fund Transfer Pricing (FTP) and profitability solution, offering extensive data management capabilities for accurate information gathering and analysis. With a powerful suite of analytical and reporting tools, the efficient liquidity and interest rate risk management has been facilitated, enabling strategic decision-making and generating alerts against potential deviations.

Credit Risk

Your Bank's Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Credit Policy which is approved by the Board. It encompasses credit approval processes for all business segments along with the guidelines for monitoring and mitigating the risks associated with them. The Board of Directors of your Bank endorses the credit risk strategy and approves the credit risk policies. In line with international best practices, there is a clear segregation between risk takers and policy framers.

Your Bank has put in place a structured and standardised credit approval process which includes a well established procedure of comprehensive credit appraisal and credit rating. Furthermore, your Bank has adopted risk-based delegated lending power, where higher discretionary lending powers have been delegated for low credit risk proposals. The rating serves as a key input in the approval as well as post-approval credit processes.



Your Bank has in place a robust two dimensional credit rating system which reflects both client rating and facility rating. The two dimensional approach is more precise and consistent as it records Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD). Over the years, your Bank has gained rich experience in internal rating and has built up data on credit rating migration. This robust platform has enabled your Bank to make an application to the RBI to migrate to Foundation Internal Ratings' Based (FIRB) approach of Credit Risk under Basel II rules. The FIRB implementation will also prepare your Bank to drive its business in more systematic and sophisticated manner in terms of risk-based pricing, optimum portfolio construction and fixation of risk appetite.

Also, your Bank conducts industry studies to track emerging risk factor across industries and to identify sunrise sectors. This industry knowledge is supplemented through field visits, interacting with clients, sector regulators and industry experts. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. The corporate research cell also carries out detailed sectoral studies, identifies portfolio trends, and generates portfolio level MIS covering various credit quality indicators like sectoral exposure, credit concentration, ratings distribution and migration.

Market Risk

Market Risk is the "risk" of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices. The sources of market risk may be enumerated as under.

- Interest rate risk: The exposure that is affected by adverse movement and volatility in various yield curves and credit spreads.
- Currency exchange rate risk: The risk that arises from changes in exchange rates and their volatility.
- Equity price risk: The risk that arises from changes in the prices of equities, equity indices, equity baskets and volatility in stock market.

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, your Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Your Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are reviewed regularly in line with changes in financial and market conditions.

The Interest rate risk in your Bank is measured through Interest Rate Sensitivity Gap Reports and Earning at Risk. Furthermore, your Bank calculates duration, modified duration, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities, equities and forex positions on daily basis. It monitors the short-term Interest rate risk from the Net Interest Income (NII) perspective and long-

term interest rate risk from the Economic Value of Equity (EVE) perspective. The Value at Risk for the treasury position is calculated for ten days holding period, at 99.0% confidence level. Moreover, the stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities through scenario analysis is regularly conducted in your Bank.

Based on the RBI directions, your Bank has also been estimating the "Economic Value of Equity Impact" on a quarterly basis.

Operational Risk

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks. Your Bank has a robust and comprehensive Operational Risk Management Framework (ORMF) to meet the qualitative and quantitative requirements of the Standardized Approach (TSA) and Advanced Measurement Approach (AMA) of Basel II requirements. Operational Risk Management Committee (ORMC) of your Bank shoulders the responsibility of monitoring and controlling the operational risk by way of prescribing/amending processes, imposing controls and defining roles and responsibilities. Your Bank has sound operational risk governance practice with three lines of defence mechanism such as Business line management, independent corporate operational risk management function and an independent inspection and audit function to ensure that its internal guidelines, policies and procedures are complied with.

Your Bank is in the process of implementing a globally accredited sophisticated system (SAS EGRC 5.1) to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure by installing an enterprise-level automated web-based solution. The solution is expected to be fully operational before the end of the half-year of FY15. Moreover, your bank is one of the promoters and initial equity capital subscribers to a company which will be a consortium of Operational Risk loss data in India for the banking industry.

Basel III Implementation

The Basel III capital regulations were implemented in India with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been provided with full implementation as on March 31, 2019. The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published separately.

Risk-Based Supervision by RBI—A Change from the CAMELS System

The growing complexities in the banking business and lessons from the recent financial crisis have resulted in a thorough overhaul of the global regulatory and supervisory benchmarks. There were revised prescriptions for more



resilient banks and banking systems (Basel III), revised core principles for effective bank supervision, new principles for supervision of financial conglomerates and planning for recovery and resolution of global systemically important banks, etc. This needed a relook at the RBI's extant supervisory processes and mechanism in order to make it more robust and capable of addressing emerging challenges.

With this view, the RBI has introduced a concept of Risk-Based Supervision (RBS) that will focus on evaluating both present and future risks - as against the present compliance-based and transaction testing approach (CAMELS). The "Risk Based Supervision" Framework introduced by RBI for Indian banks is named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model is one of its most important components.

Under the RBS, the probability of failure of a bank and the likely impact of this failure is calculated. Also, the banks assessed as having a low risk/impact profile would be inspected only once in a two to three year cycle.

The RBI proposes to use thematic reviews increasingly as a tool of supervision whereby it will carry out review of a particular product, market or practice to assess risks brewing within the sector or at systemic level for enabling prompt actions/measures.

A single point contact in the form of an exclusive 'Senior Supervisory Manager' (SSM) is created within the Department of Banking Supervision of RBI (DBS) to ensure efficient and effective communication between the RBI and the banks.

While the CAMELS carried out "performance evaluation" of banks, the RBS will determine the "probability of failure of a bank and its impact in the light of- (1) risks to which a bank is exposed, (2) the strength of control and governance, (3) oversight framework in place and (4) available capital. Based on the rating, a particular bank would be apprised of the direction/ trend of key risks along with overall risk faced by it and a risk-mitigation plan, comprising of a need for improving controls, augmenting capital and/ or restructuring the existing business.

Under RBS, the focus will also be on the potential risks arising from the material group entities to the parent bank.

It may be noted that your Bank was one of the few banks selected for the first cycle of supervisory review under the RBS-2013, given its systemic importance. Both the off-site and on-site supervision were successfully completed within the given timeframe for your Bank.

Credit Monitoring Function

Credit monitoring is one of the most important tools for ensuring quality of advance assets. Your Bank has the system of monitoring of the advance accounts at various levels (Branch/Region/Zone and Corporate) to prevent asset quality slippages and to take timely corrective actions to

improve the quality of its credit portfolio.

A separate department for **Credit Monitoring** functions at the Corporate level, headed by a General Manager, and one at the Regional and Zonal level, started functioning since September 2008. The Slippage Prevention Task Force (SPTF) formed at all Zonal, Regional offices in terms of the Bank's Domestic Loan Policy was activated for the purpose of arresting slippages and also for initiating necessary restructuring in potential and viable sick accounts at an early stage in a time bound manner.

The primary **objectives** of the **Credit Monitoring Department** at the Corporate level are enumerated as under:

- Identification of weakness/Potential default/incipient sickness in the advance account at an early stage;
- Initiation of suitable and timely corrective actions for preventing further impairment in advance accounts/ deterioration in credit quality of the borrowing accounts;
- Prevention of slippage in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through vigorous follow up;
- Identification of suitable cases for restructuring/ rescheduling/ rephasing as well as further financing in deserving and genuine cases with matching contribution from the borrower; Liaisoning with CDR Cell, ZO & ROs;
- Taking necessary steps / regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of Bank's credit portfolio;
- Monitoring progress of accounts under Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

Monthly Monitoring of Advances accounts

On-line web-based software developed by the IT Department for Monthly Monitoring Reports (MMR) in respect of advance accounts with FB+NFB exposure of Rs 10 crore and above was launched in January 2013 and is being upgraded time to time.

Based on the MMRs, the follow up actions are taken for ensuring expeditious review of accounts, rectification of irregularities, compliance of terms and conditions in high value advance accounts for improving the asset quality of your Bank's credit portfolio.

Restructuring of Advances Accounts

As a part of an on-going business strategy to improve upon the quality of advance assets, the Bank reaffirmed the need to look into the stressed advance portfolio on a continuous basis, industry-wise as well as borrower-wise, and to initiate suitable action by way of restructuring as may deem fit.

During the financial year 2013-14, the Bank undertook restructuring of various advances accounts as per the table given below.



Restructuring of Advance Accounts (Global) – 2013-14

(Rs crore)

| | | CDR Mechanism | SME Restructuring | Others | Total |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Standard Advances Restructured | No. of Borrowers | 15 | 1,162 | 22,405 | 23,582 |
| | Amt. Outstanding | 2,611.51 | 1,651.68 | 2,025.26 | 6,288.45 |
| Sub-standard Advances Restructured | No. of Borrowers | 1 | 105 | 1,997 | 2,103 |
| | Amount Outstanding | 17.04 | 36.88 | 175.18 | 229.10 |
| Doubtful Advances Restructured | No. of Borrowers | 2 | 30 | 1,063 | 1,095 |
| | Amount Outstanding | 162.71 | 24.90 | 47.96 | 235.57 |
| Total | No. of Borrowers | 18 | 1,297 | 25,465 | 26,780 |
| | Amount Outstanding | 2,791.26 | 1,713.46 | 2,248.40 | 6,753.12 |

Economic Intelligence Unit

A specialised Economic Intelligence Unit (EIU) headed by the Chief Economist and located at the Corporate Office of your Bank supports your Bank's Top Management in several critical areas like Macroeconomic Forecasting, Investor Relations, Business Strategy Formulation, Asset-Liability Management, and in discussions/deliberations with Regulators – domestic and international and Rating Agencies. The EIU regularly provides the Top Management of your Bank as well as its operational units a periodic outlook on key macroeconomic and financial variables like industrial and infrastructure growth, inflation, interest rates, stock and debt market movement, sectoral credit deployment and resource mobilisation of the banking industry, liquidity conditions, exchange rates, etc.

By providing deep understanding of macroeconomic aspects, corporate sector health and banking sector policies, the EIU of your Bank supports the Bank's efforts in tapping right kind of business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

The EIU publishes a weekly newsletter (e-publication) covering weekly macroeconomic developments and policy highlights to share its perspectives on global and domestic economic and policy scenarios with investors, bankers, regulators, rating agencies and other market participants.

This division works as an intellectual arm of your Bank in comprehending developments that eventually aid the formulation of rightly aligned strategies.

Internal Control Systems

Your Bank has a well established Central Internal Audit Division (CIAD) that examines and ensures the adherence to systems and procedures, policies, directives and guidelines of the Bank. The directions / instructions and guidelines received on various issues of internal control from RBI, Government of India, Bank's Board, the Audit Committee of the Board (ACB) and Audit Committee of Executives (ACE) have become part of the Internal Control System for better

risk management.

With the size of business increasing year after year, the CIAD is continuously and consistently aiming for curbing the inherent risks through effective control mechanism so as to safeguard the Bank's interest.

The CIAD operates through thirteen Zonal Internal Audit Divisions to carry out the audit of Branches / Offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of the Board and examines and ensures adherence to such systems of internal control and risk management.

The Audit Committee of the Board oversees the Internal Audit function of your Bank. The Committee guides in developing effective Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, IS Audit and all other audit functions for improving the efficiency of systemic controls. The Committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and Audit Division in the Bank.

All the branches of your Bank are covered under the Risk Based Internal Audit (RBIA). A total of 3,831 branches were inspected during FY14. Out of these, 2,917 branches (76.14%) were in Low Risk, 818 branches (21.35%) were in Medium Risk and 96 branches (2.51%) were in High Risk categories.

The I.S. Audit Cell working under Central Internal Audit Division, based in Mumbai, conducts the review of IT operations, applications, infrastructure, I.S. Audit of branches, etc., and performs the function of Offsite Surveillance.

In line with the guidelines issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, your Bank has implemented the following:

- Audit Committee of Executives has been established to oversee the work of Central Internal Audit Division and Zonal Audit Committees with effect from March 2013. This is expected to strengthen further the level of compliance of systems, procedures and internal guidelines.





- The Concurrent Audit Policy, Manual and Scoring Sheets duly approved by Audit Committee of the Board and Risk Based Concurrent Audit have been successfully implemented from FY14.

The coverage of Concurrent Audit has been increased to 1,002 branches in 2014-15 from 834 branches in FY14. In per cent, these 1,002 branches had 70.25% of the Bank's total deposits, 82.02% of its total advances and 75.21% of its total business as on 27.12.2013.

Credit Audit is now being nurtured as a specialized function within CIAD and the new structure is made operational from July 2013. During FY14, Credit Audits were conducted in respect of 4,335 accounts covering the total fund-based and non fund-based business of Rs 2,62,435 crore, thereby ensuring increased level of compliance for large-sized loans.

To summarise, your Bank's Central Internal Audit Division has been effectively monitoring (on continuous basis) the compliance of systems and procedures, policies, directives and guidelines laid down by its own Board, the Regulator and the Government of India.

Operations and Services

Customer-Centric initiatives

As always, efficient customer service and customer satisfaction are the primary objectives of your Bank in its day to day operations. Your Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers.

Recently, your Bank has taken several measures to improve customer service at its branches and at the same time, strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints.

Some of the other major initiatives in improving the customer service during FY14 are as under.

1. SMS alerts in respect of:

(i) Financial Transactions viz

- All cheque return transactions irrespective of amount.
- For transactions of Rs 1.00 lakh and above in Cash Credit Account.
- At entry level of transactions for cheque of Rs 1,00,000/- and above presented in inward clearing.

(ii) Non financial transactions viz

- Change in interest rate in loan accounts due to change in base rate.

2. Issuance of "Multicity/Payable at par at all branches in India" cheques to all eligible customers of your Bank.

3. Acknowledgement of Form 15G/15H: Branches have been advised to acknowledge receipt of Form 15G /

15H to the depositors to ensure non deduction of TDS and to eliminate complaints in this respect.

- To render better customer service, **Offline cash withdrawals** up to Rs 15,000/- to Savings Bank Customers and up to Rs 25,000/- to Current Account Customers are allowed at your Bank branches where network connectivity to Data Centre is not available.
- Revision of cash handling charges:** To increase CASA deposits and to attract high net worth business clients to your Bank, cash handling charges have been revised downwards from amount-based charges to packet-based charges.
- "**Welcome Kit**" comprising of a welcome letter, non personalized Debit Card and a non personalized cheque book are being provided to new SB account customers of your Bank.
- Customer Meet:** Under the direction of Chairman & Managing Director, customer meets at all your Bank branches were convened throughout the country on the same day and at the same time i.e. on 15.07.2013.
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Code Awareness Customer Meet:** In order to spread awareness of the Codes of BCSBI among customers of your Bank, a Customer Meet was convened by Head Office, Baroda on 6th August 2013. The meeting was chaired by Chairman of BCSBI and about 150 customers from various cross sections of Banking attended the meeting.
- Printing of nominee's name** in Pass Book/Statement of Account and FDR, if requested by customer, has been enabled in the system of your Bank.

Efforts to improve Customer Service at Branches

In your Bank, the feedback on quality of customer service at branches is obtained through the **Branch Level Customer Service Committee** meetings that are held every month in which customers from various cross sections of the society are invited including senior citizens and pensioners. The suggestions/views generated during such meetings are collated and an appropriate follow-up action is taken to examine the feasibility to implement the suggestions for improving the service quality.



Shri S.S. Mundra, CMD inaugurating the first Women's Branch at BOJ Zone in Patna



Your Bank is focused towards providing excellent customer service through all delivery channels and has been making continuous efforts for enhancing the level of customer satisfaction by leveraging technology to provide e-products and alternative delivery channels e.g. ATM/Debit cards, POS (Point of Sale machines), Internet Banking, Mobile Banking, etc., best suited to the diverse needs of different customers. The varied interests and expectations of customers are taken care of by improving upon various processes and procedures.



Shri S.S. Mundra, CMD with Select Customers at a Customer meet held at Eastern Zone, Kolkata

Compliance

Your Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the "Code of Commitment to the Customers" prescribed by the BCSBI. It has also adopted the "Code of Bank's Commitment to MICRO and Small Enterprises". These have been placed on your Bank's website and also made available to its customers at the branches. To create and enhance awareness of the Code among the customers, the message to visit your Banks' website www.bankofbaroda.com / www.bcsbi.org.in for more details has been incorporated inside the cover of Saving Bank passbook; as a footnote in Statement of Accounts and also displayed on the screens of ATM machines.

Customer Service Committee of the Board

Your Bank has a **Sub-Committee of Board for Customer Service** which is headed by your Banks' Chairman and Managing Director with the following members as on 31st March 2014:

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 Shri S. S. Mundra | Chairman & Managing Director |
| 2 Shri P. Srinivas | Executive Director |
| 3 Shri B B Joshi | Executive Director |
| 4 Shri Ranjan Dhawan | Executive Director |
| 5 Shri Maulin Arvind Vaishnav | Director |

This Sub-Committee addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of their compliance which brings about consistent improvement in the quality of

customer service. It also monitors the status of the number of deceased claims pending for settlement beyond 15 days pertaining to depositors/locker hirers/depositors of safe custody articles, and reviews the status of implementation of awards passed by the Banking Ombudsman.

Standing Committee on Customer Service

Your Bank has also set up a **Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services**, comprising of three eminent public personalities as members along with all the three Executive Directors and four General Managers of the Bank. This Committee oversees timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer Service and also reviews the practices and procedures prevalent in your Bank and takes necessary corrective steps on an ongoing basis.

The suggestions emanating in the Branch Level Customer Service Committee meetings are obtained by your Bank's Head Office on quarterly basis from Regional Offices and placed before the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Customer Services. The feedback of the committee meetings is then put up to the Customer Service Committee of the Board of Directors.

Customer-Centric initiatives and Redressal of Complaints

- Your Bank has a Board approved policy on Customer Grievance Redress and the same is placed on the Bank's website. Your Bank is also having a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism. The General Manager in charge of "Operations & Services", is designated as Nodal Officer for customer complaints regarding your Bank. Moreover, all zonal and regional heads of your Bank are designated as nodal officers for their respective zones and regions. Furthermore, the names of all nodal officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of your Bank.
- A quarterly review note on customer grievances is placed before the Board of Directors giving position of customers' complaints received by your Bank.
- To minimize customer complaints and to ensure hassle free customer service, a regular analysis of complaints is done on monthly basis and action points / findings sent to all zonal/regional heads for taking remedial measures to minimize recurrence of such complaints in future.
- Your Bank is having a web-based online complaint registration and redressal system in the name of Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS). An icon has been provided on home page of your Bank's website, through which your Bank's customer can lodge their complaint online. The system not only facilitates a speedy redressal of the complaints, but also enables your Bank to maintain centralized data base of all complaints.



Recently by making a modification in the SPGRS, your Bank has provided a facility to lodge complaint/suggestion to non-customers. Moreover, your Bank's customers can re-open their complaints within 15 days, if they are not satisfied with the redressal.

Systems for KYC-AML-CFT

Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) measures and Obligation of Bank under PMLA, 2002

Your Bank has a Board approved KYC-AML-CFT Policy. The said Policy is the foundation on which the Bank's "implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002" is based. The Bank issues guidelines to operational units on issues relating to KYC-AML-CFT issues based on the directives of the regulators.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across your Bank are as under:

- The Bank generates Cash Transaction Reports (**CTRs**) electronically for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), through the electronic medium.
- The "AML Solution" for generating system-based alerts has been installed and implemented. The scope has been further widened with addition of more alert definitions as per recommendations of IBA working group.
- There is a system-based detection and submission of Suspicious Transaction Reports (**STRs**) to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).
- System-based Risk Categorization (from AML angle) of Bank's customers' accounts has been done every half year.
- The Bank files Counterfeit Currency Reports (**CCRs**) to FIU-IND, New Delhi.
- The Bank files Non Profit Organizations Transaction Reports (**NTRs**) to FIU-IND.
- The Bank is in the process of allotting Unique Customer Identification Code (UCIC) to all its existing customers as per RBI guidelines.
- Bank has eliminated 1.32 crore idle customer IDs from the system.
- Online verification of PAN from NSDL has been operationalised as a major step to tackle money laundering.
- CBS system has been modified suitably not to accept cash deposits of Rs.50,000/- and above in absence of PAN / Form No. 60/61.
- Bank is in the final stage of implementation of e-KYC in collaboration with UIDAI.

- Real-time checking of names from UNSCR list is available in more than 1800 branches as a step towards CFT.

The full KYC compliance entails Staff Education as well as Customer Education for which the following measures are taken by the Bank:

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's website (www.bankofbaroda.com) for the benefit of customers.
- Mobile based SMS are being sent and notices have been published in local and national dailies for updation of KYC data in accounts of the customers.
- A KYC-AML page is created at the Bank's INTRANET for posting reference material on KYC-AML-CFT education for staff.
- Regular training sessions are conducted on the KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.
- Training is being arranged for the Bank's senior officials/ executives at RBI, IBA (Indian Banks' Association) and National Institute of Bank Management (NIBM).
- Sustained efforts are being made to create expertise at the Banks' Head Office for the Corporate Oversight and also for the KYC Audit of branches.
- Regular On-site and Off-site test checking is being carried out to find out deficiencies and prompt rectification.

Compliance Policy

Your Bank has put in place a Board approved well documented Compliance Policy outlining the compliance philosophy of the Bank based upon the directions of RBI on compliance function in banks. The said Policy is the foundation on which all compliance function of your Bank is based. Compliance function in your Bank is an integral part of governance along with internal control and compliance risk management process supported by a healthy compliance culture.

Major Initiatives & Highlights of Compliance Function

Compliance Department is set up at Bank's Corporate Office headed by Chief General Manager reporting to Senior Management of the Bank.

Apart from qualified staff in the Compliance Department at corporate centre, each department at the corporate office and controlling offices as well as branches are having compliance officers to look after compliance function.

Compliance function ensures observance of statutory provisions contained in various legislations viz. Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign



Exchange Management Act and Prevention of Money Laundering Act. It also ensures Standards and Codes prescribed by BCSBI (the Banking Codes and Standards Board of India), IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers' Association of India) and FIMMDA (the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).

In order to keep the compliance staff up-to-date with developments in the areas of banking laws, rules and standards, regular and systematic education, knowledge management tools have been uploaded on the Bank's site (<http://intranet.bankofbaroda.co.in>).

Back Office Operations

Regional Back Offices and City Back Offices

Your Bank is having 12 Regional Back Offices (RBOs) at present with two RBOs opened during the year at Bareilly and Ahmedabad. One more RBO at Hyderabad is in advanced stages for a roll out, in order to have one RBO per zone for processing of CASA account opening forms and issue of Personalised cheque books. More than 4,200 branches of your Bank are linked for centralised account opening process through RBOs and more than 4,350 branches are linked for issuance of Personalised cheque books.

Your Bank is having 85 centralised city back offices for processing of inward and outward cheques through clearing. During the year under review, 100.0% migration to CTS (Cheque Truncation System) clearing has taken place in Southern Grid and also at all the 20 MICR (Magnetic Ink Character Recognition) locations of the Western Grid.

Government Business & Currency Chest

Your Bank focused on Government Business in a dedicated fashion during FY14 to augment its fee-based income. Some of the major initiatives taken during the year under review are listed below.

1. Your Bank obtained permission for "State Tax Collection" in the states of Dadra & Nagar Haveli, Delhi (offline), Mizoram, Nagaland, Andhra Pradesh & Meghalaya. With this, your Bank is authorized to accept State Tax



Shri S.S. Mundra , CMD inaugurating the Govt. & PSU Business Dept at New Delhi

Collection in 19 States.

2. Your Bank obtained permission from Ministry of Railways for disbursement of Railway Pension in 11 States i.e. Maharashtra, West Bengal, Assam, Bihar, Nagaland, Tamil Nadu, Manipur, Tripura, Sikkim, Mizoram and Arunachal Pradesh.
3. Your Bank obtained authority for additional 166 branches for undertaking Public Provident Funds / Senior Citizens Savings Scheme (PPF/SCSS) Business. With this, around 1,079 branches of your Bank are authorized to undertake PPF/SCSS business.
4. Your Bank undertook special campaign for the mobilization of PPF with effect from 1st January, 2014 to 31st March, 2014. A total of 44,740 accounts were mobilized during the campaign period and 64,072 accounts during FY14 as a whole.
5. Your Bank also undertook special campaign for the mobilization of NPS Lite under New Pension Scheme during the period from 2nd December, 2013 to 31st March, 2014 and more than 23,800 Accounts were mobilized during the campaign period and more than 25,000 Accounts during FY14 as a whole.
6. Your Bank received permission for e-stamping facility in the states of UP & Uttarakhand and activated 48 branches in UP & 17 branches in Uttarakhand. With this, your Bank's 113 branches in six states are authorized to conduct e-stamp business.
7. Your Bank obtained authorisation from Ministry of Commerce & Industries for participation in their e-Biz portal to provide online collection of license fees and charges collected for issuance of various types of licenses.
8. Your Bank implemented physical collection of Customs Duty at Inland Container Depot (ICD) Kribhco & Hazira and started collection of Customs Duty at both the locations.
9. In Andhra Pradesh, your Bank obtained approval from Geological & Mining Department for Royalty collection through Cyber Treasury.
10. In the State of Gujarat, your Bank got authorization to collect MST & Entry Tax and also to handle six additional Sub Treasuries business.

New Pension Scheme (NPS)

After launching of NPS-Lite Scheme on 14.09.2012, your Bank canvassed 20,872 applications up to 31.03.2013 and 23,646 applications during the financial year ended 31.03.2014 under the NPS-Lite Swavalamban scheme. Your Bank has set a target for canvassing 1,00,000 applications under the NPS-Lite Swavalamban scheme during the financial year 2014-15.

Cash Management & Currency Chest

1. Your Bank managed to maintain average Cash Deposits





Ratio (without ATM Cash) at 0.30 or below by constant monitoring and follow up with the zones and regions.

2. **Clean Note Policy:** To comply with Clean Note Policy of RBI, your Bank procured 1,354 NSMs in the 1st phase for its branches and currency chests in FY14 and procurement of 3,682 NSMs for rest of the branches is under way.
3. **Proposed New Currency Chests:** As a customer-centric initiative to improve the payment system, your Bank identified 32 currency chests to be opened during the period, thereby increasing total number of currency chests from 84 to 116, out of which three currency chests, notably at Dhamnod, I.E. Varanasi, Rahangi, were opened during the year 2013-14.
4. **Coin Vending Machine:** As per the "Strategic Plan on Currency Management 2011-14", 30 Coin Vending Machines have been installed at different places during FY14.

| Sr.No. | Name of the Zone | CVM Installed |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Bihar Orissa & Jharkhand Zone | 03 |
| 2 | Eastern Zone | 02 |
| 3 | Greater Mumbai Zone | 01 |
| 4 | North Gujarat Zone | 04 |
| 5 | South Gujarat Zone | 04 |
| 6 | Maharashtra & Goa Zone | 02 |
| 7 | MP & Chhattisgarh Zone | 01 |
| 8 | Northern Zone | 02 |
| 9 | Rajasthan Zone | 02 |
| 10 | Karnataka & AP Zone | 02 |
| 11 | Tamilnadu & Kerala Zone | 03 |
| 12 | Eastern UP Zone | 02 |
| 13 | WUP & Uttarakhand Zone | 02 |
| TOTAL | | 30 |

Vigilance

Vigilance in your Bank aims at identifying leakages within the organization that lead to financial loss and, taking corrective and preventive actions to plug these leakages and simultaneously ensuring proper justice and fair play in the organization. Thus, this helps in protecting the innocent employees by supporting quality decisions, while striving to bring the real offenders to book thereby eliminating forces that thwart integrity and preventing loss for your Bank.

With the objective of bringing awareness among the staff members about preventive vigilance and also to put forth consequences of flouting the rules and regulations, which may lead to perpetration of frauds by unscrupulous elements, sensitive branches of the Bank are identified on the basis of risk perception and Preventive Vigilance



Shri S.S. Mundra , CMD, Executive Directors and other dignitaries during the Vigilance Awareness Week observed at Corporate Office, Mumbai

Audits are conducted. The staff members are sensitized about preventive vigilance through vigilance newsletter, circulars, meetings etc. Other initiatives are also being taken such as implementation of Bio-metric authentication in CBS, online submission of Property Returns by officers and putting Immoveable Property Returns of Executives on your Bank's website.

Your Bank has also created a pool of trained officers for skilled investigation and expeditious conduct of enquiry proceedings. It may be noted that there was significant improvement in disposal of disciplinary action during the year FY14.

As a part of increasing transparency in the processes and systems, stress is being put on leveraging technology in the customer service areas as well as the internal monitoring systems viz. online applications, submissions, services etc., wherein minimum manual intervention is required.

The Vigilance machinery is effectively performing its role as decision facilitators rather than decision deterrent by strengthening the systems and procedures, plugging the loopholes, wherever found and erasing grey areas. It is imparting participative, proactive and preventive mechanisms to meet the desired impact.

Business Performance

Given below are the details of your Bank's major achievements on the business front during FY14.



Announcement of its Financial Results FY 2013-14 and Q4: FY-14 for the year ended 31st March 2014





Resource Mobilisation and Asset Expansion

The share of Bank's Deposits in total resources stood at 86.26% as of 31st March 2014. **Total Deposits** of your Bank grew from Rs 4,73,883.34 crore to Rs 5,68,894.39 crore, posting a healthy growth of 20.05% over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – a critical component of Low-Cost Deposits grew by 14.39% from Rs 84,302.61 crore to Rs 96,437.44 crore.



Shri S.S. Mundra, CMD, Executive Directors and other dignitaries during Extraordinary General Meeting (EGM) held at Baroda

The share of low cost deposits (Current + Savings) or CASA deposits in Total (Domestic + Overseas) Deposits was at 25.75% and in Domestic Deposits at 31.76%.

Your Bank's **Total Advances** expanded by 20.97% during FY14 led by 21.34% expansion in **Domestic Advances** and 20.16% expansion in **Overseas Advances**.

Composition of Funds – Global

| Particulars (Rs crore) | End March 2013 | End March 2014 | Growth (%) |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Deposits | 4,73,883.34 | 5,68,894.39 | 20.05 |
| - Domestic | 3,41,705.59 | 3,79,054.04 | 10.93 |
| - Overseas | 1,32,177.74 | 1,89,840.35 | 43.62 |
| Borrowings | 26,579.28 | 36,812.97 | 38.50 |

Global Advances (Net)

| Particulars (Rs crore) | End March 2013 | End March 2014 | Growth (%) |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Advances | 3,28,185.77 | 3,97,005.81 | 20.97 |
| - Domestic | 2,24,294.33 | 2,72,168.96 | 21.34 |
| - Overseas | 1,03,891.44 | 1,24,836.85 | 20.16 |

Deposit Resources

To bring more synergy between business models persuaded by your Bank and its organizational structure promoting the corporate goals, a new business vertical "**Deposit Resources**" was created during the year. The aim of this newly created vertical has been to ensure a consistent and broad based growth in CASA and Retail Term Deposits.

We are happy to share that your Bank canvassed **79,87,709 new Savings Bank accounts and 1,20,082 new Current accounts** during the year under review.

Sale of Gold Coins

Around 40,145 Gold coins of different denominations aggregating 362.333 Kgs were sold during the year FY14.

Initiatives undertaken by "Deposit Resources" Department

Product Modification

Product modification in Baroda Premium Current Account (BPCAP): Your Bank effected a flexibility in sweep period ranging from 15 days to maximum 91 days during the year. The customer would now enjoy an option to decide sweep period within the specified range depending upon his/her requirement of funds. The rate of interest on short deposits is to be for the period as per the option given by customer as per the Bank's ROI prevalent from time to time.

Other Business initiatives

Drive for activation of dormant accounts: To revive & strengthen the relationship with existing customers, a drive was launched by your Bank for activation of dormant accounts.

Drive for Issuance of Debit Cards: As a part of your Bank's CASA campaign and to promote the use of debit card, a drive was launched to cover maximum customers during the campaign period.

CASA Campaign: To accelerate growth in low cost deposits, notably, the Current and Savings Bank Deposits, a CASA campaign was launched from 2nd September 2013 to 25th September 2013. An amount of Rs 696 crore (retained amount) as fresh Savings Bank Deposit was mobilized in 15,01,679 new Savings Bank accounts and total savings deposit of Rs 1,402 crore was mobilized during the campaign period. An amount of Rs 230 crore was mobilized in 25,426 new Current accounts and a total Current Deposit of Rs 777 crore was mobilized. Total CASA deposit of Rs 926 crore in new accounts and in overall, an amount of Rs 2,179 crore in both Savings and Current Account was mobilized during the campaign period.

Savings Bank Deposit Campaign: To accelerate the pace of mobilization of Savings Bank deposit, a campaign for Savings Bank deposit was launched from 17.02.2014 to 22.03.2014. An amount of Rs 1,093.66 crore in 8,69,945 new savings bank accounts was mobilized with overall increase of Rs 1,765.31 crore in savings bank deposits. The average balance in newly opened SB accounts amounted to Rs 12,571/-.

NRI Services

The NRI (Non-Resident Indian) deposits are important resources, which your Bank has been successfully tapping over the years.

New Products Launched

In pursuance to the important measures announced by the RBI during August-September 2013 to augment inflow of NRI remittances from abroad, two special Retail Liability





products styled as “**Baroda Premium FCNR (B) deposit**” and “**Baroda Ultra Premium FCNR (B) deposit**” were introduced on 23rd September, 2013 and 10th October, 2013, respectively. The funds mobilized under these products facilitated your Bank to participate in concessional Dollar SWAP window of the RBI. Keeping in line with the closure of SWAP window of RBI on 30th November, 2013, the special deposit products were closed on 27th November, 2013. Your Bank mobilized deposit of USD 42 million and USD 1,694 million, respectively and swapped with the RBI for an amount of USD 1.7 billion.

New Inward Remittance Processed

The Process has been initiated for launch of new inward remittance product Flash Remit under tie up arrangement with **UAE Exchange Centre LLC (UAEECL)** under rupee drawing Arrangement of RBI. As of now, Supplemental Agreement document is ready to be signed with UAE Exchange LLC, Abu Dhabi, UAE for the new online remittance product.

Special NRI Deposit Campaign

Coinciding with the launch of two new FCNR (B) products, special campaign for NRI deposit was launched between 14th Oct, 2013 and 30th Nov, 2013 across all branches with a special focus on top 500 NRI centric branches. Against a target of Rs 1,508 crore, your Bank could register a net increase of Rs 1,600 crore in this period. During the special drive, about 12,967 new accounts with an inflow of Rs 10,512 crore were opened.

Centralized NRE/NRO SB a/c extended to all territories

Centralized opening of NRE/NRO SB accounts in NRI Back Office (NROBO), Mumbai, was extended to all overseas territories for sponsoring the accounts opening applications from July 4, 2013. Total number of 5,538 NRE/NRO SB accounts was opened during the year with sponsored application received from your overseas branches, subsidiaries and joint ventures on behalf of the domestic branches.

Other Initiatives

- Your Bank vigorously followed up with NRIs and assisted branches in cleansing database for KYC compliance under the RBI observation.
- Your Bank initiated efforts for rejuvenation of Dormant accounts.

Wholesale & Mid Corporate Banking

Your Bank's Large and Mid Corporate segment collectively contributes more than 50% of its domestic credit portfolio.

The FY14 was a challenging year for the Indian banking sector as elucidated in the earlier section on Economic Scene in FY14. Given below are some of the specific challenges faced by the Bank's Corporate Lending division during FY14.



Shri S.S. Mundra, CMD, and other dignitaries during Export Risk Management Conclave organized at Indore

- i) Credit demand from corporates remained subdued for a number of reasons such as-
 - Lowest GDP growth rate in a decade.
 - Delayed Policy/administrative decisions on various projects.
 - Specific delays in clearance of infrastructure projects for different reasons.
 - Uncertain policy environment
 - High input price inflation & interest rates
 - Volatile exchange rate movement in H1, FY14
- ii) Balancing between lending appetite and worsened asset quality

Against this backdrop, your Bank has been cautious and careful in garnering new business/ sectors for augmenting credit growth. Yet, the fast track desk of your Bank established 146 new relations during FY14. Its Large and Mid Corporate segments accorded fresh sanction/ increased credit facilities to the tune of over Rs 96,000 crore during FY14.

The objective of “harnessing growth in corporate credit” through creation of Corporate Financial Services branches and Mid Corporate branch model, has been successful. Together, these branches have contributed nearly Rs 1,00,000 crore of assets representing 36% of your Bank's outstanding domestic credit.

While according credit sanctions, your Bank continued to ensure the benchmark of due diligence, appraisal standard, compliance and governance to maintain the asset quality. Total non food gross advances of your bank registered a growth of 21.88% from Rs 2,24,035.82 crore (as on 31.03.2013) to Rs 2,73,060.13 crore (as on 31.03.2014). The growth in credit of your Bank was higher than the industry average.

Innovation & new initiatives are the hallmarks of progress in any industry. Your Bank's Large Corporate and Mid Corporate departments also undertook the following novel initiatives during FY14.



- A new product christened as “Top Up Facility” was introduced looking to the requirement of timely sanction of working capital requirements for the corporates.
- Features of existing products were reviewed and revisited to make more competitive. The products included Corporate Loan, Bid Bond Guarantee, Loan Against Future Rent Receivables etc.
- Interest rate structure was rationalized to make it one of the best in the industry.
- As a strategic business decision, your Bank’s Project Finance Department was hived off and merged with Baroda Capital Markets Ltd. Baroda Capital Markets Limited will now carry out Techno Economic Viability Studies of the projects, arrange funds for Corporates by way of Syndication of Bank Loans etc. Baroda Capital Markets Ltd has a dedicated team of professionals comprising Engineers, Finance Professionals, and experienced groomed credit officers. Another objective was also to augment their fee income through extending project appraisal services in the market to undertake TEV study of projects.
- Turnaround time of credit delivery was significantly reduced.

Your Bank’s “human capital” has been playing a crucial role in accomplishing the aforesaid objectives. Recruitment of professionals viz. CA/ ICWA/ MBA was made during the year FY14 to replenish & reinforce the stock of human capital. It may be noted that your Bank focused on grooming of its credit & FX officers by according it the topmost priority.

Retail Credit

Retail banking services continued to remain an important business division of your Bank in FY14 as well. This division focuses on meeting the financial needs of personal and small business customers (traders) who are looking for accessible and affordable banking services.

The performance of your Bank’s Retail banking division during the year under review is as under.



Shri S.S. Mundra , CMD and other dignitaries during the inauguration of Property & Car Expo organized at Surat

Growth under Retail Lending

Your Bank’s Retail Loan Book consists of five key products viz. Home Loan, Auto Loan, Education Loan, Traders Loan and Mortgage Loan, which constituted 79.31% of total Retail Loans as at end-Mar, 2014. The other products namely LABOD/ODBOD constituted 17.91% of the Bank’s total retail loan.

The other retail loan products like Baroda Personal Loan and other miscellaneous products viz. Doctors Loan, Loan against Government securities etc., constituted 2.8% of Retail Loans.



Union Finance Minister, Shri. P. Chidambaram along with Shri. V. Sreedharan, GM during the Education Loan Mela at Karaikudi, Kerala

Total Retail Loans stood at Rs 46,019 crore as on 31st March, 2014 as against the level of Rs 38,046 crore as on 31st March, 2013. Absolute growth of Rs 7,973 crore (21.0%) was registered during FY14 as against a growth of Rs 2,379 crore (6.7%) during the previous financial year.

Growth under Five Key Retail Products

Under five key products which constituted 79.3% of total Retail Loans, an absolute growth of Rs 5,899 crore (19.3%) was posted during FY14 as against Rs 4,412 crore (16.9%) during FY13.

Home Loans: Absolute growth of Rs 3,513 crore (21.9%) was registered during FY14 as against a growth of Rs 1,911 crore (13.5%) during FY13.

Auto Loans: Absolute growth of Rs 698 crore (23.7%) was registered during FY14 as against a growth of Rs 512 crore (21.1%) during FY13.

Baroda Traders Loans: Absolute growth of Rs 1,215 crore (16.9%) was registered during FY14 as against a growth of Rs 1,620 crore (29.1%) during FY13.

Baroda Mortgage Loans: Absolute growth of Rs 367 crore (14.9%) was registered during FY14 as against a growth of Rs 284 crore (13.0%) during FY13.

Education Loans: Absolute growth of Rs 106 crore (5.4%) was registered during FY14 as against a growth of Rs 86 crore (4.6%) during FY13.



NPAs under Retail Loans

The amount of Non Performing Assets (NPA) as on 31st March, 2014 against your Bank's Retail loans stood at Rs 901 crore (1.96%) as against the same level but a higher per cent of 2.11% as on 31st December, 2013. The amount of NPA as on 31st March, 2013 under Retail Loans was Rs 669.08 crore or 1.76% of gross retail loans.

Initiatives in Retail Banking During FY14

1. New Products Launched

A new Retail Asset product named as **Vehicle Loan Scheme for your Young Officers & Clerical Staff** was launched on 10th April, 2013 for purchase of four and two wheelers, with maximum limit of Rs 3.50 lakh and Rs 0.75/0.60 lakh, respectively. Another new asset product styled as **Baroda Traders Gold Card scheme** was also launched on 30th April, 2013 for the existing Baroda Traders Loan borrowers. New Retail Loan product "**Baroda Premium Personal Loan**" to Salaried Employees with a maximum limit of Rs 10 lakh was launched on 1st November, 2013. New Car Loan scheme '**Baroda Car Loan to NRI/PIO**' was launched on 4th December, 2013. **Special Education Loan for students of Asia Pacific Flight Training Academy** was launched on 9th October, 2013. **Special Traders Loan Scheme for Iron and Steel Traders in NCR** was another new product to the kitty of new products launched during the year.

2. Product Modification

During the year, your Bank modified **Baroda Additional Assured Advance (AAA)**, a Top-up Home Loan Product, by increasing the maximum limit from Rs 0.25 crore to Rs 2.00 crore in addition to adding new features in the scheme to facilitate more home loan borrowers to avail the scheme. Maximum limit was also increased in the existing product for traders '**Baroda Traders Loan**' from Rs 2 crore to Rs 3 crore for Semi-urban and Rural Branches and to Rs 4 crore for Metro/Urban branches and under Baroda Mortgage loan from Rs 1 crore to Rs 3 crore.

The rates of interest were rationalized and made attractive for various products like **Baroda Housing Loan, Loan against Future Rent Receivables, Baroda Mortgage Loan, Baroda Education Loan and Loan/Overdraft against Bank's own Fixed Deposit Receipts**, during the course of the year FY14.

3. Other Business Initiatives

- Your Bank regularly disseminated information amongst its employees on various retail product features, which included products like Home Loan, Traders Loan, Auto Loan, Education Loan and Mortgage Loan, etc. Your Bank published a booklet (in both Hindi and English) entitled as '**Retail Loan Guide Ready Reckoner**' for its staff members.

- Loan Campaigns** were undertaken at different points of time to boost the retail business. The products for which such campaigns were undertaken were - Additional Assured Advance (AAA), Future Rent Receivables and Baroda Traders Loans, Education Loans, Mortgage Loans, Auto Loans, Baroda Home Loans, Baroda Traders Loans, etc., which helped in increasing the Bank's overall retail disbursements.

- Your Bank strengthened the **Tie-up arrangements** with Maruti Suzuki Ltd & others like Mahindra & Mahindra, Tata Motors, Force Motors and Honda Cars India Ltd.
- Your Bank opened five **New Retail Loan factories (RLFs)** at Bharuch, Junagarh, Visakhapatnam, Meerut & Moradabad taking the total strength of RLFs to 45.
- Your Bank's Regions were actively involved in **Organization of Property and Car Expositions** as well as participation in local trade fairs as a business supportive measure.
- The initiative to send **SMS messages/reminders** to retail Loan borrowers led to significant improvements in recovery in these accounts.

Wealth Management Services

In order to cater to the various investment needs of its customers, apart from seamless banking, your Bank is offering Wealth Management Services since the past ten years. For this, your Bank has entered into tie-up arrangements with various companies for offering products like Life Insurance, Non-Life Insurance, Mediclaim, Mutual Fund, Online trading etc. The two JV (Joint Venture) companies of the Bank, one in Life Insurance and the other in Mutual Fund business, is showing steady growth over the years. Apart from distributing the products of these companies, the products of tiup partners are also being distributed through the Bank's pan Indian branches.

In order to offer more qualitative **Wealth Management Services** to the customers, your Bank has enabled India First Life Insurance's (IFLI) renewal Insurance premium collection through ATMs and fund collection module for Baroda Pioneer Mutual Fund. On the occasion of your Bank's 106th foundation day, the Bank's Chairman and Managing Director unveiled **IndiaFirst Health Card**. This card is introduced with a view to provide cash less benefits, to the card holder, at empanelled hospitals through **Point of Sale (POS) Machines**.

During the year FY14, your Bank gave added focus to the installations of POS machines at Merchant establishments with a view to improve its Current Account portfolio. This indeed generated good results and your Bank doubled its POS numbers in a year's time across the Merchant locations.

Apart from the E-Trading tie up with India Infoline Ltd., your Bank, through its wholly owned subsidiary **BOB Capital**



Market Ltd., is offering **Online Trading Facility (OLT) – Bobetrade-** to its customers. A modified trading platform with added features is going to be launched soon which will help your Bank in attracting and retaining its retail customers.

As a “Self Certified Syndicate Bank” (SCSB) by SEBI, an additional mode for applying in IPO/FPO/Right Issues and NFO of Mutual Funds is made available by your Bank in the form of **Application Supported by Blocked Amount (ASBA)** to all category of investors who are customers of your Bank. Your Bank has enabled 655 centres for accepting Syndicate ASBA applications.

Your Bank is always committed to provide more personalised services to ensure customer delight and will move forward in the same direction in the years to come.

MSME Business

The micro, small and medium enterprise (MSME) sector is crucial to India's economy. A recent IFC study on MSME finance in India indicates there are 29.8 million enterprises in various industries, employing 69 million people. This sector accounts for 45% of Indian industrial output and 40% of exports. Although 94% of micro, small and medium firms are unregistered, the contribution of the sector to India's GDP has been growing consistently at 11.5% annually, which is much higher than the average GDP growth of the nation.

Considering the importance of the MSME sector to Indian economy and to facilitate this business, your Bank rationalized interest rate structure for MSME borrowers in June 2013. Your Bank comfortably achieved all the regulatory targets pertaining to this segment during FY14. Moreover, your Bank has a rich set up of 52 SME Loan Factories (SMELFs), which sanctioned loans to the tune of Rs 19,999 crore during the financial year under review.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the “Meeting of SME Loan Factory Heads with CMD” at Anand Region

In addition to the MSME units under the regulatory category, your Bank also considers financing the units in manufacturing and services activity which have investments in plant & machinery and equipments, respectively, in excess of regulatory guidelines and have turnover up to Rs 150

crore on the same footing as MSME units. This is done internally to give preferred attention to this “expanded” sector along the lines of regulatory MSME enterprises.

However, for reporting to regulators, the performance of your Bank is reckoned on regulatory lending i.e. to units/borrowers who comply strictly with definition of Micro, Small and Medium Enterprises.

It may be noted that during the year FY14, the performance of your Bank under the regulatory category of MSME business has been very encouraging despite the overall slow-down in the economy.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the Ultra and Small Enterprise Loan Mela organized at Lucknow

Growth of MSME Business

The total outstanding in MSME Sector works out to Rs 57,426 crore as on 31st March 2014. The growth in lending to MSME Sector during the last three years is given in the table below.

| Year | Growth (% , YoY) |
|---------|------------------|
| 2011-12 | 26.11% |
| 2012-13 | 30.31% |
| 2013-14 | 21.21% |

Major Achievements in FY14

- The MSME advances of Rs 56,634 crore as of end-Mar 2014 reflected a growth of Rs 9,912 crore (21.21%) over the MSME advances in the previous year.
- The advances of Rs 27,756 crore to Micro Enterprises in the total credit of Rs 40,873 crore to MSE sector (as of the previous year) stood at 67.90% in FY14, comfortably reaching the mandatory target of 60.0% fixed by the RBI.
- The MSME advances as on 31st Mar, 2014 contributed 20.16% to the gross domestic advances of your Bank.
- The advances to Micro & Small enterprises reached the level of Rs 50,300 crore as against



the Government set mandatory target of Rs 45,900 crore by end-Mar, 2014.

- Your Bank introduced a New Product named as "MSME Capex Loan and Capex Card" during FY14 to further promote its MSME business.

Initiatives in MSME Financing during FY14

- Your Bank reduced the spread in the rate of interest charged to the MSME borrowers to encourage investment spending.
- Your Bank approved scoring type credit rating model for small value loans worth Rs 2 lakhs up to Rs 2 crore.
- Your Bank held the SME conclave with Heads of SME Loan Factories in the months of June and October 2013 to deliberate on the issues pertaining to MSME businesses.
- Your Bank celebrated MSME Festival from 1st November 2013 to 28th February 2014.
- Your Bank arranged MSME Round Table conference at Nasik, Indore, Rajkot and Coimbatore.
- Your Bank aggressively focused on collateral free lending under the CGTMSE scheme.
- Your Bank participated in several exhibitions, seminars, etc., to build its Brand image.

Besides this, your Bank introduced MSME CAPEX LOAN and CAPEX CARD for MSME borrowers. It financed units in Hosiery industry in Kanpur Region and leather & leather products in Kanpur and Agra regions. It financed Tea Processing units in West Bengal and Sikkim regions. It extended financial support to units engaged in Rerolling mills, Machine Tools and Textile printing activity across the country. It financed units engaged in manufacturing of Hand Tools & Sports goods in Punjab-Jamu-Kashmir Region. It financed Hotel/Motel/Resorts in Haldwani and Dehradun regions. It financed agro-based units across the nation. It entered into MOU with Mahindra Trucks & Buses P. Ltd. under its scheme for financing Road Transport Operators for purchase of commercial vehicles manufactured by various commercial vehicle manufacturers. It also entered into MOU with Development Commissioner, MSME for Technology up-gradation and for providing quality support to MSMEs with respect to energy efficient projects.

Under its MSME segment, your Bank has various Area Specific Schemes for certain pockets, where there is a concentration of units with same or similar activity and with good business potential. These schemes have yielded satisfactory results for your Bank. The cluster development is also being undertaken with lead district branches having a larger role to play in the ensuing year. Furthermore, directed programmes of the Government of India, particularly the Weavers Credit Card (WCC) and lending under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) received focused attention during the year FY14.

In particular, your Bank renewed the following area-specific schemes during the year FY14.

- ❖ Financing of Marble units in Rajasthan.
- ❖ Financing of Textiles units on pan India basis.
- ❖ Financing of Brass Manufacturing Units in Jamnagar, Junagadh & Kutch Region.
- ❖ Financing of collateral free loans/educational loans to persons with disabilities promoted by National Handicapped Finance and Development Corporation.
- ❖ Financing of three-wheelers manufactured by Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.

Rural and Agricultural Lending

Your Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending. It has been harnessing the vast potential of the rural market through its wide network of 1,781 rural branches and 1,267 semi-urban branches. Even during FY14, your Bank opened 453 new branches in rural and semi-urban areas.

Your Bank is the proud Convener of State Level Banker's Committee (SLBC) in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan. Your Bank shoulders the Lead Bank Responsibility in 48 districts in the states of Gujarat (14), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (15), Uttarakhand (2), Madhya Pradesh (2), Bihar (2) and Delhi (1).

Your Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) in three states with a network of 1,659 branches and total business of Rs 33,169.55 crore as of March, 2014.

Performance of Priority Sector Lending in FY14

Priority Sector Advances of your Bank surged from Rs 80,003 crore as on March 2013 to Rs 90,488 crore as on March 2014 and formed 40.02% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandated target of 40.00%. The Direct Agriculture advances of your Bank increased to Rs 22,117.51 crore over the previous year with an absolute growth of Rs 1,609.39 crore (7.85%) during the year. The total agriculture advances of your Bank has grown by Rs 768.76 crore and reached Rs 28,431.92 crore as at end-March 2014. The growth remained marginal due to the impact of revised guidelines of Priority Sector Lending issued by Reserve Bank of India made applicable from July 20, 2012 which led to reclassification of a large number of accounts out of Agriculture. Your Bank's Direct Agricultural advances formed 9.78% of ANBC as of March 2014 against the mandated target of 13.50%. The Total Agricultural Advances were at 12.57% of ANBC against the mandated target of 18.00% (Recent guidelines of RBI dated 15.05.2014 would increase the Total Priority Sector and Total Agriculture Advances to 41.22% and 13.93% respectively).

Under its flagship agriculture loan product "**Baroda Kisan Credit Card (BKCC)**", your Bank issued as many as 2,47,796 Credit Cards during FY14 to provide credit to



farmers across India. Baroda Kisan RuPay Card, an ATM enabled smart Card, has been issued to 3,30,257 BKCC holders for their convenience. Your Bank financed as many as 2,95,743 new farmers during FY14 granting them loans worth Rs 4,505.55 crore.

As a part of its microfinance initiatives, your Bank credit linked 11,908 Self Help Groups by granting loans amounting to Rs 198.03 crore during FY14 thereby taking the total number of SHGs credit linked to 1,83,566 with an outstanding loan amount of Rs 1,670.57 crore.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the National Pilot Agri Loan Factory launch at Himatnagar, Gujarat

Business and Social Initiatives

Your Bank undertook various initiatives during FY14 to harness the emerging opportunities in rural and agriculture lending. Some of them are mentioned below.

- To augment the Agriculture advances, your Bank conducted **special campaigns** viz. Kharif and Rabi campaign for crop loans under which the disbursements of Rs 5,585.67 crore and Rs 2,850.40 crore, respectively, were made. Another **Campaign for Investment Credit** was also undertaken, in which disbursements of Rs 897.84 crore were made.
- Your Bank has identified 466 **Thrust Branches** across India to boost Agriculture lending. These branches contributed 35.95% of the total Agriculture outstanding of the Bank as at 31st March 2014.
- Your Bank formulated various **Area-specific Schemes** which are tailor-made to cater to the needs of the local farming community, with various freebies like concessions in rate of interest & charges etc. Twelve such schemes to accommodate the varied needs of farmers were approved and implemented during the year under review.
- Your Bank launched **Agriculture Loan Factories** for bettering customer service and improving the volume and quality of the Bank's agriculture advances. Three such pilot factories have started functioning in Mehsana in Gujarat, Bareilly in U.P and Muzaffarpur in Bihar.
- At present, your Bank has 47 **Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS), Baroda R-SETI** Centers across India

training the youth and imparting them knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During FY14, around 33,974 youth beneficiaries were trained at these centres, out of which 22,297 have established self-employment ventures. Out of the total 1,92,247 beneficiaries trained by these centers so far, 1,20,979 have successfully taken up their own self employment ventures.

- Your Bank has established 46 **Financial Literacy Centres (FLC)** across India, christened as "**SARATHEE**" to impart financial literacy and credit counseling services to the needy to help them avail financial services from the banking system and also to provide counseling services to those under financial distress. Your Bank has opened these centers under the patronage of its BSVS Trust and free services are provided to all by these centers.
- Your Bank has also opened a Micro Loan Factory at Raebareli and Sultanpur in U.P. The Micro Finance Loan Factory has a mobile van with facilities and all related documents on SHG financing. It is manned by officers who are duly authorised to sanction and disburse loans up to Rs 25,000 to SHGs on the spot and at their door steps.

Performance of RRBs Sponsored by your Bank

At present, there are three RRBs sponsored by your Bank:

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office: Raebareli.
- Baroda Rajasthan Khetriya Gramin Bank, Head Office: Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office: Bharuch.

The aggregate business of these three RRBs rose to Rs 33,169.55 crore as of March, 2014 from Rs 29,284.23 crore as at end-March, 2013, registering a growth of 13.27%.

These three RRBs together posted a Net Profit of Rs 289.40 crore during FY14 as against Rs 97.06 crore earned during FY13.

The "Net Worth" of all these RRBs put together improved from Rs 1,234.42 crore at end-March, 2013 to Rs 1,523.82 crore at end-March, 2014 and their "Reserves and Surplus" improved from Rs 777.52 crore at end-March, 2013 to Rs 1,066.92 crore at end-March, 2014, respectively.

Advances to SC/ST Communities during FY14

The outstanding advances granted by your Bank to SC/ST communities have been growing healthily year after year. This is evident from the fact that the outstanding advances granted to these beneficiaries went up from Rs 4,712.66 crore as at end-March, 2013 to Rs 6,160.30 crore as at end-March, 2014. In fact, the SC/ST communities accounted for a share of 29.90% in the total advances granted to weaker sections by your Bank during the year under review. Furthermore, a special thrust is laid by your Bank in financing SC/ST



under various government sponsored schemes namely **National Rural Livelihood Mission (NRLM)**, **Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)**, **Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)**, etc.

Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS) have also been giving due preference to SC/ST communities while selecting the trainees. It is heartening to indicate that so far, these centres have trained 72,365 youths under the SC/ST category.

Bank's Committed Efforts at Financial Inclusion (FI)

Financial Inclusion is delivery of banking services at an affordable cost to the vast sections of disadvantaged and low income groups. The Financial Inclusion Plan aims at providing easy access to financial services to those sections of the society who are deprived of it so far at affordable cost thereby bringing them into the mainstream financial sector. Implementation of Financial Inclusion is not a new concept for your Bank. Financial Inclusion activities are being implemented by your Bank since inception through various government-sponsored programmes, lending to the poorest of the poor, lending to the minority communities, lending to SC/ST, lending to priority sectors, etc. However, the RBI formalized the concept of Financial Inclusion in 2005, when it permitted rendering of banking services through **Business Correspondent (BC)** channel. It then advised all commercial banks in the year 2010 to submit **Board-approved Plan** for providing banking services in rural unbanked areas under Financial Inclusion.



Shri K.C. Chakrabarty, Deputy Governor, Shri S.S. Mundra, CMD and Shri Kishor P. Kharat , GM during the Inauguration of Kiosk Centre at Varanasi under Financial Inclusion

As desired by Government of India and directed by the RBI, your Bank's Board had approved a **Financial Inclusion Plan (FIP)** for implementation by your Bank within a period of three years commencing from 2010-11. The plan had envisaged covering 20,000 villages in a span of three years under Financial Inclusion utilizing various technology based initiatives. Thereafter, Ministry of Finance and RBI advised your Bank to cover the villages having population above 2,000 by March 2012. Accordingly, your Bank was allotted 2,855 villages which are covered well within the timelines.

Thereafter, the RBI advised all banks to provide banking services to all villages within the service area of the specific bank in three years i.e. 2013-14 to 2015-16. Accordingly, your Bank's Board approved disaggregated FIP for all 21,526 service area villages of the Bank to be covered in three years, i.e., up to March 2016. As per the Board approved FIP, the year-wise target for coverage of service area villages is 11,124, 16,324 & 21,526 during 2013-14, 2014-15 & 2015-16, respectively. Your Bank has already surpassed the annual target of village coverage well ahead of its timeline. Almost all other parameters of Annual Targets set in disaggregated FIP for March 2014 have also been achieved.

Models used by your Bank for FI

Your Bank has adopted various models for providing banking services under financial inclusion such as:

- ICT (Information & Communication Technology) based BC model
- POS (Point of Sale/Service)
- Kiosk
- Mobile Van
- Brick & Mortar Branches

Information and Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model: POS based BC Model

This solution is based on Application Service Provider (ASP) model with smart cards based technology for financial inclusion. Under this model, Business Correspondents are appointed by banks through service providers who are provided with point-of-service (POS) devices, using which, they carry out transactions for the smart card holders at their doorsteps. The customers can operate their accounts using their smart cards through biometric authentication. In this system, all transactions processed by the BC are online real time basis in CBS of the bank. The POS devices deployed in the field are capable to process the transactions on the basis of a **Smart Card, Account number (card less) and Aadhaar number (AEPS transactions)**. The BC is moving into the cluster of villages allocated to him/her on a pre-determined day and time for providing banking services at the doorsteps of the habitants.

KIOSK BC Model

It is a web-based application that can be accessed through internet connectivity on laptop or desktop by authorized individuals. The CSC e-governance Service India Ltd, FIA Technology Services Pvt Ltd and Geosansar are appointed as BCs for providing banking services in the villages allocated to the Bank as well as for implementation of Urban Financial Inclusion. This is a card less solution; account holder can operate the account on the basis of account number as well as Aadhaar number. The Kiosks are connected with your Bank's CBS through web-based connectivity from the computer system/laptop of the kiosk operator. The transactions are processed through biometric



authentication on online real time basis. As on 31st March, 2014, your Bank covered 7,525 villages through 2,780 Kiosk centers and also established 1034 urban kiosk centers across the country.

Mobile Van

The customized vehicle (van) is specifically designed for the purpose of banking activity. The exterior of the van is covered with the Bank advertisements and information about products offered by the Bank in rural areas. Thereby, it is also an advertising media for your Bank in rural segment. The van is equipped with computer hardware and connectivity to access the CBS. The Bank staff is deployed on the van to provide banking services in the villages. The van is moving into the cluster of villages on predetermined days and time which are in proximity to the existing branches, for providing online banking services. The banking services are being provided during fixed days in a week. At present, 15 mobile vans have been deployed for catering financial services to 211 villages in the states of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, Bihar and Goa.

Brick and Mortar Branch

The brick and mortar branches are opened in a comparatively bigger village having the potential and viability. Such centers are identified during the course of finalization of the Bank's branch expansion plan. As per the Bank's FIP, 1,772 rural branches have been opened as against a target of 1,554 for the current financial year. Your Bank had annual target for opening 334 branches in un-banked rural area as per the disintegrated FIP submitted to the RBI, which is comfortably achieved by opening of 430 branches in FY14.

New Initiatives of bank under Financial Inclusion

Kiosk banking Model

The Kiosk banking model was launched by Shri S.S. Mundra, Chairman & Managing Director, by virtually inaugurating 1,000 Kiosks on the 106th foundation day of your Bank i.e. 20th July 2013. Your Bank has arrangements with Common Service Centers (CSCs) to avail their services as Business Correspondent of your Bank for running the Kiosk centers. The common service centers are ICT enabled front end service delivery points at the village level and urban centers for delivery of government, financial, social & private sector services in the areas of agriculture, health, education, entertainment, banking, insurance, pension, utility payments, etc. Your Bank has also engaged other service providers for similar banking Kiosks in urban/rural centers. These Kiosks would be connected with the CBS of your Bank through web-based connectivity from the computer system/laptop of the kiosk operator.

Urban Financial Inclusion

The rural inhabitants have largely remained the focus of the financial inclusion efforts since, a large proportion of the villages are still unbanked. Besides people living in rural and far flung areas, urban poor still have no access to

formal financial products and services like savings, credit, remittance and insurance, forcing them to depend on usurious informal sources to meet their personal, health, and livelihood-related needs. Many of those are normally migrant labors, hawkers, slum dwellers from rural areas that generally leave their villages for livelihood. In order to cover them under financial inclusion, the Government of India has started campaign in all states through SLBC for to bring these vulnerable groups under mainstream financial system. Your Bank has introduced urban kiosks at various locations across the country. Shri S.S. Mundra, Chairman & Managing Director launched urban kiosk at Abgaonkala in Harda district of Madhya Pradesh on 19th January 2014. As on 31st March 2014, your Bank set up more than 1,000 urban kiosk at various locations across the country.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the Financial Inclusion program at Harda District of Indore Region

Products Offered under Financial Inclusion

Basic Savings Bank Deposit Account with in-built OD Facility

This product is specially devised for individuals from Financial Inclusion villages as per the RBI guidelines. The account can be opened without depositing any amount which doesn't attract any penalty and will be opened through BC. These accounts can be operated through business correspondents as well as at the branches. In-built overdraft facility up to Rs 10,000 is available under the scheme. Overdraft of Rs 250 can be availed immediately on opening of the account by the customer and availability of higher amount of overdraft up to Rs 10,000 is performance linked.

Recurring Deposit (RD) Account

This is money back RD facility duly designed for financial inclusion account holders to provide liquidity. The product offers money back facility, at the end of six months, an amount equivalent to 50.0% of the outstanding credit balance in the account can be paid back as per the requirement of depositor.

Baroda Kisan Credit Card (BKCC)

This product is for farmers which covers their needs like production credit, investment credit, personal loan needs as well as consumption needs. It is flexible in utilization of



the limit as he can utilize the limits as per his requirements during the year.

Baroda General Credit Card (BGCC)

The BGCC is implemented through all the branches of your Bank. The credit facility offered under the scheme would include working capital and term loan requirements of the entrepreneurs.

Baroda Swabhimaan Suraksha (Low Premium Insurance)

Your Bank has introduced life insurance product with low premium for financial inclusion customers in coordination with India-first Life Insurance Company. An insurance cover of Rs 5,000 to Rs 50,000 is available at premium of Rs 20.88 per thousand for five years.

Financial Literacy Key to Successful Inclusion

The desired objective of Financial Inclusion can be achieved only when we are able to generate equal responses from the villages. In order to invoke responses amongst villagers, there is a need to educate them on various banking facilities and its benefits to them. In other words, financial literacy would be the key for success of financial inclusion initiatives of the bank. Therefore, all constituents of FI need to develop a bond with each other for not only to provide banking facilities, but also to create a massive awareness of banking and banking products amongst the population through Financial Literacy, wherever implementing Financial Inclusion programme. Your Bank's link branches are arranging Financial Literacy campaign by conducting meetings and addressing the habitants in different forums.



Inauguration of Picture Books related to Financial Inclusion by Shri S.S. Mundra, CMD

Your Bank has taken the following major initiatives towards financial literacy in rural parts of the country.

Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda RSETI) is a trust formed by the Bank way back in 2003 for undertaking skill building activities for unemployed rural youth and providing hand holding support to them till their settlement in their venture. Your Bank has established 47 such centers all over the country. During FY14, around 33,974 youth beneficiaries were trained at these centres, out of which 22,297 have established self employment ventures. The settlement ratio of candidates trained to candidates settled

in business works out to 65.63%.

Around **Forty six Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCCs) "SAARTHEE"** are operational across the country. Since inception, around 19,731 individuals visited FLCCs of which in 10,460 cases, the issues were resolved.

Around Fifty two **Baroda Grameen Paramarsh Kendras** facilitate financial education, credit counseling, information sharing and problem solving on technical issues, synergy & liaison with other organizations for value added services and development activities in rural areas.

Mobile Micro Finance Loan Factory has been established with a vision to provide credit and banking facilities to SHGs at their doorstep under the SHG-Bank linkage program, ensuring hassle free and prompt credit delivery within maximum of four days & hassle free credit to the SHGs.

"BYST-BoB Entrepreneurship Development Programme" (BYST) provides end-to-end support to disadvantaged young dynamic micro-entrepreneurs in the form of Loans, Business Mentors, Training, Networking and Marketing.

Direct Benefit Transfers (DBT)/Direct Benefit Transfer for LPG Subsidy (DBTL)

The Government of India as well as State Governments give various subsidies, Pensions, scholarships, MNREGA Payments etc to the beneficiaries under various government programs. Many of these were given through cash distribution systems. Considering the present inefficiencies in the system, the respective government departments have planned to deliver these kinds of payments through electronic mode by way of direct credit in the accounts of the beneficiaries. There are 34 government schemes identified as of now for DBT payments. At present, the government has rolled out DBT in 121 districts. Besides this, the Government of India also has decided to give subsidy on LPG gas cylinders to domestic users directly through DBTL scheme as against indirectly to producers. The DBTL scheme was rolled out in 291 districts in phased manner since July 2013. It is expected that DBT/DBTL system would be able to reduce the pilferages and inefficiencies in distribution systems, thereby benefiting the government as well as the beneficiaries. Your Bank has developed Aadhaar linking facility with the account of the customers for roll out of DBT/DBTL. Your Bank had organized camps for seeding of Aadhaar and opening accounts of the beneficiaries in the districts identified for DBT/DBTL. Your Bank's branches are approaching DBTL beneficiaries residing within their vicinity for seeding of Aadhaar and opening of accounts of beneficiaries who do not have bank account in all the districts identified for roll out of DBTL.

Highlights of the Bank's Performance under Financial Inclusion in FY14

- Your Bank covered 14,161 villages against a target of 11,124.



- Your Bank opened 74.66 lakh “**Basic Savings Bank Deposit Account**” against target of 63.74 lakh, out of which 18.71 lakhs accounts were opened through the Business Correspondents.
- The balance outstanding in the “Basic Savings Bank Deposit Account” of your Bank is around Rs 1,918 crore.
- Your Bank sanctioned overdraft of Rs 11.31 crore as against a target of Rs. 6.22 crore in Basic Saving Bank Deposit Account.
- Your Bank opened 2,584 **Ultra Small Branches** (in villages with population above 2,000) to strengthen functioning of BC model.
- Your Bank approved a disaggregation plan up to the branch level to implement its FIP for 21,526 villages by March 2016.
- Your Bank launched its **Urban Financial Inclusion** drive by opening more than 1,000 Kiosk at various locations in metro and urban centers across the country.
- Also, your Bank surpassed all targets set under disaggregated FIP for FY14.

International Operations

In the year 2013-14, the world economy continued to experience subdued growth. While the protracted recession in the euro area has finally ended, the growth in the United States strengthened to some extent. A few large emerging economies, like India, managed to backstop the deceleration they experienced in the past two years and moved upwards moderately. Your Bank continued to make a mark in the international arena by staying strong and resilient to the global environment. The International Operations of your Bank maintained a healthy growth in business as well as profitability.



Shri S.S. Mundra, CMD and other officials during the release of Business Policy Guidelines 2013-14 for International Operations at Mumbai

Your Bank retained its market position as one of the leading Indian banks in providing services to the customers across the globe. The overseas centers continued to synergize and work as a team for making most of the opportunities in the international market. New initiatives were taken in IT infrastructure for enhancing customer satisfaction. Your

Bank further spread its presence in UAE, Tanzania and Uganda by opening an additional branch in each of these three countries.

Business & Profit Performance

During FY14, the Total Business of your Bank's overseas branches registered a growth of 33.3%. While Customer Deposits increased by 33.2%, Total Deposits by 43.6% and Advances by 20.2%.

During FY14, International Operations of your Bank contributed a sizeable 32.6% to your Bank's global business.



Shri S.S. Mundra, CMD during his official visit to Uganda met the Governor of Bank of Uganda Mr. T.E. Mutebile.

Total Assets

Total Assets of your Bank's International Operations showed a healthy growth of 39.1% having increased from Rs 1,66,460 crore as of Mar, 2013 to Rs 2,31,552 crore as on Mar, 2014.

Profit

In the period of subdued growth and pressure to maintain the margins, your Bank was successful in maintaining its gross profit for the year FY14 in line with the previous year. This is due to the proactive measures taken by the overseas territories and adaptability to changing scenarios. The Net Profit had a growth of 22.2% during the year.

Contribution of international operations to the Bank's global Net Profit was at 25.4%.

Asset Quality in Overseas Operations

Asset quality is one of the most critical areas in determining the overall health of a bank. Your Bank has an efficient credit monitoring mechanism at the overseas centers to ensure the quality of the loan portfolio and the credit administration programme.

Due to the global slowdown in the recent years, all sectors of the economies across the globe have been impacted thereby increasing the importance of maintaining strong asset quality. The stressed and restructured accounts are being monitored in your Bank's overseas territories on a continuous basis.



Net Advances during FY14 increased by 20.2% over the level of previous year. Your Bank has put in best efforts to maintain the quality of assets, as the Gross NPAs of International operations as per cent to Total Advances of International Operations was 1.57% as on Mar, 2014 versus 1.37% as of Mar, 2013.

Your Bank's International Presence

Your Bank's international presence covers 24 countries through its 102 branches/offices as under:

| Particular | Number |
|--|------------|
| Bank's Overseas Branches/ Offices | 60 |
| Bank's Representative Offices | 1 |
| Branches of Bank's Overseas Subsidiaries | 41 |
| TOTAL | 102 |

The Bank also has following Joint Ventures/ Associates:

1. Indo Zambia Bank Ltd., Zambia having 25 branches.
2. India International Bank (Malaysia) Bhd., Malaysia having one branch.

Overseas Expansion in FY14

During FY14, your Bank opened three new overseas branches/offices. An Electronic Banking Service Unit at Shabiya, UAE was also made operational during the year.

Moreover, two branches of the subsidiaries were opened at Kariakoo in Tanzania and Kololo in Uganda.



Shri S. S. Mundra, CMD is seen inaugurating Bank's new EBSU at Shabiya, Abu Dhabi, UAE

Future Plans for Overseas Business

With a view to consolidate operations and improve/protect the market share, your Bank has further plans for expansion in upcoming centers in the countries where your Bank is already present. Your Bank also has plans to enter new countries offering opportunities for profitable growth of business.

Necessary infrastructure is being created for further expanding the network in UAE, UK, Kenya, Tanzania and Ghana.

The overseas expansion is considered in line with the various directives issued from Ministry of Finance, Government of India regarding overseas expansion of Public Sector Banks of India.

Syndication Centres in Overseas Operations

Your Bank's Global Syndication Centre at London and Regional Syndication Centres at Dubai and Singapore specially focus on the business of Syndication Loans in International Market. Your Bank has also set up an International Merchant Banking Cell (IMBC) at Corporate Office, Mumbai, which mainly caters to the requirements of Indian corporates and also supports the regional syndication centres to canvass business from Indian corporates who are in need of foreign currency resources. Your Bank is an active player in the Syndication Loan Market and also participates in loan origination.

Products and Services in Overseas Business

Your Bank has customized products and services according to the local needs for each country of operation. Your Bank provides state of the art products and services in the international market to suit the business needs of the international market.

The single Core Banking Solution at all the overseas branches and subsidiaries of your Bank facilitates introduction of new products and services and helps in carrying out modification/improvement in line with the requirements of customers in the country of operation.

Technology in Overseas Territories

- The number of ATMs at overseas Territories and subsidiaries increased to 91 (55 on-site and 36 off-site) as on 31st March, 2014 from 89 (54 onsite and 35 offsite) as on 31st March, 2013.
- Debit Card/ATM card issuance is implemented in ten overseas territories/subsidiaries out of which four territories/subsidiaries are having tie-ups with Global Payment Technology Company M/s VISA. Furthermore, VISA accreditation is in progress for Oman territories and Guyana, Uganda, Kenya subsidiaries.
- Many of the territories/subsidiaries are moving to chip-based debit cards. The EMV (chip cards) implementation in UAE territory has been completed and implementation in Oman and Mauritius territories is in progress.
- Internet banking (Baroda Connect) is implemented in 14 overseas territories/ subsidiaries. viz 1.UAE, 2. United Kingdom 3. Oman, 4. Mauritius, 5. Fiji 6.Seychelles, 7. Australia (View) 8.Kenya, 9.Uganda, 10.Botswana, 11.New Zealand, 12. Ghana. 13. Tanzania (View Based) 14. USA (View Based). The USA territory has been added in this financial year and internet banking implementation is in progress for Trinidad & Tobago and Guyana Subsidiaries and will be made live in the next financial year.



- Fraud Management Solution (2FA) has been implemented in internet banking of New Zealand, UAE, UK, Uganda, and Kenya and compatibility of e-banking in Smart Phones has also been enabled for these territories/subsidiaries. The FMS implementation in progress for Botswana, Fiji, Oman, Mauritius, Seychelles and Ghana territories/ subsidiaries.
- Implementation of Centralized SWIFT activity for all territories/subsidiaries (except USA) has been completed and operating from Data Centre. The US territory has outsourcing agreement with M/s Fundtech for processing of SWIFT activities.
- The AML Erase (Batch mode) solution has been implemented in Australia during the year FY14. The AML Erase Solution is now available in all overseas territories/subsidiaries except the US. The US territory has outsourcing agreement with M/s Fundtech for online AML and OFAC scanning. The offline transactions checking are done through Prime Compliance suite.
- The Global Treasury Solution is implemented in DIFC Dubai in this financial year. Now GTP solution is available at US, UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hongkong, Singapore, Belgium and DIFC Dubai.
- The Cheque Truncation & Automated Clearing House implementation in Trinidad & Tobago, Seychelles and Botswana is in progress.
- Approach finalized for sending SMS alerts for all transactions in international territories/subsidiaries. Implementation is in progress for six territories/ subsidiaries. (Fiji, Guyana, Uganda, Botswana, China, and Kenya).
- In view of the end of technical support for Windows XP, your Bank has initiated the process for Migration from Microsoft Windows XP to Windows 7 for all PCs and ATMs in its international territories/ subsidiaries.



Soft Launch of Internet Banking Services by Shri S.S. Mundra, CMD at New York Branch

Risk Management in Overseas Operations

Your Bank has strong Risk Management Systems in place at the overseas centers to deal with the additional risks in the international banking scenario. Separate Risk Management

Department has been set up at overseas centres to deal with Credit, Market & Operational Risks. Specialized Risk Managers have been posted at the overseas centres.

The Basel II guidelines were implemented at all the overseas territories with effect from 31st March, 2008 and your Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk.

The BOB RAM Model for internal Credit Rating has been implemented at overseas centres. It has further strengthened the credit monitoring by capturing vital information related to advances accounts.

The Special Model for Asset Classification and Credit Monitoring has been implemented at all the overseas territories of your Bank.

Regulatory Compliance in Overseas Operations

Your Bank has a reputation of being a Regulatory Compliant Bank. Dedicated compliance teams are present at overseas centers to ensure that stringent of the home/host country regulatory norms are followed.

Well-integrated compliance setup ensures that compliance issues of the Bank are handled in a timely manner. Your Bank has posted officers at overseas centres whose skills are continuously enhanced through trainings and other avenues. Your Bank does not see compliance as merely a regulatory requirement but a duty to protect the interest and reputation of the Bank and its stakeholders.

The overseas territories/subsidiaries have the prudential policies/manuals in varied areas of banking as per their respective regulatory requirements, which are periodically reviewed to ensure that they are in conformity with the regulatory guidelines and requirements.

Treasury Operations

Your Bank operates its Treasury from a State of the Art Dealing Room at Baroda Sun Tower at its Corporate Office in Mumbai. This dealing room is well positioned to scale up your Bank's Treasury Operations and keep pace with the latest developments in the market. Your Bank's Treasury handles domestic treasury operations and covers activities in various markets i.e. Foreign Exchange, Interest Rates, Fixed Income, Derivatives, Equity and other alternative asset classes. A basket of financial products are offered to Bank's clients like interest rate swaps, currency swaps, forwards and options facilitated by the advanced technology platforms used by your Bank .

A sophisticated Automated Dealing System caters to the needs of clients of Authorized Branches dealing in foreign exchange transactions across the country. During the financial year under review, your Bank successfully implemented Global Treasury Solution, as part of Business Process Re-engineering, at DIFC, Dubai.

During the summer of 2013, the market perception of potential tapering of US Quantitative Easing triggered outflows from



Emerging markets across the Globe. Indian markets saw major outflow of portfolio investments, particularly from the debt segment causing yields to fluctuate sharply in the first half of the last year. As a result of portfolio outflows from Debt and Equity markets along with concerns over adverse current account deficit, the Rupee depreciated to Rs 68.84 in August 2013. To attract inflows into debt segment, the RBI hiked Repo and the Marginal Standing Facility (MSF) rate by 200 basis and made MSF rate at 10.25%, the operating money market rate. The overall allocation of funds under LAF Repo against surplus SLR Securities was limited to 0.50% of the Net Demand and Time Liabilities (NDTL) of the banking system. Furthermore, banks were required to maintain a minimum daily CRR balance of 99.0% of the total requirement (from earlier 70.0%).

While rolling back the above temporary measures after the stabilisation of external situation, the RBI addressed the continuing pressure on CPI and hiked the Repo rate by a cumulative 75 bps to 8.00%.

Your Bank was able to capitalize on the opportunity offered by the sharp fall in yields in the first two months and the sharp yield movement upward later in the year was adroitly handled in terms of its impact on the Bank's fixed income investments. Your Bank utilized the opportunity presented by higher bond yields to add bonds to the portfolio and increase the average yield on Investments. The average yield on Domestic SLR investments was 7.85%. During FY14, your Bank's Treasury earned Rs 9,793 crore as Interest/Discount earnings, while Profit on Sale of Investment and Exchange Earnings were Rs 732 crore and Rs 575 crore, respectively.

Your Bank's Treasury offers customized solutions using available products viz Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps (CIRS), Forwards and Options to meet the Interest rate and Foreign Exchange risk mitigation requirements of the corporate clients. During the year, your Bank's Treasury actively raised funds by undertaking USD swap with RBI against the FCNR deposits and Tier I capital, under the special RBI swap window provided to the banks. The Interest Rate Swaps and Currency options were widely used for hedging the interest rate and currency for the corporates. Your Bank's Treasury started dealing in Exchange traded Cash settled Interest Rate Futures based on 10Y benchmark Government Security and emerged as one of the major player in the market. Arbitrage opportunities available between asset classes including Money Market CBLO, Call, Market Repo, Government Securities and Forex markets were effectively utilised.

The sentiment in equity markets improved during second half of FY14 due to FII inflows fuelled by the expectations of an investor friendly and stable government after the general elections in May 2014. The Equity desk of the treasury actively churned its portfolio and booked profits at regular intervals whenever an opportunity emerged in the markets.

The Foreign exchange desk of the Treasury retained its position as one of the premier market players in the Forex desks of the Public Sector Banks. The Proprietary trading

desk was active in encashing the available arbitrages and mobilised resources in tight situations of liquidity impacting the Indian markets.

Your Bank's Treasury Mid-Office monitors market exposures and limits fixed by the Board of Directors, on a real time basis. The Risk Management parameters, including Value-at-risk (VaR) are used to measure Market Risk on all portfolios. These measures are backed up by the Back Testing on risk numbers and Stress Testing of various investment and currency portfolios.

Corporate Social Responsibility (CSR)



Shri Rajiv S Sahu (2nd from right), Director, Bank of Baroda, is seen handing over the cheque to Shri Navin Patnaik (Right), Hon'ble Chief Minister of Orissa State in the presence of Shri S K Shaw, GM, Bank of Baroda, Bihar, Orissa & Jharkhand Zone, Shri G B Panda, DGM, Orissa Region

As a responsible corporate citizen, it has been the endeavour of your Bank to empower the community through socio-economic development of the underprivileged and weaker sections.

In its continued efforts to make a difference to the society at large, your Bank intensified its efforts further in this direction in FY14.

Some of the initiatives in the domain of CSR undertaken by your Bank are as follows.

- Your Bank has established Baroda Swarozgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI) for imparting free training to unemployed youth to develop their entrepreneurial skills to become self employed. This is expected to improve the economic status of their families and also



Baroda Shakti members & women staff of Bank along with top management during the Women's Day celebrations held at Corporate Center, Mumbai



give a boost to various regional economies within these locations. All the Lead Districts of your Bank have an R-SETI each. About 47 such Sansthanas have been established by your Bank in which more than 1,92,247 youth have been trained and around 1,20,979 have been gainfully self employed.

- In order to spread awareness among the rural masses on various financial and banking services and to speed up the process of financial inclusion, your Bank has also established 46 Financial Literacy Centres (FLC) across India. These centres will impart financial literacy in the form of simple messages like Why Save, Why borrow from banks, Why borrow as far as possible for income generating activities, Why repay in time, Why insure yourself, Why Save for your retirement, etc.

Asset Quality Management

The year FY14 was a challenging year for the banking industry to maintain the Asset Quality due to a fragile economic environment. But your Bank continued its practice of rigorous monitoring and recovery of the NPA portfolio. However, due to downward pressure on various economic indicators impinging the banking industry, your Bank continued to witness pressure on its NPA position during FY14.

Indian banks, in general, witnessed heavy incidence of slippages in FY14 due to volatile financial markets both within and outside India, higher inflation and higher interest rate regime throughout the FY14. In spite of various depressed economic parameters impacting the Bank, fresh slippages, during the year, were at 1.99% of the opening Standard Advances of your Bank. Against the backdrop of high slippages, the ratio of Gross NPA to Gross Advances was at 2.94% as on 31st Mar, 2014. Consequently, the ratio of Net NPA to Net Advances stood at 1.52% by end-Mar, 2014. Yet, these were one of the lowest in the large-sized public sector banking space.

In the past several years, your Bank made all out efforts to maintain the Loan Loss Provisioning ratio at or above the mandated norm of 70% set by the RBI. However, due to a steep rise in NPAs and higher provisioning, the loan loss coverage ratio was at 65.45% during FY14, after factoring in the Prudential/ Technically Written-off advances. It may be noted that during the year FY14, this ratio continuously improved on sequential basis from the second quarter to the fourth quarter of the year (from 61.68% in Q2, FY14 to 65.45% in Q4, FY14).

Your Bank has developed a comprehensive structure of recovery and credit monitoring function at the branch, region, zone and corporate levels. Besides this, the nodal officers at each Debt Recovery Tribunal (DRT) centre are assigned the role of a follow-up of legal cases on day-to-day basis so as to minimize the delay in obtaining decrees and execution thereof, in order to expedite and maximize recoveries. For recoveries of all DRT suit filed NPA accounts, the assets charged to the banks are now being sold through

E-auction to get a fair market value of assets charged to us. Additionally, to speed up the recovery Asset Reconstruction Companies (ARCs) have been appointed as recovery agents and consultants have been appointed to liaison with official liquidator (OL) to get the recoveries realised by OLs. Lok Adalats, Recovery Camps and Village Chaupal Meets were regularly conducted by your Bank's branches to reduce long pending cases and expedite recoveries in small accounts.

Your Bank continued its emphasis on follow-up mechanism to explore recovery prospects of NPA accounts. The system of monitoring of large value NPA accounts of say Rs 1 crore and above directly from the corporate office by way of fortnightly video conferencing with the regions and zones have ensured proactive action by branches, advocates, recovery agents, etc. The actions under SARFAESI Act at various levels were also monitored by the Bank's Corporate Office. Therefore, the cash recovery in NPA accounts during FY14 was Rs 1,261.81 crore, higher than the cash recovery of Rs 625.57 crore during FY13. The upgradation was higher at Rs 684.72 crore during FY14 compared to Rs 340.93 crore during FY13.

During FY14, your Bank laid specific focus on recovery of small accounts by organizing Lok Adalats and Recovery Camps at village/town level. Moreover special Schemes called Vishesh Vasooli Yojana and Bhagirath Prayas were also launched during the first half of FY14. Your Bank also launched an incentive linked recovery scheme called "Sankalp – VI", to enlist personalized attention of each and every staff member in pursuing recovery efforts of small value accounts with an outstanding up to Rs 25 lakh. The cash recovery made during FY14 under this scheme was very impressive at Rs 155.19 crore.

As a part of strategy suggested by the RBI for NPA management, your Bank put for sale of NPL accounts under individual as well as portfolio sale during FY14 and as a result of good response from the market, could sell 23 NPL (NPA & Write Off accounts) accounts with aggregate outstanding balance of Rs 671.27 crore to four ARCs (with Net Book Value of Rs 253.65 crore).

The "asset classification-wise" breakup of advances portfolio of your Bank is as under.

(Rs crore)

| Asset Category (Gross) | 31 st March 2014 | 31 st March 2013 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Standard | 3,91,823.53 | 3,24,828.74 |
| Gross NPA | 11,875.90 | 7,982.58 |
| Total | 4,03,699.43 | 3,32,811.32 |
| Gross NPA is comprising of: | | |
| Sub-standard | 3,809.20 | 4,981.15 |
| Doubtful | 6,863.10 | 2,628.33 |
| Loss | 1,203.60 | 373.10 |
| Total Gross NPA | 11,875.90 | 7,982.58 |



Information Technology (IT)



Shri. S S Ghag, GM (IT & DWH) seen receiving the award for Best Public Sector Bank under Global Business Development category at Dun & Bradstreet, conferred to Bank of Baroda on Polaris Financial Technology Banking Awards 2013

Your Bank has undertaken a total end-to-end business and IT strategy project covering your Bank's domestic, overseas and subsidiary operations.

- Your Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art **Data Centre** conforming to Uptime Institute Tier-3 standard and also a **Disaster Recovery Site** in different seismic zone with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers.
- In addition to the Disaster Recovery Centre, your Bank has also implemented the Near Disaster Recovery Centre during the year to ensure Near Zero Data Loss as part of its Business Continuity Planning and Disaster Recovery strategy.
- Your Bank continued to optimise its technology initiatives like windows server virtualization, desktop virtualization and backup consolidation as green initiatives and also to improve Data Centre operational efficiency. Application virtualization, Automatic Storage Management (ASM) & Real Application Clusters (RAC) Implementation, Bandwidth up-gradation, provision of backup link, use of new technology based on MPLS (Multi Protocol Label Switching) for improving uptime and on demand upgrade are some of the major initiatives.
- Your Bank has been undertaking regular capacity planning, upgrade and refresh to support growing demand of business at various service delivery channels.
- Your Bank has an upgraded Enterprise Management System and modules have been deployed to effectively manage and monitor Bank's growing IT infrastructure.
- Your Bank has deployed centralised IT architecture to provide the Core Banking Solution (CBS) and other application platform to all its domestic branches and 23 overseas territories, providing ease of management & monitoring and optimisation of resources. Your Bank's

regional rural banks (RRBs) are also on the CBS Platform and as notified by the Government of India (GOI), your Bank has successfully amalgamated RRBs of Central Bank of India and Punjab National Bank with 350 branches into one of the RRBs of your Bank.

Alternate Delivery Channels

• Internet Banking - BARODA CONNECT

Internet Banking, viz., Baroda Connect has been completely revamped in your Bank to enhance its look and feel, user-friendliness and user experience based on heuristic evaluation and usability audit. Your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking channels. Other enhanced features such as Online FDR Double Dhamaka, online recurring deposit opening, online gift card, Tax payments of various States, multiple challans for excise duty, Credit to Loan accounts, Bill payments, Online donations to Prime Minister Relief Fund, India Life Insurance premium payment, aadhaar seeding through internet banking, IMPS (Immediate Payment services). Internet Banking facility is made available on all Smart-phones/tablets offering comfort of anywhere banking to its customers. Internet Banking has also been implemented in total 14 overseas territories viz. Tanzania, Uganda, Kenya, Mauritius, Seychelles, Botswana, New Zealand, UAE, Fiji, UK, Oman, Ghana, Australia and USA. Internet banking is also provided in all Bank- sponsored RRBs.

In order to enhance security and confidence in Internet Banking, your Bank introduced enhanced security features by deploying Fraud Management Solution, including step-up authentication based on risk analysis, two factor authentications by enabling OTP, PULL OTP, SMS OTP, QnA. Your Bank has also introduced use of digital certificates for corporate customers for authentication and non repudiation in high value interbank transactions through internet banking. Your Bank has initiated the process of implementing Fraud Management Solution for remaining five overseas territories where transaction-based e-Banking is implemented.

• Mobile Banking – BARODA M-CONNECT & IMPS

As one more alternate delivery channel, many features are available on the Mobile Banking platform of your Bank to provide various facilities to customers, viz., balance enquiry, mini statement, fund transfer, stop payment, cheque status, debit card blocking, other services. Mobile banking application is made available in all i-Phones and i-Pads in addition to Blackberry, Android, Windows devices. Immediate Payment Services (IMPS) are implemented covering Person to Account (P2A), Merchant Payments (P2M), Aadhaar based remittance (P2U). **IMPS merchant payments (P2M)** enabled for Mobile top-up / DTH top-up, Insurance premium payment, Online shopping, Over-the-counter payments, fees payments to schools/colleges/universities, Utility Bill payments, Travel & Ticketing, Temple Donations, Non internet based railway ticket booking through mobile phones using IMPS – IRCTC. Under Mobile



Banking, your Bank is now enabled NUUP (National Unified USSD Platform), providing ease of use and convenience to customers.

- **eLobby**



Shri S.S. Mundra, CMD inaugurating the first Baroda Non-Stop 24x7 Banking (e-Lobby) at Sakinaka Branch, Mumbai

Your Bank embarked on the next level of customer engagement by enabling 24 X 7 services for customers through eLobbies. Devices like Bunch Note Acceptors, Self-Service Pass Book Printers, Cheque Deposit Kiosk, Internet Banking Kiosks, were installed in more than 30 eLobbies attached to branches. Cash deposit in Bunch Note Acceptors was enabled through card as well as account number to provide convenience to customers. In the coming years, large scale expansion of this network is targeted. Your Bank is also proposing to introduce Cash Recyclers which accept cash, sort it and make payments from the deposited cash.

- **ATM**

The ATM Switch is upgraded in your Bank to a higher version along with Hardware up-gradation with enhanced features for better performance, speedy ATM transactions and ease of ATM expansion. The ATM switch is deployed for India, UAE, Oman, Mauritius, Fiji, Tanzania, Botswana, Trinidad & Tobago (T&T) and New Zealand. Your Bank introduced Non Personalised Debit Cards during the year to enable faster and hassle free delivery of cards to the customer over the counter at the time of account opening itself. Your Bank enabled NEFT remittances from ATMs during the year. Many customer centric initiatives such as RuPay Debit Cards, RuPay POS and RuPay KCC Cards, RuPay e-commerce, Brown label ATMs, Collection of Insurance premium for India First Life Insurance Policy holders, Cheque book request, Immediate Payment Services (IMPS) through ATMs are undertaken. Talking ATMs deployed for visually impaired persons. Your Bank has also completed certification of RuPay Chip card for international usage, enabling cash withdrawal & balance enquiry for prepaid cards, gift cards & General Purpose Reloadable cards on ATMs, Aadhaar seeding through ATM. For enhanced security as well as implementation of RBI mandates, chip based cards were introduced. multi-factor authentication for card not present transactions implementation of Fraud management Solution in ATMs/ POS in India ATM Transaction receipt printing in

Hindi, Regional Language Screen selection for Gujarati, Marathi, Tamil, Malyalam, Telugu, Kannada and Bengali are enabled on ATM. Visa Debit card for UAE, BSP (Bank South Pacific) Interchange Implementation for Fiji, Chip Based Card Implementation in India, Oman and Mauritius., Your Bank has successfully launched RuPay ATM and RuPay KCC cards for its RRBs also.

- **SMS Banking**

For customers who desire to avail only information based banking services, your Bank has introduced SMS banking for balance enquiry, mini statement, Cheque status from the registered mobile number. This is a very simple and easy to use product that a customer can start using without any registration process.

- **Contact Centre**

Your Bank has implemented Customer Relationship Management as a new initiative to get 360° view of the customer for providing better services through a contact centre over phone in order to improve their satisfaction and loyalty. Existing customers/Prospective customers may call on Toll Free no. (1800223344 & 18001024455) wherein following services can be availed of.

- Issuance of a cheque book
- Enquiry about products and services
- Account Enquiry – Balance, Transaction, Amount in Clearing etc.
- Hot-listing of ATM cards
- Stop payment marking / un-marking
- Request for issuance of debit card
- Request for re-generation of debit card PIN
- Support for e-banking users
- Re-generation of mobile banking password
- On-line (paperless) TPIN generation facility
- Other information regarding products and services of your Bank is also provided to prospective customers/ account holders.
- The CRM applications is linked to sales offices like Retail Loan Factories (RLFs), City Sales Offices (CSOs) wherein the leads generated at contact centre on the basis of enquiry about the products by customers are transferred to these offices for further processing.
- Your Bank has also completed a launch of recovery processes through contact centre wherein customers are informed about the EMI and due amounts. This shall facilitate customers to deposit EMI/due amount on demand dates.

Payment Systems

- All branches of your Bank are enabled for interbank remittances through RTGS and NEFT. The RTGS



and NEFT have also been interfaced with your Bank's internet banking portal. The Straight through Processing (STP) of NEFT & RTGS have been implemented for the Bank as well as RRBs. Your Bank has upgraded IT infrastructure and architecture change to support large volume and ISO20022 message format used for NG-RTGS. RTGS & NEFT have also been implemented in Uganda.

- Internet Payment Gateway services for debit cards/credit cards are increasingly offered to merchants and internet shopper as a safe and secure channel for online purchases.
- The SWIFT facility for worldwide inter-bank financial communication is provided at Foreign Exchange Authorized Branches in India as also in 22 overseas territories.
- The Payment Messaging Solution (PMS) is implemented in 22 overseas territories & all authorized branches in India. PMS facilitates validation and formatting of SWIFT messages generated from CBS as per SWIFT standards, and also goes through AML check.
- During the year under review, a grid based Cheque Truncation System (CTS) was implemented in MICR Centres Mumbai and Western Grid of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh.
- National Automated Clearing House (NACH) is implemented for both debit and credit transactions.

Other Customer Centric initiatives



Shri S.S. Mundra, CMD inaugurating Coin Vending Machine at Mylapore Branch, Chennai

- Your Bank has been offering highly customised IT enabled products and services tailored to the specific requirements of valuable clients. Other products and services like RBI Inflation Indexed Bonds, bulk issuance of gift cards, direct dispatch of debit card & PIN mailers to customers, remittances under Money Transfer Service Scheme for exchange house, etc., have been implemented as well.
- Cash Management System is a full-function web

enabled cash management solution offered to your Bank's customers, covering services like Receipt Management (Collections), Payment Management and Invoice Management (Receivable and Payable Management). During the year, your Bank implemented Two Factor Authentication (2FA) for Cash Management System, opening a new channel for customers to manage their funds position quickly with Straight Through Processing (STP).

- The Retail Depository Services are made available to your Bank's Retail as well as Corporate customers. With a centralized depository application, branches are equipped to provide depository services for both NSDL as well as CDSL. With Online Trading System, your Bank will be able to provide complete suite of online services to the customers for trading in instruments like equities, mutual funds, bonds and initial public offering (IPOs).
- New PA-DSS complaint Debit Card Management System has been implemented to provide comprehensive management and support for your Bank's Debit Card operations.
- Your Bank has initiated Aadhaar based payment like Direct Benefit Transfer (DBT), Electronic Benefit Transfer (EBT). Direct Beneficiary Transfer under Aadhaar Payment Bridge System (APBS) and wages payment for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) for transactions initiated from POS terminals based on Aadhaar number in case of account opened under Financial Inclusion
- Your Bank has extended Central Project Scheme Monitoring System (CPSMS) to State Governments for effecting payments of plan funds received directly at the State Treasuries. Printed Payment Advice (PPA) based payments as well as Digital Signature Certificate based payments too have been implemented under CPSMS.
- NPS, NPSLite (a scheme to provide financial security for economically disadvantaged people for protecting their future during old age), MGPSY for NRI have been deployed.
- The IT setup has been developed for account opening process and transactions, both online and offline, to be carried out through Business Correspondent thus enabling Financial Inclusion.
- The Mobile Van Banking is launched in Gujarat, UP & Bihar on a pilot basis as the Bank's Financial Inclusion initiative.
- To enable your Bank to have its pulse on the market, an online customer survey portal has been developed for getting ongoing feedback from customers. Online portal is made available on Bank's web site to customers/



visitors to log and track the status of their Feedback/suggestions/complaints.

- Various initiatives like Linking of UID numbers, Account number portability, Capturing KYC related information, Simplified account opening procedures, addition of village codes in core banking system are undertaken during the year.
- Your Bank has also enabled SMS Alerts delivery facility to its customers for all transactions made through alternate delivery channels and for all CBS transactions above threshold limits. SMS alerts to customers are also sent for non-financial events like Account opening, Account Activation, Change in interest rate on loan accounts, Installment due/overdue notice for loan accounts, Cheque Book Dispatch (containing delivery details), Cheque getting rejected, FD Maturity notice, Notice to customers for KYC Compliance, Notice at the time of Aadhaar Linking/de-linking, Notice to Potentially dormant account, Notice at the time of account becoming dormant.

Support Services

- The Integrated Global Treasury Solution has been implemented in UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hongkong, Singapore, Belgium and in India, reducing the cost of operations and better fund management.
- For improving your Bank's service delivery, the Back Office functions have been centralized at City Back Offices and Regional Back Offices. Your Bank now has 70 City Back Offices and 12 Regional Back Offices. The personalized cheque book issuance has been centralized. Your Bank has also started centralized FCNR operations.
- Your Bank has fully automated its Loan Processing (Retail, Agri and SME) modules for better and quick customer service. Your Bank also provides a single click Online Loan Application feature for Home Loan, Auto Loan and Education Loan.
- Enterprise wide GL Solution has been implemented. This provides variety of inputs to your Bank for strategic decision making in business development and also generates enterprise wide consolidated reports.
- The Centralized Payroll, Salary module, e-TDS module and Leave Module have been implemented for all your Bank's offices in India.
- The Human Resource Networking for Employees Service has been implemented with the objective of creating a central database of the Bank employees for facilitating decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR processes.
- Your Bank has also undertaken, as a part of its business strategy, Data Warehouse for providing flexible and interactive source of strategic information, Customer Relationship Management for better customer insight

and uniform customer view across channels. It has also facilitated Automated Data Flow to regulator.

- Your Bank has upgraded existing applications like Exchange, e-Business suite with enhanced features, encompassing Customer Relationship Management, HRNes and Enterprise wide GL modules.
- For regulatory compliance, the Anti Money Laundering (AML) has been implemented in India and 22 overseas territories. Your Bank has implemented Risk Management solution. Your Bank has also implemented AML solution in all its sponsored RRBs.
- Various new Regulatory requirements like Aadhaar seeding through different channels like ATM, net banking, SMS, online verification and validation of PAN numbers, de-duplication of customer ids, etc., were undertaken during the year.

Information Security

A robust Information Security Management System was put in place during the year under review to protect the technology against security threat. A Comprehensive Audit by External Agencies is being successfully carried out by your Bank for its Core Banking Solution and all other applications as well as for Data Centre/Disaster Recovery centre Infrastructure. Biometric Authentication is introduced for CBS Login at Branches.

Your Bank has set up a Security Operation Centre (SOC) for enhanced IT security. Your Bank's Data Centre as well as Disaster Recovery Centre are ISO 27001 certified.

Your Banks has Implemented Fraud Management Solution for Internet Banking, ATM & POS. In order to enhance security and confidence in Internet Banking, your Bank introduced Fraud Management Solution, including two factor authentications in India and seven Overseas territories by enabling ARCOT OTP, PULL OTP and SMS OTP.

Your Bank is regularly conducting VAPT (Vulnerability assessment & Penetration Testing) of external facing applications, e-Banking log monitoring etc.

Your Bank has enabled a Fraud Risk Management system for day-to-day monitoring of suspicious transactions at branches for protecting the interests of customers.

While cyber-attacks have become more unpredictable and electronic payment systems vulnerable to new types of misuse, it is imperative that banks introduce certain minimum checks and balances to minimise the impact of such attacks and to arrest/minimise the damage.

To minimise the damage, your Bank has initiated following additional security measures which will be enabled shortly.

- Your Bank has implemented the RBI mandates as part of Risk and Mitigation measures for card present transactions
- All new debit and credit cards will be issued for



domestic usage unless international usage is specifically sought by the customer.

- Your Bank will convert existing MagStrip Cards to EMV Chip card.
- Your Bank will set up PIN enabled POS
- Your Bank will enable additional security as addition of Digital signatures for Corporate Internet Banking.

E-business

Transaction Banking Department has enabled a host of alternate banking channels for improved customer interaction, reduce operational cost and develop new business opportunities. The ATMs, Internet banking, Mobile banking, Debit cards, Prepaid cards, RTGS/NEFT are a few of them. The year has seen significant progress in self service units viz. Bulk/Cash acceptors, Passbook printers, Internet banking kiosks and opening of 45 Baroda Non-Stop 24X7 lobbies.

Given below are the highlights of performance of the various units during the FY14.

❖ ATM deployment & Debit card issuance

| Particulars | 31/03/2013 | 31/03/2014 | Addition during the year |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| No. of ATMs operationalised | 2,630 | 6,254 | 3,624 |
| No. of Debit Cards Issued (in Lakhs) | 103.76 | 121.90 | 18.14 |

New Initiatives/achievement during FY14

- Enriched ATM experience with multilingual screen and 1,200 talking ATMs for visually challenged persons.
- Your Bank provided 85 Bunch Note/Cash Acceptors at high cash accepting centres.
- Your Bank launched Non Personalized Cards for instant issuance to customers.

❖ Baroda Connect (Internet banking)

| Particulars | 31/03/2013 | 31/03/2014 | Addition during the year |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| No. of Users (in Lakhs) | 10.80 | 13.68 | 2.88 |
| No. of A/cs Linked (in Lakhs) | 45.80 | 61.79 | 15.99 |

New Initiatives during FY14

- Your Bank enabled fund transfer facility and purchase of Baroda Gift Card through Net Banking portal.

❖ Baroda M-connect (Mobile Banking)

| Particulars | 31/03/2013 | 31/03/2014 | Addition during the year |
|---|------------|------------|--------------------------|
| Number of Registrations (in Lakhs) | 6.07 | 12.95 | 6.88 |
| Total Amount of Transactions (in Lakhs) | 7,704 | 46,525 | 37,921 |
| Average Transactions per day | 9,085 | 16,822 | 7,737 |

❖ Baroda RTGS/NEFT

| Particulars | NEFT | | Addition during the year | RTGS | | Addition during the year |
|------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| | 31/03/13 | 31/03/14 | | 31/03/13 | 31/03/14 | |
| Inward Transactions per day | 76,361 | 1,66,772 | 90,411 | 9,929 | 12,057 | 2,128 |
| Outward Transactions per day | 25,092 | 56,684 | 31,592 | 11,713 | 13,754 | 2,041 |

❖ Baroda e-Gateway (Internet Payment Gateway)

| Particulars | 31/03/2013 | 31/03/2014 | Addition during the year |
|---------------------|------------|------------|--------------------------|
| Turnover (in Crore) | 50.85 | 118.33 | 67.48 |
| Profit (in Lakhs) | 65.68 | 130.02 | 64.34 |

❖ Baroda Cash Management

| Particulars | 31/03/2013 | 31/03/2014 | Addition during the year |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| No of transactions (in Lakhs) | 30.91 | 21.32 | - 9.59 |
| Turnover (in Crore) | 27,480 | 89,920 | 62,440 |
| Income (in Crore) | 0.97 | 1.31 | 0.34 |

Other initiatives in E-business during FY14

- Installation of 1,200 Self Service Passbook Printers for easy updation of statement of account.
- Installation of 85 Bunch Note Acceptor (BNA) at high cash accepting centres.
- Started issuing KCC Card and Debit Card for RRBs.
- Introduction of EMV Chip Debit Card.
- Implementation of web module for Baroda Cash



Management Service to meet Corporate requirement.

- Initiated Mobile Banking Rewards Campaign to increase activation and usage
- Enhanced IVR facility at Contact Centres.
- Implementation of Baroda SMS Banking facility.
- Set up NACH facility for automated clearing.

Initiatives in E-business Planned for FY15

- To increase number of ATMs/Cash Dispensers to 8,000.
- To introduce EMV debit cards of Visa, Master & Rupay for various customer segments.
- To install 1,000 additional Bulk Note Acceptor/Cash Recyclers.
- To start value added services on ATMs like bill payments, card to card fund transfer etc.
- To enable debit card blocking through SMS.
- To enhance features of Internet Banking to enable online account opening and better security.
- To introduce the facility of digital signature in Baroda Connect for large value payment transactions as additional security measure.
- In mobile banking, Aadhar Based Payment System(ABPS) to be introduced in coordination with NPCI.
- To enable Regional Back Offices (RBOs) to register all eligible accounts opened at their end for Mobile Banking.
- To enable additional 100 Self Service Baroda NonStop lobbies to enhance self service foot print and brand visibility.
- To install additional 400 Multi Function Kiosks
- To launch e-Passbook service to customers through Mobile Application.

Human resources - “Creating Competence and Passion for Business Excellence”

The triumph and all round growth of your Bank is an outcome of the synergy of various assets that the Bank possesses. One of the most vital of them being its Human asset – **Its people**, which has enabled the Bank to traverse through an all-encompassing growth trajectory.

Your Bank has a rich reservoir of Human capital comprising of the skill sets and competencies of 46,001 employees who are at all times committed towards augmenting "**Stakeholders' Value through Concern, Care and Competence.**"

In this journey of excellence undertaken to fulfill greater aspirations and bigger dreams to touch the lives of all the stakeholders, it is actually the **people power** of your Bank which makes the difference.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the Employee Conclave organized at Jamnagar Region

Realizing the criticality of this asset for the sustained growth of your Bank on the one hand, and the multiple challenges like the large number of retirements, massive intake of talent, huge training requirements, succession planning and engagement for higher productivity on the other hand, a lot has been done by your Bank in the area of Human Resources in the recent past and more so in the financial year FY14.

Besides excelling in the routine HR activities like recruitments, promotions, deployments, etc, a host of new HR interventions/reforms have been introduced in your Bank under the gamut of a well-structured and a comprehensive HR transformation project aptly christened as **project Sparsh – “human touch for business excellence”**.



This is an unparalleled HR transformation project in the banking industry sought to construct an integrated framework of the various elements of the Human Resource function in your Bank. In over a span of two and a half years, since the commencement of Project Sparsh in August 2011, several new and path breaking HR initiatives have been launched and a host of other existing policies, schemes, processes have been revamped to make them more broad-based, futuristic, employee friendly and have greater alignment with the Bank's business.

Some of the key accomplishments worth mentioning in the HR sphere particularly in FY14 are as under:

Strategic Workforce Planning and Recruitment Drive

An optimal manpower mix is a prerequisite for the sustenance and growth of the business. Hence a scientific manpower planning model has been put in place for estimating manpower needs by level, skills and by branch and also for strategic workforce planning for the next few years to feed



into various other HR interventions of recruitment planning, career progression, vacancies and postings/deployment.


Your Bank has put in place a clearly defined recruitment policy, which steers the recruitment from different channels, hiring of larger numbers in view of the emerging requirements as projected by the strategic workforce planning and also articulating a clearly-defined employer value proposition with the acronym “**F I R S T**” as shown below:



An especially designed ‘**Career Portal**’ has been launched on the Bank’s website which defines this value proposition further with clearly laid out sections related to why your Bank should be the preferred choice for any prospective applicant by projecting the different facets of working at Bank of Baroda. These strategies provide a huge impetus to the “**Employer Branding**” of your Bank significantly.

For a Smooth and effective integration of the new hires into the Baroda Family, your Bank has also put in place a very well structured and a focused “**On-boarding Programme**” which not only aims at functional integration of the new recruits in the Bank but also their cultural assimilation into this institution. Going further, your Bank has also launched a focused **Mentoring programme “Baroda Sarthy”** for the new hires wherein the senior employee - a mentor handholds the new entrant to enable his smooth transition into the corporate world and help him/her adapt to the value system and working of your Bank.

Baroda Manipal School of Banking™



The Baroda Manipal School of Banking (BMSB) is a unique association of Bank of Baroda and Manipal Global Education to train students for a banking career in Bank of Baroda on a “first-day, first-hour” productive model, and thereby have a ready pool of trained officers. The students undergo a focused one-year programme customized to the Bank’s requirements and this leads to the award of a post-graduate diploma in banking and finance, before they are absorbed in the Bank as probationary officers. The programme works on an inverted model of “Train, Hire and

Deploy”

This innovative resourcing channel was initiated during the year FY12 and so far, since its inception, 1,379 students from seven batches have joined the Bank as officers and at present, around 1,068 students are undergoing their training at the BMSB campus at Bangalore.

Recruitment drive during FY14

Your Bank has been undertaking focused hiring efforts on a sustained basis year on year, to cater to retirements, resignations, sustained business growth and rapid branch expansion etc. Various recruitment exercises were undertaken during the year to address the emerging manpower requirements in your Bank. Recruitment of Specialist officers, Probationary officers and clerical personnel were initiated to meet the needs of your Bank, both in terms of replacements for normal attrition and factoring in the business growth needs. Your Bank recruited 2,685 officers in various Grades / Scales (both Generalists & Specialists), 3,125 Clerks and 439 Subordinate staff, thereby inducting a total of 6,249 new employees in the Bank during the period 2013-2014. The recruitment process is continued in the year 2014-15 also with various recruitment projects undertaken for filling up almost 3,800 posts of officers and 3,800 posts of clerks.

Formulation of Talent Management System

With a view to identify and groom young potential leaders in the Bank so that they can go on to man the critical leadership positions and thereby fill up the foreseen leadership gaps in future, your Bank has taken a big stride of designing and implementing a well orchestrated Talent Management System. This system proactively identifies future potential leaders based on various criteria and also grooms them through a systematic developmental plan for each of the identified future leader.

This is an annual exercise and in FY14, your Bank was able to clearly identify around 20% people in specific scales of Officers viz. in Scales II, III, IV, V and VI as the future leaders.

Framework for Career Progression

Concerted efforts have been taken by your Bank for fostering the career progression of employees primarily to reward them for their efforts and performance and also to motivate them further to climb up the corporate ladder and thereby fulfill both organizational as well as personal aspirations.

Your Bank not only provides opportunities for upward movement in the hierarchy but also ensures horizontal movement of officers across different functions to provide them wider exposure and carve out a definite career path for them.

Akin to recent years, in FY14 also, promotion exercise in all the cadres was conducted and a total of 3,525 employees as shown in the table below were promoted to higher grade/scale.



| Category | No. of Employees |
|--|------------------|
| Sub-Staff to Clerk | 149 |
| Clerk to Officer | 532 |
| JM-I to MM-II (Officer to Manager) | 1271 |
| MM-II to MM-III (Manager to Sr Manager) | 950 |
| MM-III to SM-IV (Sr. Manager to Chief Manager) | 466 |
| SM-IV to SM-V (Chief Manager to Asstt. Gen. Manager) | 90 |
| SM-V to TEG-VI (Asstt. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager) | 48 |
| TEG-VI to TEG-VII (Dy. Gen. Manager to General Manager) | 19 |

Employee engagement and Rewards

To augment the engagement levels in the employees for the higher motivation and productivity, your Bank has recently formulated a policy on “**employee engagement**”. As part of this policy various initiatives like conduct of satisfaction surveys, workshops for interaction of juniors and seniors etc., are undertaken to improve the employee connect with HR and top management.

To promote a culture of performance and to reward the top performers, your Bank has very recently launched a revised performance linked incentive scheme for its employees.

Implementation of HR Technology

Your Bank has put in place a very comprehensive HR technology platform covering HRM, Training, Payroll & Leave modules christened as the “**Human Resources Network for Employee Services (HRNes)**”. This technology platform has enabled automation of various HR functionalities and processes. The HR Automation is a key enabler in the implementation and sustenance of various HR initiatives and certain processes have completely been automated thus enhancing the efficiency of the HR operations thereby reducing the turnaround time.

In addition to the above HR interventions, the setup of the HR function in your Bank has also been strengthened further during FY14 and made more efficient by centralization of the routine administrative activities into a HR Back-office.

Special Thrust on Development of SC/ST/Other Backward Communities

Your Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and Other Backward Classes in the Indian society. Your Bank is one of those banks in the entire banking industry that has the highest number of employees belonging to SCs and STs, which itself shows the commitment of the Bank towards their development and upliftment. Some of the highlights of your Bank's efforts for

development and welfare of people belonging to SCs and STs are enumerated as under.

1. Reservation in Employment

Your Bank observes all guidelines stipulated by the Government of India for reservation of posts in employment in All India recruitment and local recruitment. Around 15% of total posts are reserved for SCs and 7.5% posts are reserved for STs in all India recruitments as also for selection to Baroda Manipal School of Banking, it being another channel of resourcing started by the Bank. For other recruitments made on regional basis, appropriate percentages prescribed for various States are being observed. Special efforts are made like offering pre-recruitment orientation training to SC/ST applicants for recruitment in your Bank. Relaxation in age limit and qualifications are given and interviews of SC/ST candidates are taken on relaxed standards in order to ensure that appointment of candidates to the reserved posts happens. In the interview panel for recruitment, a member belonging to SC/ST is invariably associated. Candidates belonging to SC/ST, who are called for interview, are reimbursed traveling expenses. In addition to providing reservation in employment, your Bank is also providing reservation and other enabling mechanisms in career growth and promotions for SC and ST employees as per the guidelines in vogue. Pre-promotion training is also being given before such candidates' participation in promotion exercises. Moreover, around 10.0% of the available residential accommodation of your Bank is reserved for SC/ST candidates.

The staff strength and representation of SCs and STs as of 31st March 2014 is as under

| Cadre | Total | SC | SC % | ST | ST% |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Officers | 19,710 | 3,429 | 17.40 | 1,423 | 7.22 |
| Clerks | 18,043 | 2,600 | 14.41 | 1,310 | 7.26 |
| Sub-staff | 8,248 | 2,760 | 33.46 | 798 | 9.68 |
| Total | 46,001 | 8,789 | 19.11 | 3,531 | 7.68 |

2. Reservation Cell

An exclusive **Reservation Cell** in your Bank has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager is appointed as Chief Liaison Officer for SC/ST/PWD & EX-Serviceman employees who ensure compliance of various guidelines pertaining to the SC/ST/PWD & EX-Serviceman employees. A Liaison Officer for SC/ST has been appointed in each Zone of your Bank who takes care of all matters and grievance redressal of SC/ST employees of that Zone.

3. Meeting with SC/ST Welfare Association

With a view to have direct dialogue and review of reservation and other special provisions for SC and ST, your Bank holds quarterly meetings with the





representatives of SC/ST Welfare Association of the Bank at Corporate level. Your Bank's Chairman and Managing Director and Senior Executives including the Chief Liaison Officer for SC/ST/PWD & Ex-Serviceman participate in the meeting.

4. Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust

Your Bank has established the "Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust" in 1991 for promoting welfare activities for the benefit of SC/ST employees and their family members. Apart from scholarships to children of employees belonging to SC/ST, this Trust also provides scholarship to needy students belonging to SC/ST community, in general, in major centres of the country.

5. Visit of National Commission for Scheduled Castes

During the year FY14, the National Commission for Scheduled Castes visited your Bank at Bhubaneshwar on 22nd October, 2013 and at Guwahati on 26th October, 2013. The suggestions and guidance of the Commission are being scrupulously observed by your Bank.

Due to the Bank's all out efforts in the HR sphere, your Bank is yielding positive recognition in the employers market which can be testified by the fact that Bank of Baroda has become the most preferred PSU Bank for new recruits as per the IBPS Rankings in 2013. We are confident that the HR initiatives will definitely lead to enhanced employee productivity and enable building of a long term and sustainable HR platform by upgrading HR skills, leveraging the full potential of the Bank's human capital and implementing cutting edge HR policies and processes through use of technology.

A Dedicated Cell for Training & Development

Looking to the importance of Training and Development in the context of large scale recruitment in the Bank combined with the need for grooming of the existing work force in the context of the growing competition, your Bank created a new cell for "Learning" and a new functional position as **Chief Learning Officer (CLO)** in the Bank during FY14. The CLO is of the level of a General Manager and supports the organization through learning interventions.

The broad mandate of this new vertical is as follows.

- Institutionalizing and enhancing E-learning for effective knowledge management.
- Fostering a learning environment across the organization through innovative interventions.
- Helping customers to understand and use your Bank's products and services through customer education.
- Aligning training with operational priorities by designing suitable courses through collaboration with other functional heads.
- Steering the **Baroda Academy** towards the objectives for which it was set up.

Your Bank has 15 training establishments spread all over the country including its apex Staff College at Ahmedabad. The Staff College has successfully completed its glorious journey of 49 years and stepped into the **Golden Jubilee year on 21st November, 2013**. Golden Jubilee year was launched by your Bank's Chairman & Managing Director on the same day. A series of learning events took place throughout the year to commemorate the Golden Jubilee year. During the year, a new Training Centre was commissioned at Bangalore.



Shri S.S. Mundra, CMD inaugurating the Celebration of Golden Jubilee Year of Staff College, Ahmedabad

Faculty members of the Bank have authored good number of research papers that were presented in national and international conferences and subsequently published as well.

The training system in your Bank extensively uses case study methodology and has built up a pool of case studies developed by faculty members to make training highly experiential and simulation-based.

A good number of innovative steps have been taken by the Bank in the domain of training over the years. The training system of your Bank bagged a National Award for Innovative Training Practices in various industries by securing third position, awarded by the Indian Society for Training & Development (ISTD) during the year FY14.

Large Scale Training on Products

Your Bank carried out a campaign called "**ASCEND**" for large scale product training to impart product knowledge to the front line officers on Retail Liability, Retail Asset and e-Business products. The campaign was run entirely by the trainers and operational bankers, and it covered 5,987 employees amounting to about 95% of the target group.

Similarly two rounds of All India quiz christened "**Baroda Gyani**" were organized to bring more awareness on product knowledge. More than 4,000 employees from sub-staff to officers participated in this competition upgrading their product knowledge. E-learning modules on retail products were also launched for this purpose.

Adoption of new Training Policy

Your Bank has a Board approved comprehensive training



policy. It covers entire spectrum of training activities that include a) laying down streamlined processes, b) a full-fledged training structure, c) capacity building, d) measurement of training efficacy and, e) intervention methodology.

Special Thrust on Development of SC/ST/Other Backward Communities

Your Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and other backward classes in the Society. Around 49 programmes covering 1,221 SC and 573 ST employees were conducted during FY14 to prepare them for promotion exercise. Similarly, 9,602 SC employees, 3,795 ST employees and 10,292 OBC employees were imparted training during FY14 in various key banking areas.

Training to Customers: “Customer Connect” Campaign

As part of customer education, the training system ran a campaign during Feb-Mar 2014 to impart training to customers for using net banking and mobile banking services. More than 15,342 customers were trained at various centres and the initiative will continue throughout the calendar year.

Capability Building Initiatives

To build knowledge power of its employees, your Bank has been focusing on comprehensive grooming of the staff in key banking areas like credit, forex, Priority Sector, Retail Banking, CBS, Financial Inclusion, Risk Management etc. Besides, your Bank conducts comprehensive training programme called “On-Boarding Programme” for newly recruited officers and clerks using in-house resources and through a tie-up with reputed external agencies. The Bank conducted more than 2,337 in-house training programs during the year FY14 covering 49,044 participants in addition to the external training of officers and executives at various business schools in India and abroad. Your Bank is at an advanced stage to take the next big step in the area of e-learning to augment its capabilities to reach out to every single employee.

External Training

During FY14, around 988 staff members were nominated to various external training programmes. Your Bank considers **External Training** an integral part of capacity building, wherein employees at all levels are exposed to such programmes to learn and adopt the best practices existing in the industry.

Some of the noteworthy and dedicated programmes organised during the year FY14 were:

- Top Management Programme for General Managers and Deputy General Managers of your Bank at ISB, Hyderabad from 13th to 18th May 2013.
- Top Management Programme for two batches of newly

promoted Assistant General Managers and Chief Managers at International Management Institute (IMI), New Delhi from 13th to 17th May 2013 and from 20th to 24th May 2013.

- A Leadership Development Programme for newly promoted Assistant General Managers of the Bank from 7th to 12th October 2013 at Centre for Organization Development, Hyderabad.
- Integrated Treasury Bourse Programme in association with Trinity Academy, Mumbai from 26th August to 5th September 2013 for treasury officers.
- Talent management training on ‘Communication and Influence’ and ‘People Development and Team Focus’ for the identified officers during Oct-Dec 2013.
- Executive Development Programme on Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) from 5th to 7th December 2013 at University of Mumbai.
- A dedicated Programme for Agriculture Officers of your Bank from 2nd to 7th December 2013 at Manipal Academy of Banking, Bangalore.
- Nearly 3,000 new clerks were on-boarded in tie-up with NIIT-IFBI thus covering all the new clerks who joined the Bank post June, 2013. More than 800 existing clerks were trained under a refreshers’ course “UTKARSH” by IFBI.
- A programme on “Positive Approach to Vigilance Administration for Disciplinary Authorities” on 18th & 19th October 2013 at New Delhi.
- A Faculty Development Programme was conducted from 16th to 21st December 2013 by M/s Fourth Quadrant Training Pvt. Ltd.

Business Process Re-engineering (Project Navnirmaan)

Ever since your Bank changed its brand identity, there has been a tremendous growth in its brand recall value, which in turn gave rise to enhanced expectations from all stakeholders. The expectations were further strengthened by your Bank’s tag line as India’s International Bank and its mission to be a ‘National Bank of International Standards’. However, your Bank has responded well to these expectations by restructuring its products and processes in an optimum fashion.

Actually, the process of change began with the setting up of Retail Loan Factories in 2007. Subsequently, your Bank commissioned a comprehensive change programme in June 2009 that sought to rebuild the Bank for the future under the name **Project Navnirmaan**.

This project touched all aspects of your Bank’s processes, structures and systems with an objective to simplify processes, improve branch productivity and provide best-in-class service to its customers.



The change programme has been successful and this initiative has been one of the major factors to help your Bank bag a number of awards and accolades establishing itself truly as **India's International Bank**.

The major achievements under the project **Navnirmaan** during FY14 are enumerated as under.

- **Baroda-Next Branch:** Around 1,433 metro and urban branches have been rolled out as Baroda Next branches in your Bank until end of FY14.
- **Branch Front-end Automation:** The Queue Management System (QMS), Cheque Deposit Machines and Personalized Pass Book Printers were installed in 9,840 and 1,200 branches, respectively.
- **City Back Office (CBO):** Clearing operations were centralized for all branches (linked to CBO). At present, there are 85 CBOs operational throughout the country.
- **Regional Back Office (RBO):** Two RBOs at Bareilly and Ahmedabad were added during the year taking the total strength to 12. Altogether 3,653 branches are linked for CASA opening and 4,263 branches linked for PCB (Personalized Cheque Book) issuance.
- **Credit centralization Pilot (RLF/SMELF):** The Retail and SME credit centralization pilot of your Bank initiated in FY14 is under progress at the Loan Factories in Baroda.
- **Sustainability of NAVNIRMAAN initiatives/impact:** Process Compliance Audit (PCA) - A certification procedure for Baroda Next branches was introduced through which process compliance/adherence by branches are being evaluated by your Bank's inspecting officers. Till date, 907 branches have been covered under the PCA.
- **Train the Trainers Programme:** A two days' programme was held at Staff College Ahmadabad from 29th to 30th June, 2013– in connection with holding workshops at all zones for branch heads, sales heads, relationship managers, customers service and branch hosts of Baroda Next branches.
- **Change Leader-cum-RBDM Conclave:** A two days' conclave was held at Staff College, Ahmadabad during 12-13 August, 2013.
- **Contact Centre:** Your bank has two Contact Centres at Lucknow and Vadodara. In addition to the existing basket of service, Mobile Banking assistance service has been added during the year. The service timing has been increased to 6am to 10pm (from earlier 8am to 8pm) for better customer convenience.
- **E- Lobby:** Your Bank has started 45 independent E-Lobbies in different zones. It offers the following six services- Cash Dispenser (ATM), Bunch Note Acceptor (BNA), Self Service Automatic Passbook Printing Kiosk, Cheque Deposit Machine (CDM), Internet Banking Kiosk and Phone Banking facility.

- **Innovation Committee:** With a view to encourage a culture of innovation across the organization, your Bank set up an Innovation Committee in March 2014 with the following objectives - developing new products and services, innovation in internal processes that add value to customers and the Bank, innovation in service delivery that delights the customers.

Marketing



Launch of Marketing e-Newsletter "BOB MARCOM" by Shri S.S. Mundra , CMD and other Top Executives during the All India Marketing Conclave organized at Ahmedabad

During FY14, your Bank continued to promote its brand and various products and services through various marketing initiatives. This involved effective utilization of different media vehicles such as Print, Electronic (TV, Radio, Online etc.) and OOH, apart from supporting the "Below-the-Line" (BTL) activities undertaken by the Zones and Regions.

The highlights of various marketing / communication activities undertaken during FY14 are given below:

Your Bank, encouraged from the success of its initiative of FY13 i.e. BRAND Engagement Program, launched the next edition of '**Bank of Baroda Canvas Competition**' during January 2014 to continue and harness the potential of long-term relationship formed with the younger audience as well as their influencers i.e. parents and teachers. This year again the momentum was to build long-term relationship with both existing and new educational institutions and as such, students across the country were invited to submit



Shri S.S. Mundra, CMD, Executive Directors and other Senior Officials during the final selection of National level winners of Pan India Baroda Canvas Competition 2013-14





their entries through their respective schools on a pre-determined topic and winning entries were selected on National/Regional levels by a select panel of judges. The brand-association formed with the target audience through involvement of the Bank's mascot i.e. 'Stickman' increased significantly this year and participants were invited to name the stickman. A judicious mix of on-ground activities at the Zonal and Regional levels were used in the campaign to maximize the number of entries in the said competition.

In addition to the above initiative, your Bank undertook various **Product Promotion Campaigns** to promote its products and services amongst target audience through advertising across different geographies. Besides focusing on providing information on various products and services, particularly Saving Deposits, Current Deposits, Home Loans, Car Loans and SME Loans, new product-lines like Consumer Durable loans and Alternate Delivery Channels (ADCs) were aggressively promoted. Furthermore, special customer segments were also targeted viz; Special Campaigns for Doctors and NRIs etc. through judicious use of various media vehicles on Pan India basis. Information relating to expansion of branch network, both domestic and overseas, was also given due publicity largely through print medium which helped enhancing your Bank's brand image and visibility.

Your Bank also participated in various events such as Pravasi Bhartiya Diwas 2014, FICCI-IBA Banking Conference 2013, World Ranking Snooker Tournament-Indian Leg, India-Australia Cricket Series 2013, MINT Annual Banking Conclave, BKC Financial Institutions Employees Marathon and Standard Chartered Mumbai Marathon 2014, among many other events to continue the brand association with the customers and stakeholders thereby increasing the recall value.

During FY14, as part of its public relations task, your Bank had wide media coverage of its activities across the country, which helped in enhancing your Bank's brand image.

Awards and Industry Recognition for Bank of Baroda

Your Bank won several awards and recognitions during FY14 from the reputed media houses and other prestigious organizations on various business and financial parameters for its steady and all round performance, superior management thereby contributing to the growth of the economy.

Given below are some select awards won by your Bank during the year FY14:

- Your Bank's Chairman & Managing Director Shri S S Mundra, ranked 41st in the list of Top 100 India Inc's Most Powerful CEOs as per CD-ET (Corporate Dossier-Economic Times) Inc's Survey 2013, published in Economic Times issue dated 12.07.2013. He was also ranked 3rd amongst CEOs of Public Sector Banks as per the survey.

- Your Bank ranked 20th amongst 'Best Indian Brands' – Brand Equity Economic Times Survey. This was published in Economic Times issue dated 31st July 2013.
- Your Bank won a Special Award for Best IT Team among Public Sector Banks at IDRBT Banking Technology Excellence Awards 2012-13.
- Your Bank was recognized as the Best Public Sector Bank under the category 'Global Business Development' by Dun & Bradstreet – Polaris Financial Technology Banking Awards 2013.
- The Reserve Bank Rajbhasha Competition, 28.08.2013, Mumbai gave your Bank the following prizes.
 - a) First Prize in Region 'C'
 - b) Second Prize in Region 'A' & 'B'
 - c) Third Prize for 'AKSHAYYAM' in Hindi House – Bilingual House Journal Competition
 - d) Third Prize for 'BOBMAITRI' in – Bilingual House Journal Competition
- The Sunday Standard Best Bankers' Awards – Best Banker – HR constituted by The New Indian Express Group, was conferred on Shri S S Mundra, Chairman & Managing Director of your Bank during FY14.
- Your Bank received an award in Indira Gandhi Rajbhasha Shield Competition, 14.09.2013, New Delhi.
- First Prize for the Year 2011-12 was given for your Bank's exemplary performance in Official Language Implementation.
- In the ASSOCHAM 9th Annual Banking Summit-cum-Social Banking Excellence Awards 2013, 16.09.2013, New Delhi, your Bank was the Winner in Public Sector Banks Category in recognition of its distinguished and commendable work done in the field of 'Social Banking'.
- Your Bank improved its ranking from 66th to 52nd in The Asian Banker - Region's Largest Bank category, in September 2013 special issue 122 of The Asian Banker.
- Your Bank won the following awards during the 53rd Annual Awards Nite of the Association of Business Communications of India (ABCI), 18.10.2013, Hotel Taj, Colaba, Mumbai.
 - a) Special Column (English) – Bronze Trophy for BOBMAITRI
 - b) Special Column (Language) – Silver Trophy for Apni Baat – Akshayyam
 - c) Headlines – Bronze Trophy for Corporate Ad (Stamp Creative)
- Your Bank was ranked No.3 in THEBWReal500 – India's 50 Biggest Financial Companies published in Business World Issue dated 04.11.2013.
- Your Bank was ranked No.50 in BT500 India's Most



Valuable Companies published in Business Today November 10 2013 issue.

- Your Bank was rated as the 3rd Fastest Growing Large Bank and 4th 'Best Bank – in Large Bank Category' in a Survey of India's Best Banks by - BW-PwC Survey. This Survey was published in Business World issue dated 30th December 2013.
- Your Bank was ranked 22nd in Brand Equity Top Service Brands published in Brand Equity Issue dated 18.12.2013, retaining its brand ranking position as that of last year.
- Your Bank was ranked 28th in Fortune India 500 lists published in Fortune India Magazine Special issue December 2013.
- Your Bank received the MSME Banking Excellence Award – 2013 as the Best Bank in MSME by Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises on 09.01.2014 at New Delhi.
- Your Bank was ranked 27th in India's Biggest 500 Companies – Top 500 company listing 2013 published in ET 500 Magazine issue January 2014.
- Your Bank was awarded "Best Bank - Public Sector" by ABP News in Banking, Financial Services & Insurance Awards on 14.02.2014 in Mumbai.
- Your Bank was awarded for "Excellence in Banking (PSU)" by My FM Stars of the Industry award on 14.02.2014 in Mumbai.
- Your Bank was awarded for "Excellence in Home Loan Banking" by My FM Stars of the Industry award on 14.02.2014 in Mumbai.
- Your Bank received the 'Global Excellence & Leadership Award' in the category of '50 most talented CSR Professionals of India' by World CSR Congress in Mumbai on 18/02/2014.
- Your Bank was ranked 53rd on Net Revenue and 45th on Market Capitalization in FE 500 list published in Financial Express Magazine February 2014 issue.
- Your Bank was ranked No.1 in the Public Sector Bank Category in FE-EY Best Banks Survey 2012-13 published in The Financial Express Magazine March 2014 issue.
- Your Bank's Eastern UP Zone, Lucknow was awarded the 1st Prize by Government Of India for Implementation of Official Language (Hindi) in Banks for the year 2012-13 by Official Language Dept, Ministry of Home Affairs, Government of India at a function held in Chandigarh.

Premises Re-Engineering and Ambience Enhancement

The major achievements of your Bank in the area of "**Premises re-engineering and ambience enhancement**" during the year FY14 are as given below.



Shri S.S. Mundra, CMD and other Top Executives during the inauguration of Press Room at Baroda Corporate Centre, Mumbai

- Construction of office building cum currency chest at Varanasi was completed. This building is equipped with ultra modern gadgets and systems with energy efficient equipments and rain water harvesting system. The eco-friendly materials were used in its construction. Your Bank's presence by this building in Varanasi is admired by one and all. Now, it has become one of the landmark buildings of the city.



Dr. K. C. Chakrabarty, Dy. Governor of Reserve Bank of India, Shri. S.S. Mundra, CMD during the inauguration of 'Baroda Bhawan' the new premises of Bank of Baroda Regional Office, Varanasi

- As per the directives from Ministry of Finance, your Bank linked its corporate office with all zonal and regional offices through State-of-the Art Video Conferencing (VC) systems based on MPLS Connectivity. Interaction of functional heads through VC has made the decision making process more efficient, quick and cost effective.
- During FY14, your Bank adopted all technology centric initiatives in the form of e-tendering, e-procurement etc. and this was implemented in a phased manner.
- You Bank ensured that all payments to vendors are made through RTGS/NEFT.
- In tune with your Bank's policy to have its administrative offices in owned premises, your Bank purchased land at Bangalore (Karnataka), Hyderabad (AP), Faizabad (UP), Indore (MP), Udaipur (Rajasthan), Dehradun (Uttarakhand), Jaipur (Rajasthan) and New Raipur (Chhattisgarh), Bareilly (UP) and Ernakulam (Kerala)



for construction of commercial /residential buildings.

- Looking to the ever increasing rentals, area optimisation of every corner of the available premises is being ensured by your Bank. Layouts are being revisited while renovation and furnishing of branches and offices is being done by introducing eco-friendly and ergonomically designed sleek furniture items. The area norms for acquisition of the premises have also been reviewed and implemented.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the inauguration of new office for centralized NRI Services at BKC, Mumbai

- To have uniformity in systems and procedures pan-India, Premises Policy Guidelines, Constructions Manual, Refurbishment Manual were designed and formulated. Agencies have been identified for quick procurement of the furniture items and to have similar and identical design to get aesthetically pleasant look and vibrant indoor environment.



Shri S.S. Mundra, CMD inaugurating the Jopling Road Branch opening at Lucknow

Projects implemented during FY14

- The construction of office building cum currency chest at Varanasi.
- Construction of residential complex at Janakpuri, New Delhi.
- The construction of multi-storey integrated office building at Jaipur.
- Construction of BSVS at Ajmer, Dungarpur, Banswara and Pratapgarh.

- The setting-up of e-lobbies at 45 various locations in the country.
- Your Bank purchased residential flats at various places for newly transferred officers.

Projects under implementation

- Construction of BSVS at Alirajpur, Jaipur, Surat, Bharuch and Jhabua.
- Construction of administrative and residential buildings at New Raipur.
- Construction of residential cum commercial complex at Indore (MP).
- Construction of own building for Disaster Recovery Site at Hyderabad.
- Renovation of Bank of Baroda Institute of Information Technology at Gandhinagar (Gujarat).
- Construction of Regional Office Building at Faizabad.
- Renovation of residential building and flats at Nehru Enclave, Lucknow.

Future Plans for Estate Management

- To facelift the Bank's Building at Parliament Street, New Delhi.
- To redevelop the Bhandup Staff Quarters building, Mumbai, thereby to construct about 138 residential flats for transferred officers/executives.
- The redevelopment of Jogeshwari Staff Quarters, Mumbai, to construct a building for residential and commercial use.
- To construct the training centre at Bangalore.
- Construction of BSVS at various centres across India as per the directives from the Government of India.
- To set up the Baroda Academy (i.e., training Centre) at Gandhinagar (Ahmedabad), Bangalore, Greater Noida and Bhubhneswar.

Brick & Mortar Branch Expansion

Given below is the information on your Bank's brick and mortar distribution channels as on 31st March, 2014, which is observed to be closer to common customers as compared to the E-Banking channels that are generally preferred by the tech savvy urban masses.

| Area Classification (India) | Number of Branches | % Share in Total |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Metro | 980 | 20.11 |
| Urban | 849 | 17.42 |
| Semi-urban | 1273 | 26.11 |
| Rural | 1772 | 36.36 |
| Total | 4874 | 100.00 |
| Overseas | 60 | -- |



Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of your Bank's Subsidiaries, Joint Ventures and Associates was quite satisfactory during FY14.

BOBCARDS Ltd. turned around during FY11 due to the recovery in NPA accounts. Subsequently, it posted profits during FY12 and FY13. During FY14, the company focused on all qualitative aspects of business development, which resulted in better profitability, quality card base and ME base. The Company introduced a range of Titanium Cards, Signature Cards, Assure Cards, Corporate Platinum Cards and Bobcards Elite with premium features like added privileges and offers. Special schemes for corporate and HNI customers were also launched during the year. The Company has drawn up aggressive plans for the enlargement of Card and Merchant Base for the coming year.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the launch of Signature Card by Bank's subsidiary Bobcards Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. was professionally strengthened during the year by deputing a team of Project Finance Department and embarked upon undertaking techno-economic viability (TEV) studies, debt restructuring and corporate finance services on a large scale for various customers. Throughout the year, the focus remained on investment advisory services, debt and equity syndication and capital market activities. The Company commenced institutional broking business and also launched an Online Institutional Trading platform from October 2009. The On-Line Retail Trading platform, which was commercially launched on July 20, 2012 was extensively modified to make it much simpler and easier to use by customers to have the benefit of user-friendly retail trading platform. The company, functioning in a very competitive market, is ever alert to opportunities in the market and is poised to grow bigger in the coming years.

The Nainital Bank Ltd. was promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Vallabh Pant and others and became Associate Bank of Bank of Baroda in the year 1973. Today, the shareholding of Bank of Baroda in Nainital Bank Ltd. is 98.57% and is a subsidiary of the Bank. The State of Uttarakhand, vide its communiqué dated August 3, 2012, has notified that The Nainital Bank Limited be treated at par with other PSU Banks. The Bank has initiated branch expansion initiatives and has already established a Regional Office at Dehradun and has aggressive plans to ramp up

its scale of operations. The Bank has launched e-stamping facility in 15 branches and has initiated several new IT initiatives e.g Mobile banking & e-banking etc. The Bank also took various initiatives to increase its retail segment particularly in housing loan & consumer loan to high income salaried employees of Government Departments & PSU as well as professionals.

Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. a joint venture with Pioneer Global Asset Management SpA, is in its sixth year of operation. During the year under review, the Company was able to strengthen its AUM (Asset under Management) significantly which rose by 75.0% on year on year basis as of March'14 and was able to add one lakh folios despite weak sentiments prevailing in both debt and equity markets. The key to this growth was strong focus on the institutional segment which helped the Company to grow its debts and money market products coupled with focus on Systematic Investment Plans (SIPs) for retail investors. The Company has increased the number of investor servicing points from 77 to 203 during the year. There was a substantial growth in Company's average assets under management (AAUM) during the year which has placed it among the top 20 mutual funds in India and is ranked 19th for the month of March, 2014. The Company's (AAUM) growth was robust on year on year basis and was at 11% whereas industry growth was at 10.0%, as per the AMFI (Association of Mutual Funds of India) website. With equity markets remaining volatile, SIPs continue to be one of the best ways for the Company to channelize customers' savings into the equity market.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd., a joint venture company with Legal & General group, commenced its business operations on 16th November 2009 and has received an overwhelming response for its products across the country. The Company has won Model Insurer Award (Asia) for the three successive years. IndiaFirst garnered new business registering a year on year growth of 67.0%. Its industry-wide new business ranking improved from 9th position last year to 7th position in the current year (Feb '14). Increase in the new business (NB) premium has improved the market share from 3.0% last year to 5.0% current year (Feb '14). Number of customers grew by 46.0% year on year on account of new distribution tie-ups which include RRBs/ NBFCs/Brokers through Alternate Channel Distribution. Renewal collection grew by 23.0% year on year leading to increase in premium income for the Company and subsequent increase in the policy and premium persistence. The Company's total revenue increased by 46.0% (y-o-y). Company's major initiative with the Bank includes launch of premium option through mobile banking for Bank of Baroda customers and financial inclusion branch module.

India Infradebt Limited is a joint venture company with ICICI Bank Limited, ICICI Home Finance Company Limited, Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. The Company was incorporated on October 31, 2012 in Mumbai and has been issued registration certificate No.N-13.02039 dated 08.02.2013 by



the Reserve Bank of India to operate as an Infrastructure Debt Fund – Non Banking Financial Company (IDF-NBFC). The Company's principal activity is to re-finance part of the debt liabilities of the Project Companies.

India Infradebt Limited (Infradebt) is India's first Infrastructure Debt Fund structured as Non Banking Financial Company (IDF-NBFC). Infradebt closely worked with National Highways Authority of India, Ministry of Finance (MoF) and Ministry of Road Transport & Highways towards the successful implementation of IDF framework.

During the year, it became the first IDF-NBFC to be rated "AAA" by CRISIL in July 2013 for its proposed debenture issue. Subsequently, in December 2013, ICRA also assigned a rating of AAA to the debenture issue programme of Infradebt consequent to the efforts of Infradebt in convincing various authorities.

Infradebt is primarily focusing on sectors like roads and ports. During the year, the Board Credit & Risk Committee has approved provision of financial assistance to a few proposals in the roads sector, in addition to the sanction provided to HEL (Himalayan Expressway Ltd.). Furthermore, Infradebt would constantly keep identifying additional projects for takeout financing and envisages closing additional transactions over the next few months.

Baroda Pioneer Trustee Company Pvt. Ltd. Baroda Pioneer Trustee Company Pvt. Ltd. is the trustee to Baroda Pioneer Mutual Fund. As a trustee, the Company ensures that the transactions entered into by Baroda Pioneer Asset Management Company Limited are in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and also reviews the activities carried on by the AMC.

(Rs lakh)

| Entity (with date of registration) | Country | Owned Funds | Total Assets | Net Profit | Offices | Staff |
|---|---------|-------------|--------------|------------|---------|-------|
| BOB Capital Markets Ltd. (11.03.1996) | India | 14,277.82 | 15,791.55 | 686.64 | 1 | 38 |
| BOBCARDS Ltd. (29.09.1994) | India | 17,292.00 | 21,939.00 | 2,811.00 | 37 | 191 |
| Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (05.11.1992) | India | 6,626.40 | 7,258.67 | (-)982.46 | 1 | 85 |
| Baroda Pioneer Trustee Co Pvt Ltd. (23.12.2011) | India | 5.70 | 11.95 | 2.22 | 1 | 0 |
| IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. (19.06.2008) | India | 60,500.00 | 7,11,617.59 | 2,547.35 | 48 | 1,549 |
| The Nainital Bank Ltd. (31.07.1922) | India | 44,528.00 | 5,34,259.00 | 6,542.00 | 116 | 843 |
| India Infradebt Ltd. (31.10.2012) | India | 32,893.74 | 33,157.37 | 2,092.67 | 1 | 11 |

Implementation of Official Language (OL) Policy



Shri S.S. Mundra, CMD, Shri Ranjan Dhawan, ED and Shri Prabhat Agrawal , GM along with other dignitaries during the celebration of Hindi Diwas at Corporate Office, Mumbai

During the period under review, your Bank made noteworthy progress regarding implementation of Official Language Policy of Government of India. Besides compliance of various statutory requirements of Official Language Act and Rules, your Bank took the initiative of promoting and utilizing Hindi as a tool for establishing better connect with customers and ensuring them the best possible service.

Your Bank prepared a well-structured annual action plan for the achievement of various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme 2013-14 and the assurances given to the **Committee of Parliament on Official Language** during its visits to various offices/branches of the Bank. Through continuous monitoring and regular efforts at various levels, your Bank could achieve all the major targets of the Programme and fulfilled all the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee, presided over by Chairman and Managing Director of the Bank, were organized regularly on quarterly basis. Under the guidance received from the Committee, several new initiatives were taken during the year FY14. Your Bank took a major initiative of automating the Quarterly Hindi Progress report submission system in the Bank. The Bank implemented '**Pragati online package**' across the Bank. The package was made available on the Bank's wide area network. All the operating units, administrative offices were provided user ID and passwords for submitting Rajbhasha Reports. Your Bank started sending systems-generated letters pertaining to opening of accounts in bilingual (Hindi-English) format through its Regional Back Offices. Through this package, every month lakhs of letters were generated in bi-lingual form which helped the Bank in meeting to a great extent its targets set under the Official Language programme. Your Bank brought more branches under the coverage of an IT programme used to generate and print pass-books and account statements in Hindi at the branches situated in linguistic regions A and B. For the convenience of customers, the facility of getting transaction



slips in Hindi from ATMs was expanded further and now majority of your Bank's ATMs are covered under it. Your Bank introduced display of screen in additional four Indian Languages i.e Telugu, Tamil, Malyalam and Kannada during the year. Your Bank also prepared an Inward-Outward package viz. Document Management System for maintaining records of inward/outward letters as per the linguistic region-wise reporting requirements of its OL policy.

To increase financial literacy amongst masses, your Bank prepared cartoon booklets, animation films in Hindi and also in some regional languages on developing the habit of saving, features of Kisan Credit Card and on the need of timely repayment of loans. These cartoon booklets and animation films were christened as "Chhoti Bachat badi Khushhal", "Aam ke aam guthliyon ke daam" and "Samay Par Kari Ka Bhugtan, Jindagi Bane Aasaan" in their Hindi edition. Marathi, Gujarati, Bangla, Punjabi editions of these booklets/films were also released. These Booklets/animation films were sent to Regional Offices/ Zonal Offices of the Bank for their effective utilization.

Your Bank has been pioneer in spreading and promoting the use of Hindi through the forum of Nagar Rajbhasha Samitis. During the year under review, your Bank, with the approval of Home Ministry, Government of India constituted four new Nagar Rajbhasha Samitis. These committees are functioning at Jodhpur, Rajkot, Surat and Bareilly under the convenorship of your Bank. Nagar Rajbhasha Samiti, Baroda and Jaipur are the oldest TOLICs (i.e., Town Official Language Implementation Committees) working under your Bank's convenorship.

The Third Sub-Committee of parliament on official language visited your Bank's branches/offices at Chitrakoot and Anand. The Committee also reviewed efforts of your Bank's Corporate Office in its visit to Mumbai. The Committee was full of praise of the efforts put in by your Bank for promotion of the use of Hindi language.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the inspection of Corporate Office by Parliamentary Sub Committee on Rajbhasha

Your Bank's efforts were well recognised by Government of India and Reserve Bank of India also. Government of India awarded your Bank with the 1st Prize in the Indira Gandhi Rajbhasha Shield Competition consecutively for the second year. Your Bank's Chairman and Managing Director (CMD)

received this award from Honorable President of India at a function held at Vigyan Bhawan, New Delhi on Hindi Diwas 2013. Further, your Bank was awarded first prize for 'C' Region and second prizes for Region 'A' and 'B' by Reserve Bank of India (RBI) under the RBI Rajbhasha Shield Competition. The Bank's In-House Magazine 'BOBMATRI' and Hindi Magazine 'Akshayyam' were also awarded with the third prize by the RBI. Your Bank's CMD received these awards from the Governor of RBI. These magazines also won two awards from Association of Business Communicators of India.



Bank receives Reserve Bank Rajbhasha Shield prize in all 5 categories

Your Bank continued with its flagship scheme "Medhavi Vidyarthi Samman Yojana" for popularising Hindi amongst the students' community. Under this scheme, cash prizes and commendation certificates signed by your Bank's CMD are given to those students who have scored highest marks in M.A.(Hindi). This scheme, at present, is applicable in 64 universities of the country.

Your Bank has published three books in Hindi during the year viz."ProudYogiki aur Grahak Seva", "Thodi Si Dhoop" and "Maharaja Sayaji Rao Gaekwad III", for providing qualitative reading material in the Hindi language.



Shri S.S. Mundra, CMD and other dignitaries during the release of new publications related to Rajbhasha

Board of Directors

Shri Bhuvanchandra B. Joshi appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 05.08.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of



At the Festival Cricket Match between Board of Directors and Top Management, Mumbai

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 31.12.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Dr. K. P. Krishnan, IAS, nominated as a non executive Director, representing Government of India, w.e.f. 19-02-2014, vice Shri Alok Nigam, IAS.

Shri Sudhir Kumar Jain appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) ceased to be a Director with effect from 08.07.2013 on his elevation as Chairman and Managing Director of Syndicate Bank.

Shri Ajay Mathur, a part time non- official Director/Non executive director, ceased to be a Director with effect from 04.05.2013 on completion of his term.

Shri Satya Dev Tripathi, a part time non- official Director/ non executive director ceased to be a Director with effect from 30.08.2013 on completion of his term.

Shri V.B. Chavan, a part time non- official Director / Non executive director ceased to be a Director with effect from 31.01.2014 on attaining the age of superannuation.

Shri Alok Nigam, IAS, a part time non- official Director/ Non executive director ceased to be a Director with effect from 18.02.2014 on the nomination of **Dr. K.P. Krishnan**, IAS, in his place.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual

accounts for the year ended March 31, 2014:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of financial year and of the profit of your Bank for the year ended on March 31, 2014;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

Acknowledgement

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of your Bank like customers, shareholders and well wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of your Bank's staff at different levels, which enabled your Bank to record high quality, consistent growth year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,

S. S. Mundra
Chairman and Managing Director



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2013-14

Report on Corporate Governance 2013-14

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिषादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखण्ड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मण्डल का स्वरूप निम्नानुसार है:

| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2014 को बैंक ऑफ बड़दा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2014 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Member- ship/Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies | टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2014 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2014) |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | श्री एस.एस. मूंद्रा Shri S. S. Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) Chairman and Managing Director (Executive) | 51 0 | 9 | 7 | 12 | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 21.01. 2013 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त, वे 31.07.2014 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे। वे निम्नानुसित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- (i) बैंक कार्डस लिमिटेड (ii) भारतीय नियंत आयात बैंक |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2014 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Memberships/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies | टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2014 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2014) |
|---------------------|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | (iii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. (iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. (v) इंडिया इन्टरनेशनल बैंक मलेशिया बीएचडी (आईआईबीएमडी) (vi) बड़ौदा पायानियर असेट मैनेजमेंट कं. लि. (vii) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. लि. |
| | | | | | | | Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 21.01.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 31.07.2014 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of : (i) BOBCARDS Ltd. (ii) Export-Import Bank of India (iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. (iv) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. (v) India International Bank Malaysia Bhd. (IIIBM) (vi) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (vii) IndiaFirst Life Insurance Co |
| 2 | श्री पि. श्रीनिवास Shri P. Srinivas | कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive) | शून्य NIL | 11 | 5 | शून्य NIL | बैंककारी कम्पनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06. 2012 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.06.2016 तक अर्थात अपनी अधिवर्गिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- (i) बैंक ऑफ बड़ौदा गुयाना आईएनसी (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एं टोबॉगो) लिमिटेड (iii) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. लि. (iv) इंडो-जाबिया बैंक (v) एनपीसीआई Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.06.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of: (i) Bank of Baroda Guyana Inc. (ii) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. (iii) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. (iv) Indo-Zambia Bank (v) NPCI |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2014 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank | अन्य कम्पनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अधिकारता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies | टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2014 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2014) |
|---------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| 3 | श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive) | शून्य NIL | 10 | 3 | शून्य NIL | <p>बैंकारी कम्पनी (उपकरों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.11. 2012 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त। वे 30.09.2015 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड (अध्यक्ष) (ii) बॉब (कैनिया) लि. (अध्यक्ष) (iii) बॉब (तंजानिया) लि. (अध्यक्ष) <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.11.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2015 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) BOB Capital Markets Ltd. (Chairman) (ii) BOB (Kenya) Ltd.(Chairman) (iii) BOB (Tanzania) Ltd. (Chairman) |
| 4 | श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuwanchandra B. Joshi | कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive) | शून्य NIL | 10 | 2 | शून्य NIL | <p>बैंकारी कंपनी (उपकरों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.08. 2013 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त। वे 31.12.2016 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं -</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. (अध्यक्ष) <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 05.08.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 31.12.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. (ii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (Chairman) |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2014 को बैंक ऑफ बड़ोदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2014 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub -Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies | टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2014 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2014) |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|--|
| 5 | डॉ. के. पी. कृष्णन, आईएस Dr. K.P. Krishnan, IAS | निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Central Government | शून्य NIL | 7 | 1 | शून्य NIL | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 19.02. 2014 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी अनुदर्शों तक अपने पद पर रहेंगे। वे निम्नलिखित निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं - (i) नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन Nominated as a Director w.e.f. 19.02.2014 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. He is also a Director on the Board of: (i) National Skill Development Corporation. |
| 6 | श्री सुदर्शन सेन Shri Sudarshan Sen | निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक Director (Non Executive) Reserve Bank of India (RBI) nominee Director | शून्य NIL | 5 | शून्य NIL | शून्य NIL | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.05. 2011 की प्रभावी तारीख से नामित. वे आगामी आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे। Nominated as a Director w.e.f. 30.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. |
| 7 | श्री विनिल कुमार सखेना Shri Vinil Kumar Saxena | निदेशक (गैर कार्यपालक) कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen | 620 | 2 | शून्य NIL | शून्य NIL | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ई) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.07. 2011 की प्रभावी तारीख से वर्कमैन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त。 वे तीन वर्ष की अवधि के लिए या बैंक ऑफ बड़ोदा के वर्कमैन कर्मचारी रहने आगामी आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे। Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 25.07.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier. |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2014 को बैंक आँफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2014 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies | टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2014 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2014) |
|---------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| 8 | श्री मौलिन अरविंद वैष्णव Shri Maulin Arvind Vaishnav | निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निवाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government | 125 | 2 | शून्य NIL | शून्य NIL | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 23.12. 2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा 24.12. 2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए पुनः निवाचित, निवाचित होने से पहले 24.12. 2008 से 23.12.2011 तक वे बैंक के शेयर धारक निदेशक भी थे। Re-Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of -3- years from 24.12.2011 to 23.12.2014. Prior to his re-election, he was also a shareholder director of the Bank from 24.12.2008 to 23.12.2011. |
| 9 | श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी Shri Surendra Singh Bhandari | निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निवाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government | 200 | 5 | 2 | 8 | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निवाचित。 वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं: (i) वैभव ग्लोबल लि. (ii) एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of -3- years from 24.12.2011 to 23.12.2014. He is also a Director on the Board of: (i) Vaibhav Global Ltd. (ii) Asian Hotels (West) Ltd.. |



| क्रम सं. Sr. No. | नाम Name | पदनाम Position Held | 31.3.2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2014 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank | बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank | अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies | टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्त का स्वरूप) (31.03.2014 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2014) |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|--|
| 10 | श्री राजीब सेखर साहू Shri Rajib Sekhar Sahoo | निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government | 200 | 7 | 5 | 9 | <p>बैंककारी कम्पनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) आधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा 24.12. 2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित। वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं: (i) एनटीपीसी लि. (ii) टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लि. (iii) हिन्दुस्तान जिंक लि. (iv) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (v) ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि.</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014. He is also a Director on the Board of: (i) NTPC Ltd. (ii) Tehri Hydro. Development Corporation India Ltd. (THDC) (iii) Hindustan Zinc Ltd. (iv) Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (v) Odisha State Civil Supplies Corporation Ltd.</p> |



2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति

श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.08.2013 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में 31.12.2016 तक अथवा अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।

डॉ. के. पी. कृष्णन, आईएएस, दिनांक 19.02.2014 से श्री आलोक निगम, आईएएस के स्थान पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित।

श्री सुधीर कुमार जैन, पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त तथा सिंडीकेट बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री अजय माथुर, अंशकालिक अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक अपना कार्यकाल समाप्त होने पर 04.05.2013 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी, अंशकालिक अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक अपना कार्यकाल समाप्त होने पर 30.08.2013 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री वी. बी. चक्खाण, अंशकालिक अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक अपनी आयु होने पर 31.01.2014 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

श्री आलोक निगम, आईएएस, अशासकीय निदेशक / गैर कार्यपालक निदेशक उनके स्थान पर डॉ. के. पी. कृष्णन, आईएएस का नामांकन होने के कारण 18.02.2014 से निदेशक के रूप में नहीं रहे।

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मण्डल की -20- बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम -6- बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year

Shri Bhuvanachandra B. Joshi appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 05.08.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970, to hold office up to 31.12.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Dr. K. P. Krishnan, IAS, nominated as a non executive Director, representing Government of India, w.e.f. 19-02-2014, vice Shri Alok Nigam, IAS.

Shri Sudhir Kumar Jain appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) ceased to be a Director with effect from 08.07.2013 on his elevation as Chairman and Managing Director of Syndicate Bank.

Shri Ajay Mathur, a part time non- official Director/Non executive director, ceased to be a Director with effect from 04.05.2013 on completion of his term.

Shri Satya Dev Tripathi, a part time non- official Director/ non executive director ceased to be a Director with effect from 30.08.2013 on completion of his term.

Shri V.B. Chavan, a part time non- official Director / Non executive director ceased to be a Director with effect from 31.01.2014 on attaining the age of superannuation.

Shri Alok Nigam, IAS, a part time non- official Director/ Non executive director ceased to be a Director with effect from 18.02.2014 on the nomination of **Dr. K.P. Krishnan**, IAS, in his place.

2.3 Board Meetings

During the Financial Year 2013-14, twenty Board Meetings were held on the following dates as against minimum of six meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 05.04.13 | 06.04.13 | 29.04.13 | 12.05.13 | 13.05.13 |
| 26.06.13 | 20.07.13 | 31.07.13 | 01.08.13 | 31.08.13 |
| 28.09.13 | 10.10.13 | 30.10.13 | 31.10.13 | 03.12.13 |
| 15.01.14 | 05.02.14 | 06.02.14 | 02.03.14 | 03.03.14 |



निदेशक मण्डल की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया गया Meetings Attended |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| श्री एस.एस.मूँड़ा | Shri S. S. Mundra | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 20 |
| श्री पि.श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 20 |
| श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | 01.04.2013 to 08.07.2013 | 6 | 6 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 18 |
| श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | Shri Bhuvanchandra B. Joshi | 05.08.2013 to 31.03.2014 | 11 | 9 |
| श्री आलोक निगम | Shri Alok Nigam | 01.04.2013 to 18.02.2014 | 18 | 8 |
| डॉ. के. पी. कृष्णन | Dr. K.P. Krishnan | 19.02.2014 to 31.03.2014 | 2 | 0 |
| श्री सुदर्शन सेन | Shri Sudarshan Sen | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 16 |
| श्री विनिल कुमार सक्सेना | Shri Vinil Kumar Saxena | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 20 |
| श्री वी.बी.चहाण | Shri V.B. Chavan | 01.04.2013 to 31.01.2014 | 16 | 16 |
| श्री अजय माथुर | Shri Ajay Mathur | 01.04.2013 to 04.05.2013 | 3 | 3 |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी | Shri Satya Dev Tripathi | 01.04.2013 to 30.08.2013 | 9 | 9 |
| श्री मौलिन अरविंद वैष्णव | Shri Maulin Arvind Vaishnav | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 18 |
| श्री सुरेन्द्र एस.भण्डारी | Shri Surendra S. Bhandari | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 18 |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 20 | 19 |

2.4 आचार संहिता

निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबन्धन टीम, जिसमें सभी महाप्रबन्धक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 की अनुपालन में, आचार संहिता निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। उक्त आचार संहिता बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी देखी जा सकती है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक वडोदरा में गुरुवार, 26 जून, 2013 को आयोजित हुई थी, जिसमें निम्न लिखित निदेशक उपस्थित थे।

2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code.

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Wednesday, 26th June, 2013 at Vadodara, where the following Directors were present.

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1. श्री एस.एस.मूँड़ा | Shri S. S. Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | Chairman and Managing Director |
| 2. श्री पि.श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | कार्यपालक निदेशक | Executive Director |
| 3. श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | निदेशक | Executive Director |
| 4. श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | निदेशक | Executive Director |
| 5. श्री आलोक निगम | Shri Alok Nigam | निदेशक | Director- (Non- Executive) GOI Nominee |
| 6. श्री विनिल कुमार सक्सेना | Shri Vinil Kumar Saxena | निदेशक (अध्यक्ष - एसीबी) | Director - (Non- Executive)-Representing Workmen |
| 7. श्री वी. बी. चहाण | Shri V.B. Chavan | निदेशक | Director - (Non- Executive) –Representing Officer Employee |
| 8. श्री सत्य देव त्रिपाठी | Shri Satya Dev Tripathi | निदेशक | Director (Non- Executive) |
| 9. श्री मौलिन अरविंद वैष्णव | Shri Maulin Arvind Vaishnav | निदेशक - (गैर कार्यपालक) शेयर धारकों के प्रतिनिधि | Director - (Non- Executive) – Representing Shareholders |
| 10. श्री एस.एस. भण्डारी | Shri Surendra S. Bhandari | निदेशक - (गैर कार्यपालक) शेयर धारकों के प्रतिनिधि | Director – (Non- Executive) -Representing Shareholders |
| 11. श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | निदेशक एवं अध्यक्ष - लेखा परीक्षण समिति - शेयर धारकों के प्रतिनिधि (गैर कार्यपालक) | Director & Chairman Audit Committee - Representing Shareholders (Non-Executive) |



4. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति/उपसमिति

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया हैं। निदेशक मण्डल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नानुसार हैं:

- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)
- निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति (सीएसीबी)
- शेयर/ बांड अंतरण समिति
- बोर्ड की आस्ति देयता प्रबन्धन तथा जोखिम प्रबन्धन उपसमिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- निदेशकों की समिति
- बड़ी राशि की थोखाथड़ी सम्बन्धी समिति
- निदेशक मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति सम्बन्धी समिति
- निदेशक मण्डल की मानव संसाधन सम्बन्धी संचालन सम्बन्धी समिति
- वसूली निगरानी समिति
- शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को समर्थन देने संबंधी समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)

बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खण्ड 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूँजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशक (गण) और धारा 9(3) (सी) एवं 9(3) (जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना इस प्रकार है।

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (i) श्री एस.एस.मूंदडा | - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| (ii) श्री पि.श्रीनिवास | - कार्यपालक निदेशक |
| (iii) श्री रंजन धवन | - कार्यपालक निदेशक |
| (iv) श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | - कार्यपालक निदेशक |
| (v) श्री सुदर्शन सेन | - निदेशक (गैर कार्यपालक) |
| (vi) श्री विनिल कुमार सक्सेना | - निदेशक (गैर कार्यपालक) |
| (vii) श्री राजीब सेखर साहू | - निदेशक (गैर कार्यपालक) |
| (viii) श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी | - निदेशक (गैर कार्यपालक) |

4. COMMITTEE / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under :

- Management Committee of the Board (MCB)
- Credit Approval Committee of the Board (CACB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Shareholders' / Investors' Grievances Committee
- Share /Bond Transfer Committee
- Sub Committee of the Board on ALM & Risk Management
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Committee of Directors
- Committee on High Value Frauds
- IT Strategy Committee of the Board
- Steering Committee of the Board on HR
- Committee for Monitoring of Recovery
- Committee to Support Candidates for Election of Shareholder Directors

4.1 Management Committee of the Board (MCB)

In pursuance of Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| (i) Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (iv) Shri Bhuvanachandra B.Joshi | - Executive Director |
| (v) Shri Sudarshan Sen | - Director (Non- Executive) |
| (vi) Shri Vinil Kumar Saxena | - Director (Non- Executive) |
| (vii) Shri Rajib Sekhar Sahoo | - Director (Non- Executive) |
| (viii) Shri Surendra Singh Bhandari | - Director (Non- Executive) |



वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमबीबी) की निम्नांकित तारीखों को 24 बैठकें आयोजित हुई-

During the Financial Year 2013-14, the Management Committee of the Board (MCB) met on twenty four times on the following dates:

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 05.04.13 | 29.04.13 | 12.05.13 | 22.05.13 | 10.06.13 |
| 21.06.13 | 08.07.13 | 19.07.13 | 31.07.13 | 13.08.13 |
| 31.08.13 | 13.09.13 | 28.09.13 | 11.10.13 | 30.10.13 |
| 16.11.13 | 03.12.13 | 19.12.13 | 02.01.14 | 23.01.14 |
| 05.02.14 | 18.02.14 | 03.03.14 | 20.03.14 | |

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार हैं:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| श्री एस.एस.मूँदडा | Shri S.S. Mundra | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 24 | 24 |
| श्री पि.श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 24 | 23 |
| श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | 01.04.2013 to 08.07.2013 | 7 | 7 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 24 | 20 |
| श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | Shri Bhuvanchandra B. Joshi | 05.08.2013 to 31.03.2014 | 15 | 13 |
| श्री सुदर्शन सेन | Shri Sudarshan Sen | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 24 | 20 |
| श्री विनिल कुमार सक्सेना | Shri Vinil Kumar Saxena | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 12 | 10 |
| श्री अजय माथुर | Shri Ajay Mathur | 01.04.2013 to 04.05.2013 | 2 | 2 |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 18 | 18 |
| श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी | Shri Surendra S. Bhandari | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 17 | 15 |
| श्री वी.बी. चव्हाण | Shri V.B. Chavan | 01.04.2013 to 31.01.2014 | 12 | 12 |
| श्री मौलिन अरविंद वैष्णव | Shri Maulin Arvind Vaishnav | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 11 | 8 |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी | Shri Satya Dev Tripathi | 01.04.2013 to 30.08.2013 | 2 | 2 |

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (सीएसीबी)

भारत सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 13/1/2006 दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की शर्तों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी 2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) का गठन किया है। यह समिति रु. 400 करोड़ तक की राशि के ऋण अनुमोदन के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त अधिकारों से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों, जिन पर अब तक बोर्ड की प्रबन्धन समिति द्वारा विचार किया जाता है, के सम्बन्ध में अब बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 31 मार्च 2014 को इस समिति की संरचना इस प्रकार है:-

- (i) श्री एस.एस.मूँदडा - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
- (ii) श्री पि.श्रीनिवास - कार्यपालक निदेशक
- (iii) श्री रंजन धवन - कार्यपालक निदेशक
- (iv) श्री भुवनचंद्र बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- (v) श्री वी.के.गुप्ता - महाप्रबन्धक (कार्पो. खाते, काराधान एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)
- (vi) श्री राजेश महाजन - महाप्रबन्धक (जोखिम प्रबन्धन)
- (vii) महाप्रबन्धक गण - ऋण / ट्रेजरी कार्यों से सम्बद्ध

4.2 Credit Approval Committee of The Board (CACB)

In terms of Government of India Gazette Notification No.13/1/2006 dated 5th December, 2011, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board (CACB) on 27th February, 2012. The Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals upto Rs. 400.00 crores. The credit proposals which exceed the powers delegated to Chairman and Managing Director and which were hitherto considered by the Management Committee of the Board, will now be sanctioned by the CACB. The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- | | |
|----------------------------------|---|
| (i) Shri S.S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (iv) Shri Bhuvanchandra B. Joshi | - Executive Director |
| (v) Shri V.K. Gupta | - GM (Corp. A/cs, Taxation & Chief Financial Officer) |
| (vi) Shri Rajesh Mahajan | - General Manager (Risk Management) |
| (vii) General Managers | - Dealing with respective credit/treasury functions |



वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (एसीबी) की निम्नलिखित तारीखों पर -42- बैठकें हुईः

During the Financial Year 2013-14, the Credit Approval Committee of the Board (CACB) met twenty four times on the following dates:

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15.04.13 | 30.04.13 | 22.05.13 | 01.06.13 | 14.06.13 |
| 27.06.13 | 10.07.13 | 24.07.13 | 12.08.13 | 26.08.13 |
| 10.09.13 | 21.09.13 | 12.10.13 | 28.10.13 | 18.11.13 |
| 07.12.13 | 28.12.13 | 06.01.14 | 25.01.14 | 12.02.14 |
| 22.02.14 | 14.03.14 | 22.03.14 | 27.03.14 | |

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार हैः

The details of attendance of the Directors / Executives at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| नाम Name | निदेशक / कार्यपालक Director / Executive | बैठकों की संख्या Number of Meetings | बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended |
|--|---|--|--|
| श्री एस.एस. मूंदडा Shri S.S. Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director | 24 | 24 |
| श्री पि.श्रीनिवास Shri P. Srinivas | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 24 | 18 |
| श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 6 | 5 |
| श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 24 | 22 |
| श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuvanchandra B. Joshi | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 16 | 10 |
| श्री वी. के. गुप्ता Shri V.K. Gupta | कार्यपालक Executive | 24 | 18 |
| श्री राजेश महाजन Shri Rajesh Mahajan | कार्यपालक Executive | 24 | 23 |

4.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 6 निदेशक हैं। एक गैर कार्यपालक निदेशक, जोकि सनदी लेखाकार है, समिति के अध्यक्ष हैं।

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

| | |
|--------------------------|------------------|
| (i) श्री राजीब सेखर साहू | समिति के अध्यक्ष |
| (ii) श्री पि.श्रीनिवास | सदस्य |
| (iii) श्री रंजन धवन | सदस्य |
| (iv) श्री बी. बी. जोशी | सदस्य |
| (v) डॉ. के. पी. कृष्णन | सदस्य |
| (vi) श्री सुदर्शन सेन | सदस्य |

18.02.2014 से श्री आलोक निगम एसीबी के सदस्य नहीं रहे।

08.07.2013 से श्री सुधीर कुमार जैन एसीबी के सदस्य नहीं रहे।

04.05.2013 से श्री अजय माथुर एसीबी के सदस्य नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की -12- बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईः

4.3 Audit Committee of the Board (ACB)

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Six no.of Directors. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under :

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (i) Shri Rajib Sekhar Sahoo | - Chairman of the Committee |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Member |
| (iii) Shri Ranjan Dhawan | - Member |
| (iv) Shri B B Joshi | - Member |
| (v) Dr. K. P. Krishnan | - Member |
| (vi) Shri Sudarshan Sen | - Member |

Shri Alok Nigam ceased to be a member of ACB w.e.f. 18.02.2014.

Shri Sudhir Kumar Jain ceased to be a member of ACB w.e.f 08.07.2013

Shri Ajay Mathur ceased to be a member of ACB w.e.f 04.05.2013

During the Financial Year 2013-14, the Audit Committee of the Board (ACB) met on twelve times on the dates given below:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 23.04.2013 | 08.05.2013 | 12.05.2013 | 22.07.2013 | 31.07.2013 | 21.09.2013 |
| 28.09.2013 | 30.10.2013 | 03.12.2013 | 05.02.2014 | 03.03.2014 | 20.03.2014 |



निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| श्री अजय माथुर | Shri Ajay Mathur | 01.04.2013 to 04.05.2013 | 1 | 1 |
| श्री पि. श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 12 | 11 |
| श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | 01.04.2013 to 08.07.2013 | 3 | 3 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 12 | 11 |
| श्री आलोक निगम | Shri Alok Nigam | 01.04.2013 to 18.02.2014 | 10 | 4 |
| श्री सुदर्शन सेन | Shri Sudarshan Sen | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 12 | 11 |
| डॉ. के. पी. कृष्णन | Dr. K P Krishnan | 19.02.2014 to 31.03.2014 | 2 | 1 |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 12 | 11 |
| श्री बी. बी. जोशी | Shri B.B.Joshi | 05.08.2013 to 31.03.2014 | 7 | 6 |

लेखा परीक्षा समिति का अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा और प्रबन्धन को तत्सम्बन्धी संस्तुति करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है, जिसमें साठन, आंतरिक लेखा परीक्षा का परिचालन और उसका गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण कमियाँ और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करती है। यह बैंक की वित्तीय व जाखिम प्रबन्धन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करती है। यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करती है।

4.4 शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- (i) कार्यपालक निदेशक गण एवं
- (ii) दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक इसके सदस्य तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

The main functions of Audit Committee, inter-alia, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External auditors of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.4 Shareholders' / Investors' Grievances Committee

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Committee includes following members :

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Two Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.



31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| (i) श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी | समिति के अध्यक्ष |
| (ii) श्री पि. श्रीनिवास | सदस्य |
| (iii) श्री रंजन धवन | सदस्य |
| (iv) श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | सदस्य |
| (v) श्री राजीब सेखर साहू | सदस्य |

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईः

| 26.06.2013 | 30.08.2013 | 03.12.2013 | 02.03.2014 | The Committee met four times during the Financial Year 2013-14 on the following dates |
|--|------------|------------|------------|---|
| निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः | | | | |

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended |
|--|---|--------------------------|--|--|
| श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी समिति के अध्यक्ष | Shri Surendra Singh Bhandari - Chairman of the Committee | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 3 |
| श्री पि. श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |
| श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | 01.04.2013 to 08.07.2013 | 1 | 1 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 3 |
| श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | Shri Bhuvanchandra B.Joshi | 05.08.2013 to 31.03.2014 | 3 | 2 |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी | Shri Satya Dev Tripathi | 01.04.2013 to 30.08.2013 | 2 | 2 |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |

समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएँ। समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया हैः

| 01.04.2013 को बकाया Pending as on 01.04.2013 | वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year | वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year | 31.03.2014 को बकाया Pending as on 31.03.2014 |
|--|--|---|--|
| 19 | 27456 | 27465 | 10 |

वर्ष के दौरान बकाया सभी आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से सम्बन्धित अनुरोध पत्र थे तथा इसके संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं प्रक्रिया अधीन हैं।

श्री एम. एल. जैन, उप महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबन्ध के खण्ड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.5 शेयर /बांड अंतरण समिति

शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण से सम्बन्धित समिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशक गण, -2- मुख्य

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (i) Shri Surendra Singh Bhandari | Chairman of the Committee |
| (ii) Shri P. Srinivas | Member |
| (iii) Shri Ranjan Dhawan | Member |
| (iv) Shri Bhuvanchandra B. Joshi | Member |
| (v) Shri Rajib Sekhar Sahoo | Member |

The Committee met four times during the Financial Year 2013-14 on the following dates

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of -15- days of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

| 01.04.2013 को बकाया Pending as on 01.04.2013 | वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year | वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year | 31.03.2014 को बकाया Pending as on 31.03.2014 |
|--|--|---|--|
| 19 | 27456 | 27465 | 10 |

All the pending cases as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process.

Shri M. L. Jain, Deputy General Manager - Company Secretary & Compliance has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.5 Share/Bond Transfer Committee

Besides the Shareholders' / Investors' Grievances Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing



महाप्रबन्धक तथा उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक (विधि) इसके सदस्य हैं। 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों / बॉण्डों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की -58- बैठकें हुईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 04.04.2013 | 10-04-2013 | 17-04-2013 | 25-04-2013 | 02-05-2013 | 08-05-2013 |
| 15-05-2013 | 22-05-2013 | 31-05-2013 | 05-06-2013 | 13-06-2013 | 17-06-2013 |
| 18-06-2013 | 28-06-2013 | 04-07-2013 | 10-07-2013 | 16-07-2013 | 24-07-2013 |
| 01-08-2013 | 06-08-2013 | 07-08-2013 | 14-08-2013 | 22-08-2013 | 29-08-2013 |
| 04-09-2013 | 13-09-2013 | 19-09-2013 | 26-09-2013 | 04-10-2013 | 11-10-2013 |
| 18-10-2013 | 19-10-2013 | 23-10-2013 | 01-11-2013 | 07-11-2013 | 14-11-2013 |
| 21-11-2013 | 28-11-2013 | 02-12-2013 | 05-12-2013 | 13-12-2013 | 19-12-2013 |
| 27-12-2013 | 02-01-2014 | 10-01-2014 | 17-01-2014 | 21-01-2014 | 22-01-2014 |
| 30-01-2014 | 07-02-2014 | 13-02-2014 | 20-02-2014 | 28-02-2014 | 05-03-2014 |
| 07-03-2014 | 12-03-2014 | 21-03-2014 | 27-03-2014 | | |

4.6 आस्ति देयता प्रबन्धन एवं जोखिम प्रबन्धन पर निदेशक मण्डल की उपसमिति

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन किया है जो आस्ति देयता प्रबन्धन एवं जोखिम प्रबन्धन पर निदेशक मण्डल की उपसमिति के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित सम्पूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक समिति की अध्यक्षता करते हैं तथा 31 मार्च 2014 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|-------|----------------------------|---------|
| (i) | श्री एस.एस.मूदडा | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री पि.श्रीनिवास | सदस्य |
| (iii) | श्री रंजन धवन | सदस्य |
| (iv) | श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | सदस्य |
| (v) | श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी | सदस्य |

श्री सुधीर कुमार जैन 08.07.2013 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

श्री बी. बी. जोशी 05.08.2013 से समिति के सदस्य बने।

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

Director, Executive Directors, two Chief General Managers and Deputy/Assistant General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met on fifty eight times during the Financial Year 2013-14, on the following dates:

4.6 Sub Committee of the Board on ALM & Risk Management:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and Managing Director and its composition as on 31st March, 2014 is as under: :

| | | |
|-------|------------------------------|----------|
| (i) | Shri S. S. Mundra | Chairman |
| (ii) | Shri P. Srinivas | Member |
| (iii) | Shri Ranjan Dhawan | Member |
| (iv) | Shri Bhuvanachandra B. Joshi | Member |
| (v) | Shri Surendra S. Bhandari | Member |

Shri Sudhir Kumar Jain ceased to be member of the committee w.e.f. 08-07-2013.

Shri B.B. Joshi joined the committee w.e.f. 05-08-2013

The Committee met four times during the Financial Year on the following dates:

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 21.06.13 | 13.09.13 | 20.12.13 | 26.03.14 |
|----------|----------|----------|----------|



निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| श्री एस.एस.मूंदडा | Shri S. S. Mundra | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |
| श्री पि.श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 2 |
| श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | 01.04.2013 to 08.07.2013 | 1 | 1 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |
| श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | Shri Bhuwanchandra B. Joshi | 05.08.2013 to 31.03.2014 | 3 | 3 |
| श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी | Shri Surendra S. Bhandari | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबन्धन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबन्धन ढाँचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखा परीक्षा शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है और बैंक की सुरक्षा पर ध्यान देना है।

4.7 ग्राहक सेवा समितियां

(क) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो "ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च 2014 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

| | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| (i) | श्री एस.एस.मूंदडा | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| (ii) | श्री पि.श्रीनिवास | कार्यपालक निदेशक |
| (iii) | श्री रंजन धवन | कार्यपालक निदेशक |
| (iv) | श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | कार्यपालक निदेशक |
| (v) | श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव | निदेशक (गैर कार्यपालक) |

श्री सत्य देव त्रिपाठी 30.08.2013 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्नेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- (i) सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- (ii) अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- (iii) मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally and to look after the safety of the Bank..

4.7 Customer Service Committees

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March, 2014:-

| | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------|
| (i) | Shri S. S. Mundra | Chairman & Managing Director |
| (ii) | Shri P. Srinivas | Executive Director |
| (iii) | Shri Ranjan Dhawan | Executive Director |
| (iv) | Shri Bhuwanchandra B. Joshi | Executive Director |
| (v) | Shri Maulin Arvind Vaishnav | Director (Non-Executive) |

Shri Satya Dev Tripathi ceased to be a member of the Committee w.e.f. 30-08-2013

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- i. Oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services..
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Review the status of the number of deceased claims



वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईः

remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

During the Financial Year 2013-14, the Committee met four times on the following dates:

| 26.06.2013 | 30.08.2013 | 19.12.2013 | 02.03.2014 |
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|

निदेशकों का उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः

The details of attendance of the Directors are as under:

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure | बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| श्री एस.एस.मूंदडा | Shri S.S. Mundra | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |
| श्री पि. श्रीनिवास | Shri P.Srinivas | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |
| श्री सुधीर कुमार जैन | Shri Sudhir Kumar Jain | 01.04.2013 to 08.07.2013 | 1 | 1 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 3 |
| श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | Shri Bhuvanchandra B. Joshi | 05.08.2013 to 31.03.2014 | 3 | 3 |
| श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव | Shri Maulin Arvind Vaishnav | 01.04.2013 to 31.03.2014 | 4 | 4 |
| श्री सत्य देव त्रिपाठी | Shri Satya Dev Tripathi | 01.04.2013 to 30.08.2013 | 2 | 2 |

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के तीनों कार्यपालक निदेशक, -4- महाप्रबन्धक तथा -3- अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं।

इस समिति का गठन विशेष रूप से जन समान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बैंचमार्क (ii) आवधिक प्राप्ति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) क्रमिक आधार पर परिवर्तन को सुचारू बनाने के लिए समुचित सुझाव देने हेतु किया गया है।

(ब) Standing Committee on Customer Service

Besides, the Sub-Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having three other eminent public personalities as members along with three Executive Directors and four General Managers of the Bank, as per the guidelines of Reserve Bank of India.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timelines and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

4.8 Remuneration Committee

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of Intent (SOI) on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/paid during the year.

The committee was reconstituted w.e.f. 29-04-2013.

4.8 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005-बीओआई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन की घोषणा की। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बैंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता व मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय / अवार्ड की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

दिनांक 29.04.2013 को समिति का पुर्जाठन किया गया।



समिति की 31 मार्च, 2014 को संरचना इस प्रकार है-

- (i) डॉ. के. पी. कृष्णन *
- (ii) श्री सुदर्शन सेन
- (iii) श्री राजीब एस. साहू
- (iv) श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी

* 19.02.2014 से समिति सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 13.05.2013 को समिति की एक बार बैठक हुई। अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप समिति ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पूर्णकालिक निदेशकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने का निर्णय लिया।

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- (i) Dr. K.P. Krishnan*
- (ii) Shri Sudarshan Sen
- (iii) Shri Rajib S. Sahoo
- (iv) Shri Surendra Singh Bhandari

*joined w.e.f. 19-02-2014

During the Financial Year 2013-14, the Committee met once on 13.05.2013. In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives to the following Whole-time Directors as per details given below:

| क्र. सं Sr. No | नाम / Name | पद / Designation | राशि (₹) Amount (₹) |
|-------------------|--|---|------------------------|
| 1 | श्री एस. एस. मूंड़ा Shri S. S. Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director | 1,15,068.00 |
| 2 | श्री पि. श्रीनिवास Shri P. Srinivas | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 3,14,521.00 |
| 3 | श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 3,14,521.00 |
| 4 | श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 1,65,479.00 |

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयन हेतु यथोचित 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नामांकित समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र / और कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। उक्त दिशानिर्देशों की अनुपालना स्वरूप एक "नामांकन समिति" का गठन किया गया है।

समिति की 31 मार्च, 2014 को संरचना (पुर्नगठन के अधीन) इस प्रकार है:

- (i) श्री विनिल कुमार सक्सेना (और कार्यपालक निदेशक)

डॉ. के. पी. कृष्णन का नामांकन होने पर श्री आलोक निगम 18.02.2014 से समिति के सदस्य नहीं रहे। श्री वी. बी. चव्हाण और श्री सत्यदेव त्रिपाठी निदेशक मंडल में अपना कार्यकाल पूरा करने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 29.04.2013 को एक बैठक हुई। समिति ने 29.04.2013 को आयोजित बैठक में शेयर धारक निदेशकों के "फिट एण्ड प्रॉपर" स्टेटस की संवेद्धा की। समिति ने उन सब को "फिट एण्ड प्रॉपर" पाया।

4.10 निदेशकों की समिति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यों के उद्देश्य से किया गया है। यह समिति सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक

4.9 Nomination Committee

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 (under reconstitution) is as under:

- (i) Shri Vinil Kumar Saxena (Non- Executive Director)

Shri Alok Nigam ceased to be member of this committee w.e.f. 18.02.14 on the nomination of Dr. K.P. Krishnan. Shri V.B. Chavan and Shri Satyadev Tripathi ceased to be members of this committee on completion of their term on the Board of Directors.

During the Financial Year 2013-14, the Committee met once on 29.04.13. The Committee at its meeting held on 29.04.13 ascertained the "Fit & Proper" status of Shareholder Directors. The Committee found all of them "Fit and Proper".

4.10 Committee of Directors

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This



मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है।

31 मार्च, 2014 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री एस.एस.मूंदडा
- (ii) डॉ. के. पी. कृष्णन - भारत सरकार के नामित निदेशक*
- (iii) श्री सुदर्शन सेन - भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक

* 19.02.2014 से श्री आलोक निगम के स्थान पर निदेशक बने

समिति की वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार - 5 - बैठकें हुईं :

| | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 18.04.13 से 19.04.13 | 12.05.13 | 31.08.13 | 03.12.13 | 15.03.14 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Committee also deals with review of vigilance / non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- (i) Shri S. S. Mundra
- (ii) Dr. K.P. Krishnan-Nominee Director of GOI*
- (iii) Shri Sudarshan Sen –Nominee Director of RBI

*Joined w.e.f. 19-02-2014 in place of Shri Alok Nigam

The Committee met - 5 - times during the Financial Year 2013-14 on the following dates :

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended |
|---------------------|----------------------|---|---|
| श्री एस. एस. मूंदडा | Shri S.S. Mundra | 5 | 5 |
| श्री आलोक निगम | Shri Alok Nigam | 4 | 3 |
| श्री सुदर्शन सेन | Shri Sudarshan Sen | 5 | 5 |
| डॉ. के. पी. कृष्णन | Dr. K.P. Krishnan | 1 | 1 |

4.11 बड़ी राशि की धोखाधड़ी के बारे में समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ)नं.1004/23.04.01ए/ 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार हमारे बैंक में रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सबन्धी मामलों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ रु. 1.00 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामित है ताकि (क) धोखाधड़ी के आपाराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई / पुलिस जांच पट्टाल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्यवाही, यदि अपेक्षित हो, अविलम्ब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्यवाही की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना।

निदेशक मंडल के -5- सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित के अलावा निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्यों का समावेश है।

4.11 Committee on High Value Frauds

As per RBI circular no.RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004 a Special Committee of the Board for monitoring high value frauds of Rs.1.00 crore and above has been formed in our Bank.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee consists of five members of the Board of Directors: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.



31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- (i) श्री एस.एस.मूंदडा
- (ii) डॉ. के. पी. कृष्ण *
- (iii) श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव
- (iv) श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी
- (v) श्री राजीब सेखर साहू

* 19.02.2014 से श्री आलोक निगम के स्थान पर निदेशक बने

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -06- बैठकें आयोजित की गईः

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- (i) Shri S.S. Mundra
- (ii) Dr. K. P. Krishnan*
- (iii) Shri Maulin Arvind Vaishnav
- (iv) Shri Surendra Singh Bhandari
- (v) Shri Rajib Sekhar Sahoo

* Joined w.e.f. 19-02-2014 in place of Shri Alok Nigam

The Committee met six times during the Financial Year 2013-14 as per details below:

| 22.05.13 | 10.06.13 | 08.07.13 | 21.09.13 | 20.12.13 | 26.03.14 |
|---|-----------------------------|--|--|----------|----------|
| निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः | | The details of attendance of directors are as under: | | | |
| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended | | |
| श्री एस.एस.मूंदडा | Shri S.S. Mundra | 6 | 6 | | |
| श्री आलोक निगम | Shri Alok Nigam | 5 | 1 | | |
| श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव | Shri Maulin Arvind Vaishnav | 6 | 6 | | |
| श्री सुरेन्द्र एस. भंडारी | Shri Surendra S. Bhandari | 6 | 6 | | |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 6 | 5 | | |
| डॉ. के. पी. कृष्ण | Dr. K.P. Krishnan | 1 | 0 | | |

4.12 बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना सुरक्षा / इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन तथा साईबर फ्रांड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया जिसमें निम्न लिखित सदस्य शामिल हैंः

| क्र.सं. | नाम | पदनाम |
|---------|---------------------------|--|
| i. | श्री राजीब एस. साहू | समिति के अध्यक्ष |
| ii. | श्री पि. श्रीनिवास | कार्यपालक निदेशक |
| iii. | श्री रंजन धवन | कार्यपालक निदेशक |
| iv. | श्री बी. बी. जोशा | कार्यपालक निदेशक |
| v. | श्री मौलिन वैष्णव | निदेशक (गैर कार्यपालक) |
| vi. | श्री सुरेन्द्र एस. भंडारी | निदेशक (गैर कार्यपालक) |
| vii. | डॉ. दीपक बी. फाटक | बाह्य सू. प्रौ. विशेषज्ञ |
| viii. | श्री एस. एस. घाग | महाप्रबंधक (सूप्रौ एवं डीडब्ल्यूएच) बैठक के संयोजक |

इस समिति के संख्यात्मक स्वरूप (कोरम) में -3- सदस्य होंगे, जिनमें समिति अध्यक्ष, एक कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) तथा इन तीन सदस्यों में से एक सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, जोखिम प्रबन्धन व सायबर थोखाथड़ी संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार व्यापक आईटी विशेषज्ञता वाला होना चाहिए। यह समिति अन्य बोर्ड समिति तथा वरिष्ठ प्रबन्धन के साथ कार्य करते हुए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति के कार्यों की समीक्षा करेगी ताकि कार्पोरेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों में परस्पर तालमेल, समीक्षा एवं सुधार किया जा सके।

4.12 IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee, comprising the following members

| Sr.No. | Name | Designation |
|--------|-------------------------------|--|
| i. | Shri Rajib S. Sahoo | Chairman of the Committee |
| ii. | Shri P. Srinivas | Executive Director |
| iii. | Shri Ranjan Dhawan | Executive Director |
| iv. | Shri B. B. Joshi | Executive Director |
| v. | Shri Maulin Vaishnav | Director (Non-Executive) |
| vi. | Shri. Surendra Singh Bhandari | Director (Non-Executive) |
| vii. | Dr. Deepak B. Phatak | External IT Expert |
| viii. | Shri S. S. Ghag | General Manager (IT & DWH) – Convenor of the meeting |

The quorum of the Committee is three members comprising Chairman of the Committee, one Executive Director and General Manager(IT) and out of three members, one member should have substantial IT expertise as per the recommendation of the RBI (Reserve Bank of India) Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds. The Committee shall oversee the functions of IT Steering committee of the Bank, besides working in partnership with other Board Committee and Senior Management to provide input, review and amend the aligned corporate and IT strategies.





वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -03-बैठकें आयोजित की गईः

The Committee met three times during the Financial Year 2013-14 as per the details below:

| 13.08.2013 | 19.12.2013 | 20.03.2014 | |
|---|-------------------------------|--|--|
| निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः | | The details of attendance of directors are as under: | |
| नाम | Name | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया Meetings Attended |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 3 | 3 |
| श्री पि. श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 3 | 3 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 3 | 3 |
| श्री बी. बी. जोशी | Shri B. B. Joshi | 3 | 3 |
| श्री मौलिन वैष्णव | Shri Maulin Vaishnav | 1 | 1 |
| श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी | Shri. Surendra Singh Bhandari | 1 | 0 |
| डॉ. दीपक बी. फाटक | Dr. Deepak B. Phatak | 3 | 2 |

4.13 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

खंडेलवाल समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के अनुरूप 21 अक्टूबर, 2011 को संप्रेषित सन्देश में जानकारी दी गई कि मानव संसाधन मामलों पर बोर्ड की एक संचालन समिति का गठन किया जाए जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों के अलावा सरकार की ओर से निदेशक तथा दो प्रबुद्ध मानव संसाधन से जुड़े पेशेवर व्यक्ति शामिल होंगे। तदनुसार बैंक ने दिनांक 27 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में मानव संसाधन पर एक संचालन समिति का गठन किया है जो कि मानव संसाधन से जुड़े मसलों का समाधान करेगी। इस समिति में 31 मार्च, 2014 को निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः

| क्र. | नाम | पदनाम |
|------|----------------------|----------------------------|
| 1. | श्री एस.एस. मूंड़ा | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| 2. | श्री पि. श्रीनिवास | कार्यपालक निदेशक |
| 3. | श्री रंजन धवन | कार्यपालक निदेशक |
| 4. | श्री बी. बी. जोशी | कार्यपालक निदेशक |
| 5. | डॉ. के. पी. कृष्णन * | सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| 6. | डॉ. दीपक फाटक | प्रोफेसर, आईआईटी, मुम्बई |
| 7. | डॉ आशा भंडारकर | प्रोफेसर, एमडीआई, गुडगांव |

* श्री आलोक निगम के स्थान पर 19.02.2014 को समिति के सदस्य बने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की एक बैठक 09 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई जिसमें श्री रंजन धवन के अलावा सभी सदस्यों ने भाग लिया। इसमें श्री आलोक निगम, सरकार द्वारा नामित निदेशक ने वीडियो कानेक्रेसिंग के माध्यम से भाग लिया।

4.14 वसूली की मॉनीटरिंग के लिए समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.7/112/2012-बीओए दिनांक 21 नवम्बर, 2012 के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूली के लिए सुदृढ़ व्यवस्था रखने के क्रम में बोर्ड को एक समिति गठित करने की आवश्यकता है जिसमें अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा

4.13 Steering Committee of the Board on HR

As per the recommendations of the Khandelwal Committee, Ministry of Finance, Government of India, vide its communication dated 21st October, 2011, conveyed that a Steering Committee of the Board on HR issues to be constituted with Government Director and two outstanding HR professionals, apart from Chairman and Managing Director and Executive Directors. Accordingly, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, had constituted a Steering Committee of the Board on HR to deal with the matters related to Human Resources. The Committee as on 31st March 2014, comprises of the following members:

| Sr. No. | Name | Designation |
|---------|---------------------|------------------------------|
| (i) | Shri S. S. Mundra | Chairman & Managing Director |
| (ii) | Shri P. Srinivas | Executive Director |
| (iii) | Shri Ranjan Dhawan | Executive Director |
| (iv) | Shri B. B. Joshi | Executive Director |
| (v) | Dr. K. P. Krishnan* | Government Nominee Director |
| (vi) | Dr. Deepak Phatak | Professor, IIT, Mumbai |
| (vii) | Dr. Asha Bhandarkar | Professor, IMI, New Delhi |

*joined w.e.f. 19-02-2014 in place of Shri Alok Nigam

During the Financial Year 2013-14, the Committee met on 09th October'2013. All members attended the meeting except Shri Ranjan Dhawan. Shri Alok Nigam, Govt. nominee director attended the meeting through video conference.

4.14 Committee For Monitoring of Recovery

In terms of the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide letter no. F.No.7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012 in order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Board constituted a committee of the Board, consisting of the Chairman & Managing Director, Executive



सरकार द्वारा नामित निदेशक होंगे जो वसूली की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखेंगे।

बैंक ने 29 नवम्बर, 2012 को आयोजित बोर्ड की बैठक में वसूली की मॉनीटरिंग के लिए समिति का गठन किया।

31.03.2014 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- (i) श्री एस.एस.मूंदडा - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
- (ii) श्री पि.श्रीनिवास - कार्यपालक निदेशक
- (iii) श्री रंजन धवन - कार्यपालक निदेशक
- (iv) श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- (v) डॉ. के. पी. कृष्णन - भारत सरकार द्वारा नामित गैर कार्यपालक निदेशक

समिति की बैठक 06 अप्रैल 2013, 05 जून 2013, 21 सितंबर 2013, 03 दिसंबर 2013 और 15 मार्च 2014 को आयोजित की गई।

निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

Directors and Government Nominee Director, to monitor the progress in recovery on regular basis.

The Bank at its Board meeting held on 29th November, 2012 constituted the Committee for Monitoring of Recovery.

The composition of the committee as on 31st March, 2014 is as under:

- | | |
|--------------------------|--|
| (i) Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (iv) Shri B.B.Joshi | - Executive Director |
| (v) Dr. K.P.Krishnan | - Non-Executive Director, Government Nominee |

This committee met on 6th April 2013, 5th June 2013, 21st September 2013, 3rd December 2013 & 15th March, 2014

The details of attendance of directors are as under:

| नाम | Name | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया |
|--------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
| श्री एस.एस.मूंदडा | Shri S. S. Mundra | 5 | 5 |
| श्री पि.श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 5 | 4 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 5 | 5 |
| श्री बी. बी. जोशी | Shri B. B. Joshi | 3 | 2 |
| श्री आलोक निगम | Shri Alok Nigam | 4 | 4 |
| डॉ. के. पी. कृष्णन | Dr. K. P. Krishnan | 1 | 1 |

4.15 शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन से संबंधित समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.16/112/2012-बीओ-आई दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कार्यपालियों जिनमें हमारा बैंक समान शेयर धारक है, में शेयर धारकों निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहयोग देने के प्रयोजन से निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की समिति का गठन किया गया:

31.03.2014 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- (i) श्री एस.एस.मूंदडा - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
- (ii) श्री पि.श्रीनिवास - कार्यपालक निदेशक
- (iii) श्री रंजन धवन - कार्यपालक निदेशक
- (iv) श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- (v) श्री राजीब सेखर साहू - निदेशक (गैर कार्यपालक)

4.15 COMMITTEE TO SUPPORT CANDIDATES FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

In terms of the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, vide letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012, a committee of the Board, for supporting candidates for election of Share Holder Directors in Financial Institutions and Public sector Insurance Companies in which our Bank has equity shareholding was constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (i) Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (iv) Shri B. B. Joshi | - Executive Director |
| (v) Shri Rajib Sekhar Sahoo | - Director (Non executive) |



वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की एक बैठक 19.07.2013 को आयोजित हुई।

निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The Committee met once on 19-07-2013 during the F.Y. 2013-14.

The details of attendance of directors are as under :

| निदेशक का नाम | Name of the Director | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| श्री एस. एस. मूंदडा | Shri S. S. Mundra | 1 | 1 |
| श्री पि. श्रीनिवास | Shri P. Srinivas | 1 | 1 |
| श्री रंजन धवन | Shri Ranjan Dhawan | 1 | 1 |
| श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 1 | 1 |

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तथा कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन का भुगतान:

5. REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman and Managing Director and Executive Directors (Four whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary paid during the Financial Year 2013-14:

| क्र. सं. Sr. No | नाम / Name | पदनाम / Designation | Amount (₹) |
|--------------------|--|---|------------|
| 1 | श्री एस.एस.मूंदडा Shri S. S. Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director | 25,12,899 |
| 2 | श्री पि.श्रीनिवास Shri P. Srinivas | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 16,96,000 |
| 3 | श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain | कार्यपालक निदेशक Executive Director (upto 08-07-2013) | 4,53,104 |
| 4 | श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 17,47,958 |
| 5 | श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuvanchandra B. Joshi | कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 05-08-2013) | 10,94,767 |



(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान

B. Performance Linked Incentives paid during 2013-14:

| क्र. सं. Sr. No. | नाम / Name | पदनाम / Designation | Amount (₹) |
|---------------------|--|---|-------------|
| 1 | श्री एस. सुंदरा Shri S.S. Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director | 1,15,068.00 |
| 2 | श्री पि. श्रीनिवास Shri P. Srinivas | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 3,14,521.00 |
| 3 | श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain | कार्यपालक निदेशक (8 जुलाई 2013 तक) Executive Director (upto 8 th July 2013) | 3,14,521.00 |
| 4 | श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 1,65,479.00 |

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (सरकारी दिशा निर्देशों के साथ पठित) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है। (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है)

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with government guidelines, during the Year 2013-14 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and directors representing Government of India & RBI):

| क्र. सं. Sr. No. | निदेशक का नाम | Name of the Director | भुगतान की गई राशि (₹.) Amount Paid in ₹ |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| 1 | श्री विनिल कुमार सक्सेना | Shri Vinil Kumar Saxena | 2,55,000.00 |
| 2 | श्री वी.बी.चव्हाण | Shri V.B. Chavan | 2,25,000.00 |
| 3 | श्री अजय माथुर | Shri Ajay Mathur | 45,000.00 |
| 4 | श्री सत्य देव त्रिपाठी | Shri Satya Dev Tripathi | 1,25,000.00 |
| 5 | श्री मौलिन अरविंद वैष्णव | Shri Maulin Arvind Vaishnav | 2,75,000.00 |
| 6 | श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी | Shri Surendra Singh Bhandari | 3,25,000.00 |
| 7 | श्री राजीब सेखर साहू | Shri Rajib Sekhar Sahoo | 4,00,000.00 |

6. सामान्य सभा की बैठकें

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

| Nature of Meeting | दिनांक एवं समय Date & Time | स्थान Venue | प्रयोजन Purpose |
|--|--|--|---|
| 15 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 15th Annual General Meeting | 04 जुलाई, 2011 प्रातः 10.30 बजे 04th July, 2011 at 10.30 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008)टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीर्फी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 | बैंक के 31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना। To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2011 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2010-11. |



| बैठक का स्वरूप Nature of Meeting | दिनांक एवं समय Date & Time | स्थान Venue | प्रयोजन Purpose |
|---|--|---|--|
| असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting | 23 दिसंबर, 2011 प्रातः 10.00 बजे 23 rd December, 2011 at 10.00 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बङ्डौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008)टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020 | सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को रु. 775 करोड़ के इक्विटी शेयर / वारंट जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन लेना तथा बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) ऑपेरेनियम, 1970 के धारा 9(3)(i) एवं बैंक ऑफ बङ्डौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 की अनुपालना में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करना। To seek approval of the shareholders for issuing and to allot equity shares/warrants, aggregating to Rs.775 crores to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and to elect THREE Shareholder Directors of the Bank amongst shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998. |
| असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting | 27 मार्च, 2012 प्रातः 10.00 बजे 27 th March, 2012 at 10.00 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बङ्डौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008)टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 | सेबी पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को तथा / अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं / स्युचुअल फंडों के लिए 1,95,77,304 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना। To seek approval of the shareholders for issuing and to allot upto 1,95,77,304 equity shares to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC)/Mutual Funds on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009. |
| 16 वी वार्षिक सामान्य बैठक 16 th Annual General Meeting | 28 जून, 2012 प्रातः 10.30 बजे 28 th June, 2012 at 10.30 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बङ्डौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008)टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020 | बैंक के 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निवेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश घोषित करना To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31 st March 2012, Profit and Loss Account for the year ended 31 st March 2012 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2011-12. |
| असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting | 11 मार्च, 2013 प्रातः 10.30 बजे 11 th March, 2013 at 10.30 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बङ्डौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008)टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020 | सेबी पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 1,01,32,920 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना। To seek approval of the shareholders for issuing and to allot upto 1,01,32,920 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009. |



| बैंक का स्वरूप Nature of Meeting | दिनांक एवं समय Date & Time | स्थान Venue | प्रयोजन Purpose |
|--|---|--|---|
| 17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 17 th Annual General Meeting | 26 जून, 2013 प्रातः 10.30 बजे 26 th June, 2013 at 10.30 a.m. | सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बडौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 | बैंक के 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित करना। To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31 st March 2013, Profit and Loss Account for the year ended 31 st March 2013 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2012-13. |
| असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting | 15 जनवरी, 2014 प्रातः 10.00 बजे 15 th January, 2014 at 10.00 a.m. | सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बडौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1 एफ.पी. 549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 | सेबी पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 81,58,784 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना। To seek approval of the shareholders for issuing and to allot upto 81,58,784 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009. |

7. प्रकटीकरण

- (क) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों का प्रकटीकरण खातों पर टिप्पणियाँ शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।
- (ख) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भत्सना की गई है।
- (ग) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2014 को निदेशकों के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है।

8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबन्धित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7. DISCLOSURES

- a) The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts.
- b) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- c) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter-se as on 31st March 2014.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.





गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

| क्रम सं. Sr. No. | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements | कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation |
|---------------------|--|---|
| 1 | अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कम्पनी के खर्च पर करेंगे। Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense. | लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है। Not Applicable, since the Chairman's position is Executive. |
| 2 | निदेशक मण्डल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यपालक निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज सम्बन्धी कम्पनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी। Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors. | लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive for executive directors in terms of guidelines issued by the Central Government. |
| 3 | गत -6- माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यान्वयन की छामाही घोषणा शेयरधारकों को भेजी जाए। Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders. | 30.09.2013 को समाप्त छामाही के लिए बैंक ने गत -6- माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यान्वयन का छामाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है। इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की बोर्साईट पर डाले जाते हैं। The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2013 including summary of significant developments during last six months to each shareholder by post / e-mail. The financial results are also posted on Bank's website |
| 4 | कम्पनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। Company may move towards regime of unqualified financial statements. | बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई कदम उठाए हैं। The Bank has already initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements and there is no qualification in Auditors report of the Bank. |
| 5 | कंपनी निदेशक मण्डल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और निदेशक मण्डल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कम्पनी के व्यावसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करें। Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them. | बैंक ने निदेशक मण्डल के सदस्यों को निर्वहन के लिए कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ अचार सहित की सम्पूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है। बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई आयडीआरबीटी, हैदराबाद तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., मुम्बई पर प्रशिक्षण हेतु नामित करता है। A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Learning of RBI, Mumbai, IDRBT, Hyderabad and National Stock Exchange of India Ltd., Mumbai. |
| 6 | निदेशक मण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने हैं तथा चयनित / नामित निदेशकों पर बैंककारी कम्पनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं। The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors. | भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया था तथा चयनित / नामित निदेशकों पर बैंककारी कम्पनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं। A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit & proper status. |
| 7 | कम्पनी अनैतिक व्यवहार, गास्त्रिक अथवा सन्देहास्पद धोखाधड़ी आदि के सन्दर्भ में प्रबन्धन की चिताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (बिसल लोअर) नीति बनाए। The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc. | बैंक जनहित प्रकटीकरण तथा सुचना प्रदाताओं के संरक्षण प्रस्ताव (पीआईडीपीआई) के तहत बिसल लोअर शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त बैंक की अपनी कोई बिसल लोअर नीति नहीं है। Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Apart from that Bank does not have any Whistle Blower Policy of its own. |

9. संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुपोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत

9. MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting



किया जाता है जहाँ पर बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं। ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहाँ बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉफ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दिए गए प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की बेबसाईट <http://www.bankofbaroda.com>. पर उपलब्ध रहते हैं। एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के बेबकास्ट (सीधा प्रसारण और संगृहित) को देखने हेतु बेबसाईट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है।

10. कार्पोरेट गवर्नेंस के तहत पर्यावरण उपाय

- (क) सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार के पास जिसका पता इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, के पास पंजी कृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, सम्प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें।
- (ख) कि वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी सम्बद्धित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें।

11. पारदर्शिता और अनुपालन अधिकारी

निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य हमारे बैंक के कार्पोरेट मेकेनिज्म के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकटीकरण एवं अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और भी व्यापक बनाते हैं::

11.1 पारदर्शिता अधिकारी

केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार बैंक ने फरवरी 2011 से अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यह पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- लोक प्राधिकारियों के ब्यौरे से सम्बद्ध सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की स्थिति की संवीक्षा करना और उसमें हुई प्रगति से उच्च प्रबन्धन को अवगत करना।
- आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में प्रगति के विषय में सीआईसी के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा किए गए आरटीआई अनुरोधों के सम्बन्ध में सकारात्मक और समय पर उत्तर देने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्रदान करना।
- आरटीआई से सम्बद्ध सभी मापलों में जनता के लिए एक सम्पर्क बिन्दु बनाना।

बैंक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी बेबसाईट पर अपलोड की गई है और यह जानकारी समय समय पर अद्यतन की जाती है।

11.2 अनुपालन संबंधी कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2007 से अनुपालन विभाग की स्थापना की गई है। यह विभाग विभिन्न विद्युतीय संस्थाओं और बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम आदि में उल्लिखित विविध सांविधिक प्रावधानों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है, साथ ही, समय समय पर जारी किए गए अन्य नियंत्रक दिशानिर्देशों, भारतीय बैंकिंग सन्हिताओं एवं मानक बोर्ड द्वारा नियंत्रित किए गए मानकों एवं संहिताओं, भारतीय बैंक

approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news portals are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also available in the website for 30 days.

10. GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE:

- a. the shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail.
- b. the shareholders holding shares in Demat form are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant for the above purpose.

11. TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further following additional functions also enhance Bank's commitment to more & more disclosures and compliance under corporate Governance mechanism of our Bank.

11.1 Transparency Officer

As per the directions of Central Information Commissioner (CIC), Bank has appointed one of the Senior Officer as Transparency Officer since February 2011. The Transparency Officer is responsible for the following.

- To oversee the implementation of the Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the CIC regarding the progress in implementation of RTI Act.
- Help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI-request by Central Public Information Officers (CPIOs), deemed-CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI-related matters.

The Bank has uploaded all the information as directed in the specified format on website and this information is updated from time to time.

11.2 Compliance Function

The compliance department is set up since 2007 as per RBI directions. The department is ensuring strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc. as well as to ensure observance of other regulatory guidelines issued from time to time; standards and codes prescribed by Banking Codes & Standards Board of India, IBA, Foreign





संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेदाई), फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरीइवेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए), केवायसी मानदंडों / दिशानिर्देशों का तथा प्रत्येक बैंक की आंतरिक नीतियों एवं उचित व्यवहार सहिता का भी अनुपालन सुनिश्चित करता है। अनुपालन कानूनों, नियम एवं मानकों में सामान्यतया बाजार व्यवहारों के समुचित मानकों का अनुपालन, परस्पर मतभेदों को सुलझाते हुए हितों की सुरक्षा, ग्राहकों से समुचित व्यवहार करना एवं ग्राहक परामर्श की समुचितता सुनिश्चित करने जैसे मामलों का समावेश होता है।

12. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

फिरोज जीजीभाई टावर्स, 25वां तल,

दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,

मुंबई 400 001

बीएसई कोड : 532134

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि।

“एक्सचेंज प्लाजा”

बांद्रा-कूला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051

एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

12.1. प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास अपने शेयर को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2014 को बैंक के पास प्रत्यक्ष एवं अभौतिक रूप में धारित इक्विटी शेयर निम्नानुसार हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

| धारिता का स्वरूप | Nature of Holding | मामले / Cases | शेयर / Shares | प्रतिशत / Percentage |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| भौतिक | PHYSICAL | 48761 | 7599869 | 1.77 |
| एनएसडीएल | NSDL | 95867 | 176411668 | 41.08 |
| सीडीएसएल | CDSL | 35748 | 245403550 | 57.15 |
| कुल | Total: | 180376 | 429415087 | 100.00 |

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में 27,38,300 इक्विटी शेयर जब किए गए जिनमें से 31 मार्च, 2014 तक 4800 इक्विटी शेयर (एन्यूल्ड) अभिशुन्य किए गए।

12.2: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस)

राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) भुगतान का एक आधुनिक तरीका है जिसमें लाभांश / व्याज इत्यादि की राशियाँ सम्बन्धित निवेशकों के बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती हैं। बैंक ने अपने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल ईसीएस सुविधा के तहत कवर सभी केन्द्रों पर उपलब्ध इस सुविधा का इस्तेमाल करने के विकल्प के साथ सेवाएं पेश की हैं।

एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

Exchange Dealers Association of India (FEDAI), Fixed Income Money Market Derivatives Association of India (FIMMDDA), KYC Norms/ Guidelines and also our bank's internal policies and fair practices code. Compliance laws, rules and standards generally cover matters such as observing proper standards of market conduct, managing conflicts of interest, treating customers fairly, and ensuring the suitability of customer advice.

12. SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001
BSE CODE : 532134

National Stock Exchange of India Ltd.,
“Exchange Plaza”
Bandra Kurla Complex,
Bandra,(East),
Mumbai - 400 051
NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

12.1: Dematerialization of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2014 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below.

| धारिता का स्वरूप | Nature of Holding | मामले / Cases | शेयर / Shares | प्रतिशत / Percentage |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| भौतिक | PHYSICAL | 48761 | 7599869 | 1.77 |
| एनएसडीएल | NSDL | 95867 | 176411668 | 41.08 |
| सीडीएसएल | CDSL | 35748 | 245403550 | 57.15 |
| कुल | Total: | 180376 | 429415087 | 100.00 |

The Bank had forfeited 27,38,300 equity share in the year 2003 and out of the same 4800 equity shares were annulled up to 31st March 2014.

12.2: National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS facility.

The NECS/ Direct Credit mandate form is appended with the Annual Report.



12.3: शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों का अंतरण सम्बन्धी समस्त कार्य उनकी प्रस्तुति की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत रूप से सम्पन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों और बॉण्डों के अंतरण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति गठित की है। ये समितियाँ नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर / बॉण्ड अंतरण, लाभांश / ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर / बॉण्ड जारी करने सम्बन्धी अन्य गतिविधियों / कार्यों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / अनुरोध / शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं।

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट: बैंक ऑफ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज अस्पताल के पास
विठ्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद - 500 081
फोन: (040) 23420815 से 820, फैक्स: (040) 23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिसका पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001
टेलीफोन : (022) 40807000
फैक्स : (022) 66311776 / 40807080
ई-मेल : itsl@idbitrustee.com

बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना कार्यालय, मुंबई में भी की है, जिसके प्रभारी कम्पनी सचिव हैं। जहाँ शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बडोदरा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

| | |
|--|--|
| <p>बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक, सेवा विभाग त्रीय तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5812 / 5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई-मेल : investorservices@bankofbaroda.com (उक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध होने के कारण के खंड 47(एफ) के अनुसारण में निवेशकों की शिकायतों हेतु बनाया गया है)</p> | <p>बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक ग्राहक सेवा आठवां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, बडोदरा 390 005 टेलीफोन : 0265 - 2361724 फैक्स नं. : 0265 - 2361824 ई-मेल: customerservice@bankofbaroda.com</p> |
|--|--|

12.3: Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of -15- days from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited
(Unit: Bank of Baroda)
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital
Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Phone: (040) 23420815 to 820, Fax: (040) 23420814
E Mail: einward.ris@karvy.com

The Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai – 400 001
Tel: (022) 40807000
Fax: (022) 66311776 / 40807080
Email: itsl@idbitrustee.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

| | |
|---|--|
| <p>Bank of Baroda Investors' Services Department 3rd Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 66985000, 6698 5812/5846 Fax : (022) 2652 6660 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)</p> | <p>Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : 0265 – 2361724 Fax No. : 0265 – 2361824 E-mail: customerservice@bankofbaroda.com</p> |
|---|--|



13. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है। आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई, 2004 में "सीजीआर 2" रेटिंग प्रदान की गई। बैंक को यही रेटिंग अर्थात् सीजीआर 2 रेटिंग पुनः क्रमशः फरवरी 2006, सितम्बर 2007, अप्रैल 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2013 और मार्च 2014 में भी प्रदान की गई। सीजीआर 1 से सीजीआर 6 के उक्त रेटिंग स्केल में सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है। सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परम्पराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबन्धन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबन्धन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबन्धन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनायी जाती है, को दर्शाती है।

14. वित्तीय कॉलेन्डर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014

13. CORPORATE GOVERNANCE RATING

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) on a rating scale of CGR 1 to CGR 6 where CGR 1 denotes the highest rating, in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010, March 2011, April 2013 and March 2014 respectively. The CGR 2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

14. FINANCIAL CALENDAR

Financial Year 1st April, 2013 to 31st March, 2014

| | | | |
|--|--|---|--|
| खातों (एकल एवं समेकित) एवं लाभांश सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक | 13.05.2014 | Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated) and recommendation of dividend. | 13.05.2014 |
| 18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान | 25 जून 2014 को प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 | Date, Time & Venue of the 18 th AGM | 25 th June 2014 At 10.30 a.m. Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 |
| बहियाँ बन्द करने की तारीख | 14 जून, 2014 से 25 जून, 2014 (दोनों दिन शामिल) | Book Closure dates | 14 th June 2014 to 25 th June 2014 (both days inclusive) |
| प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख | 20 जून, 2014 | Last Date for receipt of Proxy Forms | 20 th June 2014 |
| लाभांश भुगतान की तारीख | 09 जुलाई, 2014 | Dividend Payment date | 09 th July 2014 |





15. 31 मार्च 2014 को शेयरधारिता पैटर्न

15. SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31st MARCH 2014

| क्रम सं. Sr. No. | विवरण | Description | शेयरधारकों की संख्या No. of Share Holders | शेयर Shares | इक्विटी का प्रतिशत % to Equity |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------|--------------------------------|
| 1 | भारत सरकार (प्रवर्तक) | Govt. of India (Promoters) | 1 | 241571283 | 56.26 |
| 2 | म्यूच्युअल फंड / यूटीआई | Mutual Funds / UTI | 195 | 29239155 | 6.81 |
| 3 | वित्तीय संस्थाएं / बैंक | Financial Institutions / Banks | 31 | 5267177 | 1.23 |
| 4 | बीमा कम्पनियां | Insurance Companies | 50 | 45278262 | 10.54 |
| 5 | विदेशी संस्थागत निवेशक | Foreign Institutional Investors | 418 | 67066741 | 15.62 |
| 6 | निगमित निकाय | Bodies Corporate | 1578 | 16516922 | 3.85 |
| 7 | निवासी वैयक्तिक | Resident Individuals | 173918 | 19959484 | 4.65 |
| 8 | अनिवासी भारतीय | Non Resident Indians | 3596 | 2037577 | 0.47 |
| 9 | विदेशी कार्पोरेट निकाय | Overseas Corporate Bodies | 3 | 22000 | 0.01 |
| 10 | समाशोधन सदस्य | Clearing members | 548 | 1863584 | 0.43 |
| 11 | न्यास | Trusts | 38 | 592902 | 0.13 |
| कुल | | Total | 180376 | 429415087 | 100.00 |

16. 31 मार्च, 2014 को एस्क्रो/उचंत खातों में पड़े हुए शेयरों की स्थिति

16.क. उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की स्थिति (प्रत्यक्ष शेयर डिलीवरी न हो सकने के कारण वापस किए गए)

16. STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2014

16.a. Status of Shares lying in Suspense A/c (Physical Shares - returned undelivered)

| | | | |
|--|---|--|---|
| 01.04.2013 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2013 | वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2013-14 | वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2013-14 | 31 मार्च, 2014 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31 st March 2014 |
| मामले / Cases | शेयर / Shares | मामले / Cases | मामले / Cases |
| 74 | 17700 | 2 | 600 |
| | | | 72 |
| | | | 17100 |





16.(ख). एस्क्रो / उचंत खाते में पढ़े हुए शेयरों की स्थिति (अभौतिकीकृत शेयर डिलीवरी न हो सकने के कारण वापस हुए)

**16.b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c
(Demat Shares - returned undelivered)**

| 01.04.2013 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2013 | | वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2013-14 | वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2013-14 | 31 मार्च, 2014 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31 st March 2014 | | |
|---|---------------|---|--|---|---------------|---------------|
| मामले / Cases | शेयर / Shares | मामले / Cases | मामले / Cases | शेयर / Shares | मामले / Cases | शेयर / Shares |
| 172 | 19938 | 6 | 6 | 549 | 166 | 19389 |

**17. 31 मार्च, 2014 को शेयर धारकों का आबंटन संबंधी श्रेणी-वार
विवरण**

**17. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS - CATEGORY
WISE AS ON 31ST MARCH, 2014**

| 31/03/2014 को आबंटन तालिका (कुल) Distribution Schedule As On 31/03/2014 (Total) | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| क्रम सं. Sr. No. | श्रेणी Category | मामलों की संख्या No. of Cases | मामलों का % % of Cases | राशि (₹) Amount ₹. | राशि का % % of Amount |
| 1 | 1-5000 | 176161 | 97.66 | 172721670.00 | 4.02 |
| 2 | 5001- 10000 | 2337 | 1.30 | 18437230.00 | 0.43 |
| 3 | 10001- 20000 | 723 | 0.40 | 10960010.00 | 0.26 |
| 4 | 20001- 30000 | 243 | 0.13 | 6276610.00 | 0.15 |
| 5 | 30001- 40000 | 107 | 0.06 | 3855820.00 | 0.09 |
| 6 | 40001- 50000 | 86 | 0.05 | 4043940.00 | 0.09 |
| 7 | 50001- 100000 | 180 | 0.10 | 13195060.00 | 0.31 |
| 8 | 100001& Above | 539 | 0.30 | 4064660530.00 | 94.66 |
| Total | | 180376 | 100.00 | 4294150870.00 | 100.00 |



**18. 31 मार्च, 2014 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से आबंटन संबंधी
(राज्य-वार) विवरण**

**18. GEOGRAPHICAL (STATE WISE) DISTRIBUTION OF
SHAREHOLDERS AS AT 31ST MARCH 2014**

| क्रम सं. Sr. No. | राज्य | State | मामले Cases | शेयर Shares |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | ANDHRA PRADESH | 6943 | 958794 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ARUNACHAL PRADESH | 13 | 1240 |
| 3 | असम | ASSAM | 597 | 59445 |
| 4 | बिहार | BIHAR | 3033 | 278308 |
| 5 | चंडीगढ़ | CHANDIGARH | 508 | 66730 |
| 6 | दिल्ली | DELHI | 8047 | 243051611 |
| 7 | गोवा | GOA | 1515 | 249200 |
| 8 | गुजरात | GUJARAT | 42448 | 5223558 |
| 9 | हरियाणा | HARYANA | 2225 | 244063 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | HIMACHAL PRADESH | 266 | 24519 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | JAMMU AND KASHMIR | 231 | 28546 |
| 12 | कर्नाटक | KARNATAKA | 8651 | 833292 |
| 13 | केरल | KERALA | 3408 | 441383 |
| 14 | मध्यप्रदेश | MADHYA PRADESH | 5106 | 646523 |
| 15 | महाराष्ट्र | MAHARASHTRA | 47571 | 168800542 |
| 16 | मेघालय | MEGHALAYA | 98 | 12159 |
| 17 | नागालैंड | NAGALAND | 98 | 21335 |
| 18 | ଓଡ଼ିସା | ORISSA | 1148 | 100341 |
| 19 | अन्य | OTHERS | 3479 | 1527906 |
| 20 | ਪंजाब | PUNJAB | 1672 | 196319 |
| 21 | राजस्थान | RAJASTHAN | 10655 | 1208764 |
| 22 | तमில்நாடு | TAMIL NADU | 12325 | 2746108 |
| 23 | त्रिपुरा | TRIPURA | 118 | 15454 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | UTTAR PRADESH | 12921 | 1477272 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | WEST BENGAL | 7300 | 1201675 |
| | कुल | Total | 180376 | 429415087 |





19. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा

19. (क). स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2013 से 31.03.2014)

| माह | Month | नेशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE) | | | बॉम्बे स्टॉक एक्सचेज लि. (बीएसई) BSE Ltd. (BSE) | | |
|--------------|----------|---|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| | | उच्चतम (रु.) Highest (₹) | न्यूनतम (रु.) Lowest (₹) | सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.) | उच्चतम (रु.) Highest (₹) | न्यूनतम (रु.) Lowest (₹) | सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.) |
| अप्रैल 2013 | APR 2013 | 722.00 | 631.05 | 15273603 | 717.00 | 632.10 | 2336681 |
| मई 2013 | MAY 2013 | 759.90 | 643.10 | 24586924 | 759.50 | 646.00 | 2785319 |
| जून 2013 | JUN 2013 | 681.50 | 539.80 | 21918052 | 681.40 | 540.00 | 3257625 |
| जुलाई 2013 | JUL 2013 | 623.45 | 529.60 | 30860955 | 620.30 | 529.75 | 3618781 |
| आगस्त 2013 | AUG 2013 | 573.65 | 429.95 | 35204973 | 571.00 | 429.25 | 4743097 |
| सितंबर 2013 | SEP 2013 | 583.00 | 449.55 | 43507126 | 582.80 | 450.60 | 4746514 |
| अक्टूबर 2013 | OCT 2013 | 650.00 | 487.50 | 34596902 | 648.60 | 488.00 | 4395770 |
| नवंबर 2013 | NOV 2013 | 696.00 | 566.40 | 47623753 | 696.00 | 567.10 | 6375374 |
| दिसंबर 2013 | DEC 2013 | 716.95 | 632.45 | 32854558 | 715.90 | 633.25 | 3994065 |
| जनवरी 2014 | JAN 2014 | 681.60 | 525.00 | 31869573 | 681.60 | 526.60 | 4023383 |
| फरवरी 2014 | FEB 2014 | 577.00 | 511.15 | 32359728 | 576.50 | 509.00 | 3748937 |
| मार्च 2014 | MAR 2014 | 755.00 | 543.00 | 47923716 | 754.80 | 542.30 | 5474221 |

19.ख अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक इंडेक्स डाटा (मासिक समाप्तन मूल्य)

19.b Index Data from April 2013 to March 2014 (Monthly Closing Values)

| तारीख | Date | एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S&P CNX NIFTY | बैंक निफ्टी BANK NIFTY | बॉब एनएसई BOB NSE | बीएसई सेन्सेक्स BSE SENSEX | बैंकेक्स BANKEX | बॉब बीएसई BOB BSE |
|---------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 30-अप्रैल-13 | 30-Apr-13 | 5930.20 | 12561.55 | 698.95 | 19504.18 | 14363.74 | 698.70 |
| 31-मई-13 | 31-May-13 | 5985.95 | 12475.65 | 651.65 | 19760.30 | 14261.24 | 653.95 |
| 28-जून-13 | 28-Jun-13 | 5842.20 | 11617.25 | 574.15 | 19395.81 | 13257.76 | 574.50 |
| 31-जुलाई-13 | 31-Jul-13 | 5742.00 | 10015.75 | 561.60 | 19345.70 | 11440.96 | 560.55 |
| 30-अगस्त-13 | 30-Aug-13 | 5471.80 | 9049.20 | 460.80 | 18619.72 | 10304.35 | 462.90 |
| 30-सितंबर-13 | 30-Sep-13 | 5735.30 | 9617.80 | 493.55 | 19379.77 | 10964.19 | 493.60 |
| 31-अक्टूबर-13 | 31-Oct-13 | 6299.15 | 11473.15 | 642.90 | 21164.52 | 13086.92 | 643.20 |
| 29-नवंबर-13 | 29-Nov-13 | 6176.10 | 11153.95 | 644.60 | 20791.93 | 12730.30 | 644.60 |
| 31-दिसंबर-13 | 31-Dec-13 | 6304.00 | 11385.25 | 645.55 | 21170.68 | 13001.94 | 645.75 |
| 31-जनवरी-14 | 31-Jan-14 | 6089.50 | 10237.75 | 548.40 | 20513.85 | 11712.31 | 548.95 |
| 28-फरवरी-14 | 28-Feb-14 | 6276.95 | 10764.70 | 551.15 | 21120.12 | 12284.27 | 550.65 |
| 31-मार्च-14 | 31-Mar-14 | 6704.20 | 12742.05 | 720.75 | 22386.27 | 14572.46 | 721.35 |



20. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

20.1 श्री भुवनचंद्र बी. जोशी

20. PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE FINANCIAL YEAR 2013 –14

20.1 Shri Bhuwanchandra B. Joshi

| | | | |
|---|---|---|--|
| नाम | श्री भुवनचंद्र बी. जोशी | Name | Shri Bhuwanchandra B. Joshi |
| पता | न्यू सुवास सीएचएस लि. फ्लैट नं. 7ए, 68-एफ, नेपीयनसी रोड, रुंगटा लेन, मुंबई - 400 006 | Address | New Suvas CHS Ltd., Flat No.7A, 68-F, Nepeansea Road, Rungta Lane, MUMBAI – 400 006 |
| जन्मतिथि | 03 दिसंबर, 1956 | Date of Birth | 3 rd December, 1956 |
| आयु | 57 वर्ष | Age | 57 Years |
| योग्यता | 1. बी. कॉम. 2. सीएआईआईबी | Qualifications | 1. B.Com 2. CAIIB |
| निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 05.08.2013 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 31.12.2016 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. | Nature of appointment as Director | Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 05.08.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 31.12.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. |
| अनुभव | उन्होंने वर्ष 1977 में बैंक ऑफ इंडिया में सेवा ग्रहण की। उन्हें बैंकिंग और फायनांस में तीन दशकों से अधिक का बैंकिंग अनुभव प्राप्त है। बैंक ऑफ इंडिया में अपने 36 वर्षों से अधिक के कैरियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया जिनमें अंचल प्रमुख अहमदाबाद और क्रेडिट, एसएमई व अन्तरराष्ट्रीय परिचालन में उनका व्यापक अनुभव शामिल है। | Experience | Having joined Bank of India in the year 1977, he brings with him more than three decades of experience in Banking and Finance. During his career spanning over 36 years in Bank of India, he has held several distinguished positions including that as Zonal Head, Ahmedabad and has vast exposure in Credit, SME and International operations. |
| अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य | (i) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. | Directorship or Committee Positions held in other Companies | 1. Bank of Baroda (Ghana) Ltd. 2. Bank of Baroda (Botswana) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या | शून्य | No. of Shares of Bank of Baroda held | N I L |



20.2 डॉ. के. पी. कृष्णन

20.2 Dr. K. P. Krishnan

| | | | |
|--|--|--|---|
| नाम | डॉ. के. पी. कृष्णन | Name | Dr. K. P. Krishnan |
| पता | सी-II/145, सत्या मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 1100 021 | Address | C-II/145, Satya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021 |
| जन्मतिथि | 29 दिसंबर, 1959 | Date of Birth | 29 th December, 1959 |
| आयु | 54 वर्ष | Age | 54 Years |
| योग्यता | 1. अर्थशास्त्र और फायनांस में डाक्टरेट (पीएचडी) 2. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए | Qualifications | 1. Doctorate in Economics & Finance (Ph.D) 2. MBA in Business Administration |
| निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप | बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा श्री आलोक निगम के स्थान पर 19.02.2014 से आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त. | Nature of appointment as Director | Nominated as a Director w.e.f. 19.02.2014 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, in place of Shri Alok Nigam until further orders. |
| अनुभव | डॉ. के. पी. कृष्णन कर्नाटक कैंडर के 1983 बैच के आईएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली में डीजी एवं अतिरिक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत हैं। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए हैं। वे अर्थशास्त्र और फायनांस में डाक्टरेट भी हैं। उन्हें राज्य और केन्द्र सरकार के सिविल विभागों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जैसे- वर्ल्ड बैंक के कार्यपालक निदेशक के सलाहकार, वित्त विभाग कर्नाटक राज्य में सचिव, प्रबंध निदेशक, कर्नाटक अर्बन इनफ्रा. डेवलोपमेंट फायनांस, संयुक्त सचिव, कैपिटल मार्केट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, प्रथान मंत्री की आर्थिक परामर्शदायी परिषद के सचिव। | Experience | Dr. K.P. Krishnan, is an IAS officer of 1983 batch of Karnataka cadre. He is presently the DG & Additional Secretary, Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi. He is a post graduate in Economics, and MBA in Business Administration. He also holds a Doctorate in Economics & Finance. He brings with him rich experience of having worked in various departments of State and Central Government. He has held various important portfolios like Advisor to Executive Director, World Bank, Secretary-Department of Finance, Govt. of Karnataka, Managing Director, Karnataka Urban Infra Dev. Finance, Joint Secretary, Capital Market Division, Dept. of Economic Affairs, Secretary- Economic Advisory Council to PM. |
| अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य | 1. नेशनल स्किल डेवलोपमेंट कॉर्पोरेशन | Directorship or Committee Positions held in other Companies | 1. National Skill Development Corporation |
| बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या | शून्य | No. of Shares of Bank of Baroda held | NIL |



घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 (1) (डी) के अनुसरण में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा।

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन
कार्यपालकों ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 49
(1) (डी) के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की आचार संहिता के
अनुपालन के बारे में प्रतिबद्धता दोहराई है। यह आचार संहिता बैंक की बेबसाइट
पर उपलब्ध कराई गई है।

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant
to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior
Management Personnel of the Bank have affirmed their
compliance of the Code of Conduct for the Financial Year Ended
on 31st March, 2014 in accordance with clause 49 (I) (D) of the
Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The
said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

एस.एस.मूंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2014

For Bank of Baroda

S. S. Mundra
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : 13th May, 2014



कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र-2013-14 Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance-2013-14

बैंक ऑफ बड़ौदा के सदस्यों के लिए

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करने सम्बन्धी करार के खण्ड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के सन्दर्भ में बैंक द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी शर्तों का अनुपालन करना प्रबन्धन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबन्धन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To: The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2014, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001135 एन

(एम. के. जुनेजा)

भागीदार

एम. नं.: 013117

For S. K. Mittal & Co.

Chartered Accountants

FRN: 001135N

(M.K.Juneja)

Partner

M. No. 013117

कृते एन. बी. एस. एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 110100 डब्ल्यू

(प्रदीप जे शेट्टी)

भागीदार

एम. नं.: 046940

For N. B. S. & Co.

Chartered Accountants

FRN: 110100W

(Pradeep J. Shetty)

Partner

M No.046940

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002460 एस

(जी. सुब्बाराव)

भागीदार

एम. नं.: 019579

For Laxminiwas Neeth & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002460S

(G. Subbarao)

Partner

M No.019579

कृते केएसजी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 002228सी

(आर.के.अगरवाल)

भागीदार

एम. नं.: 073063

For KASG & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002228C

(R.K.Agarwal)

Partner

M No.073063

कृते रे एण्ड रे

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 301072 ई

(अमिताव चौधरी)

भागीदार

एम. नं.: 056060

For Ray & Ray

Chartered Accountants

FRN: 301072E

(Amitava Chowdhury)

Partner

M. No. 056060

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 105049 डब्ल्यू

(चिराग दोषी)

भागीदार

एम. नं.: 119079

For Khandelwal Jain & Co

Chartered Accountants

FRN : 105049W

(Chirag Doshi)

Partner

M No.119079

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai

दिनांक / Date: 13th May, 2014



व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 2013-14 (लिस्टिंग करार के खण्ड 55 के तहत) BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2013-14 (Under Clause 55 of Listing Agreement)

खण्ड - क : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

Section A: General Information about the Bank

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 1 | कम्पनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company | लागू नहीं Not Applicable | |
| 2 | कम्पनी का नाम Name of the Company | बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda | |
| 3 | पंजीकृत पता Registered address | "बड़ौदा हाउस", पी.बी.नं. - 506, मांडवी, बड़ौदा - 390006 "Baroda House", P.B. No. 506, Mandvi, Baroda – 390 006 | |
| 4 | ब्रेबसाइट Website | www.bankofbaroda.com | |
| 5 | ई-मेल आईडी E-mail id | ed.srinivas@bankofbaroda.com | |
| 6 | प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष Financial Year reported | 2013-14 | |
| 7 | क्षेत्र जिनमें कम्पनी शामिल है (कूट अनुसार औद्योगिक गतिविधियाँ) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) | "बैंकिंग एवं वित्त" "Banking & Finance" | |
| 8 | तीन मुख्य उत्पादों / सेवाओं की सूची जो कम्पनी निर्मित करती है / उपलब्ध कराती है (तुलन पत्र के अनुसार) List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet) | 1. होलसेल बैंकिंग 2. रिटेल बैंकिंग 3. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग | 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. International Banking |
| 9 | कुल स्थानों की संख्या जहाँ व्यावसायिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व कम्पनी के द्वारा लिया जाता है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company | | |
| i) | अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या @ (5 बड़े स्थानों का विवरण उपलब्ध कराएं) Number of International Locations@ (Provide details of major 5) | 102 (यूएई, यूके, यूएसए, ब्रूसेल्स (बेल्जियम), हांगकांग) [UAE, UK, USA, Brussels (Belgium), Hongkong] | |
| ii) | राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations | 4,874 | |
| 10 | बाजार, जहाँ कम्पनी सेवाएं प्रदान करती है- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय Markets served by the Company-Local/State/National/ International | राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय National & International | |

@31 मार्च, 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा 24 देशों में, 60 शाखाओं, 41 अनुबंधियों तथा एक प्रतिनिधि कार्यालय सहित कुल 102 स्थानों पर परिचालन कर रहा है.

@ As of 31st March 2014, Bank of Baroda has operations in 24 countries with the number of branches at 60, the number of branches of its subsidiaries at 41 and one representative office, taking the total tally to 102.



खण्ड - ख : बैंक का वित्तीय विवरण

Section B: Financial Details of the Bank

| 1. प्रदत्त पूँजी (भारतीय ₹. में) Paid up Capital (INR) | ₹ 430.68 करोड़ crore | | |
|---|---|---|--|
| 2. कुल टर्न ओवर (भारतीय रूपयों में) Total Turnover (INR) | ₹ 9,65,900.20 करोड़ crore | | |
| 3. कर के पश्चात कुल लाभ (भारतीय रूपयों में) Total profit after taxes (INR) | ₹ 4541.08 करोड़ crore | | |
| 4. कर के पश्चात प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%) | 0.33% | | |
| 5. गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:- | | | |
| क्र.सं. Sr. No. | गतिविधि Activity | अनुदत्त दान (संख्या) No. of Donations | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
| 1. | शिक्षा Education | 21 | 88.08 |
| 2. | स्वास्थ्य Health | 7 | 64.05 |
| 3. | महिला कल्याण Women Welfare | 5 | 20.17 |
| 4. | सामाजिक कल्याण गतिविधियां Social Welfare Activities | 26 | 1,357.75 |
| कुल TOTAL | | 59 | 1,530.05 |

स्वीकृत दान का खण्डवार वर्गीकरण:

Segment-wise classification of donations sanctioned :

1. शिक्षा

1. Education

| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 1 | इण्डियन ट्रस्ट फॉर रुरल हैरिटेज एण्ड डेवलपमेंट, सी-56, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली Indian Trust for Rural Heritage and Development, C-56, Nizamuddin East, New Delhi | गांव हरिहरपुर, जिला आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी स्कूल स्थापित करने के लिए For establishment of a Primary School at Harihpur Village, Azamgarh Distt. UP. | 10.00 |
| 2 | प्रभात तारा जूनियर हाई स्कूल Prabhat Tara Junior High School | स्कूल में पढ़ने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों को 100 स्कूल बैग तथा 1,200 स्कूल कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए, स्कूल में 4 कंप्यूटर तथा हॉस्टल में 5 सीलिंग फैन उपलब्ध करवाने के लिए For providing 100 school bags and 1,200 school copies to students of Below Poverty Line families studying in the School, 4 computers to the School and 5 ceiling fans to the Hostel. | 1.82 |
| 3 | संजय गांधी मेमोरियल Sanjay Gandhi Memorial | 600 विद्यार्थियों को किताबें तथा स्कूल बस उपलब्ध करवाने के लिए For providing school bus and books to 600 students | 3.51 |
| 4 | राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनवरपुरा - खेडा लॉक, टोंक, राजस्थान Rajkiya Adarsh Uchcha Prathmik Vidhyalaya, Anwarpura – Kheda Block, Tonk, Rajasthan | पानी का टैक, पानी के टैक की नींव डालना, सीलिंग फैन, मेज तथा बैंच उपलब्ध कराने के लिए For providing water tank, foundation for water tank, ceiling fans, tables and benches | 0.74 |



| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|
| 5 | वेद विज्ञान महा विद्यापीठ, बैंगलूर, उत्तर प्रदेश में श्री बाल विद्याकेन्द्र हेतु Ved Vigyan Maha Vidhyapith, Bangalore for Sri Bal Vidhyakendra in UP | विद्या केन्द्र के लिए टैंक, कुर्सीयां, वाटर फिल्टर इत्यादि की खरीद के लिए Purchases of tanks, chairs, water filter etc. for Vidya Kendra | 4.08 |
| 6 | मंद बुद्धि एवं मूँक बधिर विद्यालय एवं श्री राम अवध अंथ ज्ञान विद्यालय, अयोध्या Mandh Buddhi Evarn Mook Badhir Vidhyalaya and Sri Ram Awadh Andh Gyan Vidhyalaya, Ayodhya | मानसिक विकलांग मूँक और बधिर बच्चों के लिए 2 श्रवण यंत्र मशीन उपलब्ध कराने के लिए तथा स्टैबलाइजर सहित वाटर कूलर इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए For providing 2 hearing aid machines for mentally challenged deaf and dumb children, water cooler with stabilizer etc. | 1.20 |
| 7 | मूँक-बधिर सोसायटी के लिए स्कूल School for deaf and mutes society | सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाने के लिए Installation of solar water heater system | 3.75 |
| 8 | सुल्तानपुर तथा कानपुर जिला के विभिन्न प्राईमरी स्कूल Various primary schools of Sultanpur and Kanpur districts | कुंडा (सुल्तानपुर) तथा कानपुर क्षेत्र के प्राईमरी स्कूलों को सीलिंग फैन उपलब्ध कराने के लिए Providing ceiling fans to the primary schools of Kunda (Sultanpur) and Kanpur Region | 1.47 |
| 9 | ब्लाइंड प्यूपल्ट्स एसोसिएशन (इण्डिया) (अन्धजन मण्डल) Blinds People's Association (India) (Andhajan Mandal) | एसोसिएशन में सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाने के लिए For installation of solar water heating system in the Association | 4.97 |
| 10 | देवीपुरा प्राईमरी स्कूल Devipura Primary School | स्कूल के बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट लगाने के लिए For installation of RO plant to provide clean water to school children | 0.50 |
| 11 | साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट Sabarmati Harijan Ashram Trust | उनके कस्टूरबा कंप्यूटर सेंटर की बड़ी मरम्मत के लिए तथा सेंटर के लिए नए कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के लिए For major renovation of their Kasturba Computer Centre and purchase of a new Computer System for the centre | 28.00 |
| 12 | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा कन्या छात्रावास Prerna Girls Hostels for Scheduled Caste Students | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 250 स्कूल बैग की खरीद के लिए For purchase of 250 school bags for Scheduled Caste Students | 1.00 |
| 13 | मूँक धनि ट्रस्ट, वडोदरा Mook Dhawni Trust, Vadodara | बधिर विद्यार्थियों के लिए श्रीमती कमलाबेन सी. पटेल बधिर प्राईमरी स्कूल में 10 पर्सनल कंप्यूटर 10 personal computers at Srimati Kamlaben C. Patel Badhir Primary School for hearing-impaired students | 4.00 |
| 14 | संजीवनी ग्रुप Sanjivani Group | जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय हाल का निर्माण Construction of library hall for tribal students | 1.00 |
| 15 | राजकीय माध्यमिक स्कूल, बमन, बड़ौदा Govt. Secondary School, Baman, Baroda | सीलिंग फैन तथा पीने के पानी के लिए एक वाटर टैंक उपलब्ध कराने के लिए For providing ceiling fans and one water tank for drinking water | 0.14 |
| 16 | विवेकानन्द शिशु मन्दिर, बर्दगान Vivekanand Shishu Mandir, Burdwan | महिला शौचालय का निर्माण Construction of Ladies toilet | 0.63 |



| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|-----------------------|--|---|--|
| 17 | एसओएस चिल्ड्रन विलेज-कोलकाता SOS Children Village-Kolkata | एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर तथा 8 सीलिंग फैन One Multimedia Projector and 8 ceiling fans | 0.90 |
| 18 | एसओएस चिल्ड्रन विलेज-गुगाहटी SOS Children Village-Guwahati | 10 डेस्क बैच तथा 1 प्रिंटर (प्रिंट-स्कैन-फोटोकॉपी) For 10 desk benches and 1 printer (print-scan-copier) | 0.42 |
| 19 | मुकुल माधव ट्रस्ट Mukul Madhav Trust | फर्नीचर, प्रोजेक्टर सहित एलसीडी, प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने के लिए Providing furniture, LCD with projector, laboratory apparatus | 5.00 |
| 20 | ब्लाइंड प्यूपल्स एसोसिएशन (इण्डिया) (अन्धजन मण्डल) Blind People's Association (India) (Andhajan Mandal) | नेत्रहीन लोगों के लिए शिक्षण सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए ब्रैल प्रेस मशीन Braille Press Machine for printing of text book and educational material for blind persons | 9.95 |
| 21 | भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट, वाडोदरा Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Memorial Trust, Vadodara | ट्रस्ट के कार्पस फंड में Corpus Fund of the Trust | 5.00 |
| कुल Total | | | 88.08 |

2. स्वास्थ्य

2. Health

| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|-----------------------|---|---|--|
| 1 | बी.जे. गवर्नमेंट मेडीकल कॉलेज एण्ड सैसुन जनरल हॉस्पिटल, पुणे B.J. Government Medical College and Sassoon General Hospital, Pune | हॉस्पिटल के बालचिकित्सा विभाग में मानवीय मिल्क बैंक स्थापित करने के लिए For setting up Human Milk Bank in Pediatrics dept. of the Hospital | 15.06 |
| 2 | गुरु जग बहादुर हॉस्पिटल, देहरादून Guru Jag Bahadur Hospital, Dehradun | एम्बुलेंस गाड़ी के लिए For Ambulance Van | 3.90 |
| 3 | भारत विकास परिषद, नारायनपुर, मिर्जापुर Bharat Vikas Parishad, Narainpur, Mirzapur | स्वास्थ्य शिविर तथा कृत्रिम अंगों के वितरण के लिए Distribution of Artificial Limbs and Health Camp | 3.00 |
| 4 | भगवान महावीर Bhagwan Mahavir | गरीब जरूतमंद लोगों को कृत्रिम अंग इत्यादि के निशुल्क वितरण के लिए For providing Artificial Limbs etc. free of cost to needy poor people | 30.00 |
| 5 | जी.जी. हॉस्पिटल, पी.एन.मार्ग, जामनगर G.G.Hospital, P.N.Marg, Jamnagar | मेडीकल उपकरणों की खरीद करने के लिए दान Donation for purchase of medical equipments | 2.15 |
| 6 | जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुदुचेरी Jawahar Lal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Puducherry | बैटरी द्वारा संचालित कार की खरीद के लिए For purchase of Battery Operated Car | 4.94 |
| 7 | मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, दाहोद Chief Distt. Health Officer, Dahod | एम्बुलेंस की खरीद के लिए For purchase of Ambulance | 5.00 |
| कुल Total | | | 64.05 |





3. महिला कल्याण

| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|-----------------------|--|---|--|
| 1 | मेनाबा चेरीटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद Menaba Charitable Trust, Ahmedabad | रोटी बनाने की मशीन की खरीद के लिए For purchase of roti making machine | 4.50 |
| 2 | जनाना हॉस्पिटल - गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जयपुर Janana Hospital – Govt. Hospital, Jaipur | 27 बिस्तरों वाले अपनाये गए वार्ड, शौचालयों की साफ-सफाई तथा बिस्तरों की धुलाई और बदलने के खर्च के लिए Towards expenses for maintaining cleanliness of the adopted ward having 27 beds, toilets, washing and replacement of beds | 1.44 |
| 3 | कमला नेहरू कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल, भोपाल Kamla Nehru Girls Higher Secondary School, Bhopal | प्रोजेक्टर, स्क्रीन, बुडन टूल, संगीत वाद्य उपलब्ध कराने के लिए खर्च Expenditure for providing projectors, screens, wooden tools, musical instruments | 1.50 |
| 4 | पुलिस महानिरीक्षक, ओडिशा Inspector General of Police, Odisha | आईसीएलआईके महिला हैल्पलाइन स्थापित करने के लिए Installation of ICLIK women's helpline | 9.73 |
| 5 | बड़ौदा शक्ति Baroda Shakti | समाज उन्नयन के प्रयासों हेतु उन्हें सहयोग प्रदान करना To facilitate them to undertake initiatives for upliftment of the society | 3.00 |
| कुल Total | | | 20.17 |

4. समाज कल्याण गतिविधियाँ

| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|-----------------------|---|---|--|
| 1 | बड़ौदा जिला हरिजन सेवक संघ, करेलीबाग, बड़ौदा Baroda District Harijan Sevak Sangh, Karelibaug, Baroda | उनके वेलचन्द बंकर छात्रालय परिसर के बहुउद्देशीय हाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना Providing amenities for multipurpose hall at their Velchand Banker Chhatralaya Premises | 1.00 |
| 2 | वनराई VANRAI | वनराई द्वारा विकसित महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों के गावों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना Providing safe drinking water to villages of various district of Maharashtra state developed by Vanrai | 10.00 |
| 3 | सेवा भारती आणंद धाम, भोपाल Sewa Bharti Anand Dham, Bhopal | वृद्ध आश्रम के भोजनालय के लिए 76 कुर्सियां तथा 19 डायनिंग मेज उपलब्ध कराने के लिए To provide 19 dining tables and 76 chairs for the dining hall of old age home | 2.92 |
| 4 | बाल श्रम विद्यालय तथा राजकीय पश्चात्य वर्तीय देख रेख संस्थान Baal Shram Vidyalaya and Rajkiya Pashchtya Wartiya Dekh Rekh Sansthan | पंखे तथा टीवी सेट खरीदने के लिए For purchase of fans, TV sets | 1.03 |
| 5 | सेहरिया जवाहर ग्राम पंचायत Sehria Jawahar Village Panchayat | गांव में सॉलर स्ट्रीट लाइट की 5 यूनिट लगवाने के लिए For installation of 5 units of solar Street Light in the village | 1.05 |
| 6 | मुख्य मंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड Chief Minister's Relief Fund, Uttrakhand | उत्तराखण्ड में अचानक आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए For rehabilitation of victims of flash floods in Uttrakhand | 200.00 |





| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|-----------------------|--|---|--|
| 7 | विकलांग हॉस्पिटल, पहरी गया रोड, पहरी, पटना Viklang Hospital, Pahari Gaya Road, Pahari, Patna | आर्थिक रूप से गरीब 10 शारीरिक विकलांग लोगों के लिए ट्राईस्किल खरीदने तथा वितरित करने के लिए दान Donation to buy and distribute tricycle for 10 economically poor and physically challenged persons | 0.65 |
| 8 | अम्बा कलां, शेवहर, बिहार में सरकार द्वारा संचालित स्कूल Govt. run School at Amba Kalan, Sheohar, Bihar | 400 स्कूल बैग की खरीद के लिए For purchase of 400 school bags | 1.00 |
| 9 | अजमेर क्षेत्र के सरकार द्वारा संचालित स्कूल Govt. run schools of Ajmer Region | पंखे, कंप्यूटर तथा पानी का टैक इत्यादि की खरीद के लिए For purchase of fans, computer and water tanks etc | 0.92 |
| 10 | भरतपुर क्षेत्र के गावों में सरकार द्वारा संचालित स्कूल तथा आर.बी.एम गर्वनमेंट हॉस्पिटल Govt. run schools of Villages of Bharatpur Region and R.B.M. Govt. Hospital | पंखे, पानी का टैक तथा वाटर कूलर की खरीद के लिए For purchase of fans, water tanks and water coolers | 2.70 |
| 11 | जयपुर क्षेत्र के गावों में सरकार द्वारा संचालित स्कूल Govt. run schools at villages of Jaipur Region | छत के पंखों की खरीद के लिए For purchase of ceiling fans | 1.03 |
| 12 | उदयपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित स्कूल Govt. run schools at Udaipur Region | छत के पंखों की खरीद के लिए For purchase of ceiling fans | 1.17 |
| 13 | कोटा क्षेत्र के गावों में सरकार द्वारा संचालित स्कूल Govt. run schools at villages of Kota Region | पंखे, पानी का टैक तथा कंप्यूटर की खरीद के लिए For purchase of ceiling fans, water tanks and computers sets | 2.16 |
| 14 | जोधपुर क्षेत्र के गावों में सरकार द्वारा संचालित स्कूल Govt. run schools at villages of Jodhpur Region | पंखे तथा पानी के टैक की खरीद के लिए For purchase of ceiling fans and water tanks | 1.38 |
| 15 | द्री लर्वर्स एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन Tree Lover's Educational & Research Foundation | वडोदरा, अहमदाबाद तथा खेड़ा ज़िलों में लगाए जाने के लिए 1000 द्री गार्ड उपलब्ध कराने के लिए दान To donate for providing 1,000 tree guards proposed to be installed in Vadodara, Ahmedabad and Khera dist. | 7.70 |
| 16 | सूरत ज़िले के गावों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्कूल तथा अम्बिका निकेतन वृद्ध आश्रम, वेसु, सूरत Various Govt. run schools at villages of Surat distt and Ambica Niketan Old Age Home, Vesu, Surat | 18 स्कूलों में 21 पंखे, 5 वाटर कूलर उपलब्ध कराने के लिए तथा वृद्ध आश्रम में 100 बैंडशीट एवं 100 कॉटन शीट उपलब्ध कराने के लिए दान Donations to provide 21 fans, 5 water coolers to 18 schools and to provide 100 bed sheets and 100 cotton sheets to old age home | 1.75 |
| 17 | भरुच ज़िले के 9 गावों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्कूल Various Govt. run schools at 9 villages of Bharuch distt. | 9 स्कूलों में वाटर कूलर उपलब्ध कराने के लिए To provide water coolers for 9 schools | 2.03 |
| 18 | नगर प्राथमिक शिक्षण समिति, बड़ोदा Nagar Prathmik Shikshan Samiti, Baroda | समिति को महाराजा गोविंदराव मध्यवर्ती शाला के लगभग 2000 विद्यार्थियों के लिए वर्दी खरीदने एवं बांटने के लिए To provide the Samiti for purchase and distribution of uniforms to about 2,000 children of Maharaja Govindrao Madhyavarti Shala | 2.00 |
| 19 | मसूरी देहरा डेवलपमेंट अथारिटी, देहरादून Mussoorie Dehra Development Authority, Dehradun | उत्तराखण्ड में आई आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 250 सॉलर लालटेन्सों का वितरण Distribution of 250 solar lanterns to families affected by flash floods of Uttrakhand | 3.25 |



| क्र.सं. Sr. No. | दानग्राही का नाम Name of Donee | उद्देश्य Purpose | राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh) |
|--------------------|--|---|---------------------------------------|
| 20 | नेबरहट हाउसिंग सर्विस एण्ड सिटी मील्स ऑन वील्स - दोनों न्यूयार्क सिटी Neighborhood Housing Services & City meals on wheels both of New York city | सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम विनियमन के अनुपालन में In compliance of Community Reinvestment Act Regulations | 19.57 |
| 21 | पुलिस आयुक्त, वडोदरा शहर Commissioner of Police, Vadodara City | सीसीटीवी लगाने तथा शहर के पुलिस थानों को अपग्रेड करने के लिए Installation of CCTV & upgradation of police stations of the city | 5.00 |
| 22 | एन.एम सदगुरु जल एवं विकास संस्थान N.M.Sadguru Water and Development Foundation | गांव -सह- आवास आधारित पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए To provide hamlet cum house based drinking water | 5.00 |
| 23 | बडौदा स्वरोजगार विकास संस्थान बडौदा ग्रामीण Baroda Swarojgar Vikas Sansthan | स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान तथा वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्र Baroda RSETIs and FLCCs | 778.30 |
| 24 | दीप कल्यान संस्थान, दिल्ली Deep Welfare Organisation, Delhi | 30 अक्टूबर 2013 को 'बालिकाओं के कल्याण के लिए संवैधानिक अधिकार' पर सेमीनार आयोजित करने के लिए To organise seminar on "Constitutional Rights for Welfare of Girl Child", on 30 th October 2013 | 3.00 |
| 25 | ଓଡ଼ିସା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ କୋଷ Odisha Chief Minister's Relief Fund | ଓଡ଼ିସା ରାଜ୍ୟ ମେ ଆଈ ଅଚନାକ ବାଢ଼ / ଫେଲିନ ଚକ୍ରଵାତୀ ତୁଫାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାଵିତ ଲୋଗୋ କୀ ସହାୟତା କେ ଲିଏ For helping people affected by the cyclone Phailin / flash floods in the state of Odisha | 300.00 |
| 26 | नेबरहट हाउसिंग सर्विस एण्ड सिटी मील्स ऑन वील्स - दोनों न्यूयार्क सिटी Neighborhood Housing Services & City meals on wheels both of Newyork city | सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम विनियमन के अनुपालन में In compliance of Community Reinvestment Act Regulations | 3.14 |
| कुल / Total | | | 1,357.75 |



खण्ड -ग: अन्य विवरण

Section C: Other Details

| | |
|--|--|
| 1 क्या कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी / कम्पनियाँ हैं? Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies? | हाँ बैंक की तीन भारतीय तथा 9 विदेशी अनुषंगियाँ हैं. Yes (The Bank has three Domestic and nine Foreign Subsidiaries) |
| 2 क्या अनुषंगी कम्पनी / कम्पनियाँ मूल कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कम्पनियों की संख्या बताएं. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s). | हाँ, दो अनुषंगियाँ बॉब कार्ड्स लिमिटेड तथा बॉब केपिटल मार्केट लिमिटेड व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं. Yes, two subsidiaries viz. BOBCARDS Limited and BOB Capital Market Limited participate in the BR initiatives of the Bank. |
| 3 क्या अन्य कोई संस्था / संस्थाएं (जैसे-आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करके व्यवसाय करती हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार की संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं? (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]. | शून्य Nil |

खण्ड - घ: व्यावसायिक दायित्वों सम्बन्धी सूचना

1. व्यावसायिक दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण
 क. व्यावसायिक दायित्वों संबंधी नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के नाम:

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR
 a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

| क्र.सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| Sr. No. | Particulars | Details |
| 1. | डीआईएन नं. DIN Number | 02836590 |
| 2. | नाम Name | पि. श्रीनिवास P. Srinivas |
| 3. | पदनाम Designation | कार्यपालक निदेशक Executive Director |

ख. व्यावसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण :

b) Details of the BR head

| Sr. No. | Particulars | Details |
|---------|---|---|
| 1. | डीआईएन नं. (यदि लागू है) DIN Number (if applicable) | 02689926 |
| 2. | नाम Name | वी. एच. थट्टे V. H. Thatte |
| 3. | पदनाम Designation | मुख्य महाप्रबन्धक Chief General Manager |
| 4. | टेलीफोन नं. Telephone number | +91-22-66985454 |
| 5. | ई-मेल आईडी e-mail id | gm.international.bcc@bankofbaroda.com |



2 सिद्धांतवार (एन वी जी के अनुसार) बी आर नीति / नीतियाँ (उत्तर हां/ नहीं में)

2. Principle - wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y/N)

| क्र.सं. S.No. | प्रश्न Questions | पी1 P1 | पी2 P2 | पी3 P3 | पी4 P4 | पी5 P5 | पी6 P6 | पी7 P7 | पी8 P8 | पी9 P9 |
|------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. \$\$ | क्या आपके पास इसके लिए नीति / नीतियाँ हैं... Do you have a policy/policies for.... | हां* Y* | हां^ Y^ | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 2 | क्या नीति का प्रतिपादन सम्बन्धित हितधारकों से परामर्श कर किया जाता है? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders? | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 3. ** | क्या नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में) (कृपया पृष्ठ के नीचे की टिप्पणी देखें) Does the policy conform to any national/international standards? If yes, specify? (50 words) (Pl. see the footnote) | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 4 | क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां, तो क्या उस पर प्रबन्ध निदेशक/मालिक/सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director? | नहीं N | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 5 | क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बोर्ड/निदेशक/ अधिकारियों की विशेष समिति है? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy? | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 6 | ऑनलाइन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं? Indicate the link for the policy to be viewed online? | हां Y | नहीं N | नहीं N | नहीं N | नहीं N | नहीं N | नहीं N | नहीं N | हां# Y# |
| 7 | क्या नीति के बारे में समस्त संबंधित आंतरिक व बाह्य हितधारकों को सूचित किया जाता है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders? | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 8 | क्या कम्पनी की नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies. | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 9 | क्या कम्पनी की हितधारकों की नीति/नीतियों से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के लिए नीति / नीतियों सम्बन्धी शिकायत निवारण मशीनरी / व्यवस्था है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies? | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | हां Y |
| 10 | क्या कम्पनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से नीति की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन / लेखा परीक्षण करवाया गया है? Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency? | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | हां Y | नहीं N | हां Y | नहीं N |

\$\$ बहुत सी नीतियाँ औपचारिक रूप से बैंक के द्वारा तैयार की गई हैं जो बैंक को विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं। तथापि इसके अलावा, बैंक द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिनका परिचालन इकाइयाँ तथा विद्यमान औपचारिक नीतियों के साथ साथ अनुसरण करती हैं। इसी प्रकार बैंक, बैंकिंग कार्यों को सम्पन्न करते समय विनियामकों सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा तैयार नीतियों और अन्य कानूनों / साविधिक अपेक्षाओं के कार्यान्वित करता है।

* सिद्धांत 1 के तहत, बैंक प्राथमिक रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता नियम पुस्तक में दिए गए सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। (लिंक: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>)

^ बैंक की घरेलू ऋण नीति द्वारा नियंत्रित सिद्धांत 2 के तहत विभिन्न गतिविधियाँ जो केवल आंतरिक प्रयोग के लिए होती हैं, तथा, इसलिए इन्हें ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता।

** क्र.सं. - 3: बैंक द्वारा सभी नीतियों का अनुपालन विभिन्न नियामकों, सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत का संविधान, कानूनी अधिनियमों आदि के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। अतः ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। लिंक: www.bankofbaroda.com

\$\$ There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the Bank directly or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines, issued by the Bank from time to time, that are followed by the operating units as well as the policies formally put in place. Similarly, the Bank also implements the policies framed by regulators, affiliated associations and other statutes while carrying out the banking functions.

*Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (Link: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Domestic Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

** S. No. 3: All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, legal Acts etc. Hence, they conform to national standards.

#Link: www.bankofbaroda.com



2 क यदि किसी सिद्धांत के आगे क्र.सं. -1 का उत्तर 'नहीं' में है तो उसका कारण बताये (2 विकल्पों तक पर निशान लगाये).

2a. If answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

| क्र.सं. S.No. | प्रश्न Questions | पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 1. | कम्पनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई The company has not understood the Principles | | | | | | | | | |
| 2. | कम्पनी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने आप को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन की स्थिति में पा सके. The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles | | | | | | | | | |
| 3. | कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति स्रोत उपलब्ध नहीं हैं. The company does not have financial or manpower resources available for the task | | | | | | | | | |
| 4. | इसे अगले 6 महीने में सम्पन्न किए जाने की योजना है It is planned to be done within next 6 months | | | | | | | | | |
| 5. | इसे अगले 1 वर्ष में सम्पन्न किए जाने की योजना है It is planned to be done within the next 1 year | | | | | | | | | |
| 6. | अन्य कोई कारण (कृपया विवरण दें) ✓ Any other reason (please specify)✓ | | | | | | | | | |

3. व्यावसायिक दायित्वों से सम्बन्धित संचालन

3. Governance related to BR

| | |
|---|---|
| निदेशक मण्डल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए सम्बन्धित आवधिकता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year. | वार्षिक Annually |
| क्या कम्पनी व्यावसायिक दायित्व या प्रतिधारण (स्स्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है? Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published? | हां, बीआर रिपोर्ट को www.bankofbaroda.com पर देखा जा सकता है. Yes, BR Report can be viewed at www.bankofbaroda.com यह रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है और यह बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है. This Report is published annually and is a part of the Bank's Annual Report. |



खण्ड ड. - सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन स्थिति

Section E: Principle-wise performance

सिद्धान्त 1 Principle 1

- क्या नैतिक मूल्य, रिश्तेखोरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी नीति में केवल संस्था से जुड़े मामले ही शामिल हैं ?
- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company?

"कारोबारी संव्यवहार नीतिपरक पारदर्शी तथा उत्तरदायी होने चाहिए"
"Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability"

जी हाँ, इसमें केवल बैंक से जुड़े मामले ही शामिल होते हैं। बैंक की स्थापना 20 जुलाई, 1908 को कंपनी अधिनियम, 1897 के अधीन केवल ₹. 10 लाख मात्र की प्रदत्त पूँजी से की गई थी जो कि अब सुदृढ़ एवं विश्वसनीय वित्तीय संस्था के रूप में रूपांतरित हो चुका है। यह एक सुगंठित एवं सुसंगत वृद्धि है जिसमें कार्पोरेट विवेक एवं विद्वता, सामाजिक गरिमा, परोपकारी दृष्टिकोण अर्थात् दूसरों के विकास में ही अपना उत्थान जैसा दर्शन शामिल है।

बैंक की स्थापना सुदृढ़ नैतिक मूल्यों पर हुई तथा इही मूल्यों को ईमानदार एवं विवेकपूर्ण नेतृत्व ने आगे बढ़ाया है। वित्तीय निष्ठा व्यापारिक विवेक, सजगता एवं सावधानी तथा मेहनती लोगों द्वारा मेहनत से की गई कर्माई के प्रति पूर्ण कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्य बैंक के केंद्रीय दर्शन में शामिल हैं और इही बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा व्यवसायगत निर्णय लिए जाते हैं।

बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद है। बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मेन्युअल में उल्लिखित दिशानिर्देशों का कझाई से पालन करता है। इस दिशा में अनुपालन किए जा रहे कुछ दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-

- बैंक के अधिकारियों द्वारा भरी गई आस्ति एवं देयता रिटर्न की वार्षिक समीक्षा की जाती है।
- संबंद्ध प्राधिकारियों से परामर्श कर ऐसे अधिकारियों जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद हैं की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है।
- विभिन्न स्तरों पर स्टाफ की रोटेशन संबंधी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को मासिक रिपोर्टों के माध्यम से भेजी जाती है।
- उच्च पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवेदन फॉर्म / प्रोफार्म बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हे डाउनलोड किया जा सकता है।
- सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के प्रयोजन से सभी आवेदन फॉर्म / प्रोफार्म डाउनलोड करने योग्य रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। संलग्न करने योग्य सभी दस्तावेज और उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना वेबसाइट पर स्पष्टता से समझाई गयी है और यह आवेदन फॉर्म का हिस्सा है, जिसके अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक समान रूप से कार्यान्वयन हेतु सूचित मानकीकृत जन-शिकायत निवारण पद्धति (एसपीजीआरएस) को सूचारू बनाया गया है। विभिन्न बोलीदाताओं की स्थिति और एल-1 एजेंसी का नाम जिसे कार्य सौंपा गया है, दर्शनिवाले निवादा दस्तावेजों के मूल्यांकन के पश्चात संविदाओं का सारांश मासिक आधार पर कॉर्पोरेट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए फिनेकल में निरंतर सुधार किया जाता है। धोखाधड़ी नियंत्रित करने / रोकने के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन समाधान (एफएमएस) लागू किया गया है।
- विभिन्न अंचलों / क्षेत्रों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षणों तथा निवारक सतर्कता लेखा परीक्षा के दौरान स्टाफ सदस्यों के खातों की यादृच्छिक (रेंडम) जांच पड़ताल की जाती है। एहतियाती सतर्कता उपाय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक प्रणाली शुरू की गयी है जिसके तहत स्टाफ पर अपने खाते में नाम अथवा जमा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- बैंक में सभी शाखाओं का आवधिक आधार पर नियमित/ आकस्मिक निरीक्षण/ कनकरेट ऑडिट किए जाने की एक प्रणाली है।
- धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ग के स्टाफ सदस्यों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अंचल/ क्षेत्रीय कार्यालय/ कार्पोरेट कार्यालय के सतर्कता अधिकारियों द्वारा चयनित शाखाओं में निवारक सतर्कता ऑडिट किया जाता है।



- सूचित अनियमितताओं में स्टाफ सदस्यों की जिम्मेदारी की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से प्रत्येक अंचल कार्यालय में अंचल सरकंता समिति का गठन किया गया है। सरकंता समिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की दृष्टि से सभी अनियमितताओं और सरकंता प्रशासन से जुड़े सभी मामलों की प्रथमदृष्टया जांच करती है। केन्द्रीय सरकंता विभाग को इनकी रिपोर्ट मिलती है।
- मुख्य सरकंता अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध तत्काल निवारक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाए, जो अन्य के लिए एक दृष्टांत हो।
- केन्द्रीय सरकंता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकंता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्टाफ/जनसामान्य/ ग्राहकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर सेमिनार, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है।
- मुख्य सरकंता अधिकारी, सरकंता दृष्टिकोणवाली शिकायतों की जांच सुनिश्चित करते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो समुचित कार्रवाई करते हैं।

Yes, it covers the Bank only.

The Bank was set up on 20th July 1908, under the Companies Act of 1897, with a small paid up capital of Rs 10 lakh that has now translated into a strong and trustworthy financial body. It has been a well-orchestrated growth, involving corporate wisdom, social pride and the vision of helping others grow, and growing itself in turn.

The Bank has been founded on strong ethical values taken forward by its honest and prudent leadership. The financial integrity, business prudence, caution and an abiding care and concern for the hard earned savings of hard working people, have been the central philosophy around which business decisions are effected in the Bank.

The Bank has effective mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds.

The Bank follows the guidelines strictly as per the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. Some of the guidelines being followed are as under:

- Annual review of Assets & Liabilities Returns filed by the Bank's officers.
- An Agreed List of officers whose honesty or integrity is under doubt or suspicion is prepared annually in consultation with the relevant authorities.
- Information on rotation of staff at different levels in the Bank is submitted to the Central Vigilance Commission in monthly reports.
- To maintain utmost transparency, all application forms/proformae are made available on the websites in downloadable forms.
- As per CVC guidelines for improving Vigilance Administration by leveraging technology, all application forms/ proformae are made available on the websites in downloadable forms. All documents needed to be enclosed and the information to be provided is clearly explained on the website and is also part of the application form. Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) as advised by MOF for uniform implementation in PSBs is made active. Summary of contracts after evaluation of tender documents showing position of various bidders and name of the agency L1 to whom the work is awarded, is displayed on the corporate website on monthly basis. Improvement in Finacle to plug security loopholes is continuously effected. Fraud management Solution (FMS) has been put in place as a tool to control/prevent frauds.



- Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of regular inspection and during the Preventive Vigilance Audits conducted by the Vigilance Officers of various Zones/ Regions. As a preventive vigilance measure, a system has been introduced through the Information Technology department putting restriction on staff to either debit or credit in his account.
- The Bank has a system of conducting Regular/Surprise inspections/ Concurrent audit of all the branches periodically.
- In order to bring awareness in the rank and file to curb occurrence of frauds/ misappropriation, Preventive Vigilance Audits of selected branches by the Vigilance Officers at Zonal Offices/ Regional/ Corporate Offices are conducted.
- With a view to examine staff accountability in irregularities reported, Zonal Vigilance Committees have been constituted at each Zonal Office. The Vigilance Committee examines all irregularities *prima facie* warranting disciplinary action and all issues regarding vigilance administration. Central Vigilance department gets a report thereof.
- The Chief Vigilance Officer ensures that prompt punitive action is taken against the delinquent officials as a deterrent and demonstrative action.
- Vigilance Awareness Week is observed annually as per CVC guidelines. Seminars, competitions etc. are organized at all levels to disseminate awareness against corruption amongst staff members, public and customers..
- The Chief Vigilance Officer ensures investigation of complaints having vigilance overtones and takes appropriate action wherever required.

क्या इसे समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/ एनजीओ/ नहीं / NO

अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

**Does it extend to the Group/Joint Ventures /
Suppliers /Contractors/NGOs/Others?**

2. विगत वित्त वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ? यदि शिकायतें प्राप्त हुई हों तो 50 शब्दों में इसका विवरण दें।
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

विगत वित्त वर्ष (2013-14) के दौरान 23350 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई तथा इनमें से 23218 (99.43%) का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक सुगठित ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी कार्यरत है। बैंक ग्राहक की संतुष्टि तथा उनकी आवश्यकताओं/अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति सजग एवं जागरूक है। बैंक इस धारणा के प्रति प्रतिबद्ध है कि तकनीक प्रक्रिया, उत्पाद और स्टाफ कौशल का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं/अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाए।

इसके अलावा, वर्ष (2013-14) के दौरान 77 सतर्कता संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल/छानबीन की गई।

During the past financial year (2013-14), 23,350 customer complaints were received, out of which 23,218 (99.43%) were satisfactorily resolved. The Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, and a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism. The Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers without fail.

Also, during the year (2013-14), 77 vigilance complaints were received. All these complaints were examined/investigated through various authorities.



सिद्धान्त 2 Principle 2

- अपने -3- ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जौखिम तथा/अथवा अवसरों की दृष्टि से निरुपित किया गया है।

List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

“व्यावसाय के माध्यम से इस प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाएं जो सुरक्षित हों एवं जीवनपर्यात् सहयोगी एवं मददगार हों।”

“Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle”

i. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों तक पहुंच बनाने, उनमें बचत की आदत विकसित करने और बैंक ऋण के माध्यम से उनके लिए आय के साधन जुटाने का एक किफायती जरिया है। बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के लिए नियमों/मानदण्डों को सरल बनाया है। बैंक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों की मदद ले रहा है।

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं उनके वित्त पोषण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। बैंक वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश के चुनिंदा पिछड़े जिलों में महिला लाभार्थियों के वित्तपोषण संबंधी योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत न्यूनतम ₹.50,000/- के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए बैंक के छः अग्रणी जिलों को चुना गया है जहां गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल के जरिए केवल महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है।

ii. बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आरसेटी)

ग्रामीण युवाओं को कार्यकुशल बनाने की आवश्यकता तथा उह स्वरोजगार उद्यमों में लगाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक न्यास का गठन किया है। जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देशभर में 47 केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

ये केन्द्र प्रशिक्षित युवाओं को बैंक ऋण प्राप्त करने तथा स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मार्च, 2014 तक बैंक ने 1,92,247 अभ्यर्थियों को इसके तहत प्रशिक्षित किया है तथा इनमें से 120979 (62.93%) ने सफलतापूर्वक अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं।

iii. वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (सारथी)

समाज के वंचित वर्ग को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने के लिए वित्तीय साक्षरता प्राथमिक आवश्यकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने देशभर में 45 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं, जो उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण दान हेतु वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं तथा जो वित्तीय कठिनाइयों में हैं, उन्हें परामर्श प्रदान करते हैं।

मार्च 2014 तक कुल मिलाकर 1,26,445 व्यक्तियों ने सेवाएं प्राप्त करने के लिए इन केन्द्रों से संपर्क किया। इन केन्द्रों पर संपर्क करने वालों को केन्द्रों पर कार्यरत सभी परामर्शदाता प्रत्यक्षतः सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परामर्शदाता दूरस्थ केन्द्रों पर शिविर लगाकर भी सेवाएं दे रहे हैं।

i. Self Help Groups (SHGs)

SHG is a cost effective way to reach out to the poor and empower them by inculcating saving habit amongst them as well as enabling them to undertake income generating activities through bank credit. The Bank has adopted more liberal norms of financing to SHGs. The Bank is also taking help of reputed NGOs for formation of SHGs.

Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs. The Bank is implementing the scheme of financing to women beneficiaries in identified backward districts of the country, as per the guidelines of the Ministry of Finance, wherein the minimum loan amount of Rs 50,000 is sanctioned. The Bank's six Lead districts are identified for implementation of this scheme under which exclusive women SHGs are formed under tie up arrangement with NGOs.



ii. Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda RSETI)

Identifying the need for imparting skills to rural youth and engaging them in self employment ventures, the Bank has formed a trust under which 47 centers are established all over the country to provide free of cost vocational training to the unemployed youth.

These centers are also providing handholding support to the trained youth in availing bank credit and in establishment of their ventures. Bank has trained 1,92,247 candidates under this activity out of which 1,20,979 (62.93%) have established their ventures successfully up to March 2014.

iii. Financial Literacy & Credit Counseling centers (SARATHEE)

Financial literacy being a prerequisite for bringing the excluded sections of the society under the financial services, the Bank has established 45 Financial Literacy and Credit Counseling Centers all over the country which are providing financial literacy for responsible borrowing and also counseling to those who are under financial distress. Till March 2014, cumulatively 1,26,445 persons visited these centers for availing the services.

All the counselors at these centers are providing face to face services to the visitors at the centers as also conducting camps in the remote areas for providing their services.

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा लागू नहीं माल आदि) संबंधी प्रति उत्पाद निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक)
 - i. इस संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में संसाधनों / उत्पादन/संवितरण के दौरान लाई गई कमी
 - ii. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) लाई जा सकी कमी.

For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional)

- i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
- ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

3. क्या कंपनी की धारणीय संसाधन प्राप्ति के लिए प्रक्रिया/व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित)
 - i. यदि हां तो आपके इनपुट्स का कितना प्रतिशत धारणीय प्राप्त किया गया है ? 50 शब्दों में इसका विवरण भी दें.

Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

- i. *If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.*



4. क्या कंपनी ने स्थानीय तथा लघु उत्पादकों, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास का समुदाय भी शामिल है, से उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ?

यदि हां तो उनकी क्षमता तथा स्थानीय तथा छोटे वेन्डर्स की क्षमताओं में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

लागू नहीं

Not Applicable

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की रिसाइकिलिंग के लिए कोई व्यवस्था है ? यदि हां तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की रिसाइकिलिंग का प्रतिशत कितना है ? (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%) 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराए

Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

लागू नहीं

Not Applicable



| सिद्धान्त 3 Principle 3 | | "व्यवसाय से सभी कर्मचारियों की सुख-समृद्धि उत्तम होनी चाहिए।" "Businesses should promote the wellbeing of all employees" | |
|---|--|---|--|
| 1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं Please indicate the Total number of employees. | 46,001 (31 मार्च, 2014 को) (as on 31 st March 2014) | | |
| 2. कृपया अस्थायी / संविदा / आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis | 2 | | |
| 3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं. Please indicate the Number of permanent women employees. | 9,641 | | |
| 4. कृपया अपंग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities | 877 | | |
| 5. क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबन्धन के द्वारा मान्य है? जी हां, दो संगठन हैं Do you have an employee association that is recognized by management? | (एक अधिकारी कर्मचारियों के लिए तथा एक लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए) Yes, Two Associations (one for Officer Employees & one for Clerical & Sub staff Employees) | | |
| 6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्य कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं? What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association? | अधिकारी संगठन : 63.74% लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारी संघ: 46.73% Officers' Association 63.74% Clerical & Sub staff Employees' Union 46.73% | | |
| 7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या दर्शाएं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया शिकायतों की स्थिति दर्शाएं. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year. | | | |
| क्र.सं. | श्रेणी S. No. Category | वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या No of complaints filed during the financial year | वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या No of complaints pending as on end of the financial year |
| 1. | बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी Child labour /forced labour/involuntary labour | शून्य Nil | शून्य Nil |
| 2. | यौन उत्पीड़न Sexual harassment | 1 | शून्य Nil |
| 3. | पक्षपाती रोजगार Discriminatory employment | शून्य Nil | शून्य Nil |
| 8. | नीचे दर्शाएं गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल विकास (अपग्रेडेशन) का प्रशिक्षण दिया गया? What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year? | | |
| | • स्थायी कर्मचारी Permanent Employees | 51.00% | |
| | • स्थायी महिला कर्मचारी Permanent Women Employees | 45.00% | |
| | • आकस्मिक आधार पर लिए गए / अस्थायी / संविदा कर्मचारी Casual/Temporary/Contractual Employees | शून्य Nil | |
| | • अशक्त कर्मचारी Employees with Disabilities | 43.00% | |



सिद्धान्त 4 Principle 4

“व्यवसाय में सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर हैं, उनके हितों का सम्मान होना चाहिए तथा उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए।”

“Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized”

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं?
Has the company mapped its internal and external stakeholders?

जी हाँ

Yes

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को चिह्नित कर लिया है?
Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?

जी हाँ

Yes

3. क्या कम्पनी ने वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने के लिये कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ, तो इसका लगभग 50 शब्दों में विवरण दें.

Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

बैंक ने आंतरिक वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने तथा उनको लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं:

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी

जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न कर, बैंक अपने सभी कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार की भावना की नीति का आचरण करता है। अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों के लिए बैंक कुछ विशिष्ट लाभ/सुविधाएं/सहायता मुहैया करवाता है जैसे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट से छात्रवृत्ति।

अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों/ शिकायतों पर विचार करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारी तथा प्रत्येक अंचल (कुल 13) में संपर्क अधिकारी की व्यवस्था की है। साथ ही, बैंक ने प्रधान कार्यालय, बड़ौदा में एक समर्पित अनुभाग की स्थापना भी की है जिसके अनुभवी एवं पेशेवर कर्मी अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण से संबंधित मुद्दों को देखते हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. आयोग, सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क में रहते हैं ताकि अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो।

कॉर्पोरेट स्तर एवं अंचल स्तर पर बैंक, अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संगठन के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता है जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के लाभ एवं आरक्षण से संबंधित विभिन्न नीतियों के समुचित अनुपालन पर नियमित रूप से विचार किए/निर्णय लिए जाते हैं।

अशक्त व्यक्ति

एक नियोक्ता के तौर पर बैंक अपने सभी कर्मचारियों को एक समान अवसर प्रदान करता है। अशक्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। अशक्त व्यक्तियों को काम सौंपते हुए इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी अशक्तता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य आसानी से कर सकें।

इसके अलावा, अशक्त व्यक्तियों को विशेष रूप से निश्चित लाभ/प्रतिफल दिये जाते हैं जैसे प्राथमिकता के आधार पर बैंक के रिहायशी आवासों का आवंटन, श्रवण यंत्र (बहरे लोगों के लिए) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, कृत्रिम अंग (अस्थि विकलांगता के लिए) निश्चित सीमा के भीतर, अंधे एवं अस्थि विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भरे का भुगतान, सुविधाजनक स्थानों पर नियुक्ति, ग्रामीण/अर्ध शहरी स्थानों में नियुक्ति से छूट इत्यादि।



- बैंक ने बाह्य वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को इसमें समाहित करने तथा उनको लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- क. ₹.1 लाख तक के कृषि ऋण में मार्जिन एवं संपार्शिक प्रतिभूति संबंधी आवश्यकता में छूट.
 - ख. बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (बीकेसीसी) के अंतर्गत बीकेसीसी धारक किसान वैयक्तिक ऋण सहित कृषि एवं परिवार के भरणपोषण, उपभोग की वस्तुओं एवं निवेश के लिए अग्रिम ले सकते हैं।
 - ग. ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत ऋणदाताओं से लिए गए ऋण के अधिग्रहण के समय ऋणग्रस्तता साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट। ₹. 25000/- तक के ऋण के लिए आवेदक द्वारा केवल स्व घोषणा दिये जाने की आवश्यकता है।
 - घ. छोटे एवं मझोले किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं कमज़ोर वर्ग के अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणी के ऋणकर्ताओं से कोई मार्जिन राशि लेने की आवश्यकता नहीं है जबकि विशेष विकास कार्यक्रमों जैसे एसजीएसवाई इत्यादि के तहत अनुदान की व्यवस्था है।
 - ड. खेतिहर मजदूर, बंटाईदार एवं अलिखित पट्टेदार को फसल उपजाने के लिए दिये जाने वाले ऋण की स्थिति में, स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र बैंक स्वीकार करता है।
 - च. कमज़ोर वर्गों के शिक्षा ऋणकर्ताओं एवं शहरी गरीबों के लिए आवास ऋण हेतु बैंक ऋण ब्याज अनुदान योजना संचालित कर रहा है।
 - छ. कृषि क्षेत्र में अग्रिम के लिए सरलीकृत ऋण दस्तावेजीकरण अर्थात् एकल दृष्टिबन्धन प्रक्रिया अपनाई गई है।
 - ज. बैंक के अन्य ग्राहकों के समान ही दृष्टिहीन ग्राहकों को वैकल्पिक डिलिवरी चैनल के माध्यम से बैंकिंग संव्यवहार कर पाने योग्य बनाने हेतु बैंक ने अपने कुछ चुनिन्दा एटीएम में ध्वनि निर्देशित परिचालन की व्यवस्था लागू की है।

The Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the **internal** disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Some of them are as under:

SC/ST Employees

The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/facilities/assistance to employees belonging to SC/ST category such as pre-recruitment training, pre promotion training and scholarship for meritorious students among children of employees belonging to SC/ST category, from Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust.

The Bank has a Chief Liaison Officer in the rank of General Manager at Head office level and Liaison officer at each zone (total 13) for effectively addressing issues/grievances of SC/ST employees. Also, there is a dedicated SC/ST cell at the Bank's Head Office, Baroda, manned by experienced professionals, which deals with issues related to SC/ST reservation and liaison with SC/ST commission, Government officials and other external agencies for ensuring strict compliance of SC/ST reservation guidelines.

The Bank conducts quarterly meetings with All India Bank of Baroda SC/ST Employees Welfare Association at corporate level as well as zonal offices level wherein regular view is made about the proper implementation of the various policies pertaining to reservation and benefits extended to employees belonging to SC/ST.



Persons with Disabilities

The Bank, as an employer, provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability.

Moreover, certain benefits/considerations are especially extended to persons with disabilities such as preferential allotment of the Bank's residential accommodation, financial assistance for buying hearing aid (for hearing impaired persons), artificial limbs (for orthopedically challenged) within certain limits, payment of conveyance allowance to blind and orthopedically handicapped employees, convenient place of posting, exemption from rural/semi-urban posting etc.

The Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the **external** disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Some of them are as under.

- a. Margin and collateral security requirements are waived for agricultural loans up to Rs 1 lakh.
- b. Under Baroda Kisan Credit Card (BKCC) Scheme, BKCC holder farmers can avail farm and family maintenance, consumption and investment credit including personal loans.
- c. Under the Debt Swap scheme for takeover of loans availed from non institutional lenders, the Bank has waived the requirement for any documentary evidence for indebtedness. Only self declaration for loans up to Rs 25,000 is required from the applicant.
- d. For small and marginal farmers, agriculture labourers and other specified categories of weaker sections, no margin from borrowers is required where subsidy is available under special development programmes like SGSY, etc.
- e. The Bank is accepting certificates provided by local administration/ Panchayti Raj institutions regarding the cultivation of crops in case of loans to landless laborers, sharecroppers and oral lessees.
- f. The Bank is implementing Interest Subsidy Scheme for Education Loan borrowers belonging to weaker sections and Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor.
- g. Simplified loan documentation i.e. Single hypothecation document is adopted for lending to Agriculture Sector.
- h. The Bank has implemented Voice Guidance Functionality on its select ATMs for assisting its Visually Challenged Customers to enable them to carry out banking transactions on alternate delivery channels and bring them to par with all other customers of the Bank.



सिद्धान्त 5 Principle 5

1. क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/ अन्य शामिल हैं?

Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

“व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्द्धन करना चाहिए।”

“Businesses should respect and promote human rights”

बैंक की मानवाधिकार नीतियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल बैंक परिचालन से ही सम्बद्ध हैं और ये अनुषंगियों पर लागू नहीं होती।

बैंक इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान हैं और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान अवश्य होना चाहिए। बैंक ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिससे राष्ट्रीय मूल, नागरिकता, रंग, जाति, विश्वास, धर्म, पूर्वजों, वैवाहिक स्थिति, लिंग, अपंगता, उम्र, यौन उन्मुखता, जन्म स्थान, सामाजिक स्थिति, या नियम विरुद्ध अन्य किसी आधार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षपात न हो।

कार्यस्थल पर मानवाधिकार संबंधी भारतीय संविधान के तथ्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बैंक अच्छी तरह समझता है। बैंक सगठनों की आजादी एवं परस्पर सहमति का सम्मान करता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का बैंक निषेध करता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सेवा शर्तों में समुचित प्रावधान है। तदनुसार, बैंक ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों से संबन्धित मामलों को देखने के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर उप महाप्रबंधक स्तर की मुख्य महिला संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है।

सभी 13 अंचलों में, महिला कर्मचारियों से संबन्धित शिकायतों पर त्वरित एवं तत्परता से कारवाई करने के लिए एक महिला संपर्क अधिकारी की व्यवस्था है। इन महिलाओं को महिला कर्मचारियों से संबन्धित शिकायतों को संभालने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवधिक प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। महिला कर्मचारियों से संबन्धित मामलों, उनके अधिकारों एवं यौन उत्पीड़न से रोकथाम के महत्व एवं इसकी संवेदनशीलता पर लगातार बल दिया जा रहा है। महिला कर्मचारियों के लाभ, अधिकार, यौन उत्पीड़न से रोकथाम, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं उन्हें लागू करने के लिए बैंक समय समय पर परिपत्र जारी कर सेवा शर्तों के नियमों को लागू करता है।

बैंक वैबसाइट के माध्यम से सूचना को जनता तक पहुंचाना

बैंक अपने उत्पादों/सेवाओं/ जनता के लिए उपलब्ध सुविधाओं की अद्यतन जानकारी / कोई अन्य सूचना जो सार्वजनिक की जा सकती है, पब्लिक डोमेन में रखता है। एक अधिसूचित कंपनी होने के नाते सार्वजनिक सूचना के लिए बैंक अपने वित्तीय परिणामों को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गई सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसीलिए सर्व साधारण को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

शिकायतों का निपटारा

ग्राहक शिकायत को शीघ्रता से निपटाने हेतु ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है मानक जन शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस)। ग्राहक शिकायत निपटान के लिए यह एक वेब आधारित मौड़यूल है। यद्यपि, बैंक ग्राहकों के अधिकार का सम्मान करता है, फिर भी यदि वे अपनी शिकायत के निपटाए जाने से संतुष्ट नहीं हैं तो आरबीआई की लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत राज्यों की राजधानियों में स्थित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly, cover only the operations of the Bank and do not extend to its subsidiaries etc.



The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank follows such policies that, directly or indirectly, do not discriminate on the basis of national origin, citizenship, color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the law.

The Bank understands well the Human Rights content of the Constitution of India and other international laws on Human Rights at the work place. The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at the work place. In the Service conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at workplace. Accordingly, for addressing issues related specifically to women employees in work places, the Bank has appointed Chief Lady Liaison Officer in the rank of Deputy General Manager at the Corporate office level.

At each of the 13 zones, there is one lady liaison officer to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. These ladies are given periodical training to equip themselves to handle grievance of women employees effectively. There are regular reinforcements regarding sensitivity and importance of matters relating to women employees, their rights and prevention of Sexual Harassment. The Bank issues circulars from time to time reinforcing service condition rules, benefits to women employees, rights of women employees, prevention of Sexual Harassment, guidelines issued by Supreme court of India and their implementation.

Dissemination of Information to public through the Bank's web site

The Bank places up-to-date information about its Products / Services / Facilities available to public/any other information, which can be disclosed, in public domain. Being a listed company, the Bank displays its financial results in the public domain for information to the public.

Bank of Baroda is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and, thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Redressal of Complaints

The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. One of such measures being Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS), a web based online customer complaint redressal module. However, the Bank respects the right of the customers, in case they are not satisfied with the redressal of their complaints, to approach The Banking Ombudsman located in State Capitals under RBI Ombudsman Scheme 2006.

2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया।

How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई जिसे बिना समय गंवाए संतोषपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया।

There was one complaint filed on Sexual Harassment during the financial year which was satisfactorily resolved.



सिद्धान्त 6 Principle 6

1. क्या कंपनी की सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/ अन्य शामिल हैं?

Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures / Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.

2. क्या कंपनी के पास भूमंडलीय वातावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन, भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति हैं/ कंपनी ने कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें। Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? If yes, please give hyperlink for webpage etc.

“व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना चाहिए”

“Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment”

यह नीति केवल बैंक को कवर करती है।

The policy covers the Bank only.

जी हाँ

- क) बैंक की घरेलू ऋण नीति के अनुसार पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उद्योगों को बैंक ऋण नहीं देता है जैसे ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ यथा-फोम उत्पादन, रेफिंजरेटर एवं एयर कंडीशनर, ऐरोसोल उत्पादन, सफाई वाले विलायकों में उपयोग की जा रही कोरोरेफ्लोरो कार्बन (सीएफसी - 11, 12, 113 & हैलोरेस - 1211, 1301, 2402)
- ख) ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं को महत्वा एवं प्राथमिकता देता है ताकि कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा मिले जैसे पवन चक्री/सौर ऊर्जा परियोजना इत्यादि।
- ग) विषैले प्रदूषक उत्सर्जन वाली निर्माण इकाइयों के मामलों में, ऐसे प्रदूषकों को वातावरण में छोड़ने से पहले इसके प्रसंस्करण के लिए जल प्रशोधन प्रणाली की स्थापना पर ज़ोर देता है और सुनिश्चित करता है कि ऋणकर्ता ग्राहक ने केन्द्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
- घ) बैंक के स्थापना दिवस जैसे विशेष मौकों पर वृक्षारोपण जैसे विशेष अभियान चलाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण मसलों पर जागरूकता फैलाने की दृष्टि से बैंक स्कूली बच्चों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि आयोजित करता है और विजेताओं को समुचित रूप से पुरस्कृत करता है।
- इ) स्थावर सम्पदा परियोजनाओं को वित्त पोषित करते समय बैंक उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है जो राष्ट्रीय भवन कोड 2005 के दिशानिर्देशों का पालन करती है, पूर्ण एश उत्पादों का उपयोग करती है और बारिश के पानी को एकत्रित करती है। बैंक ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है जो अपनी ऊर्जा सम्बन्धी जलरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है।
- ज) बैंक ने अपनी शाखाओं / कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे उदारकर्ताओं, विक्रेताओं आदि को भुगतान केवल एन.ई.एफ.टी / आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही करें और इस प्रकार कागज की बचत करें।
- झ) स्टाफ वेतन और अन्य लाभों का भुगतान करने, छह्टी मंजूर करने, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन आदि के लिए बैंक के पास ऑनलाईन पैकेज है जिसके कारण बैंक अपनी कागज की खपत में कमी करता है।
- ज) बैंक ने रिटेल ऋणों के मूल्यांकन के लिए एलएपीएस पद्धति क्रियांवित की है। कोर्पोरेट ऋणों के लिए भी बैंक ऑनलाईन पैकेज शुरू करने की प्रक्रिया में है।
- झ) हरित पहल के रूप में बैंक ने एक प्रतिष्ठित कम्पनी की सेवाएं ली हैं जो वृक्षारोपण के कार्य में लागी हैं जिसके द्वारा कोर्पोरेट्स और व्यक्तिगत ऑनलाईन सुविधा के जरिए सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं और व्यक्तिगत सन्देश के साथ ई-प्रमाण पत्र के द्वारा ऐसे वृक्षों को किसी को भी भेट कर सकते हैं। बैंक ने 463 वृक्ष रोपित किए और इतनी ही संख्या में कोर्पोरेट कार्यालय की विजिट करने वाले महत्वपूर्ण लोगों को और अपने कर्मचारियों को उनके जन्मदिवस पर ई-प्रमाण पत्र जारी किए।
- ज) बैंक ने समर्पित रूप से हरित भवनों को कार्यान्वित किया है। बैंक ने वाराणसी और जयपुर में भवनों का निर्माण किया जो अत्याधिक तकनीक तथा प्रणाली से सुसज्जित है और इनमें ऊर्जा किफायती उपकरणों का चयन, वर्षा के पानी के संग्रहण की पद्धति के प्रावधान, सौर ऊर्जा के उपयोग जैसे हरित भवन नियमों का पालन किया गया है और इनके निर्माण में इको-फ्रेंडली सामग्री का प्रयोग किया गया है ताकि सूर्य के प्रकाश तथा ताजी हवा का अधिकतम उपयोग किया जा सके। जयपुर में हमने बाट्य लाईटिंग, स्टेयरकेस लाईटिंग और बेसमेंट लाईटिंग के लिए 5 केवी सौलर पैनल स्थापित किया है। इन्दौर स्थित रिहायशी स व्यावसायिक भवन का निर्माणाधीन कार्य इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग (आईजीबीसी) (गोल्ड रेटिंग) के मानकों के अनुरूप किया गया है। भवन का बचा हुआ निर्माण कार्य भी आईजीबीसी नियमों के अनुसार किया जाएगा।



ट) बैंक ने कई उपाय किए हैं जैसे ऊर्जा किफायती एयर हैडलर्स का कार्यांवयन, एयर कंडीशनिंग प्लांट का अधिकतम उपयोग, तापमान और दबाव की रीयल टाइम मॉनीटरिंग, ऊर्जा किफायती आई.टी. उपकरण चयन, न्यूनतम ऊर्जा की हानि, कुशल सीएफएल और एलईडी लाइटिंग, इंटेलीजेंट लाइटिंग कंट्रोल, न्यूनतम हानि के लिए हाई- थर्मल इंश्यूलेशन, सौर ऊर्जा युक्त यूपीएस, शाखाओं में धिन क्लाइंट और सेवाओं का आभासीकरण

Yes

- a) As per the Bank's Domestic Loan Policy, the Bank is not extending any finance to the environmental hazardous industries viz. Industries using Ozone Depleting Substances such as Chlorofluoro carbon CFC-11,12,113 & Halons-1211, 1301, 2402 being used in Foam Products, Refrigerators & Air-conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning.
- b) While appraising the credit proposal, the Bank gives due weightage and preference to the environment friendly green projects which earn the carbon credits such as Wind Mills/ Solar Power projects.
- c) In case of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.
- d) On special occasions like the foundation day of the Bank, special drives like plantation of trees are conducted. With a view to spread awareness on environmental issues like global warming, the Bank conducts debates, essay competitions, painting competitions etc. of school children & suitably rewards the winners.
- e) While financing the Real estate projects, the Bank finances the projects following the guidelines of National Building Code 2005, use fly ash products and harvest rain water. The Bank gives preference to the projects harnessing solar energy to meet the energy needs.
- f) The Bank has directed all its branches/offices to make payment to borrowers, vendors etc. only through NEFT/RTGS, thereby saving paper.
- g) The Bank has online package for payment of staff salary & other benefits, sanction of leave, performance appraisal etc thereby reducing the paper consumption.
- h) The Bank has implemented LAPS system for appraisal of retail loans. For corporate Loans also, the Bank is in the process of launching the online package.
- i) As a part of green initiative Bank has availed the services of a reputed company that is engaged in planting trees whereby corporates/ individuals can plant trees in public lands through the online facility and dedicate such trees to greet or honour someone by means of an e-certificate with the personalized message. The Bank had planted 463 trees and issued equivalent e-certificates to important dignitaries visiting its Corporate Office and also employees on their birthdays.
- j) The Bank has implemented green building norms in a dedicated fashion. Bank has constructed buildings at Varanasi and Jaipur equipped with ultra modern gadgets and systems as per green building norms like selection of energy efficient equipments, provision of rain water harvesting system, utilization of solar energy and using eco-friendly materials for the construction etc. Orientation of the buildings was selected so as to have optimum utilization of sun-light & fresh air. At Jaipur we have installed 5 KW Solar panel for external lighting, staircase lighting and basement lighting. Ongoing construction of residential cum commercial building at Indore is done as per the standards of Indian Green Building Council (IGBC) (Gold rating). All up-coming construction of the building shall also be undertaken as per the IGBC norms.



| | | |
|--|--|--|
| | | k) The Bank has taken measures like implementation of energy efficient air handlers, air conditioning plant optimization, real time monitoring of temperature and pressure, energy efficient IT equipment selection, minimize power loss, energy efficient CFL and LED lighting, intelligent lighting control, high thermal insulation to minimize losses, solar powered UPS, thin clients at branches and virtualisation of servers. |
| 3. क्या कंपनी पर्यावरण संभावित जोखिम को चिह्नित/ आकलन करती है? Does the company identify and assess potential environmental risks? | | जी हाँ, टीईवी (तकनीक-आर्थिक-व्यवहार्यता) अध्ययन एवं परियोजना मूल्यांकन में, पर्यावरण संबंधी जोखिम को कम किए जाने को बैंक उचित महत्व देता है। मंजूरी संबंधी निर्णय मुख्यतः परियोजना की व्यवहार्यता पर निर्भर रहते हैं। एसएमई रेटिंग मोड्यूल में बैंक 5 बोनस अंक पर्यावरण फ्रैंडली उद्योगों को देता है। Yes, in the TEV (Techno-Economic-Viability) study/project appraisal, the Bank gives due weightage to the mitigation of Environmental Risks. The sanction decisions are mainly dependent upon the viability of the projects. In SME rating module, the Bank gives 5 Bonus marks to environment friendly industries |
| 4. क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है? अगर है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। और, यदि हाँ तो, क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed? | | कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने विभिन्न तकनीकी पहलों की हैं। प्रस्तावों की स्वीकृति के समय, कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक ई-व्यवसाय दिशा - निर्देशों का अनुपालन तय/निर्धारित करता है। इचादातर एटीएम रहित क्षेत्रों में बैंक एटीएम की संस्थापना पर ज़ोर देता है जिसे यात्रा में समय व पेट्रोल/डीजल की खपत कम होती है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलती है। The Bank has taken various technological initiatives to promote paperless banking. While sanctioning proposals, the Bank stipulates compliance with e-business guidelines to promote paperless banking. The Bank also gives the old stationary for destruction only to the recycling units. The Bank is focusing on increasing installation of ATMs mostly in the uncovered areas, thereby, reducing the time and Petrol/Diesel consumption in travelling and helping in maintaining clean environment. |
| 5. क्या कंपनी ने प्रदूषण रहित तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है। यदि हाँ, तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें। Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. If yes, please give hyperlink for web page etc. | | बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष परियोजना नहीं है लेकिन बैंक ने कई सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, लघु जल एवं पवन शक्ति परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण को बैंक प्राथमिकता देता है। The Bank has no such direct project but the Bank has financed many Solar Power, Biomass, Small Hydro & Wind Power Projects. The Bank gives priority in financing environment friendly renewable energy projects. |
| 6. क्या आलोच्य वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का अवशिष्ट उत्पादन/उत्सर्जन सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर है? Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported? | | बैंक सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है और इसलिए कोई विषेश/खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता है। तथापि, निर्माण इकाइयों का वित्तपोषण करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र लेना बैंक की प्राथमिक शर्तों में से एक है। पर्यावरण संबंधी अनुपालन को बैंक प्रमुख स्वीकृति शर्तों में रखता है। The Bank is in service industry and, therefore, does not emit any toxic/hazardous pollutants. However, while financing to manufacturing units, obtaining NOC from Pollution Control Boards is one of the Bank's primary conditions. The Bank stipulates Environmental compliance as one of the main conditions of sanction. |
| 7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात् संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year. | | इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। No such instance. |



सिद्धान्त 7 Principle 7

‘व्यवसाय जब जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो तो इसे जिम्मेदारी पूर्वक सम्पत्ति किया जाना चाहिए’.

“Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner”

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संगठन की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय सम्बद्ध है?

Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.

- जी हाँ,
1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम)
 5. इंडियन मर्चेन्ट चैंबर (आईएमसी)
 6. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद (एमईडीसी)
 7. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (एफआईसीसीआई)
 8. उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (सीएएफआरएएल)
 9. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)
 10. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)
 11. द असोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएम)
 12. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन सेमिनार (एसआईबीओएस)

Yes.

1. Indian Banks Association (IBA)
2. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
4. National Institute of Bank Management (NIBM)
5. Indian Merchant Chamber (IMC)
6. Maharashtra Economic Development Council (MEDC)
7. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
8. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)
9. National Payments Corporation of India (NPCI)
10. The Clearing Corporation of India Ltd (CCI)
11. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
12. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है. यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें जैसे शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, सम्प्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य

Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? If yes, specify the broad areas such as Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

देश के विशालतम वाणिज्यिक बैंकों में से एक होने के नाते बैंक नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और नियंत्रण संबंधी नीतियों, मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन संबंधी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं।

Bank being one of the largest commercial banks in the country works closely with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of the banking industry, monetary policy, financial inclusion related policies, and sustainable development of the banking industry.



सिद्धान्त 8 Principle 8

1. क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजना हैं। यदि हाँ, तो इसका विवरण दें।

Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

“व्यवसाय से समग्र वृद्धि तथा समान विकास को बल मिलना चाहिए”.

“Businesses should support inclusive growth and equitable development”

समाज की समग्र वृद्धि तथा समान विकास के लिए बैंक ने कई कार्यक्रम/परियोजनाएं/पहल करने का प्रयास किया है।

विवरण निम्नप्रकार से हैं:

समग्र विकास के लिए बैंक ने वहन करने योग्य लागत पर बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की है और समान विकास के लिए इसे मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ा है। इस वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक ने विशेष उत्पाद तैयार किए हैं जैसे बचत सह अंतर्रित ओवरड्राफ्ट सुविधा, लचीली आवर्ती जमा, बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, बड़ौदा सामान्य क्रेडिट कार्ड तथा ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता को देखते हुए कम प्रीमियम पर बीमा उत्पाद आवर्टित गाँवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए बैंक ने आईसीटी आधारित बीसी मॉडल, मोबाइल वैन तथा ब्रिक एवं मोर्टर शाखा मॉडल लागू किया है।

बैंक ने अब तक विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत 14,161 गाँवों को कवर किया है जिसमें 12,178 बीसी मॉडल के अंतर्गत, 1,772 भौतिक शाखाओं एवं 211 गाँव मोबाइल वैन द्वारा कवर किए गए हैं। बैंक में 74.66 लाख मूल बचत बैंक जमा खाते खोले गए हैं जिसमें से 18.71 लाख खाते व्यवसाय प्रतिनिधि अभिकर्ताओं के माध्यम से खोले गए हैं। 11.41 लाख ग्राहकों ने केसीसी सुविधा प्राप्त की है जिसमें कुल बकाया शेष राशि ₹. 12,081.27 करोड़ है। 0.04 लाख ग्राहकों ने जीसीसी सुविधा प्राप्त की है जिसमें कुल बकाया शेष राशि ₹. 53.87 करोड़ है।

बैंक के सेवा क्षेत्र में लगभग 21,526 गाँव आते हैं और शेष गाँवों को विभिन्न मॉडलों के तहत अगले तीन वर्ष अर्थात मार्च 2016 तक कवर करने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की है। इसके अलावा, पहले ही तैयार किए गए आधारभूत ढाये और वित्तीय समावेशन गतिविधियों में आई गति के साथ बैंक भिन्न-भिन्न प्रकार के वित्तीय समावेशन प्लान के लक्ष्यों को 31.3.2016 तक प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

The Bank has undertaken several initiatives/programmes/projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

Details are as under:

The Bank has implemented Financial Inclusion project to provide banking service in un-banked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. Considering the need of the segment, bank has devised special products such as Savings cum inbuilt Overdraft facility, Flexible Recurring Deposit, Baroda Kisan Credit Card, Baroda General Credit Card and Insurance product with low premium to cater the need of rural masses. Bank has implemented ICT based BC model, Kiosk Banking model, Mobile Van and Brick & Mortar branches models to provide banking services in the service villages allocated to the bank.

Bank has covered 14,161 villages through various models out of which 12,178 are covered through BC model, 1,772 through brick and mortar branches and 211 through mobile van. The Bank has opened 74.66 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts out of which 18.71 lakh accounts were opened through the Business Correspondent Agents. About 11.41 lakh customer's availed KCC facility having balance outstanding Rs. 12,081.27 crore. About 0.04 lakh customer's availed GCC facility having balance outstanding Rs. 53.87 crore.

The Bank has approximately 21,526 villages in its service area and planned to cover all remaining villages in a phase manner within three years i.e. by March 2016 through various models. Moreover, with the infrastructure being already laid and the momentum that has gathered in Financial Inclusion activities, the Bank would be in a position to achieve the Disaggregated Financial Inclusion Plan targets up to 31.03.2016.





2. क्या यह कार्यक्रम/परियोजना आंतरिक टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है?

Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/ any other organization?

3. क्या आपने कभी अपने पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है ? Have you done any impact assessment of your initiative?

वित्तीय समावेशन योजना आंतरिक टीम की मदद से चलायी जाती है। बैंक ने इस उद्देश्य के लिए पृथक विभाग की स्थापना की है जिसके प्रभारी महाप्रबंधक हैं।

The Financial Inclusion Project has been undertaken by the in-house team. The Bank has set up a separate department headed by General Manager for this purpose.

जी हाँ, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के उस तबके को कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो अब तक उनसे वंचित रहे हैं। इस प्रकार बैंक रहित जनसंख्या को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में लाया जा सकेगा। मूल बचत योजना के अंतर्गत समूचे देश में लगभग 74.66 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें से 18.71 लाख खाते व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से खोले गए हैं। यह महसूस किया गया है कि बचत के लिए बैंक खाते जैसा विश्वसनीय स्रोत/जरिया मिलने पर, वे लोग जो पहले बचत नहीं कर पाते थे अब पैसा बचाने की आदत डाल रहे हैं।

इस तथ्य को इस बात से भी देखा जा सकता है कि सीमित सुविधा वाले (नो फ्रिल) खातों में कुल औसत निधि लगातार बढ़ रही है। हमारे बैंक के पास दिनांक 31.03.2014 को यह निधि लगभग ₹.1,918 करोड़ थी। बैंक खातों की सुविधा के अभाव में या तो यह निधि मुख्य धारा बैंकिंग में नहीं आती या फिर उपयोग के रूप में व्यय हो जाती। व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा खोले गए खातों में वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 33.23 लाख लेन-देन हुए हैं जिनमें ₹.525.56 करोड़ राशि प्रोसेस हुई, जो यह दर्शाता है कि लोगों ने बैंकिंग सुविधा का उपयोग शुरू कर दिया है।

बैंक ने वित्तीय समावेशित ग्राहकों को काफी मात्रा में ऋण भी दिए हैं। इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा की उपलब्धता से न केवल उनको आसानी हुई है बल्कि धीरे-धीरे वे निजी ऋणदाताओं की पकड़ से बाहर आ रहे हैं।

अतः यह बचत की आदत पर सकारात्मक प्रभाव और लोगों के समग्र विकास को दर्शाता है जो अब तक इससे बाहर थे और जिन्होंने वित्तीय मुख्य धारा में हाल ही में शुरूआत की है।

Yes, the Financial Inclusion plan aims at providing banking services at affordable costs to those segments of society who are deprived of it so far thereby bringing the un-banked population into the formal financial sector. About 74.66 lakh accounts opened under Basic Savings Bank Deposit Schemes across the country. Out of which, 18.71 lakh accounts are opened through Business Correspondents. It is observed that after getting the reliable sources for saving of their surplus funds like bank accounts, the people who were earlier not able to save have started developing habits of saving money. It can be seen from the fact that average aggregate funds in no-frill accounts are continuously increasing. As on 31.03.2014, these funds were around Rs 1,918 crore with the Bank. In the absence of bank account facility, these funds either would not have brought in mainstream banking or would have been lost in consumption. About 33.23 lakh transactions amounting to Rs 525.56 crore have been processed during the financial year in the accounts opened through Business correspondents, thereby indicating that these people have started using banking facilities. The Bank has also lent substantial amount to Financial Inclusion customers. The availability of in-built overdraft facility is not only giving them comfort but removing them slowly out of clutches of private money lenders.

Thus, it shows positive impact on the savings habit and overall development of people, who were earlier excluded and newly joined the financial mainstream.



| | |
|---|--|
| <p>4. समुदाय विकास योजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है ? (राशि ₹.में और प्रारंभ की गई परियोजनाओं का विवरण) What is your company's direct contribution to community development projects (Amount in INR and the details of the projects undertaken).</p> <p>5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगों ने सफलतापूर्वक अपनाया है. यदि हाँ तो, कृपया 50 शब्दों में विवरण दें। Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.</p> | <p>समुदाय विकास तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण गतिविधियों से जुड़े 59 विभिन्न संगठनों को बैंक ने कुल राशि ₹.1,530.05 लाख के ऋण वितरित किए हैं। (कृपया अनुभाग ख मद संख्या 5 का संदर्भ लें) The Bank has disbursed a sum of Rs 1,530.05 lakh to 59 organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities. (Pl. refer to Section B point no. 5)</p> <p>पंजीकृत संगठन/संस्थान के सनदी लेखाकार से बैंक इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करता है कि बैंक द्वारा स्वीकृत दान का उपयोग संबंधित उद्देश्य के लिए हुआ है। The Bank is obtaining a certificate issued by a Chartered Accountant of the done organization/Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.</p> |
|---|--|

सिद्धान्त 9 Principle 9

| | |
|--|---|
| <p>1. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं ? What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?</p> | <p>“व्यवसाय को अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े रह कर उनको जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से महत्व देना चाहिए।” “Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner”</p> |
| <p>2. क्या कंपनी ने उत्पाद लेबल पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की हैं?</p> | <p>इस वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक कुल प्राप्त शिकायतें (23,350) की 0.57% (151) शिकायतें लंबित हैं। Around 0.57% (132) of the total number of complaints received (23,350) are pending as at the end of the financial year 2013-14.</p> |
| <p>3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कंपनी के विरुद्ध अवैध व्यापार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और यह इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है ? यदि हाँ तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।</p> | <p>लागू नहीं। Not Applicable</p> |
| <p>Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws?</p> | |
| <p>4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति / उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया है</p> | <p>शून्य Nil</p> |
| <p>Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?</p> | |
| <p>Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p> | |
| <p>ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2013-14 का कार्य चल रहा है जिसमें अब तक करीब 32575 प्रतिक्रिया मिल चुकी हैं। हमें करीब 40,000 प्रतिक्रिया मिलने का अनुमान है। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने और अंतिम परिणाम आने में एक और माह (30.05.2014 तक) लग सकता है।</p> | |
| <p>A customer satisfaction survey 2013-14 is underway and has received about 32,575 responses till now. We expect to receive about 40,000 responses in all. It may take a month more (say up to 30.05.2014) to complete the survey related work and release the final results.</p> | |



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खाते में ई-मेल आईडी दर्ज करें।

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास,
विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081
फोन नं. 040-2342 0815 से 820,
फैक्स नं. 040-2342 0814
ई मेल : einward.ris@karvy.com



बैंक ऑफ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास,
विठ्ठलराव नगर, माधापुर,
हैदराबाद - 500 081

प्रिय महोदय,
मैं / हम _____
बैंक ऑफ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नर्स के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के
एक प्रयास के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल
आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के
शेयर भौतिक रूप में हैं।

फोलियोनम्बर: _____ ईमेलआईडी: _____
मैं / हम इस आशय का वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम
से प्राप्त संदेशों को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए
दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन
देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल
हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक
ऑफ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को
उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे।

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :

M/S Karvy Computershare Private Ltd., (Unit: Bank of Baroda),
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital,
Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081,
Phone No. 040 – 2342 0815 to 820
Fax No. 040 – 2342 0814
E-mail : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital,
Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081

Dear Sir,

I/ We _____ holding _____ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: _____ Email ID: _____
I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

Signature of First Holder



प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिये शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें
2. कृपया लाभांश सीधे अपने खाते में जमा करने के लिये अपना इसीएस मैनडेट रजिस्टर करें
3. कृपया ई-मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लिये अपनी ई-मेल आईडी रजिस्टर करें

अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टॉम्प नहीं
3. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण / संचरण
4. नामांकन सम्भव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में
6. अस्वा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

इसीएस मैनडेट

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा करना
2. लभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कारपोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल हैं

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares
2. Please register your ECS Mandate for direct credit of Dividend amount in your A/c
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of share certificate
2. No share transfer fees or stamp
3. Easy / hassle free transfer / transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO application possible

ECS Mandate

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc



दिनांक 31.3.2014 को भारतीय रिजर्व बैंक के नये पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण (सोलो आधार पर)

Disclosures (on solo basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel III) of Reserve Bank of India as on 31.03.2014

डीएफ 1 : अनुप्रयोग का क्षेत्र एवं पूँजी पर्याप्तता

प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर सोलो आधार पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।

DF 1. Scope of application and Capital Adequacy

The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, on solo basis, which is the top bank in the group

(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosures: -

| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation | क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation | समेकन की केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation |
|--|---|---|--|---|--|---|
| नैनीताल बैंक लि./ भारत The Nainital Bank Ltd. / India | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बॉब कैपिटल मार्केट लि. / भारत BOB Capital Markets Ltd /India | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बॉबकार्ड्स लि. / भारत BOB Cards Ltd. / India | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि. / बोत्स्वाना Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. / केन्या Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. / यूगांडा Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (युगाना) लि. / युगाना Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |



| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation | क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation | यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation |
|--|---|---|--|---|--|---|
| बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd. / Trinidad &Tobago | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के) लि./ यू.के. BOB (UK) Ltd. / UK | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हाँ Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि. / भारत India First Life Insurance Company Ltd. / India | हाँ Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidation Method | नहीं NO | विनियामक पंजी से निवेश आस्ति कम कर दी गई है The investment asset is deducted from regulatory capital | किसी इंश्योरेस कंपनी पर लागू विनियामक दिशानिर्देश Regulatory guidelines applied to an insurance entity. | विनियामक दिशानिर्देश Regulatory Guidelines. |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया India International Bank (Malaysia) Bhd./Malaysia | हाँ Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidation Method | हाँ Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidation Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| इंडिया इंफ्राडेट लि. / भारत India Infradebt Ltd. / India | हाँ Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidation Method | हाँ Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidation Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| इंडो ज़ाबिया बैंक लिमिटेड / ज़ाबिया Indo Zambia Bank Limited / Zambia | हाँ Yes | इकिवटी पद्धति Equity Method | हाँ Yes | इकिवटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि./भारत Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. / India | हाँ Yes | इकिवटी पद्धति Equity Method | हाँ Yes | इकिवटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |



| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation | क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation |
|--|---|---|---|---|--|--|
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि./ भारत Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd / India | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Garmin Bank / India | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Rajasthan Kshetriya Garmin Bank / India | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Gujarat Garmin Bank / India | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हाँ Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |

क. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के लिए शामिल किया गया है:

a. List of group entities considered for consolidation:

| | |
|--|--|
| नैनीताल बैंक लि. | The Nainital Bank Ltd. |
| बॉब कैपिटल मार्केट लि. | BOB Capital Markets Ltd |
| बॉबकार्ड्स लि. | BOB Cards Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि. | Bank of Baroda (Botswana) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. | Bank of Baroda (Kenya) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. | Bank of Baroda (Uganda) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) लि. | Bank of Baroda (Guyana) Inc. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. | Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एट टोबेगो लि. | Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. | Bank of Baroda (Ghana) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. | Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लि. | BOB (UK) Ltd. |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | India International Bank (Malaysia) Bhd. |
| इंडिया इंफ्राडेट लि. | India Infradebt Ltd. |
| इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड | Indo Zambia Bank Limited |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. | Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. |
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. | Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd |
| बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक | Baroda Uttar Pradesh Garmin Bank |
| बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | Baroda Rajasthan Kshetriya Garmin Bank |
| बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक | Baroda Gujarat Garmin Bank |



ख. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के विनियामक तथा लेखांकन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए शामिल नहीं किया गया है :

| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / country of incorporation | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इकिवटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल इकिवटी में बैंक के शेयर का (%) % of bank's holding in the total equity | इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक प्रबंध Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity | कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) |
|--|--|--|---|--|---|
| शून्य / NIL | | | | | |

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन के लिए शामिल की गई समूह की इकाइयों की सूची:

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

(राशि लाख में) / (Amt in Lks)

| इकाई का नाम / निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) के में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above) | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इकिवटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) |
|--|--|--|---|
| नैनीताल बैंक लि./ भारत The Nainital Bank Ltd. / India | बैंकिंग Banking | 44528.43 | 534259.01 |
| बॉब कैपिटल मार्केट लि. / भारत BOB Capital Markets Ltd /India | गैर बैंकिंग Non Banking | 14277.82 | 15791.55 |
| बॉबकार्ड्स लि. / भारत BOB Cards Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 17357.11 | 21939.40 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि./ बोत्स्वाना Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana | बैंकिंग Banking | 11609.25 | 109108.11 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya | बैंकिंग Banking | 54202.44 | 372526.14 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda | बैंकिंग Banking | 39853.39 | 232425.76 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) लि./ गुयाना Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana | बैंकिंग Banking | 5620.61 | 40526.82 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया Bank of Baroda (Tanzania) Ltd./Tanzania | बैंकिंग Banking | 10726.92 | 55613.99 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd./Trinidad &Tobago | बैंकिंग Banking | 3763.84 | 39058.53 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana | बैंकिंग Banking | 24423.29 | 42641.71 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand | बैंकिंग Banking | 22231.03 | 36196.08 |
| बॉब (यू.के.) लि./ यू.के. BOB (UK) Ltd. / UK | गैर बैंकिंग Non Banking | 11.43 | 11.43 |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia | बैंकिंग Banking | 23645.18 | 34793.58 |
| इंडिया इंफ्राडेट लि. / भारत India Infradebt Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 32894.33 | 33157.37 |





| इकाई का नाम / निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) के में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above) | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इकिवटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) |
|--|--|--|---|
| इंडो ज़ाबिया बैंक लिमिटेड / ज़ाबिया Indo Zambia Bank Limited / Zambia | बैंकिंग Banking | 31981.54 | 216610.77 |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. / भारत Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 6626.40 | 7258.67 |
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. / भारत Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 5.70 | 11.95 |
| बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Garmin Bank / India | बैंकिंग Banking | 75100.56 | 1441812.55 |
| बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Rajasthan Kshetriya Garmin Bank / India | बैंकिंग Banking | 64801.83 | 1077137.53 |
| बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Gujarat Garmin Bank / India | बैंकिंग Banking | 12479.70 | 261411.78 |

घ. उन सभी अनुषंगियों में पूंजीगत विसंगतियों की कुल राशि जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं की गई है अर्थात् जो घटा दी गई है :

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

| इकाइयों का नाम/ निगमित देश Name of the subsidiaries / country of incorporation | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इकिवटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल इकिवटी में बैंक के शेयर का (%) % of bank's holding in the total equity | पूंजीगत कमियां Capital deficiencies |
|---|--|--|---|--|
| शून्य / Nil | | | | |

ड. इंश्योरेंस इकाइयों में बैंक के कुल ब्याज की कुल राशि (जैसे कि वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारित है :

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि लाख में) / (Amt in Lks)

| इंश्योरेंस इकाइयों का नाम / निगमित देश Name of the insurance entities / country of incorporation | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इकिवटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल इकिवटी में बैंक के शेयर का % / वोटिंग शक्ति का अनुपात % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power | जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method |
|---|--|--|---|--|
| इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. India First Life Insurance Company Ltd. | इंश्योरेंस Insurance | 35057.35 | 44% | 16198.00 |

च. बैंकिंग समूह में नियामक पूंजी अथवा फंडों के ट्रांसफर में कोई प्रतिबंध या अडचन :

प्रतिबंध तथा अडचनों के संबंध में मेजबान देशों का स्थानीय कानून तथा नियामक लागू हैं। समूह इकाइयों के बीच पूंजीगत निधियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधित है।

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

In regard to restriction and impediments local laws and regulation of host countries are applicable. The transfer of Capital funds within the Group entities is restricted.



डीएफ 2 : पूँजी पर्याप्तता

क. बैंक जमाकर्ताओं सामान्य क्रणदाताओं तथा अंशधारक को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूँजी की व्यवस्था रखता है, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूँजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूँजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूँजी आबंटन को व्यापक रूप से विकसित किया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने क्रण जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है।

पूँजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूँजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूँजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूँजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूँजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूँजी
- भविष्य की पूँजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।
- पूँजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। बैंक की नीति आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूँजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूँजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूँजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूँजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके। अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूँजी संग्रहीत करता है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूँजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक को भी प्रस्तुत की जाती है।

(ख) क्रण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताएं

- मानकीकृत पद्धति के अध्यधीन संविभाग : ₹ 2873987.50 लाख
- प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर : शून्य

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताएं

- ब्याज दर जोखिम : ₹ 102664.41 लाख
- विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) : ₹ 2025.00 लाख
- इकिवटी जोखिम : ₹ 71472.63 लाख

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताएं

- आधारभूत संकेतक पद्धति : ₹ 194792.94 लाख
- मानकीकृत पद्धति (यदि लागू हो) : लागू नहीं

(इ) कॉमन इकिवटी टियर 1 तथा कुल पूँजीगत अनुपात

- बैंक ऑफ बड़ौदा (सोलो आधार पर)

DF 2. Capital Adequacy

- a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. Capital Planning exercise of the bank is carried out every year to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the time of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.
- The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis and the same is submitted to RBI also.

(b) Capital requirements for credit risk:

- Portfolios subject to Standardized approach: Rs. 2873987.50 Lks
- Securitizations exposures: Nil

(c) Capital requirements for market risk:

- Interest rate risk: Rs. 102664.41 Lks.
- Foreign exchange risk (including gold): Rs. 2025.00 Lks
- Equity risk: Rs. 71472.63 Lks.

(d) Capital requirements for operational risk:

- Basic Indicator Approach : Rs. 194792.94 Lks
- The Standardized Approach (if applicable): NA

(e) Common Equity Tier 1, and Total Capital ratios:

- Bank of Baroda (Solo Basis):



कुल आरडब्ल्यू के लिए कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी : 8.95%

कुल आरडब्ल्यू के लिए टियर 1 पूँजी : 9.28%

बैंक ऑफ बडौदा के लिए कुल पूँजीगत अनुपात : 12.28%

पूँजीगत अनुपात की गणना में 31 मार्च 2014 का प्रतिधारित अर्जन को शामिल किया गया है।

डीएफ 3 : ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- i. मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किस्त अतिदेय हो जाती है।
- ii. ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता अनियमित रहता है।
- iii. खरीदे गए तथा बद्वाकृत बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं।
- iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है।
- v. लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है।

किसी ओडी / सी सी खाते को 'अनियमित' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो। ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'अनियमित' खाते की श्रेणी में माना जायेगा।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी ऐसी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई देय तारीख को अदा नहीं की जाती है।

गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए समुचित प्रावधान करता है।

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ:

- (i) ब्याज / किस्त (परिपक्व प्राप्तियों सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहता है।
- (ii) यह अधिगानी शेयरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है।
- (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेयरों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी 1/- रुपये किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन इक्विटी शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।

Common Equity Tier I capital to Total RWA: 8.95%

Tier I capital to Total RWA: 9.28%

Total capital ratio for Bank of Baroda: 12.28%

Retained earnings as on 31st March 2014 have been included in computation of the Capital ratios.

DF 3. General disclosures in respect of Credit Risk

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- I. Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- II. The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- III. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- IV. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as '**out of order**' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as '**out of order**'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Investments (NPI):

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- (i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions. Those equity shares are also reckoned as NPI.





- (iv) यदि निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस निर्गमकर्ता द्वारा अधिमानी शेयरों सहित जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा। तथापि, यदि केवल अधिमानी शेयर ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत हैं तो उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी अन्य में किया गया निवेश एनपीए नहीं माना जाएगा।
- (v) डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में माने जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंडों के अध्यधीन हैं।

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

• अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्ति से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा समतुल्य अवधि के लिए गैर निष्पादक आस्ति रही हो।

• संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को, 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

• हानि वाली आस्तियां

हानि वाली आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से हैं जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि वाली आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है।

कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है, जो कि निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर (ऋण) सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप एवं उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक में विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण प्रक्रिया- स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकार करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली आदि के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है

ऋण जोखिम दर्शन

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

(iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI , the investment in any of the other performing issued by the same issuer may not be treated as NPA.

(v) The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

• Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

• Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

• Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection. In loss assets realizable value of security available is less than 10% of balance outstanding/ dues.

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre-sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.



- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन के मामले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में सुनियोजित वृद्धि से लक्ष्य प्राप्त किए जाएं।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टॉफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋणी वर्गों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानिटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठारे हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारार ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देश, पूर्णीय पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

बैंक की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा नियंत्रकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बैंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, स्तर, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखते हैं।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान तथा कमीयों को पूरा करना।
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना।
- निर्धारित नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है।

- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.



बैंक की मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण

(क) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

| विवरण Particulars | निधि आधारित Fund Based | गैरनिधि आधारित Non-Fund Based |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Total Gross Credit Risk : (Gross Advances) | 40370406.01 | 6403901.72 |
| Less : Deduction | 669824.93 | 1485133.75 |
| Total Net Advances | 39700581.08 | 4918767.96 |

(ख) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण, (निधि आधारित तथा गैर आधारित अलग-अलग)

(c) Geographic distribution of exposures, (Fund based and Non-fund based separately)

| विवरण Particulars | निधि आधारित Fund Based | गैरनिधि आधारित Non-Fund Based |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| कुल सकल ऋण जोखिम : (बकाया सकल अग्रिम) (घरेलू) Total Gross Credit Risk : (Outstanding Gross Advances) (Domestic) | 27785930.31 | 4966318.91 |
| कुल सकल ऋण जोखिम : (बकाया सकल अग्रिम) (विदेशी) Total Gross Credit Risk : (Outstanding Gross Advances) (Overseas) | 12584475.70 | 1437582.81 |

(ग) एक्सपोजर का उद्योग टाइप संवितरण (घरेलू) (निधि आधारित तथा गैरनिधि आधारित अलग-अलग)

(d) Industry type distribution of exposures (Domestic) (Fund based and Non-fund based separately):

| क्र. | उद्योग | Sr. | Industry | निधि आधारित Fund based | गैरनिधि आधारित Non Fund Based | कुल Total |
|------|----------------------------|-----|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| ए | खनन एवं उत्खनन | A | Mining and Quarrying | 255796.02 | 73819.28 | 329615.30 |
| ए.1 | कोयला | A.1 | Coal | 27502.29 | 8236.20 | 35738.49 |
| ए.2 | अन्य | A.2 | Other | 228293.73 | 65583.08 | 293876.80 |
| बी. | खाद्य प्रसंस्करण | B. | Food Processing | 729000.04 | 153013.47 | 882013.51 |
| बी.1 | चीनी | B.1 | Sugar | 202830.04 | 1345.18 | 204175.22 |
| बी.2 | खाद्य तेल एवं वनस्पति | B.2 | Edible Oils and Vanaspati | 78979.45 | 104493.43 | 183472.88 |
| बी.3 | चाय | B.3 | TEA | 7113.15 | 264.42 | 7377.57 |
| बी.4 | काफी | B.4 | Coffee | 1165.56 | 0.00 | 1165.56 |
| बी.5 | अन्य | B.5 | Others | 438911.84 | 46910.44 | 485822.28 |
| सी. | पेय पदार्थ | C. | Beverages | 64422.68 | 7779.87 | 72202.55 |
| सी.1 | तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद | C.1 | Tobacco and tobacco products | 19299.68 | 6248.94 | 25548.62 |
| सी.2 | अन्य | C.2 | Others | 45123.01 | 1530.93 | 46653.94 |
| डी. | टैक्सटाइल | D. | Textiles | 1410142.47 | 191714.67 | 1601857.14 |
| डी.1 | काटन टैक्सटाइल | D.1 | Cotton Textile | 656121.52 | 40852.77 | 696974.29 |
| डी.2 | जूट टैक्सटाइल | D.2 | Jute Textile | 16420.88 | 4276.11 | 20696.99 |
| डी.3 | हस्तशिल्प / खादी | D.3 | Handicraft/Khadi | 31038.12 | 1322.98 | 32361.10 |



| क्र. | उद्योग | Sr. | Industry | निधि आधारित Fund based | गैरनिधि आधारित Non Fund Based | कुल Total |
|----------|------------------------------------|---------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| डी.4 | सिल्क | D.4 | Silk | 25867.42 | 1920.67 | 27788.09 |
| डी.5 | वूलन | D.5 | Woollen | 42116.64 | 2087.35 | 44203.99 |
| डी.6 | अन्य | D.6 | Others | 638577.89 | 141254.79 | 779832.68 |
| | डी में से स्पिनिंग मिल्स | | Out of D to spinning Mills | 357217.48 | 28264.36 | 385481.84 |
| ई. | चमड़ा और चमड़ा उत्पाद | E. | Leather and Leather products | 46247.50 | 4022.11 | 50269.61 |
| एफ. | काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद | F. | Wood and Wood products | 58561.57 | 11810.14 | 70371.71 |
| जी. | कागज एवं कागज उत्पाद | G. | Paper and Paper products | 171960.90 | 35401.74 | 207362.64 |
| एच. | पेट्रोलियम | H. | Petroleum | 334570.19 | 218325.12 | 552895.31 |
| आय. | रसायन और रसायन उत्पाद | I. | Chemicals and Chemical Products | 903120.42 | 277032.31 | 1180152.73 |
| आय.1 | उर्वरक | I.1. | Fertilizers | 168393.66 | 124176.26 | 292569.92 |
| आय.2 | इंग एवं फार्मास्यूटिकल | I.2 | Drugs and Pharmaceuticals | 262541.24 | 35414.67 | 297955.91 |
| आय.3 | पेट्रो-केमीकल्स | I.3 | Petro-Chemicals | 75949.76 | 26180.54 | 102130.30 |
| आय.4 | अन्य | I.4 | Other | 396235.76 | 91260.83 | 487496.60 |
| जे. | रबड प्लास्टिक एवं अन्य उत्पाद | J. | Rubber Plastic and their Products | 345091.36 | 60933.09 | 406024.45 |
| के. | ग्लास एवं ग्लासवेयर | K. | Glass and Glassware | 122777.49 | 31153.66 | 153931.15 |
| एल. | सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद | L. | Cement and Cement Products | 144325.05 | 20048.14 | 164373.20 |
| एम. | मूल धातु एवं धातु उत्पाद | M. | Basic Metal and Metal Products | 1618108.49 | 439124.59 | 2057233.08 |
| एम. 1 | लौह एवं स्टील | M.1 | Iron and Steel | 1294811.47 | 326457.54 | 1621269.01 |
| एम.2 | अन्य धातु एवं धातु उत्पाद | M.2 | Other Metal and Metal Products | 323297.02 | 112667.05 | 435964.08 |
| एम. | समस्त इंजीनियरिंग | N. | All Engineering | 794641.81 | 531840.61 | 1326482.42 |
| एन. 1 | इलैक्ट्रॉनिक्स | N.1 | Electronics | 158071.22 | 68433.23 | 226504.45 |
| एन.2 | अन्य इंजीनियरिंग | N.2 | Other Engg | 636570.59 | 463407.38 | 1099977.97 |
| ओ. | वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर | O. | Vehicles, vehicle parts and Transport Equipments | 148559.25 | 75168.58 | 223727.84 |
| पी. | जेम्स एवं ज्वैलरी | P. | Gems and Jewellery | 176271.12 | 2650.96 | 178922.09 |
| क्यू. | निर्माण | Q. | Construction | 692100.95 | 102940.01 | 795040.96 |
| आर. | संरचना | R. | Infrastructure | 3461063.15 | 764470.57 | 4225533.72 |
| आर. 1 | परिवहन | R.1 | Transport | 847595.54 | 235857.00 | 1083452.55 |
| आर.1.1 | रेलवे | R.1.1 | Railways | 4358.62 | 132.85 | 4491.48 |
| आर.1.2 | सड़क परिवहन | R.1.2 | Roadways | 668240.64 | 200536.14 | 868776.78 |
| आर.1.3 | विमानन | R.1.3 | Aviation | 54815.61 | 1285.46 | 56101.07 |
| आर.1.4 | जल परिवहन | R.1.4 | Waterways | 46430.53 | 4170.98 | 50601.51 |
| आर.1.5 | अन्य परिवहन | R.1.5 | Others Transport | 73750.14 | 29731.58 | 103481.72 |
| आर.2 | ऊर्जा | R.2 | Energy | 1875425.48 | 305981.81 | 2181407.28 |
| आर.2.1 | विद्युत जेन-ट्रांस-डिस्ट्रीब्यूशन | R.2.1 | Electricity gen-trans--distribution | 1875148.52 | 300698.87 | 2175847.39 |
| आर.2.1.1 | इनमें से राज्य बिजली बोर्ड | R.2.1.1 | of which state electricity Board | 535978.79 | 16039.42 | 552018.21 |



| क्र. | उद्योग | Sr. | Industry | निधि आधारित Fund based | गैरनिधि आधारित Non Fund Based | कुल Total |
|--------|---------------------------------------|-------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| आर.2.2 | तेल | R.2.2 | Oil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आर.2.3 | गैस / एलएनजी (स्टोरेजे एवं पाइप लाइन) | R.2.3 | Gas/LNG (STORAGE AND PIPELINE) | 276.96 | 5282.94 | 5559.89 |
| आर.2.4 | अन्य | R.2.4 | Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आर.3 | टेलिकम्युनिकेशन | R.3 | Telecommunication | 487275.73 | 98769.48 | 586045.21 |
| आर.4 | अन्य | R.4 | others | 250766.39 | 123862.28 | 374628.68 |
| आर.4.1 | जल स्वच्छता | R.4.1 | Water Sanitation | 17873.57 | 52328.40 | 70201.97 |
| आर.4.2 | सामाजिक एवं वाणिज्यिक संरचना | R.4.2 | Social and Commercial Infrastructure | 46755.80 | 16239.74 | 62995.53 |
| आर.4.3 | अन्य | R.4.3 | Others | 186137.03 | 55294.15 | 241431.17 |
| एस. | अन्य उद्योग | S. | Other Industries | 403254.80 | 63561.40 | 466816.20 |
| | सभी उद्योग (कुल) | | All Industries (Total) | 11880015.27 | 3064810.34 | 14944825.62 |
| | | | Residuary other advances(not included above) | 15905915.04 | 1901508.57 | 17807423.60 |
| | | | Total Loans & Advances | 27785930.31 | 4966318.91 | 32752249.22 |

उद्योगों में ऋण एक्सपोज़र, जहां बकाया एक्सपोज़र बैंक के कुल घरेलू ऋण एक्सपोज़र के 5% से अधिक है, इस प्रकार है,

Credit exposure in industries where outstanding exposure is more than 5% of the total domestic credit exposure of the bank are as follows:

| क्रम संख्या Sr no | उद्योग Industry | एक्सपोज़र राशि (लाख रु. में) Exposure amt. (in Lks.) | कुल घरेलू एक्सपोज़र का % % of Total Domestic Exposure |
|----------------------|--|--|---|
| | विद्युत जन-द्रान्स--संवितरण Electricity gen-trans--distribution | 2175847.39 | 6.64% |

च. आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण

f. Residual maturity breakdown of assets:

(राशि लाख ₹ में Amt in Lks)

| समयावधि | Time bucket | अग्रिम Advances | | | | निवेश Investments | | | | अन्य विदेशी मुद्रा आस्तियां Other Foreign Currency Assets | | | कुल आस्तियां Total Assets (A+B+C) | प्रतिशत %age |
|------------------|-------------|--------------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------|----------|---|-----------------|
| | | घरेलू रु. Domestic Rupee | घरेलू विदेशी मुद्रा Domestic Fgn Currency | विदेशी Int'l | कुल (ए) Total (A) | घरेलू Domestic | विदेशी Int'l | कुल (बी) Total (B) | घरेलू Domestic | विदेशी Int'l | कुल (सी) Total (C) | | | |
| 1 दिन | 1 D | 200502 | 2853 | 154776 | 358132 | 94780 | 0 | 94780 | 13727 | 2174911 | 2188638 | 2641549 | 4.22 | |
| 2-7 दिन | 2-7 D | 1018042 | 9977 | 552430 | 1580450 | 209538 | 92 | 209630 | 0 | 905028 | 905028 | 2695108 | 4.3 | |
| 8-14 दिन | 8-14 D | 285571 | 15109 | 389325 | 690005 | 34218 | 1036 | 35254 | 0 | 528201 | 528201 | 1253460 | 2 | |
| 15-28 दिन | 15-28 D | 630129 | 53036 | 941891 | 1625056 | 369510 | 1860 | 371370 | 59915 | 721387 | 781302 | 2777728 | 4.44 | |
| 29 दिन-90 दिन | 29-90 D | 3533743 | 164832 | 2259512 | 5958087 | 494675 | 15824 | 510499 | 433185 | 2295311 | 2728496 | 9197082 | 14.68 | |
| 3 महीने-6 महीने | 3 - 6 M | 1980257 | 119889 | 2571007 | 4671154 | 50211 | 44102 | 94313 | 554214 | 2233859 | 2788073 | 7553539 | 12.06 | |
| 6 महीने-12 महीने | 6 - 12 M | 2115951 | 13699 | 833939 | 2963590 | 358091 | 30122 | 388213 | 110843 | 1141064 | 1251907 | 4603711 | 7.35 | |
| 1 वर्ष-3 वर्ष | 1 - 3 Y | 7581357 | 64937 | 3006102 | 10652395 | 1016067 | 169337 | 1185403 | 0 | 95908 | 95908 | 11933707 | 19.05 | |
| 3 वर्ष-5 वर्ष | 3 - 5 Y | 2351555 | 167 | 1024142 | 3375864 | 1279772 | 184859 | 1464631 | 0 | 13541 | 13541 | 4854036 | 7.75 | |
| 5 वर्ष से अधिक | Over 5 Y | 7075193 | 95 | 750561 | 7825848 | 7158685 | 98490 | 7257174 | 0 | 37346 | 37346 | 15120368 | 24.14 | |
| कुल | TOTAL | 26772302 | 444594 | 12483685 | 39700581 | 11065545 | 545721 | 11611266 | 1171884 | 10146557 | 11318441 | 62630288 | 100 | |



(च) एनपीए की राशि (कुल)

(f) Amount of NPAs (Gross):

राशि लाख ₹ में / Amount in Rs. Lks

| क्रमांक Sr. No. | आस्ति श्रेणी | क्रमांक Sr. No. | Asset Category | Total |
|--------------------|--|--------------------|---|------------|
| (एफ) | एनपीए (सकल) | (f) | NPAs (Gross): | 1187589.79 |
| | अवमानक | | Substandard | 380920.07 |
| | संदिग्ध 1 | | Doubtful 1 | 411290.02 |
| | संदिग्ध 2 | | Doubtful 2 | 244631.42 |
| | संदिग्ध 3 | | Doubtful 3 | 30390.93 |
| | हानि | | Loss | 120357.35 |
| (जी) | शुद्ध एनपीए | (g) | Net NPAs | |
| | कुल | | Total | 602522.35 |
| (एच) | एनपीए अनुपात | (h) | NPA Ratios | |
| | सकल अग्रिमों में सकल एनपीए | | Gross NPAs to gross advances | 2.94% |
| | निवल अग्रिम में निवल एनपीए | | Net NPAs to net advances | 1.52% |
| (आई) | एनपीए (सकल) का मूवमेंट | (i) | Movement of NPA(Gross) | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | 798258.33 |
| | जोड़ | | Additions | 683392.00 |
| | कमी | | Reductions | 294060.54 |
| | अन्तिम शेष | | Closing balance | 1187589.79 |
| (जे) | एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट | (j) | Movement of provisions for NPAs | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | 379032.00 |
| | वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | | Provision made during the year | 294758.00 |
| | बढ़े खाते/अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन | | Write off/ Write back of excess provision | 88722.56 |
| | अन्तिम शेष | | Closing balance | 585067.44 |
| | गैर निष्पादक निवेश | | Non Performing Investments | |
| (के) | गैर निष्पादक निवेश की राशि | (k) | Amount of Non-Performing Investments | 46270.56 |
| (एल) | गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि | (l) | Amount of provisions held for non-performing investment | 35347.10 |
| (एम) | निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट | (m) | Movement of provisions for depreciation on investments | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | 32301.00 |
| | अवधि के दौरान किया गया प्रावधान | | Provisions made during the period | 7377.00 |
| | प्रतिलेखन | | Write-back | 14057.00 |
| | अन्तिम शेष | | Closing balance | 37725.00 |



डीएफ 4 :ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्याकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), और आइसीआरए की घेरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टेप्डर्ड एवं पूअर, मूडीफच की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक, कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है। निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

DF 4. Credit Risk : Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approaches

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), ICRA, SMERA (SME Rating Agency of India Ltd.) and Brickwork India Pvt Ltd for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available. The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(राशि लाख ₹ में Amt in Lks)

| जोखिम भार की श्रेणी | Category of Risk Weight | कुल TOTAL |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 100% जोखिम भार से कम | Below 100% risk weight | 24606423.22 |
| 100% जोखिम भार | 100% risk weight | 14092169.86 |
| 100% जोखिम भार से अधिक | More than 100 % risk weight | 3789945.37 |
| सीआरएम कटौती | CRM DEDUCTED | 4285769.28 |
| कुल एक्सपोजर (एफ बी+एन एफ बी) | Total Exposure (FB+NFB) | 46774307.73 |

डीएफ 5. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति का प्रकटीकरण

क. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्शिक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है, जहाँ कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्शिक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं।

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ.
2. भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ.
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेरयर
4. बैंक की स्वाधीकृत जमाराशियाँ.
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआइसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
6. ऋण प्रतिभूतियाँ - कठिपय शर्तों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा अनुमोदित
7. ऋण प्रतिभूतियाँ - रेटिंग नहीं की गई कठिपय शर्तों के साथ एक बैंक द्वारा जारी

DF 5. Credit risk mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions





8. स्थूचुअल फंडों की यूनिटें
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन.
10. स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक के पास, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति उपलब्ध है।

बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत पद्धति बासेल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

बैंक के ऋण जोखिम के एवज में गारंटीदाताओं के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियां)
- कॉर्पोरेट्स / पी एस ई
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्शिक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होते हैं अर्थात् ये कुल सीआरएम का प्रमुख भाग होते हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटरों (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएसआई, काउंटर पार्टी की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व व्यापारिक डीलर तथा अन्य संस्थाएं (मुख्यतः पेरेंट, अनुषंगी तथा संबंद्ध कंपनियां) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं।

- ख.** प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्शिक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants for on-balance sheet netting under Basel-II standardized approach for credit risk, following Comprehensive Approach of Basel II norms.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate/PSEs
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM collaterals available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies constitute a major percentile of total CRM.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTSI, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.

- b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:**

(राशि लाख ₹ में Amt in Lks)

| ऋण जोखिम संविभाग | Credit Risk Portfolio | वित्तीय संपार्शिक (मार्जिन पश्चात) Total Financial Collateral (post hair cut) |
|---------------------------|------------------------|--|
| देशी गारंटी | Domestic Sovereign | 00 |
| सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां | Public Sector Entities | 77436.26 |
| बैंकों पर दावे | Claims on Banks | 105769.44 |
| कॉर्पोरेट | Corporate | 3143305.46 |
| क्षेत्रीय रिटेल संविभाग | Reg Retail Portfolio | 998943.09 |
| आवासीय संपत्ति | Residential Property | 9107.69 |
| वाणिज्यिक रियल इस्टेट | Commercial Real Estate | 4656.62 |
| विनिर्दिष्ट श्रेणियां | Specified Categories | 56506.86 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 2595.50 |
| कुल | TOTAL | 4398320.92 |



ग. एक्सपोजरों का विवरण, जो कि गारंटीयों द्वारा कवर किए गए हैं, (भारतीय रिजर्व बँक द्वारा अनुमत)

d. **Details of exposures that are covered by Guarantees (permitted by RBI)**

(राशि लाख ₹ में Amt in Lks)

| स्वरूप | Nature | डीआईसीजीसी DICGC | ईसीजीसी ECGC | सीजीएफटीएमएसई CGFTMSE | ए ए और ए गारंटी AA & A Gty | राज्य सरकार गारंटी State govt Gty | केन्द्रीय सरकार गारंटी Central govt gty | बैंक गारंटी Gty by Banks |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| देशी गारंटियां | Domestic Sovereigns | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां | Public Sector Entity | 0.00 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 345060.55 | 480209.19 | 263.67 |
| बैंकों पर दावे | Claims on Banks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कॉर्पोरेट | Corporate | 0.00 | 525547.97 | 125.35 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 500020.49 |
| विनियामक रिटेल संविभाग | Regulatory Retail Portfolio | 110.74 | 37127.81 | 121522.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15290.14 |
| आवासीय संपत्ति | Residential Property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वाणिज्यिक रियल इस्टेट | Comml. Real Estate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विनिर्दिष्ट श्रेणियां | Specified Categories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | Total | 110.74 | 562722.09 | 121648.09 | 0.00 | 348060.55 | 480209.19 | 515574.30 |

डीएफ 6. प्रतिभूतीकरण

- क. बैंक की प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण हैं।
- दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।
- ख. प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है। बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

DF 6. Securitization:

- a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, and advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.
- The Bank does not have any case of its assets securitized as on 31st March 2014
- e. There is no case of retained exposure in respect of securitization
- Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under:-

(राशि लाख ₹ में Amt in Lks)

| विदेशी ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी | Risk weight category as per external credit rating | बही मूल्य Book value | बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book | जोखिम भार % RW % | जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value |
|---|--|----------------------|--|------------------|--|
| शून्य / Nil | | | | | |

- ग. बैंक की वर्ष 2014-15 के दौरान अपनी किसी भी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण करने की कोई योजना नहीं है।

डीएफ 7. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम प्रबंधित किए जाते हैं:

- ब्याज दर जोखिम

- f. The bank does not presently plan to securities any of its standard assets during the year 2014-15

DF 7. Market risk in trading book:

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk



- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, हानिरोधक सीमाएं, और मूल्य जोखिम सीमाएं। जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं। हानिरोधक सीमा, वस्तुलीकृत और अवसूलीकृत हानियों को ध्यान में लेती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूँजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है यथा मानकीकृत अवधि पद्धति। इस प्रकार आकलित पूँजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-III के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2014 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूँजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं।

| | | 9% पर न्यूनतम पूँजी प्रभार Minimum Capital Charge at 9% % (Amt in Lks) |
|----------------------|------------------------------|--|
| ब्याज दर जोखिम | Interest Rate Risk | 102664.41 |
| इक्विटी स्थिति जोखिम | Equity Position Risk | 71472.63 |
| विदेशी मुद्रा जोखिम | Foreign Exchange Risk | 2025.00 |
| कुल पूँजी प्रभार | Total Capital Charge | 176162.04 |

डीएफ 8. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है। मूल सूचक पद्धति के अन्तर्गत गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति तक लाने को ध्यान में रखा गया है।

डीएफ 9. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

क ब्याज दर जोखिम को दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है।

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि):

इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है।

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।

2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं।

3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है।

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके।

- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardized Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-III

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardized Duration Approach) as on 31st March 2014 are as under:

DF 8. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets.

DF 9. Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach..

The Earning at Risk is analyzed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.

2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.





- इस पद्धति को आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है।
- इकिवटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है।
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है।

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इकिवटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

ख. जोखिम पर अर्जन

ब्याज दरों में 2 % की वृद्धि के कारण एक वर्ष की अवधि हेतु एनआईआई प्रभाव

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations. The Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.

b. Earning At Risk

NII impact for a period of One year due to 2% upward movement in interest rates

| दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट | Rate Sensitive Gap Report | 0-1 एम | 1-3 एम | 3-6 एम | 6-12 एम |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0-1M | 1-3M | 3-6M | 6-12M |
| ए. दर संवेदनशील देयताएं | A. Rate sensitive Liabilities | 12491357.10 | 22837162.59 | 13168607.93 | 17754855.61 |
| बी. दर संवेदनशील आस्तियां | B. Rate Sensitive Assets | 14317218.55 | 27480853.19 | 14195762.13 | 7767106.60 |
| सी. निवल अंतर (बी-ए) | C. Net gap(b-a) | 1825861.44 | 4643690.60 | 1027154.20 | -9987749.01 |
| मध्य बिंदु | Mid Point | 0.5 | 2 | 4.5 | 9 |
| आर्थिक प्रभाव अवधि | Annual Impact Period | 11.5 | 10 | 7.5 | 3 |
| ब्याज दर में परिवर्तन | Change in Interest Rate | 2% | 2% | 2% | 2% |
| देयताओं पर प्रभावित राशि | Amount of Impact on Liabilities | 239417.68 | 380619.38 | 164607.60 | 88774.28 |
| आस्तियों पर प्रभावित राशि | Amount of Impact on Assets | 274413.36 | 458014.22 | 177447.03 | 38835.53 |
| एनआईआई पर निवल प्रभाव | Net Impact on NII | 34995.68 | 77394.84 | 12839.43 | -49938.75 |
| एनआईआई पर एक वर्ष के लिए कुल प्रभाव | Total Impact on NII for One Year | | | | 75291.20 |

आर्थिक मूल्य

Economic Value

| क्र.सं. Sr.No. | विवरण | Particulars | जीबीपी GBP | यूरो EURO | यूएसडी USD | अविशिष्ट मुद्रा RESIDUAL CURRENCIES | भारतीय ₹ INR | कुल Total |
|-------------------|--|---|---------------|--------------|---------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | दर संवेदनशील आस्तियां (आरएसए) | Rate Sensitive Assets (RSA) | 1961271.71 | 837158.95 | 27251825.51 | 3685126.05 | 47107793.51 | 80843175.74 |
| 2 | दर संवेदनशील देयताएं (आरएसएल) | Rate Sensitive Liabilities (RSL) | 1726930.29 | 600572.58 | 27174270.71 | 2418892.65 | 43610029.92 | 75530696.15 |
| 3 | आशोधित आस्तियों की अवधि (एमडी _A) | Modified Duration of Assets (MD _A) | 0.42 | 0.37 | 0.51 | 0.49 | 1.51 | 1.08 |
| 4 | आशोधित देयताओं की अवधि (एमडी _L) | Modified Duration of Liabilities (MD _L) | 0.76 | 0.30 | 0.64 | 0.64 | 1.22 | 0.98 |
| 5 | आशोधित अंतर अवधि | Modified Duration GAP | -0.25 | 0.15 | -0.13 | 0.07 | 0.38 | 0.17 |
| 6 | एमवीई में % परिवर्तन जब ब्याज दर में निम्न परिवर्तन हो | % Change in MVE when int rate changes by | | | | | | |
| 1% | 1% | | 11.12 | -2.89 | 82.73 | -5.64 | -4.01 | -315.75 |
| 2% | 2% | | 22.23 | -5.78 | 165.45 | -11.28 | -8.02 | -613.47 |
| 3% | 3% | | 33.35 | -8.68 | 248.18 | -16.93 | -12.03 | -947.21 |



डीएफ 10. प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है, यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि-जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पॉर्जेटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियो में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिवर्तित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

तो बैंक अपने ग्राहकों को डेरीवेटिव उत्पादों के समान ही बहुत से उत्पाद ऑफर करता है ताकि वे ब्याज दर तथा मुद्रा संबंधी अपनी एक्सपोजर के साथ लेन-देन कर सकें और डेरीवेटिव के लिए प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मार्जिन अर्जित कर सकें। सभी ओवर द काउंटर डेरीवेटिव प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की ओर ले जाते हैं जिन्हें नियमित अंतराल पर बैंक मॉनीटर करता है। इन संव्यवहारों के लिए मार्जिन ऋण जोखिम की गुणवत्ता और मात्रा साथ ही इक्विटी पर वांछित प्रति लाभ को हिसाब में लिया जाता है।

बैंक का प्रतिपक्षी ऋण जोखिम, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं - अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए और फिर तदनुसार संव्यवहार में अपेक्षित ऋण जोखिम कमी का निर्णय करता है।

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम को कम करने तथा मॉनीटर करने के लिए, कार्पोरेट को दिए गए शेष डेरीवेटिव संव्यवहारों की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जाती है और बैंक की तिमाही आधार पर।

ख. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक द्विपक्षीय समायोजन को मान्यता प्रदान नहीं करता है। डेरीवेटिव एक्सपोजर की गणना करने एक्सपोजर मैथड के आधार पर की जाती है तथा 31.03.2014 को बकाया शेष नीचे दिया जा रहा है-

DF 10. General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Bank offers many products like derivative products to customers to enable them to deal with their exposures to interest rate and currencies and to earn a margin over the ruling market price for the derivative. All over-the-counter derivative leads to counterparty credit exposures which bank monitors on a regular basis. The margin loaded for these transactions also take into account of the quality and quantity of the credit risk, and the desired return on equity.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

To mitigate and monitor the counter party credit exposure, the outstanding derivative transactions to corporate are monitored on a monthly basis and that to the Banks on quarterly basis.

b. Quantitative Disclosures

The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance out standing as on 31.03.2014 is given below:

(रु. लाखों में) (In INR Lks)

| विवरण | Particulars | कल्पित राशि Notional Amounts | वर्तमान एक्सपोजर Current Exposure |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन से कम अथवा बराबर) | Forward forex Contracts (less than or equal to 14 dy) | 1387257.00 | 29987.79 |
| वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन से अधिक) | Forward forex Contracts (over 14 dy) | 15700453.66 | 511880.07 |
| मुद्रा विकल्प | Currency Options | 87338.62 | 3220.44 |
| पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली | Cross Currency Interest Rate Swap | 32076.25 | 641.53 |
| एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली | Single Currency Int. Rate Swap | 3849582.90 | 50394.89 |



सारणी डीएफ-11- पूँजी संयोजन

Table DF – 11: Composition of Capital

(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|---|---|--|------------------------|
| | सामान्य ईकिवटी टीयर 1 पूँजी : लिखत एवं प्रारक्षित निधियाँ | Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves | | |
| 1 | प्रत्यक्षतः जारी की गई विशेषक सामान्य शेयर पूँजी तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रेमियम) | Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium) | 81451.02 | 0.00 A+D |
| 2 | संबद्ध अर्जन | Related Earnings | 81193.64 | 0.00 B |
| 3 | संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित निधि) | Accumulated other comprehensive income (and other reserve) | 168326.79 | 0.00 PART OF C+E+F+G+J |
| 4 | प्रत्यक्षतः जारी की गई पूँजी जो चरणबद्ध रूप से सीईटी 1 के अधीन है। (केवल गैर सहयोगी स्टॉक कंपनियों के लिए लागू) | Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies) | 0.00 | 0.00 |
| | सर्वजनिक क्षेत्र में पूँजीगत अभिदान को 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षण | Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अनुषंगियों द्वारा जारी की गई तथा तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूँजी। (समूह सीईटी 1 में अनुमत प्राप्त राशि) | Common Share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1) | 0.00 | 0.00 |
| 6 | विनियामक समायोजन से पहले सामान्य ईकिवटी टीयर-1 पूँजी | Common Equity Tier 1 Capital before regulatory adjustment | 330971.46 | 0.00 |
| | सामान्य ईकिवटी टीयर-1 पूँजी विनियामक समायोजन | Common Equity Tier 1 Capital : regulatory adjustment | | |
| 7 | विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन | Prudential Valuation Adjustment | 0.00 | 0.00 |
| 8 | साख (संबद्ध कर देयता का शुद्ध) | Goodwill (net of related tax liability) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | बंधक के अलावा अमूर्त सेवा अधिकार (कर देयता का शुद्ध) | Intangibles other than mortgage-service rights (net of tax liability) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | आस्थगित कर आस्तियां | Deferred tax assets | 0.00 | 0.00 |
| 11 | नकदी प्रवाह बचाव प्रारक्षित निधि | Cash-flow hedge reserve | 0.00 | 0.00 |
| 12 | अनुमानित हानि हेतु कमी के लिए प्रावधान | Shortfall of provision to expected loss | 0.00 | 0.00 |
| 13 | विक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ. | Securitization Gain on sale | 0.00 | 0.00 |
| 14 | उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि | Gains & losses due to changes in own credit risk on fair values liabilities | 0.00 | 0.00 |
| 15 | परिभासित लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां | Defined-benefit pension fund net assets | 3659.8 | 0.00 PART OF W |
| 16 | निजी शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में चुकता पूँजी का समायोजन पहले से न किया हो.) | Investment in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet) | 2.60 | 3.90 PART of S |
| 17 | सामान्य ईकिवटी में पारस्परिक क्रॉस धारिता | Reciprocal cross holdings in common equity | 104.00 | 155.99 {PART OF P+Q+S} |





(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------|
| 18 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्र्य की स्थिति से बाहर हैं जहां जारी की गई शेयर पूँजी से बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं है। (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि) | Investment in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold) | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्र्य की स्थिति के शुद्ध से बाहर है। (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि) | Significant investment in the common stock of banking financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short position (amount above 10% threshold) | 3515.96 | 5273.94 | |
| 20 | बंधक सेवा (सर्विसिंग) अधिकार (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि) | Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold) | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | अस्थाइ अंतरों से होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का शुद्ध) | Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability) | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | प्रारंभिक 15% से अधिक राशि. | Amount exceeding the 15% threshold | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | जिसमें से वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश. | of which : significant investments in the common stock of financial entities | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | जिसमें मैं बंधक सेवा अधिकार. | of which : mortgage servicing rights | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | जिसमें से अस्थाइ अंतरों से होने वाली आस्थगित कर देयता. | of which : deferred tax assets arising from temporary differences | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26सी + 26डी) | National specific regulatory adjustment (26a+26b+26c+26d) | 836.00 | 1254.00 | |
| 26 ए a | जिसमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश | of which : Investment in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries | 836.00 | 1254.00 | |
| 26 बी b | जिसमें से असमेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश. | of which : Investment in the Equity Capital of the unconsolidated non-financial subsidiaries | 0.00 | 0.00 | |
| 26 सी c | जिसमें से बहुत सी निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूँजी में कभी जो बैंक में समेकित नहीं हुई है। | of which : Shortfall in the Equity Capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank | 0.00 | 0.00 | |
| 26 डी. d | जिसमें से अशोधित पेंशन निधि | of which : Unamortized pension funds expenditure | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टीयर 1 तथा टीयर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 के संबंध में विनियामक समायोजन किया गया | Regulatory adjustment applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Tier 1 and Tier 2 to cover deduction | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | सामान्य ईक्विटी-1 टीयर-1 के लिए कुल विनियामक समायोजन. | Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 | 8118.36 | | |





(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|---|--|----------------------------|--|---|
| 29 | सामान्य ईक्विटी- टियर 1 पूँजी (सीईटी-1) | Common Equity Tier 1 Capital (CET 1) | 322853.11 | | |
| | अतिरिक्त टीयर-1 पूँजी- लिखत. | Additional Tier 1 capital : instruments | | | |
| 30 | प्रत्यक्षतः जारी किए गए सापेक्ष अतिरिक्त टीयर-1 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (31 + 32) | Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32) | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | जिसमें से लागू लेखा मानकों के तहत ¹ ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। | of which : classified as equity under applicable accounting standards (PNCPS) | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | जिसमें से लागू लेखा मानकों के तहत ¹ देयताओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। (शाश्वत ऋण लिखत) | of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual Debt Instruments) | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | फेज आउट फॉर्म- अतिरिक्त टीयर-1 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पूँजीगत लिखत. | Directly issued capital instruments subject to phase out form Additional Tier 1 | 15293.60 | 3823.40 | टी (संरक्षण के बाद) T (after grand fathering) |
| 34 | अनुबंधियों द्वारा जारी किए गए और थड़ पार्टी द्वारा रखे गए (राशि की अनुमति समूह एटी-1 में की गई है) अतिरिक्त टीयर-1 लिखत तथा सीईटी-1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं।) | Additional Tier 1 instruments (and CET 1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1) | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | जिसमें से फेज आउट के अधीन अनुबंधियों द्वारा जारी की गई राशि | of which : amount issued by subsidiaries subject to phase out | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी | Additional Tier 1 capital before regulatory adjustment | 15293.6 | | |
| 37 | निजी अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश | Investments in own Additional Tier 1 instruments | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारता | Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments | 198.08 | 297.12 | {PART OF P+Q+S} |
| 39 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं जो विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर है तथा जहां बैंक की हिस्सेदारी जारी की गई ² संस्था की सामान्य शेयर पूँजी में 10% से अधिक नहीं है। की पूँजी में निवेश (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि) | Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold) | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूँजी जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, में महत्वपूर्ण निवेश。 (पात्र शॉर्ट पोजीशन का निवल) | Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short position) | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (41ए+41बी) | National specific regulatory adjustment (41a+41b) | 3263.97 | 0.00 | |



(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|---|--|--|---|
| 41 ए. | असमेकित बीमा अनुबंधियों की अतिरिक्त टियर 1 की पूँजी में निवेश | Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| 41बी b | अधिकतर निजी वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 की पूँजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है. | Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank | 3263.97 | 0.00 |
| | प्री बसेल III ट्रीटमेंट के अधीन (कृपया टिप्पणी गाले कॉलम में लिखे) राशि के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन | Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 in respect of amounts subject to Pre-Basel III treatment (please specify the details in remarks column) | 0.00 | 0.00 |
| | जिसमें से साख और अमूर्त आस्तियां | of which : Goodwill And Intangible Assets | 0.00 | 0.00 PART OF L |
| | जिसमें से अनुबंधियों में निवेश (अनुबंधियों से लाया गया.) | of which : Investment in Subsidiaries c/f from Subsidiaries | 3263.97 | 0.00 PART OF R |
| | जिसमें से सभी आस्थगित कर आस्तिया | of which : All Deferred Tax Assets | 0.00 | 0.00 PART OF M |
| 42 | कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लागू किए गए विनियामक समायोजन | Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions | 0.00 | 0.00 |
| 43 | अतिरिक्त टियर 1 पूँजी के लिए कुल विनियामक समायोजन | Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital | 3462.05 | |
| 44 | अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)पूँजी | Additional Tier 1 capital (AT1) capital | 11831.55 | |
| 44ए. a | पूँजी पर्याप्तता हेतु अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटीएक) की गणना | Additional Tier 1 capital (AT1) reckoned for capital adequacy | 11831.55 | |
| 45 | टियर 1 पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) | Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) | 334684.66 | |
| 46 | प्रत्यक्षतः जारी किए सापेक्ष टियर 2 लि खत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष | Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus | 20000.00 | 0.00 |
| 47 | प्रत्यक्षतः जारी किए गए पूँजीगत लिखत जो फेज आउट फार्म 2 के अधीन हैं () | Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2 () | 62209.20 | 15552.30 PART OF T+V |
| 48 | टियर 2 लिखत (तथा सीईटी1 व एटी1 लिखत - जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं. अनुबंधियों द्वारा जारी किए गए तथा थर्ड पार्टियों द्वारा रखे गए (राशि की अनुमति युप टियर 2 में दी गई है). | Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2) | 0.00 | 0.00 |
| 49 | जिसमें से अनुबंधियों द्वारा जारी किए गए लिखत (फेज आउट के अधीन) | of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out | 0.00 | 0.00 |
| 50 | प्रावधान (पुनर्मूल्यांकित प्रारंभित निधि टियर 2 में शामिल की गई है.) () | Provisions (Revaluation Reserve included in Tier 2) () | 29833.83 | 0.00 PART OF C {45% of 10526.1} + PART of W |



(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|--|--|--|-----------------------|
| 51 | टियर 2 - पूँजी विनियामक समायोजन से पहले | Tier 2 capital before regulatory adjustments | 112043.03 | |
| 52 | निजी टियर 2 लिखतों में निवेश | Investments in own Tier 2 instruments | 0.00 | 0.00 |
| 53 | टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारता | Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments | 538.28 | 807.42 {PART OF Q+S} |
| 54 | बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश, नियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं। जहां संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूँजी से बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं है। (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि) | Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold) | 0.00 | 0.00 |
| 55 | बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है (पात्र अधिविक्रय स्थिति का निवल) | Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) | 0.00 | 0.00 |
| 56 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56a+56b) | National specific regulatory adjustments (56a+56b) | 3263.97 | 0.00 |
| 56 ए a | जिसमें से : असमेकित अनुबंधियों की टियर 2 पूँजी में निवेश | of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries | 0.00 | 0.00 PART OF R |
| 56 बी b | जिसमें से : अपनी निजी पूर्ण वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूँजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है | of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank | 0.00 | 0.00 |
| 56 सी c | प्री-बासेल 3 ट्रीटमेंट के अध्यधीन राशि के संबंध में टियर 2 में लागू विनियामक समायोजन | Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment | 3263.97 | 0.00 |
| 57 | टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन | Total regulatory adjustments to Tier 2 capital | 3802.25 | |
| 58 | टियर 2 पूँजी | Tier 2 capital | 108240.78 | |
| 58 ए a | पूँजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर 2 पूँजी | Tier 2 Capital reckoned for Capital Adequacy | 108240.78 | 0.00 |
| 58 बी b | टियर 2 पूँजी के रूप में गणना की जाने वाली कोई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी | Any Excess Additional Tier 1 capital to be reckoned as Tier 2 capital | 0.00 | 0.00 |
| 58 सी c | पूँजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी (58ए + 58बी) | Total Tier 2 Capital admissible for capital adequacy (58a+58b) | 108240.78 | |
| 59 | कुल पूँजी (कुल पूँजी = टी1 + टी2) (45 + 58 सी) | Total Capital (TC = T1 + T2) (45+58c) | 442925.43 | |
| 60 | कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी) | Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c) | 3605491.65 | |
| 60 ए a | जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां | of which: total credit risk weighted assets | 3193319.45 | 0.00 |



(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|---|---|----------------------------|--|-----------------------|
| 60 बी b | जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां | of which: total market risk weighted assets | 195735.60 | 0.00 | |
| 60 सी c | जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां | of which: total operational risk weighted assets | 216436.6 | 0.00 | |
| | पूंजी अनुपात | Capital ratios | | | |
| 61 | सामान्य इकिवटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) | 8.95 | 0.00 | |
| 62 | टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) | 9.28 | 0.00 | |
| 63 | कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Total capital (as a percentage of risk weighted assets) | 12.28 | 0.00 | |
| 64 | संस्था विशेष की बड़ी आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों की प्रतिशत के रूप में प्रकटित न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय बड़ी आवश्यकता) | Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets) | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | जिसमें से : पूंजी संरक्षण बड़ी आवश्यकता | of which: capital conservation buffer requirement | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | जिसमें से : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय बड़ी आवश्यकता | of which: bank specific countercyclical buffer requirement | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | जिसमें से : जी-एसआईबी बड़ी आवश्यकता | of which: G-SIB buffer requirement | 0.00 | 0.00 | |
| 68 | बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इकिवटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets) | 0.00 | 0.00 | |
| | राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (यदि बासेल III से भिन्न हो) | National minima (if different from Basel III) | | | |
| 69 | राष्ट्रीय सामान्य इकिवटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) | National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) | National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) | National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum) | 0.00 | 0.00 | |
| | कठौती के लिए निर्दिष्ट सीमारेखा से नीचे की राशि (जोखिम भारिता से पहले) | Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting) | | | |
| 72 | अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश | Non-significant investments in the capital of other financial entities | 0.00 | 0.00 | |
| 73 | वित्तीय इकाइयों के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश | Significant investments in the common stock of financial entities | 0.00 | 0.00 | |





(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| क्र.सं. Sr.No | | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बैसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------|
| 74 | बंधक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयताओं का निवल) | Mortgage servicing rights (net of related tax liability) | NA | 0.00 | |
| 75 | अस्थायी अंतरों से निकली आस्थागित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं का निवल) | Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability) | NA | 0.00 | |
| | टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर लागू उच्चतम सीमा | Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 | | | |
| 76 | मानकीकृत पद्धति के एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व) | Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap) | 15293.60 | 0.00 | |
| 77 | मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेश की उच्चतम सीमा (3193319.45 का 1.25%) | Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach (1.25% of 3193319.45) | 39916.49 | 0.00 | |
| 78 | आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व) | Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap) | NIL | 0.00 | |
| 79 | आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन के लिए उच्चतम सीमा | Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach | NIL | 0.00 | |
| | चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूँजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के बीच लागू) | Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022) | | | |
| 80 | चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा | Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements | NIL | 0.00 | |
| 81 | उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिवर्तनों के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त) | Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) | NIL | 0.00 | |
| 82 | चरणबद्ध व्यवस्था के अध्यधीन एटी 1 लिखतों में वर्तमान उच्चतम सीमा | Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements | 15293.60 | 0.00 | |
| 83 | उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिवर्तनों के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त) | Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) | 3823.40 | 0.00 | |
| 84 | चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा | Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements | 82209.20 | 0.00 | |
| 85 | उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिवर्तनों के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त) | Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities) | 15552.30 | 0.00 | |



12 : पूँजी का संयोजन - समाधान आवश्यकताएं

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(राशि मिलियन में) (Amt in Mil)

| | विवरण | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation |
|-----|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| क | पूँजी एवं देयताएं | A Capital & Liabilities | | |
| i | प्रदत्त पूँजी | i Paid-up Capital | 4306.76 | 0.00 |
| | आरक्षित एवं अधिशेष | Reserves & Surplus | 55549.99 | 0.00 |
| | अल्प हित | Minority Interest | 0.00 | 0.00 |
| | कुल पूँजी | Total Capital | 359856.75 | |
| ii | जमाराशियां | ii Deposits | 5688943.89 | |
| | जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां | of which: Deposits from banks | 1080788.74 | 0.00 |
| | जिसमें से : ग्राहक जमाराशियां | of which: Customer deposits | 4608155.15 | 0.00 |
| | जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें) | of which: Other deposits (pl. specify) | 0.00 | 0.00 |
| iii | उथार | iii Borrowings | 368129.69 | |
| | जिसमें से : भा.रि.बै से | of which: From RBI | 20000.00 | 0.00 |
| | जिसमें से : बैंकों से | of which: From banks | 20225.21 | 0.00 |
| | जिसमें से: अन्य संस्थाओं एवं ऐडेंसियों से | of which: From other institutions & agencies | 20.82 | 0.00 |
| | जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) | of which: Others (pl. specify) | 213866.66 | 0.00 |
| | जिसमें से : पूँजीगत लिखत | of which: Capital instruments | 114017.00 | 0.00 |
| iv | अन्य देयताएं एवं प्रावधान | iv Other liabilities & provisions | 178115.01 | 0.00 |
| | कुल | Total | 6595045.33 | 0.00 |
| B | आस्तियां | B Assets | | |
| i | भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष | i Cash and balances with Reserve Bank of India | 186290.94 | 0.00 |
| | बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | Balance with banks and money at call and short notice | 1122488.18 | 0.00 |
| ii | निवेश : | ii Investments: | 1161126.61 | 0.00 |
| | जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां | of which: Government securities | 967797.40 | 0.00 |
| | जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | of which: Other approved securities | 12.80 | 0.00 |
| | जिसमें से: शेयर | of which: Shares | 17356.14 | 0.00 |
| | जिसमें से: डिबेंचर एवं बांड | of which: Debentures & Bonds | 38937.98 | 0.00 |
| | जिसमें से: अनुषंगिया/ संयुक्त उद्यम/ सहायक इकाइयां | of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates | 16036.33 | 0.00 |
| | जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक ऐपर्स, म्यूच्युअल फंड इत्यादि) | of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.) | 120985.97 | 0.00 |
| iii | ऋण एवं अग्रिम | iii Loans and advances | 3970058.11 | 0.00 |
| | जिसमें से : बैंक को ऋण एवं अग्रिम | of which: Loans and advances to bank | 0.00 | 0.00 |
| | जिसमें से : ग्राहक को ऋण एवं अग्रिम | of which: Loans and advances to customer | 0.00 | 0.00 |
| iv | अचल आस्तियां | iv Fixed assets | 27341.23 | 0.00 |
| v | अन्य आस्तियां | v Other assets | 127740.26 | 0.00 |
| | जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां | of which: Goodwill and intangible assets | 0.00 | 0.00 |
| | जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियां | of which: Deferred tax assets | 0.00 | 0.00 |
| vi | समेकन संबंधी साख | vi Goodwill on consolidation | 0.00 | 0.00 |
| vii | लाभ हानि खाते में नामे शेष | vii Debit balance in Profit & Loss account | 0.00 | 0.00 |
| | कुल आस्तियां | Total Assets | 6595045.33 | 0.00 |



चरण: 2

Step: 2

(राशि मिलियन में) (Amt in Mil)

| | विवरण | Particulars | वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation | संदर्भ सं. Ref No. |
|-----------|--|--|---|---|-----------------------|
| | | | 31.03.2014 | 31.03.2014 | |
| क | पूँजी एवं देयताएं | A Capital & Liabilities | | | |
| i | प्रदत्त पूँजी | i Paid-up Capital | 4306.76 | 0.00 | |
| | जिसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि | of which: Amount eligible for CET1 | 4306.76 | 0.00 | A |
| | जिसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि | of which: Amount eligible for AT1 | 0.00 | 0.00 | |
| ii | आरक्षित एवं अधिशेष | ii Reserves & Surplus | 355549.99 | 0.00 | |
| अनुसूची 2 | सांविधिक आरक्षित निधि | Schedule 2 STATUTORY RESERVE | 81193.64 | 0.00 | B |
| | पूँजी आरक्षित निधि | CAPITAL RESERVE | 19439.69 | 0.00 | C |
| | शेयर प्रीमियम | SHARE PREMIUM | 77144.26 | 0.00 | D |
| | सामान्य आरक्षित निधि | General Reserve | 122403.91 | 0.00 | E |
| | आई.टी अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii)(ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | Special Reserves u/s 36(i)(viii)(a) of I.T.Act,1961 | 2539.46 | 0.00 | F |
| | आई.टी अधिनियम की धारा 36 (I)(VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | Special Reserve u/s 36(I)(VIII) of I.T. act | 33213.03 | 0.00 | G |
| | आरक्षित एवं अधिशेष राजस्व तथा अन्य आरक्षित निवेश आरक्षित खाता | Reserves & Surplus revenue & other reserves investment reserve account | 0.00 | 0.00 | H |
| | विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि | Foreign Currency Translation Reserve | 18359.19 | 0.00 | I |
| | सांविधिक आरक्षित निधि (विदेशी) | Statutory Reserve (Foreign) | 1256.81 | 0.00 | J |
| | अनाबंटित लाभ | Unallocated Profit | 0.00 | 0.00 | K |
| | कुल पूँजी | Total Capital | 359856.75 | 0.00 | |
| ii | जमाराशियां | ii Deposits | 5688943.89 | 0.00 | |
| अनुसूची 3 | बैंक से मांग जमा | Schedule 3 Demand Deposit from Bank | 22545.09 | 0.00 | |
| | अन्य से मांग जमा | Demand Deposit from Others | 477958.77 | 0.00 | |
| | बचत बैंक जमा | SAVINGS BANK DEPOSITS | 964374.38 | 0.00 | |
| | बैंकों से मीयादी जमा | Term Deposit from banks | 1058243.65 | 0.00 | |
| | अन्य से मीयादी जमा | Term Deposit from Others | 3165821.99 | 0.00 | |
| iii | उधार | iii Borrowings | 368129.69 | 0.00 | |



| | विवरण | | Particulars | वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation | संदर्भ सं. Ref No. |
|--------------|---|------------|---|---|---|-----------------------|
| | | | | 31.03.2014 | 31.03.2014 | |
| अनुसूची 4 | भा.रि.बै (भा.रि.बै. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत) | Schedule 4 | RBI (u/s 19 of RBI Act) | 20000.00 | 0.00 | |
| | भारतीय स्टेट बैंक | | State Bank of India | 0.00 | 0.00 | |
| | अधिसूचित बैंक | | Notified Banks | 0.00 | 0.00 | |
| | अन्य बैंक | | Other Banks | 20224.49 | 0.00 | |
| | राष्ट्रीयकृत बैंक | | Nationalised banks | 0.72 | 0.00 | |
| | आई.डी.बी.आई. | | I.D.B.I. | 0.37 | 0.00 | |
| | एस.आई.डी.बी.आई. | | S.I.D.B.I. | 3.85 | 0.00 | |
| | नाबार्ड | | NABARD | 16.60 | 0.00 | |
| | एक्सिम बैंक | | Exim Bank | 0.00 | 0.00 | |
| | सीबीएलओ उधार | | CBLO Borrowings | 0.00 | 0.00 | |
| अनुसूची 5 | नवोन्मेषी नियत ऋण लिखत (आईपीडीआई) | | Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | 19117.00 | 0.00 | U |
| | गौण बांद | | Subordinated Bonds | 94900.00 | 0.00 | T |
| | भारत के बाहर उधार | | Borrowings outside India | 213866.66 | 0.00 | V |
| | अन्य देयताएं एवं प्रावधान | iv | Other liabilities & provisions | 178115.01 | 0.00 | |
| | जिसमें से: देय बिल | Schedule 5 | of which : Bills Payable | 15572.03 | 0.00 | |
| | जिसमें से: इंटर ऑफिस समायोजन (निवल) | | of Which : Inter Office Adjustment (Net) | 9361.38 | 0.00 | |
| | जिसमें से: उपचित ब्याज | | of Which : Interest Accrued | 37250.09 | 0.00 | |
| | जिसमें से: मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान | | of Which : Contingent Provision against Standard Advances | 24014.48 | 0.00 | X |
| | जिसमें से: अन्य (प्रावधानों सहित) | | of Which : Other (including provision) | 91917.01 | 0.00 | W |
| | कुल | | Total | 6595045.33 | 0.00 | |
| ख | आस्तियां | B | Assets | | | |
| i | भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष | i | Cash and balances with Reserve Bank of India | 186290.94 | 0.00 | |
| | बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अत्य सूचना पर देय राशि | | Balance with banks and money at call and short notice | 1122488.18 | 0.00 | |
| ii | निवेश | ii | Investments | 1161126.61 | | |



| विवरण | | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation | संदर्भ सं. Ref No. |
|------------|---|-------------|---|---|-----------------------|
| | | | 31.03.2014 | 31.03.2014 | |
| अनुसूची 8 | सरकारी प्रतिभूतियां | Schedule 8 | Govt. Securities | 967797.40 | 0.00 N |
| | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | | Other approved securities | 12.8 | 0.00 O |
| | शेयर | | Shares | 17356.14 | 0.00 P |
| | डिबेंचर एवं बांड | | Debentures & Bonds | 38937.98 | 0.00 Q |
| | अनुषंगिया और/ अथवा संयुक्त उद्यम भारत एवं विदेश | | Subsidiaries and/or JVs India & ABOROAD | 16036.33 | 0.00 R |
| | अन्य निवेश | | Other investments | 120985.97 | 0.00 S |
| iii | ऋण एवं अग्रिम | iii | Loans and advances | 3970058.11 | |
| | बढ़ाकृत एवं खरीदे गये बिल | | BILLS PURCHASED & DISCOUNTED | 530180.22 | 0.00 |
| | नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण | | CASH CREDITS, OVERDRAFTS & LOANS REPAYABLE ON DEMAND | 1786487.20 | 0.00 |
| | मीयादी ऋण | | TERM LOANS | 1653390.68 | 0.00 |
| iv | अचल आस्तियां | iv | Fixed assets | 27341.23 | 0.00 |
| v | अन्य आस्तियां | v | Other assets | 127740.26 | 0.00 |
| अनुसूची 11 | जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां | Schedule 11 | of which: Goodwill and intangible assets | 0.00 | 0.00 L |
| | जिनमें से : साख | | Out of which: Goodwill | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर) | | Other intangibles (excluding MSRs) | 127740.26 | 0.00 |
| | आस्थगित कर आस्तियां | | Deferred tax assets | 0.00 | 0.00 M |
| vi | समेकन संबंधी साख | vi | Goodwill on consolidation | 0.00 | 0.00 |
| vii | लाभ हानि खाते में नामे शेष | vii | Debit balance in Profit & Loss account | 0.00 | 0.00 |
| | कुल आस्तियां | | Total Assets | 6595045.33 | 0.00 |

**तालिका डीएफ - 13 : विनियामक पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं:**

ऋण पूँजी लिखतों संबंधी प्रकटीकरण तथा ऋण पूँजी लिखतों की नियम एवं शर्तों को अलग से प्रकट किया गया है। प्रकटीकरण में जाने के लिए यहां विलक्ष करें।

तालिका डीएफ - 14 : विनियामक पूँजीगत लिखतों की सभी नियम एवं शर्तें:

पूँजीगत लिखतों का विवरण अलग से दर्शाया गया है। पूँजीगत लिखतों की नियम एवं शर्तों को देखने के लिए संबंधित लिंक पर विलक्ष करें।

Table DF -13 Main Features of Regulatory Capital Instruments:

Disclosures pertaining to debt capital instruments and the terms and conditions of debt capital instruments have been disclosed separately. Click [here](#) to access the disclosures.

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

The details of Capital instruments are separately disclosed. Click the related links to view the terms and conditions of the capital instruments.

| क्र.सं. Sr. No | लिखत | Instruments |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | टियर I आईपीडीआई एसआर - I | TIER I IPDI SR - I |
| 2 | टियर I (आईपीडीआई) एसआर - II | TIER I (IPDI) SR -II |
| 3 | टियर I (आईपीडीआई) एसआर - III | TIER I (IPDI) SR -III |
| 4 | टियर I (आईपीडीआई) एसआर - IV | TIER I (IPDI) SR -IV |
| 5 | बांड सीरीज - IV (लोअर) | BOND SERIES – IV (LOWER) |
| 6 | बांड सीरीज - V (लोअर) | BOND SERIES – V (LOWER) |
| 7 | बांड सीरीज -VI (लोअर) | BOND SERIES – VI (LOWER) |
| 8 | बांड सीरीज -VII (अपर) | BOND SERIES – VII (UPPER) |
| 9 | बांड सीरीज -VIII (अपर) | BOND SERIES – VIII (UPPER) |
| 10 | बांड सीरीज - IX (अपर) | BOND SERIES –IX (UPPER) |
| 11 | बांड सीरीज - X (लोअर) | BOND SERIES –X (LOWER) |
| 12 | बांड सीरीज -XI (अपर) | BOND SERIES –XI (UPPER) |
| 13 | बांड सीरीज -XII (अपर) | BOND SERIES –XII - (UPPER) |
| 14 | बांड सीरीज -XIII (अपर) | BOND SERIES –XIII - (UPPER) |
| 15 | बांड सीरीज -XIV (अपर) | BOND SERIES –XIV - (UPPER) |
| 16 | बांड सीरीज -XV (अपर) | BOND SERIES –XV - (UPPER) |
| 17 | बांड सीरीज -XVI (अपर) | BOND SERIES – XVI - (UPPER) |
| 18 | बांड सीरीज -XVII (अपर) | BOND SERIES – XVII - (UPPER) |
| 19 | एमटीएन बांड - (अपर) | MTN Bonds – (UPPER) |

तालिका डीएफ - 15 : पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

चूंकि बैंक ऑफ बड़ादा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, परिष्पत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीसी.72/ 29.67.001/2001-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अनुसार तालिका डीएफ - 15 हमारे ऊपर लागू नहीं होती।

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

As Bank of Baroda is a Public Sector bank Table DF -15 is not applicable to us as per Circular No DBOD.NO. BC.72/29.67.001/2001-12 dated January 13, 2012.



महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

| क्र.सं. S.No. | विवरण Particulars | प्रतिशत में (In Percentage) | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
|------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF) | | 6.86% | 6.97% | 7.58% | 7.34% | 6.76% |
| 2 | ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest Expenses / AWF | | 4.42% | 4.16% | 4.95% | 4.98% | 4.69% |
| 3 | शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM) | | 2.74% | 3.12% | 2.97% | 2.66% | 2.36% |
| 4 | ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest Spread / AWF | | 2.44% | 2.80% | 2.64% | 2.36% | 2.08% |
| 5 | गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF | | 1.15% | 0.89% | 0.87% | 0.76% | 0.78% |
| 6 | परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating Expenses / AWF | | 1.56% | 1.47% | 1.32% | 1.24% | 1.24% |
| 7 | लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio | | 43.57% | 39.87% | 37.55% | 39.79% | 43.44% |
| 8 | सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) Profit / AWF | | 2.03% | 2.22% | 2.19% | 1.88% | 1.61% |
| 9 | शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net Profit / AWF | | 1.26% | 1.35% | 1.28% | 0.93% | 0.79% |
| 10 | शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth | | 22.19% | 21.42% | 19.11% | 14.59% | 13.00% |
| 11 | आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets | | 1.10% | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 0.69% |
| 12 | औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets | | 1.21% | 1.33% | 1.24% | 0.90% | 0.75% |
| 13 | अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances | | 8.55% | 8.48% | 9.39% | 8.90% | 8.32% |
| 14 | जमाराशियों की लागत Cost of Deposits | | 4.90% | 4.56% | 5.62% | 5.80% | 5.38% |
| 15 | लाभांश भुगतान अनुपात (कारपेरेट लाभांश कर सहित) Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax) | | 20.90% | 17.76% | 16.22% | 23.65% | 23.86% |
| 16 | ऋण - जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio | | 84.47% | 86.77% | 86.86% | 82.03% | 86.15% |
| 17 | ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio | | 88.74% | 90.29% | 90.36% | 86.17% | 90.00% |
| 18 | पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल I) Capital Adequacy Ratio (BASEL I) | | 12.84% | 13.02% | 12.95% | 12.09% | 11.66% |
| | टीयर Tier - I | | 8.22% | 8.96% | 9.56% | 9.20% | 8.64% |
| | टीयर Tier - II | | 4.62% | 4.06% | 3.39% | 2.89% | 3.02% |
| 19 | पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल II) Capital Adequacy Ratio (BASEL II) | | 14.36% | 14.52% | 14.67% | 13.30% | 12.88% |
| | टीयर Tier - I | | 9.20% | 9.99% | 10.83% | 10.13% | 9.54% |
| | टीयर Tier - II | | 5.16% | 4.53% | 3.84% | 3.17% | 3.34% |
| 20 | पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल III) Capital Adequacy Ratio - BASEL III | | | | | | 12.28% |
| | टीयर Tier - I | | | | | | 9.28% |
| | टीयर Tier - II | | | | | | 3.00% |



| क्र.सं. S.No. | विवरण Particulars | प्रतिशत में (In Percentage) | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
|------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | कर्मचारी (संख्या) Employees (number) | | 38960 | 40046 | 42175 | 43108 | 46001 |
| 2 | शाखाएं (संख्या) Branches (number) | | 3148 | 3418 | 3959 | 4336 | 4934 |
| 3 | प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore) | 9.81 | 12.29 | 14.66 | 16.89 | 18.65 | |
| 4 | प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore) | 8.94 | 11.26 | 13.15 | 15.71 | 17.48 | |
| 5 | प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs) | 12.67 | 17.43 | 20.35 | 20.88 | 20.20 | |
| 6 | प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाखों में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs) | 7.85 | 10.59 | 11.87 | 10.39 | 9.87 | |
| 7 | प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per branch (Rs. in crore) | 132.24 | 156.27 | 169.80 | 184.98 | 195.76 | |
| 8 | प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore) | 1.57 | 2.04 | 2.17 | 2.08 | 1.88 | |
| 9 | प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore) | 0.97 | 1.24 | 1.26 | 1.03 | 0.92 | |
| 10 | प्रति शेयर आय (रुपयों में) Earnings per share (Rupees) | 83.96 | 116.37 | 127.84 | 108.84 | 107.38 | |
| 11 | प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में) Book Value per share (Rupees) | 378.44 | 505.71 | 637.37 | 729.11 | 813.50 | |

स्रोत: विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उचित लगा, पिछले वर्षों के आकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)



परिभाषा / Definitions

| | | | |
|---|---|---|--|
| औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) | : कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत; | Average Working Funds (AWF) | : Fortnightly Average of Total Assets |
| औसत जमाराशियां | : कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत; | Average Deposits | : Fortnightly Average of Total Deposits |
| औसत अग्रिम | : कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत; | Average Advances | : Fortnightly Average of Total Advances |
| औसत व्यवसाय | : औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग; | Average Business | : Total of Average Deposits & Average Advances |
| औसत निवेश | : कुल निवेश का पाक्षिक औसत; | Average Investments | : Fortnightly Average of Total Investments |
| ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ) | : कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन; | Interest Income/AWF | : Total Interest Income Divided by AWF |
| ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ | : कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ; | Interest Expenses/AWF | : Total Interest Expenses Divided by AWF |
| ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ | : (कुल ब्याज आय घटाएँ : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें; | Interest Spread/AWF | : (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF |
| गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ | : कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से; | Non-Interest Income/AWF | : Total Non-Interest Income Divided by AWF |
| परिचालन व्यय | : कुल खर्च घटाएँ ब्याज खर्च | Operating Expenses | : Total Expenses minus Interest Expenses |
| परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ | : कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से; | Operating Expenses/AWF | : Operating Expenses Divided by AWF |
| लागत आय अनुपात | : परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से; | Cost Income Ratio | : Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread) |
| सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ | : परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से; | Gross (Operating) Profit/AWF | : Operating Profit divided by AWF |
| शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ | : शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ; | Net Profit/AWF | : Net Profit Divided by AWF |
| शुद्ध मालियत पर प्रतिफल | : शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छोड़कर); | Return on Net Worth | : Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves) |
| आस्तियों पर प्रतिफल | : शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से; | Return on Assets | : Net Profit Divided by Total Assets |
| औसत आस्तियों पर प्रतिफल | : शुद्ध लाभ विभाजित करें औसत आस्तियों से; | Return on Average Assets | : Net Profit Divided by Average Assets |
| अग्रिमों पर प्रतिफल | : अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से; | Yield on Advances | : Interest Earned on Advances Divided by Average Advances |
| जमाराशियों की लागत | : जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से; | Cost of Deposits | : Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits |
| लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित) | : लाभांश, कारपोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से; | Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax) | : Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit |
| ऋण जमा अनुपात | : कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियां (अर्थात् कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां) | Credit - Deposit Ratio | : Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits) |
| ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमाराशि - अनुपात; | : (कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनीधि अनुपात निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से; | Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio | : (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits |
| प्रति कर्मचारी व्यवसाय | : समग्र जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कुल कर्मचारियों की संख्या से | Business Per Employee | : Core Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees |
| प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय | : औसत जमाराशियां औसत अग्रिम/विभाजित करें कुल कर्मचारी संख्या से | Average Business Per Employee | : Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ | : सकल लाभ को विभाजित करें, कुल कर्मचारी संख्या से; | Gross Profit Per Employee | : Gross Profit Divided by Total No. of Employees |
| प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ | : शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की संख्या से; | Net Profit Per Employee | : Net Profit Divided by Total No. of Employees |
| प्रति शाखा कारोबार | : कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से; | Business Per Branch | : Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches |
| प्रति शाखा सकल लाभ | : सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से; | Gross Profit Per Branch | : Gross Profit Divided by No. of Branches |
| प्रति शाखा शुद्ध लाभ | : शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से; | Net Profit Per Branch | : Net Profit Divided by No. of Branches |
| प्रति शेयर आय | : शुद्ध लाभ को विभाजित करें इकिवटी से X दस; | Earning Per Share | : Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten |
| प्रति शेयर बही मूल्य | : शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को विभाजित करें इकिवटी से X दस. | Book Value Per Share | : Net Worth(excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten. |



31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2014

(₹ in 000's)

| | SCHEDULE | अनुसूची SCHEDULE | 31 मार्च 2014 को As on 31 st Mar, 2014 ₹ | 31 मार्च 2013 को As on 31 st Mar, 2013 ₹ |
|---|--|---------------------|--|--|
| पूँजी और देयताएं | CAPITAL & LIABILITIES | | | |
| पूँजी | Capital | 1 | 430,67,63 | 422,51,75 |
| प्रारक्षित निधियां और अधिशेष | Reserves and Surplus | 2 | 35554,99,88 | 31546,92,10 |
| जमाराशियां | Deposits | 3 | 568894,38,85 | 473883,33,75 |
| उधार ली गई राशियां | Borrowings | 4 | 36812,96,88 | 26579,28,18 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | Other Liabilities and Provisions | 5 | 17811,50,10 | 14703,38,25 |
| जोड़ | T O T A L | | 659504,53,34 | 547135,44,03 |
| आस्तियां | ASSETS | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम | Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | 18629,09,39 | 13452,07,83 |
| बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | 112248,81,84 | 71946,82,60 |
| निवेश | Investments | 8 | 116112,66,14 | 121393,72,44 |
| अग्रिम | Advances | 9 | 397005,81,08 | 328185,76,49 |
| अचल आस्तियां | Fixed Assets | 10 | 2734,12,26 | 2453,11,60 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 11 | 12774,02,63 | 9703,93,07 |
| जोड़ | T O T A L | | 659504,53,34 | 547135,44,03 |
| आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 12 | 259912,77,85 | 204628,91,69 |
| वसूली के लिए बिल | Bills for Collection | | 31864,91,58 | 25952,23,60 |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 18 | | |
| ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। | | | | |
| The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet. | | | | |

एस. एस. मुंदडा
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 पि. श्रीनिवास
 कार्यपालक निदेशक
 बी. बी. जोशी
 कार्यपालक निदेशक
 वी. के. गुटा
 महाप्रबंधक
 (कार्पोरेट खाते एवं कराधान एवं मुविअ)
 बी. इलोगे
 सहा. महाप्रबंधक
 (कार्पोरेट खाते एवं कराधान)

स्थान : मुंबई,
 दिनांक : 13 मई, 2014

निदेशक
 डॉ. के. पी. कृष्ण
 श्री सुर्देशन सेन
 श्री विनिल कुमार सक्सेना
 श्री मौलिन ए. वैष्णव
 श्री सुरेंद्र एस भंडारी
 श्री राजीब एस साह

लेखा परीक्षक
 सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार
 कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन : 001135 एन
 (एस. के. मित्तल)
 भागीदार
 एम. नं.: 008506
 कृते एन्ड्रीएस एण्ड कं.
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन : 110100 डब्ल्यू
 (प्रदीप जे शेट्री)
 भागीदार
 एम. नं.: 046940
 कृते कैटरपिलर एण्ड कं.
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन : 002228जी
 (भारत गोयल)
 भागीदार
 एम. नं.: 060069
 कृते डब्ल्यूएल जैन एण्ड कं.
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन : 105049 डब्ल्यू
 (आई. सी. जैन)
 भागीदार
 एम. नं.: 008791



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014

(₹ in 000's)

| | | अनुसूची SCHED- ULE | 31 मार्च 2014 को Year ended 31 st March 2014 ₹ | 31 मार्च 2013 को Year ended 31 st March 2013 ₹ |
|-------------|---|---|--|--|
| I. | आय | I. INCOME | | |
| | अर्जित ब्याज | Interest Earned | 13 | 38939,70,95 |
| | अन्य आय | Other Income | 14 | 4462,74,41 |
| | जोड़ | T O T A L | | 43402,45,36 |
| II. | व्यय | II. EXPENDITURE | | |
| | खर्च किया गया ब्याज | Interest Expended | 15 | 26974,36,32 |
| | परिचालन व्यय | Operating Expenses | 16 | 7137,06,56 |
| | प्रावधान और आकस्मिक व्यय | Provisions and Contingencies | | 4749,94,18 |
| | जोड़ | T O T A L | | 38861,37,06 |
| III. | लाभ | III. PROFIT | | |
| | अवधि का शुद्ध लाभ | Net Profit for the period | | 4541,08,30 |
| | विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि | Available for Appropriation | | 4541,08,30 |
| | विनियोजन | Appropriations | | |
| | क) सांविधिक प्रारक्षित निधि | a) Statutory Reserve | | 1135,27,08 |
| | ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि | b) Capital Reserve | | 8,69,02 |
| | ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां | c) Revenue and Other Reserves | | |
| | I) सामान्य प्रारक्षित निधि | I) General Reserve | | 1401,37,88 |
| | II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि | II) Special Reserve u/s 36 (1) Income Tax Act, 1961 | | 912,06,65 |
| | घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) | d) Proposed Dividend (including Dividend Tax) | | 1083,67,67 |
| | जोड़ | T O T A L | | 4541,08,30 |
| | प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (₹) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹10) | Basic & Diluted Earnings per Share (₹) (Nominal value per share ₹10) | | 107.38 |
| | उल्लेखनीय लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 17 | |
| | लेखों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 18 | |
| | ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न भाग हैं। | The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account. | | |

S S Mundra
Chairman & Managing Director
P Srinivas
Executive Director
B B Joshi
Executive Director
V K Gupta
General Manager
(Corp A/Cs, Taxation & Subs.) and CFO
B Elango
Asst. General Manager
Corporate A/cs & Taxation

DIRECTORS

Dr. K P Krishnan
Shri Sudarshan Sen
Shri Vinil Kumar Saxena
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Surendra S Bhandari
Shri Rajib S Sahoo

AUDITORS

As per our separate report of even date attached

| | | |
|---|--|--|
| For S. K. Mittal & Co. Chartered Accountants FRN: 001135N (S. K. Mittal) Partner M. No. 008506 For N B S & Co Chartered Accountants FRN: 110100W (Pradeep J. Shetty) Partner M. No. 046940 | For Laxminivas Neeth & Co Chartered Accountants FRN: 002460S (Dayaniwas Sharma) Partner M. No. 216244 For KASG & Co. Chartered Accountants FRN: 002228C (Bharat Goel) Partner M. No. 060069 | For Ray & Ray Chartered Accountants FRN: 301072E (Amitava Chowdhury) Partner M. No. 056060 For Khandelwal Jain & Co. Chartered Accountants FRN : 105049W (I. C. Jain) Partner M. No. 008791 |
|---|--|--|

Place : Mumbai
Date : 13th May 2013



तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

Schedules to Balance Sheet

(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|--|---|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची -1 पूँजी | SCHEDULE - 1 CAPITAL | | |
| प्राधिकृत पूँजी | AUTHORISED CAPITAL | | |
| प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 10/- के) | 300,00,00,000 Shares of ₹10/- each (previous year 300,00,00,000/- shares of ₹10/- each) | <u>3000,00,00</u> | <u>3000,00,00</u> |
| निर्गमित तथा अभिदृत पूँजी | ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL | | |
| प्रति ₹ 10/- के 43,21,48,587 इकिवटी शेयर (पिछले वर्ष 42,39,89,803 इकिवटी शेयर प्रति ₹ 10/- के) | 43,21,48,587 Equity Shares of ₹10/- each (previous year 42,39,89,803 shares of ₹. 10/- each) | <u>432,14,85</u> | <u>423,98,98</u> |
| मांगी गई पूँजी एवं प्रदत्त पूँजी | CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL | | |
| प्रति ₹ 10/- के 42,94,15,087 इकिवटी शेयर (पिछले वर्ष 42,12,56,303 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 241.57 करोड़ राशि के 24,15,71,283 इकिवटी शेयर (पिछले वर्ष 23,34,12,499 शेयर) शामिल हैं। | 42,94,15,087 (previous year 42,12,56,303) Equity Shares of ₹10 each including 24,15,71,283 Equity Shares (previous year 23,34,12,499 Shares) amounting to ₹ 241.57 crores held by Central Government | <u>429,41,51</u> | <u>421,25,63</u> |
| जोड़े : जब्त किए गए शेयर | Add : Forfeited Shares | <u>1,26,12</u> | <u>1,26,12</u> |
| जोड़ | Total | <u><u>430,67,63</u></u> | <u><u>422,51,75</u></u> |
| अनुसूची-2 | SCHEDULE - 2 | | |
| प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष | RESERVES & SURPLUS | | |
| I सांविधिक प्रारक्षित निधियाँ | I Statutory Reserves | | |
| प्रारम्भिक शेष | Opening Balance | 6984,09,33 | 5863,91,33 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | <u>1135,27,08</u> | <u>8119,36,41</u> |
| II प्रारक्षित पूँजी | II Capital Reserves | | |
| (₹ 1052.61 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछले वर्ष ₹ 1104.26 करोड़)) | (including Revaluation Reserve of ₹ 1052.61 crores (previous years ₹ 1104.26 crores)) | | |
| प्रारम्भिक शेष | Opening Balance | 1986,92,90 | 1974,89,59 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | <u>8,69,02</u> | <u>81,44,81</u> |
| अवधि के दौरान समायोजन | Adjustments during the period | <u>11,99,60</u> | <u>(42,50)</u> |
| कटौतियाँ : | Deductions: | | |
| लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य हास | Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account | <u>(63,64,65)</u> | <u>1943,96,87</u> |
| III शेयर प्रीमियम | III Share Premium | | |
| प्रारम्भिक शेष | Opening Balance | 7172,58,50 | 6332,71,79 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | <u>541,84,12</u> | <u>7714,42,62</u> |
| | | <u><u>839,86,71</u></u> | <u><u>7172,58,50</u></u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|---|--|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (जारी) | | | |
| SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS (Contd.) | | | |
| IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां | IV Revenue & Other Reserves | | |
| क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी) | a) Statutory Reserve (Foreign) | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 106,39,92 | 102,61,85 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | - | - |
| वर्ष के दौरान समायोजन | Adjustments during the period | - | 3,78,07 |
| | | <u>106,39,92</u> | <u>106,39,92</u> |
| ख) आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां | b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 2409,23,66 | 1559,23,66 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the period | <u>912,06,65</u> | <u>850,00,00</u> |
| | | 3321,30,31 | 2409,23,66 |
| ग. विदेशी मुद्रा रूपान्तरित प्रारक्षित निधियां | c) Foreign Currency Translation Reserve | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 982,23,42 | 696,58,14 |
| वर्ष के दौरान समायोजन | Adjustments during the period | <u>853,68,46</u> | <u>285,65,28</u> |
| | | 1835,91,88 | 982,23,42 |
| घ अन्य प्रारक्षित निधियां | d) Other Reserves | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 11905,44,37 | 10534,50,25 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | 1401,37,88 | 1369,46,69 |
| वर्ष के दौरान समायोजन | Adjustments during the period | <u>(793,20,38)</u> | <u>1,47,43</u> |
| | | 12513,61,87 | 11905,44,37 |
| जोड़ - IV (क, ख, ग और घ) | TOTAL - IV (a, b, c & d) | 17777,23,98 | 15403,31,37 |
| जोड़ (I से IV) | TOTAL (I to IV) | <u>35554,99,88</u> | <u>31546,92,10</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 | |
|--|---|---|-------------------|---|---------------------------|
| | | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-3 जमाराशियां | | SCHEDULE - 3 DEPOSITS | | | |
| क. | I मांग-जमाराशियां | A. I Demand Deposits | | | |
| i) | बैंकों से | i) From Banks | 2254,50,91 | 1404,99,05 | |
| ii) | अन्य से | ii) From Others | 47795,87,74 | 50050,38,65 | 34273,31,59 35678,30,64 |
| II | बचत बैंक जमाराशियां | II Savings Bank Deposits | | 96437,43,83 | 84302,60,67 |
| III | मीयादी जमाराशियां | III Term Deposits | | | |
| i) | बैंकों से | i) From Banks | 105824,36,47 | 72421,97,80 | |
| ii) | अन्य से | ii) From Others | 316582,19,90 | 422406,56,37 | 281480,44,64 353902,42,44 |
| जोड़ (I से III) | | TOTAL (I to III) | | <u>568894,38,85</u> | <u>473883,33,75</u> |
| ख. | I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | B. I Deposits of branches in India | 379054,03,62 | 341705,59,38 | |
| II | भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | II Deposits of branches outside India | 189840,35,23 | 132177,74,37 | |
| जोड़ (I और II) | | TOTAL (I & II) | | <u>568894,38,85</u> | <u>473883,33,75</u> |
| अनुसूची - 4 उद्धार ली गयी राशियां | | SCHEDULE - 4 BORROWINGS | | | |
| I. | भारत में उद्धार ली गयी राशियां | I. Borrowings in India | | | |
| i) | भारतीय रिज़र्व बैंक | i) Reserve Bank of India | 2000,00,00 | - | |
| ii) | अन्य बैंक | ii) Other Banks | 2022,52,09 | 335,41,89 | |
| iii) | अन्य संस्थान एवं एजेंसियां | iii) Other Institutions and Agencies | 2,08,22 | 205,09,01 | |
| iv) | नवो-भेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) | iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | 1911,70,00 | 1911,70,00 | |
| v) | बांडों के रूप में जारी हाय ब्रिड ऋण पूँजी | v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds | 5000,00,00 | 5000,00,00 | |
| vi) | गौण बांड | vi) Subordinated Bonds | <u>4490,00,00</u> | <u>2490,00,00</u> | |
| जोड़ (I to VI) | | TOTAL (I to VI) | | 15426,30,31 | 9942,20,90 |
| II. | भारत के बाहर उद्धार ली गयीं राशिया | Borrowings outside India (includes 1050 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात (₹6291.10 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष 300 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात ₹1628.55 करोड़) ₹1628.55 crores) | | 21386,66,57 | 16637,07,28 |
| जोड़-उद्धार ली गई राशियां (I एवं II) | | Total - Borrowings (I & II) | | <u>36812,96,88</u> | <u>26579,28,18</u> |
| उपरोक्त में शामिल जमानती उद्धार राशियां | | Secured Borrowings included in above | | 3612,00,75 | 2767,77,47 |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|--|---|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची - 5 | SCHEDULE - 5 | | |
| अन्य देयताएं और प्रावधान : | OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS | | |
| I देय बिल | I Bills Payable | 1557,20,31 | 1427,03,70 |
| II अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) | II Inter Office Adjustments (Net) | 936,13,82 | 360,51,59 |
| III उपचित ब्याज | III Interest Accrued | 3725,00,96 | 3259,39,79 |
| IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान | IV Contingent Provision against Standard Advances | 2401,44,88 | 1820,37,84 |
| V अन्य (प्रावधानों सहित) | V Others (including provisions) | 9191,70,13 | 7836,05,33 |
| जोड़ (I से V) | TOTAL (I to V) | <u>17811,50,10</u> | <u>14703,38,25</u> |

अनुसूची - 6 **SCHEDULE - 6**

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|---|---|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष | CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | | |
| I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) | I Cash in hand (including foreign currency notes) | 2218,48,27 | 1559,50,62 |
| II भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि | II Balances with Reserve Bank of India in Current Account | 16410,61,12 | 11892,57,21 |
| जोड़ (I और II) | TOTAL (I & II) | <u>18629,09,39</u> | <u>13452,07,83</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|--|--|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE | | |
| I भारत में | I In India | | |
| i) बैंकों के पास शेष राशि | i) Balances with Banks | | |
| क) चालू खातों में | a) in Current Accounts | 1045,29,51 | 1191,50,73 |
| ख) अन्य जमा खातों में | b) in Other Deposit Accounts | 1467,22,30 | 2512,51,81 |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | ii) Money at call and short notice with | | |
| क) बैंकों के पास | a) Banks | - | 2445,00,00 |
| ख) अन्य संस्थानों के पास | b) Other institutions | - | 6411,69,11 |
| जोड़ (i और ii) | TOTAL (i and ii) | 2512,51,81 | 13496,47,21 |
| II भारत से बाहर | II Outside India | | |
| i) चालू खातों में | i) in Current Accounts | 20124,45,27 | 11638,16,35 |
| ii) अन्य जमा खातों में | ii) in Other Deposit Accounts | 62843,47,59 | 24558,99,01 |
| iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | iii) Money at Call and Short Notice with Banks | 26768,37,17 | 22253,20,03 |
| जोड़ (i, ii और iii) | TOTAL (i, ii and iii) | 109736,30,03 | 58450,35,39 |
| कुल जोड़ (I और II) | TOTAL (I and II) | <u>112248,81,84</u> | <u>71946,82,60</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|---|--|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-8 निवेश | SCHEDULE - 8 INVESTMENTS | | |
| I भारत में निवेश (सकल) | I Investments in India (Gross) | 111424,61,45 | 117537,50,11 |
| घटायें : मूल्यदाता के लिए प्रावधान | Less: Provision for Depreciation | <u>769,16,16</u> | <u>777,92,85</u> |
| भारत में शुद्ध निवेश | Net Investments in India | 110655,45,29 | 116759,57,26 |
| अलग-अलग विवरण | BREAK - UP | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | i) Government Securities | 95736,09,38 | 102044,53,23 |
| (विलयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए ₹156.77 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹772.28 करोड़) के ₹150.00 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹815.00 करोड़) शामिल हैं [एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹0.53 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹19.70) के ₹0.50 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹20.30)] | [Includes ₹ 156.77 crores (Previous year ₹ 772.28 crores) face value of ₹ 150.00 crores (Previous year ₹815.00 crores) lodged with Clg. Corp. of India] [Includes ₹ 0.53 crores (Previous year ₹ 19.70 crores) face value of ₹ 0.50 crores (Previous year ₹20.30 crores) lodged with MCX] | | |
| [एनएसई के पास लॉज किए गए ₹ शून्य करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹24.27 करोड़) के ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹25.00 करोड़)] शामिल हैं | [Includes ₹ NIL- crores (Previous year ₹24.27 crores) face value of ₹ -NIL- crores (Previous year ₹25.00 crores) lodged with NSE] | | |
| [यूएसई में जमा 0.30 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹14.97 करोड़) के ₹0.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.25 करोड़)] शामिल हैं | [Includes ₹ 0.30 crores (Previous year ₹14.97 crores) face value of ₹0.30 crores (Previous year ₹15.25 crores) lodged with USE] | | |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | ii) Other Approved Securities | 1,28,00 | 133,23,00 |
| iii) शेयर | iii) Shares | 1734,94,06 | 1504,91,18 |
| iv) डिबेंचर और बांड | iv) Debentures and Bonds | 3893,79,84 | 2947,38,22 |
| v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम [इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूँजी अंशदान पेंडिंग अलाटमैंट ₹152.91 करोड़] (पिछले वर्ष ₹152.91 करोड़) शामिल हैं.] | v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of ₹ 152.91 crores (Previous year ₹ 152.91 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment] | 858,61,77 | 826,57,58 |
| vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंड की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि) | vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.) | <u>8430,72,24</u> | <u>9302,94,05</u> |
| | | <u>110655,45,29</u> | <u>116759,57,26</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|---|---|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-8 निवेश (जारी) SCHEDULE - 8 INVESTMENTS (contd.) | | | |
| II भारत के बाहर निवेश (सकल) | II Investments Outside India (Gross) | 5707,63,40 | 4775,37,26 |
| घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान | Less: Provision for Depreciation | 250,42,55 | 141,22,08 |
| भारत के बाहर शुद्ध निवेश | Net Investments Outside India | 5457,20,85 | 4634,15,18 |
| अलग-अलग विवरण | BREAK - UP | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | i) Government Securities (Including Local Authorities) | 1043,64,61 | 1114,75,53 |
| ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम | ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad | 745,01,49 | 737,10,40 |
| iii) अन्य निवेश (डिबंचर, बांड आदि) | iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.) | 3668,54,75 | 2782,29,25 |
| | | 5457,20,85 | 4634,15,18 |
| जोड़ (I और II) | TOTAL (I and II) | 116112,66,14 | 121393,72,44 |
| अनुसूची-9 अग्रिम SCHEDULE - 9 ADVANCES | | | |
| क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल | A. i) Bills Purchased and Discounted | 53018,02,23 | 48409,29,55 |
| ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand | 178648,72,00 | 138333,54,50 |
| iii) मीयादी ऋण | iii) Term Loans | 165339,06,85 | 141442,92,44 |
| जोड़ क (i से iii) | TOTAL A (i to iii) | 397005,81,08 | 328185,76,49 |
| ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूति (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित) | B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts) | 276384,83,62 | 226454,54,33 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित | ii) Covered by Bank/Government Guarantees | 66207,18,68 | 59970,69,98 |
| iii) गैर-जमानती | iii) Unsecured | 54413,78,78 | 41760,52,18 |
| जोड़ ख (i से iii) | TOTAL B (i to iii) | 397005,81,08 | 328185,76,49 |
| ग. I भारत में अग्रिम | C. I Advances in India | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | i) Priority Sector | 84176,70,01 | 79467,14,90 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | ii) Public Sector | 228,94,36 | 22539,06,68 |
| iii) बैंक | iii) Banks | 30,89,62 | 2571,30,19 |
| iv) अन्य | iv) Others | 187732,41,87 | 272168,95,86 |
| II भारत से बाहर अग्रिम | II Advances Outside India | | |
| i) बैंकों से प्राप्त | i) Due from Banks | 57342,06,30 | 57387,00,00 |
| ii) अन्य से प्राप्त | ii) Due from Others | | |
| क) खरीदे और भुनाए गए बिल | a) Bills Purchased & Discounted | 7080,81,28 | 6457,89,46 |
| ख) सिंडीकेट ऋण | b) Syndicated Loans | 26575,59,35 | 14772,30,59 |
| ग) अन्य | c) Others | 33838,38,29 | 124836,85,22 |
| जोड़ ग(I और II) | TOTAL C (I & II) | 397005,81,08 | 328185,76,49 |



| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 | |
|--------------------------------|---|--|------------|---|----------------------|
| | | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-10 अचल आस्तियां | | SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS | | | |
| I | परिसर | I | Premises | | |
| | पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर | At cost as on 31 st March of the preceding year | 2629,06,55 | 2584,13,89 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Additions/adjustments during the year | 179,51,11 | 44,92,66 | |
| | | | 2808,57,66 | 2629,06,55 | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन | Deductions/adjustments during the year | 3,90,64 | - | |
| | (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) | (Includes revalued amount) | 2804,67,02 | 2629,06,55 | |
| | घटाएं - आज की तारीख तक मूल्यहास्परिशोधन | Less:- Depreciation/ Amortisation to date | 996,78,44 | 1807,88,58 | 907,63,28 1721,43,27 |
| II | अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर) पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर | II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31 st March of the preceding year | 2751,90,21 | 2337,44,82 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन | Additions/adjustments during the year | 547,27,28 | 473,09,13 | |
| | | | 3299,17,49 | 2810,53,95 | |
| | घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन | Less: Deductions/adjustments during the year | 45,77,24 | 58,63,74 | |
| | | | 3253,40,25 | 2751,90,21 | |
| | घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यहास | Less : Depreciation to date | 2327,16,57 | 926,23,68 | 2020,21,88 731,68,33 |
| | जोड़ (I से II) | TOTAL (I to II) | | 2734,12,26 | 2453,11,60 |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|---|--|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची -11 अन्य आस्तियां | SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS | | |
| I उपचित ब्याज | I Interest Accrued | 4630,94,34 | 3636,82,35 |
| II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल) | II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions) | 4826,09,35 | 3374,52,25 |
| III लेखन सामग्री और स्टाम्प | III Stationery & Stamps | 7,16,79 | 6,53,06 |
| IV अन्य | IV Others | 3309,82,15 | 2686,05,41 |
| जोड़ (I से V) | TOTAL (I to V) | <u>12774,02,63</u> | <u>9703,93,07</u> |
| अनुसूची -12 आकस्मिक देयताएं | SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES | | |
| I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया | I Claims against the Bank not acknowledged as Debts | 48,26,16 | 54,09,58 |
| II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता | II Liability for partly paid Investments | 28,00 | 28,00 |
| III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता | III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts | 170986,85,95 | 136024,70,55 |
| IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां : | IV Guarantees given on behalf of Constituents : | | |
| क) भारत में | a) In India | 16453,04,14 | 14271,45,36 |
| ख) भारत से बाहर | b) Outside India | <u>12741,41,33</u> | <u>29194,45,47</u> |
| V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व | V Acceptances, Endorsements and Other Obligations | 19969,19,78 | 18995,94,13 |
| VI अन्य मद्दें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है, | VI Other items for which the Bank is Contingently liable | 39713,72,49 | 21101,30,19 |
| जोड़ (I से VI) | TOTAL (I to VI) | <u>259912,77,85</u> | <u>204628,91,69</u> |



लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Profit & Loss Account

(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को Year Ended 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को Year Ended 31 st Mar, 2013 |
|--|---|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-13 अर्जित ब्याज | SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED | | |
| I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | I Interest / Discount on Advances / Bills | 27878,09,34 | 25867,05,54 |
| II निवेशों पर आय | II Income on Investments | 8695,99,11 | 7483,38,60 |
| III भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज | III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds | 1533,86,12 | 1443,02,26 |
| IV अन्य | IV Others | 831,76,38 | 403,19,04 |
| जोड़ (I से IV) | TOTAL (I to IV) | <u>38939,70,95</u> | <u>35196,65,44</u> |
| अनुसूची -14 अन्य आय | SCHEDULE - 14 OTHER INCOME | | |
| I कमीशन, विनिमय और दलाली | I Commission, Exchange and Brokerage | 1437,39,32 | 1257,35,64 |
| II निवेशों के विक्रय पर लाभ | II Profit on sale of Investments | 774,18,11 | 628,76,73 |
| घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि | Less: Loss on sale of Investments | <u>30,38,51</u> | <u>743,79,60</u> |
| III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ | III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets | 2,96,30 | 1,23,97 |
| घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि | Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets | <u>2,77,23</u> | <u>19,07</u> |
| IV विनिमय लेन-देन पर लाभ | IV Profit on Exchange Transactions | 1039,17,31 | 804,06,16 |
| घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि | Less: Loss on Exchange Transactions | <u>11,40</u> | <u>1039,05,91</u> |
| V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India | 40,73,73 | 38,32,24 |
| VI विविध आय | VI Miscellaneous Income | 1201,56,78 | 915,94,61 |
| जोड़ (I से VI) | TOTAL (I to VI) | <u>4462,74,41</u> | <u>3630,62,49</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को Year Ended 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च, 2013 को Year Ended 31 st Mar, 2013 |
|--|---|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज | SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED | | |
| I जमाराशियों पर ब्याज | I Interest on Deposits | 25220,93,76 | 22445,69,11 |
| II भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उथार राशियों पर ब्याज | II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings | 674,78,56 | 461,09,24 |
| III अन्य | III Others | 1078,64,00 | 974,60,56 |
| जोड़ (I से III) | TOTAL (I to III) | <u>26974,36,32</u> | <u>23881,38,91</u> |
| अनुसूची-16 परिचालन व्यय | SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES | | |
| I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान | I Payments to and Provisions for Employees | 4139,72,39 | 3449,64,85 |
| II किराया, कर और बिजली | II Rent, Taxes and Lighting | 618,87,51 | 523,75,72 |
| III छपाई और लेखन सामग्री | III Printing and Stationery | 70,61,58 | 56,07,26 |
| IV विज्ञापन एवं प्रचार | IV Advertisement and Publicity | 63,80,54 | 61,06,31 |
| V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास | V Depreciation on Bank's Property | 408,67,18 | 369,62,71 |
| घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्वृद्धांकन के कारण प्रारक्षित पूँजी से समायोजित मूल्यहास | Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties | 63,64,65 | 345,02,53 |
| VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च | VI Directors' Fees, Allowances and Expenses | 1,00,29 | 1,24,84 |
| VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित) | VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses) | 49,65,98 | 33,83,02 |
| VIII विधि प्रभार | VIII Law Charges | 36,36,24 | 30,53,23 |
| IX डाक, तार और टेलीफोन आदि | IX Postages, Telegrams, Telephones etc. | 145,31,60 | 118,54,21 |
| X मरम्मत और रखरखाव | X Repairs and Maintenance | 199,35,54 | 183,67,75 |
| XI बीमा | XI Insurance | 391,52,59 | 296,65,20 |
| XII अन्य खर्च | XII Other Expenditure | 1075,79,77 | 891,07,53 |
| जोड़ (I से XII) | TOTAL (I to XII) | <u>7137,06,56</u> | <u>5946,73,63</u> |



अनुसूची-17 : 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

Schedule - 17 : Significant accounting policies for the year ended March 31, 2014

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांत (जीएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट हैं। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कठिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें

- (क) “परिपक्वता तक धारित” में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) “व्यापार हेतु धारित” में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) “बिक्री हेतु उपलब्ध” में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेश की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहन, प्रारंभिक शुल्क एवं कमीशन राशि सम्मिलित है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल है (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. INVESTMENTS

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

- a “Held to Maturity” (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b “Held for Trading” (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c “Available for Sale” (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगीयों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए 'परिपक्वता तक धारित' संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। सवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे 'बिक्री' के लिए 'उपलब्ध' में अंतरित कर दिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'बाजार' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

"व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिप्पलर बाजार के रूप में चिह्नित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यांकास यदि कोई हो, को "लाभ हानि खाते" के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन मूल्यों के अनुसार तिमाही आधार पर किया जाता है।

"व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्भूत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफएआईएमडीए)/फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्भूत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

- क) सरकारी/अनुमोदित - "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर प्रतिभूतियां
- ख) इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर
- ग) अधिमानी शेयर
- घ) पीएसयू बांड
- ड.) म्यूचुअल फंड की यूनिटें
- च) उद्यम पूँजी
- छ) सुरक्षा रसीदें

3.4 निवेशों का निस्तारण

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

- a Government / Approved securities - on Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares - at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
- c Preference Shares - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark- up
- d PSU Bonds - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
- g Security Receipts Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.

3.4 Disposal of Investments

Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on



- लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूँजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है। 'बिक्री के लिए उत्पाद' और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेश के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है।
- 3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
- 3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 3.9 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। पुनः खरीद एवं प्रत्यावर्तित पुनः खरीद संव्यवहारों को संपार्शिक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर पुनःखरीद का करार किया जाता है। पुनः खरीद के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्तित पुनः खरीद प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता। लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखांकृत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एप्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/और व्यवस्था बचाव (मार्केट मेंकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन्स मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा

the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

- 3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.
- 3.6 In respect of investments at overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.
- 3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge(market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are



व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्त या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

तुलन पत्र की तिथि को 'फेडाइ' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अन्वयित वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

- 4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल है।
- 4.3 पुनर्निधारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है।
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हुए वर्तमान में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को दो वर्षों की अवधि में लाभ हानि खाते में नाम किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को राशि प्राप्ति वर्ष में लाभ हानि खाते में रिवर्स किया जाता है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूँजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। तथा इस पर मूल्यहास को इसमें से घटाया जाता है।
- 5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

- 7.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 7.2 सरकारी कारोबार, गरंटियों, साख पत्रों, विनियम, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज, को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर

recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

5. FIXED ASSETS

- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.

- 5.2 Premises include land and building under construction.

6. RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. REVENUErecognition

- 7.1 Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 7.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter





- हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- 7.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 7.4 भारतीय सनदी लेखांकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

8. कर्मचारियों को लाभ

8.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बडौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बडौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

8.2 उपदान

बैंक ऑफ बडौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है।

8.3 पेंशन

8.3.1 बैंक ऑफ बडौदा कर्मचारी पेंशन विनियमों के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है। बैंक ऑफ बडौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

8.3.2 जिन कर्मचारियों ने बैंक से 1.4.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना पारिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित होता है।

8.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश (अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश सहित) का संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी हित (लाभ) यथा छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

of Credits, Exchange, Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

- 7.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.



9. मूल्यहास

- 9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुछेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित मूल्यहासित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है। इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।
- 9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुछेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- 9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का पूर्ण मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया जाता है।
- 9.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।
- 9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।
- 9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाइज) की जाती है।

10. अनर्जक आस्तियां

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जक हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 11.1 विदेशी मुद्रा विनियम से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनियम दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एस 11 के अनुरूप किया गया है।
- 11.2 लेखा मानक - एस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - क) एकीकृत परिचालनों एवं
 - ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घेरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।
- 11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :
 - (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
 - (ख) विदेशी मुद्रा विनियम से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

9 DEPRECIATION

- 9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.
- 9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- 9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 9.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 9.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.
- 11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 11.3 Translation in respect of Integral Operations
 - a The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
 - b Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.





- (ग) परिणामी विनियम अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले स्पष्टाह की औसत कलेजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
- (घ) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं दरों एवं अन्तर्रिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

- (क) आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई कलेजिंग स्पष्ट दरों पर अंतरित किया गया है।
- (ख) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर व वायदा दरों एवं अन्तरित परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर अंतरित किया जाता है।
- (ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (घ) परिणामी विनियम अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

11.5 वायदा विनियम करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तर्रिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्याकर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति,

c The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets and liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

d Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations

- a Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- c Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates



रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्भाग के संभावना के लागभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change

13 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule -18 Notes on accounts

क. भारतीय रिज़र्व बँक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

क-1. पूँजी

A. Disclosure in terms of RBI requirements

A-1. Capital

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | | पिछला वर्ष Previous Year | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | बासल II BASEL II | बासल III BASEL III | बासल II BASEL II | बासल III BASEL III |
| | | | | | |
| i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%) | Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%) | N.A.* | 8.95% | N.A.* | N.A.** |
| ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%) | Tier 1 Capital Ratio (%) | 9.54% | 9.28% | 10.13% | N.A.** |
| iii) टियर 2 पूँजी अनुपात (%) | Tier 2 Capital Ratio (%) | 3.33% | 3.00% | 3.17% | N.A.** |
| iv) कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%) | Total Capital Ratio (CRAR) (%) | 12.87% | 12.28% | 13.30% | N.A.** |
| v) बँक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | Percentage of the shareholding of the Government of India | | 56.26% | | 55.41 % |
| vi) अर्जित इक्विटी पूँजी की राशि | Amount of Equity Capital Raised | | 550.00 | | 850.00 |
| vii) अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूँजी की राशि जिसमें से पीएनसीपीएस पीडीआई | Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which PNCPS PDI | | - | - | - |
| viii) अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि जिसमें से ऋण पूँजी लिखत अधिमान्य शेयर पूँजी लिखत | Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which Debt Capital Instrument Preference Share Capital Instruments | | 2000.00 | - | - |

* लागू नहीं

* Not Applicable

** यह अनुपात बासल III के अंतर्गत अपेक्षित है। पिछले वर्ष यह लागू नहीं था।

** This ratio is required under BASEL III norms, which was not applicable during previous year.

क-2. निवेश

A-2. Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | | पिछला वर्ष Previous Year | |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| (1) निवेशों का मूल्य | (1) Value of Investments | | | | |
| (i) निवेशों का सकल मूल्य | (i) Gross Value of Investments | | | | |
| (क) भारत में | (a) In India | 1,11,424.61 | | 1,17,537.50 | |
| (ख) भारत से बाहर | (b) Outside India, | 5,707.63 | | 4,775.37 | |
| (ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान | (ii) Provisions for Depreciation | | | | |
| (क) भारत में | (a) In India | 769.16 | | 777.92 | |
| (ख) भारत से बाहर | (b) Outside India, | 250.42 | | 141.22 | |
| (iii) निवेशों का निवल मूल्य | (iii) Net Value of Investments | | | | |
| (क) भारत में | (a) In India | 1,10,655.45 | | 1,16,759.58 | |
| (ख) भारत से बाहर | (b) Outside India. | 5,457.21 | | 4,634.15 | |
| (2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन | (2) Movement of provisions held towards depreciation on investments | | | | |
| (i) प्रारम्भिक शेष | (i) Opening balance | 919.14 | | 703.88 | |
| (ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | (ii) Add: Provisions made during the year | 363.07 | | 314.48 | |
| (iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बटटाकरण/पुनरांकन | (iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year | 262.63 | | 99.22 | |
| (iv) अंतिम शेष | (iv) Closing balance | 1,019.58 | | 919.14 | |



2.1 रिपो संव्यवहार (अंकित मूल्य में)

A-2.1 Repo Transactions (in face value terms)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | वर्ष के दौरान चूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year | 31 मार्च 2014 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2014 |
|--|---|---|--|---|---|
| रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां | Securities sold under repo | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 270.00 | 2,122.96 | 936.11 | 1,913.60 |
| (ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 599.15 | 910.71 | 0.00 | 910.71 |
| रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | Securities purchased under reverse repo | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां | i. Government securities | 181.00 | 27,134.18 | 2,951.36 | 0.00 |
| (ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | ii. Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

क-2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सं. No. | जारीकर्ता Issuer | राशि Amount | निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement | निवेश ग्रेड के नीचे की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities | अनरेटेड प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities | असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities |
|------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (i) | पीएसयू | PSUs | 3,778.51 | 1,849.45 | 1,334.30 | 363.39 |
| (ii) | एफआई | FIs | 868.73 | 652.06 | 235.72 | 0.00 |
| (iii) | बैंक | Banks | 7,151.17 | 785.89 | 225.14 | 45.69 |
| (iv) | निजी निगम | Private Corporate | 1,963.21 | 968.45 | 628.06 | 209.28 |
| (v) | अनुबंधियों / संयुक्त उद्यम | Subsidiaries/ Joint Ventures | 1,604.12 | 1,604.12 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) | अन्य | Others | 6,176.85 | 1,290.89 | 0.00 | 59.92 |
| (vii) | मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान | Provision held towards depreciation | -1,019.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | Total | 20,523.01 | 7,150.86 | 2,423.22 | 673.98 |
| | | | | | | 687.55 |

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current year | पिछला वर्ष Previous year |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| प्रारंभिक शेष | Opening balance | 405.25 | 339.55 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | 134.73 | 93.39 |
| उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां | Reductions during the year | 77.27 | 27.69 |
| अंतिम शेष | Closing balance | 462.71 | 405.25 |
| कुल धारित प्रावधान | Total provisions held | 353.47 | 303.57 |



क-2.3. वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के एचटीएम में रखे गए निवेशों की बिक्री

A-2.3 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| निवेश का आरंभिक शेष (एचटीएम) 01.04.2013 Opening Bal. of investment (HTM) 01.04.13 | वर्ष के दौरान बिक्री/ अंतरण Sale/ transfer during the year | परिवर्द्धन Addition | निवेशों का समाप्ति शेष 31.03.2014 Closing Bal. of Investment (HTM) 31.03.14 | निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य 31.03.2014 Market value of investment (HTM) category 31.03.14 |
|--|---|------------------------|---|---|
| - | - | - | - | - |

क-2.4. एसएलआर निवेश

A-2.4 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | बही मूल्य | मार्केट मूल्य | बही मूल्य | मार्केट मूल्य |
| | | Current Year | Market Value | Book Value | Market Value |
| सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)* | Govt. sec SLR (CG,SG,&TB) * | 95,588.38 | 95,588.38 | 1,02,076.7 | 1,02,076.7 |
| अनुमोदित प्रतिभूतियां – एसएलआर | Approved sec-SLR | 1.28 | 1.28 | 133.23 | 133.23 |

*इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं।

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

क-2.5. एसजीएल फॉर्म के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.5 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| समाप्त वर्ष Year ended | एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form | राशि Amount | टिप्पणी Remarks |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|
| 2014 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - |

क-2.6 डेरिवेटिव्स

क-2.6.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

A-2.6 Derivatives

A-2.6.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current year | पिछला वर्ष Previous year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि | The notional principal of swap agreements | 38,816.59 | 21,009.52 |
| ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि | Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements | 737.14 | 258.52 |
| iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित कोलैटरल | Collateral required by the bank upon entering into swaps | - | - |
| iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेद्रण | Concentration of credit risk arising from the swaps | 1,101.16 | 979.59 |
| v) स्वैप बही का उचित मूल्य | The fair value of the swap book | 503.04 | 692.50 |



क-2.6.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स :

A-2.6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सं. क्र. Sr. No. | विवरण Particulars | राशि Amount |
|---------------------|---|---|
| (i) | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिसिपल राशि (लिखतवार) A. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) 2,176.64 A. Interest Rate Future (IRF) |
| (ii) | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च, 2014 के अनुसार (लिखतवार) बकाया नोशनल प्रिसिपल राशि | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2014 (instrument-wise) - |
| (iii) | नोशनल प्रिसिपल राशि वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया नोशनल प्रिसिपल राशि "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) - |
| (iv) | एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिव्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार) | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) - |

क-2.6.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

A-2.6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosure

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टाप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

बैंक अपने तुलन पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेंजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देने का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देने में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम। बैंक की मूल्य जोखिम, जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन देने की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं। इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

लेन देनों की काउन्टर पार्टीयां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं। डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउन्टर पार्टी

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

The Bank uses financial derivative transactions for hedging, its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes





से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रूपांतरण घटकों के साथ गुण करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रूपांतरण घटक

in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

| अवशिष्ट परिपक्वता | Residual Maturity | ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract | विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract |
|-------------------|--------------------|---|--|
| एक वर्ष से कम | Less than one year | 0.50% | 2.00% |
| एक वर्ष और अधिक | One year and above | 1.00% | 10.00% |
| पांच वर्ष से अधिक | Over five years | 3.00% | 15.00% |

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है। हैंजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है। ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

| S. No. | विवरण | Particulars | करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives | ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives |
|--------|---|--|--|---|
| (i) | डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि) | Derivatives (Notional Principal Amount) | 1194.15 | 38315.72 |
| क) | हैंजिंग के लिए | a) For hedging | 320.76 | 20012.06 |
| ख) | ट्रेडिंग के लिए | b) For trading | 873.39 | 18303.66 |
| (ii) | मार्केट टू मार्केट पोजिशन (1) | Marked to Market Positions | 4.96 | 498.08 |
| क) | आस्तियां (+) | a) Asset (+) | 19.92 | 638.48 |
| ख) | देयताएं (-) | b) Liability (-) | -14.96 | -140.40 |
| (iii) | ऋण जोखिम (2) | Credit Exposure | 57.25 | 1076.11 |
| (iv) | ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | -0.50 | 405.64 |
| क) | हैंजिंग डेरिवेटिव्स पर | a) On hedging derivatives | -0.37 | 385.81 |
| ख) | ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर | b) On trading derivatives | -0.13 | 19.83 |
| (v) | वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01 | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year | | |
| क) | हैंजिंग पर | a) On hedging | 1.0947 & -0.990 | 400.22 & -17.047 |
| ख) | ट्रेडिंग पर | b) On trading | 35.843 & 6.74 | 24.85 & -17.29 |

क-2.6.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

सीडीएस पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु फिर्मा द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक सरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है। अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक फिर्मा कर्व का ही उपयोग करता है, सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है।

A.2.6.4 Credit Default Swaps (CDS)

As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the Banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. Our Bank uses the FIMMDA curve for valuing our CDS positions, Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation.



क-2.7 आस्ति गुणवत्ता

क-2.7.1 गैर निष्पादक आस्तियां

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A-2.7 Asset Quality

A-2.7.1 Non Performing Assets

A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 अप्रैल, 2013 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष) | Gross NPAs as on 1 st April 2013 (Opening Balance) | 7,982.58 | 4,464.75 |
| वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए) | Additions (Fresh NPAs) during the year | 6,833.93 | 6,843.80 |
| उप जोड़ (क) | Sub-Total (A) | 14,816.51 | 11,308.55 |
| घटाएँ : | Less :- | | |
| (i) अपग्रेडेशन | (i) Up-gradations | 684.72 | 340.93 |
| (ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर) | (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | 1,261.81 | 625.57 |
| (iii) बद्ध खाते डाली गई राशि | (iii) Write-offs | 994.08 | 2,359.47 |
| उप जोड़ (ख) | Sub-total (B) | 2,940.61 | 3,325.97 |
| 31 मार्च, 2014 के सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख) | Gross NPAs as on 31 st March 2014 (closing balance) (A-B) | 11,875.90 | 7,982.58 |

ख) गैर निष्पादक आस्तियां

B) Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| (i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%) | Net NPAs to Net Advances (%) | 1.52 | 1.28 |
| (ii) एनपीए का संचलन (सकल) | Movement of NPAs (Gross) | | |
| (क) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 7,982.58 | 4,464.75 |
| (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए | (b) Additions during the year | 6,833.93 | 6,843.80 |
| (ग) वर्ष के दौरान घटाए गए | (c) Reductions during the year | 2,940.61 | 3,325.97 |
| (घ) अंतिम शेष | (d) Closing balance | 11,875.90 | 7,982.58 |
| (iii) शुद्ध एनपीए का संचलन | Movement of Net NPAs | | |
| (क) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 4,192.03 | 1,543.64 |
| (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए | (b) Additions during the year | 3,895.89 | 3,854.28 |
| (ग) वर्ष के दौरान घटाए गए | (c) Reductions during the year | 2,053.16 | 1,205.89 |
| (घ) अंतिम शेष | (d) Closing balance | 6,034.76 | 4,192.03 |
| (iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) | Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) | | |
| (क) प्रारंभिक शेष | (a) Opening balance | 3,790.55 | 2,921.11 |
| (ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए | (b) Provisions made during the year | 2,938.04 | 2,989.52 |
| (ग) तकनीकी/विवेकसम्पत्त अपलिखिते | (c) Technical / Prudential write offs | 793.69 | 1854.16 |
| (घ) अपलिखित राशि (उपरोक्त के अलावा) | (d) Write off (Other than above) | 93.76 | 265.92 |
| (च) अंतिम शेष | (e) Closing balance | 5,841.14 | 3,790.55 |





| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| (v) तकनीकी अपलिखितों का संचलन | (v) Movement of Technical Write offs | | |
| 1 अप्रैल 2013 को तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष | Opening Balance of Technical / Prudential written-off account as at April 01 st , 2013 | 5,205.33 | 3,272.91 |
| जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशि | Add : Technical / Prudential write-off during the year | 1,040.25 | 2,308.54 |
| उप योग (ए) | Sub Total (A) | 6,245.58 | 5,581.45 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशियों की वसूली (बी) | Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B) | 647.00 | 376.12 |
| 31 मार्च 2014 को अन्तिम शेष (ए-बी) | Closing Balance as at March 31 st , 2014 (A-B) | 5,598.58 | 5,205.33 |

ग) क्षेत्रवार एनपीए

C) Sector-wise NPAs

| क्रमांक Sl. No. | क्षेत्र | Sector | क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector | |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | | | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| 1 | कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां | Agriculture & allied activities | 5.15 | 4.91 |
| 2 | उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े) | Industry (Micro & small, Medium and Large) | 5.11 | 3.31 |
| 3 | सेवाएं | Services | 4.84 | 5.27 |
| 4 | व्यक्तिगत ऋण | Personal Loans | 5.71 | 6.87 |

घ) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| कुल आस्तियां | Total Assets | 2,31,551.92 | 1,65,731.12 |
| कुल एन पी ए | Total NPAs | 2,021.76 | 1,431.76 |
| कुल राजस्व | Total Revenue | 4,980.63 | 4,950.58 |

क्र-2.7.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

A-2.7.2 Disclosure of Restructured Accounts

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| क्रम संख्या S. No. | पुनर्गठित के प्रकार Type of Restructuring अस्ति ग्राहक Assets Classification | सो उत्तर कर्कानी के अधीन Under CDR Mechanism | | | | | | स्थ इसे इया पुनर्गठित कर्कानी के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | | अन्य Others | | | | | | कुल Total | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|---|
| | | मानक Standard | अवासानक Sub-Standard | चिन्हाचार Doubtful | हासि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवासानक Sub-Standard | चिन्हाचार Doubtful | हासि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवासानक Sub-Standard | चिन्हाचार Doubtful | हासि Loss | कुल Total | मानक Standard | अवासानक Sub-Standard | चिन्हाचार Doubtful | हासि Loss | कुल Total | | |
| 1 | ०१ अप्रैल २०१३ के पुनर्गठित खाते April 01, 2013 Restructured Accounts as on No. of borrowers | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 42 | 3 | 6 | 1 | 52 | 868 | 308 | 939 | 94 | 2209 | 19805 | 1872 | 4617 | 790 | 27084 | 20715 | 2183 | 5562 | 885 | 29345 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 3889.65 | 236.07 | 395.79 | 24.37 | 4545.88 | 1959.28 | 3889.98 | 419.67 | 23.27 | 2791.20 | 13412.90 | 1003.52 | 679.81 | 184.04 | 15280.27 | 19261.83 | 1628.57 | 1495.27 | 231.68 | 22617.35 | |
| 2 | बोर्ड द्वारा नवीन पुनर्गठित Fresh Restructuring during the year | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 414.85 | 22.55 | 16.86 | 0.00 | 454.26 | 27.31 | 1.38 | 4.86 | 0.00 | 33.55 | 314.74 | 8.74 | 20.35 | 0.00 | 343.83 | 756.90 | 32.67 | 42.07 | 0.00 | 831.64 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1162 | 105 | 30 | 0 | 1297 | 22405 | 1997 | 1063 | 0 | 25465 | 23582 | 2103 | 1095 | 0 | 26780 | |
| 3 | पिछ २०१३-१४ के द्वारा पुनर्गठित मानक शर्तों में प्रबल Upgradation to restructured standard category during the FY 2013-14 | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 2611.51 | 17.04 | 162.71 | 0.00 | 2791.26 | 1651.68 | 36.88 | 24.90 | 0.00 | 1713.46 | 2025.26 | 175.18 | 47.96 | 0.00 | 2248.40 | 6288.45 | 229.10 | 235.57 | 0.00 | 6753.12 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 94.26 | 2.93 | 4.14 | 0.00 | 101.33 | 13.78 | 0.49 | 0.06 | 0.00 | 14.33 | 132.98 | 3.39 | 3.46 | 0.00 | 139.83 | 241.02 | 6.81 | 7.66 | 0.00 | 255.49 | |
| 4 | पिछ २०१३-१४ के द्वारा पुनर्गठित मानक शर्तों में प्रबल Upgradation to restructured standard category during the FY 2013-14 | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 140.16 | -131.47 | -8.69 | 0.00 | 0.00 | 83.41 | -81.12 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | 136.97 | -130.70 | -5.68 | -0.59 | 0.00 | 360.54 | -343.29 | -16.66 | -0.59 | 0.00 | 0 |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 9.65 | -9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | -9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | पिछ २०१३-१४ के द्वारा पुनर्गठित खातों का द्वन्द्वालक्षण Downgrading of restructured accounts during the FY | आवासानक की संख्या Amount outstanding | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -124 | 59 | 59 | 6 | 0 | -3093 | -430 | 3150 | 373 | 0 | -3224 | -371 | 3216 | 379 | 0 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | -597.09 | -67.60 | 664.69 | 0.00 | 0.00 | -31627 | 68.69 | 220.82 | 26.76 | 0.00 | 1051.04 | 27.37 | 762.85 | 260.85 | 0.00 | -1964.40 | 28.46 | 1648.33 | 287.61 | 0.00 | |
| 6 | पिछ २०१३-१४ के द्वारा पुनर्गठित खातों का द्वन्द्वालक्षण Downgrading of restructured accounts during the FY | आवासानक की संख्या Amount outstanding | -13.98 | 3.51 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 38.35 | 0.00 | 45.78 | -13.98 | 10.94 | 48.82 | 0.00 | 45.78 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 | -100 | -48 | -119 | -21 | -288 | -797 | -356 | -1156 | -278 | -25.87 | -897 | -404 | -1279 | -300 | -2880 | |
| 7 | पिछ २०१३-१४ के द्वारा पुनर्गठित खातों का द्वन्द्वालक्षण Downgrading of restructured accounts during the FY | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 0.00 | -4.50 | -372.60 | 24.37 | -401.47 | -171.06 | -73.34 | -59.91 | -1.83 | -306.14 | -205.21 | -197.91 | -329.97 | -199.98 | -933.07 | -376.27 | -275.75 | -762.48 | -226.18 | -1640.68 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | -136.64 | -7.44 | -8.23 | 0.00 | -152.31 | -12.99 | -0.90 | -1.53 | 0.00 | -15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.63 | -8.34 | -9.76 | 0.00 | -167.73 | |
| | जराम प्रबल Provision thereon | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 53 | 2 | 10 | 0 | 65 | 1680 | 380 | 876 | 79 | 3015 | 38613 | 2850 | 7160 | 824 | 494.47 | 40346 | 3232 | 8046 | 903 | 52527 | |
| | ३१ मार्च २०१४ के पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2014 | आवासानक की संख्या Amount outstanding | 6044.23 | 49.54 | 841.90 | 0.00 | 6935.67 | 2977.65 | 340.09 | 603.19 | 48.20 | 3969.13 | 13425.32 | 917.18 | 1045.32 | 244.32 | 15632.14 | 22447.20 | 1306.81 | 2490.41 | 292.52 | 26536.94 | |



क-2.7.3 प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| (i) खातों की संख्या | No. of accounts | 23 | - |
| (ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट) | Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C | 253.64 | - |
| (iii) कुल प्रतिफल | Aggregate consideration | 522.21 | - |
| (iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | 0.00 | - |
| (v) शुद्ध बही कीमत पर कुल लाभ / हानि | Aggregate gain/loss over net book value | 268.57 | - |

क-2.7.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

A-2.7.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1. क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या | 1. (a) No. of accounts purchased during the year | - | - |
| ख. समग्र बकाया | (b) Aggregate outstanding | - | - |
| 2. क. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या | 2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year | - | - |
| ख. सकल बकाया | (b) Aggregate outstanding | - | - |

ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. बेचे गए खातों की संख्या | 1. No. of accounts sold | 23 | - |
| 2. समग्र बकाया | 2. Aggregate outstanding | 671.28 | - |
| 3. समग्र प्रतिफल प्राप्ति | 3. Aggregate consideration received | 522.21 | - |

क-2.7.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.7.5 Provisions on Standard Asset

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | Provisions towards Standard Assets as per RBI norms | 2,401.45 | 1,820.38 |



क-2.7.6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का केन्द्रीकरण

क) जमाओं का केन्द्रीकरण

A-2.7.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं | Total Deposits of twenty largest depositors | 44,417.01 | 49,049.33 |
| बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत | Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank | 7.81 | 10.35 |

ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण

b) Concentration of Advances

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण | Total Advances to twenty largest borrowers | 40,803.08 | 49,035.28 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत | Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank | 10.09 | 9.53 |

ग) एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

c) Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों का कुल एक्सपोज़र | Total Exposure to twenty largest borrowers/customers | 54,180.12 | 51,573.39 |
| बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत | Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers | 8.52 | 8.16 |

घ) एनपीए का केन्द्रीकरण

d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र | Total Exposure to top four NPA accounts | 1,237.90 | 1,067.66 |

इ) प्रावधान कवरेज अनुपात

e) Provision Coverage Ratio

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| सकल एनपीए में प्रावधान (पीसीआर) कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टाकरण सहित) | Provision Coverage Ratio (PCR) | 65.45% | 68.24% |



क-2.8 व्यावसायिक अनुपात

A.2.8 Business Ratios

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| (i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | Interest Income as a percentage to Average Working Funds | 6.76 | 7.34 |
| (ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds | 0.78 | 0.76 |
| (iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | Operating Profit as a percentage to Average Working Funds | 1.61 | 1.88 |
| (iv) आस्तियों पर प्रतिफल | Return on Assets | 0.75 | 0.90 |
| (v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में) | Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹in Crores) | 18.65 | 16.89 |
| (vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) | Profit per employee (₹in Crores) | 0.10 | 0.10 |

क-2.9 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मर्दों का परिपक्वता स्वरूप

A. 2.9 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | 1 दिन Day 1 | 2 से 7 दिन 2 to 7 days | 8 से 14 दिन 8 to 14 days | 15 से 28 दिन 15 to 28 days | 29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months | 3 महीनों से ज्यादा तथा 6 महीनों तक Over 3 months & up to 6 months | 6 महीनों से ज्यादा तथा 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year | 1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years | 3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years | 5 वर्ष से अधिक Over 5 years | कुल Total |
|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------|
| जमा राशियां | Deposits | 18184.76 (5142.66) | 36129.02 (23513.87) | 21376.70 (15185.67) | 23328.94 (18126.44) | 66860.86 (64889.29) | 56233.86 (52890.56) | 148437.28 (131681.42) | 110191.01 (82863.02) | 9630.55 (18095.14) | 78521.81 (61493.20) | 568894.79 (473881.27) |
| अग्रिम | Advances | 3581.32 (4634.37) | 15804.50 (8268.57) | 6900.05 (10881.41) | 16250.56 (9225.00) | 59580.87 (44232.88) | 46711.54 (36542.22) | 29635.90 (30267.28) | 106523.95 (95296.65) | 33758.64 (36705.42) | 78258.48 (52131.98) | 397005.81 (328185.77) |
| निवेश | Investments | 947.80 (2605.83) | 2096.30 (1935.87) | 352.54 (715.14) | 3713.70 (588.39) | 5104.99 (9609.82) | 943.13 (3395.63) | 3882.13 (2764.66) | 11854.03 (16614.87) | 14646.31 (13800.94) | 72571.74 (69368.43) | 116112.66 (121399.59) |
| उदाहरण | Borrowings | 363.29 (476.86) | 3676.87 (484.49) | 451.74 (269.34) | 119.95 (549.05) | 3802.72 (2385.78) | 2691.44 (3506.20) | 2439.41 (1880.69) | 7442.40 (5112.73) | 1800.44 (5969.16) | 14024.70 (5944.99) | 36812.96 (26579.28) |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां | Foreign Currency assets | 23325.40 (14200.86) | 14675.28 (7964.35) | 9336.71 (4957.19) | 17181.73 (12502.61) | 47354.80 (38947.18) | 49668.57 (33395.54) | 20188.25 (15676.21) | 33362.83 (21842.87) | 12223.77 (16457.82) | 8859.31 (6871.62) | 236196.66 (172816.26) |
| विदेशी मुद्रा देयताएं | Foreign Currency liabilities | 15856.78 (3555.68) | 23246.72 (17430.51) | 11833.02 (8384.56) | 15844.92 (11463.65) | 39411.49 (30088.97) | 27650.75 (24897.52) | 41452.11 (30426.44) | 45415.91 (11107.99) | 7263.73 (18837.03) | 9011.56 (3779.70) | 236989.97 (159972.03) |

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं। Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन "युप आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2013" के अनुसार किया गया है। The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy-2013" of the Bank
- कुल अग्रिमों की गणना में प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है। The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.
- विदेशी मुद्रा की देयताओं का विभाजन मूल देयता विभाजन के अनुपात में किया गया है। Distribution of provision on foreign currency liabilities has been done in proportion to the distribution of the parent liability.



क-2.10 एक्सपोजर

क-2.10.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-2.10 Exposure

A-2.10.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| श्रेणी | Category | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--|--------------|---------------|
| | | Current Year | Previous Year |
| क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर | a) Direct exposure | | |
| (i) आवासीय बंधक – | (i) Residential Mortgages – | | |
| आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में हैं / होगी या किराए पर हैं, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज, | Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; | 22,362.51 | 17,702.43 |
| इनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र हैं. | Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector | (12,548.45) | (10,535.17) |
| (ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट | ii) Commercial Real Estate – | 9,644.37 | 6,727.22 |
| वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी पर्सन कमर्शियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं. | Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits; | | |
| (iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर | (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – | | |
| क. आवासीय | a. Residential, | 25.17 | 14.98 |
| ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट | b. Commercial Real Estate. | 941.28 | 43.83 |
| ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर | b) Indirect Exposure | | |
| निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर | Fund based and non-fund based exposures | | |
| (i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा | (i) National Housing Bank (NHB) | 38.62 | 60.91 |
| (ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) | (ii) Housing Finance Companies (HFCs) | 10,694.93 | 6,312.11 |
| रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर | Total Exposure to Real Estate Sector | 43,706.88 | 30,861.48 |



क-2.10.2 पूँजी बाजार में ऋण जोखिम

A-2.10.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| (i) इकिवटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इकिवटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉर्पस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; | 1,854.52 | 1,782.26 |
| (ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इकिवटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम | Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds; | 24.72 | 65.03 |
| (iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इकिवटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है। | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | 0.06 | 27.10 |
| (iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इकिवटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपादिक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इकिवटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ती गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है। | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances | 138.34 | 875.18 |
| (v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां | Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers | 125.84 | 351.95 |
| (vi) कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इकिवटी को प्रोमोटर के अंशादान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम | Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; | 1.77 | - |
| (vii) संभावित इकिवटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण | Bridge loans to companies against expected equity flows/issues; | 1.10 | - |
| (viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इकिवटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | 0.00 | - |
| (ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना | Financing to stockbrokers for margin trading | 2.94 | 2.06 |
| (x) वैंचर पूँजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) का जोखिम | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | 865.89 | 779.24 |
| पूँजी बाजार में कुल जोखिम | Total Exposure to Capital Market | 3,015.18 | 3,882.82 |

पूँजी बाजार में ₹ 3015.18 करोड़ का ऋण कुल ऋण की सीमा राशि ₹ 12,285.68 करोड़ के भीतर है। (अर्थात 31.03.2013 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 30714.19 करोड़ का 40%)। पूँजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोज़र ₹ 2748.13 करोड़ है और दिनांक 31.03.2013 को बैंक की निवल मालियत ₹ 6142.84 करोड़ का 20% अर्थात ₹ 26203.67 करोड़ की सीमा के भीतर है।

The exposure to Capital Market of ₹ 3015.18 Crores is within the limit of ₹12,285.68 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 30714.19 Crores as on 31.03.2013). The direct exposure to Capital Market is ₹ 2748.13 Crores and is within the limit of ₹ 6142.84 crores i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 26,203.67 crores as on 31.03.2013.



क-2.10.3 जोखिम श्रेणीवार देशीन एक्सपोज़र

A- 2.10.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| श्रेणी | Category | 31 मार्च 2014 को एक्सपोज़र (नेट) Exposure (net) as on 31 st March 2014 | 31 मार्च 2014 को प्रावधान Provision held as on 31 st March 2014 | 31 मार्च 2013 को एक्सपोज़र (नेट) Exposure (net) as on 31 st March 2013 | 31 मार्च 2013 को प्रावधान Provision held as on 31 st March 2013 |
|--------------|---------------|---|---|--|---|
| महत्वहीन | Insignificant | 39,005.81 | 16.34 | 27,244.70 | 19.61 |
| चून | Low | 42,533.67 | 28.38 | 15,260.64 | 16.05 |
| मध्य | Moderate | 1,709.58 | -- | 1,126.05 | -- |
| उच्च | High | 2,663.53 | -- | 1,844.36 | -- |
| अधिक उच्च | Very High | 477.34 | -- | 17.48 | -- |
| सीमित | Restricted | 2.92 | -- | 0.81 | -- |
| ऋण से इतर | Off-credit | 2.19 | -- | 2.53 | -- |
| अ-मूल्यांकित | Not Rated | 0.00 | -- | 20.96 | -- |
| कुल | Total | 86,395.04 | 44.72 | 45,517.53 | 35.66 |

क-2.10.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)
में आधिक्यA- 2.10.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit
(GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| वर्ष Year | ऋणी का नाम Name of the borrower | एकल कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Single Borrower Exposure Limit | कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned | 31 मार्च को शेष Balance as on 31 st March |
|--------------|------------------------------------|--|--|---|
| 2013-14 | - | - | - | - |
| 2012-13 | - | - | - | - |
| वर्ष Year | ऋणी का नाम Name of the borrower | समूह कर्जदार एक्सपोज़र सीमा Group Borrower Exposure Limit | कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned | 31 मार्च को शेष Balance as on 31 st March |
| 2013-14 | - | - | - | - |
| 2012-13 | - | - | - | - |

क-2.10.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

ऐसे अग्रिमों जिनमें हकदारी, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार हेतु अमूर्त प्रतिभूतियां जमानत के रूप में ली गई हैं, की राशि ₹333.35 करोड़ (गत वर्ष ₹ 333.35 करोड़) है और उन्हें गैर जमानती अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया गया है जैसा कि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में उल्लिखित है। कुल गैर जमानती अग्रिमों में ऐसे अग्रिमों का अंश 0.61% (गत वर्ष 0.79%) है। मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 31 दिसंबर 2010 के अनुसार अमूर्त संपादिक मूल्यांकन ₹ 3268.14 करोड़ की गई है।

A-2.10.5 Amount of Unsecured Advances

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as security is ₹ 333.35 crores (previous year ₹ 333.35 Crores) and the same has been classified as unsecured, forming part of unsecured advances as reflected in schedule 9 of the balance sheet. Such advances to total unsecured advances are 0.61 % (previous year 0.79%). The intangible collateral valued at ₹ 3268.14 crores as per valuation report dated 31st December 2010.

क-2.11 विविध

क-2.11.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

A-2.11 Miscellaneous

A-2.11.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous year |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित के करों हेतु प्रावधान | Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax | 1,540.34 | 904.33 |
| घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल | Less reversal of Tax Provisions relating to previous years | 584.11 | 553.82 |
| कर के लिए नेट प्रावधान | Net provision for Tax | 956.23 | 350.51 |





क-2.11.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किसी भी अपेक्षा की अवहेलना नहीं की गई है और गैर अनुपालन के लिए बैंक पर कोई दण्ड नहीं लगाया गया है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट से सम्बद्ध विभिन्न नियमों तथा केवायसी मानदण्डों का पालन न हो पाने के कारण बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3.34 करोड़ की पैनल्टी का भुगतान किया।

क-2.11.3 प्रायोजित एसपीवी ऑफ बैलेंस शीट (जिसे लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)

| प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored | |
|---|-----------------|
| घरेलू Domestic | विदेशी Overseas |
| शून्य / NIL | शून्य / NIL |

क-2.11.4 प्रतिभूतीकरण

A-2.11.4 Securitisation

| S.No. | विवरण | Particulars | संख्या/ राशि (रुपये में) No. / Amount (₹ in crores) |
|-------|---|--|--|
| 1. | प्रतिभूतीकरण अंतरण के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या | No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction | |
| 2. | बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतीकरण आस्तियां की कुल राशि | Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank | |
| 3. | तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि क) तुलनपत्र जोखिम मूल घाटा अन्य ख) तुलनपत्र का जोखिम मूल घाटा अन्य | Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet a) Off-balance sheet exposures First Loss Others b) On balance sheet exposures First Loss Others | |
| 4. | एमएमआर के अलावा प्रतिभूतीकरण अंतरण से जोखिम की राशि क) तुलनपत्र जोखिम i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम मूल घाटा अन्य घाटा ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण से जोखिम मूल घाटा अन्य घाटा ख) तुलनपत्र का जोखिम i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम मूल घाटा अन्य घाटा ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण से जोखिम मूल घाटा अन्य घाटा | Amount of Exposures to securitisation transactions other than MRR a) Off-balance sheet exposures i) Exposures to own securitisations First Loss Loss/Others ii) Exposures to third party securitisations First Loss Others b) On-balance sheet exposures i) Exposures to own securitisations First Loss Loss/Others ii) Exposures to third party securitisations First Loss Others | शून्य NIL |



क-3. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप

क-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:

A-3. Break up of Provisions and Contingencies

A-3.1 The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित) | Provision for depreciation on investment (net of written back) | 198.60 | 225.45 |
| बड़ेखाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित) | Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back) | 2,935.16 | 3,067.02 |
| मानक आस्तियों हेतु प्रावधान | Provision for standard assets | 535.04 | 393.80 |
| कर हेतु प्रावधान आस्थित करें, और संपदा कर सहित (शुद्ध प्रतिवर्तित प्रावधान) | Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions) | 956.23 | 350.51 |
| अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं | Other Provision and Contingencies | | |
| पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सैक्रिफाइस हेतु प्रावधान | Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts | 32.56 | 382.42 |
| देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान | Provision for Country Risk Management | 9.06 | 13.03 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान | Provision for staff welfare expenses | 25.00 | 25.00 |
| अन्य | Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.) | 58.29 | 61.20 |
| कुल | Total | 4,749.94 | 4,518.43 |

क-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| क. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष | a. Opening balance in the floating provisions account | 850.35 | 850.35 |
| ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि | b. The quantum of floating provisions made in the accounting year | - | - |
| ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए झा डाउन की राशि | c. Amount of draw down made during the accounting year | - | - |
| घ. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष | d. Closing balance in the floating provisions account | 850.35 | 850.35 |

क-3.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (झा डाउन)

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीओडी नं. बीपी.बीसी. 77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसम्बर 2013 की शर्तों के अनुरूप बैंक ने पूर्व आरक्षित निधि में से ₹818.90 करोड़ की आस्थित कर देयता सृजित की है।

A-3.3 Draw Down from Reserves

In terms of Reserve Bank of India Circular no. DBOD.no.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013, the Bank has created deferred tax liability of ₹ 818.90 crores out of past reserves.



क्र-4. शिकायतों का प्रकटीकरण

I. ग्राहक शिकायत (एटीएम की शिकायतें छोड़कर)

A-4. Disclosure of complaints

I. Customer Complaints (Other than ATM)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| (क) वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या | (a) No. of complaints pending at the beginning of the year | 151 | 636 |
| (ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | (b) No. of complaints received during the year | 23,350 | 14,843 |
| (ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या | (c) No. of complaints redressed during the year | 23,369 | 15,328 |
| (घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | (d) No. of complaints pending at the end of the year | *132 | 151 |

* इनमें से 123 शिकायतें (गत वर्ष 142 शिकायतें) 30 दिनों से कम पुरानी हैं. * Out of these 123 nos. of complaints (Previous year 142 nos.) are pending for less than 30 days.

II. एटीएम संबंधी शिकायतें

II. ATM Complaints

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| (क) वर्ष के शुरू में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या | (a) No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year | 4,190 | 2,210 |
| (ख) वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या | (b) No. of ATMS complaints received during the year | 7,55,980 | 3,16,589 |
| (ग) वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी निवारित शिकायतों की संख्या | (c) No. of ATMs complaints redressed during the year | 7,51,150 | 3,12,399 |
| (घ) वर्ष के अंत में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या | (d) No. of ATMs complaints pending at the end of the year | 4,830 | 4,190 |

III. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

II. Awards passed by the Banking Ombudsman

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| (क) वर्ष के शुरू में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या | (a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year | -- | 4 |
| (ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या | (b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year | 20 | 11 |
| (ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या | (c) No. of Awards implemented during the year | 19 | 15 |
| (घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या | (d) No. of unimplemented Awards at the end of the year | 1 | -- |



क-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

- (i) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशी नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया।
- (ii) 31.03.2014 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति बैंक ने निम्नलिखित आश्वासन जारी किया है।
- (i) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी/देशी विनियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुषंगियों की स्थापना / शाखाएं खोलने हेतु उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का उस देश में बैंक की अनुषंगी के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया था। दि. 31.03.2014 के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार अनुषंगी की जमाएं ₹137.92 करोड़ एवं बाहरी देयताएं ₹0.83 करोड़ हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किया गया एलओसी ₹138.75 करोड़ की समस्त राशि अर्थात जमाराशि एवं बाहरी देयताओं को कवर करता है। तथापि 31.03.2014 को इस अनुषंगी की शुद्ध मालियत ₹222.31 करोड़ है इसलिए यह संपूर्ण जमा राशि और बाहरी देयताओं को कवर करता है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ नेगरा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है। दिनांक 31.03.2014 को बैंक की कुल जमा राशि ₹273.89 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹4.82 करोड़ अर्थात कुल ₹278.71 करोड़ है। दिनांक 31.03.2014 को इस अनुषंगी की निवल मालियत ₹591.13 करोड़ है।

क-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विषयन से अर्जित आय

A-5. Status of Letters of Comfort

I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

II Cumulative position of LOC's outstanding as on 31.03.2014

The Bank has issued the following Letter of Comforts

- (i) During financial year 2008-09 to meet the requirements of the overseas/ domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries/ opening of branches, the Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country. As per audited accounts as on 31.03.2014, the deposits of the Subsidiary are ₹ 137.92 Crores and outside liabilities are ₹ 0.83 Crores. The LOC issued by Bank of Baroda covers this entire amount of ₹ 138.75 Crores i.e. deposit and outside liabilities. However, the net worth of the Subsidiary as on 31.03.2014 is ₹ 222.31 Crores and therefore it covers the entire deposits and outside liabilities.
- (ii) During financial year 2010-11, the Bank has issued Letter of comfort to the Bank of Negara Malaysia to the extent of the Bank's 40% shareholding in the joint venture Bank-India International Bank (Malaysia) Bhd' (IIBMB). As on 31.03.2014, the deposits of the Bank are ₹ 273.89 Crores and other liabilities are ₹ 4.82 Crores i.e. total of ₹ 278.71 Crores. The net worth of the Subsidiary as on 31.03.2014 is ₹ 591.13 crores.

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ in Crores)

| विवरण | Nature of Income | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| जीवन बीमा पलिसियों की बिक्री हेतु | For selling life insurance policies | 14.97 | 18.36 |
| गैर जीवन बीमा पलिसियों की बिक्री हेतु | For selling non life insurance policies | 10.25 | 11.98 |
| स्पूच्यूअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु | For selling mutual fund projects | 3.18 | 3.17 |
| इक्विटी ब्रॉकिंग उत्पाद | Equity broking product | 0.29 | 0.33 |
| बैंकश्योरेंस व्यवसाय | Bancassurance Business | 0.00 | 0.00 |

ख. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

ख-1 एएस-5 अवधि/पूर्व अवधि मदों के लिए निवल लाभ अथवा हानि तथा लेखानीतियों में परिवर्तन

आस्ति पुनर्निर्णय कम्पनी एआरसी/प्रतिभूतिकरण आधिनियम को बेची गई। वित्तीय आस्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं./98.21.04.13-2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 के अनुरूप यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात बही मूल्य-प्रावधान राशि) तो कम रही राशि (शार्टफॉल) दो वर्षों तक के लाभ हानि खाते के नामे किया जाता है तथा यदि बिक्री मूल्य शुद्ध बिक्री मूल्य से अधिक है तो विद्यमान नीति के अनुसार आधिक्य प्रावधान राशि प्राप्त वर्ष के दौरान लाभ हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है। यदि बिक्री शुद्ध बिक्री मूल्य (अर्थात बही मूल्य-प्रावधान राशि) से कम है तो कम रही राशि को लाभ हानि खाते को नामे किया जाता है और यदि बिक्री मूल्य शुद्ध बही मूल्य से अधिक है तो आधिक्य राशि को आगे ले जाया जाता है तथा इसका उपयोग भविष्य में गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण रही कमी/हुई हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है।

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

In accordance with new RBI circular DBOD.BP.BC.No. 98/21.04.13/2013-14 dated 26th February, 2014, pertaining to financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company, if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received as against the existing policy, if the sale is at price below the Net Book Value (i.e Book Value Less Provision held), the short fall is debited to the profit and loss account and if the sale value is higher than the NBV surplus is carried forward and utilized to meet the short fall/loss on account of subsequent sale of Non Performing financial assets.



वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹4.26 करोड़ कम की शुद्ध राशि अर्जित की है।

ख-2. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

ख-2.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है। यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया।

ख-2.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप व्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकित पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकित मूल्य की गणना की जाती है।

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है।

ख-2.3 पेंशन

ख-2.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है।

ख-2.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है। यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलक्षियों से वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है।

ख-2.3.3 विवेकपूर्ण विनियामक पद्धति (पेंशन का विकल्प)

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपने ऐसे कुछ कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः दिया था, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प न लिया हो। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया के माध्यम से 18,989 कर्मचारियों ने यह विकल्प चुना, जिससे बैंक के लिए ₹.1829.90 करोड़ की देयताएं उत्पन्न हुईं।

एएस-15 कर्मचारी लाभ संबंधी मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹1829.90 करोड़ की पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते को प्रभारित की जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने दि. 9 फरवरी, 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

During the year the bank has recognized a net gain of ₹4.26 crores in this transaction as per new RBI guidelines.

B-2. (AS-15) Employee Benefits

B-2.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007.

B-2.2 GRATUITY

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-2.3 PENSION

B.2.3.1 Bank of Baroda pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund.

B.2.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organisations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

B-2.3.3 Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension)

During the financial year 2010-11, the Bank had reopened the Pension Option for such of its employees who had not opted for the Pension Scheme earlier. As a result of exercise of such option by 18,989 number of employees, the Bank had incurred a liability of ₹1,829.90 Crores.

In terms of the requirements of AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹ 1,829.90 Crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI had issued a circular no. DBOD.



के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करने तथा ग्रेज्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक पद्धति के संबंध में परिपत्र सं.डीबीओडी. बीपीबीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया था. जिसके द्वारा ऐसे पेंशन की राशि को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक परिशोधित किया जा सकता है। तदनुसार 31 मार्च, 2014 तक बैंक ने ₹1463.92 करोड़ की राशि (₹1829.90 करोड़ का 3/5) लाभ-हानि खाते को प्रभारित की है। ₹ 365.98 करोड़ की अनिर्धारित शेष राशि का उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्टानुसार शेष अवधि में हिसाब में लिया जाएगा तथा प्रभारित किया जाएगा। इस राशि में विमुक्त / सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की राशि शामिल नहीं है।

ख-2.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बैंडावा को अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ बैंडावा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ख-2.5 छुट्टी का नकदीकरण

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

ख-2.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने का हकदार होगा बशर्ते कि अधिकारी ने बैंक में 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टॉफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते अवार्ड स्टॉफ ने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या पर ध्यान न रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख-2.7 प्रकटीकरण

मूल बीमांकित अवधारणाएं (बैंडेज औसत के रूप में अभिव्यक्त)

BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated February 9, 2011, by which such pension amount can be amortised over a period of five year. Accordingly, the Bank has charged an amount of ₹ 1,463.92.Crores (representing four-fifth of ₹1,829.90 Crores) upto March 31, 2014. During the FY 2013-14, the Bank charged ₹ 365.98 crores to profit and loss account and the unrecognised balance amount of ₹ 365.98 Crores shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in the said circular. This amount does not include any employee relating to separated/ retired employees.

B-2.4 PROVIDENT FUND

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-2.5 LEAVE ENCASHMENT

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death. However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-2.6 ADDITIONAL RETIREMENT BENEFIT

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the officer had completed-twenty five-years of service in Bank. In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank. However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

B-2.7 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| PENSION | पेंशन | अवकाश LEAVE | नकदीकरण ENCASHMENT | ग्रेज्युटी GRATUITY | अति.सेवा ARB लाभ |
| डिस्काउंट दर | Discount rate | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| वेतन वृद्धि दर | Salary Escalation Rate | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| हास दर | Attrition Rate | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित | Expected Rate of Return on plan Assets | 8.70% | - | 8.00% | - |
| रिटर्न रेट | | | | | |
| मूल्युदार : एलआईसीआई 1994-96 | Mortality Rate : | LICI 1994-96 | | | |

नोट : बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 के अनुसार बीमांकित (एक्चरियल) मूल्यांकन के आधार पर अधिवर्षिता योजना के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है।

Note : The bank has adequately provided for superannuation scheme based on the actuarial valuation as per RBI letter dated March 24, 2014.



देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | | | |
|----|-------------------------------------|--|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | PENSION | पेंशन PENSION | अवकाश LEAVE ENCASHMENT | नकदीकरण GRATUITY | ग्रेचुटी सेवा लाभ ARB |
| क) | 1/4/2013 को पीवीओ | a) PVO as at 01.04.2013 | 7,502.04 | 709.73 | 1,506.13 | 592.45 |
| ख) | जोड़ें: ब्याज की लागत | b) Add- Interest Cost | 616.31 | 56.92 | 120.24 | 48.03 |
| ग) | जोड़ें: चालू सेवा लागत | c) Add- Current Service Cost | 1,080.10 | 120.60 | 106.11 | 5.05 |
| घ) | घटायें: लाभ भुगतान | d) Less- Benefits Paid | 502.76 | 80.22 | 183.15 | 54.83 |
| ड) | जोड़ें: पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | e) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation | -436.21 | -71.34 | -16.70 | 56.46 |
| घ) | 31.03.2014 को पीवीओ | f) PVO as at 31.03.2014 | 8,259.48 | 735.69 | 1,532.62 | 647.17 |

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | |
|----|--|---|------------------|----------------------|
| | | PENSION | पेंशन PENSION | ग्रेचुटी Gratuity |
| क) | 01.04.2013 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | a) Fair Value of plan assets as on 01.04.2013 | 6,658.32 | 1,373.13 |
| ख) | जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न | b) Add- Expected Return on Plan Assets | 579.27 | 109.85 |
| ग) | जोड़ें: अंशदान | c) Add- Contributions | 861.54 | 233.00 |
| घ) | घटायें: प्रदत्त लाभ | d) Less- Benefits Paid | 502.76 | 183.15 |
| ड) | जोड़ें: बीमांकिक लाभ / (-) हानि | e) Add- Actuarial gain/(-)loss | 32.15 | -0.93 |
| घ) | 31.03.2014 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2014 | 7,628.52 | 1,531.90 |

तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | | | |
|----|--------------------------------|--|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | PENSION | पेंशन PENSION | अवकाश LEAVE ENCASHMENT | नकदीकरण GRATUITY | ग्रेचुटी सेवा लाभ ARB |
| क) | दायित्व का पीवी | a) PV of obligation | 8,259.48 | 735.69 | 1,532.62 | 647.17 |
| ख) | योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | b) Fair value of plan assets | 7,628.52 | - | 1,531.90 | - |
| ग) | अन्तर | c) Difference | 630.96 | 735.69 | -0.72 | 647.17 |
| घ) | अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | d) Unrecognised transitional liability | 365.98 | - | - | - |
| ड) | तुलनपत्र में मान्य देयता | e) Liability Recognised in the BS | 264.98 | 735.69 | 0.72 | 647.17 |



लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | | | |
|----|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| | | पेंशन PENSION | अवकाश LEAVE ENCASHMENT | ग्रेचुटी GRATUITY | अंति. सेवा लाभ ARB | |
| क) | चालू सेवा लागत | a) Current Service Cost | 1,080.10 | 120.60 | 106.11 | 5.05 |
| ख) | ब्याज लागत | b) Interest Cost | 616.31 | 56.92 | 120.24 | 48.03 |
| ग) | योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न | c) Expected Return on Plan Assets | 579.27 | - | 109.85 | - |
| घ) | निर्धारित पिछली सेवा लागत (-) | d) Net Actuarial Loss/gain(-) | -468.35 | -71.34 | -15.78 | 1.63 |
| ड) | वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता | e) Transitional liability recognized in the year | 365.98 | - | - | - |
| च) | लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च | f) Expenses Recognised in P&L | 1,014.76 | 106.18 | 100.72 | 54.71 |

अगली अवधि (2014-15) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2014-15)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | पेंशन / Pension | ग्रेचुटी / Gratuity |
|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| संभावित अंशदान | Expected contribution | 600.00 | 100.00 |

निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(% में / in %)

| विवरण | Particulars | Pension | Gratuity |
|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां | Central Govt. Securities | 19.75 % | 20.49% |
| राज्य सरकार प्रतिभूतियां | State Government Securities | 22.62% | 24.30% |
| कार्पोरेट (पीएसयू) | Corporate (PSU) | 23.99% | 25.53% |
| कार्पोरेट (प्राइवेट) | Corporate (Private) | 2.16% | 1.48% |
| अन्य | Others | 31.48% | 28.20% |
| कुल | Total | 100.00 % | 100.00 % |



ख-३. (ए.एस.-१७) सेगमेंट रिपोर्टिंग :
भाग - क : कारोबार खंड

B.3. (AS-17) Segment Reporting
Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| कारोबार खंड/ Business Segment | द्रेजरी Treasury | | कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking | | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल Total | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev Year | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev Year | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev Year | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev Year | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev Year |
| विवरण Particulars | | | | | | | | | | |
| राजस्व Revenue | 11121.44 | 9199.48 | 16339.73 | 15026.66 | 10863.36 | 9604.56 | 5077.91 | 4996.58 | 43402.45 | 38827.28 |
| परिणाम Result | 1527.24 | 1070.13 | -461.12 | -103.95 | 3359.84 | 3085.71 | 2458.03 | 2221.71 | 6883.99 | 6273.60 |
| अनाबंटित खर्च Unallocated Expense | | | | | | | | | 1386.68 | 1442.37 |
| परिचालनागत लाभ Operating Profit | | | | | | | | | 5497.31 | 4831.23 |
| आयकर Income taxes | | | | | | | | | 956.23 | 350.51 |
| विशिष्ट लाभ/ हानि Extra-ordinary Profit/loss | | | | | | | | | - | - |
| शुद्ध लाभ Net Profit | | | | | | | | | 4541.08 | 4480.72 |
| अन्य सूचना Other Information | | | | | | | | | - | - |
| सेगमेंट आस्तियां Segment Assets | 143095.02 | 145932.25 | 188611.50 | 152789.37 | 83557.45 | 73229.18 | 237100.33 | 169832.62 | 652364.32 | 541783.42 |
| अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets | | | | | | | | | 7140.21 | 5352.02 |
| कुल आस्तियां Total Assets | | | | | | | | | 659504.53 | 547135.44 |
| सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities | 135287.09 | 137405.34 | 178319.97 | 143861.80 | 78998.16 | 68950.36 | 224163.02 | 159909.20 | 616768.25 | 510126.70 |
| अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities | | | | | | | | | 6750.61 | 5039.30 |
| कुल देयताएं Total Liabilities | | | | | | | | | 623518.86 | 515166.00 |
| नियोजित पूँजी Capital employed | 7807.94 | 8526.91 | 10291.53 | 8927.57 | 4559.29 | 4278.82 | 12937.31 | 9923.42 | 35596.07 | 31656.72 |
| अनाबंटित Unallocated | | | | | | | | | 389.60 | 312.72 |
| कुल पूँजी Total Capital | | | | | | | | | 35985.67 | 31969.44 |

भाग - ख : भौगोलिक खंड :

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| सेगमेंट → विवरण ↓ | Segments → Particulars ↓ | घरेलू Domestic | | अंतर्राष्ट्रीय International | | कुल Total | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev. Yr | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev. Yr | चालू वर्ष Current Yr | पिछला वर्ष Prev. Yr |
| राजस्व Revenue | 38,421.82 | 33,876.70 | 4,980.63 | 4,950.58 | 43,402.45 | 38,827.28 | |
| आस्तियां Assets | 4,27,952.61 | 3,81,404.32 | 2,31,551.92 | 1,65,731.12 | 6,59,504.53 | 5,47,135.44 | |



सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी

1. आईसीएआई द्वारा सेगमेंट रिपोर्टिंग पर जारी लेखा मानक ए.एस.-17 की अनुपालना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन, थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
2. सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
3. सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है।
4. प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूँजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आबंटित कर दी गयी है।
5. अन्य बैंकिंग परिचालनों में परिणाम राजस्व तथा लगायी गयी पूँजी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं।

ख-4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

संबंधित पार्टीयों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

(क) अनुषंगियां

- i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- ii) बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड
- iv) बैंक ऑफ बडौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- v) बैंक ऑफ बडौदा (केनिया) लिमिटेड
- vi) बैंक ऑफ बडौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- vii) बैंक ऑफ बडौदा (गुयाना) आईएनसी.
- viii) बैंक ऑफ बडौदा (यूके) लिमिटेड
- ix) बैंक ऑफ बडौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- x) बडौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड
(बैंक ऑफ बडौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- xi) बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- xii) बैंक ऑफ बडौदा (घाना) लि.
- xiii) बैंक ऑफ बडौदा (न्यूजीलैंड) लि.

(ख) सहयोगी इकाइयां

- i) बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- iv) बडौदा पायोनियर एसेट मेनेजमेंट कं. लि.
- v) इंडो जाविया बैंक लिमिटेड
- vi) बडौदा पायोनियर ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम

- i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. लि.
- ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
- iii) इंडिया इन्फ्राडेव्ह लि.

Notes on Segment Reporting

1. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, The Bank has adopted "Treasury Operations", Wholesale, Retail and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" and "International" as secondary / geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on segment Reporting issued by ICAI.
2. Segment revenue represents revenue from external customers.
3. In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
4. Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.
5. Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in other banking operations.

B-4. Related Party Disclosures (AS – 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries

- (i) BOB Capital Markets Limited
- (ii) BOB Cards Limited
- (iii) The Nainital Bank Limited
- (iv) Bank of Baroda (Botswana) Limited
- (v) Bank of Baroda (Kenya) Limited
- (vi) Bank of Baroda (Uganda) Limited
- (vii) Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- (viii) Bank of Baroda (UK) Limited
- (ix) Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- (x) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited.
(Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- (xi) BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- (xii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- (xiii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

(b) Associates

- (i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- (ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
- (iii) Baroda Gujarat Gramin Bank
- (iv) Baroda Pioneer Asset Management Company Limited
- (v) Indo Zambia Bank Limited
- (vi) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited

(c) Joint Ventures

- (i) India First Life Insurance Company Ltd.
- (ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.
- (iii) India Infradebt Limited





(घ) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी

| S.No | नाम Name | पदनाम Designation | पारिश्रमिक Remuneration | |
|------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | चालू वर्ष Current Year ₹ | पिछला वर्ष Previous Year ₹ |
| 1 | श्री सुभाष शिवरतन मूंदडा Shri Subhash Sheoratan Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक Chairman & Managing Director | 26,27,967 | 3,49,654 |
| 2 | श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain | कार्यपालक निदेशक (7 जुलाई 2013 तक) Executive Director (upto 07 th July 2013) | 7,67,625 | 12,22,208 |
| 3 | श्री श्रीनिवास पि. Shri Srinivas P. | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 20,10,521 | 12,00,790 |
| 4 | श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 19,13,437 | 6,65,588 |
| 5 | श्री भुवन चंद्र जोशी Shri Bhuvan Chandra Joshi | कार्यपालक निदेशक (5 अगस्त 2013 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 05 th Aug 2013) | 10,94,767 | - |

आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर के ए एस-18 के पैरा 9 के महेनजर अनुषंगियों और सहयोगी बैंकों के साथ संव्यवहार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य नियन्त्रित उपक्रमों को अन्य संबंधित पार्टीयों के साथ अपने लेन-देनों से संबंधित किसी प्रकार का प्रकटीकरण करने से रोकता है, जो भी राज्य नियंत्रित है।

ख-5. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| कर के बाद शुद्ध लाभ (₹. करोड़ में) | Net profit after tax (₹ in Crores) | 4541.08 | 4,480.72 |
| शेयरों की संख्या (वेटेड) | Number of Shares (weighted) | 42,28,88,060 | 41,16,78,611 |
| प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन | Basic & diluted earning per share | 107.38 | 108.84 |
| प्रति शेयर अंकित कीमत | Nominal value per share | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 |

18 जनवरी 2014 को भारत सरकार को शेयर जारी किए गये (शेयर आवंटन समिति का संकल्प दिनांक 15 जनवरी 2014)।

ख-6. आय कर की गणना (एस-22)

आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थागित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च, 2014 को आस्थागित कर देयताओं का नेट बैलेंस ₹791.84 करोड़ है, जो इस प्रकार है :-

The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises.

B-5. Earning Per Share (AS-20)

Issue of shares has been made on 18th Jan, 2014 to Government of India. (Resolution dated 15th Jan. 2014 of Share Allotment Committee.)

B-6. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax assets as on 31st March 2014 amounting to ₹ 791.84 Crores consists of the following:

| विवरण | Particulars | (₹ करोड़ में/₹ in Crores) | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | 31.03.2014 आस्तियां Asset | देयता Liability | 31.03.2013 आस्ति Asset | देयता Liability |
| अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets | - | 60.37 | - | 44.44 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती | Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961 | - | 1128.91* | - | - |
| परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास | Depreciation on HTM Securities | - | 92.73 | - | 92.73 |



(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
|--|---|-------------------|--------------------|
| | | आस्तियां Asset | देयता Liability |
| आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि | Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act | 3.20 | 1.74 |
| अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान | Provision for leave encashment | 250.06 | 221.16 |
| संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों (विदेशी) के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts and advances (foreign) | 236.89 | 3.08 |
| जोड़ | Total: | 490.17 | 1,282.01 |
| शुद्ध आस्थागित कर आस्तियां/ (देयताएं) | Net Deferred Tax Assets /(Liability) | (791.84) | 88.81 |

* पूर्व आरक्षित निधियों में से ₹818.90 करोड़ तथा मौजूदा वर्ष के लाभ में से ₹310.01 करोड़ * ₹818.90 crores out of past reserves and ₹ 310.01 crores out of current year profit.

ख-7. परिचालन बंद करना (एस-24)

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सके और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

ख-8. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)

लेखा मानक-28 “आस्तियों का इंपेयरमेंट” के खंड 5 से खंड 13 – के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

ख-9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

ख-8.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|
| मुकदमें / आकस्मिक खर्च | Legal Cases / contingencies | | |
| 1 अप्रैल 2013 को शेष | Balance as on 1 st April 2013 | 44.51 | 10.01 |
| वर्ष के दौरान प्रदत्त | Provided during the year | 3.31 | 34.50 |
| 31 मार्च 2014 को शेष | Balance as on 31 st March 2014 | 47.82 | 44.51 |
| आउटफलो/अनिश्चिताओं का समय | Timing of outflow / uncertainties | सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफलो Outflow on settlement/crystallization | |

* बैंक की नीति के अनुसार ऐसे दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (पावती नहीं दी गई) का प्रावधान किया गया है।

ख-9.2 आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र.सं.(I) से (VI) में उहूट ऐसी देयताएं क्रमशः मांगी गई राशि, संविदा देयता शर्तें सम्बद्ध पार्टियों की मांग अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

ग-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2014 तक कर लिया गया है। इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है।

ग-2. पूँजी

क वर्ष के दौरान, बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार भारतीय जीवन बीम निगम को प्रिफरेंशियल आधार पर ₹10/- प्रत्येक के 81,58,764 इक्विटी शेयरों को

B-7. Discontinuing operations (AS-24)

During the financial year 2013-14 the Bank has discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

B-8. Impairment of Assets (AS-28)

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

B-9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

B-9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|
| मुकदमें / आकस्मिक खर्च | Legal Cases / contingencies | | |
| 1 अप्रैल 2013 को शेष | Balance as on 1 st April 2013 | 44.51 | 10.01 |
| वर्ष के दौरान प्रदत्त | Provided during the year | 3.31 | 34.50 |
| 31 मार्च 2014 को शेष | Balance as on 31 st March 2014 | 47.82 | 44.51 |
| आउटफलो/अनिश्चिताओं का समय | Timing of outflow / uncertainties | सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफलो Outflow on settlement/crystallization | |

As per the policy of the Bank, provision for the claims, which has not been acknowledged as debt has provided.

B-9.2 Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement / disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

C. Other Notes to Accounts

C-1. Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed upto 31.03.2014, the reconciliation of which is in progress.

C-2. Capital

a During the year, the Bank has allotted 81,58,784 equity shares of ₹ 10/- each at a cash premium of ₹ 664.12 per share (total issue price of ₹ 674.12 per share) to



₹664.12 प्रति शेयर के प्रीमियम पर (कुल निर्गम राशि ₹674.12 प्रति शेयर की दर से) आबंटित किए हैं। इसके फलस्वरूप, बैंक को ₹550.00 करोड़ की कुल राशि पूँजी के रूप में प्राप्त हुई। इस संबंध में संकल्प दिनांक 15 जनवरी 2014 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में विधिवत संकल्प घारित किया गया।

ख वर्ष के दौरान बैंक ने ₹1000 करोड़ के प्रति निर्गम के हिसाब से ₹2000 करोड़ के बांडों से 2 टियर पूँजी संग्रहित की।

ग-3. पूँजीगत प्रारक्षित निधि

पूँजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।

ग-4. निवेश

ग-4.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अंतरित कर दिया है। ₹18.97 करोड़ रुपए (गत वर्ष 20.69 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया है।

ग-4.2 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत रखे गये निवेश की बिक्री पर लाभ राशि ₹17.55 करोड़ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद ₹8.69 करोड़ को पूँजीगत प्रारक्षित निधि में करों को शुद्ध में समायोजित किया गया है।

ग-5. करों के लिए प्रावधान

ग-5.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।

ग-5.2 "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दरशायी अग्रिम कर अदायगी स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹4826.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,374.52 करोड़) शामिल है। आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कार्ड विवादास्पद करोड़ रुपए का विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तरित कर दिए हैं। तथा इसे अन्य प्रारक्षित निधि के अंतर्गत रिपोर्ट दिया जाता है।

ग-5.3 बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत पात्र व्यवसाय के संबंध में, जो उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है, कटौती हेतु दावा किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 912.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 850.00 करोड़) विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तरित कर दिए हैं। तथा इसे अन्य प्रारक्षित निधि के अंतर्गत रिपोर्ट दिया जाता है।

ग-5.4 भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्रांक डीबीओडी. नं. बीपी. बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसम्बर 2013 की अनुपालना में बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधियों पर आस्थागित कर देयता (डीटीएल) सूजित की है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप 31 मार्च 2013 को विशेष आरक्षित निधियों के लिए किए गए आस्थागित कर देयता (डीटीएल) प्रावधान की राशि 818.90 करोड़ जिसे पूर्व में लाभ हानि खाते को प्रभारित नहीं किया गया था को अब आरक्षित निधियों से सीधे समायोजित कर दिया गया है। यदि इस राशि को भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता तो वर्ष के लिए लाभ की राशि इतनी ही राशि से कम होती।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से मौजूदा वर्ष के लाभ पर अर्जित राशि से आस्थागित कर देयता (डीटीएल) राशि सूजित की है।

Government of India as determined by the Board in accordance with regulation 76 (1) of SEBI Issue of Capital and Disclosures Requirements Regulation on preferential basis. The total amount of capital received by the Bank on this account is ₹ 550.00 Crores. The resolution in this regard was duly passed in Extra Ordinary General Meeting held on 15th January 2014.

ब During the year, the Bank has also raised tier 2 capital via bond of ₹ 2000 crores in two tranches of ₹ 1000 crores each.

C-3. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

C-4. Investments

C4.1 In terms of RBI Guidelines, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category during the year. The resultant depreciation of ₹ 18.97 Crores (previous year ₹ 20.69 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C4.2 Profit on sale of investments held under "Held to maturity" category amounting to ₹ 17.55 Crores, which has been taken to profit and loss account initially and thereafter an amount of ₹ 8.69 crores net of tax has been appropriated to the capital reserve.

C-5 Provision for Taxes

C5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

C5.2 Tax paid in advance /tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 4826.09 Crores (previous year ₹ 3374.52 Crores) represents amount adjusted by the Department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

C5.3 The Bank has claimed deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax Act,1961 in respect of the eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of ₹ 912.06 Crores (previous year ₹ 850 crores) to the corresponding Special Reserve account during the financial year 2013-14 and reported under Other Reserve.

C5.4 Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) circular no. DBOD. no.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013, the Bank has created deferred tax liability (DTL) on the Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the amount of ₹ 818.90 crores being the provision of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to Profit and Loss Account, has now been adjusted directly from Reserves. Had this amount been charged to the Profit and Loss Account in accordance with generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year would have been lower by such amount.

Further to above, the bank has created DTL of ₹ 310.01 crores out of current year profit on amount transferred to special reserve during the current financial year.



ग-6 प्रतिभूतिकरण

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरपर गैर निष्पादक आस्तियों की जिनका कुल बही मूल्य ₹253.64 करोड़ था (बकाया राशि में से प्रावधान राशि कम करते हुए) को नकदी तथा प्रतिभूति रसीद के आधार पर विक्री कर दी है। बैंक ने प्रतिभूति रसीदों में ₹494.57 करोड़ की राशि निवेश की है तथा प्रतिभूति रसीदों में वित्तीय आस्तियों को शुद्ध बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। इन प्रतिभूति रसीदों को गैर-संविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना गया है।

ग-7. परिसर

ग-7.1 बैंक की कुल ₹65.30 करोड़ (मूल लागत) - (पिछले वर्ष ₹ 65.30 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

ग-7.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹1782.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,778.33 करोड़), विदेशी कार्यालयों को ₹35.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.45 करोड़) की राशि सहित पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है। शुद्ध मूल्यांक के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 1052.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,104.26 करोड़) हैं।

ग-7.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली ₹1154.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 98.73 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं।

ग-8. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी।

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को स्थानान्तरित कर दिए गए। चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया। निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेज ति. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया।

ग-9 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.यूबीडी.सीओ.एमईआरओईआर नं. 7814/09.16.901/2010.11 दि. 4 मार्च, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण दिनांक 18.04.2011 को किया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्रांक डीबीओडी नं. बीपी. 1311/21.04.048/2010-11 दिनांक 25 जुलाई 2011 के द्वारा बैंक के वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि की निर्दिष्ट आस्तियों एवं देयताओं के अन्तरण से होने वाले शुद्ध घाटे/कमी को परिशोधित/चुकौती की अनुमति दे दी है। पिछले वर्ष से ₹62.60 करोड़ की राशि को आगे ले जाया गया जिसे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लाभ हानि खाते को प्रभारित किया गया। इस प्रकार अब सम्पूर्ण घाटे को लाभ हानि खाते को प्रभारित कर दिया गया है।

ग-10 नवम्बर 2012 के प्रभावी प्रस्तावित वेतन संशोधन समझौते के पेंडिंग चलते 31 मार्च 2014 को ₹ 425 करोड़ राशि का तदर्श प्रावधान किया गया है। तथा वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। प्रबंधन की राय में यह प्रावधान राशि पर्याप्त है।

ग-11 बैंक ने सिक्योर्ड सब स्टेंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में 20% की दर से प्रावधान किया है।

ग-12 मौजूदा अवधि/वर्ष के वर्गीकरण के तदनुरूप, जहां कहीं आवश्यकता है, पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहोकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

C-6 Securitisation

During the year bank has sold Non performing financial assets with Net Book Value of ₹ 253.64 crores (Outstanding less Provisions) to Asset Reconstruction companies on cash and security receipt basis in accordance with RBI guidelines. The bank has made investment of ₹ 494.57 crores in security receipts and the security receipts have been valued at Net Book Value of the financial assets. The security receipts are treated as Non SLR investments.

C-7. Premises

C-7.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 65.30 Crores (Previous Year ₹ 65.30 Crores) – (Original Cost).

C-7.2 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 1,782.73 Crores (previous year ₹ 1,778.33 crores) including ₹ 35.85 Crores at overseas offices (previous year ₹ 31.45 crores). The revalued amount net of depreciation is ₹ 1,052.61 Crores (Previous Year ₹ 1,104.26 Crores).

C-7.3 Premises include assets under construction/acquisition amounting to ₹ 154.58 Crores (Previous Year ₹ 98.73 Crores).

C-8 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court.

C-9 The Bank has taken over specified Assets & Liabilities of The Memon Co-operative Bank Ltd on 18th April, 2011 as per approval granted by RBI vide letter no. UBD.CO.MEROER No. 7814/09.16.901/2010.11 dated 04th March 2011. Further, RBI vide letter no. DBOD.No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated 25th July, 2011 permitted bank to amortize the net deficit arising out of Transfer of Specific Assets and Liabilities over a period of not exceeding three years starting from financial year 2011-12. An amount of ₹ 62.20 crores was brought forward from previous year, which bank has charged to profit and loss account during the FY 2013-14. Now, the deficit stands fully charged to profit & loss Account.

C-10 Pending settlement of the proposed wage revision effective from November 2012, an adhoc provision of. ₹ 425 crores is held as at 31st March 2014 and during the year bank has made a provision of ₹ 300 crores. Management is of the opinion that the said provision is adequate.

C-11 The Bank has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%.

C-12 Figures of previous year have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2014

(₹ in 000's अनंकित omitted)

| | | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 |
|--|---|---|---|
| क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह : | A. Cash flow from operating activities: | | |
| कर से पूर्व शुद्ध लाभ | Net Profit before taxes | 5497,31,47 | 4831,22,96 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन : | Adjustments for: | | |
| अचल आस्तियों पर मूल्यहास | Depreciation on fixed assets | 345,02,53 | 300,63,71 |
| निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित) | Depreciation on investments (including on Matured debentures) | 198,59,41 | 225,45,52 |
| बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान | Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets | 2967,72,29 | 3449,44,24 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | Provision for Standard Assets | 535,04,42 | 393,80,02 |
| अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल) | Provision for Other items (Net) | 92,34,89 | 99,22,65 |
| अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल) | Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net) | (19,07) | 79,63 |
| गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया) | Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately) | 1001,58,88 | 930,27,55 |
| अनुबंधी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया) | Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately) | (40,73,73) | (38,32,24) |
| उप-जोड़ | Sub total | 10596,71,09 | 10192,54,04 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन : | Adjustments for: | | |
| निवेशों में (वृद्धि) /कमी | (Increase)/Decrease in investments | 5122,42,17 | (38081,04,24) |
| अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी | (Increase)/Decrease in advances | (71787,76,88) | (44257,91,38) |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी | (increase)/Decrease in other assets | (1618,52,46) | 1902,20,89 |
| उथार राशियों में वृद्धि /(कमी) | Increase/(Decrease)in borrowings | 3571,13,80 | 2903,93,06 |
| जमा राशियों में वृद्धि /(कमी) | Increase/(Decrease) in deposits | 95011,05,10 | 89012,23,16 |
| अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) | Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions | 2529,15,05 | 2853,04,48 |
| प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि) | Direct taxes paid (Net of Refund) | (2407,80,27) | (1731,91,90) |
| परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क) | Net cash from operating activities (A) | 41016,37,60 | 22793,08,11 |



(₹ in 000's अनकृत omitted)

| | | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 |
|---|---|---|---|
| ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह | B. Cash flow from investing activities: | | |
| अचल आस्तियों की खरीद / अंतरण | Purchase/ Transfer in of fixed assets | (726,78,39) | (518,01,79) |
| अचल आस्तियों की बिक्री / अंतरण | Sales/ Transfer out of fixed assets | 37,29,62 | 35,98,05 |
| व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य) | Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others) | (39,95,28) | (328,73,71) |
| अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश | Dividend received from subsidiaries/ others | 40,73,73 | 38,32,24 |
| निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख) | Net cash used in investing activities (B) | (688,70,32) | (772,45,21) |
| ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह : | C. Cash flow from financing activities: | | |
| शेयर पूँजी | Share Capital | 8,15,88 | 10,13,29 |
| शेयर प्रीमियम | Share premium | 541,84,12 | 839,86,71 |
| गैर जमानती गौण बांड | Unsecured Subordinated Bonds | 6662,54,90 | 102,30,00 |
| लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश | Dividend paid including dividend tax | (1059,62,50) | (812,29,04) |
| गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज | Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds | (1001,58,88) | (930,27,55) |
| वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग) | Net cash from financing activities (C) | 5151,33,52 | (790,26,59) |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग) | Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C) | 45479,00,80 | 21230,36,31 |
| वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य | Cash and cash equivalents as at the beginning of the year | 85398,90,43 | 64168,54,12 |
| वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य | Cash and cash equivalents as at the end of the year | 130877,91,23 | 85398,90,43 |
| टिप्पणी: | Notes: | | |
| 1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेंस और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है। | 1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice. | | |
| 2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक | 2. Components of Cash & Cash Equivalents | As on 31 st March 2014 | As on 31 st March 2013 |
| नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैलेंस | Cash & Balance with RBI | 18629,09,39 | 13452,07,83 |
| बैंकों के पास बैलेंस और मांग एवं अल्प सूचना पर धन | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 112248,81,84 | 71946,82,60 |
| कुल | Total | 130877,91,23 | 85398,90,43 |



वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on the Financial Statements

सेवा में,

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारक

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की 31 मार्च 2014 की वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च 2014 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, तथा एक विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2080 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 53 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 2773 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएं 5.72 प्रतिशत अग्रिम, 12.00 प्रतिशत जमाराशियां, 5.07 प्रतिशत ब्याज-आय और 12.23 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस दायित्व में वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रूपरेखा सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त हैं।

4. लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरणियों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यावाही शामिल है। चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु इकाई के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की सार्थकता पर राय देने के लिए नहीं, ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त

To,

The Shareholders of Bank of Baroda

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as on 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as on 31st March, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and one Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 2080 branches audited by branch auditors and 53 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2773 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.72 per cent of advances, 12.00 per cent of deposits, 5.07 per cent of interest income and 12.23 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of



लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है।

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त हैं।

6. महत्वपूर्ण विषय

अपनी राय देने से पहले हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट क्रमांक ख-2.3.3 जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कर्मचारियों के लिए दी गई छूट के संदर्भ में इन्स्टर्ट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/ 2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुरूप लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के प्रावधानों ने इसके अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹365.98 करोड़ की राशि आस्थागित की है।
- ख) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट संख्या सी-5.4 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी. बीपी. बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अन्तर्गत 31 मार्च 2013 तक विशेष प्रारक्षित निधियों के दावे के लिए प्रदत्त आस्थागित कर देयता के लेखांकन प्रतिपादित करने का उल्लेख किया गया है।

7. राय

हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- i. नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2014 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके।
 - ii. लाभ-हानि लेखा, दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है।
 - iii. नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है।
- अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट
8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।

expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw our attention to:

- a) Note No. B-2.3.3 of Schedule-18 to the financial statements, which describes deferment of pension liability of the Bank to the extent of Rs. 365.98 Crores as on 31st March, 2014 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India (RBI) to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised), Employee Benefits issued by Institute of Chartered Accountants of India, vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.
- b) Note No. C-5.4 of Schedule-18 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the amount of Deferred Tax Liability provided for on the claim of Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 up to 31st March 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013.

7. Opinion

In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on 31st March, 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.



9. उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि :
- क. हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख. बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।
- ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं।
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ/हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(एस के मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 008506

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(S K Mittal)
Partner
M. No.008506

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेट्टी)
भागीदार
एम. नं.: 046940

For N B S & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J Shetty)
Partner
M. No.046940

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 216244

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Dayaniwas Sharma)
Partner
M. No.216244

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228सी
(भारत गोयल)
भागीदार
एम. नं.: 060069

For KASG & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002228C
(Bharat Goel)
Partner
M. No.060069

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(अमिताव चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060

For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(Amitava Chowdhury)
Partner
M. No. 056060

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
(आई.सी.जैन)
भागीदार
एम. नं.: 008791

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN : 105049W
(I C Jain)
Partner
M. No.008791

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 13th May, 2014



31 मार्च 2014 का समेकित तुलन-पत्र

Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2014

(₹ in 000's)

| | अनुसूची SCHEDULE | 31 मार्च 2014 को As on 31 st Mar, 2014 | 31 मार्च 2013 को As on 31 st Mar, 2013 |
|---|--|---|---|
| पूँजी और देयताएं | CAPITAL & LIABILITIES | | |
| पूँजी | Capital | 1 | 430,67,63 |
| प्रारक्षित निधियां और अधिशेष | Reserves & Surplus | 2 | 37416,14,53 |
| मायनोरिटी इन्टरेस्ट | Minority Interest | 2A | 158,40,66 |
| जमाराशियां | Deposits | 3 | 579997,05,60 |
| उधार ली गई राशियां | Borrowings | 4 | 36976,30,07 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | Other Liabilities & Provisions | 5 | 21135,52,08 |
| जोड़ | T O T A L | <u>676114,10,57</u> | <u>559388,33,19</u> |
| आस्तियां | ASSETS | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम | Cash and balances with Reserve Bank of India | 6 | 19444,73,16 |
| बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | 114910,93,64 |
| निवेश | Investments | 8 | 122112,86,39 |
| ऋण एवं अग्रिम | Loans & Advances | 9 | 403715,37,27 |
| अचल आस्तियां | Fixed Assets | 10 | 2849,29,77 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 11 | 13080,90,34 |
| जोड़ | T O T A L | <u>676114,10,57</u> | <u>559388,33,19</u> |
| आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 12 | 260865,11,13 |
| वसूली के लिए बिल | Bills for Collection | | 31995,79,82 |
| महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां | Significant Accounting Policies | 18 | |
| लेखों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 19 | |
| ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। | | | |
| The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet. | | | |

एस.एस.मूद्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पि. श्रीनिवास
कार्यपालक निदेशक
बी. बी. जोशी
कार्यपालक निदेशक
वी.के.गुटा
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान एवं मुविअ)
बी.लंगो
सहा. महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)

स्थान : मुंबई,
दिनांक : 13 मई, 2014

निदेशक
डॉ. के.पी.कृष्णन
श्री सुर्देशन सेन
श्री विनिल कुमार सक्सेना
श्री मौलिन ए.वैष्णव
श्री सुरेंद्र एस भंडारी
श्री राजीब एस साह

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| कृते एस के.मितल एण्ड कं. | कृते लक्ष्मीनगास नीथ एण्ड कं. | कृते रे एण्ड रे |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| एफआरएन: 001135 ए | एफआरएन: 002460 एस | एफआरएन: 301072 ई |
| (एम. के.जूनेजा) | (जी.सुब्बाराव) | (अमिताव चौधरी) |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| एम. नं.: 013117 | एम. नं.: 019579 | एम. नं.: 056060 |
| कृते एन्ड्रीस एण्ड कं. | कृते केएसजी एण्ड कं. | कृते डंडेलवाल जैन एण्ड कं |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| एफआरएन: 110100 डब्ल्यू | एफआरएन: 0022288ी | एफआरएन: 005049 डब्ल्यू |
| (एन.बी. शेष्ठी) | (के.के.हरेदिवा) | (शीलेश शाह) |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| एम. नं.: 016718 | एम. नं.: 034751 | एम. नं.: 0033632 |



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2014

(₹ in 000's)

| | SCHEDULE | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended 31 st Mar 2014 ₹ | 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended 31 st Mar 2013 ₹ |
|--|---|---|---|
| आय | I. INCOME | | |
| अर्जित ब्याज | Interest Earned | 13 40462,89,27 | 36442,05,74 |
| अन्य आय | Other Income | 14 5555,15,33 | 4510,62,31 |
| जोड़ | TOTAL | 46018,04,60 | 40952,68,05 |
| व्यय | II. EXPENDITURE | | |
| ब्याज व्यय | Interest Expended | 15 27604,42,78 | 24486,41,13 |
| परिचालन व्यय | Operating Expenses | 16 7592,28,65 | 6306,36,43 |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय | Provisions and Contingencies | 19 (9) 5890,09,22 | 5409,42,73 |
| जोड़ | TOTAL | 41086,80,65 | 36202,20,29 |
| माइनोरिटी इन्टरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश | Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates | 4931,23,95 | 4750,47,76 |
| सहयोगी इकाइयों में आय का अंश | Share of earnings in Associates | 17 105,16,93 | 78,54,25 |
| माइनोरिटी इन्टरेस्ट राशि कम करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ | Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest | 5036,40,88 | 4829,02,01 |
| घटाएँ : माइनोरिटी इन्टरेस्ट | Less : Minority Interest | 35,67,90 | 24,79,00 |
| वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ | Consolidated Profit for the year attributable to the group | 5000,72,98 | 4804,23,01 |
| आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि | Balance in Profit and Loss A/c brought forward | 281,19,07 | 178,72,72 |
| विनियोग हेतु उपलब्ध राशि | Amount available for appropriation | 5281,92,05 | 4982,95,73 |
| विनियोग | III. APPROPRIATIONS | | |
| सार्विक प्रारक्षित निधि में अन्तरण | Transfer to Statutory Reserve | 1181,07,88 | 1148,70,91 |
| पूँजी प्रारक्षित निधियों में अन्तरण | Transfer to Capital Reserve | 8,69,02 | 81,44,81 |
| धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण | Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii) | 915,19,85 | 852,48,82 |
| राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अन्तरण | Transfer to Revenue & Other Reserves | 1677,42,22 | 1559,49,62 |
| प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) | Proposed Dividend (Including Dividend Tax) | 1083,67,67 | 1059,62,50 |
| समेकित बैलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष | Balance carried over to consolidated Balance Sheet | 415,85,41 | 281,19,07 |
| जोड़ | TOTAL | 5281,92,05 | 4982,95,73 |
| प्रति शेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) (₹.) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹ 10) | Earnings per Share (Basic & Diluted) (₹.) (Nominal value per share ₹ 10) | 19 (10.5) 118.25 | 116.70 |
| महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां | Significant Accounting Policies | 18 | |
| लेखों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 19 | |
| ऊपर दर्शाई गई अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग हैं | | | |
| The Schedules referred to above form an integral part of Balance sheet | | | |

S S Mundra
Chairman & Managing Director
P Srinivas
Executive Director
B B Joshi
Executive Director
V K Gupta
General Manager
(Corp A/Cs, Taxation & Subs.) and CFO
B Elango
Asst. General Manager
Corporate A/cs & Taxation

DIRECTORS
Dr K P Krishnan
Shri Sudarshan Sen
Shri Vinil Kumar Saxena
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Surendra S Bhandari
Shri Rajib S Sahoo

AUDITORS
As per our separate report of even date attached
For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants FRN: 001135N
(M. K. Juneja)
Partner M No. 013117
For N B S & Co
Chartered Accountants FRN: 110100W
(N. B. Shetty)
Partner M No. 016718
For Laxminiwas Neeth & Co
Chartered Accountants FRN: 002460S
(G Subba Rao)
Partner M No. 019579
For KASG & Co.
Chartered Accountants FRN: 002228C
(K. K. Harodia)
Partner M No. 034751
For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants FRN : 105049W
(Shailesh Shah)
Partner M No.0033632

Place : Mumbai
Date : 13th May 2014



समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Balance Sheet

(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st March 2013 |
|---|--|--|--|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची - 1 पूँजी | SCHEDULE - 1 CAPITAL | | |
| प्राधिकृत पूँजी (प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000 इकिवटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000/- शेयर) | AUTHORISED CAPITAL (300,00,00,000 Shares of ₹.10/- each) (previous year 300,00,00,000- shares of ₹.10/- each) | 3000,00,00 | 3000,00,00 |
| जारी की गयी तथा अभिदत्त पूँजी प्रत्येक ₹10/- के 43,21,48,587 इकिवटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 42,39,89,803 शेयर) | ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL 43,21,48,587 Equity Shares of ₹10/- each (previous year 42,39,89,803 shares of ₹. 10/- each) | 432,14,85 | 423,98,98 |
| मांगी गई एवं प्रदत्त पूँजी प्रत्येक ₹10/- के 42,94,15,087 (पिछले वर्ष 42,12,56,303) इकिवटी शेयर (जिसमें 24,15,71,283 इकिवटी शेयर (पिछले वर्ष 23,34,12,499 शेयर) शामिल हैं, जिसकी कुल राशि ₹ 241.57 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा धारित है। | CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL 42,94,15,087 (previous year 42,12,56,303) Equity Shares of ₹10 each including 24,15,71,283 Equity Shares (previous year 23,34,12,499 Shares) amounting to ₹ 241.57 croresheld by Central Government | 429,41,51 | 421,25,63 |
| जोड़े : जब्त शेयर | Add: Forfeited Shares | 1,26,12 | 1,26,12 |
| जोड़े | TOTAL | 430,67,63 | 422,51,75 |
| अनुसूची - 2 | SCHEDULE - 2 | | |
| प्रारक्षित निधियां और अधिशेष | RESERVES & SURPLUS | | |
| I सांविधिक प्रारक्षित निधियां | I Statutory Reserves | | |
| आरंभिक शेष | Opening Balance | 7109,94,38 | 5961,90,74 |
| जोड़े/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित | Add: Transfer from P&L Accounts | 1181,07,88 | 1148,70,91 |
| जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन | Add/(Less): Adjustments during the year | 37,61 | 8291,39,87 |
| | | (67,27) | 7109,94,38 |
| II क) पूँजीगत प्रारक्षित निधियां ₹1066.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1117.36 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन रिझर्व सहित) | II a) Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹ 1066.94 crores (previous years ₹ 1117.36 crores) | | |
| आरंभिक शेष | Opening Balance | 1984,27,49 | 1994,15,79 |
| जोड़े/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित | Add/(Less): Transfer from P&L Accounts | 8,69,02 | 81,44,81 |
| जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन | Add/(Less): Adjustments during the year | (56,08,84) | 1936,87,67 |
| ख) समेकन पर पूँजीगत प्रारक्षित निधियां | b) Capital Reserve on Consolidation | | |
| आरंभिक शेष | Opening Balance | 70,18,76 | 67,90,84 |
| जोड़े : वर्ष के दौरान समायोजन | Add: Adjustments during the year | 2,27,91 | 72,46,67 |
| | | 2,27,92 | 70,18,76 |



| | | (₹ in 000's) | |
|--|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st March 2014 ₹ | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st March 2013 ₹ |
| III | शेयर प्रीमियम | III Share Premium | |
| आरंभिक शेष | Opening Balance | 7229,78,50 | 6389,91,79 |
| जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन | Add/(Less): Adjustments during the year | 541,84,12 | 7771,62,62 |
| | | | 839,86,71 |
| | | | 7229,78,50 |
| IV | राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां | IV Revenue & Other Reserves | |
| क. थारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां | a. Special Reserves u/s 36 (1) (viii) | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 2420,04,02 | 1567,55,20 |
| जोड़े/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण | Add/(Less): Transfer from P&L Account | 915,19,85 | 3335,23,87 |
| | b. Translation Reserves | | 852,48,82 |
| | c. Revenue Reserves | | 2420,04,02 |
| ख. प्रारक्षित निधियां | | 2013,21,85 | 1027,53,49 |
| ग. राजस्व प्रारक्षित निधियां | | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 12736,29,54 | 11184,76,46 |
| जोड़े : लाभ और हानि खाते से अंतरण | Add: Transfer from P&L Accounts | 1677,42,22 | 1559,49,62 |
| जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन/समायोजन | Add: Additions/Adjustments during the year | (834,25,19) | 13579,46,57 |
| V लाभ/हानि खाते में शेष | V Balance in Profit & Loss Account | 415,85,41 | 281,19,07 |
| कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v) | Total Reserves & Surplus (I to v) | 37416,14,53 | 32859,25,25 |
| अनुसूची - 2 ए- माइनोरिटी इन्टरेस्ट | SCHEDULE - 2A- Minority Interest | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 110,05,39 | 91,18,16 |
| जोड़े / (घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन | Add/(Less): Adjustments during the year | 48,35,27 | 158,40,66 |
| कुल माइनोरिटी इन्टरेस्ट | Total Minority Interest | 158,40,66 | 110,05,39 |
| अनुसूची - 3 जमा राशियां | SCHEDULE - 3 DEPOSITS | | |
| क. I मांग जमा राशियां | A. I Demand Deposits | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 2054,53,48 | 1321,42,53 |
| ii) अन्यों से | ii) From Others | 48917,38,03 | 50971,91,51 |
| II बचत बैंक जमा राशियां | II Savings Bank Deposits | 98845,58,32 | 86416,08,82 |
| III मीयादी जमा राशियां | III Term Deposits | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 106245,40,57 | 72655,88,98 |
| ii) अन्यों से | ii) From Others | 323934,15,20 | 430179,55,77 |
| जोड़ (I, II एवं III) | TOTAL (I,II and III) | 579997,05,60 | 482638,89,30 |
| ख. I भारत में शाखाओं की जमाराशियां | B. I Deposits of branches in India | 383264,50,62 | 345069,65,33 |
| II भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां | II Deposits of branches outside India | 196732,54,98 | 137569,23,97 |
| जोड़ (I एवं II) | TOTAL (I & II) | 579997,05,60 | 482638,89,30 |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st March 2013 |
|---|---|--|--|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची - 4 उधार राशियां | SCHEDULE - 4 BORROWINGS | | |
| I भारत में उधार राशियां | I Borrowings in India | | |
| i) भारतीय रिजर्व बैंक | i) Reserve Bank of India | 2000,00,00 | - |
| ii) अन्य बैंक | ii) Other Banks | 2022,52,09 | 335,41,89 |
| iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां | iii) Other Institutions and Agencies | 2,26,24 | 98,70,15 |
| iv) आईपीडीआई | iv) IPDI | 1911,70,00 | 1911,70,00 |
| v) बांडों के रूप में जारी हार्डब्रिड ऋण पूँजी लिखत | v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds | 5000,00,00 | 5000,00,00 |
| vi) गौण ऋण | vi) Subordinate debt | 4490,00,00 | 15426,48,33 |
| | | | 2490,00,00 |
| | | | 9835,82,04 |
| II भारत से बाहर उधार राशियां (इसमें 1050 मिलियन यूएस डॉलर भारतीय रुपयों में ₹6291.10 करोड़ के समतुल्य (पिछले वर्ष 300 मिलियन यूएस डॉलर भारतीय रुपयों में ₹1628.55 करोड़ के समतुल्य) के एमटीएन बाण्ड शामिल हैं) | II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of USD 1050 mn, INR equivalent of ₹ 6291.10 crores (previous year USD 300 mn, ₹ 1628.55 crores)) | 21549,81,74 | 16717,12,21 |
| जोड़ (I एवं II) | TOTAL (I & II) | <u>36976,30,07</u> | <u>26552,94,25</u> |
| ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां | Secured Borrowings included in I & II above | <u>3861,77,21</u> | <u>2767,77,47</u> |
| अनुसूची - 5 | SCHEDULE - 5 | | |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS | | |
| I देय बिल | I Bills Payable | 1749,35,55 | 1467,52,72 |
| II उपचित ब्याज | II Interest Accrued | 3808,65,47 | 3330,48,89 |
| III अन्तः : कार्यालय समायोजन | III Inter office Adjustments | 926,40,06 | 416,48,83 |
| IV आस्थगित कर देयता | IV Deferred Tax Liabilities | 794,52,26 | 1,11,60 |
| V मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान | V Contingent Provision against Standard Advances | 2418,28,06 | 1834,11,82 |
| VI अन्य (प्रावधानों सहित) | VI Others (including provisions) | 11438,30,68 | 9754,93,39 |
| जोड़ (I एवं VI) | Total (I to VI) | <u>21135,52,08</u> | <u>16804,67,25</u> |
| अनुसूची - 6 | SCHEDULE - 6 | | |
| नकदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष | CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | | |
| I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) | I Cash in hand (including foreign currency notes) | 2311,45,30 | 1648,75,55 |
| II भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय बैंक के पास शेष | II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank : | | |
| i) चालू खाते में | i) in Current Account | 16983,95,82 | 12261,30,04 |
| ii) अन्य खातों में | ii) in Other Accounts | 149,32,04 | 17133,27,86 |
| जोड़ (I एवं II) | Total (I & II) | <u>19444,73,16</u> | <u>241,12,86</u> <u>12502,42,90</u> |
| अनुसूची - 7 | SCHEDULE - 7 | | |
| बैंक के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | | |
| I भारत में | I In India | | |
| i) बैंकों के पास शेष रकम | i) Balances with Banks | | |
| (क) चालू खातों में | a) in Current Accounts | 1202,89,23 | 1412,54,03 |
| (ख) अन्य जमा खातों में | b) in Other Deposit Accounts | 2817,02,72 | 4019,91,95 |
| | | | 4220,57,71 |
| | | | 5633,11,74 |





| | | (₹ in 000's) | |
|---|--|--|--|
| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st March 2013 |
| | | ₹ | ₹ |
| ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | ii) Money at call and short notice | | |
| (क) बैंकों के पास | a) with Banks | - | 2445,00,00 |
| (ख) अन्य संस्थानों के पास | b) with Other Institutions | 10,00,00 | 10,00,00 |
| जोड़ (i एवं ii) | Total (i and ii) | 4029,91,95 | 14489,80,85 |
| II भारत से बाहर | II Outside India | | |
| i) चालू खातों में | i) in Current Accounts | 20422,30,02 | 11931,49,49 |
| ii) अन्य जमा-राशि खातों में | ii) in Other Deposit Accounts | 63025,81,46 | 24771,17,03 |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | iii) Money at Call and Short Notice | 27432,90,21 | 22358,40,84 |
| जोड़ (i,ii एवं iii) | Total (i, ii and iii) | 110881,01,69 | 59061,07,36 |
| कुल जोड़ (I एवं II) | Grand Total (I and II) | <u>114910,93,64</u> | <u>73550,88,21</u> |
| अनुसूची - 8 निवेश | SCHEDULE - 8 INVESTMENTS | | |
| I भारत में निम्न में निवेश | I Investments in India in | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | i) Govt Securities | 97382,84,98 | 103105,14,17 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | ii) Other Approved Securities | 1128,84,94 | 877,97,02 |
| iii) शेयर | iii) Shares | 2380,68,21 | 1963,98,98 |
| iv) डिबेंचर एवं बांड | iv) Debentures and Bonds | 4226,60,83 | 3237,12,77 |
| v) सहयोगी इकाइयों में निवेश [इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूँजी के रूप में बैंक का अग्रिम अंशदान ₹ 152.91 करोड़। (पिछले वर्ष ₹ 159.91 करोड़) शामिल है जो आबंटन हेतु लम्घित हैं।] | v) Investment in Associates [Includes Bank's share of contribution as advance of ₹ 152.91 Crores (Previous year ₹ 159.91 Crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment] | 565,83,46 | 442,62,67 |
| vi) अन्य | vi) Others | 8547,87,41 | 9481,72,61 |
| जोड़ (i से vi) | Total (i to vi) | 114232,69,83 | 119108,58,22 |
| II भारत से बाहर निवेश | II Investments Outside India in | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | i) Govt Securities (incl. Local authorities) | 4128,70,03 | 3654,33,68 |
| ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश | ii) Investment in Associates | 63,96,30 | 52,13,96 |
| iii) अन्य | iii) Others | 3687,50,23 | 2801,99,40 |
| जोड़ (i से iii) | Total (i to iii) | 7880,16,56 | 6508,47,04 |
| कुल जोड़ (I एवं II) | Grand Total (I & II) | <u>122112,86,39</u> | <u>125617,05,26</u> |
| III भारत में निवेश | III Investments in India | | |
| निवेशों का सकल मूल्य | Gross value of Investments | 115005,58,36 | 119888,51,17 |
| घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़ | Less: Aggregate of Provisions for Depreciation | 772,88,53 | 779,92,95 |
| शुद्ध निवेश | Net Investments | <u>114232,69,83</u> | <u>119108,58,22</u> |
| IV भारत से बाहर निवेश | IV Investments outside India | | |
| निवेशों का सकल मूल्य | Gross value of Investments | 8130,59,11 | 6649,69,12 |
| घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़ | Less: Aggregate of Provisions for Depreciation | 250,42,55 | 141,22,08 |
| शुद्ध निवेश | Net Investments | <u>7880,16,56</u> | <u>6508,47,04</u> |
| | | <u>122112,86,39</u> | <u>125617,05,26</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st March 2013 |
|--|--|--|--|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची - 9 अग्रिम | SCHEDULE - 9 ADVANCES | | |
| क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल | A. i) Bills Purchased and Discounted | 53056,58,80 | 48465,25,50 |
| ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand | 182327,52,15 | 141144,04,92 |
| iii) मीयादी ऋण | iii) Term Loans | 168331,26,32 | 144015,89,30 |
| जोड़ (i से iii) | Total (i to iii) | <u>403715,37,27</u> | <u>333625,19,72</u> |
| ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित) | B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts) | 282624,53,37 | 231529,38,59 |
| ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित | ii) Covered by Bank/Government Guarantees | 66362,74,57 | 60096,36,34 |
| iii) गैर-जमानती | iii) Unsecured | 54728,09,33 | 41999,44,79 |
| जोड़ (i से iii) | Total (i to iii) | <u>403715,37,27</u> | <u>333625,19,72</u> |
| ग. I भारत में अग्रिम | C. I Advances in India | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | i) Priority Sector | 85560,73,92 | 80547,18,49 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | ii) Public Sector | 229,86,35 | 22539,48,53 |
| iii) बैंक | iii) Banks | 38,19,10 | 2602,37,07 |
| iv) अन्य | iv) Others | 188856,09,22 | 274684,88,59 |
| II भारत से बाहर अग्रिम | II Advances Outside India | | |
| i) बैंकों से प्राप्त | i) Due from Banks | 57342,06,30 | 573,870,000 |
| ii) अन्यों से प्राप्त | ii) Due from Others | | |
| क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल | a) Bills purchased & Discounted | 7105,18,46 | 6511,68,62 |
| ख. समूह ऋण | b) Syndicated Loans | 26606,50,21 | 14805,44,76 |
| ग. अन्य | c) Others | 37976,73,71 | 129030,48,68 |
| जोड़ (ग I + ग II) | Total (C.I +C.II) | <u>403715,37,27</u> | <u>333625,19,72</u> |
| अनुसूची-10 | SCHEDULE - 10 | | |
| अचल आस्तियां | FIXED ASSETS | | |
| I परिसर | I Premises | | |
| विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर | At cost as on 31 st March of the preceding year | 2677,05,23 | 2628,79,85 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन | Additions/Adjustments during the year | 191,31,18 | 48,96,79 |
| | | 2868,36,41 | 2677,76,64 |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन | Deductions/adjustments during the year | 3,90,64 | 71,41 |
| (पुनर्मूल्यित राशि सहित) | (Includes revalued amount) | 2864,45,77 | 2677,05,23 |
| अद्यतन तारीख को मूल्यहास | Depreciation to date | 1017,07,36 | 1847,38,41 |
| II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सेचर सहित) | II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) : | 922,67,95 | 1754,37,28 |
| विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर | At cost as on 31 st March of the preceding year | 2913,15,55 | 2467,98,78 |



| | | 31 मार्च, 2014 को As on 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को As on 31 st March 2013 |
|--|--|--|--|
| | | ₹ | ₹ |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन | Additions/Adjustments during the year | 578,31,74 | 511,13,13 |
| | | 3491,47,29 | 2979,11,91 |
| वर्ष के दौरान कटौतियां | Deductions during the year | 46,12,09 | 65,96,36 |
| | | 3445,35,20 | 2913,15,55 |
| अद्यतन तारीख तक मूल्यहास | Depreciation to date | 2443,43,84 | 1001,91,36 |
| जोड़ (I एवं II) | Total (I land II) | <u>2849,29,77</u> | <u>2550,42,95</u> |
| अनुसूची - 11 | SCHEDULE - 11 | | |
| अन्य आस्तियां | OTHER ASSETS | | |
| I उपचित ब्याज | I Interest Accrued | 4749,14,30 | 3704,32,84 |
| II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल) | II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of Provisions) | 4849,47,70 | 3401,38,01 |
| III स्टेशनरी एवं स्टैम्प | III Stationery and Stamps | 7,34,20 | 6,66,61 |
| IV आस्थगित कर आस्तियां | IV Deferred Tax assets | 10,27,17 | 97,95,60 |
| V अन्य | V Others | 3464,66,97 | 2683,25,54 |
| जोड़ (I से V) | Total (I to V) | <u>13080,90,34</u> | <u>9893,58,60</u> |
| अनुसूची - 12 | SCHEDULE - 12 | | |
| आकस्मिक देयताएं | CONTINGENT LIABILITIES | | |
| I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया | I Claims not acknowledged as debts | 63,10,76 | 69,20,11 |
| II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता | II Liability for partly paid Investments | 28,00 | 28,00 |
| III बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता | III Liability on account of outstanding forward exchange contracts | 171001,53,26 | 136045,12,51 |
| IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां | IV Guarantees given on behalf of constituents : | | |
| क) भारत में | a) In India | 16487,14,40 | 14304,50,45 |
| ख) भारत से बाहर | b) Outside India | 13410,13,34 | 29897,27,74 |
| V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य बाध्यता | V Acceptances, Endorsements and Other Obligations | 20142,64,46 | 19163,58,23 |
| VI आकस्मिक देयता की अन्य मर्दें | VI Other items of contingent liability | 39760,26,91 | 21101,30,19 |
| जोड़ (I से VI) | Total (I to VI) | <u>260865,11,13</u> | <u>205377,49,46</u> |



समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को Year ended 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को Year ended 31 st March 2013 |
|---|--|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज एवं लाभांश | SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED | | |
| I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | I Interest/Discount on Advances/Bills | 28656,54,51 | 26611,34,35 |
| II निवेश पर आय | II Income on Investments | 9293,97,26 | 7887,88,36 |
| III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों के शेष पर ब्याज | III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds | 1671,24,99 | 1538,39,38 |
| IV अन्य | IV Others | 841,12,51 | 404,43,65 |
| जोड़ (I से IV) | TOTAL (I to IV) | <u>40462,89,27</u> | <u>36442,05,74</u> |
| अनुसूची - 14 अन्य आय | SCHEDULE - 14 OTHER INCOME | | |
| I कमीशन, विनिमय एवं दलाली | I Commission, Exchange and Brokerage | 1503,06,75 | 1313,28,56 |
| II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) | II Profit / (Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net) | 26,86 | (1,22,56) |
| III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध) | III Profit on Exchange Transactions (Net) | 1068,56,51 | 824,00,07 |
| IV निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) | IV Profit on sale of Investments (Net) | 752,91,09 | 635,21,53 |
| V अर्जित प्रीमियम | V Premium earned | 938,44,53 | 569,52,83 |
| VI विविध आय | VI Miscellaneous Income | 1291,89,59 | 1169,81,88 |
| जोड़ (I से VII) | TOTAL (I to VII) | <u>5555,15,33</u> | <u>4510,62,31</u> |
| अनुसूची - 15 ब्याज व्यय | SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED | | |
| I जमा राशियों पर ब्याज | I Interest on Deposits | 25865,48,17 | 23062,97,76 |
| II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज | II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings | 679,13,50 | 466,94,52 |
| III अन्य | III Others | 1059,81,11 | 956,48,85 |
| जोड़ (I से III) | TOTAL (I to III) | <u>27604,42,78</u> | <u>24486,41,13</u> |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च, 2014 को Year ended 31 st March 2014 | 31 मार्च, 2013 को Year ended 31 st March 2013 |
|---|--|---|---|
| | | ₹ | ₹ |
| अनुसूची - 16 परिचालन व्यय | SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES | | |
| I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | I Payments to and Provisions for Employees | 4334,60,65 | 3615,95,10 |
| II किराया, कर एवं विद्युत | II Rent, Taxes and Lighting | 653,58,25 | 556,35,16 |
| III मुद्रण एवं स्टेशनरी | III Printing and Stationery | 75,82,90 | 60,63,22 |
| IV विज्ञापन एवं प्रचार | IV Advertisement and Publicity | 81,58,05 | 74,27,02 |
| V बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास | V Depreciation on Bank's Property | 368,10,96 | 321,70,12 |
| VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | VI Directors' Fees, Allowances and Expenses | 2,73,50 | 3,28,81 |
| VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) | VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses) | 52,06,45 | 35,84,73 |
| VIII विधि प्रभार | VIII Law Charges | 40,91,49 | 34,61,22 |
| IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि | IX Postages, Telegrams, Telephones etc. | 151,73,95 | 124,49,82 |
| X मरम्मत एवं रख रखाव | X Repairs and Maintenance | 209,39,20 | 190,98,91 |
| XI बीमा | XI Insurance | 401,13,89 | 305,06,35 |
| XII अन्य व्यय | XII Other Expenditure | 1220,59,36 | 983,15,97 |
| जोड़ (I से XII) | TOTAL (I to XII) | <u>7592,28,65</u> | <u>6306,36,43</u> |
| अनुसूची - 17 सहयोगी इकाइयों में आय का अंश | SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES | | |
| I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | I RRB's | 99,30,00 | 80,07,16 |
| II अन्य | II Others | 5,86,93 | (1,52,91) |
| जोड़ (I और II) | TOTAL (I & II) | <u>105,16,93</u> | <u>78,54,25</u> |



अनुसूची 18: 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2014

1. समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने का आधार

1.1 तैयारी करने का आधार

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, बनाई गई हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (12 अनुषंगियां, 6 सहयोगी इकाइयों तथा 3 संयुक्त उद्यम) की समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई हैं :

- क) बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते
- ख) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ लाइन-टू-लाइन एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस-21) के अनुसार सभी इन्द्रा ग्रुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए।
- ग) सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी “अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स” ए एस 23 इकिवटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- घ) संयुक्त उद्यमों में निवेश, आईसीएआई द्वारा जारी एस-27 (फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर) में निर्धारित “समानुपातिक आधार” पर समेकित किया गया है।
- 2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यवहारिक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।
- 2.3 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इकिवटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित है।

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -12- Subsidiaries, -6- Associates and -3- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

- a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).
- b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- c. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- d. Interests in Joint Ventures are consolidated on ‘Proportionate consolidation method’ as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.



2.4 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इकिचटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(क) “परिपक्वता तक धारित” निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।

(ख) “व्यापार हेतु धारित” में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

(ग) “बिक्री हेतु उपलब्ध” में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त “क” तथा “ख” में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों के अधिग्रहण की लागत-प्रोत्साहनों, फ्रंट एण्ड फीस एवं कमीशन का कुल योग है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, यदि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं हैं। विपरीत स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांडिस शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

23.08.2006 के पश्चात् मूल द्वारा वीसीएफ की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरभिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इहाँ एएफएस में अंतरिम का दिया जाएगा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार चिह्नित रखा जाएगा।

“व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिप्वार चिह्नित किया गया हैं तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

व्यापार के लिए धारित श्रेणी के तहत ट्रेजरी बिलों में प्राथमिक डीलर के रूप में मूल बैंक द्वारा किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया

2.4 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/capital reserve as the case may be.

3. INVESTMENTS:

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

(a) “Held to Maturity” (HTM) comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.

(b) “Held for Trading” (HFT) comprising investments acquired with the intention to trade.

(c) “Available for Sale” (AFS) comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of Acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Parent's investment in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Parent as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in HFT and AFS categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI)/ Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve



गया है जो निम्नानुसार है :-

| | |
|--|--|
| क. सरकारी/अनुमोदित - परिपक्वता आधारित आय पर प्रतिभूतियां | |
| ख. इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर | - नवीनतम तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी |
| ग. अधिमानी शेयर | - परिपक्वता आधारित आय पर, समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्कअप सहित |
| घ. पीएसयू बॉन्ड | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर |
| ड. म्युचुअल फंड की यूनिटें | - फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर |
| च. उद्यम पूँजी | - लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूँजी निधि (वीएसएफ) ₹1/- |
| छ. उद्यम पूँजी | भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी |

3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है एवं “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूँजी खाते में विनियोजित किया गया है।

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुई लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

3.5 बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।

3.6 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा मैजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक सख्त हों, का अनुपालन किया गया है। ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है।

3.8 देशी गैरनिष्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित आय को नहीं लिया गया है। और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को

Bank of India, which are as under: -

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| a | Government / Approved securities | - | On Yield to Maturity basis. |
| b | Equity Shares, PSU and Trustee shares | - | At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company. |
| c | Preference Shares | - | On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up. |
| d | PSU Bonds | - | On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up. |
| e | Units of Mutual Funds | - | At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme. |
| f | Venture Capital | - | Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF. |
| g | Venture Capital | | Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines. |

3.4 Disposal of Investment

Profit / loss on sale of investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit /loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss account.

3.5 The Parent is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 In respect of domestic non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of





अपनाया है। रिपो / रिवर्स रिपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। रिपो एवं रिवर्स रिपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ संपार्शिक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रिपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां उन्हें रिवर्स रिपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की गयी हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया गया है। इन पर व्यय / अर्जित किये गए ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया गया है।

3.10 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रूपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेंकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स को उपचित आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स को बाजार चिह्नित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है। लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौतों से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्त या देय होगा। इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटीव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडार्ड द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है।

4. अग्रिम

- 4.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अथवा मेजबान देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, इन में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुरूप किया गया है।

market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES:

- 4.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.



- 4.2 अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, उचन्त खाते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लैम के लिए किए गए प्रावधान के बाद की शुद्ध राशि है।
- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिझर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशा निर्देश ये हैं कि यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को दो वर्षों की अवधि के भीतर कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ हानि खाते में नामे किया जाए। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाए।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया गया है।
- 5.2 “परिसर” में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित साविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

1. आय (पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित मद से भिन्न) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है।
2. शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिरेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेरारों में लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।
3. गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिझर्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है।
4. परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतानों को आईसीआई द्वारा जारी एस 19 (लीज) के अनुसार लीज टर्म पर लाभ एवं हानि लेखा में हिसाब में लिया जाता है।

8. जीवन बीमा कम्पनी

1. प्रीमियम आय

देय होने पर प्रीमियम (सेवा कर का निवल) को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। सहवर्ती व्यवसाय के लिए जब सहयोगी इकाइयां सुजित की जाती हैं, प्रीमियम को गणना में लिया जाता है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा जाता है।

व्यपागत पालिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में लिया जाता है जब ऐसी पॉलिसियां पुनः चालू की जाती हैं।

- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

5. FIXED ASSETS:

- 5.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

- 5.2 Premises include Land and Building under construction.

6. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. REVENUErecognition:

1. Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
2. Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange, Brokerage and interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.
3. In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.
4. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8. Life Insurance company:

1. Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.



पुनर्बीमा होने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है।

2. लिंक्ड निधियों से आय

लिंक्ड निधियों, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पालिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार इत्यादि शामिल हैं, से प्राप्त आय को जारी की गई पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार लिंक्ड निधियों से वसूल किया जाता है।

3. पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को बीमाकर्ता के साथ की गई शर्त अथवा सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय हिसाब में लिया जाता है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा से प्राप्त प्रीमियम पर समायोजित किया जाता है।

4. प्रदत्त लाभ (दावों सहित)

प्रदत्त लाभों में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं।

मृत्यु, अनुवृद्धि (राइडर) तथा अभ्यर्पण दावों को सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना में लिया जाता है।

लिंक्ड पालिसियों के तहत आहरणों तथा अभ्यर्पणों को संबंधित योजनाओं में तब हिसाब में लिया जाता है। जब अनुषंगी यूनिटें निरस्त हो जाती हैं, दावों पर पुनर्बीमा वसूली को संबंधित दावों की उसी अवधि में हिसाब में लिया जाता है।

5. अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लाग ऐसी लागत है जो भिज्ञ-भिज्ञ होती हैं और बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से मुख्यतः समबद्ध होती हैं और व्यय होते हैं जोकि खर्चों की अवधि से संबद्ध होते हैं।

6. जीवन बीमा पालिसियों के लिए देयता

कंपनी की बीमांकिक देयताओं की बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं के सोलवेंसी मार्जिन) विनियमन, 2000, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक पद्धतियों के अनुसार गणना की जाती है।

7. निवेश

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किए गए परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बडौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदानों को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बडौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

2. Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

3. Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

4. Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

5. Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

6. Liability for life policies:

Actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

7. Investments:

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

9. EMPLOYEES BENEFITS:

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.



9.2 ग्रेच्यूटी

बैंक ऑफ बडौदा ग्रेच्यूटी निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता एक सांविधिक दायित्व है और इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। बैंक द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ बडौदा ग्रेच्यूटी निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

9.3 पेंशन

9.3.1 बैंक ऑफ बडौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्त वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक ऑफ बडौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है।

9.3.2 नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

9.4 अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति

संचित अनुपस्थिति क्षतिपूर्तियों जैसे कि अर्जित अवकाश (पीएल) तथा रुग्ण अवकाश को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गण कर्मचारियों को छोड़, संबंद्ध देश में लागू कानून के आधार पर मूल्यांकित तथा लेखाकृत किया जाता है।

10. मूल्यहास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 एवं 10.4 में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यहास किया जाता है, प्रदान किया गया है।

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबद्ध देश में प्रचलित परंपराओं के अनुसार प्रदान किया जाता है।

10.3 कम्प्यूटरों तथा साप्टवेयर जो भारत और भारत से बाहर कंप्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य अंग हैं, उनपर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर साप्टवेयर जो हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है पर मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

9.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

9.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10. DEPRECIATION:

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred to in Para 10.3 & 10.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a, as per the guidelines of RBI. Computer software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.





- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% प्रतिवर्ष की दर से सरल पद्धति (स्ट्रेट लाइन) से प्रदान किया जाता है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। जब कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10.6 पड़ाकृत भूमि एवं पड़ाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का पड़े की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

11. आस्तियों की क्षति

अचल आस्तियों की क्षति, (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संबंधित संव्यवहार

- 12.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 के अनुरूप किया गया है।
- 12.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।
- 12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।
 - (ख) विदेशी मुद्रा विनियम से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर संव्यवहार किया गया है।
 - (ग) परिणामी विनियम अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
 - (घ) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है। परिणामी वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

12.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

- (क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर संव्यवहार किया गया है।
- (ख) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा सापेक्ष देयताओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदादरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है।
- (ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर संव्यवहार किया गया है।

- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 10.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 10.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the AS 28 (Impairment of Assets) issued by ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

12. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by ICAI.
- 12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 12.3 Translation in respect of Integral Operations:
- a. The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
 - b. Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - c. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.
 - d. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss included in the Profit and Loss Account.
- 12.4 Translation in respect of Non Integral Operations:
- a. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
 - c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.



(घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गई है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा संबंधवाहार प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

12.5

वायदा विनिमय संविदा

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच अन्तर से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर को, आमदनी एवं खर्च की उन मर्दों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य है, विकर्पाणी नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अदिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों के रिवर्स करने की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन हुए प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को लागू किया गया है, के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक द्वारा अपने बैंसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बैंसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित ईक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड ईक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

जब तक आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना अप्रत्यक्ष न हो तब तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण नहीं माना गया है। क्योंकि यह ऐसी आय के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है, जिसकी वसूली नहीं हो सकती है।

d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट

Schedule-19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2014

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं।

| 1.1 | अनुषंगियां | देश, जहां विद्यमान है | स्वामित्व का प्रतिशत 31.03.14 | स्वामित्व का प्रतिशत 31.03.13 | 1.1 | Subsidiaries | Country of Incorporation | Percentage of Ownership as on 31.03.14 | Percentage of Ownership as on 31.03.13 |
|-------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|--|-----------------------------|--|--|
| 1.1.1 | देशीय अनुषंगियां | | | | 1.1.1 | Domestic Subsidiaries | | | |
| (क) | बैंकिंग | | | | a) | Banking: | | | |
| | i) नैनीताल बैंक लि. | भारत | 98.57 | 98.57 | | i) The Nainital Bank Ltd. | India | 98.57 | 98.57 |
| (ख) | गैर बैंकिंग | | | | b) | Non Banking: | | | |
| | i) बॉब कैपिटल मार्केट लि. | भारत | 100.00 | 100.00 | | i) BOB Capital Markets Ltd. | India | 100.00 | 100.00 |
| | ii) बॉब कार्ड्स लि. | भारत | 100.00 | 100.00 | | ii) BOB Cards Ltd. | India | 100.00 | 100.00 |
| 1.1.2 | विदेशी अनुषंगियां | | | | 1.1.2 | Overseas Subsidiaries: | | | |
| (क) | बैंकिंग | | | | a) | Banking: | | | |
| | i) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. | बोत्सवाना | 100.00 | 100.00 | | i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. | Botswana | 100.00 | 100.00 |
| | ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. | केन्या | 86.70 | 86.70 | | ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. | Kenya | 86.70 | 86.70 |
| | iii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. | यूगांडा | 80.00 | 80.00 | | iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. | Uganda | 80.00 | 80.00 |
| | iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी | गुयाना | 100.00 | 100.00 | | iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc. | Guyana | 100.00 | 100.00 |
| | v) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. | तंजानिया | 100.00 | 100.00 | | v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. | Tanzania | 100.00 | 100.00 |
| | vi) बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एवं टोबैगो लिमिटेड | त्रिनिदाद एवं टोबैगो | 100.00 | 100.00 | | vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. | Trinidad & Tobago | 100.00 | 100.00 |
| | vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. | घाना | 100.00 | 100.00 | | vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. | Ghana | 100.00 | 100.00 |
| | viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. | न्यूजीलैंड | 100.00 | 100.00 | | viii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. | New Zealand | 100.00 | 100.00 |
| (ख) | गैर बैंकिंग | | | | b) | Non Banking: | | | |
| | i) बॉब (यू के) लि. | यूनाइटेड किंगडम | 100.00 | 100.00 | | i) BOB (UK) Ltd. | United Kingdom | 100.00 | 100.00 |

1.2 सहयोगी इकाइयां

समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

| नाम | Name | देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation | मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on 31.03.14 | मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on 31.03.13 |
|--|--|---|--|--|
| (क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड | (a) Indo Zambia Bank Limited | जाम्बिया / Zambia | 20 | 20 |
| (ख) बड़ौदा पायोनियर असेट मेनेजमेंट कंपनी लि. | (b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. | भारत / India | 49 | 49 |
| (ग) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि. | (c) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited | भारत / India | 49 | 49 |
| (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:- | (d) Regional Rural Banks | | | |
| i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक | i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | भारत / India | 35 | 35 |
| ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले का बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक) | ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank) | भारत / India | 35 | 35 |
| iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक | iii) Baroda Gujarat Gramin Bank | भारत / India | 35 | 35 |



1.3 संयुक्त उद्यम

| | नाम / Name | देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation | मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership (%) as on | |
|----|--|--|---|------------|
| | | | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
| क) | इण्डियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. | भारत India | 44 | 44 |
| a) | India First Life Insurance Company Ltd. | | | |
| ख) | इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. | मलेशिया Malaysia | 40 | 40 |
| b) | India International Bank (Malaysia) Bhd. | | | |
| ग) | इण्डिया इनफ्राडेट लि. | भारत India | 30 | 30 |
| c) | India Infradebt Ltd. | | | |

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| क्र. सं | Sr. Particulars No. | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 | 31.03.2013 को As at 31.03.2013 |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| (क) | a. Cost of Investment in Associates | 228.53 | 194.31 |
| (ख) | b. Goodwill on acquisition included in (a) above | - | - |
| (ग) | c. Capital reserve on acquisition included in (a) above | 25.27 | 25.27 |
| (घ) | d. Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve | 3.23 | 2.31 |
| (ङ) | e. Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve | 423.31 | 323.42 |
| (च) | f. Investment as at 31 st March (a -b-c+d+e) | 629.80 | 494.77 |
| (छ) | g. Investment in India | 565.83 | 442.63 |
| (ज) | h. Investment outside India | 63.97 | 52.14 |
| (झ) | i. Total (g + h) | 629.80 | 494.77 |

3. अनुषंगियों / सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates

- 3.1. अनुषंगियों संयुक्त उद्यम, तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.(इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ़ बड़ौदा कैपिटल मार्केट यूगांडा लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तज़ानिया) लि., इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी., (आईआईबीएमबी) तथा इंडो जांबिया बैंक लि. को छोड़कर, जिनकी 31 मार्च, 2014 तक तैयार की गई हैं उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है. उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है।
- 3.2. 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अध्यधीन हैं :
- 1) बॉब कैपिटल मार्केट्स् लि.
 - 2) बॉब कार्ड्स् लि.
4. पूंजीगत प्रारक्षित निधि
- पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप
- 3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture's and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2014 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2013. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2014 to 31st March, 2014 requiring adjustment therein.
- 3.2 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2014 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:
- 1) BOB Capital Markets Ltd.
 - 2) BOB Cards Ltd.
4. Capital Reserves
- Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM



होने वाली मूल्यवृद्धि एचटीएम प्रतिभूति बिक्री पर लाभ (कर एवं प्रारक्षित निधि में अंतरण के पश्चात) तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं।

5. करों के लिए प्रावधान

- 5.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है।
- 5.2 अग्रिम रूप से भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर, प्रावधान के उपरांत है एवं यह 'अन्य अस्तियों' के तहत ₹ 4849.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3401.38 करोड़) रखा गया है। इसमें मूल का ₹ 4826.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3374.52 करोड़) शामिल है जो विभिन्न वर्षों के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए विवादित कर मांगों के भुगतान से संबंधित समायोजित राशि है। उक्त मांगों के संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय तथा उसके काउंसिलों की राय और/अथवा न्यायिक घोषणाओं के अनुसार निर्धारण कर्ता अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन/अस्वीकृति अनियत है।
- 5.3 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 के अनुसार, समूह ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i)(viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियों पर आस्थित कर देयता (डीटीएल) निर्धारित की है। जैसा कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2013 को डीटीएल पर विशेष प्रारक्षित निधि के ₹822.41 करोड़ (₹ 818.90 करोड़ मूल बैंक द्वारा तथा ₹ 3.51 करोड़ नैनीताल बैंक द्वारा) की राशि के प्रावधान की आवश्यकता थी, जिससे पूर्व में लाभ हानि खाते को प्रभारित नहीं किया गया था, इसे अब सीधे ही प्रारक्षित निधि से समायोजित कर दिया गया है। क्या भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार इस राशि को लाभ तथा हानि खाते को प्रभारित किया जाए, तो ऐसी राशि से लाभ इस प्रकार की राशि से कम हो सकता है।

उपरोक्त से आगे, मूल बैंक ने चालू वर्ष के लाभ में से ₹ 310.01 करोड़ डीटीएल के लिए निर्मित किए हैं, जो राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरित की गई।

6. बैंक की कुछ संपत्तियां पुनर्मूल्यित राशि के आधार पर दर्शायी गयी हैं। परिसर की लागत सहित वर्ष के अंत तक कुल पुनर्मूल्यित राशि ₹ 1782.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1778.33 करोड़) जिसमें विदेशी कार्यालयों के ₹35.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.45 करोड़) शामिल हैं मूल्यहास के उपरांत पुनर्मूल्यित राशि ₹ 1052.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1104.26 करोड़) है।

7. प्रारक्षितों से पूर्व आहरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 की शर्तों अनुसार, 31 मार्च 2013 को समूह ने आयकर अधिनियम की धारा 36 (i)(viii) के तहत पिछली प्रारक्षित निधियों पर विशेष प्रारक्षित निधियों के शेष में से ₹822.41 करोड़ (₹ 818.90 करोड़ मूल बैंक द्वारा तथा ₹ 3.51 करोड़ नैनीताल बैंक द्वारा) की अस्थिति कर देयता निर्मित की है।

8. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.95/21.04.048/2013-14 दिनांक 7 फरवरी, 2014 की शर्तों अनुसार, बैंकों को गैरनिष्टादित अस्तियों के प्रावधान के लिए दिनांक 31.03.2013 तक उनके द्वारा किए गए अस्थायी प्रावधानों में से 33% का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है। मूल बैंक ने गैरनिष्टादित अस्तियों के विशेष प्रावधान के लिए

securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

5. Provision for Taxes

- 5.1 Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of Consultant.
- 5.2 Tax paid in advance / tax deducted at source is net of provisions and is appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 4849.47 crores (previous year ₹ 3401.38 crores), includes ₹ 4826.09 crores of the parent (previous year ₹ 3374.52 crores), represent amount adjusted by the department / paid by the Parent in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands as in the parent's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.
- 5.3 Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) Circular no. DBOD.no.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013, the Group has created deferred tax liability (DTL) on the Special Reserve under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the amount of ₹ 822.41 crores (₹ 818.90 crores by Parent Bank and ₹ 3.51 crores by Nainital Bank) being the provision of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to Profit and Loss Account, has now been adjusted directly from Reserves. Had this amount been charged to the Profit and Loss Account in accordance with generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year would have been lower by such amount.
Further to above, the Parent Bank has created DTL of ₹ 310.01 crores out of current year profit on amount transferred to special reserve during the current financial year.
6. Certain properties of the Parent Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 1,782.73 Crores (previous year ₹ 1,778.33 crores) including ₹ 35.85 Crores at overseas offices (previous year ₹ 31.45 crores). The revalued amount net of depreciation is ₹ 1,052.61 Crores (Previous Year ₹ 1,104.26 Crores).

7. Draw Down from Reserves

In terms of Reserve Bank of India Circular no. DBOD. no.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013, the Group has created deferred tax liability of ₹ 822.41 crores (₹ 818.90 crores by parent bank and ₹ 3.51 crores by Nainital Bank) out of past reserves on balance of Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act as on 31st March 2013.

8. Floating Provision

In terms of R.B.I. circular no. DBOD.No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated February 7,2014, banks were allowed to utilize 33% of floating provisions held by them as on 31.03.2013 for making specific provisions for



31.03.2013 को उपलब्ध करायी गई अस्थायी प्रावधान की राशि (₹ 850 करोड़) का उपयोग नहीं किया है।

फिर भी नैनीताल बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी है, ने अपेक्षित विशेष प्रावधानों के लिए अस्थायी प्रावधानों में से ₹11.10 करोड़ का आहरण किया है।

9. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

non performing assets. Parent bank has not utilized the floating provisions (₹ 850 crores) available as at 31.03.2013 for making specific provisions for NPAs. However, Nainital Bank, the subsidiary of BOB, has drawn ₹ 11.10 crores out of floating provision to make required specific provision.

9. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | विगत वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| बढ़ेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान | Bad debts written off / Provision made towards NPA | 2954.30 | 3118.59 |
| पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान | Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts | 32.43 | 382.42 |
| देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान | Provision for Country Risk Management | 9.06 | 13.03 |
| करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | Provision for taxes (including deferred Taxes) | 1065.15 | 444.14 |
| निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान | Provision for Depreciation on investment | 200.36 | 220.56 |
| मानक आस्तियों हेतु प्रावधान | Provision for standard assets | 537.33 | 395.22 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान | Provision for staff welfare expenses | 25.00 | 25.00 |
| अन्य | Others | 1066.47 | 810.47 |
| जोड़ | Total | 5890.09 | 5409.43 |

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

10.1 एएस-5 पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि की मदों तथा लेखानीतियों में परिवर्तन

भारतीय रिजर्व बैंक ने नए परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सी. 98/21.04.13/2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी को वित्तीय आस्तियां बेचने के सम्बन्ध में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबीसी) (अर्थात् बही मूल्य घटाएं किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को दो वर्षों की अवधि के भीतर कीमत लागत की अवधि में लाभ-हानि खाते में नामे किया जाए। यदि बिक्री मूल्य शुद्ध बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है तु उस राशि को मौजूदा नीति के विपरीत लाभ व हानि खाते में रिकर्स कर दिया जाए तथा यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य घटाएं किया गया प्रावधान) से कम पर हुई है तो उस कमी को लाभ-हानि खाते में नामे कर दिया जाए तथा यदि बिक्री मूल्य एनबीसी की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुआ है तो अधिशेष को आगे ले जाया जाए और बाद में गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए।

वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार इस संव्यवहार में ₹ 4.26 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्शाया है।

10. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

In accordance with new RBI circular DBOD.BP.BC.No. 98/21.04.13/2013-14 dated 26th February, 2014, pertaining to financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company, if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received as against the existing policy, if the sale is at price below the Net Book Value (i.e. Book Value Less Provision held), the short fall is debited to the profit and loss account and if the sale value is higher than the NBV surplus is carried forward and utilized to meet the short fall/loss on account of subsequent sale of Non Performing financial assets.

During the year the Parent Bank has recognized a net gain of ₹ 4.26 crores in this transaction as per new RBI guidelines.



10.2 ए एस-15 - कर्मचारी लाभ (बैंक)

लेखा मानक प्रकटीकरण -

मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

10.2 AS-15 Employee Benefits [Parent]

Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

| | योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN | पेंशन Pension | अवकाश नकदीकरण Leave encashment | उपदान Gratuity | अति.सेवा लाभ ARB |
|--|--|------------------|---|-------------------|---------------------|
| डिस्काउंट दर | Discount rate | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| वेतन वृद्धि दर | Salary Escalation Rate | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| हास दर | Attrition Rate | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट | Expected Rate of Return on plan Assets | 8.70% | - | 8.00% | - |

मोर्टिलिटी रेट : एलआईसीआई 1994-96

Mortality Rate : LICI 1994-96

नोट : बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 24 मार्च 2014 के पत्र के अनुसार पर्याप्त बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित अधिवार्षिता योजना उपलब्ध कराई है।

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Note : The bank has adequately provided for superannuation scheme based on the actuarial valuation as per RBI letter dated March 24, 2014.

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

| | योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN | पेंशन Pension | अवकाश नकदीकरण Leave encashment | उपदान Gratuity | अति.सेवा लाभ ARB |
|---------------------------------------|---|------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1/4/2013 को पीवीओ | PVO as at 01.04.2013 | 7,502.04 | 709.73 | 1506.13 | 592.45 |
| जोड़े-ब्याज की लागत | Add- Interest Cost | 616.31 | 56.92 | 120.24 | 48.03 |
| जोड़े-चालू सेवा लागत | Add- Current Service Cost | 1,080.10 | 120.60 | 106.11 | 5.05 |
| घटायें-प्रदत्त लाभ | Less- Benefits Paid | 502.76 | 80.22 | 183.15 | 54.83 |
| जोड़े-दायित्व पर बीमांकित हानि/लाभ(-) | Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation | -436.21 | -71.34 | -16.70 | 56.46 |
| 31.03.2014 को पीवीओ | PVO as at 31.03.2014 | 8,259.48 | 735.69 | 1532.62 | 647.17 |

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

| | योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN | पेंशन/ Pension | उपदान/Gratuity |
|--|--|----------------|----------------|
| 1/4/2013 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | Fair Value of plan assets as on 01-04-2013 | 6658.32 | 1373.13 |
| जोड़े- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न | Add- Expected Return on Plan Assets | 579.27 | 109.85 |
| जोड़े- अंशदान | Add- Contributions | 861.54 | 233.00 |
| घटायें-प्रदत्त लाभ | Less- Benefits Paid | 502.76 | 183.15 |
| जोड़े-बीमांकित लाभ / (-) हानि | Add- Actuarial gain/(-)loss | 32.15 | -0.93 |
| 31.03.2014 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2014 | 7628.52 | 1531.90 |



तुलनपत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | | |
|----|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| | | पेंशन Pension | अवकाश नकदीकरण Leave encashment | उपदान Gratuity | आति. सेवा लाभ ARB |
| क) | दायित्व का पीवी | a) PV of obligation | 8259.48 | 735.69 | 1532.62 647.17 |
| ख) | योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | b) Fair value of plan assets | 7628.52 | - | 1531.90 - |
| ग) | अन्तर | c) Difference | 630.96 | 735.69 | -0.72 647.17 |
| घ) | अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | d) Unrecognised transitional liability | 365.98 | - | - - |
| ड) | तुलनपत्र में मान्य देयता | e) Liability Recognised in the BS | 264.98 | 735.69 | -0.72 647.17 |

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| | | योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN | | | |
|----|----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| | | पेंशन Pension | अवकाश नकदीकरण Leave encashment | उपदान Gratuity | आति. सेवा लाभ ARB |
| क) | चालू सेवा लागत | a) Current Service Cost | 1,080.10 | 120.60 | 106.11 5.05 |
| ख) | ब्याज लागत | b) Interest Cost | 616.31 | 56.92 | 120.24 48.03 |
| ग) | योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न | c) Expected Return on Plan Assets | 579.27 | - | 109.85 - |
| घ) | निर्धारित पिछली सेवा लागत (-) | d) Net Actuarial Loss/gain(-) | -468.35 | -71.34 | -15.78 1.63 |
| ड) | वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता | e) Transitional liability recognized in the year | 365.98 | - | - - |
| च) | लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च | Expenses Recognised in P&L | 1014.76 | 106.18 | 100.72 54.71 |

अगली अवधि (2014-15) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2014-15)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | पेंशन / Pension | ग्रेच्युटी / Gratuity |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| संभावित अंशदान | Expected contribution | 600.00 | 100.00 |

निवेश पैठर्न

Investment Pattern

(%में / in %)

| विवरण | Particulars | पेंशन / Pension | ग्रेच्युटी / Gratuity |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां | Central Govt Securities | 19.75 % | 20.49% |
| राज्य सरकार प्रतिभूतियां | State Government Securities | 22.62% | 24.30% |
| कार्पोरेट (पीएसयू) | Corporate (PSU) | 23.99% | 25.53% |
| कार्पोरेट (प्राइवेट) | Corporate (Private) | 2.16% | 1.48% |
| अन्य | Others | 31.48% | 28.20% |
| कुल | Total | 100.00 % | 100.00 % |





10.3 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एस 17)

लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण -
भाग के बिजनेस सेगमेंट

10.3 Segment Reporting (AS – 17)

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting
Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| बिजनेस सेगमेंट | Business Segments | ट्रेजरी Treasury | | कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking | | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Banking & Other Operations | | कुल Total | |
|--------------------|----------------------------|------------------|-----------|--|-----------|------------------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 |
| राजस्व | Revenue | 11292.37 | 9352.38 | 16412.79 | 15095.11 | 11178.52 | 9887.97 | 7134.37 | 6617.22 | 46018.05 | 40952.68 |
| परिणाम | Result | 1572.67 | 1119.50 | -441.42 | -92.52 | 3445.31 | 3144.72 | 2905.64 | 2545.30 | 7482.19 | 6717.01 |
| अनाबंटित खर्च | Unallocated Expense | | | | | | | | | 1416.32 | 1468.64 |
| परिचालनगत लाभ | Operating Profit | | | | | | | | | 6065.87 | 5248.37 |
| आयकर | Income taxes | | | | | | | | | 1065.15 | 444.14 |
| विशिष्ट लाभ / हानि | Extra-ordinary Profit/loss | | | | | | | | | -- | - |
| शुद्ध लाभ | Net Profit | | | | | | | | | 5000.73 | 4804.23 |
| अन्य सूचना | Other Information | | | | | | | | | | |
| सेगमेंट आस्तियां | Segment Assets | 145584.39 | 147809.92 | 189524.29 | 153499.37 | 85698.97 | 75107.47 | 248147.32 | 177606.33 | 668954.98 | 554023.08 |
| अनाबंटित आस्तियां | Unallocated Assets | | | | | | | | | 7159.13 | 5365.25 |
| कुल आस्तियां | Total Assets | | | | | | | | | 676114.11 | 559388.33 |
| सेगमेंट देयताएं | Segment Liabilities | 137435.02 | 139015.71 | 178915.30 | 144366.66 | 80901.80 | 70638.82 | 234256.79 | 167039.33 | 631508.91 | 521060.52 |
| अनाबंटित देयताएं | Unallocated Liabilities | | | | | | | | | 6758.38 | 5046.04 |
| कुल देयताएं | Total Liabilities | | | | | | | | | 638267.29 | 526106.56 |
| नियोजित पूँजी | Capital Employed | 8149.37 | 8794.21 | 10609.00 | 9132.71 | 4797.17 | 4468.65 | 13890.54 | 10566.99 | 37446.08 | 32962.56 |
| अनाबंटित | Unallocated | | | | | | | | | 400.75 | 319.21 |
| कुल नियोजित पूँजी | Total Capital Employed | | | | | | | | | 37846.82 | 33281.77 |

भाग-ख - भौगोलिक सेगमेंट / Part B : Geographical Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | Particulars | देशीय परिचालन Domestic Operations | | अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations | | कुल / Total | |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------|-----------|
| | | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 | 2013-14 | 2012-13 |
| राजस्व | Revenue | 40106.45 | 35196.20 | 5911.60 | 5756.48 | 46018.05 | 40952.68 |
| आस्तियां | Assets | 435162.42 | 386487.80 | 240951.69 | 172900.53 | 676114.11 | 559388.33 |

टिप्पणी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशनुसार लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूँजी को सेगमेंट की आस्तियों के अनुपातिक तौर पर आबंटित किया गया है।

Notes:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
- Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations.
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.
- Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.



10.4 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

| S.No | नाम Name | पदनाम Designation | पारिश्रमिक Remuneration | |
|------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | चालू वर्ष Current Year ₹ | पिछला वर्ष Previous Year ₹ |
| 1 | श्री. सुभाष शिवरतन मूंदडा Shri Subhash Sheoratan Mundra | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director | 26,27,967 | 3,49,654 |
| 2 | श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain | कार्यपालक निदेशक Executive Director (upto 07 th July 2013) | 7,67,625 | 12,22,208 |
| 3 | श्री श्रीनिवास पि. Shri Srinivas P | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 20,10,521 | 12,00,790 |
| 4 | श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan | कार्यपालक निदेशक Executive Director | 19,13,437 | 6,65,588 |
| 5 | श्री भुवन चंद्र जोशी Shri Bhuvan Chandra Joshi | कार्यपालक निदेशक (5 अगस्त 2013 से) Executive Director (w.e.f. 05 th Aug 2013) | 10,94,767 | - |

10.5 प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

10.5 Earnings per Share (AS-20)

| विवरण | Particulars | चालू वर्ष Current Year | विगत वर्ष Previous Year |
|--|--|---------------------------|----------------------------|
| i. इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) | Net Profit after tax available for Equity shareholders (₹ in crores) | 5000.73 | 4804.23 |
| ii. इक्विटी शेयरों की संख्या (भारित) | Number of Equity Shares (Weighted) | 42,28,88,060 | 41,16,78,611 |
| iii. प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन ₹10 प्रत्येक के | Basic and diluted earnings per share of ₹10/- each (₹) | 118.25 | 116.70 |
| iv. प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य | Nominal Value per Equity Share | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 |

10.6 आय पर कर गणना (एस-22)

क. आस्थगित कर देयता (निवल)

10.6 Accounting for Taxes on Income (AS-22)

a. Deferred Tax Assets (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण | 31.03.2014 | | 31.03.2013 | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| | आस्तियां Asset | देयता Liability | आस्तियां Asset | देयता Liability | |
| आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act | 5.41 | - | - | 41.12 |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कर्तौतियाँ | Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 | - | - | - | - |
| अन्य | Others | - | - | - | - |
| संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts and advances | 1.00 | - | 3.08 | - |
| एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास | Depreciation on HTM Securities | - | - | - | 92.73 |
| आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि | Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act | - | - | 1.84 | - |
| छुटी नकदीकरण एवं वेतन संशोधन हेतु प्रावधान | Provision for leave encashment & Wage Revision | 3.86 | - | 226.89 | - |
| जोड़ | Total: | 10.27 | - | 231.81 | 133.86 |
| शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां | Net Deferred tax Liability /Asset | 10.27 | - | 97.96 | - |





ख. आस्थगित कर देयता (निवल)

b. Deferred Tax Liabilities (Net)

| विवरण | Particulars | 31.03.2014 | | 31.03.2013 | |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | आस्तियां Asset | देयता Liability | आस्तियां Asset | देयता Liability |
| आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर | Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act | 0.60 | 61.12 | - | 0.26 |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां | Deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961 | - | 1128.91 | - | - |
| एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास | Depreciation on HTM Securities | - | 92.73 | - | - |
| अन्य | Others | - | 0.94 | - | 0.86 |
| संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान | Provision for doubtful debts and advances | 236.90 | - | - | - |
| आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि | Amount Disallowable U/S 40(a) (ia) of the IT Act | 3.21 | - | - | - |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान | Provision for leave encashment | 252.99 | 4.52 | - | - |
| जोड़ | Total: | 493.70 | 1288.22 | - | 1.12 |
| शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां | Net Deferred tax Liability /Asset | - | 794.52 | - | 1.12 |

10.7 परिचालन बंद करना (एएस 24)

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वस्तु की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

10.8. आस्तियों का अनर्जक बनना (एएस-28)

लेखा मानक-28 “आस्तियों का इंपेयरमेंट” के खंड 5 से खंड 13 एएस 28 के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल आस्तियों की कोई भी क्षति अपेक्षित नहीं है।

10.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एएस-29)

देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

10.7. AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2013-14 the Group has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

10.8 AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.9 AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Movement of provisions (excluding provisions for others)
(₹ in crores)

| विवरण | Particulars | मुकदमे Legal Cases / आकस्मिकताएं Contingencies | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|
| | | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| 1 अप्रैल 2013 को शेष | Balance as on 1 st April 2013 | 44.94 | 10.30 |
| वर्ष के दौरान प्रदत्त | Provided during the year | 3.31 | 34.64 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त | Amount used during the year | - | - |
| 31 मार्च 2014 को शेष | Balance as at 31 st March 2014 | 48.25 | 44.94 |
| आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय | Timing of Outflow / uncertainties | Outflow on settlement/crystallization | |

11. आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र सं. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय/ पंच फैसले/ अदालत के बाह्य निस्तारण/ अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। संबंद्ध पार्टीयों द्वारा संविदात्मक दायित्वों, विकास, मांग किए जाने की शर्तानुसार मांगी गई राशि, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

12. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल बैंक एवं अनुषंगियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट वृद्धिकोण से संबंध नहीं है और साथ ही ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है।

11. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement / disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

12. Additional Disclosures

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.



12-1 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, मूल बैंक और उसके अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोला, जिन्होंने पहले पेंशन योजना को ग्रहण नहीं किया था। इस विकल्प के परिणामस्वरूप 19289 कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प ग्रहण करने के कारण 1855.71 करोड़ रुपये की देयता सुजित हुई। इसके अतिरिक्त अनुषंगी नैनीताल बैंक लि. के सबंध में ग्रेचुटी सीमा में ₹ 3.50 लाख से ₹ 10 लाख की वृद्धि हो जाने के कारण ग्रेचुटी देयता बढ़कर 10.09 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह पेंशन व ग्रेचुटी की देयता बढ़कर ₹1865.80 करोड़ हो गई।

लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ तथा हानि खाते में 1865.80 करोड़ रुपये की समग्र राशि प्रभारित करना अपेक्षित था। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेचुटी सीमाओं में वृद्धि विवेक सम्मत नियामक व्यवहार के बारे में परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 को जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार समूह में 31 मार्च 2013 तक लाभ-हानि खाते में ₹1492.64 करोड़ रुपये (₹1865.80 करोड़ रुपये के 3/5 भाग के रूप में) प्रभारित किए हैं। ₹373.16 करोड़ रुपये (₹1865.80 करोड़ रुपये - ₹1492.64 करोड़ रुपये) की निर्धारित शेष राशि ₹373.16 करोड़ हिसाब में ली जाएगी और उसे उक्त परिपत्र की निर्धारित शर्तों के अनुसार शेष अवधि के लिए प्रभारित किया जाएगा। इस देयता में विमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

12-2 नवम्बर 2012 से लागू प्रस्तावित वेतन संशोधन के विचाराधीन निपटान के लिए मूल बैंक की बहियों में 31 मार्च 2014 को ₹425 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया। वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ₹300 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रबंधन का मत है कि यह प्रावधान पर्याप्त है।

12-3 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.यूबीडी.सीओ.एमईआरओईआर नं. 7814/09.16.901/2010.11 दि. 4 मार्च, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनियोग आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण दिनांक 18.04.2011 को किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी. 1311/21.01.048/2012-11 दि. 25 जुलाई, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार बैंक को वित्त वर्ष 2011-12 से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर विशिष्ट आस्ति और देयताओं के अंतरण के कारण हुए शुद्ध घाटे को परिशोधन करने की अनुमति दी गई। ₹ 62.20 करोड़ की राशि पिछले वर्ष से आगे लाई गई जिसे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया है। अब घाटा पूरी तरह लाभ व हानि खाते को प्रभारित हो गया है।

12-4 प्रतिभूतिकरण

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ₹253.64 करोड़ (बकाया शेष घटाएं प्रावधान) के शुद्ध बही मूल्य के साथ गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियां, आस्ति पुनर्गठन कम्पनी को नकद तथा प्रतिभूति प्राप्तियों के आधार पर बेच दीं। बैंक ने प्रतिभूति प्राप्तियों में ₹494.57 करोड़ का निवेश किया है और प्रतिभूति प्राप्तियों वित्तीय आस्तियों के शुद्ध बही मूल्य पर मूल्यांकित की गई है। प्रतिभूति प्राप्तियों को गैर एसएलआर निवेश माना गया है।

12-5 बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों पर 15% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 20% का प्रावधान किया है।

12-6 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति करने के लिए समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / पुनः समूहीकृत किया गया है।

12-1 During the financial year 2010-11, the Parent and its Subsidiary The Nainital Bank Ltd. had reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of such option by 19289 number of employees, the Group had incurred a liability of ₹1855.71 crores. Further in respect of Subsidiary, Nainital Bank Ltd., gratuity liability has increased by ₹ 10.09 crores due to enhancement of limit of gratuity from ₹ 3.50 lacs to ₹ 10 lacs. As such the total liability towards pension and gratuity was 1865.80 crores.

In terms of the requirements of the AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹1865.80 crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, vide RBI circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Group has charged an amount of ₹ 1492.64 crores (representing four-fifth of ₹1865.80 crores) upto March 31, 2014 including ₹ 373.16 crores. The unrecognized balance of ₹373.16 crores (₹1865.80 crores – ₹1492.64 crores) shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in terms of the said circular. This liability does not include any amount relating to separated/ retired employees.

12-2 Pending settlement of the proposed wage revision effective from November 2012, an adhoc provision of ₹425 crores is held as at 31st March 2014 in the books of Parent Bank. During the year, the Parent Bank has made a provision of ₹300 crores. Management is of the opinion that the said provision is adequate.

12-3 The Bank has taken over specified Assets & Liabilities of The Memon Co-operative Bank Ltd on 18th April, 2011 as per approval granted by RBI vide letter no. UBD.CO.MEROER No. 7814/09.16.901/2010.11 dated 04th March 2011. Further, RBI vide letter no. DBOD.No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated 25th July, 2011 permitted bank to amortize the net deficit arising out of Transfer of Specific Assets and Liabilities over a period of not exceeding three years starting from financial year 2011-12. An amount of ₹ 62.20 crores was brought forward from previous year, which bank has charged to profit and loss account during the FY 2013-14. Now, the deficit stands fully charged to profit & loss Account.

12-4 Securitisation

During the year bank has sold Non performing financial assets with Net Book Value of ₹ 253.64 crores (Outstanding less Provisions) to Asset Reconstruction companies on cash and security receipt basis in accordance with RBI guidelines. The bank has made investment of ₹ 494.57 crores in security receipts and the security receipts have been valued at Net Book Value of the financial assets. The security receipts are treated as Non SLR investments.

12-5 The Parent has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%.

12-6 Previous year figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary to conform current year's presentation.



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2014

(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 |
|---|--|---|---|
| क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह : | A. Cash flow from operating activities: | | |
| कर से पूर्व शुद्ध लाभ | Net Profit before taxes | 6065,87,47 | 5248,36,93 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन : | Adjustments for: | | |
| अचल आस्तियों पर मूल्यहास | Depreciation on fixed assets | 368,10,96 | 321,70,12 |
| निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित) | Depreciation on investments (including on Matured debentures) | 200,35,45 | 220,55,42 |
| बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान | Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets | 2986,73,19 | 3501,01,53 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | Provision for Standard Assets | 537,33,37 | 395,21,36 |
| अन्य मदों के लिए प्रावधान | Provision for Other items | 1100,52,71 | 848,50,50 |
| अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि) | (Profit)/loss on sale of fixed assets | (26,86) | 1,22,56 |
| गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया) | Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately) | 1001,58,88 | 930,27,55 |
| उप जोड़ | Sub total | 12260,25,17 | 11466,85,97 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन : | Adjustments for: | | |
| निवेशों में (वृद्धि) / कमी | (Increase)/Decrease in investments | 3303,83,42 | (39140,60,32) |
| अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी | (Increase)/Decrease in advances | (73076,90,74) | (45049,07,56) |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी | (increase)/Decrease in other assets | (1739,22,05) | 1889,31,06 |
| उथार राशियों में वृद्धि / (कमी) | Increase/(Decrease)in borrowings | 3760,80,92 | 2852,58,41 |
| जमा राशियों में वृद्धि / (कमी) | Increase/(Decrease) in deposits | 97358,16,30 | 90022,94,80 |
| अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) | Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions | 2878,93,36 | 2981,82,56 |
| प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध) | Direct taxes paid (Net of Refund) | (2513,24,19) | (1827,70,72) |
| परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क) | Net cash from operating activities (A) | 42232,62,20 | 23196,14,20 |
| ख. निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह : | B. Cash flow from Investing activities : | | |
| अचल आस्तियों की खरीद | Purchase of fixed assets | (769,62,92) | (560,09,92) |
| अचल आस्तियों की बिक्री | Sale of fixed assets | 39,27,35 | 45,94,30 |
| निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख) | Net cash from investing activities (B) | (730,35,57) | (514,15,62) |
| ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह | C. Cash flow from financing activities: | | |
| शेयर पूँजी | Share Capital | 8,15,88 | 10,13,29 |



(₹ in 000's)

| | | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 |
|---|---|---|---|
| शेयर प्रीमियम | Share premium | 541,84,12 | 839,86,71 |
| गैर जमानती गौण बांड | Unsecured Subordinated Bonds | 6662,54,90 | 102,30,00 |
| लाभांश | Dividend | (1059,62,50) | (812,29,04) |
| गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त /देय ब्याज | Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds | (1001,58,88) | (930,27,55) |
| वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग) | Net cash from financing activities (C) | 5151,33,52 | (790,26,59) |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि | Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C) | 46653,60,14 | 21891,71,99 |
| वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | Cash and cash equivalents as at the beginning of the year | 87702,06,66 | 65810,34,67 |
| वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य | Cash and cash equivalents as at the end of the year | 134355,66,80 | 87702,06,66 |
| टिप्पणी | Notes: | | |
| 1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं। | 1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice. | | |
| 2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक | 2 Components of Cash & Cash Equivalents | As on 31 st March 2014 | As on 31 st March 2013 |
| भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष | Cash & Balance with RBI | 19444,73,16 | 14151,18,45 |
| बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 114910,93,64 | 73550,88,21 |
| जोड़ | Total | 134355,66,80 | 87702,06,66 |



बैंक ऑफ बड़ौदा की समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ("द ग्रुप") के 31 मार्च 2014 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि विवरण और उक्त तारीख को समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गये हैं:
 - i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2014 के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
 - ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित -12- अनुषंगियों तथा -6- सहयोगी इकाइयों, 3 संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षित खाते,

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का दायित्व

समेकित वित्तीय विवरणियां बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उपकरणों की अलग वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।

2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को लेखा मानक एस-21 (समेकित वित्तीय विवरणियां) और लेखा मानक एस-23 (समेकित वित्तीय विवरणियों में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन) तथा लेखा मानक एस-27 (संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग) के आधार पर इस्टिट्यूट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार की गई हैं, तथा सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों संबंधित प्रमाण और वित्तीय विवरणियों का प्रकटीकरण शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारे राय का तर्क संगत आधार है।
4. समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित शामिल हैं।
 - क) 9 अन्तर्राष्ट्रीय अनुषंगियों तथा -1- संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणियां, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की हैं। इनकी वित्तीय

To

The Board of Directors,
Bank of Baroda

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda (the "Group") as at March 31, 2014, the Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:
 - i) Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 13, 2014;
 - ii) Audited Accounts of 12 Subsidiaries, 6 Associates and 3 Joint Ventures, audited by other Auditors;

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.

2. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Ventures) issued by the ICAI and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

3. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Incorporated in the Consolidated Financial Statements are:
 - a) Financial statements of 9 international subsidiaries & 1 Joint Venture which have not been audited by



विवरणियों में 31 मार्च 2014 को कुल आस्तियां 9629.02 करोड़ रुपये का उल्लेख है और वर्ष के अन्त में 933.83 करोड़ रुपये का कुल राजस्व तथा 395.87 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह है। उक्त अनुबंधियों तथा संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणियों तथा वित्तीय सूचना की स्थानीय रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गयी है। प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएपी की अपेक्षाओं के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को रूपांतरित किया गया है और इनकी उनके द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुबंधियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है, ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें पर तथा भारतीय जीएपी में रूपांतरण के आधार पर हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है।

- (ख) तीन घरेलू अनुबंधियों तथा दो घरेलू संयुक्त उद्यम के आंकड़े, जिनकी दूसरे लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा नहीं की हैं। इनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2014 को कुल आस्तियां 8824.25 करोड़ रुपये तथा वर्ष के अन्त में 1771.46 करोड़ रुपये का राजस्व तथा कुल आय एवं नकदी प्रवाह के रूप में 594.51 करोड़ रुपये का उल्लेख है।

5. महत्वपूर्ण विषय

अपनी राय को संज्ञान में न लेते हुए, हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- 1) अनुसूची 19 के नोट सं.12.1, जिसमें बैंक तथा उसकी अनुबंधी नैनीताल बैंक लिमिटेड की आस्थगित देयता का उल्लेख किया गया है जोकि 31 मार्च, 2014 को 373.16 करोड़ रुपये की पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) से संबद्ध है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (भारिंबैं)द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः खोलने के बारे में जारी परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखांकन सिद्धांत 15 (संशोधित), कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को लागू करने से बैंकों को छूट देने के अनुपालन के संबंध में है।
- 2) अनुसूची 19 के नोट सं.5.3, वित्तीय विवरणियों में, जिसमें आस्थगित कर देयता की राशि की लेखांकन पद्धति का उल्लेख किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक पत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 के अनुरूप 31 मार्च 2013 तक आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित के दावे के लिए उपलब्ध कराई गयी है। इस मामले के संबंध में हमारी राय सापेक्ष नहीं है।

6. राय

हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा परीक्षकों की अलग वित्तीय विवरणियों, लेखा परीक्षा न की गई वित्तीय विवरणियों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और उपर्युक्त पैराग्राफ 4 तथा 5 के साथ पठित हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणिया भारत में

us, whose financial statements reflect total assets of Rs. 9629.02 crores as at 31st March, 2014 and total revenue of Rs. 933.83 crores and cash flows amounting to Rs. 395.87 crores for the year then ended. The financial statements and other financial information of said subsidiaries and joint ventures have been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management and audited by them and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors and its conversion into Indian GAAP as stated above.

- b) Figures of 3 domestic subsidiaries and 2 domestic joint ventures which have been audited by other auditors, whose financial statements reflect total assets of Rs. 8824.25 crores as at March 31, 2014 and total revenue of Rs. 1771.46 crores and cash flows amounting to Rs. 594.51 crores for the year then ended.

5. Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to:

- 1) Note No. 12.1 of Schedule 19, which describes deferment of liability of the Bank & its subsidiary, the Nanital Bank Limited, relating to Pension and Gratuity to the extent of Rs. 373.16 Crores as on 31st March, 2014 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India (RBI) to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised), Employee Benefits issued by Institute of Chartered Accountant of India, vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.
- 2) Note No. 5.3 of Schedule 19, to the financial statements, which describes the accounting treatment of the amount of Deferred Tax Liability provided for on the claim of Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 up to at 31st March 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

6. Opinion

Based on our audit, consideration of reports of other auditors on separate financial statements, consideration of unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us read with paragraphs 4 and 5 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity



सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं:

- (i) 31 मार्च 2014 को बैंक, बैंक की अनुषंगीयों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उपक्रमओं के हितों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के संबंध में
- (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के समेकित लाभ संबंधी समेकित लाभ हानि खाते के संबंध में, और
- (iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में।

with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures (Group) as on 31st March 2014;
- (ii) in the case of the Consolidated Statement of Profit & Loss, of the consolidated Profit of the "Group" for the year ended on that date, and
- (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the "Group" for the year ended on that date.

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एस
(एम. के. जुनेजा)
भागीदार
एम. नं.: 013117

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(M. K. Juneja)
Partner
M. No. 013117

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(एन.बी.शेट्टी)
भागीदार
एम. नं.: 016718

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(N. B. Shetty)
Partner
M No.016718

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(जी. सुब्बा राव)
भागीदार
एम. नं.: 019579

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(G. Subba Rao)
Partner
M No.019579

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228सी
(के. के. हरोडिया)
भागीदार
एम. नं.: 034751

For KASG & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002228C
(K. K. Harodia)
Partner
M No.034751

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(अमिताब चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060

For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(Amitava Chowdhury)
Partner
M. No. 056060

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 15049 डब्ल्यू
(शैलेश शाह)
भागीदार
एम. नं.: 0033632

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN : 105049W
(Shailesh Shah)
Partner
M No.0033632

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 13 मई 2014 / 13th May, 2014



सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल

बैंक ऑफ बड़ौदा

मुम्बई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण - समेकित

बॉन्डे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता करार की धारा 41 एवं धारा 49 की अनुपालना स्वरूप हम एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने वर्ष 2013-14 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रगाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- i. इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
 - ii. ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कर्मियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है।
- i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट्स में कर दिया गया है।
 - iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो।

वी. के. गुप्ता

महाप्रबन्धक

(कार्पोरेट खाते, कराधान एवं अनुषंगियां तथा सीएफओ)

एस.एस.मूंदड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 13 मई 2014

स्थान : मुम्बई



CEO / CFO CERTIFICATION

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : Re : CEO/CFO Certification for the year 2013-14 - Consolidated

Pursuant to Clause 41 and 49 of the Listing Agreements with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2013-14 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. K. Gupta
General Manager
(Corp. A/cs, Taxation & Subsidiaries and CFO)

S. S. Mundra
Chairman and Managing Director

Date : 13th May 2014
Place : Mumbai



फार्म बी
प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

18वीं वार्षिक सामान्य बैठक

बुधवार, 25 जून, 2014

पंजीकृत फोलियो क्र. _____ डीपी आईडी क्र.* _____ ग्राहक आईडी क्र.* _____
(इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को बुधवार, 25 जून, 2014 को प्रातः 10:30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.- 1, एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा- 390 020 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली 18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता / करती हूं / करते हैं.

तारीख _____ माह _____ 2014 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

पता : _____

कृपया
राजस्व
टिकट यहां
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि :
 - यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
 बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा समूचित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अगूठे का निशान वहां लगा है, तो यह न्यायाधीश, मैनेजस्ट्रेट, रजिस्ट्रर या उपराजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत होना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक विधिवत स्टॉपिट न हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 20 जून, 2014 को सायं 5.00 बजे तक बैंक ऑफ बड़ौदा, केवर्डीसी एवं एमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो। इसके साथ उस मुख्यारनामा या अन्य प्राधिकार(यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्यारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पल्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्यारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक वह फार्म - बी में न हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी।
- विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दो गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला अनुदाता (ग्रांटर) संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।
- प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत प्रमाणित होने चाहिए।

Form B
PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

18th Annual General Meeting

Wednesday, 25th June 2014

Regd.Folio No. _____ DPID No*. _____ Client ID No.* _____
(* Applicable for members holding shares in electronic form)

I / We _____ resident of _____

in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, hereby appoint

Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 18th ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on Wednesday, 25th June 2014, at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargiha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T.P. - 1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014

Signature of Proxy _____

Name _____
(In Block Letters)

Address _____

Affix
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder
(Across the stamp)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing or
 - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing or
 - c. In the case of the body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark / thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, **not less than –4- days before the date fixed for the meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Friday, 20th June 2014**, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
3. No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



उपस्थिति पर्ची

18वें वार्षिक सामान्य बैंक

| | |
|---|---|
| दिनांक | बुधवार, 25 जून, 2014 |
| स्थान | सर सयाजीराव नगरगृह, बडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीइबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, बडोदरा- 390 020 |
| पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | |
| शेयरों की संख्या | |
| फोलियो सं. (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु) | |
| डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी.संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों के लिए) | |
| उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |

टिप्पणी :

- बैंक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य/प्रॉक्सी धारक बैंक में उपस्थिति पर्ची अवश्य साथ लाए तथा इसे विधिवत रूप में भरकर एवं हस्ताक्षर कर प्रवेश द्वारा पर सौंप दें।
- बैंक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य / प्रॉक्सीधारक बैंक में संदर्भ आदि के लिए वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएं।

प्रवेश पत्र

(बैंक की समस्त कार्यवाही के दौरान अपने पास रखें)

| | |
|---|--|
| फोलियो सं. (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) | |
| डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों के लिए) | |
| पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | |
| शेयरों की संख्या | |

टिप्पणी :

- शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैंक स्थल पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक/आरटीए में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें।
- तथापि प्रवेश, सत्यापन /जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा।
- किसी भी परिस्थिति में, बैंक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



ATTENDANCE SLIP

18th Annual General Meeting



| | |
|--|---|
| Date | Wednesday, 25 th June 2014 |
| Place | Sir Sayajirao Nagargiha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T.P.-1,F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 |
| Full Name (In Bock Letters) | |
| No of Shares | |
| Folio No. (for holding in physical form) | |
| DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form) | |
| Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present | |

Notes:

1. Member / proxy holder wishing to attend the meeting must bring the attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance duly filled-in and signed.
2. Member / proxy holder wishing to attend the meeting should bring his/her copy of the Annual Report for reference at the meeting.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

| | |
|---|--|
| Folio No. (for holding in physical form) | |
| DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form) | |
| Full Name (In Bock Letters) | |
| No. of Shares | |

Notes:

1. Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly filled in and signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank/RTA, along with the entry pass, for admission to the venue.
2. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary.
3. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.



बैंक ऑफ बडौदा

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)
इविवटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए इसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____
2. पता : _____
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) : _____
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारकों के लिए) : _____
4. बैंक खाते का विवरण :
 क. बैंक का नाम : _____
 ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड : _____
 ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) : _____
 घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें)
 (बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता) : बचत बैंक चालू नकद उधार
 ड. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या
 (यदि चेक बुक पर अकित किया जा रहा हो) : _____
 च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित
 बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा
 सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए
 अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की
 फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/ती हूं कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो
मैं बैंक ऑफ बडौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी।

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने
 प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें।
2. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
 (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17-24, विड्लराव नगर, माधापुर, हैदराबाद- 500 081 अथवा बैंक ऑफ बडौदा, निवेशक सेवाएं
 विभाग, तीसरा तल, बडौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें।

BANK OF BARODA

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)
ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) : Scissors icon
2. Address : Scissors icon
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form)
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) : Scissors icon
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name
 - B. Branch Name & City Pin Code : Scissors icon
 - C. Account No.
(as appearing on the cheque book) : Scissors icon
 - D. Account Type (please Tick) :
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB Current Cash Credit
 - E. Ledger Folio number of Bank Account
(if appearing on the cheque book) : Scissors icon
 - F. 9 Digit Code No. of the Bank
Branch appearing on the MICR
Cheque issued by the Bank : Scissors icon
5. Please attach a self-attested photocopy of your PAN CARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 **OR** at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.




अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस.मूंदडा, इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से प्राप्त करते हुए।

Shri S. S. Mundra, CMD receives First Prize in Indira Gandhi Rajbhasha Shield Competition from Hon. President Shri Pranab Mukherjee



कार्यपालक निदेशक श्री पि. श्रीनिवास, डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष - प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद, नई दिल्ली से एशोर्चैम सोशल बैंकिंग एक्सिलेंस अवार्ड प्राप्त करते हुए।

Shri P. Srinivas, ED receives ASSOCHAM Social Banking Excellence Award from Dr. C. Rangarajan, Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister, at New Delhi



वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार को लाभांश का भुगतान

Payment of dividend to Govt. of India for the Financial Year 2012-13



बैंक के 106 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान श्री एस.एस.मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री पि.श्रीनिवास एवं श्री रंजन धवन, कार्यपालक निदेशक गण।

Shri S. S. Mundra, CMD, Shri P. Srinivas and Shri Ranjan Dhawan, Executive Directors during the celebration of Bank's 106th Foundation Day



श्री एस.एस.मूंदडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अन्य उच्चाधिकारियों के साथ लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए।

Shri S. S. Mundra, CMD addressing the State Level Bankers Committee along with other dignitaries at Lucknow



India's International Bank